छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2025 सत्र

गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2025

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में मण्डल संयोजक की भर्ती परीक्षा की स्थिति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

1. (*क्र. 885) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत मण्डल संयोजक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में कितने मण्डल संयोजक कार्यरत हैं? स्वीकृत कुल पदों पर कितने नियमित मण्डल संयोजक, नियमित छात्रावास अधीक्षक एवं कितने शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी संलग्न हैं? **(ख)** विभागीय भर्ती नियम अंतर्गत मंडल संयोजक बनने हेतु क्या पात्रता है एवं विभागीय पदोन्नति के क्या नियम हैं तथा क्या अन्य किसी विभाग के कर्मचारी को मंडल संयोजक बनाया गया है? **(ग)** क्या मण्डल संयोजक के परिसीमित विभागीय भर्ती परीक्षा, 2023, दिनांक 14.07.2023 को विज्ञापन जारी किया गया था? उक्त भर्ती प्रक्रिया की क्या स्थिति है? अगर भर्ती परीक्षा लंबित है तो क्यों? **(घ)** क्या वर्तमान में हो रहे युक्तियुक्तिकरण में प्रभारी मंडल संयोजक को उक्त प्रक्रिया से बाहर रखा गया है? यदि हां तो क्या योग्य/पात्र व्यक्ति को मंडल संयोजक के पद पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके मूल पदस्थापना में पुनः भेजा जाएगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विभाग अंतर्गत मण्डल संयोजक के कुल 85 पद स्वीकृत है। स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में 03-नियमित मण्डल संयोजक कार्यरत है। जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार 12-नियमित छात्रावास अधीक्षक एवं 59-शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को मण्डल संयोजक के पद पर प्रभार दिया गया है। इस प्रकार स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में कुल 74 मण्डल संयोजक कार्यरत है। **(ख)** विभागीय भर्ती नियम अंतर्गत मण्डल संयोजक बनने हेतु छ.ग. अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ सेवा (तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम-2011 यथा संशोधित नियम-2018 **प्रपत्र-''अ'' में संलग्न** है। शिक्षक संवर्ग के 59 शिक्षको के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग के कर्मचारियों को मण्डल संयोजक का प्रभार नहीं दिया गया है। **(ग)** जी हॉ, मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्र. 8708/2023 एवं अवमानना प्र.क्र. 1228/2024 दायर होने के फलस्वरूप लंबित रहा है। **(घ)** युक्तियुक्तकरण में मण्डल संयोजकों को उक्त प्रक्रिया से बाहर रखने की जानकारी **प्रपत्र ''ब'' अनुसार संलग्न** है। जी हॉ।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

प्रदेश में डीएपी खाद की कमी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

2. (*क्र. 499) श्री उमेश पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में डीएपी खाद की कितनी मांग (टारगेट) रहती है और कितनी आपूर्ति (सप्लाई) हुई है? जानकारी जिलावार दें? क्या डीएपी खाद की कमी हुई है? यदि हाँ तो सरकार किसानों को डीएपी खाद किस कारण से उपलब्ध नहीं करा पा रही है? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : खरीफ 2025 मे प्रदेश के लिए भारत सरकार द्वारा डीएपी 3,10,000 मे.टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह अप्रैल से जून 2025 तक 2,19,100 मे.टन का सप्लाई प्लान भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया गया है, जिसकेविरुद्ध दिनाक 30.06.2025 तक 1,08,155 में टन की आपूर्ति हुई है। पूर्व मौसम (रबी 2024-25) का बचत स्कंध 40,746 मे. टन मिलाकर कुल 148900 मे.टन का भंडारण हुआ है। जिलावार डीएपी उर्वरक के लक्ष्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ** एवं आपूर्ति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। जी हाँ, वर्तमान खरीफ मौसम मे, दिनांक 30.06.2025 तक जारी सप्लाई प्लान के विरुद्ध कम आपूर्ति परिलक्षित हो रही है। इस परिपेक्ष्य में कृषकों हेतु वैकल्पिक फॉस्फेटिक उर्वरकों का भंडारण कराया जा रहा है तथा इनके उपयोग हेतु कृषकों के मध्य प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

सरगुजा जिले में फर्जी तरीके से वन अधिकार पत्र प्राप्त कर वन भूमि पर अवैध कब्जा

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

3. (*क्र. 864) श्री राजेश अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** सरगुजा जिले में कितने व्यक्तियों के पास कितने हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा है? **(ख)** क्या जिले में अवैध वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने हेतु कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? यदि हाँ, तो अब तक कितने प्रकरणों में निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है और कितने प्रकरण लंबित हैं? **(ग)** शासन द्वारा अवैध कब्जों को हटाने, फर्जी वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने एवं वास्तविक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु क्या नीति या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) सरगुजा जिले में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों के आधार पर 26830 वन अधिकार पत्रधारकों के पास 14183.954 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है। **(ख)** जी नहीं, अपितु जिले में प्राप्त शिकायतों के आधार पर एवं त्रुटिपूर्ण जारी किए गए कुल 2079 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं धारा 3(1) के तहत 01 सामुदायिक वन अधिकार पत्र जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुमोदन उपरांत निरस्त किए गए हैं। निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है। **(ग)** वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के आधार पर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की कार्यवाही की जाती है। फर्जी वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने के संबंध में भारत सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है एवं तत्संबंध में भारत सरकार से प्राप्त निर्देश अनुसार विधिक कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत मकानों की बिक्री

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (*क्र. 25) श्री अजय चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत 15 जून, 2025 की स्थिति में किन-किन योजनाओं के माध्यम से कितने मकान बनाये गये ? उनमें से कितने मकानों की बिक्री हुयी है और कितने मकान शेष हैं और कब से बिक्री नहीं हुई? ऐसे कितने मकान हैं, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और बिक्री नहीं होने की वजह से जर्जर होने की स्थिति में हैं और उनके जीर्णोद्धार में कितनी लागत आयेगी? जानकारी मकान के प्रकार सहित जिलावार बतायें? **(ख)** क्या उक्त खाली मकानों की बिक्री ना होने के संबंध में विभाग द्वारा विश्लेषण किया गया है ? यदि हां तो किन-किन कारणों से बिक्री नहीं हो रही है? उसके लिये क्या कार्ययोजना अब तक बनायी गयी है तथा उस कार्ययोजना के तहत् अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुये?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत 15 जून, 2025 की स्थिति में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दीनदयाल आवास योजना**,** अटल आवास योजना**,** अटल विहार योजना**,** सामान्य आवास योजना के अंतर्गत कुल 80,870 मकान बनाये गये है**,** उनमें से कुल 78,503 मकानों की बिक्री हुयी है और कुल 2,367 मकान शेष है**,** जिनके बिक्री नहीं होने के अवधि का मकान के प्रकार की जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के बिक्री हेतु शेष भवन जर्जर नहीं है अतः जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है। मकानों को " जहाँ है जैसा हैं" में एकमुश्त निपटान अंतर्गत छूट के साथ बिक्री किया जा रहा है । मकान के प्रकार सहित जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)**जी, हां। विभाग द्वारा उक्त खाली मकानों की बिक्री ना होने के संबंध में विश्लेषण किया गया है। मकानों के बिक्री नहीं होने का मुख्य कारण विशेषतः भवन के मांग में कमी, कोविड-19 में कोरोना महामारी, आबंटियों द्वारा भवन का पंजीयन पश्चात् पुनः निरस्त करना, फ्लैट /बहुमंजिला भवनों हेतु जनता का कम रुझान इत्यादि हैं। मकानों के बिक्री के लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19/01/2025 को निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए चिन्हांकित आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों को एकमुश्त निपटान हेतु वन टाईम सेटलमेंट लागत मूल्य (बेस रेट) में क्रमशः 10, 20 एवं 30 प्रतिशत की छूट के आधार पर निर्धारित शर्तों के साथ विक्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्ययोजना के तहत् छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा दिनांक 01/07/25 तक कुल 920 संपत्ति राशि रू. 139.47 करोड़ के बिक्री किया गया है।

कॉलोनाईजर विकास अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने हेतु निर्धारित नियम /शर्तें

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 844) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कॉलोनाईजरों को विकास अनुज्ञा जारी किए जाने हेतु क्या-क्या नियम एवं शर्तें निर्धारित हैं ? क्या नियमानुसार किसी अन्य की भूमि का उपयोग मुख्य मार्ग के रूप में करने वाले कॉलोनाईजर को अनुज्ञा प्रदान किए जाने का नियम निर्धारित है? क्या नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा पहुँच मार्ग के संबंध में निर्देश जारी किया गया है ? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार संचालक, ग्राम तथा नगर निवेश द्वारा जारी आदेश की अवहेलना कर रायपुर शहर में अन्य भूमि स्वामी के स्वामित्व वाली भूमि से पहुँच मार्ग दिखाकर कितने एवं किन-किन कॉलोनाईजरों द्वारा अभिन्यास स्वीकृत कराए गए हैं ? कॉलोनाईजरों के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** क्या प्रश्नांश "ख" की भू-अनुज्ञा निरस्त किये जाने हेतु

शिकायत/आवेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो कहां-कहां, कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? शिकायतकर्ताओं के नाम पते सहित जानकारी उपलब्ध करावें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) विकास अनुज्ञा जारी किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन एवं शर्तो) नियम, 2013 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन एवं शर्तो) नियम, 1999, विकास योजना एवं दिशा निर्देश निर्धारित है। अन्य की भूमि का उपयोग मुख्य मार्ग के रूप में करने वाले कालोनाईजर को अनुज्ञा प्रदान किये जाने का नियम नहीं है। जी हाँ, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा पहुंच मार्ग के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। **निर्देश की प्रति संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** जानकारी निरंक है।**(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

जिला धमतरी एवं बालोद में नगर निवेश कार्यालय द्वारा प्रदत्त भवन अनुज्ञा

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (*क्र. 549) श्री ओंकार साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी/बालोद नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा विगत वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक कुल कितने भवन अनुज्ञा प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं? कृपया वर्षवार, क्षेत्रवार तथा उपयोग श्रेणी (आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित/औद्योगिक) के अनुसार पृथक-पृथक संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाए। **(ख)** क्या विगत वर्षों में बिना वैध भवन अनुज्ञा के किए गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण एवं दंडात्मक परीक्षण किया गया है? यदि हां, तो ऐसे प्रकरणों की संख्या तथा उनमें की गई विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी दें । **(ग)** क्या नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवैध निर्माणों का नियमितीकरण किया गया है? यदि हां, तो प्रकरणवार विवरण सहित यह भी स्पष्ट किया जाए कि किन मामलों में मापदंडों से विचलन हुआ है तथा किस सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई ? **(घ)** क्या यह सत्य है कि भवन अनुज्ञा प्रणाली में स्वचालित अनुमोदन प्रणाली (Auto DCR) अथवा GIS आधारित निरीक्षण तंत्र की प्रभावशीलता अभी भी धमतरी में लागू नहीं हो पाई है? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र ''**अ**'' **अनुसार** है।**(ख)** जी, हाँ। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 37 के तहत जिला धमतरी अंतर्गत कुल 04 प्रकरणों में नोटिस जारी किया गया है। जिसमें से 01 प्रकरण में अनधिकृत विकास को हटाने की कार्यवही की गई है। 02 प्रकरणों में अनधिकृत विकास को बने रहे जाने की अनुमति दी गई है एवं 01 प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा जिला बालोद अंतर्गत कुल 05 प्रकरणों में नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है। जिसमें से 01 प्रकरण का छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2022 अंतर्गत नियमितिकरण किया गया है एवं 01 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। 02 प्रकरण छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-37(3) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही अंतर्गत प्रक्रियाधीन है तथा 01 प्रकरण में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश, नियम 1975 के नियम 16 अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किया गया है।**(ग)** जी, हाँ। प्रकरणवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र** ''**ब**'' **अनुसार** है। छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002 के प्रावधान अनुसार (एक) पार्श्व खुला स्थान (दो) तल क्षेत्र अनुपात (तीन) भूमि उपयोग में परिवर्तन (चार) पार्किंग एवं (पांच) पहुंच मार्ग की चौड़ाई विषय अंतर्गत विचलन की स्थिति में नियमितिकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम की धारा (4) के अंतर्गत गठित

जिला नियमितिकरण प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई है।**(घ)** जी, नहीं। यह पूर्णतः सत्य नहीं है। धमतरी जिले अंतर्गत भवन अनुज्ञा प्रणाली में स्वचलित अनुमोदन प्रणाली(ऑटो डीसीआर) प्रभावशील है। जी.आई.एस. आधारित निरीक्षण तंत्र प्रणाली राज्य में प्रचलन में नहीं है। अतः शेष प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

रासायनिक उर्वरक तथा बीजों के वितरण एवं लक्ष्य तथा भण्डारण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (*क्र. 777) श्री भूपेश बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रासायनिक उर्वरकों तथा बीज के वितरण के लक्ष्य, खरीफ 2025 के लिए निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र के लिए क्या-क्या निर्धारित है? उर्वरक तथा बीज की जिलावार जानकारी दें ? **(ख)** उपरोक्त लक्ष्यों के विरूद्ध भण्डारण की स्थिति क्या है ? क्या लक्ष्यों के अनुरूप केन्द्र सरकार से उर्वरकों का आबंटन किया जा चुका है? यदि नहीं तो उसमें क्या-क्या कमियाँ हैं ? **(ग)** उर्वरकों की कमी की समस्या के निराकरण के लिए क्या-क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) खरीफ 2025 में निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र के लिए रासायनिक उर्वरक वितरण का जिलेवार लक्ष्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। बीज वितरण का लक्ष्य केवल सहकारी क्षेत्र के लिये निर्धारित किया जाता है, निजी क्षेत्रों के लिये नहीं। सहकारी क्षेत्र में बीज वितरण लक्ष्य की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।**(ख)** सहकारी क्षेत्र में बीज वितरण लक्ष्य के विरूद्ध भंडारण की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार** है। निजी तथा सहकारी क्षेत्र के लिए निर्धारित रासायनिक उर्वरकों के लक्ष्य के विरूद्ध अद्यतन प्राप्त आपूर्ति पर आधारित भंडारण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है । उर्वरकों हेतु निर्धारित लक्ष्य संपूर्ण फसल मौसम के लिए होता है, आपूर्ति निरंतर जारी है, अतः शेष जानकारी वर्तमान में दिया जाना संभव नही है। **(ग)** डीएपी उर्वरक की कम आपूर्ति के दृष्टिगत वैकल्पिक उर्वरक एनपीके, सिंगल सुपर फास्फेट तथा वैकल्पिक नैनो तरल उर्वरकों के के उपयोग हेतु कृषकों में जागरूकता विकसित करने निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। वैकल्पिक उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में भंडारण भी कराया जा रहा है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

कोडागांव जिले में किसानों को प्रदाय पावर वीडर यंत्र

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

8. (*क्र. 726) श्री नीलकंठ टेकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** कोंडागांव जिला अंतर्गत दिसम्बर, 2023 से मई, 2025 तक पावर वीडर यंत्रों की खरीदी किस प्रक्रिया से की गयी? कौन-कौन से फर्म ने खरीदी में हिस्सा लिया? फर्मो का नाम सहित अवगत कराएँ? **(ख)** पावर वीडर यंत्र की खरीदी में विभाग द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गयी? **(ग)** जिले अंतर्गत कुल कितने किसानों को यह यंत्र का वितरण किया गया? **(घ)** किसानों के चयन की प्रक्रिया क्या थी? चयनित किसानों की विकासखंडवार, ग्रामवार सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला-कोण्डागांव में दिसम्बर 2023 से मई 2025 तक उप संचालक कृषि द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण विकास घटक 2.0 अंतर्गत पावर वीडर का क्रय छ.ग. शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) अंतर्गत सीमित निविदा के माध्यम से किया गया है। क्रय में हिस्सा लेने वाले फर्मों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। प्रश्नांकित

अवधि में ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत् सहायक संचालक उद्यान द्वारा, कृषकों द्वारा स्वयं क्रय किये गये पावर बीडर पर पात्रता एवं योजना के प्रावधान अनुसार अनुदान का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कृषकों को किया गया है। **(ख)** प्रश्नाश के अनुसार पावर वीडर की खरीदी में कृषि विभाग जिला कोण्डागांव द्वारा राशिर 17:08 लाख का व्यय किया गया जबकि उद्यान विभाग जिला-कोण्डागांव द्वारा, किसानों द्वारा क्रय किये गये पावर वीडर पर ₹ 10.29 लाख का अनुदान भुगतान किया गया है। **(ग)** प्रश्नांश क की अवधि में कृषि विभाग द्वारा पावर वीडर वितरण से 40 किसानों तथा उद्यान विभाग द्वारा स्वयं के साधनों से पावर वीडर क्रय करने वाले 215 किसानों में से 15 किसानों को अनुदान का भुगतान किया गया है। **(घ)** कृषि विभाग जिला कोण्डागांव द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलग्रहण विकास घटक 2.0 घटक के निहित प्रावधान अनुसार कृषकों का चयन माइक्रो बाटर शेड समिति के ग्राम पंचायत के माध्यम से किया गया है तथा उद्यान विभाग जिला कोण्डागांव द्वारा "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त पर कृषको (ओयलपॉम की खेती करने वाले कृषको को प्राथमिकता देते हुए) का चयन किया गया है। चयनित कृषकों की विकासखण्डवार, ग्रामवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छ:"]

जिला सूरजपुर में वन अधिकार पट्टा का वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

9. (*क्र. 111) श्री भूलन सिंह मराबी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला सूरजपुर में वर्ष 2023-24 व 2024-25 में कितने हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा वितरण किये जा चुके हैं और 2025-26 में क्या लक्ष्य निर्धारित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :जिला सूरजपुर में वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्रों के वितरण की संख्या निरंक है। वर्ष 2024-25 में व्यक्तिगत वन अधिकार के 30 वन अधिकार पत्रों, सामुदायिक वन अधिकार के 46 वन अधिकार पत्रों तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के 15 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। वर्ष 2025-26 में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि वन अधिकार पत्रों का वितरण सतत प्रक्रिया है तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रक्रियानुसार पात्रता के आधार पर वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जाता है।

उद्योगों द्वारा सेरीखेड़ी जलाशय में किये जा रहे प्रदूषण पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

10. (*क्र. 757) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र धरसींवा के ग्राम सेरीखेड़ी के पास संचालित सॉलिड मिक्स आर.एम.सी., जे.के.लक्ष्मी सीमेंट उद्योग तथा अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग के द्वारा अपने निर्माण अवशेष/वेस्ट मेटेरियल को सेरीखेड़ी जलाशय में डंप किये जाने संबंधी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या और विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?**(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार इन उद्योगों को क्या पर्यावरण विभाग द्वारा उद्योग स्थापना के पूर्व किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी? यदि हां तो प्रदाय अनुमति की प्रति उपलब्ध करावें और यदि नहीं तो विभाग द्वारा क्या इन उद्योगों पर किसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ? अवगत करावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)** जी, हाँ। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उद्योगों (रेडी मिक्स कान्क्रीट प्लांट) ।. मेसर्स यशस्वी भवा

इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड, ।।. मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड एवं ।।।. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को स्थापना के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की सुसंगत धाराओं के तहत जल एवं वायु सम्मति जारी की गई है, उक्त उद्योगों को जारी सम्मति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब, स, एवं द अनुसार** है।

प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में स्कूल/कॉलेज भवन की अनुपलब्धता

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

11. (*क्र. 776) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजधानी रायपुर में ऐसे कितने स्कूल/कॉलेज/आंगनबाड़ी/शासकीय कार्यालय संचालित हैं, जो भवनविहीन हैं ? किराये के भवन में या फिर एक ही भवन में , एक पाली में स्कूल एवं दूसरी पाली में कॉलेज, इस प्रकार संचालित हो रहे है ? कृपया जानकारी देंवे ? **(ख)** क्या स्कूल/ कॉलेज /आंगनबाड़ी/शासकीय कार्यालय हेतु भूमि उपलब्धता की समस्या है या बजट की कृपया जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) राजधानी रायपुर में कुल 540 स्कूल/कॉलेज/आंगनबाड़ी/शासकीय कार्यालय संचालित हैं जो भवनविहीन है तथा किराये के भवन में संचालित कुल 504 एवं किराए के भवन से अन्यत्र भवनों में 344 है। एक पाली में स्कूल एवं दूसरी पाली में कॉलेज संचालित भवन की संख्या 04 है। विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** हाँ, राजधानी रायपुर में स्कूल/कॉलेज/आंगनवाड़ी/शासकीय कार्यालय हेतु कुल 228 में भूमि उपलब्धता की समस्या है तथा कुल 16 में बजट उपलब्धता की समस्या है। विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

एन.जी.टी. के आदेशानुसार नदियों के प्रदूषित भाग के पुनरूद्धार हेतु तैयार कार्य-योजना

[आवास एवं पर्यावरण]

12. (*क्र. 129) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश के परिपालन में प्रदेश के खारून नदी (भाठागांव से बेन्द्री) के पुनरूद्धार हेतु कार्य-योजना तैयार की गई है ? क्या उक्त कार्य-योजना के अंतर्गत नदियों में प्रवाहित होने वाले घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु एस.टी.पी. स्थापना, फ्लड जोन में वृक्षारोपण का कार्य, भू-जल संरक्षण हेतु रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग कार्य, नदियों में न्यूनतम ई-फ्लो बनाए रखना, नदियों के किनारे अतिक्रमण की पहचान कर उसे हटाया जाना, नदियों के पास स्थित उद्योगों से परिसर के बाहर शून्य निस्तारण की स्थिति बनाए रखना इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं ? यदि हाँ तो अब तक कोई भी कार्य न होने के क्या कारण है? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है ? **(ग)** क्या खारून नदी के पास चंदनीडीह में स्थापित एस.टी.पी. पर कितनी राशि व्यय की गयी है? क्या उक्त एस.टी.पी. पूर्ण रूप से क्रियाशील है ? यदि नहीं तो क्यों? कब तक पूर्ण रूप से क्रियाशील होगा ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ । माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश के पालन में प्रदेश की खारून नदी (भाठागांव से बेन्द्री) के पुनरुद्धार हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार खारुन नदी में प्रवाहित होने वाले घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु चार स्थानों पर कुल 206 एम.एल.डी. क्षमता के घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की स्थापना की गई है, एस.टी.पी. की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। नदियों में न्यूनतम ई-फ्लो बनाये रखने हेतु एस.टी.पी. उपचारित जल को नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। नदियों के पास स्थित उद्योगों से परिसर

के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखने हेतु उक्त उद्योगों का सतत निरीक्षण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किया जाता है तथा प्रदूषण की स्थिति पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त जानकारी अनुसार खारुन नदी के किनारे किये गये वृक्षारोपण तथा खारून नदी एवं उसके सहायक नालों में भू-जल संरक्षण की दृष्टि से किये गये कार्यों की **जानकारी संलन प्रपत्र अनुसार** है। उपरोक्त के दृष्टिगत सभी कार्य यथा नदियों के फ्लड जोन में वृक्षारोपण का कार्य, भू-जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य, नदियों में न्यूनतम ई-फ्लो बनाये रखे जाने का कार्य, नदियों के किनारे अतिक्रमण की पहचान कर उसे हटाये जाने का कार्य एवं नदियों के पास उद्योगों से परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखे जाने संबंधी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कायों की मानिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय रिवर रिजुवेनेशन कमेटी (आर. सी.सी.) का गठन किया गया है।**(ग)** संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार खारून नदी के पास स्थित 75 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु राशि रू. 81.88 करोड़ का व्यय किया गया है। उक्त एस.टी.पी. पूर्ण रूप से क्रियाशील है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित जलाशय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

13. (*क्र. 765) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा(1) के खण्ड**(घ)** के अन्तर्गत मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद के अधिकार पात्र व्यक्तियों या समुदायों को प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जलाशय विद्यमान हैं, कहां-कहां हैं तथा उनका क्षेत्रफल कितना-कितना है? **(ख)** उक्त अधिकार वर्ष 2023-2024 से जून, 2025 तक कितने व्यक्तियों और समुदायों को कहां-कहां तथा कितने-कितने क्षेत्रफल में प्रदान या मान्य किया गया है अथवा प्रयोग किया जा रहा है? **(ग)** क्या वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले जलाशय मत्स्य उत्पादन आदि के लिए मछली पालन विभाग या छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ या पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा पट्टे पर या ठेके पर दिये जाते हैं? यदि हां तो क्या ऐसा करना वैधानिक है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क), **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।**

महासमुंद जिले में खाद एवं बीज वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

14. (*क्र. 832) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिले में खरीफ फसल, 2025 हेतु जून, 2025 तक कहां-कहां कौन-सी उर्वरक (खाद) एवं कौन-कौन सी प्रजाति के बीज की व्यवस्था, कितनी-कितनी मात्रा में की गई? समितिवार/विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के परिप्रेक्ष्य में महासमुंद जिले में उर्वरक एवं बीज वितरण का कितना लक्ष्य रखा गया एवं कितना वितरित किया गया? समितिवार/विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या उपरोक्तानुसार जिले के कृषकों को खरीफ फसल की उर्वरक (खाद) बीज समय पर वितरण किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** क्या किसी समिति में उर्वरक (खाद) बीज की मांग के अनुरूप कमी होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हॉ, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? किन-किन समिति/विकासखंड में

कमी/कालाबाजारी, अधिक दाम में बेचने या अन्य कोई शिकायत प्राप्त हुई है और शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है ? शिकायतकर्ता का नाम, समिति का नाम सहित जानकारी विकासखंडवार बताएं।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) महासमुंद जिले में खरीफ वर्ष 2025 हेतु जून, 2025 तक सहकारी समितियों में छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रो से कुल 35518 मी. टन रासायनिक उर्वरक एवं छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रक्रिया केन्द्रो से 30634.80 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया है। उर्वरकवार तथा फसल एवं प्रजातिवार बीज की समितिवार एवं विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र -ब अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में महासमुंद जिले में 57070 मी. टन उर्वरक एवं 31955 क्विंटल बीज के प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध क्रमशः 22111 मी.टन उर्वरक एवं 25197.90 क्विंटल बीज वितरण किया गया है। उर्वरकवार, फसल एवं प्रजातिवार, समितिवार एवं विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है।**(ग)** जिला महासमुंद में कृषकों को उनकी मांग अनुसार खाद/बीज का वितरण किया जा रहा है। **(घ)** खाद एवं बीज की कमी कालाबाजारी अधिक दाम में बेचने या अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है।

कृषि उपज मंडी समिति से कराये जाने वाले कार्यो का स्थल परिवर्तन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

15. (*क्र. 766) श्री रिकेश सेन : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कृषि उपज मंडी समिति के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का लोक निर्माण विभाग की तरह स्थल परिवर्तन का प्रावधान है? **(ख)**प्रश्नांश **(क)** यदि हाँ, तो सत्र 2024-25 में वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में स्थल परिवर्तन क्यों नहीं किया जा रहा है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पुल तथा सड़क कार्यों में स्थल परिवर्तन नही किया जाता है। कृषि उपज मंडी समिति के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो में स्थल परिवर्तन नही किया जाता है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में स्वीकृत कार्यों के स्थल परिवर्तन का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है।

मेसर्स तिरूपति मिनरल प्राइवेट लिमिटेड, हथनेवरा के संचालन की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

16. (*क्र. 774) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत संचालित मेसर्स तिरुपति मिनरल प्राइवेट लिमिटेड हथनेवरा को किस कार्य के लिए कब लाइसेंस जारी किया गया है? कृपया जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार लाइसेंस जारी करने के लिए किस - किस विभाग से, कब - कब अनुमोदन एवं मंजूरी ली गई है ? कृपया जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार लाइसेंस जारी करने के बाद कार्य प्रारंभ करने के दौरान कब - कब निरीक्षण किया गया है और क्या -क्या गड़बड़ियां पाई गयी है और उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई है? कृपया जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जिला-जांजगीर-चांपा में स्थापित/संचालित मेसर्स तिरूपति मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चांपा को स्टोरेज आफ कोल एवं कोल साइजिंग एंड स्क्रीनिंग हेतु जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा

25/26 तथा वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत् संचालन सम्मति जारी की गई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। खनिज साधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, मेसर्स तिरूपति मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड को ग्राम हथनेवरा, में खनिज कोयला के अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जांजगीर-चांपा द्वारा दिनांक 20.05.2022 को लाइसेंस जारी किया गया है।**(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 17.12.2014 को जारी भूमि संबंधी दस्तावेज़ की प्रति संचालन सम्मति जारी करने के पूर्व उद्योग से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ली गई है। खनिज साधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, लाइसेंस जारी करने के पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर से दिनांक 19.05.2022, तहसीलदार, चांपा से दिनांक 05.05.2022, ग्राम पंचायत, हथनेवरा से दिनांक 19.04.2022 एवं खनिज निरीक्षक से दिनांक 17.05.2025 को अनापत्ति/प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।**(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

आदिमजाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्री-मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में किया गया व्यय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

17. (*क्र. 789) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आदिमजाति विकास कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रीमैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में प्रति माह कितनी राशि शिष्यवृति के रूप में विद्यार्थियों के लिए दिए जाने का प्रावधान है तथा उक्त राशि में से कितनी प्रतिशत राशि मेस व्यय पर एवं कितनी प्रतिशत राशि व्यक्तिगत सामग्री पर व्यय करने का प्रावधान है ? जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिष्यवृति हेतु कुल कितना बजट प्रावधान था तथा कुल व्यय कितना हुआ ? उक्त वर्ष में शिष्यवृति हेतु जिलावार कितनी राशि का आबंटन प्रदाय किया गया तथा उसके विरुद्ध मेस व्यय एवं व्यक्तिगत सामग्री पर कितना व्यय किया गया ? जिलेवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या व्यक्तिगत सामग्री क्रय करने हेतु नवीनतम भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? नियम विरुद्ध सामग्री क्रय करने में अनियमितता किये जाने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई ? **(घ)** वित्तीय अधिकार पुस्तिका में सहायक आयुक्त एवं छात्रावास अधिक्षक को कितनी राशि की सामग्री क्रय करने का अधिकार प्रदत्त है ? जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में शिष्यवृत्ति के रूप में राशि रूपये 1500/-प्रति माह प्रति छात्र दिये जाने का प्रावधान है। जिसमें से 85% राशि मेस व्यय पर तथा 15ः% राशि व्यक्तिगत सामग्री पर व्यय करने का प्रावधान है।**(ख)** कंडिका ''क'' अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिष्यवृत्ति हेतु कुल बजट प्रावधान राशि रुपये 27804.30 लाख, जिले को प्रदाय राशि रुपये 25436.04 लाख एवं व्यय राशि रुपये 23879.90 लाख है। शिष्यवृत्ति ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जिलेवार प्रदाय राशि तथा उसके विरूद्ध मेस व्यय एवं व्यक्तिगत सामग्री पर हुये व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।**(ग)** व्यक्तिगत सामग्री क्रय करने हेतु विभागीय आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2023 में छात्रावास/आश्रम संचालन नियम 2010-11 में किये गये संशोधन के अनुक्रम में जिला स्तर पर व्यक्तिगत सामग्री क्रय कर विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार कहीं से अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। **(घ)** वित्तीय अधिकार पुस्तिका में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के संबंध में वित्तीय शक्ति कंडिका-3 अनुसार बर्तनों, बिस्तर, चारपाई, खेल सामग्रियों तथा छात्रावासों एवं आश्रमों को चलाने के लिए आवश्यक सामग्री के

क्रय की मंजूरी सहायक आयुक्त को प्रति आयटम रूपये 25000/-तक प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान में छात्रावास अधीक्षक का उल्लेख नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले फ्लाई ऐश का निस्तारण

[आवास एवं पर्यावरण]

18. (*क्र. 824) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के जिला रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा एवं जांजगीर- चांपा में विद्युत उत्पादन हेतु कौन-कौन से संयंत्र कार्यरत हैं? विद्युत उत्पादन क्षमता सहित बताएं? **(ख)** कंडिका "क" के विद्युत उत्पादन संयंत्रों के द्वारा कितना-कितना फ्लाई ऐश उत्सर्जित किया जाता है? प्रतिदिन एवं प्रतिवर्ष अनुसार विगत 02 वर्षों की जानकारी बताएं? **(ग)** विद्युत उत्पादन संयंत्रों के द्वारा उत्सर्जित फ्लाई ऐश के निस्तारण का क्या प्रावधान है और प्रश्नांकित अवधि में उत्सविर्जत फ्लाई ऐश का निस्तारण कितना-कितना एवं किस-किस माध्यम से किया गया है एवं प्रत्येक संयंत्र के पास निस्तारण हेतु कितना-कितना फ्लाई ऐश शेष है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ अनुसार है।**(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ के कॉलम (4,5.6) अनुसार** है।**(ग)** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 में दिए गये प्रावधानों के अनुसार सभी ताप विद्युत संयंत्रों के द्वारा उत्सर्जित फ्लाई ऐश का निस्तारण फ्लाई ऐश ब्रिक्स/ब्लॉक्स निर्माण/सीमेंट/ सड़क निर्माण/ भू-भराव एवं परितज्य खदानों आदि में किया जाता है। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐश उपयोग/निस्तारण की जानकारी तथा निस्तारण हेतु शेष फ्लाई ऐश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब अनुसार** है।

कृषि विभाग में लोक सेवा गारण्टी अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित सेवा/योजना

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

19. (*क्र. 820) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत कृषि विभाग की किन-किन सेवाओं, योजनाओं को 20 जून, 2025 की स्थिति में सम्मिलित किया गया है? इनमें सेवा प्रदायगी की समय-सीमा क्या निर्धारित है, सेवावार योजनावार बतायें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की सम्मिलित सेवाओं, योजनाओं के अंतर्गत महासमुन्द जिले में वर्ष 01 जनवरी 2023 से 20 जून 2025 तक प्राप्त आवेदन, पंजीकरण, निराकृत की संख्या वर्षवार, कार्यवार बतायें? कृषि मंत्री उपकरणों हेतु प्राप्त आवेदन, वितरण, वर्षवार, विकासखण्डवार बतायें? **(ग)** क्या चेम्प्स प्रणाली अंतर्गत सम्मिलित योजनाएं प्रश्नांश 'क' अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित हैं? यदि नहीं तो किसानों को इससे लाभ प्राप्त करने आवेदन व पंजीकरण के समय में क्या उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित कार्यालयो में दिनांक 20 जून 2025 तक लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत सम्मिलित सेवाओ एवं इनके सेवा प्रदायगी की सीमा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" में उल्लेखित सेवाओ के अंतर्गत जिला महासमुन्द में 01 जनवरी 2023 से 20 जून 2025 तक सेवावार प्राप्त, पंजीकृत एवं निराकृत आवेदनो की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। कृषि यंत्रो एवं उपकरणो हेतु प्राप्त आवेदन एवं वितरण की वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** हैं। **(ग)** चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से (1)

शक्ति चलित कृषि यंत्र प्रदाय (2) शाकम्भरी योजनांतर्गत अनुदान पर सिंचाई पम्प प्रदाय (3) केन्द्र प्रवर्तित व राज्य पोषित योजनाओ के अंतर्गत अनुदान पर ड्रिप स्प्रिंकलर का प्रदाय का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें से क्रमांक (1) से (2) तक उल्लेखित योजनाये लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 अंतर्गत पूर्व से अधिसूचित है तथा क्रमांक (3) में उल्लेखित योजना अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। चैम्प्स में ऑनलाईन पंजीयन से संबधित शिकायत के परिपेक्ष्य में गठित जांच समिति द्वारा चैम्प्स अंतर्गत सम्मिलित योजनाओ में आवेदन व पंजीकरण के समय पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता हेतु अभिमत प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर प्रक्रिया को पादर्शी बनाने प्रस्ताव किया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

जिला बालोद अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

20. (*क्र. 870) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बालोद में खरीफ 2025 की फसल हेतु किसानों को शासकीय दर पर रासायनिक उर्वरक एवं बीज के वितरण हेतु क्या व्यवस्था की गई है? जिला बालोद में वर्ष 2022-2023 से जून, 2025 तक खरीफ फसल हेतु विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की आंकलित मॉंग कितनी थी एवं कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से उर्वरक/रासायनिक खाद किसानों को उपलब्ध कराये गये? जानकारी देवें? **(ख)**क्या वर्तमान में किसानों को उनकी मॉंग के अनुरूप डी.ए.पी. एवं एन.पी.के. उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करायी जा रही है? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला बालोद में खरीफ वर्ष 2025 की फसल हेतु किसानों को शासकीय दर पर रासायनिक उर्वरक एवं बीज वितरण सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर जिला बालोद द्वारा जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय टीम गठित कर सतत् निगरानी की जा रही है तथा जिले के प्रत्येक उर्वरक विक्रय केन्द्रो में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर निर्धारित दर पर उर्वरक वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। बालोद जिला में वर्ष 2022-23 से जून 2025 तक खरीफ फसल हेतु विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का निर्धारित लक्ष्य एवं किसानों को उपलब्ध कराने हेतु भण्डारित मात्रा की वर्षवार, मौसमवार, उर्वरकवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** वर्तमान खरीफ वर्ष 2025 में दिनांक 30.06.2025 तक जिला बालोद में किसानों को उपलब्ध कराने के लिये डी.ए.पी. के लक्ष्य 11300 मे. टन के विरूद्ध 5247 मे. टन तथा एन.पी. के के लक्ष्य 13270 मे. टन के विरूद्ध 8997 मे. टन का भण्डारण किया जा चुका है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

चैम्प योजना के तहत साजा विधानसभा क्षेत्र में सब्सिडी के तहत किसानों को ट्रेक्टर वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

21. (*क्र. 886) श्री ईश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** चैम्प्स योजना के तहत 2020 से 2024 तक बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में कितने किसानों को ट्रेक्टर वितरण किया गया ? **(ख)** क्या कृषकों को पंजीयन क्रमांक के आधार पर ट्रैक्टर वितरण किया गया? **(ग)** यदि नहीं तो अनियमितता करने से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) ,**(ख)** एवं **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र की योजनाओं के बजट का उपयोग

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

22. (*क्र. 442) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि विगत 5 वर्षों में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र हेतु विभिन्न राज्य और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका है? **(ख)** वर्षवार यह जानकारी प्रदान की जाए कि बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किस-किस योजना के अंतर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उसमें से कितनी राशि खर्च नहीं हो सकी / लैप्स हो गई? **(ग)** क्या यह भी सत्य है कि योजनाओं की प्रगति एवं प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु कोई अद्यतन सांख्यिकीय रिपोर्ट पिछले 3 वर्षों से विभाग द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है? **(घ)** यदि हाँ, तो क्षेत्रीय योजना निर्माण, आंकड़ों की पारदर्शिता एवं बजट के प्रभावी उपयोग हेतु विभाग द्वारा क्या ठोस पहल की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के अंतर्गत जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा एवं जिला-सारंगढ-बिलाईगढ़ के लिए विगत 5 वर्षों (2020-21 से 2024-25) में विभिन्न राज्य और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग हो चुका है। **(ख)** विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के अंतर्गत जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा एवं जिला-सारंगढ-बिलाईगढ़ के लिए विगत 5 वर्षों (2020-21 से 2024-25) में विभागवार विभिन्न योजनाओं अंतर्गत स्वीकृति एवं खर्च की गई राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग)** योजनाओं की प्रगति एवं प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु कोई अद्यतन सांख्यिकी रिपोर्ट पिछले 3 वर्षों से विभाग द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। अतएव जानकारी निरंक है। **(घ)** योजनाओं की प्रगति एवं प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु कोई अद्यतन सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती है। किन्तु क्षेत्रीय योजना निर्माण, आंकड़ों की पारदर्शिता एवं बजट के प्रभावी उपयोग हेतु विभाग द्वारा सतत् निरीक्षण, मूल्यांकन एवं समीक्षा बैठक आयोजित किया जाता है।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सिरपुर SADA को आबंटित एवं व्यय राशि

[आवास एवं पर्यावरण]

23. (*क्र. 206) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्तमान में सिरपुर SADA प्राधिकरण अस्तित्व में है अथवा नहीं? यदि अस्तित्व में है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष व सीईओ का नाम, पदस्थापना स्थान और उनका कार्यकाल क्या है? क्या कार्यकारी समिति भी कार्यरत है या उसे भंग कर दिया गया है? **(ख)** वर्ष 2018 से 2025 तक SADA सिरपुर को प्रतिवर्ष कितना बजट आबंटित किया गया तथा उसमें से कितना व्यय किया गया? उपरोक्त व्यय में किन-किन कार्यों/परियोजनाओं का निष्पादन किया गया? वर्तमान में प्राधिकरण के पास शेष बजट की राशि कितनी है और उसका उपयोग किन योजनाओं हेतु प्रस्तावित है? **(ग)** वर्तमान में SADA का कार्यालय कहां स्थित है? क्या वह कार्यालय चालू है, बंद है या किसी अन्य संस्था/विभाग में विलयित कर दिया गया है? सिरपुर (महासमुन्द जिला) में कार्य होने के बावजूद SADA का कार्यालय रायपुर में स्थापित करने का क्या औचित्य है? **(घ)** विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सिरपुर का गठन किस उद्देश्य से किया गया था एवं उसे किन-किन अधिसूचित शक्तियों से सुसज्जित किया गया है? क्या जिला दंडाधिकारी, महासमुन्द को इस विशेष क्षेत्र के प्रशासन या अनुशासन में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जीहॉ, सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिरकण वर्तमान में अस्तित्व में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग व सी.ई.ओ. श्री धम्मसिंह गनवीर, डी.एफ.ओ. जिला-बलौदाबाजार हैं। अध्यक्ष एवं सी.ई.ओ. की नियुक्ति आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए की गई है। जी नहीं, कार्यकारी समिति वर्तमान में कार्यरत् नहीं है।**(ख)** प्रश्नांश की जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्रावधानित राशि	व्यय राशि	व्यय प्रयोजन
1	2018-19	03.00 करोड़	-	
2	2019-20	03.00 करोड़	-	
3	2020-21	01.00 करोड़	-	
4	2021-22	50.00 लाख	-	
5	2022-23	50.00 लाख	01.00 लाख	अन्य कार्यालयीन व्यय हेतु।
6	2023-24	05.00 करोड़	03.00 करोड़	कार्यालय संचालन, वेतन-भत्ते एवं विभिन्न कार्यालयीन व्ययों के भुगतान हेतु।
7	2024-25	05.00 करोड़	-	

वर्तमान मे प्राधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रू. 5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजनाओं एवं व्यय के संबंध में निर्णय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है।**(ग)** वर्तमान में सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कार्यालय रायपुर में स्थित है। कार्यालय वर्तमान में चालू है। कार्यालय की अवस्थिति के संबंध में निर्णय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है।**(घ)** सिरपुर के विकास को नियोजित करने तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक वैभव से परिपूर्ण प्रसिद्ध बौद्धिक, धार्मिक स्थल सिरपुर में पूर्ण विकसित शहर को एक हेरिटेज साईट (ऐतिहासिक धरोहर) के रूप में विकसित किये जाने हेतु सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत शक्तियॉ प्राप्त हैं।जी नहीं।

कौशल्या माता विहार अंतर्गत भूखण्ड आबंटन में अनियमितता पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

24. (*क्र. 852) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या शासकीय योजना कौशल्या माता विहार के अंतर्गत ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिनमें एक ही भूखड को एक से अधिक व्यक्तियों को आबंटित कर दिया गया है? **(ख)** यदि हां तो ऐसे कुल कितने व कौन-कौन से प्रकरण हैं ? विवरण देवें? **(ग)** उपरोक्त त्रुटियों के लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? कृपया की गई विभागीय /विधिक कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) कौशल्या माता विहार योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रथम दृष्टया ऐसे केवल 04 प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जो लेआउट रिविजन होने पर एक ही भूखंड के दो अलग-अलग क्रमांक होने के कारण एक ही भूखंड को एक से अधिक व्यक्तियों को आबंटित कर दिया गया हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त 04 में से 01 प्रकरण संज्ञान में आने के बाद स्वप्रेरणा से इस प्रकार के अन्य प्रकरण को पता करने एवं उनके निराकरण करने के लिए आदेश क्र. 1419/स्था.शा./विप्रा/2025 रायपुर, दिनांक 27.06.2025 के द्वारा एक समिति का गठन किया हैं।**(ख)** वर्तमान में कुल 04 प्रकरण संज्ञान में आये हैं, जिनकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ग)** उपरोक्त त्रुटियों की जाँच हेतु आदेश क्र. 1419/स्था.शा./विप्रा/2025 रायपुर, दिनांक 27.06.2025 के द्वारा 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया हैं। समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात दोषी अधिकारियो/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।**[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]**

रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वन भूमि पट्टा वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

25. (*क्र. 123) श्री फूलसिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने लोगों को वन भूमि पट्टा प्रदान किया गया है ? बीटवार जानकारी उपलब्ध करावें ? आज की स्थिति में कितने वन भूमि पट्टा धारकों के द्वारा वन भूमि पट्टे की जमीन की बिक्री की गई है? वन भूमि पट्टे की जमीन क्रय करने वाले भूस्वामियों की सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वन भूमि में कितने लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है ? बीटवार जानकारी उपलब्ध करावें? अवैध कब्जा धारकों के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे और कब तक करेंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 7926 लोगों को वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया है। बीटवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-''अ''** अनुसार है। आज की स्थिति में किसी भी वन अधिकार पत्र धारक द्वारा मान्य वन भूमि के बिक्री करने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन भूमि पर 49 व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। कब्जाधारकों की बीटवार जानकारी तथा उनके ऊपर की गई कार्यवाही का विवरण **संलग्न प्रपत्र-''ब''** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

रबी फसलों का समर्थन मूल्य एवं खरीदी प्रक्रिया

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

1. (क्र. 26) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 15 जून, 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ मे कुल कितने एकड़ कृषि भूमि (सिंचित एवं असिंचित अलग-अलग) है तथा उनमें से रबी फसल कितने एकड़ में की जा रही है? **(ख)** 15 जून, 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में उत्पादित किन-किन रबी फसलों की, कितना-कितना समर्थन मूल्य तय किया गया है तथा उन फसलों की खरीदी प्रक्रिया क्या है? **(ख)** रबी फसल वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितने किसानों द्वारा, कितने हेक्टेयर भूमि का पंजीयन कराया गया और कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से फसलों की खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया था और कितनी मात्रा में खरीदी की गयी? किसानों को कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है और कितना शेष है? कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? **(ग)** विगत पांच वर्षो में किन-किन रबी फसलों के उत्पादन एवं रकबा बढ़ा/घटा है? यदि घटा है तो उसका कारण क्या है? राज्य में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? रबि फसलों को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने क्या कार्ययोजना बनायी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 46,73,954 एकड़ (18,92,289 हेक्टेयर) सिंचित, 89,69,580 एकड़ (36,31,409 हेक्टेयर) असिंचित कृषि भूमि है। उनमें से 22,63,755 एकड़ (9,16,500 हेक्टेयर) क्षेत्र में रबी फसल ली जा रही है। (स्त्रोत आयुक्त भू अभिलेख, छत्तीसगढ़.) **(ख)** 15 जून, 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित रबी फसलों की वर्ष 2024-25 हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन की जानकारी निम्नानुसार है -

क्र	फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू./क्वि.)
1	गेहूं	2425
2	जौ	1980
3	चना	5650
4	मसूर	6700
5	राई-सरसों	5950
6	कुसुम	5940
7	तोरिया	5950

उक्त रबी फसलों में से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पी.एस.एस.) के तहत प्राईस सपोर्ट स्कीम के दिशा-निर्देशानुसार रबी वर्ष 2024-25 में चना, मसूर एवं राई-सरसों फसल की खरीदी हेतु अधिसूचना जारी की गई है। जिसके अनुक्रम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत कृषकों से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) द्वारा अधिसूचित फसलों की खरीदी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से की गई है। खरीदी उपरांत भंडारण एवं भुगतान संबंधी कार्यवाही भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन.सी.सी. एफ.) द्वारा की जा रही है। आगामी वर्ष 2025-26 हेतु खरीदी की प्रक्रिया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पी.एस.एस.) के तहत प्राईस सपोर्ट स्कीम हेतु जारी दिशा-निर्देशानुसार के प्रावधान अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(ग) रबी वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत फसल चना हेतु 22663 कृषकों द्वारा 24787.52 हेक्टेयर, मसूर हेतु 573 कृषकों द्वारा 269.06 हे. एवं राई-सरसों हेतु 903 कृषकों द्वारा 1048.57 हेक्टेयर भूमि का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया गया। भारत सरकार द्वारा प्राईस सपोर्ट स्कीम योजनान्तर्गत फसल चना 60403 मे.टन, मसूर 5720 मे.टन एवं राई-सरसों 3695 मे.टन खरीदी करने का लक्ष्य /स्वीकृति प्रदाय किया गया है। छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित से प्राप्त जानकारी अनुसार-फसल चना 2075.70 मे.टन एवं राई सरसों 106.75 मे. टन खरीदी की गई है। राज्य शासन द्वारा अधिसूचित उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से रबी फसलों का उपार्जन किया गया है। किसानों को रू. 12,10,16,050 की राशि का भुगतान किया जा चुका है एवं लगभग रू. 26,48,000 का भुगतान किया जाना शेष है। शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा प्राईस सपोर्ट स्कीम योजनान्तर्गत स्वीकृति प्राप्ति अनुसार आगामी वर्ष 2025-26 हेतु लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। **(घ)** विगत 5 वर्षों में रबी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। रबी मौसम में क्षेत्राच्छादन असिंचित क्षेत्रों में संचित नमी की उपलब्धता, बाजार मांग एवं मूल्य, मौसम प्रारंभ के पूर्व या दौरान असामयिक वर्षा आदि कारणों से प्रतिवर्ष प्रभावित होता है। रबी फसलों के क्षेत्राच्छादन में फसलवार आशिक कमी/ वृद्धि पर पृथक से सर्वेक्षण नहीं किया गया है, अतः इसके प्रभाव संबंधी जानकारी दिया जाना वर्तमान में संभव नहीं है। कृषि विभाग द्वारा रबी फसलों के उत्पादन एवं रकबा को बढ़ावा देने के लिए मक्का एवं दलहन, तिलहन फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। रबी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य पोषित योजनान्तर्गत ग्रीष्मकालीन धान के बदले, दलहन-तिलहन मक्का फसल प्रदर्शन, द्विफसली क्षेत्र विस्तार हेतु रबी फसल प्रदर्शन एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में नेशनल मिशन ऑन इडिबल ऑयल-आयलसीड, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना में मोटा अनाज, न्यूट्रिसिरियल, दलहन एवं टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (दलहन) योजना संचालित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकालीन धान के बदले मक्का, दलहन-तिलहन योजनान्तर्गत प्रदर्शन आयोजित करना प्रस्तावित है। उन्नत किस्म के बीज, फसल विविधिकरण एवं प्रौद्योगिकी के विस्तार से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

रायगढ़ जिले में वन अधिकार पट्टा का वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (क्र. 63) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वन अधिकार कानून के तहत रायगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 20 जून, 2025 तक सामुदायिक वन अधिकार पट्टा के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितनी ग्राम पंचायतों को सामुदायिक वन अधिकार पट्टा वितरण किया गया वर्षवार एवं ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में जिला प्रशासन द्वारा कितने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी को बेचने की अनुमति प्रदान की गई? **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में रायगढ़ जिले में कितने आदिवासियों के जमीन के 170 ख के प्रकरण दर्ज किए गए ? कितनी जमीन आदिवासियों को वापस की गई ? तहसीलवार सूची उपलब्ध कराएं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत रायगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 20 जून, 2025 तक सामुदायिक वन अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के प्राप्त आवेदनों एवं ग्राम पंचायतों को वितरित वन अधिकार पत्रों की वर्षवार एवं ग्रामवार सूची **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में जिला प्रशासन द्वारा न्यायालय कलेक्टर, रायगढ़ में 16 आदिवासियों के कुल 12.056 हेक्टेयर भूमि एवं 01 एम.आई.जी. मकान को बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में रायगढ़ जिले में आदिवासियों के जमीन के 170 ख के 52 प्रकरण दर्ज

किए गए हैं एवं 01 प्रकरण में जमीन (1.77 हे.) वापस की गई है। तहसीलवार सूची **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

रायगढ़ जिले अंतर्गत फ्लाई एश का निस्तारीकरण एवं मॉनिटरिंग

[आवास एवं पर्यावरण]

3. (क्र. 64) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायगढ़ जिले अंतर्गत स्थापित उद्योगों एवं पावर प्लांट से निकली फ्लाई एश एवं उसके उचित निस्तारीकरण के लिए किए गए उपायों की जानकारी देवें? **(ख)** फ्लाई एश निस्तारण के लिए चलने वाले भारी वाहनों का वर्ष 2024-2025 से 20 जून, 2025 तक किन-किन कंपनियों द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया गया नाम सहित जानकारी उपलब्ध कराएं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)रायगढ़ जिले अंतर्गत स्थापित उद्योगों एवं पॉवर प्लांट से ठोस अपशिष्ट के रूप में निकलने वाले फ्लाई ऐश का निस्तारीकरण/निपटान भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी फ्लाई ऐश अधिसूचना, 2021 (यथा संशोधित) के अनुसार फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्लॉक्स निर्माण, सीमेंट निर्माण सड़क निर्माण, भूमि भराव, परित्यत्य खदानों में किया जाता है। साथ ही फ्लाई ऐश निस्तारण के लिए चलने वाले भारी वाहनों को विनियमित एवं मॉनिटर करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2024 को एसओपी तथा इसके अतिरिक्त औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (आई.डब्ल्यू.एम.एम.एस.) जारी की गई है, जो कि दिनांक 01.05.2025 से प्रभावशील है।**(ख)**फ्लाई ऐश के निस्तारण हेतु वर्ष 2024-25 से जून 2025 तक औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (आई.डब्ल्यू.एम.एम.एस.) में पंजीकृत उद्योगों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

रायपुर में लागू वर्तमान मास्टर प्लान में अनियमितता पर कृत कार्रवाई

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (क्र. 130) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि विधानसभा परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र १०२5), दिनांक 10 मार्च, 2025 में यह बताया गया है कि वर्तमान लागू मास्टर प्लान को लेकर हुई गंभीर शिकायतों की जांच हेतु शासन द्वारा गठित समिति द्वारा जांच प्रक्रियाधीन है ? यदि हाँ तो जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? **(ख)** क्या जांच प्रक्रिया जारी रहने के साथ-साथ लागू मास्टर प्लान को स्थगित कर पूर्व मास्टर प्लान ही लागू रहने देने में कोई वैधानिक कठिनाई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :(क) जी हाँ। निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।**(ख)** छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में लागू विकास योजना को स्थगित एवं पूर्व विकास योजना को पुनः लागू किए जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

लैलूंगा विधानसभा अंतर्गत स्थापित उद्योगों में प्रदूषण मानक की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (क्र. 167) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सत्र 2024-25 में पर्यावरण विभाग के द्वारा लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन फैक्ट्री में प्रदूषण मानक की जांच की गई? इसका मापदंड क्या है ? प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? फैक्ट्रीवार की गई कार्यवाही की जानकारी देवें ? **(ख)** वन क्षेत्र से कंपनी कितने किलोमीटर दूर होना चाहिए? इसका मापदंड क्या है ? ऐसी कितनी कंपनी हैं और वे वन क्षेत्र से कितनी दूरी पर स्थापित हैं? कंपनीवार जानकारी देवें? **(ग)** अवैध पेड़ कटाई हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत उद्योगों को जारी की जाने वाली जल एवं वायु सम्मति की सामान्य शर्तों में प्रदूषण मानक के तहत चिमनी से उत्सर्जित पार्टीकुलेट मैटर की अधिकतम सीमा 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर तथा औद्योगिक दूषित जल में पीएच की मात्रा 5.5 से 9.0. सस्पेंडेड सालिड्स (एसएस), बायोकेमिकल आक्सिजन डिमांड (बीओडी) एवं केमिकल आक्सिजन डिमांड (सीओडी) की अधिकतम सीमा क्रमशः 100 मिलीग्राम/लीटर, 30 मिलीग्राम/लीटर एवं 250 मिलीग्राम/लीटर निर्धारित की गई है। साथ ही परिवेशीय वायु गुणवत्ता में पार्टीकुलेट मैटर (पीएम 10). पार्टीकुलेट मैटर (पीएम 2.5), सल्फर डाई आक्साइड (एसओ2), नाइट्रोजन डाई आक्साइड (एनओ2) की अधिकतम सीमा क्रमशः 100 माइक्रोग्राम/घनमीटर, 60 माइक्रोग्राम/घनमीटर, 80 माइक्रोग्राम/घनमीटर, 80 माइक्रोग्राम/घनमीटर निर्धारित की गई है। शेष प्रशनांश की **जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम (5) अनुसार** है।**(ख)** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ वन मण्डल से प्राप्त जानकारी अनुसार, वन क्षेत्र से कंपनी के दूरी निर्धारण का कोई मापदंड निर्धारित नहीं है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ग)** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ वन मण्डल से प्राप्त जानकारी अनुसार, वन क्षेत्रों में अवैध कटाई के रोकथाम हेतु समस्त परिसर रक्षक द्वारा अपने अपने दायित्वाधीन परिसर में नियमित रूप से गश्ती कर नियंत्रण किया जाता है। साथ ही साथ परिक्षेत्र सहायकों के द्वारा रोस्टर अनुसार प्रत्येक माह संवेदनशील परिसरों का बीट जांच किया जाता है ताकि अवैध कटाई पर नियंत्रण किया जा सके।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठारह"]

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में वनांचल वासियों को वितरित वन आवासीय अधिकार पत्र (पट्टा)

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

6. (क्र. 237) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत डेढ़ वर्षों के दौरान पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वनांचल क्षेत्र में निवासरत कितने वनांचल वासियों को वन आवासीय अधिकार पत्र (पट्टा) का वितरण किया गया है एवं कितने हितग्राहियों को वन आवासीय अधिकार पत्र (पट्टा) का वितरण किया जाना शेष है ? विकासखंडवार जानकारी देवें? (ख) विगत डेढ़ वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत वनांचल क्षेत्र में निवासरत कितने वनांचल वासियों को वन आवासीय अधिकार पत्र (पट्टा) का वितरण किया गया है एवं कितने हितग्राहियों को वन आवासीय अधिकार पत्र (पट्टा) का वितरण किया जाना शेष है? जिलेवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विगत डेढ़ वर्षों के दौरान पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पंडरिया एवं सहसपुर लोहारा में वनांचल क्षेत्र में निवासरत वनांचल वासियों को

आवासीय प्रयोजन के व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र का वितरण नहीं किया गया, अतः जानकारी निरंक है तथा हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र का वितरण किया जाना शेष नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** विगत डेढ़ वर्षों के दौरान राज्य में 238 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का आवासीय प्रयोजन हेतु वितरण किया गया है एवं आवासीय प्रयोजन हेतु कोई भी वन अधिकार पत्र का वितरण किया जाना शेष नहीं है। जिलावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

धमतरी जिले में रजिस्टर्ड बीज उत्पादक संस्थायें और समितियां

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (क्र. 412) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी जिले में बीज प्रमाणीकरण संस्था में कितने बीज उत्पादक रजिस्टर्ड हैं ? उनके द्वारा विगत 02 वर्षों में कितने रकबे में बीज का उत्पादन किया गया है ? संस्थावार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या सहकारी बीज समितियों को अभी भी बीज विक्रय पर शासन द्वारा सब्सिडी दी जा रही है? यदि हॉ, तो विगत 03 वर्षो की सीजनवाइज रबी, खरीफ में उपरोक्त धमतरी जिले की समितियों को प्रदान की गई राशि की जानकारी उपलब्ध कराएं ? **(ग)** बीज समितियों एवं बीज कम्पनियों पर विगत 05 वर्षो में जून, 2025 तक कुल कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए ? क्या प्रकरण दर्ज होने के बाद भी उन समितियों या कंपनियों द्वारा उनके नाम से या घर के किसी अन्य सदस्यों के नाम से कंपनी या समितियां बनाकर बीज का व्यापार किया जा रहा है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) धमतरी जिले में बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा 07 बीज उत्पादक संस्था पंजीकृत हैं। विगत 02 वर्षों (2023-24 एवं 2024-25) में उत्पादित बीज की संस्थावार, ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ, सहकारी बीज उत्पादक समितियों को बीज विक्रय पर शासन द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। विगत 03 वर्षों में सीजनवार रबी एवं खरीफ में धमतरी जिला अंतर्गत किसी भी बीज उत्पादक सहकारी समिति को राशि प्रदान नहीं की गई है। **(ग)** बीज समितियों एवं बीज कंपनियों पर विगत 05 वर्षों में जून 2025 तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है, अतः शेष जानकारी निरंक है।

रायपुर संभाग के जिलों में बीज एवं कीटनाशक का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

8. (क्र. 413) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर संभाग अन्तर्गत जिलों में विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक रबी (गेंहू, चना, मसूर, अलसी, तुवर, सरसों) व खरीफ की जींसवार फसलों के लिये कृषकों को बीज, जैविक खाद, कीटनाशक वितरण हेतु कितना बीज विभाग द्वारा कब-कब, किस-किस दर से, किन-किन संस्थाओं से क्रय किया गया एवं उन संस्थाओं को कब-कब, कितना-कितना भुगतान किया गया ? जिलेवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में बीजों का वितरण, जैविक खाद, कीटनाशक कितने कृषकों को, कब-कब, कितना-कितना दिया गया? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी से अवगत करावें? **(ग)** उक्त वर्षो में जैविक खाद, कीटनाशक वितरण या बीज क्रय में अनियमियता के कितने मामले सामने आये हैं ? क्या उक्त वर्षो में किसानों को बीज वितरण एवं जैविक खाद मुक्त में दी जानी थी, किन्तु उसके बाद भी कृषकों से राशि ली गई? यदि हॉ, तो प्राप्त शिकायत पर विभाग द्वारा क्या जांच और कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) रायपुर संभाग अंतर्गत जिलों में विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक रबी (गेंहू, चना, मसूर, अलसी, तुवर, सरसों) व खरीफ की जींसवार फसलों के बीज, कीटनाशक, जैविक खाद के क्रय एवं भुगतान की जिलेवार, वर्षवार जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स, प्रपत्र-द, प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-फ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में कृषकों को वितरित बीज, कीटनाशक, जैविक खाद की जिलेवार, वर्षवार, संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स, प्रपत्र-द, प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-फ अनुसार** है। **(ग)** वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक जैविक खाद, कीटनाशक वितरण या बीज क्रय में अनियमितता के मामले संज्ञान में नहीं आये, अतः शेष जानकारी निरंक है।

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों की जर्जर स्थिति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

9. (क्र. 441) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित अनेक आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के बालक-बालिका छात्रावास/आश्रम अत्यंत जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं? क्या इनमें भवन की मरम्मत, शौचालय, रसोईघर, पेयजल एवं सुरक्षा की कमी है? **(ख)** वर्तमान में क्षेत्र में संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की संख्या कितनी है? इनमें से कितने भवन जर्जर घोषित किए गए हैं तथा उनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण हेतु क्या बजट स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो किन-किन छात्रावास/आश्रम हेतु? जानकारी दें? **(ग)** क्या यह सत्य है कि अनेक छात्रावासों में अधीक्षक, रसोइया, चौकीदार, सफाई कर्मचारी जैसे आवश्यक पद वर्षों से रिक्त हैं, जिससे छात्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बाधित हो रही है? **(घ)** क्या विभाग द्वारा इन समस्याओं की अनुसूचित समीक्षा तैयार की गई है? यदि हाँ, तो उसके आधार पर अब तक कौन-कौन सी सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आदिवासी एंव अनुसूचित जाति वर्ग के जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में संचालित 03 छात्रावास जर्जर होने के कारण संस्था का संचालन सुविधायुक्त किराये के भवन में किया जा रहा है। शेष सभी छात्रावास/आश्रम में स्वयं के भवन उपलब्ध है जिनमें मरम्मत, शौचालय, रसोईघर, पेयजल एवं सुरक्षा की कोई कमी नही है। **(ख)** वर्तमान में क्षेत्र में 20 अनुसूचित जाति छात्रावास, 18 अनुसूचित जनजाति छात्रावास संचालित है। जर्जर भवन की संख्या 03 है। जिनमें संस्था का संचालन नही किया जा रहा है। संस्था का संचालन किराये के भवन में किया जा रहा है। मरम्मत या पुनर्निर्माण हेतु कोई बजट स्वीकृत नही किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नही होता। **(ग)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 26 छात्रावासों के पदों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। छात्रावासों में स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध प्रभारी कर्मचारी एवं दैनिक मजदूरो से कार्य लिया जा रहा है। बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला बलौदाबाजार में सभी छात्रावासों में अधीक्षक कार्यरत है तथा रसोइया, चौकीदार, सफाई कर्मचारी भी स्वीकृत पद के अनुसार कार्यरत है। जिससे छात्रां की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किसी प्रकार बाधित नही हो रही है। **(घ)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित संस्थाओं में समय-समय पर उत्पन्न होने वाले समस्याओं का निराकरण किया जाता है छात्रावास/आश्रम संस्थाओं में विभाग द्वारा अनुरक्षण मद में प्रतिवर्ष बजट उपलब्ध कराया जाता है जिससे भवनों का रख-रखाव किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों पर नये शिक्षकों को प्रभार देने हेतु कार्ययोजना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

10. (क्र. 452) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** आदिम जाति विभाग में छात्रावास अधीक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं जिसमें कितने पद रिक्त हैं, एवं कितने पद भरे हुए हैं? रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जाएगी? विवरण देवें? **(ख)** क्या शिक्षा विभाग के शिक्षक जो विगत गई वर्षों से आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक के पद पर कार्यरत रहे हैं, ऐसे अनुभवी शिक्षकों को छात्रावास अधीक्षक के पद पर समायोजित करने हेतु क्या शासन की कोई योजना है? **(ग)** क्या छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों पर नया शिक्षकों को प्रभार देने हेतु विभाग ने कार्य योजना तैयार की है? विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) आदिम जाति विकास विभाग में छात्रावास अधीक्षक के स्वीकृत पद 3421, भरे पद 1249 एवं रिक्त पद 2172 है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** शिक्षकों को छात्रावास अधीक्षक के पद पर समायोजित करने हेतु शासन की कोई योजना नहीं है।**(ग)** छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों पर नये शिक्षकों को प्रभार देने हेतु विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार नहीं की गई है।

शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहाय योजना की राशि में वृद्धि का प्रस्ताव

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

11. (क्र. 453) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों तथा आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहाय योजना की राशि को कब-कब वृद्धि की गई है? वर्तमान में प्रतिमाह कितनी राशि प्रति छात्र प्रदान की जाती है? विवरण देवें? **(ख)** शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहाय योजना की राशि में वृद्धि करने हेतु वर्तमान में शासन की क्या मंशा है? उक्त राशि में वृद्धि कब तक की जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों तथा आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहाय योजना की राशि में वृद्धि की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है**। वर्तमान में प्री मैट्रिक छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को प्रतिमाह राशि रूपये 1500/- प्रतिछात्र शिष्यवृत्ति राशि प्रदाय की जाती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना अंतर्गत रूपये 1200/-प्रति छात्र प्रतिमाह मेस संचालन हेतु प्रदाय किया जाता है। **(ख)** वर्ष 2023-24 में शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहाय की राशि में वृद्धि की गई है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

अनु. जाति घटक योजना (SCP) एवं अनु. जनजाति उपयोजना (TSP) बजट के तहत आबंटन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

12. (क्र. 458) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- नीति आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (SCP) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) बजट अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गो की आजीविका से जुड़ी योजनाओं में TSP, CSP मद से कितनी धनराशि अलाट की गई ? योजनाओं के नाम सहित योजनावार आबंटित धनराशि की जानकारी देंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : विभिन्न विकास विभागों से प्राप्त् जानकारी अनुसार अनुसूचित जाति घटक योजना (SCP) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) बजट अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो की आजीविका से जुड़ी योजनाओं का नाम सहित योजनावार आबंटित धनराशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

प्रदेश में चिराग परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त पोषण सखियों का मानदेय का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

13. (क्र. 467) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि प्रदेश के 15 जिलों में चिराग परियोजना के अन्तर्गत पोषण आधारित कार्यो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम स्तर पर पोषण सखी को नियुक्त किया गया था, जिनसे मात्र 6 माह कार्य लेकर उस योजना को अचानक बंद कर दिया गया है? **(ख)** क्या जिलों में पोषण सखियों को 6 माह के एवज में मात्र 3 महीनों का ही मानदेय दिया गया है? शेष 3 माह का मानदेय उन्हें कब तक प्रदान किया जायेगा? **(ग)** चिराग परियोजना बंद करने के क्या कारण है तथा कब तक पुन: प्राप्त की जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ, चिराग परियोजना के अन्तर्गत पोषण आधारित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम स्तर पर पोषण सखी को नियुक्त किया गया था। भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के पत्र दिनांक 21.03.2025 द्वारा चिराग परियोजना अंतर्गत प्रगतिरत समस्त गतिविधियों को दिनांक 26.03.2025 से तत्काल प्रभाव से बंद किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके परिपालन में कार्यवाही की गयीं है। **(ख)** जी हाँ। पोषण सखियों को शेष 03 माह के मानदेय के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। **(ग)** चिराग परियोजना के 04 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी व्यय अत्यल्प (लगभग 01 प्रतिशत) रहने व परियोजना के उद्देश्य शेष समय-सीमा में पूर्ण न हो पाने की संभावना के दृष्टिगत आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ऋणदाताओं यथा विश्व बैंक एवं अंतराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) तथा राज्य शासन के साथ हुई संयुक्त चर्चा उपरांत चिराग परियोजना में बाह्य वित्तीय सहायता बंद किये जाने के निर्णय से अवगत कराया गया है। परियोजना पुनः प्रारंभ करने के संबंध में बताया जाना संभव नहीं है।

सेवा सहकारी समिति मर्यादित केन्द्रों में डी ए.पी.खाद की आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

14. (क्र. 488) श्री देवेन्द्र यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या प्रदेश के किसानों द्वारा डी.ए.पी. खाद की आपूर्ति नहीं होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो जिलेवार प्राप्त शिकायत की जानकारी देवें? **(ख)** दुर्ग, कबीरधाम व बेमेतरा जिले में संचालित सेवा सहकारी समिति मर्यादित केन्द्रों को कितनी-कितनी मात्रा में डी.ए.पी. खाद उपलब्ध कराई गई है? केन्द्रवार दिनांक 31 मार्च, 2025 से दिनांक 20 जून, 2025 तक उपलब्ध कराई गई खाद की मात्रा सहित जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रश्नांकित अवधि तक प्रदेश में किसानों द्वारा उर्वरक डी.ए.पी. की आपूर्ति नहीं होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।**(ख)** जिला दुर्ग, कबीरधाम एवं बेमेतरा अंतर्गत संचालित सेवा सहकारी समिति मर्यादित केन्द्रों को दिनांक 31 मार्च 2025 से दिनांक 20 जून 2025 तक डी.ए.पी उर्वरक की उपलब्ध कराई गई मात्रा क्रमशः 4976.95, 3477.25 एवं 4350.10

मे.टन है। जिलावार, सहकारी समितिवार डी.ए.पी. उर्वरक के भण्डारण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

प्रदेश में फ्लाईएश एवं कोलडस्ट की डंपिंग

[आवास एवं पर्यावरण]

15. (क्र. 500) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित उद्योगों में कितने-कितने उद्योगों से फ्लाईएश डंप किया जाता है? फ्लाईएश डंप करने के क्या नियम हैं? डंपयार्ड कहां-कहां हैं? वर्ष 2024-25 से जुन, 2025 तक अवैध फ्लाईएश डंप का कितने मामले प्राप्त हुए हैं? जानकारी देवें? रायगढ़ जिला के फ्लाइएश एवं कोयला परिवहन के कारण जहरीले पर्यावरण के सुधार हेतु क्या कार्ययोजना है ? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : रायगढ़ जिले के अंतर्गत अप्रैल 2024 से जून 2025 की अवधि में अनुमति प्राप्त कर 10 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का उपयोग भू-भराव/खदान भराव में किया गया / किया जा रहा है तथा इसके अतिरिक्त 06 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्वयं के निर्मित ऐश डाईक में राख का भराव किया जाता है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत राख का निचला क्षेत्रों/निष्क्रिय खदानों में भराव किया जाता है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से रायगढ़ जिला अंतर्गत अनुमति प्राप्त फ्लाइ ऐश के भू-भराव/खदान भराव स्थल की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। अप्रैल 2024 से जून 2025 तक राख के अवैध डंपिंग के संबंध में प्राप्त शिकायत की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 26/06/2024 के माध्यम से उद्योगों से कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदूषण के रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया गया है, जो कि दिनांक 01/08/2024 से प्रभावशील है तथा औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (आईडब्ल्यूएमएमएस) जारी की गई है, जो कि दिनांक 01/05/2025 से प्रभावशील है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उल्लंघन पाये जाने पर उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

खरीफ फसल हेतु किसानों के लिए खाद एवं बीज की व्यवस्था

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

16. (क्र. 511) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-जिला अंतर्गत किसानों से खाद की कमी की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हॉ तो खरीफ फसल हेतु किसानों के लिए खाद एवं बीज की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है जिससे किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध हो सके? **(ख)** क्या खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में दुकानदार द्वारा शासकीय भवन में अवैध खाद भण्डारण करने का मामला प्रकाश में आया है? यदि हॉ तो शासकीय भवन में खाद रखने का मिशन किसके द्वारा दिया गया? इनमें दोषी कौन-कौन है और दोषियों के विरूध्द क्या-क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अंतर्गत किसानों से खाद की कमी के संबंध में कोई भी शिकायत विभाग के संज्ञान में नहीं है, अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ख)** जी हाँ, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखंड-छुरिया के ग्राम-गैंदाटोला में

मेसर्स-त्रिपाठी कृषि केन्द्र का दिनांक 21.05.2025 को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शासकीय कन्या स्कूल (पुराना), गैंदाटोला के एक कमरे में यूरिया का अवैध भंडारण पाया गया। उर्वरक निरीक्षक द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 28 (1) (डी) अंतर्गत जप्ती एवं सुपुर्दगी की कार्यवाही करते हुए संबंधित प्रोपराईटर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा इसकी सूचना कलेक्टर जिला राजनांदगांव को दी गई। संबंधित प्रोपराईटर का प्रत्युत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 09.06.2025 को अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) जिला राजनांदगांव द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 अंतर्गत प्रोपराईटर, मेसर्स त्रिपाठी कृषि केन्द्र, ग्राम गैंदाटोला, विकासखण्ड छुरिया जिला राजनांदगांव को उर्वरक व्यवसाय हेतु जारी अभिस्वीकृति क्रमांक-760, वैधता दिनांक 09.06.2027 को 10 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आत्मा योजना के तहत प्राप्त आबंटन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

17. (क्र. 512) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 से 20 जून, 2025 तक आत्मा योजना अंतर्गत विभाग को कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ ? प्राप्त राशि से कहॉ-कहॉ पर, कितनी-कितनी लागत से, क्या-क्या कार्य किये गये ? विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से संबधित विकासखण्ड छुरिया जिला राजनांदगांव एवं विकासखण्ड अंबागढ़ चौकी जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के अधीन है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी नवीन जिला होने के कारण एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा) योजनान्तर्गत लक्ष्य की प्रदायगी एवं राशि का आबंटन मातृ जिला राजनांदगांव को ही प्रदाय किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से पी.एफ.एम.एस. एवं तत्पश्चात् एस.एन.ए. स्पर्श प्रणाली लागू होने के कारण संचालनालय कृषि से मातृ जिला राजनांदगांव के उप संचालक कृषि कार्यालय को अविभाजित राजनांदगांव जिले के लिए आत्मा योजनान्तर्गत वित्तीय लक्ष्य प्रदाय कर पी.एफ.एम.एस. पोर्टल अथवा एस.एन.ए. स्पर्श के माध्यम से राशि आबंटित की जाती है। कार्यालय उप संचालक कृषि स्तर से विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों को राशि या आबंटन प्रदाय नहीं किया जाता, अपितु केवल भौतिक-वित्तीय लक्ष्य ही प्रदाय किए जाते हैं, जिसके विरूद्ध देयकों का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल/एस.एन.ए. स्पर्श के माध्यम से किया जाता है। संचालनालय कृषि द्वारा अविभाजित राजनांदगांव जिले हेतु कार्यालय उप संचालक कृषि जिला राजनांदगांव को वर्ष 2022-23 में राशि ₹154.00 लाख, वर्ष 2023-24 में राशि ₹210.96055 लाख, वर्ष 2024-25 में राशि ₹ 228.21933 लाख एवं वर्ष 2025-26 में दिनांक 20.06.2025 तक राशि ₹ 137.82842 लाख का आबंटन योजनान्तर्गत प्रदाय किया गया है। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्ड छुरिया एवं अंबागढ़ चौकी में वर्ष 2022-23 से 20 जून 2025 तक आत्मा योजना अंतर्गत प्रदाय वित्तीय लक्ष्य तथा योजनान्तर्गत किए गए कार्यों की इकाई लागत एवं कुल व्यय की वर्षवार, विकासखण्डवार, घटकवार, स्थानवार, **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर में संचालित छात्रवास/आश्रमो में सामग्री की आपूर्ति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

18. (क्र. 523) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में जून, 2025 तक जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर

के अंतर्गत संचालित छात्रावास /आश्रमों में सामग्री ऑपूर्ति हेतु मदवार कितनी-कितनी राशि विभाग द्वारा आबंटित की गई है ? किन-किन छात्रावासों/आश्रमों हेतु क्या-क्या सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में क्रय की गई है? वर्षवार, जिलावार, विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या सामग्री के क्रय में विभागीय क्रय दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए छ0ग0 भण्डार क्रय नियम, 2002 एवं यथा संशोधित क्रय नियम, 2022 के निर्देशों के अनुरूप मदवार सामग्री क्रय हेतु कब-कब किस माध्यम से निविदा आमंत्रित हुई है? यदि नहीं तो क्यों एवं क्या कार्यवाही की गई है ? निविदा में कितने निविदाकार शामिल हुए? क्या-क्या सामग्री हेतु किन-किन निविदाकारों का चयन किया गया ? उन्हें कार्य आदेश कब जारी किया गया ? वर्षवार जिले के विकासखंडवार जानकारी देवें ? **(ग)** क्या क्रय समिति द्वारा अनुमोदित एवं गुणवत्तायुक्त चिन्हित सामग्री के नमूना के आधार पर क्रय कर आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री प्रदाय की गयी है? यदि हां, तो सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को कितनी-कितनी राशि का भुगतान हुआ है? कृपया वर्षवार एवं जिले के विकासखंडवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में जून, 2025 तक जिला रायपुर एवं बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत संचालित छात्रावास/आश्रमों में सामग्री ऑपूर्ति हेतु मदवार विभाग द्वारा आबंटित राशि की वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-अ** अनुसार है। उक्त प्राप्त आबंटन से छात्रावास/आश्रमों हेतु क्रय की गई सामग्री का नाम, मात्रा, फर्म का नाम एवं भुगतान की गई राशि की वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-ब** अनुसार है। छात्रावास/आश्रमों के लिए सामग्री का क्रय विकासखण्डवार नहीं अपितु जिलावार किया गया है। **(ख)** छ.ग. भण्डार क्रय नियम 2002 एवं यथा संशोधित क्रय नियम 2022 के निर्देशों का पालन करते हुए सामग्री का क्रय किया गया है। जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** जी हां, क्रय समिति द्वारा अनुमोदित एवं गुणवत्तायुक्त चिन्हित सामग्री के नमूना के आधार पर क्रय कर आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री प्रदाय की गयी हैं। आपूर्तिकर्ताओं को किये गये भुगतान की वर्षवार, जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-ब** अनुसार है।

<u>जिला रायपुर, बलोदाबाजार-भाटापारा एवं महासमुंद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्यवयन</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

19. (क्र. 525) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक जिला रायपुर, बलोदाबाजार-भाटापारा एवं महासमुंद के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कितनी राशि आबंटित हुई है, कितनी राशि व्यय हुई है? वर्षवार एवम जिले के विकासखंडवार बताएं ? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मार्गदर्शिका 8.3 में उल्लेखित व्यय के विपरीत अन्य कार्यों हेतु योजना मद का व्यय किया गया है? यदि हॉ, तो किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश तथा निर्देश में किन-किन कार्यों/सामग्री हेतु कितनी राशि का व्यय किया गया है? कृपया वर्षवार एवं जिले के विकासखंडवार जानकारी बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत भारत सरकार से प्राप्त प्रशासनिक व्यय से वर्ष 2023-24 से जून 2025 तक रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा एवं महासमुंद जिले को जारी आबंटन एवं व्यय राशि का वर्षवार एवं जिले के विकासखण्डवार विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मार्गदर्शिका 8.3 में उल्लेखित व्यय के विपरीत अन्य कार्यों हेतु योजना मद का व्यय नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में सम्मिलित ग्राम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

20. (क्र. 531) श्री ललित चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम पंचायत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत शामिल है? 01 जनवरी, 2023 से 20.06.2025 तक उक्त योजना के तहत विकास कार्यो के लिए किन-किन ग्रामों को, कौन कौन से कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? कितनी राशि व्यय की गई? कितनी राशि लंबित है ? कितने कार्य प्रारंभ/अप्रारंभ/पूर्ण/अपूर्ण हैं ? जानकारी ग्रामवार, मदवार, वर्षवार प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के योजना में शामिल कौन-कौन से ग्रामों को विकास कार्यो के लिए आज पर्यन्त तक राशि जारी नहीं की गई है ? विलंब के क्या कारण है एवं कब तक राशि जारी कर दी जाएगी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में नवीन ग्रामों को शामिल करने की क्या प्रक्रिया है ? जानकारी प्रदान करें। **(ग)** प्रश्नांश 'क' अवधि में कराए गए कार्यों में दुर्ग जिला में अनियमितता, भ्रष्टाचार संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? प्रकरणवार, विकासखण्डवार विवरण दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत डुमरडीह, उमरपोटी एवं घुघसीडीह के ग्राम डुमरडीह, उमरपोटी एवं घुघसीडीह प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत शामिल है। 01 जनवरी, 2023 से 20.06.2025 तक भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण प्रदान नहीं की गई। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वर्ष 2022-23 में चयनित ग्राम घुघसीडीह के विकास कार्यों हेतु भारत सरकार से राशि रू. 20.00 लाख प्राप्त नहीं होने के कारण राशि जारी नहीं की गई। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के पश्चात् जारी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत न्यूनतम 500 कुल आबादी तथा 40%अनुसूचित जाति आबादी वाले ग्रामों का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में संचालित हो रहे उद्योगों के अपशिष्टों की डम्पिंग

[आवास एवं पर्यावरण]

21. (क्र. 534) श्री ललित चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में संचालित हो रहे उद्योगों से निकल रहे अपशिष्टों को डम्प करने या निकासी के लिए उद्योगों द्वारा क्या-क्या प्रावधान किया गया है? अपशिष्ट पदार्थो को डम्प करने हेतु भूमि का चयन किस आधार पर एवं किस नियम के तहत किया जाता है? दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कहॉं-कहॉं डम्पिंग हेतु भूमि का चयन किया गया है? ग्रामवार जानकारी देवें? **(ख)** विभाग द्वारा 01 जनवरी, 2023 से 21.06.2025 तक उक्त भूमि का निरीक्षण कब-कब किया गया? निरीक्षण उपरांत की गई कार्यवाही की जानकारी निरीक्षणकर्ता के नाम/पदनाम सहित दिनांकवार, वर्षवार देवें ? **(ग)** क्या डम्प किये गये मटेरियल से किसी प्रकार के वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हॉं तो प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की वर्षवार, ग्रामवार जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त कर संचालित उद्योगों से उद्योग की प्रकृति के अनुसार ठोस अपशिष्ट के रूप में निकलने वाली राखड को लाभकारी उपयोग जैसे-फ्लाई ऐश ईट निर्माण इकाईयों को प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा रोलिंग मिल, इण्डक्शन फर्नेस आदि इकाईयों से निकलने वाले स्क्रेप, कटिंग्स, मिल स्केल का पुर्नचक्रण किया जाता है अथवा अन्य इकाईयों को विक्रय किया जाता है एवं स्लैग को मेटल रिकवरी के पश्चात परिसर के भीतर सड़क निर्माण/भूभराव में उपयोग किया जाता है। भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अपशिष्ट पदार्थ फ्लाई ऐश को डम्प/निष्पादित किये जाने का नियम है। उपरोक्त प्रश्नांश में उल्लेखित क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों से परिसर के बाहर डम्प करने योग्य अन्य अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है तथा उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को डम्प करने हेतु स्थल चिन्हित नहीं किया गया है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ख)** प्रश्नांश 'क'के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ग)**प्रश्नांश 'क'के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बालोद जिला में खरीफ फसल हेतु उर्वरक/बीज की व्यवस्था

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

22. (क्र. 538) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिला में खरीफ फसल, 2025 हेतु कौन-सी उर्वरक एवं कौन-कौन सी प्रजाति के बीज की व्यवस्था की गई ? जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' के परिप्रेक्ष्य में बालोद जिला में खाद-बीज वितरण का कितना लक्ष्य रखा गया एवं कितना वितरित किया गया ? **(ग)** बालोद जिला के कृषकों को खरीफ फसल की उर्वरक(खाद)/बीज का क्या समय पर वितरण किया गया है ? क्या किसी सोसायटी में खाद-बीज की कमी की शिकायत प्राप्त हुई है, तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बालोद जिला में खरीफ वर्ष 2025 हेतु रासायनिक उर्वरक यथा-यूरिया, डी.ए.पी., पोटाश, सुपर फास्फेट एवं एन.पी. के. एवं बीज यथा-धान, कोदो, अरहर, उड़द एवं मूंग की व्यवस्था की गई है। उर्वरकवार तथा बीज हेतु फसलवार एवं किस्मवार आंकलित मांग, भण्डारण तथा वितरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में बालोद जिले में रासायनिक उर्वरक वितरण हेतु 67,970 मी. टन एवं बीज वितरण हेतु 23,813 क्वि. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरूद्ध दिनांक 30.06.2025 तक 36,905 मी. टन रासायनिक उर्वरक एवं 23,165.70 क्वि. बीज वितरण किया जा चुका है। **(ग)** जी हाँ, बालोद जिले में कृषकों को खरीफ फसल हेतु रासायनिक उर्वरक एवं बीज समय पर वितरण किया गया है। किसी भी सोसायटी में खाद बीज की कमी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

23. (क्र. 554) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)**कोटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड कोटा एवं गौरेला में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत कितने और कौन कौन से ग्राम शामिल हैं? **(ख)** वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत कितने और कौन कौन से ग्रामों में विकास एवं निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है? कार्य का नाम ग्राम एवं राशि का विवरण दें ? **(ग)** उक्त स्वीकृत कार्यो की भौतिक स्थिति क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कोटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड कोटा एवं गौरेला में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत शामिल ग्रामों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ" एवं प्रपत्र-"ब" अनुसार है।(ख)** वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत

निर्माण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स" एवं प्रपत्र-"द" अनुसार है।(ग)** उक्त स्वीकृत कार्यो की भौतिक स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स" एवं प्रपत्र-"द" अनुसार है।**

जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

24. (क्र. 559) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत कितने छात्रावास/आश्रम शाला संचालित हैं, कितनी-कितनी सीट आवंटित हैं, विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** छात्रावास खोलने हेतु कितने आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं, कितने स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैं कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी? **(ग)** छात्रावासों में सीट संख्या वृद्धि करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए है? संख्या वृद्धि करने हेतु क्या क्या प्रावधान किये गए हैं, प्राप्त माँगों पर कितनों की स्वीकृति प्रदान की गयी है जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत 146 छात्रावास/आश्रम शाला संचालित हैं। विकासखंडवार जानकारी जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** छात्रावास खोलने हेतु विभाग को 13 आवेदन प्राप्त हुये है। छात्रावास खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। **(ग)** छात्रावासों में सीट वृद्धि करने हेतु विभाग को 06 आवेदन प्राप्त हुए है। जिस पर परीक्षण कर सीट वृद्धि करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस"]

बीजापुर जिले के छात्रावासों हेतु क्रय सामग्री

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

25. (क्र. 568) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बीजापुर जिले के आश्रम/छात्रावासों में वर्ष 2023-24 से 30 जून 2025 तक कौन-कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में, कितनी-कितनी राशि की, क्रय की गई? क्रय हेतु निविदा कब आमंत्रित की गई? निविदाकार कौन-कौन थे? न्यूनतम दर दाता फर्म कौन थी? जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार सामग्री की सप्लाई कौन-कौन से फर्मो के द्वारा की गई है? जानकारी देवें? कितनी राशि स्वीकृत थी, कितनी व्यय हुई, कितनी शेष है? **(ग)** क्या आश्रम/छात्रावासों में सप्लाई की गई सामग्री गुणवत्ता पूर्ण है और सभी मानकों को पूरा करती है? जानकारी देवें? गुणवत्ता विहीन सामग्री प्रदाय की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बीजापुर जिले के विभागीय छात्रावास/आश्रमों के लिए वर्ष 2023-24 से 30 जून 2025 तक क्रय किये किये सामग्रियों की सूची **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। क्रय सामग्री हेतु सीएसआईडीसी के ई-मानक पोर्टल एवं भारत सरकार के डी.जी.एस.एण्डडी. जेम पोर्टल में एल-1 के आधार पर न्यूनतम दर दाता को ऑनलाईन क्रय आदेश जारी किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार सामग्री की सप्लाई किए गये फर्मा की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। वर्ष 2023-24 में स्वीकृत राशि रुपये 29081000.00, व्यय राशि रुपये 28808018.00 एवं शेष राशि रुपये 272982.00 तथा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत राशि रुपये 30425000.00, व्यय राशि रुपये 30054058.27 एवं शेष राशि रुपये 370942.00 है। **(ग)** जी हां। सामग्रियों के क्रय हेतु किसी प्रकार की शिकायत नही मिली है। अतः प्रश्न उपस्थित नही होता।
[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत आदिवासी छात्रावास एवं सुविधाओं पर व्यय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

26. (क्र. 578) श्री रोहित साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जून, 2025 तक किन-किन अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए कितने-कितने आश्रम /छात्रावास स्वीकृत किये गए हैं? **(ख)** संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए क्या-क्या सुविधा प्रदान की गई है ? प्रदान की गई सुविधाओं पर प्रत्येक वर्षवार अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (**(क)** विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जून, 2025 तक अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए नवीन आश्रम/छात्रावास स्वीकृत नही किये गए हैं।**(ख)** संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके अंतर्गत आवास, पौष्टिक आहार, साबून, तेल, पंलग, गद्दे, चादर कंबल, तकिया, थाली, गिलास, खेल सामग्री एवं आवश्यकतानुसार सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। प्रदान की गई सुविधाओं पर वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में व्यय की गई राशि की वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

बेमेतरा जिले में जिला खनिज न्यास मद से किये गये व्यय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

27. (क्र. 583) श्री दीपेश साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेमेतरा जिला में कृषि विभाग में उपसंचालक/सहायक संचालक को जनवरी, 2024 से दिनांक 30.06.2025 तक जिला खनिज न्यास मद से किस-किस कार्य हेतु किस-किस दिनांक को, कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई है? विस्तृत जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के प्रकाश में कृषि विभाग को प्रदाय राशि किसकी अनुशंसा पर प्रदाय की गयी है? प्रदाय राशि का उपयोग किस-किस कार्य/योजना हेतु किया गया? इस योजनांतर्गत बेमेतरा जिले के विधानसभावार कितने लोग/कृषक लाभान्वित हुये, जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' में योजनांतर्गत लाभार्थी कृषकों को क्या-क्या लाभ दिया गया है? संख्यावार विधानसभावार जानकारी देवें? क्या शासन के किसी नियम एवं शर्त के अनुरूप कृषकों को योजना का लाभ दिया गया है अथवा नहीं? क्या कृषकों से उक्त योजना के संबंध में विभाग द्वारा आवेदन मंगाया गया था अथवा नहीं जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बेमेतरा जिला में उप संचालक कृषि को प्रश्नाधीन अवधि जनवरी, 2024 से दिनांक 30.06.2025 तक कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंध कारिणी समिति, जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु प्रदायित राशि की तिथिवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में कृषकों से प्राप्त मांग के अनुसार कृषि विभाग द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास को विभिन्न कार्यों हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत राशि प्राप्त हुई। बेमेतरा जिला अंतर्गत प्राप्त राशि से किये गये कार्य एवं इससे लाभान्वित किसान संख्या की विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।**(ग)** प्रश्नांश "ख" में लाभान्वित कृषकों को प्रदायित लाभ की विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। हां शासन के नियम एवं शर्त के अनुरूप

कृषकों को लाभ दिया गया है। कृषकों से योजना के संबंध में विभाग द्वारा आवेदन मंगाया गया था। **[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]**

वन अधिकार पत्र का प्रदाय व ऑनलाईन किया जाना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

28. (क्र. 604) श्री प्रेमचंद पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या ग्राम छिन्द्पानी, ग्राम पंचायत चोढा तहसील-हरदीबाजार, जिला-कोरबा में वन अधिकार पत्र ग्रामीणों को प्रदान किये गए थे? यदि हां, तो क्या ये अब तक ऑनलाइन नहीं हुआ है? यदि हां, तो कब तक ऑनलाइन होगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :जी हां। ग्राम छिन्दपानी, ग्राम पचायत चोढा, तहसील-हरदीबाजार, जिला कोरबा में ग्रामीणों को 73 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जो अभी तक ऑनलाईन नहीं हुआ है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की योजनावार जानकारी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

29. (क्र. 626) श्रीमती गोमती साय : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जशपुर में वर्ष 2022-23 से 15 जून 2025 तक कृषकों हेतु लघत्तम सिंचाई, तालाब निर्माण योजना, किसान समृद्धि योजना, भू-जल संवर्धन एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना, नलकूप खनन, टेक्टर अनुदान के तहत् कितनी-कितनी राशि अनुदान हेतु निर्धारित की गई थी? योजनावार जानकारी देवें। निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितने-कितने कार्यों की पूर्ति तथा कितने किसानों को योजनानुसार कितना-कितना अनुदान दिया गया? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार जिला जशपुर में कृषि उपकरणों के अनुदान के लिए शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? योजनावार, वर्शवार जानकारी देवें? **(ग)** किसानों को कौन-कौन से उपकरण प्रदाय हेतु प्रदायकर्ता किस-किस एजेन्सी को उनके खातों में कितनी-कितनी राशि जारी की गयी? वर्षवार विकासखंडवार उपकरणों की कीमत एवं किये गए भुगतान का विवरण देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जशपुर में प्रश्नाधीन अवधि मे लघुत्तम सिंचाई तालाब निर्माण योजना अंतर्गत जानकारी निरंक है। भू-जल संवर्धन योजना विभाग में संचालित नहीं है। नलकूप खनन हेतु संचालित किसान समृद्धि योजना एवं ट्रेक्टर अनुदान हेतु संचालित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के घटक 3, 4 एवं 6, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्रॉप मोर क्रॉप एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण विकास घटक 2.0 अंतर्गत अनुदान हेतु निर्धारित राशि एवं निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध किये गये कार्यों की पूर्ति तथा लाभान्वित कृषकों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार जिला जशपुर में कृषि उपकरणों के अनुदान के लिए शासन द्वारा प्रदाय राशि की योजनावार, वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ,प्रपत्र-ब,प्रपत्र-स,प्रपत्र-द एवंप्रपत्र-इ अनुसार** है। **(ग)** किसानों को उपकरण प्रदाय हेतु प्रदायकर्ता एजेंसी को उनके खातों में जारी की गई राशि तथा उपकरणों की कीमत एवं किये गये भुगतान की वर्षवार, विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-इ अनुसार** है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत केन्द्र से प्राप्त राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

30. (क्र. 628) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जनवरी, 2024 से जून, 2025 तक राज्य को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? कितना शेष है? प्राप्त राशियों में से कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई एवं कितने कार्य प्रारंभ किये गये हैं? कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है? कितने अपूर्ण तथा कितने पूर्ण हैं? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार योजना हेतु शेष राशि प्राप्त करने हेतु राज्य शासन द्वारा कब-कब पत्राचार किया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जनवरी, 2024 से जून, 2025 तक राज्य को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं हुई है। शेष राशि की जानकारी निरंक है। जनवरी, 2024 से जून, 2025 तक राशि प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यो की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में ग्राम का चयन नही होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज्य के किसानों को वितरित कृषि उपकरण /यंत्र

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

31. (क्र. 693) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जून, 2025 तक उद्यानिकी विभाग के द्वारा राज्य के किसानों को (डीबीटी योजना के तहत्) कृषि यंत्र/उपकरण वितरीत करने कौन-कौन सा उपकरण/यंत्र की खरीदी की गई? कौन सा यंत्र/उपकरण की कितनी मात्रा में खरीदी की गई ? ये सामग्रियां /यंत्र की किस कंपनी से खरीदी की गई व प्रत्येक सामग्रियों की कीमत क्या थी ? पूरी जानकारी देवें ? **(ख)** सामग्रियों के खरीद हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण देवें ? **(ग)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में छ0ग0 राज्य के जिलों में कितने किसानों को, कौन सा कृषि उपकरण/यंत्र का वितरण किया गया ? जिलेवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जून, 2025 तक उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों को (डीबीटी के तहत) विभाग द्वारा क्रय कर वितरित (सामग्री) एवं कृषकों द्वारा स्वयं से क्रय किये गये कृषि यंत्र/ उपकरण पर प्रदाय अनुदान (डीबीटी नगद) कीं वर्षवार, जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र- अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** सामग्रियों की खरीदी छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से तथा जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित कर की गई हैं। **(ग)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में छ.ग. राज्य के 302 कृषकों को पॉवर वीडर तथा 1789 कृषकों को स्प्रेयर, इस प्रकार कुल 2091 कृषि यंत्र/उपकरण विभाग द्वारा क्रय कर कृषकों को उपलब्ध कराये गये है तथा कृषकों द्वारा क्रय किये गये 871 पॉवर वीडर 127 स्प्रेयर, 04 पल्वराईजर तथा 05 डीजल पंप, इस प्रकार कुल 1007 कृषि यंत्रों पर (डीबीटी नगद) अनुदान प्रदान किया गया है। वर्षवार, जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र- अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

जिला गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में हुए निर्माण कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

32. (क्र. 739) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में जिला गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत आदिवासी विकास

विभाग में केंद्र एवं राज्य से प्राप्त बजट से कितने कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं? पृथक-पृथक जानकारी देवें। **(ख)** कंडिका ''क'' में उल्लेखित अवधि में स्वीकृत कार्यों का नाम, स्वीकृत राशि, चयनित निविदाकार, कार्य की प्रगति एवं भुगतान की गई राशि का कार्यवार विस्तृत जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखण्ड अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग में वर्ष 2023-24 में केंद्र से प्राप्त राशि रुपये 274.774 लाख से 39 निर्माण कार्य स्वीकृत एवं राज्य से प्राप्त राशि रुपये 54.35 लाख से 12 स्वीकृत कार्य तथा वर्ष 2024-25 में केन्द्र से बजट अप्राप्त एवं स्वीकृत कार्य निरंक तथा राज्य से प्राप्त राशि रुपये 108.06 लाख से 13 कार्य स्वीकृत किये गये है। **(ख)** कंडिका "क" अनुसार विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र- 'अ' एवं 'ब'** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तैंतीस"]

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा प्रदाय सेवायें /सुविधायें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

33. (क्र. 740) श्री अनुज शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कृषि विभाग की किन-किन सेवाओं/योजनाओं को सम्मिलित किया गया है? इनमें सेवा प्रादयगी की समय सीमा क्या निर्धारित है? **(ख)** प्रश्नांक ''क''अनुसार उक्त सेवाओं के अंतर्गत वर्ष 2023 से दिनांक 30.06.2025 तक कितने आवेदन प्राप्त हुये? साथ ही कृषि यंत्रों एवं उपकरणों की प्रादयगी संबंधी कितने आवेदन प्राप्त,पंजीकृत एवं निराकृत किये गये?माहवार विवरण प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार चैंप्स प्रणाली अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं को लोक सेवा अधिनियम की परिधि से बाहर करने अधिसूचना कब जारी की गई? चैंप्स प्रणाली के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को सीधे आवेदन के समय पंजीकरण की सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा वे प्रदायकों द्वारा पंजीयन किये जाने के समय पर क्यों आश्रित हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत कृषि विभाग की सम्मिलित सेवाओ एवं इनके सेवा प्रदायगी की सीमा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" में उल्लेखित सेवाओ के अंतर्गत संचालनालय कृषि के अधीनस्थ जिलो को कुल 23,710, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को कुल 7,577 एवं छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड को कुल 8,94,987 आवेदन प्राप्त हुए। कृषि यंत्रो एवं उपकरणो की प्रदायगी हेतु प्राप्त आवेदन एवं वितरण की वर्षवार, माहवार विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** चेम्प्स प्रणाली में सम्मिलित सेवाओ यथा शक्ति चलित उन्नत कृषि यंत्र वितरण, शाकम्भरी योजना (पंप प्रतिष्ठापन) को लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 से बाहर करने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। चैम्प्स प्रणाली के तहत शक्ति चलित कृषि यंत्रो के प्रदाय हेतु ऑनलाईन पंजीयन के संबंध में विभाग को प्राप्त शिकायतो के परिपेक्ष्य में जांच समिति गठित कर प्रकरण की जांच करवाई गई है। जांच समिति द्वारा वर्तमान पंजीयन प्रक्रिया के संबंध में उल्लेखित तथ्यों के प्रकाश में वर्तमान प्रणाली में सुधार के द्वारा इसे कृषकोंमुखी तथा पारदर्शी बनाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौंतीस"]

विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त प्राप्त मदों की राशि का उपयोग

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

34. (क्र. 745) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 01 जनवरी, 2019 से जून, 2024 तक जिला राजनांदगाँव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मानपुर-मोहला-चौकी अंतर्गत विभागीय मदों के अतिरिक्त कौन-कौन से मदों से राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि का प्रयोग किन-किन कार्यों के लिये किया गया गया है? किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? **(ख)** किये गये समस्त कार्यों के लिये किये भुगतान की जानकारी, वर्षवार देवें? क्या भुगतान या निर्माण संबंधी कार्यों के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो प्राप्त शिकायत का निराकरण किसके द्वारा एवं कब-कब किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) 01 जनवरी, 2019 से जून, 2024 तक जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मानपुर-मोहला-चौकी अंतर्गत विभागीय मदों के अतिरिक्त डी.एम.एफ, विधानसभा क्षेत्र निधि, पी.एम.जनमन योजना, संविधान के अनुच्छेद 275(1) एवं एल.डब्लू.ई. मदों से राशि प्राप्त हुई है। जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-''अ''** अनुसार है। प्राप्त राशि का उपयोग जिन का कार्यो के लिये किया गया है, उनकी अद्यतन स्थिति **पुस्तकालय** में रखें **प्रपत्र-''ब''** अनुसार है। **(ख)** किये गये समस्त कार्या के लिये किये गये भुगतान की वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखें **प्रपत्र-''ब''** अनुसार है। भुगतान या निर्माण संबंधी कार्यो के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नही हुई है।

उ.मा. विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित होना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

35. (क्र. 751) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** सत्र 2022-23 से 2024-25 में प्रदेश के उ.मा. विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के लिए प्री मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदाय करने के लिए कितनी- कितनी राशि कब- कब संबंधित विभाग को आबंटित की गयी थी? कृपया सत्रवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार उ.मा. विद्यालयों में दर्ज और प्री मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति योजना के अंतर्गत आने वाले कितने -कितने बच्चे अध्ययनरत थे? इनमें से कितने को छात्रवृत्ति योजना प्रदान किया गया है और ऐसे कितने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जा सका ? कृपया सत्रवार, योजनावार, जातिवार जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार छात्रवृत्ति आबंटन की शेष राशि कब-कब शासन कोष में वापस जमा की गई है ? कृपया सत्रवार ,विभागवार जानकारी दें? **(घ)** प्रश्नांक "क" ''ख " के अनुसार जिन बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदाय नहीं किया जा सका उसके क्या कारण हैं ? कृपया जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। अतः सत्र 2022-23 से 2024-25 के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत विभाग को राशि आबंटित नहीं की गई है। उ.मा.विद्यालयों (कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं) में अध्ययनरत् बच्चों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदाय की जाती है। जिसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त मांग अनुसार सत्र 2022-23 से 2024-25 तक आबंटित की गई राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है।**(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** सत्र 2022-23 से सत्र 2024-25 के लिए विभाग को छात्रवृत्ति आबंटन की प्राप्त राशि शासन कोष में वापस जमा नहीं की गई है। **(घ)** विद्यार्थियों के पंजीकृत बैंक खातों में त्रुटि के कारण विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित है, जिसमें सुधार करवाकर वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]**

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के तहत कृषकों का चयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

36. (क्र. 763) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क)जिला मोहला -मानपुर -अम्बागढ़ चौकी में 2022-23 से लेकर जून, 2025 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत कितने किसानों का चयन किया गया? जानकारी वर्षवार एवं विकासखंडवार देवें? उक्त अवधि में किसानों को कितने रकबा हेतु, कितनी मात्रा में बीज एवं कीटनाशक का वितरण कब, कहां किया गया? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवे ?बीज, कीटनाशक के एवज में किसानों से कितनी राशि ली गई? **(ख)** प्रश्न "क" अवधि में किसानों को फसल उत्पादन,फसल सुरक्षा और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण दिया गया या नहीं? यदि हां तो कब, कहां प्रशिक्षण दिया गया ? जानकारी देवें? उक्त जगहों में प्रशिक्षण के दौरान कितनी राशि का व्यय हुआ ? जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्न "क" अवधि में कितने मृदा नमूने लिए गए? मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस-किस कृषक को उपलब्ध कराया गया? सूची देवें ? किन-किन किसानों के यहां फसल प्रदर्शन का आयोजन किया गया? क्या- क्या सामग्री वितरण की गयी किन -किन गावों में प्रशिक्षण दिए एवं कितनी राशि व्यय हुई जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 2022-23 से लेकर जून**,** 2025 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत कुल 2684 किसानों का चयन किया गया। विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	वर्ष	विकासखंड	चयनित कृषक (संख्या)
1	2022-23	मोहला	59
2	2023-24		340
3	2024-25		798
4	2025-26 (जून 2025 तक)		किसानों का चयन किया जा रहा है।
1	2022-23	मानपुर	निरंक
2	2023-24		242
3	2024-25		550
4	2025-26 (जून 2025 तक)		किसानों का चयन किया जा रहा है।
1	2022-23	अं.चौंकी	68
2	2023-24		निरंक
3	2024-25		627
4	2025-26 (जून 2025 तक)		किसानों का चयन किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत विकासखंडवार एवं वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। प्रश्नाधीन अवधि में किसानों को वितरित किये गये बीज एवं कीटनाशक की वर्ष**,** विकासखंड एवं ग्रामवार**,** रकबे व मात्रा एवं कृषक अंश राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)**हां**,** प्रश्नाधीन अवधि में किसानों को फसल उत्पादन**,** फसल सुरक्षा और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण दिया गया है।आयोजित प्रशिक्षण की तिथिवार**,** स्थलवार एवं व्यय की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (ग)** प्रश्न 'क' अवधि में मृदा नमूनों का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	वर्ष	संग्रहित मृदा नमूनों की संख्या	वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्ड
1	2022-23	-	-
2	2023-24	468	468
3	2024-25	958	958
4	2025-26 (जून 2025 तक)	-	-

कृषकों को उपलब्ध कराये गये मृदा स्वास्थ्य कार्ड की कृषकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।** फसल प्रदर्शन आयोजन एवं सामग्री वितरण की कृषकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ई अनुसार है।** कृषकों हेतु आयोजित प्रशिक्षण एवं उस पर हुए व्यय की ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

जैविक खेती हेतु ग्रामों का चयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

37. (क्र. 764) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में वर्ष 2022-23 से लेकर जून, 2025 तक जैविक खेती हेतु कितने ग्रामों का चयन किया गया एवं कितने फसल प्रदर्शन लगाए गए? जानकारी देवें? पीकेवीवाई अंतर्गत किस-किस मद से कितना आबंटन प्राप्त हुआ और कहां-कहां व्यय किया गया? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्न "क" अवधि में किन-किन विभागीय योजना अंतर्गत कौन- कौन से बीजों के वितरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ तथा कितने किसानों को वितरण किया गया? जानकारी देवें? बीज वितरण का अनुदान किन-किन संस्थाओं को दिया गया? कितने बीज उत्पादन कार्यक्रम लिए गए तथा किन-किन संस्थाओं को अनुदान की राशि का वितरण किया गया? जानकारी वर्षवार, विकासखंडवार देवें? **(ग)** प्रश्न "क" अवधि अंतर्गत जिले में किन-किन बीजों के मिनीकिट के निःशुल्क वितरण का कितना लक्ष्य मिला ? लक्ष्य के विरुद्ध कितने बीज मिनीकिट वितरण किए गए? बीज की वितरण मात्रा, सहित वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में वर्ष 2022-23 से लेकर जून, 2025 तक जैविक खेती हेतु 25 ग्रामों का चयन किया गया एवं 3958 फसल प्रदर्शन लगाए गए। पीकेवीवाई अंतर्गत मदवार प्राप्त आबंटन तथा व्यय किये स्थान/ग्राम की वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में विभागीय योजना अंतर्गत फसलवार बीजों के वितरण का प्राप्त लक्ष्य तथा बीज वितरण किये गये किसानों की संख्या एवं बीज वितरण का अनुदान प्रदाय किये गये संस्थाओं की वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है तथा प्रश्नाधीन अवधि में बीज उत्पादन कार्यक्रम की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ अनुसार**है **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में जिले में फसलवार बीजो के मिनीकिट के निःशुल्क वितरण का प्राप्त लक्ष्य तथा लक्ष्य के विरूद्ध वितरण किये गये मिनीकीट बीज मात्रा, सहित वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार** है।

रासायनिक उर्वरकों के वितरण के लक्ष्य, भंडारण और पूर्ति की स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

38. (क्र. 768) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ, 2024 में रासायनिक उर्वरकों का वितरण निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में कितना-कितना हुआ था? उर्वरकवार तथा जिलावार बताएं? खरीफ, 2025 के लिए लक्ष्य तथा भंडारण की स्थिति निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र का उर्वरकवार तथा जिलावार बताएं? **(ख)** क्या किसानों की मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हो रही है? यदि नहीं तो क्या समस्याएं हैं? **(ग)** क्या केन्द्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आबंटन नहीं किया गया है अथवा क्या निर्माताओं के द्वारा आपूर्ति नहीं की जा रही है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) खरीफ, 2024 में निजी तथा सहकारी क्षेत्र में

वितरित रासायनिक उर्वरकों का उर्वरकवार तथा जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। खरीफ, 2025, दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में निजी तथा सहकारी क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य तथा भंडारण का उर्वरकवार तथा जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ, डीएपी उर्वरक को छोड़कर शेष उर्वरकों की उपलब्धता मांग अनुरूप हो रही है। **(ग)** केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025 के निर्धारित लक्ष्य अनुसार आपूर्ति प्लान आबंटित किया जा रहा है, किन्तु डीएपी उर्वरक आयातित होने के कारण कंपनियों द्वारा माहवार आबंटन अनुसार आपूर्ति नहीं की जा सकी है। इस हेतु संबंधित उर्वरक निर्माता कंपनियों को पत्र लिखा गया है तथा भारत सरकार को भी अवगत कराया गया है। डीएपी की कम आपूर्ति को ध्यान में रखकर राज्य स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक एनपीके एवं सिंगल सुपर फास्फेट का अतिरिक्त भंडारण कराया जा रहा है।

बालोद जिला में छात्रावास भवन निर्माण/मरम्मत, सामग्री क्रय हेतु प्राप्त आबंटन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

39. (क्र. 771) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 में बालोद जिला अंतर्गत आश्रम शाला/छात्रावास भवन निर्माण/मरम्मत, सामग्री क्रय एवं अन्य कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी देवें? **(ख)** स्वीकृत राशि से कौन-कौन से कार्य एवं सामग्री क्रय की गई है? जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2024-25 में बालोद जिला अंतर्गत आश्रम शाला/छात्रावास भवन निर्माण हेतु निरंक राशि, मरम्मत कार्य हेतु राशि रुपये 207.75 लाख, सामग्री क्रय हेतु राशि रुपये 183.28 लाख तथा अन्य कार्य हेतु राशि जारी नही की गई है। विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जिले में स्वीकृत राशि से आश्रम शाला/छात्रावास भवन निर्माण/मरम्मत कार्य एवं सामग्री क्रय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

बालोद जिला में खाद एवं बीज की मांग एवं आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

40. (क्र. 792) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिला अंतर्गत विभिन्न सोसायटियों में खरीफ फसल हेतु यूरिया एवं डी.ए.पी. खाद, बीज का कितना भण्डारण किया गया है ? क्या मांग के अनुरूप खाद एवं बीज की पूर्ति की गई है ? यदि नहीं तो किस कारण से ? जानकारी देवें ? **(ख)** क्या खाद एवं बीज की कमी का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ, कितनी मात्रा में ? जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** क्या सरकारी आपूर्ति नहीं होने से अवैध खाद के कारोबार का मामला संज्ञान में आया है ? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ? प्रकरणवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रश्नांकित अवधि तक जिला बालोद में खरीफ 2025 हेतु 23,813.00 क्विंटल बीज मांग के विरुद्ध 24,204.08 क्विंटल बीज भण्डारण कर 23,165.70 क्विंटल बीज समितियों के माध्यम से वितरण किया गया है। जिले में सहकारी क्षेत्र में यूरिया भण्डारण हेतु निर्धारित लक्ष्य 24,200 मे.टन के विरुद्ध 11415 मे.टन (47 प्रतिशत), डीएपी के भण्डारण लक्ष्य 10,000 मे.टन के विरुद्ध 3465 मे. टन (35 प्रतिशत) है। जिले में मांग के अनुरुप डी.ए.पी. उर्वरक की कम आपूर्ति के दृष्टिगत वैकल्पिक उर्वरक के रुप में एन.पी.के, सिंगल सुपर फास्फेट की अनुशंसित मात्रा तथा नैनो डी.ए.पी. (तरल)

का भण्डारण किया जा रहा है। **(ख)** जिला बालोद में बीज की आपूर्ति मांग के अनुरूप हुई है। डी.ए.पी. उर्वरक की कमी की आपूर्ति हेतु आधार उर्वरक के रूप में उपयोग के लिए एन.पी. के (12:32:16, 28:28:0, 20:20:0:13 एवं अन्य) एवं एस.एस.पी उर्वरक की अनुशंसित मात्रा में उपयोग करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था कर अतिरिक्त भण्डारण कराया गया है। सहकारी समितियों में मांग के विरुद्ध उर्वरकों के भण्डारण वितरण की समितिवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं।
[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

खरीफ, 2025 हेतु रासायनिक खादों का भंडारण व वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

41. (क्र. 800) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में वर्तमान खरीफ सीजन 2025 के लिए कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खादों:-डी.ए.पी. युरिया, सुपर फास्फेट, पोटाश एवं एन.पी.के. के भंडारण व वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? जून, 2025 तक तय लक्ष्य की प्रतिपूर्ति में कितना भंडारण व वितरण हुआ है? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या किसानों को डी.ए.पी. के बदले एन.पी.के. दिए जाने हेतु सेवा सहकारी समितियों को निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हां तो निर्देश की प्रति उलपब्ध करावें? **(ग)** विगत 1 वर्ष में जांजगीर-चाम्पा जिले में नकली खाद अथवा तय दाम से अधिक कीमत में खाद बेचने वालों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विधानसभावार जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्तमान खरीफ मौसम 2025 हेतु रासायनिक उर्वरकों के निर्धारित लक्ष्य तथा लक्ष्य के विरुद्ध भण्डारण एवं वितरण की उर्वरकवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** जी नही, अपितु खरीफ मौसम 2025 में डीएपी उर्वरक के वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग हेतु कृषको में जागरूकता विकसित करने निर्देश जारी किये गये है। **(ग)** विगत 1 वर्ष में जिला जांजगीर-चाम्पा में औचक निरीक्षण में, एक मामले में नकली उर्वरक होने के संदेह के आधार पर उर्वरक स्कंध के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है तथा उर्वरक नमूना लिया जाकर विश्लेषण हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को भेजा गया है साथ ही जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने हेतु जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। एक अन्य मामले में, मेसर्स पवन कुमार ओग्रे विकासखंड पामगढ़ से प्राप्त 20:20:0:13 का नमूना प्रथम विश्लेषण तथा अपील उपरांत द्वितीय विश्लेषण मे अमानक पाये जाने पर उपसंचालक कृषि के आदेश क्रमांक/1135 दिनांक 06.06.2025 द्वारा फर्म का उर्वरक विक्रय लायसेंस आगामी आदेश पर्यन्त निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्धारित दर से अधिक कीमत में उर्वरक विक्रय के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। स्थानीय समाचार पत्रों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक विक्रय के संबंध में प्रकाशित समाचार के आधार पर उर्वरक निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है, अतः शेष जानकारी निरंक है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

एकलव्य अतिथि शिक्षकों का शिक्षा विभाग में समायोजन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

42. (क्र. 808) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ के 870 एकलव्य अतिथि शिक्षकों को शिक्षा विभाग में समायोजन करने हेतु क्या

आदिम जाति विभाग द्वारा कोई पत्र जारी किया गया था? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत समायोजन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2023-24 तक व्यवस्था आधारित कार्य पर रखे गये 669 अतिथि शिक्षकों की जानकारी पत्र कार्या क्रमांक/ इएमआरएस/387-।। /2024-25/6394 दिनांक 20.09.2024 द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर को प्रेषित किया गया है।संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरात 284 टी.जी.टी तथा 198 पी.जी.टी अतिथि शिक्षकों पर समायोजन की सहमति दी गई तथा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय कमाक-1921, दिनांक 18.10.2024 द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों की सेवाएं शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में लिये जाने बाबत् प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी, अटल नगर नवा रायपुर को प्रेषित किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों पर कृत कार्यवाही

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

43. (क्र. 809) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत किन - किन अधिकारियों के विरुद्ध लोक आयोग, ई. ओ. डब्ल्यू., पुलिस थाना एवं विभाग स्तर पर आर्थिक अनियमितता एवं विभागीय नियमों के उल्लंघन के प्रकरण कब से दर्ज हैं? इन प्रकरणों पर कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है? **(ख)** किन-किन अधिकारियों को जाँच में दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय जाँच हेतु आयुक्त को प्रकरण भेजा गया है तथा वर्तमान में जाँच किस स्तर पर कब से लंबित है? **(ग)** वर्ष 2024–25 से जून, 2025 तक विभागीय जाँच में संस्थित अधिकारियों के प्रकरणों की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर एवं मंत्रालय स्तर पर कब-कब की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** समय-समय पर विभागाध्यक्ष एवं शासन द्वारा प्रकरणों की समीक्षा की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

चिराग परियोजना अंतर्गत प्राप्त ऋण व व्यय राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

44. (क्र. 816) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में चिराग परियोजना कब से प्रभावशील है? उक्त योजना में किन-किन कार्य हेतु, किस-किस वर्ग को लाभांन्वित किये जाने हेतु क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं ? लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाले का लाभ विवरण देवें ? चिराग परियोजना के प्रारंभ से जून, 2025 तक लिए गए ऋण, ऋण के लिए दिए गए ब्याज का विवरण देंवें? **(ख)** चिराग परियोजना के प्रारंभ से जून, 2025 तक व्यय राशि का विवरण देवें? **(ग)** चिराग परियोजना के प्रारंभ से जून, 2025 तक लाभार्थियों की श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातिवार, जिलावार संख्या देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में चिराग परियोजना दिनांक

16.04.2021 से प्रभावशील है। चिराग परियोजना अंतर्गत छ.ग. के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लक्षित परिवारों को आय के अवसर तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में सुधार करने हेतु चयनित क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, सीमान्त एवं लघु कृषकों के परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार आदि को प्राथमिकता देते हुये लाभान्वित किया जाना लक्षित था। इसके अंतर्गत समावेशित कृषि, उद्यानिकी, मत्स्यकी तथा जल संरक्षण से सम्बंधित कार्यों तथा अपेक्षित लाभ की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। चिराग परियोजना के प्रारंभ से जून 2025 तक प्रतिपूर्ति के रूप में विश्व बैंक तथा अंतराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) से कुल ऋण राशि रु 16.87 करोड़ प्राप्त हुआ है, अनुबंध अनुसार उक्त ऋण का भुगतान 31 जुलाई, 2026 के पश्चात् प्रारंभ किया जाना है। अतः दिये गये ब्याज की जानकारी निरंक है। **(ख)** चिराग परियोजना के प्रारंभ से जून, 2025 तक व्यय राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार** है। **(ग)** चिराग परियोजना के प्रारंभ से अब तक लाभार्थियों की श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिवार,जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

मण्डी बोर्ड के अंतर्गत राशि की स्वीकृति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

45. (क्र. 817) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में वर्ष 2022-2023 से दिनांक 30.06.2025 तक मण्डी बोर्ड को राज्य शासन एवं जिला मण्डी समिति से किन-किन मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? प्राप्त राशियों को किन-किन जिलों में कितने कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि का वितरण किया गया? जिलों से कितने कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए ? प्राप्त प्रस्ताव के विरुध्द कितने कार्यों हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई ? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार उक्त राशि कितने कार्यों में व्यय की गई? वर्षवार, राशिवार जिलेवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्न **(क)** अनुसार विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के स्थानीय विधायक के द्वारा कितने कार्यों हेतु कितने प्रस्तावों में कितनी राशि की मांग की गई? उन मांगों के विरुध्द कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? विकासखण्डवार जानकारी देवें एवं शेष कार्यो को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ? समयावधि बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में वर्ष 2022-2023 से दिनांक 30.06.2025 तक मंडी बोर्ड को राज्य शासन से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है एवं जिले के मण्डी समितियों से राज्य विपणन विकास निधि मद में रू. 78518.40 लाख, आरक्षित निधि मद में 4911.83 लाख, मंडियो को प्रदाय ऋण की वापसी मद में राशि रू. 2837.15 लाख एवं स्ववाहन ऋण वापसी मद में राशि रू. 6.53 लाख प्राप्त हुई है। आरक्षित निधि में प्राप्त राशि का उपयोग राज्य मंडी बोर्ड सेवा के पेंशनरो को पेंशन भुगतान हेतु किया जाता है। प्राप्त प्रस्ताव तथा प्राप्त प्रस्ताव के विरूद्ध राज्य विपणन विकास निधि एवं पात्रतानुसार राज्य विपणन विकास निधि से कार्यवार एवं जिलावार स्वीकृत कार्यों की संख्या एवं राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)**प्रश्नांक **(क)** अनुसार उक्त राशि 1319 कार्यों में व्यय की गई है। वर्षवार, राशिवार, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** प्रश्न **(क)** अनुसार विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के स्थानीय विधायक महोदय द्वारा राज्य विपणन विकास निधि से 01 प्रस्ताव में कुल 19 कार्यों हेतु राशि 689.60 लाख की मांग की गई। उन मांगों के विरूद्ध कार्य की स्वीकृति लंबित है। विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

प्रदेश में संचालित मृदा परीक्षण केंद्र तथा सेटअप

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

46. (क्र. 825) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में मृदा परीक्षण हेतु कितने प्रशिक्षण केंद्र कहां-कहां पर संचालित हैं इनमें ? तथा सेटअप के अनुसार कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के अनुरूप किन-किन केंद्रों में, कौन-कौन से पद, कब से रिक्त एवं भरे हुए हैं? **(ख)** कंडिका "क" के किन-किन केंद्र अंतर्गत कितनी कितनी हेक्टेयर कृषि भूमि आश्रित है तथा परीक्षण कराने हेतु उसकी क्या प्रक्रिया है? कब तक परीक्षण कर किसानों को रिपोर्ट प्रदान करने की समय अवधि तय की गई है? **(ग)** वर्ष 2022-2023 से जून, 2025 तक कितने किसानों के द्वारा मिट्टी परीक्षण कराया गया है तथा कितने किसानों को निर्धारित समय अवधि में रिपोर्ट प्रदान की गई है? यदि निर्धारित समय अवधि में रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो उसका कारण क्या है एवं उसके लिए जिम्मेदार कौन है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में मृदा परीक्षण हेतु पृथक से कोई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित या संचालित नहीं हैं, अपितु राज्य स्तर पर स्थापित राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार संस्थान (समेती), रायपुर तथा अंबिकापुर, दुर्ग, पखांजूर (कांकेर) एवं जगदलपुर जिलों में स्थापित कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को उन्नत कृषि तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जिसमें मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वॉस्थ्य कार्ड के उपयोग संबंधी विषय भी सम्मिलित रहते हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 28 स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित है। इन प्रयोगशालाओं हेतु स्वीकृत सेटअप एवं उनके विरुद्ध भरे और रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** परीक्षित किये जाने वाले मृदा नमूनों के संबंध में आश्रित भूमि का निर्धारण पृथक से नहीं किया जाता है। सामान्यतः जिन जिलों में प्रयोगशालाये स्थित है, उनके संपूर्ण मिट्टी नमूनों तथा इन प्रयोगशालाओं को स्वॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी योजनांतर्गत अन्य जिलों से प्राप्त मिट्टी नमूनों का आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार विश्लेषण किया जाता है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार नमूनों का विश्लेषण कर प्राप्त परिणामों का भारत सरकार के मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल में इन्द्राज करने पश्चात् मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा मिट्टी नमूनों के संग्रहण से मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने हेतु 25 कार्य दिवस की समय अवधि तय की गई है। **(ग)** प्रदेश की विभिन्न मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2022-2023 से जून, 2025 तक कुल 3,78,470 किसानों की कृषि भूमियों के मिट्टी नमूनों का परीक्षण कर सभी कृषको को निर्धारित समयावधि में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

जिला महासमुंद अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदत्त सेवा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

47. (क्र. 833) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कृषि विभाग की किन-किन सेवाओं या योजनाओं को सम्मिलित किया गया है? इनमें सेवा प्रदायगी की समय सीमा क्या निर्धारित है? **(ख)** उक्त सेवाओं के अंतर्गत जिला महासमुंद मे विगत तीन वर्षों में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा समय सीमा में कितने आवेदन पंजीकृत अथवा निराकृत हुए? कृषि यंत्रो एवं उपकरणों की प्रदायगी के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, माहवार विवरण देवें. **(ग)** चैंप्स प्रणाली अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं को इस अधिनियम की परिधि से बाहर करने अधिसूचना कब जारी की गयी? चैम्पस प्रणाली के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने किसानो को सीधे आवेदन के समय से

पंजीकरण की सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं हो रही है तथा वे प्रदायकों द्वारा पंजीयन किये जाने के समय पर क्यों आश्रित हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित कार्यालयो में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत सम्मिलित सेवाओ एवं इनके सेवा प्रदायगी की सीमा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)** कंडिका "क" में उल्लेखित सेवाओ के अंतर्गत जिला महासमुन्द में विगत 03 वर्षों यथा वर्ष 2022 से 2024 तक पंजीकृत एवं निराकृत आवेदनो की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। कृषि यंत्रो एवं उपकरणो की प्रदायगी के लिये माहवार प्राप्त आवेदनो की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है। **(ग)** चेम्प्स प्रणाली में सम्मिलित सेवाओ यथा शक्ति चलित उन्नत कृषि यंत्र वितरण, शाकम्भरी योजना (पंप प्रतिष्ठापन) को लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 से बाहर करने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। चौम्प्स प्रणाली के तहत शक्ति चलित कृषि यंत्रो के प्रदाय हेतु ऑनलाईन पंजीयन के संबंध में विभाग को प्राप्त शिकायतो के परिपेक्ष्य में जांच समिति गठित कर प्रकरण की जांच करवाई गई है। जांच समिति द्वारा वर्तमान पंजीयन प्रक्रिया के संबंध में उल्लेखित तथ्यो के प्रकाश में में वर्तमान प्रणाली में में सुधार के द्वारा इसे कृषकोन्मुखी तथा पारदर्शी बनाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

महासमुंद जिले में राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत किसानों को कृषि उपकरण एवं अनुदान राशि का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

48. (क्र. 836) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिले में राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत योजना अनुसार जनवरी, 2024 से 30 मई, 2025 तक कितने किसान हितग्राहियों को, कौन-कौन से कृषि उपकरण एवं अनुदान राशि वितरित की गई? उक्त वितरित किये गए उपकरणों में कितनी अनुदान राशि मिली? योजना अनुसार लाभान्वित हितग्राहियों/ किसानों की संख्या विधानसभावार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार प्रश्नांकित अवधि में कौन-कौन से उपकरण की कितनी-कितनी लागत से खरीदी की गई? खरीदी हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या उक्त उपकरण खरीदी, वितरण एवं हितग्राही चयन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) महासमुंद जिले में जनवरी, 2024 से 30 मई, 2025 तक राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत शाकम्भरी योजनांतर्गत कुल 958 हितग्राहियों को अनुदान पर सिंचाई पंप एवं राज्य पोषित जैविक खेती मिशन योजनांतर्गत कुल 450 हितग्राहियों को शत-प्रतिशत अनुदान पर अंबिका पैडी वीडर उपलब्ध कराये गये तथा राज्य पोषित फसल प्रदर्शन योजनांतर्गत पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान रोपाई पर प्रदर्शन हेतु कुल 18 हितग्राहियों को अनुदान दिया गया। विभागीय जानकारियों का संधारण विकासखंडवॉर किया जाता है, लाभांवित हितग्राहियों को वर्षवार, विकासखंडवॉर, योजनावार अनुदान राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार प्रश्नांकित अवधि में 450 नग अंबिका पैडी वीडर की खरीदी की गई जिसकी कुल लागत 586156.00 रूपये है। उक्त यंत्र छ.ग. राज्य बीज निगम के पोर्टल से ऑनलाईन क्रय किया गया है। अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

महासमुंद जिला अंतर्गत बसना कृषि मंडी के कार्यो हेतु आबंटित राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

49. (क्र. 837) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- महासमुंद जिला अंतर्गत बसना कृषि मंडी में वर्ष 2022-2023 से जून, 2025 तक किस-किस कार्य के लिए, कितनी राशि आबंटित की गई है और उससे क्या-क्या कार्य किये गए हैं? कृपया जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : महासमुंद जिला अंतर्गत बसना कृषि मंडी में वर्ष 2022-2023 से जून, 2025 तक बाउण्ड्रीवाल, किसान कुटीर, स्वागत द्वार एवं सी. सी. रोड सहित 41 निर्माण कार्यों के लिए राशि रू. 329.09 लाख स्वीकृत की गई है, कार्यवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतालीस"]**

रासायनिक खाद के लाइसेंस प्रदाय की प्रक्रिया

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

50. (क्र. 840) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राज्य में रासायनिक खाद, कीटनाशक, आर्गेनिक खाद एवं पोषक तत्वों के निर्माण, पैकेजिंग, वितरण हेतु लाइसेंस की आवश्यकता होती है? यदि हॉ, तो किन-किन खादों व कीटनाशकों के लाइसेंस किस नियम के तहत प्रदाय किये जाते हैं? लाइसेंस प्रक्रिया हेतु क्या जॉच सूची (चेक लिस्ट) है? राज्य में किन कंपनियों या एजेंसियों को कौन-कौन से रासायनिक खाद, कीटनाशक, आर्गेनिक खाद एवं पोषक तत्वों के निर्माण, पैकेजिंग एवं वितरण की अनुमति दी गयी है? जिलेवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी संकलित की जा रही है ।

उर्वरक वितरण नियंत्रण एवं अनुपात की जानकारी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

51. (क्र. 841) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- दिनांक 25 जुलाई, 2024 के प्रश्न क्रमांक 38 (क्र.823) में दिये गये उत्तर अनुसार उर्वरक रेक की 60 प्रतिशत मात्रा (आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जाती है) मार्कफेड द्वारा भंडारित की जाती है एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 (एफसीओ) के अंतर्गत सहकारी एवं निजी क्षेत्र में उर्वरक वितरण का अनुपात निर्धारण करने संबंधी उल्लेख नहीं है, तो सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत या उससे अधिक उर्वरक भण्डारित करने का निर्णय किस विभाग के आदेश के तहत किया जाता है एवं निजी क्षेत्रों को दिये जाने वाले शेष प्रतिशत का निर्धारण किस विभाग के नियंत्रण/आदेश से होता है? क्या कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को भी उर्वरक प्रदान करने का प्रावधान है? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित उर्वरक के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 अधिसूचित किया गया है। इस परिपेक्ष्य में प्रदेश में उर्वरक की समानुपातिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में सामान्यतः 60:40 के अनुपात में उर्वरक भंडारण किया जाता है। जी हाँ, कृषक उत्पादक संगठन अधिसूचित प्राधिकारी (उप संचालक कृषि) से थोक / खुदरा व्यवसाय हेतु नियमानुसार अभिस्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं।

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति उपयोजना तहत स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

52. (क्र. 845) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सत्र 2022 से जून, 2025 तक अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत कहां-कहां , कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? कार्यों के नाम, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, पूर्ण/अपूर्ण /अप्रारंभ की जानकारी वर्षवार, कार्यवार उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के कार्यों में अनियमितता अथवा गुणवत्ताहीन सामग्री उपयोग करने की शिकायत प्राप्त हुई या विभाग के संज्ञान में आयी ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र हेतु वर्ष 2022 से जून 2025 तक अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत स्वीकृति कार्य, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में अधोसंरचना विकास हेतु लागू योजनाएं

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

53. (क्र. 848) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के अधोसंरचना विकास एवं आदिवासियों के रोजगार से संबंधित कौन-कौन से मद की, कौन-कौन सी योजनाएं वर्तमान में लागू हैं? उस योजना के तहत कार्यो के चयन एवं राशि आबंटन की प्रक्रिया क्या है ? **(ख)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में कितने आदिवासी बाहुल्य ग्राम एवं ग्राम पंचायतें हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य ग्राम एवं ग्राम पंचायतों में विगत 02 वर्षो में किस-किस कार्य पर किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि खर्च की गई ? किन-किन योजनाओं द्वारा कितने कार्यो के लिए राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने कार्य अपूर्ण एवं लंबित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के अधोसरंचना विकास एवं आदिवासियों के रोजगार से संबंधित वांछित जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-"अ"** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक "ख" में चाही गई जानकारी **पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-"ब" एवं "स"** अनुसार है।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के उद्योगों एवं खदानों से पर्यावरण प्रदूषण की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

54. (क्र. 850) श्री इंद्र साव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत कितने उद्योग एवं खदानें संचालित हैं तथा इन उद्योगों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ? 01 जनवरी, 2024 से जून, 2025 तक की जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार विधानसभा क्षेत्र भाटापारा अंतर्गत विकासखण्ड-सिमगा के ग्राम रिंगनी स्थित एपीएल अपोलो प्लांट से निकलने वाले जल के प्रदूषण के कारण खेतों में ट्यूब वेल से एसिडयुक्त पानी निकलने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायतों पर एपील अपोलो प्लांट के उपर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी दें ? **(ग)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में संचालित उद्योगों एवं खदानों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के शिकायत की प्रश्नांकित अवधि में

कब-कब, किस अधिकारी के द्वारा जांच की गई ? जांच में दोषी पाये जाने वाले उद्योगों पर किस प्रकार की, क्या कार्यवाही की गई है ? विस्तृत विवरण दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त 542 उद्योग एवं 126 खदानें संचालित हैं। दिनांक 01/01/2024 से 30/06/2025 तक की अवधि में उपरोक्त उद्योगों/खदानों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में कुल 25 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र** के कॉलम 08**अनुसार** है।**(ख)**भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड-सिमगा के ग्राम रिंगनी एवं केसदा स्थित मेसर्स एपीएल अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से निकलने वाले जल के प्रदूषण के कारण खेतों में ट्यूब बेल से एसिडयुक्त पानी निकलने की कुल 02 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र** के सरल क्रमांक-03एवं 04 **अनुसार** है।**(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र** के कॉलम 05, 06, 07 एवं 08 **अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

कौशल्या माता विहार अंतर्गत आवसीय योजना में फ्लैटों के निर्माण में विलंब

[आवास एवं पर्यावरण]

55. (क्र. 853) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही कौशल्या माता विहार योजना के तहत कितने फ्लैटों का निर्माण प्रस्तावित था ? **(ख)** इन फ्लैटों का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था और नियमानुसार इनका निर्माण कब तक पूर्ण हो जाना था ? **(ग)** जून, 2025 तक कितने फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है और कितने शेष है ? **(घ)** निर्माण कार्य में कितने वर्षों की देरी हुई है तथा इसका प्रमुख कारण क्या है ? **(ड.)** शेष फ्लैटों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर हितग्राहियों को पजेशन दिया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही कौशल्या माता विहार योजना के तहत कुल 5824 फ्लैटों का निर्माण प्रस्तावित था।**(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 4 एवं 5 अनुसार** है।**(ग)** जून, 2025 तक 5216 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है और 608 फ्लैट का निर्माण कार्य शेष है**(घ) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 7 अनुसार** है। निर्माण कार्य में देरी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं (1) कोविड के प्रथम एवं द्वितीय लहर के कारण। (2) यह योजना स्ववित्तीय योजना हैं, जिसमे अनेक हितग्राहियों द्वारा निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं करने के कारण ठेकेदारों को किये जाने वाले चल देयकों के भुगतान में हुए विलंब के कारण। **(ड.)** शेष फ्लैटों का निर्माण कार्य संभावित दिसम्बर-2025 तक पूर्ण कर हितग्राहियों को पजेशन दिया जाएगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

प्रयास आवासीय विद्यालयों में कोचिंग संस्था के चयन हेतु जारी निविदा में अनियमितता

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

56. (क्र. 877) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2024-25 में प्रयास आवासीय विद्यालयों में कोचिंग संस्थाओं के चयन हेतु प्रथम एवं द्वितीय निविदा की अंतिम तिथि तक प्रयास आवासीय विद्यालयवार, उनके निविदा क्रमांकवार, कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने निविदाकार पात्र पाए गए? अपात्र निविदाकारों के कौन-कौन से अभिलेख अपूर्ण पाए गए थे? **(ख)** ऑनलाइन निविदा भरने से संबंधित समस्या पर निविदाकारों से प्रीबीड मीटिंग में या इसके पश्चात्

कब-कब अभ्यावेदन प्राप्त हुआ? प्रथम निविदा निरस्त करने का निर्णय किस आधार पर समिति की किस बैठक में लिया गया? **(ग)** द्वितीय निविदा में किन-किन विद्यालयों में एकल टेंडर को स्वीकृति प्रदान की गई? एकल टेंडर की स्वीकृति किस स्तर से ली गई है? **(घ)** चयनित कोचिंग संस्थाओं से अनुबंध किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया तथा कार्यादेश कब-कब जारी किया गया? प्रयास आवासीय विद्यालयवार एवं टेंडरवार बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र - 'अ' अनुसार** है। **(ख)** ऑनलाईन निविदा भरने से संबंधित समस्या पर निविदाकारों से प्री-बीड मीटिंग दिनांक 29.07.2024 को अभ्यावेदन प्राप्त हुए। प्रथम निविदा में पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निरस्त करने का निर्णय दिनांक 17.10.2024 की बैठक में लिया गया। **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र - 'ब' अनुसार** है। **(घ)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र - 'स' अनुसा**र है।

रासयनिक उर्वरक, बीज आदि की मांग तथा पूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

57. (क्र. 879) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ वर्ष 2025-26 में जून, 2025 की स्थिति में रासायनिक उर्वरक तथा बीज का वितरण, लक्ष्यपूर्ति-निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र का, अलग-अलग उर्वरक के प्रकार एवं बीज की प्रजातिवार बताएं? बीज के स्रोत एवं मात्राएं भी बताएं? **(ख)** रासायनिक उर्वरक तथा बीज की क्रय दरें तथा विक्रय दरें क्या-क्या है? **(ग)** किस प्रकार के उर्वरकों तथा बीजों की पूर्ति किसानों की मांगों के अनुरूप समय पर नहीं की जा सकी और उसके कारण क्या हैं? जिलेवार जानकारी देवें? **(घ)** खरीफ सीजन, 2024 समाप्त होने पर रासायनिक उर्वरक तथा बीज की कितनी-कितनी मात्राएं कहां-कहां शेष रही थी? जिलेवार बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) खरीफ वर्ष 2025 में जून, 2025 की स्थिति में सहकारी एवं निजी क्षेत्र में उर्वरकवार लक्ष्य, भण्डारण एवं वितरण एवं बीज (शासकीय क्षेत्र) की स्त्रोतवार, फसलवार, किस्मवार मांग, भण्डारण एवं वितरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-द अनुसार** है। **(ख)** रासायनिक उर्वरक तथा बीज की क्रय तथा विक्रय दर की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-इ अनुसार** है। **(ग)** वैश्विक परिस्थितियों के फलस्वरूप मांग अनुसार डी.ए.पी. उर्वरक की कम आपूर्ति के दृष्टिगत वैकल्पिक उर्वरक एन.पी.के. सिंगल सुपर फास्फेट की अनुशंसित मात्रा का भण्डारण कराया जा रहा है। इसी प्रकार मांग अनुसार बीजों का भण्डारण समय पर किया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।**(घ)** खरीफ वर्ष 2024 समाप्त होने पर जिलेवार रासायनिक उर्वरक एवं बीज की बचत मात्रा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-फ अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

छ.ग. हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत जर्जर मकान का तोड़कर नवीन मकान निर्माण

[आवास एवं पर्यावरण]

58. (क्र. 884) श्री रिकेश सेन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या छ.ग. हाउसिंग बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित 724 जर्जर मकान को तोड़कर उसी स्थान पर नवीन मकान निर्माण के संबंध में विधानसभा में घोषणा व आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो इस संबंध में जून, 2025 तक क्या कार्यवाही की गई है, अवगत करावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित क्षेत्र में वनाधिकार पट्टों का वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

1. (क्र. 9) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वन विकास निगम क्षेत्रों में सामुदायिक वनाधिकार पट्टा देने के क्या नियम हैं? **(ख)** मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में कितने सामुदायिक वनाधिकार पत्रक का वितरण किया गया है एवं कितने आवेदित मामले लंबित हैं? लंबित होने के क्या कारण हैं? **(ग)** क्या जिले में दिशा समिति की बैठक में सामुदायिक वनाधिकार पत्रक कुल 07 ग्राम पंचायतों को दिया गया है जिसमें से मोहला विकासखंड अंतर्गत 03 जारी किए गए वनाधिकार पट्टों को वापस ले लिया गया है? यदि हां तो क्यों? **(घ)** क्या वन विकास निगम क्षेत्रों में सामुदायिक वनाधिकार पट्टा वितरण किया जा सकता है? यदि हॉ तो मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में क्यों नहीं किया जा रहा है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के धारा 2(घ) अनुसार ''वन भूमि'' से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, में सामुदायिक वन अधिकार दिए जा सकते हैं। **(ख)** मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 319 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है एवं कोई भी आवेदित मामले लंबित नहीं है।**(ग)** जिले में दिशा समिति की बैठक में सामुदायिक वन अधिकार पत्र का वितरण नहीं किया गया है। **(घ)** प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार वन विकास निगम क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा सकता है। जिले में 319 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है एवं कोई भी आवेदित मामले लंबित नहीं हैं।

प्रदेश में रासायनिक खाद/उर्वरक एवं बीज की आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

2. (क्र. 27) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जून, 2025 की स्थिति में खरीफ वर्ष 2025-26 के लिये कौन-कौन से, कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक एवं बीज की मांग प्राप्त हुयी है? मांग के विरूद्ध कितनी-कितनी मात्रा प्राप्त हुई तथा प्राप्त खाद/उर्वरक के अनुसार कितनी मात्रा में और आवश्यकता होगी? उसकी आपूर्ति हेतु सरकार ने क्या कार्ययोजना बनायी है? **(ख)** प्रश्नांक''क'' सहकारी/निजी क्षेत्रों को खाद-बीज देने हेतु शासन की नीति क्या है? क्या दर निर्धारित की गयी है तथा किस अनुपात में कितनी-कितनी मात्रा में दी गयी तथा किन-किन निजी संस्थाओं को दी गयी ? इनमें से कितनी ऐसी निजी संस्थायें हैं, जो ब्लैक लिस्टेड हैं और उन्हें पुनः वितरण हेतु खाद उर्वरक दिये गये?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) एवं **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।**

स्वायल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत केमिकल खरीदी में भंडार क्रय नियम का उल्लंघन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. (क्र. 131) श्री राजेश मूणत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि विधानसभा सत्र दिनांक 19.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र.1750), सत्र 25 जुलाई, 2024 में परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 673), सत्र 20 दिसम्बर, 2024 अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 119) एवं सत्र 3 मार्च, 2025 परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 85) के उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि कैलेण्डर वर्ष 2021 से 2023 में कृषि विभाग के स्वायल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत केमिकल खरीदी में भंडार क्रय नियम के उल्लंघन की प्रारंभिक जांच में अधिकारीगण दोषी पाए गए ? यदि हाँ तो, डेढ़ वर्षों से कार्रवाई प्रक्रियाधीन के नाम पर दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? **(ख)** प्रश्नांक (क) में उल्लेखित दोषियों को संरक्षण देने वाले अधिकारीगणों के खिलाफ शासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) एवं **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।**

मंडी बोर्ड के तहत स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

4. (क्र. 132) श्री राजेश मूणत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि विधानसभा सत्र दिनांक 19.03.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र.1731) के उत्तर में यह बताया गया था कि रायपुर नगर में मंडी बोर्ड के कृषक कल्याण निधि से कार्यों की स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ? यदि हाँ तो यह प्रक्रियाधीन कार्रवाई कब तक पूर्ण हो पायेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।

महासमुन्द जिला अंतर्गत चिन्हांकित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के ग्राम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

5. (क्र. 313) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला महासमुन्द के अंतर्गत वर्ष 2022 से जून, 2025 तक कितने एवं किन - किन ग्रामों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हांकित किया गया है? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के चिन्हांकित ग्रामों में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्यो हेतु कार्य एजेंसी कौन-कौन थी? कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण एवं अप्रारंभ हैं? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ? **(ग)** स्वीकृत कार्यो में अनियमितता/भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला महासमुन्द के अन्तर्गत वर्ष 2022 से जून 2025 तक वर्ष 2022-23 में 07 ग्रामों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हांकित किये गये। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** वर्ष 2022-23 में चयनित 07 ग्रामों के लिये ग्राम विकास योजना (व्ही0डी0पी0) कार्य प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से राशि अप्राप्त होने के कारण कार्यों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

विधानसभा क्षेत्र महासमुन्द के अंतर्गत किसान सम्मान निधि हेतु प्राप्त आवेदन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

6. (क्र. 318) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र महासमुन्द में वर्ष 2023-2024 से जून, 2025 तक विभाग में कुल कितने किसानों ने किसान सम्मान निधि एवं कृषि यंत्र एवं ऋण में छूट संबंधी कितने आवेदन दिये हैं? विभाग ने कितने किसानों को पात्र एवं अपात्र की श्रेणी में रखा है? विवरण वर्षवार, विकासखण्डवार देवें? **(ख)** प्रश्नांक (क) अनुसार कितने किसानों को किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्र एवं अन्य प्रकरण संबंधी लाभ प्रदाय किया गया है एवं कितने शेष हैं? विवरण देवें ? **(ग)** शेष किसानों को कब तक उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जावेगा? बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से सम्बद्ध विकासखण्ड महासमुंद में वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक् प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु विभाग में प्राप्त आवेदनों एवं पात्र/अपात्र कृषकों की वर्षवार, योजनावार, विकासखण्डवार संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी की **जानकारी क्रमशः संलग्न प्रपत्र अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** हैं। विधान सभा क्षेत्र महासमुंद में वर्ष 2023-24 से जून 2025 तक किसानो से ऋण में छुट संबंधी कोई आवेदन प्राप्त नही हुए है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं कृषि यंत्र/उपकरण पर अनुदान से लाभांवित कृषकों तथा शेष प्रकरणों की योजनावार, वर्षेवार संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी की **जानकारी क्रमशः संलग्न प्रपत्र अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** शेष प्रकरणों के निराकरण संबंधी **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में मंडी बोर्ड के तहत् स्वीकृत निर्माण कार्यो की अद्यतन स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (क्र. 414) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-सिहावा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से जून, 2025 तक मंडी बोर्ड में कुल कितनी राशि के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? उनमें से कितने पूर्ण तथा कितने अपूर्ण हैं तथा कितनों की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित/लंबित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : सिहावा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से जून, 2025 तक मंडी बोर्ड में राशि रू. 219.79 लाख के 05 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, उनमें से 03 पूर्ण तथा 02 अपूर्ण हैं तथा लागत रू. 334.57 लाख के 15 कार्यों के प्रस्ताव लंबित है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में सुशासन दिवस के दौरान प्रकरणों का निराकरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

8. (क्र. 415) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत "सुशासन तिहार" के तहत् विकास हेतु अनुसूचित जनजाति एवं कमार जनजाति से संबंधित कितनी शिकायतें/मांग हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये ? नाम, स्थानवार, सूची सहित जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' के तहत् कितने आवेदनकर्ताओं की शिकायतें/मांग का निराकरण किया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत "सुशासन तिहार" के तहत विकास हेतु अनुसूचित जनजाति एवं कमार जनजाति से कुल 51 मांग के आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा शिकायत से संबंधित आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)** प्रश्नांक "क" के तहत् विकास हेतु प्राप्त कुल 51 आवेदन में से 13 आवेदनकर्ताओं के आवेदनों का जिला स्तर से निराकरण किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

लैलूंगा विधानसभा अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा किसानों के वर्मी कंपोस्ट खाद हेतु टंकी निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

9. (क्र. 430) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा कितने किसानों के वर्मी कंपोस्ट खाद हेतु टंकी का निर्माण कराया गया? जिसमें कितने रुपए की लागत राशि दी गई ? उक्त कार्य विभाग द्वारा कराया जाना था या खुद किसानों के खाते में राशि जानी चाहिए थी? या ठेकेदारी प्रथा से कार्य कराया जाना था ? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत हजारों किसानों के नाम से वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण मुंगेली के ठेकेदार द्वारा विभागीय सेंड गार्ड से कराया गया ? यदि हाँ तो, उक्त भ्रष्टाचार में शामिल दोषी कर्मचारियों अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? जानकारी देवे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र से सम्बद्ध विकासखण्ड-लैलूंगा में कृषि विभाग द्वारा 780 किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट टैंक निर्माण हेतु अनुदान राशि रूपये 44.69 लाख दी गई है। योजना अंतर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार कृषकों द्वारा स्वयं निर्माण किये जाने पर अनुदान राशि कृषकों को दिया जाना प्रावधानित है। **(ख)** प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड लैलूंगा के 104 कृषकों द्वारा वर्मी टैंक का स्वयं निर्माण किया गया है जिन्हें राशि रू. 6.24 लाख का अनुदान कृषकों के बैंक खाते मे हस्तांतरित की गई है। शेष 676 कृषकों द्वारा जय किसान सेवा समिति धनगांव, जिला-मुंगेली के माध्यम से निर्माण कराया गया है । कृषकों से प्राप्त सहमति पत्र के आधार पर सम्बन्धित संस्था को अनुदान राशि रू. 38.45 लाख का भुगतान किया गया है।" उक्त प्रकरण वर्तमान में संज्ञान में आया है, इसकी जांच हेतु निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे है. प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी.

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित कृषक

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

10. (क्र. 443) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित सहकारी समितियों एवं कृषि सेवा केंद्र द्वारा खाद, बीज एवं दवाईयों की समय पर आपूर्ति नहीं की जा रही है? यदि हां तो क्यों ? **(ख)** वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक में फसल बीमा योजना एवं इनपुट सब्सिडी जैसी योजनाओं का कितने किसानों को लाभ मिला है और कितने आवेदन अब भी लंबित या अस्वीकृत हैं? कृपया योजनावार, विकासखण्डवार बताएं ? **(ग)** विभाग द्वारा गांवों में मृदा परीक्षण, कृषि परामर्श, कीट प्रबंधन जैसी वैज्ञानिक कृषि सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध बिलाईगढ़ एवं कसडोल विकासखण्ड की सहकारी समितियों में रसायनिक उर्वरक एवं बीज की आपूर्ति समय पर की

जा रही है। कीटनाशी रसायनों की आपूर्ति सहकारी समितियों से नहीं अपितु निजि कृषि सेवा केन्द्रों/संस्थाओं द्वारा की जाती है अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ख)** वर्ष 2023-24 से जून 2025 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं इनपुट सब्सिडी योजना (कृषक उन्नति योजना) अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या की वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। उक्त दोनो योजनाओं में किसानो द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता अपितु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत प्रीमियम राशि के भुगतान उपरान्त योजना के प्रावधान अनुसार फसल क्षति होने पर बीमा राशि का भुगतान किसानों को किया जाता हैं तथा कृषक उन्नति योजना अन्तर्गत पंजीकृत पात्र किसानों को योजना अन्तर्गत पात्रता अनुसार दान सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। **(ग)** विभाग द्वारा कसडोल विकासखण्ड में वर्ष 2023-24 में 1820 एवं वर्ष 2024-25 में 1006 कृषकों को तथा बिलाईगढ़ विकासखण्ड में वर्ष 2023-24 में 798 एवं वर्ष 2024-25 में 1148 कृषकों के खेतो की मिट्टी का परीक्षण कर स्वायल हेल्थ कार्ड प्रदाय किया गया है। साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत कसडोल विकासखण्ड में वर्ष 2023-24 में 69 एवं वर्ष 2024-25 में 67 प्रशिक्षण एवं कृषक संगोष्ठी तथा बिलाईगढ़ विकासखण्ड में वर्ष 2023-24 में 7 एवं वर्ष 2024-25 में 12 प्रशिक्षण एवं कृषक संगोष्ठी आयोजित कर कृषकों को फसल एवं कीट प्रबंधन जैसे विषयों की जानकारी दी गई।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

प्रदेश में जीएसटी की अवैध वसूली की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

11. (क्र. 489) श्री देवेन्द्र यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या प्रदेश में जी.एस.टी. के अंतर्गत नियमानुसार कर वसूली से अधिक वसूली किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो उक्त दोषी पर क्या कार्यवाही की गयी है? जानकारी देवें? **(ख)** क्या अंबिकापुर के व्यापारियों से जी.एस.टी. की अवैध वसूली के संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां,तो उक्त क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आर.ई.डी. योजना के तहत प्राप्त आबंटन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

12. (क्र. 513) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 से 20 जून, 2025 तक आर.ई.डी. योजना के अंतर्गत विभाग को कितनी-कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ तथा प्राप्त आबंटन से कहॉ-कहॉ पर, किन-किन किसानों को, क्या-क्या लाभ प्रदान किया गया ? विकासखण्डवार, वर्षवार, जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : प्रश्नाधीन अवधि में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से सम्बद्ध विकासखण्ड छुरिया एवं अम्बागढ़ चौकी में केन्द्र प्रवर्तित रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (आर.ए.डी) योजना के तहत वर्षवार, विकासखंडवार आंबटित राशि एवं उससे ग्रामवार, सामग्रीवार लाभान्वित कृषको की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

<u>उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों/स्व सहायता समूहों को पैक हाउस एवं शेडनेट हाउस हेतु प्रदत्त अनुदान</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

13. (क्र. 514) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले में 2022-23 से दिनांक 20.06.2025 तक उद्यानिकी विभाग को कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है और प्राप्त आबंटन से कितने किसानों एवं स्व सहायता समूहों को पैक हाउस एवं शेडनेट हाउस के लिए कितना-कितना अनुदान प्रदान किया गया है ? अनुदान से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम, स्थान एवं लागत सहित वर्षवार विधानसभावार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका ''क'' में निर्मित पैक हाउस एवं शेडनेट हाउस का भौतिक सत्यापन किन-किन के द्वारा कब-कब किया गया और भौतिक सत्यापन में क्या-क्या पाया गया? वर्षवार, दिनांकवार, विधानसभावार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं-चौकी जिले में वर्ष 2022-23 से दिनांक 20.06.2025 तक उद्यानिकी विभाग को राशि रु. 2616.95 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन से 77 किसानो को पैक हाउस हेतु राशि रु 154.00 लाख एवं 30 किसानो को शेडनेट के लिए राशि रु. 293.14 लाख अनुदान दिया गया है तथा प्रश्नाधीन अवधि तक किसी भी स्व-सहायता समूह को शेड नेट हाउस एवं पैक हाउस निर्माण हेतु अनुदान से लाभान्वित नहीं किया गया है। वर्षवार प्राप्त आवंटन, अनुदान एवं विधानसभा क्षेत्रवार, हितग्राहीवार, लागतवार जानकरी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ**एवं**प्रपत्रब अनुसार** है। **(ख)** कंडिका "क" में निर्मित पैक हाउस का भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारियो द्वारा एवं शेडनेट हाउस का भौतिक सत्यापन प्रभारी प्रीसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर (पी. एफ़. डी. सी.) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा किया गया है। भौतिक सत्यापन में पाये गये तथ्यों एवं वस्तुस्थिति की विधानसभा क्षेत्रवार, वर्षवार, दिनांकवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार** है।

<u>छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधीन क्वींस क्लब रायपुर का संचालन</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

14. (क्र. 524) श्री संदीप साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा विधायक कॉलोनी में स्थित क्वींस क्लब, रायपुर को सर्वप्रथम संचालन हेतु किस संस्था को कब, किन शर्तों व अनुबधों के आधार पर संचालन हेतु हस्तांतरित किया गया है? शर्तों एवं अनुबंध के उल्लंघन में कब-कब, क्या-क्या अनियमितताएं पायी गई? छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई है? क्लब संचालक से कितनी राशि की वसूली शेष है, वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** वर्तमान में क्वींस क्लब का संचालन हेतु किस संस्था को कब, किन शर्तों व अनुबधों के आधार पर कितने वर्षों के लिए सौंपा गया है? क्वींस क्लब में क्या-क्या सुविधाएं मिल रही हैं? क्या अनुबंधित नियमों एवं शर्तों का पालन हो रहा है, इसका निरीक्षण वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक कब-कब किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है? निरीक्षण में क्या-क्या कमियॉं पायी गई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम सहित जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :(क)छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा विधायक कॉलोनी में स्थित क्वींस क्लब, रायपुर को सर्वप्रथम संचालन हेतु अनुबंध छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं एमीनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा संचालक श्री हरबक्श सिंह बत्रा के मध्य दिनांक 10.02.2009 को अनुबंध क्रमांक 57/2008-09 निष्पादित किया गया है। निष्पादित अनुबंध की मुख्य शर्तों के संबंध में अनुबंध की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** हैं। शर्तों एवं अनुबंध के उल्लंघन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** हैं।

अनुबंध के शर्तों के उल्लंघन फलस्वरुप नियमानुसार सूचना जारी करते हुए दिनांक 15.03.2024 को अनुबंध निरस्त कर मण्डल द्वारा दिनांक 17.03.2024 को क्लब का भौतिक आधिपत्य ले लिया गया है। क्लब वर्तमान में मण्डल के आधिपत्य में है। क्लब के पूर्व अनुबंधित संचालक एमीनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. प्रो. श्री हरबक्श सिंह बत्रा से संपत्ति कर के विरूद्ध राशि रू. 46,72,843.00, लंबित लायसेंस फीस राशि रू. 34,75,337.00 तथा विद्युत खपत दिनांक 06.04.2024 कि स्थति में देयक राशि रु. 3118400.00 इस प्रकार कुल राशि रू. 1,12,66,580.00 वसूली योग्य है, जिस हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2605, दिनांक 27.07.2024, पत्र क्रमांक 2572, दिनांक 22.08.2024 एवं पत्र क्रमांक 2574, दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।**(ख)**वर्तमान में क्वींस क्लब का संचालन हेतु किसी भी संस्था को सौंपा नहीं गया है। वर्तमान में क्वींस क्लब का संचालन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा किया जा रहा है।

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों के विक्रय के नियम

[आवास एवं पर्यावरण]

15. (क्र. 526) श्री संदीप साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्वतंत्र भवन एवं बहुमंजिला भवन (एलआईजी एवं इडब्ल्यूएस भवन) की खरीदी के उपरांत हितग्राही के द्वारा संपूर्ण भुगतान किए जाने के बाद भवन का विक्रय विलेख करने का क्या नियम है? **(ख)** क्या हितग्राही के द्वारा भवन का संपूर्ण भुगतान किए जाने के बाद भी रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्वतंत्र भवन एवं बहुमंजलि भवन (एलआईजी एवं इडब्ल्यूएस भवन) को 10 वर्षों तक विक्रय विलेख नहीं करने संबंधी कोई आदेश प्रसारित किया गया है? यदि हां तो क्यों एवं तत्संबंध में नियमों/प्रावधानों की जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) फ्लैट की सम्पूर्ण कीमत अदायगी के तत्काल बाद विक्रय विलेख का निष्पादन कराया जा सकता हैं। भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ लिखतों का न्यून मूल्यांकन विवरण) नियन 1975 की धारा 25 (3) ख के तहत सम्पूर्ण प्रब्याजि भुगतान की 06 माह की तिथि तक पंजीयन कराया जाना होता हैं।**(ख)**जी, नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कृषकों हेतु संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी बाबत्

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

16. (क्र. 532) श्री ललित चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 01 जनवरी 2023 से 21.06.2025 तक कृषकों हेतु संचालित हो रहे लघुत्तम सिंचाई, तालाब निर्माण योजना, भू-जल संवर्धन एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना, नलकूप खनन के तहत् कितनी-कितनी राशि अनुदान हेतु निर्धारित की गई थी ? योजनावार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उक्त अवधि में कितने-कितने कार्यो की पूर्ति तथा कितने कृषकों को योजनावार कितना-कितना अनुदान दिया गया है? ग्रामवार, वर्षवार हितग्राहियो की जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित अवधि में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपकरणों के अनुदान के लिए शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? वर्षवार जानकारी देवें? किसानो को कौन-कौन से उपकरण प्रदाय हेतु, प्रदायकर्ता एजेन्सी को उनके खातों में कितनी-कितनी अनुदान राशि जमा की गयी ? उपकरणों की कीमत एवं किए गए भुगतान का विवरण ग्रामवार, वर्षवार हितग्राहियों की जानकारी सहित देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) कृषि विभाग में भू-जल संवर्धन योजना एवं तालाब निर्माण योजना संचालित नही है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्ड दुर्ग अंतर्गत 01

जनवरी 2023 से 21 जून 2025 तक सूक्ष्म सिंचाई एवं नलकूप खनन हेतु संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं में किसानों को देय अनुदान प्रावधान की योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-अ अनुसार** है। प्रश्नाधीन अवधि में दुर्ग विकास खंड में लघुत्तम सिंचाई योजना के तहत सिचाई तालाब की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। **(ख)** प्रश्नांश "क" में उल्लेखित योजनाओं के तहत निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध पूर्ति एवं भुगतान की गई अनुदान राशि तथा लाभान्वित कृषकों की वर्षवार, योजनावार, ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश "क" की अवधि में कृषि उपकरणों पर अनुदान भुगतान हेतु प्रदान की गई राशि का वर्षवार, ग्रामवार, योजनावार, उपकरणवार, प्रदायकर्ता एजेन्सीवार हितग्राहीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स, प्रपत्र -द एवं प्रपत्र -इ अनुसार** है।

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में संचालित उद्योग

[आवास एवं पर्यावरण]

17. (क्र. 533) श्री ललित चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बड़े, मंझोले एवं सूक्ष्म स्तर के कितने-कितने उद्योग संचालित हैं ? इसमें केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाले कितने उद्योग हैं ? **(ख)** कंडिका 'क' के संचालित उद्योगों की जांच जनवरी, 2023 से 20.06.2025 तक किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई ? निरीक्षण में किन-किन उद्योगों/संयंत्रों में निर्धारित पर्यावरणीय नियमों एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना पायी गई ? विभाग द्वारा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के संचालित उद्योगों में वायु प्रदूषण की मात्रा को कम करने हेतु क्या विभाग द्वारा उद्योगों में विशेष यंत्र लगाने हेतु अनिवार्य निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां तो निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें ? प्रदूषण को रोकने के लिए कौन-कौन से उपाय किये जा रहे हैं ? जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वृहद/मध्यम श्रेणी के 15 एवं लघु श्रेणी के 124 उद्योग स्थापित/संचालित है। इसमें केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने उद्योगों की संख्या निरंक हैं।**(ख)** प्रश्नांश 'क' के संचालित उद्योगों की जॉच प्रश्नांश अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, मुख्य रसायनज्ञ, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ द्वारा की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उद्योगों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी सम्मति में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों यथा ईएसपी, बैग फिल्टर, स्क्रबर, डस्ट कलेक्टर स्थापित किये जाने की शर्त निहित की जाती है। नमूने के रूप में सम्मति की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब अनुसार** है। प्रदूषण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उद्योगों का नियमित निरीक्षण कर उपरोक्तानुसार उपस्करों का नियमित संचालन सुनिश्चित कराया जाता है तथा प्रदूषण की स्थिति पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाती है।

डीएपी खाद की मांग एवं उपल्ब्धता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

18. (क्र. 555) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** बिलासपुर जिले में किसानों द्वारा वर्ष 2024 में कितनी मात्रा में डीएपी खाद की मांग की गई थी और कितनी मात्रा में डीएपी खाद प्रदान किया गया था? **(ख)** वर्ष 2025 में कितनी मात्रा में डीएपी खाद की मांग प्राप्त हुई है और कितनी मात्रा में डीएपी खाद की उपल्ब्धता है? **(ग)** डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने पर डीएपी के स्थान पर कौन-कौन से खाद प्रदान किए जा रहे हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) खरीफ एवं रबी वर्ष 2024-25 में बिलासपुर जिले के लिए कुल 14600 मे.टन डी.ए.पी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध कुल 20180 मे.टन डी.ए.पी की आपूर्ति की गई। मौसमवार विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** खरीफ वर्ष 2025 में बिलासपुर जिले के लिए 13400 मे.टन डी.ए.पी. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध दिनांक 01.04.2025 से 30.06.2025 तक 6551 मे.टन डी.ए.पी. की आपूर्ति हो चुकी है। साथ ही गत वर्ष 2024-25 के स्कंध में से 2260 मे. टन डी.ए.पी. शेष बचत के रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार बिलासपुर जिले में कुल 8811 मे. टन डी.ए.पी. उर्वरक उपलब्ध है, विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** फास्फोरस की प्रदायगी हेतु डी.ए.पी के विकल्प के रूप में एन.पी. के., एस. एस.पी तथा तरल नैनो उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

पर्यावरण क्लीयरेंस का प्रदाय

[आवास एवं पर्यावरण]

19. (क्र. 556) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पर्यावरण विभाग द्वारा विधानसभा कोटा क्षेत्रांतर्गत कौन कौन से उद्योग फैक्ट्री कारखाना कोल डिपो सहित अन्य व्यवसायिक संस्थानों को पर्यावरण क्लीयरेंस कब से कब तक के लिये प्रदान किया गया है? **(ख)** कौन-कौन से उद्योग फैक्ट्री कारखाना कोल डिपो सहित अन्य व्यवसायिक संस्थानों द्वारा समयावधि समाप्त होने के पश्चात नवीनीकरण करवाया गया है और कौन कौन के द्वारा नवीनीकरण नही करवाया गया है? **(ग)** नवीन पर्यावरण क्लीयरेंस हेतु कौन कौन के द्वारा आवेदन किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसूची में उल्लेखित परियोजना या क्रियाकलापों के प्रवर्ग 'क' श्रेणी को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा प्रवर्ग 'ख' श्रेणी को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का प्रावधान है। कोटा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत उद्योग/ व्यवसायिक संस्थानों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वैधता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम 03 एवं 04 अनुसार** है। कोल डिपो को उक्त प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत् कोल डिपो को जल एवं वायु सम्मति प्रदान की जाती है। कोटा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित उद्योग फैक्ट्री कारखाना कोल डिपो सहित अन्य व्यवसायिक संस्थानों को जारी जल एवं वायु सम्मति एवं सम्मति वैधता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम 05 एवं 06 अनुसार** है।**(ख)** ई.आई.ए.अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार नवीनीकरण जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत् कोटा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्थापित उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना, कोल डिपो सहितअन्य व्यवसायिक संस्थानों को वैधता समाप्त होने के पश्चात् जारी किये गये नवीनीकरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है तथा नवीनीकरण नही करवाये गये उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना, कोल डिपो सहित अन्य व्यवसायिक संस्थानों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।**(ग)** कोटा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत एक उद्योग मेसर्स महावीर कोल वाशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खरगहनी-पथर्रा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् कोल वाशरी-0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, प्रक्रिया अंतर्गत उद्योग को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा

दिनांक 14/02/2023 को टी.ओ.आर. जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में एक उद्योग मेसर्स हरिओम ब्रिक्स, ग्राम-अमने, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा नवीन जल एवं वायु सम्मति बाबत् आवेदन किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

जिला बिलासपुर में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा)को प्रमाण पत्र का प्रदाय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

20. (क्र. 560) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बिलासपुर के अनुविभागीय अधिकारी मस्तूरी अंतर्गत कितने विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) कौन कौन से ग्राम में निवासरत हैं, ग्रामवार नाम सहित जानकारी देवें? **(ख)** जून, 2025 की स्थिति में कितने लोगों का बैगा जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, नाम सहित जानकारी देवें? **(ग)** क्या ग्राम पोंडी, थाना सीपत विकासखंड मस्तूरी, जिला बिलासपुर के धीवर जाति (ओ. बी. सी.) वर्ग के लोगों द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा का जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीक़े से बनाये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हाँ तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है, जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा का आधारभूत सर्वेक्षण सूची वर्ष 2015-16 अनुसार जिला बिलासपुर के अनुविभागीय अधिकारी मस्तूरी अंतर्गत बैगा परिवार निवासरत नहीं है। **(ख)** अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी जिला बिलासपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी में उपलब्ध जाति प्रकरण पंजी वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 तक के प्रकरण पंजी में दर्ज तथा जाति प्रमाण पत्र हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट व्यवस्था प्रारंभ होने से लेकर जून 2025 तक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में दर्ज जानकारी अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। **(ग)** सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला-बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पोंड़ी थाना सीपत विकासखंड मस्तूरी के धीवर जाति (ओ.बी.सी.) वर्ग के लोगों के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा का जाति प्रमाण-पत्र बनाकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की शिकायत जनदर्शन पोर्टल में टोकन क्रमांक 2070122000146 सुरक्षा क्रमांक 746 के द्वारा कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर को प्राप्त हुई थी, किन्तु शिकायत पत्र में शिकायतकर्ता का नाम पता एवं हस्ताक्षर नहीं होने तथा सरपंच ग्राम पंचायत पोड़ी विकासखंड मस्तूरी जिला बिलासपुर द्वारा शिकायत पत्र को ग्राम में वैमनस्य के उद्देश्य से पोर्टल में दर्ज कराये जाने का उल्लेख करते हुए शिकायत को अमान्य करने का अनुरोध किया गया है। शिकायत पत्र मे गवाह के रूप में रामफल धीवर का हस्ताक्षर है, जिसे रामफल धीवर ने उनके नाम का दुरूपयोग करते हुए फर्जी हस्ताक्षर होना बताया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी में भी शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार सीपत द्वारा जांच करायी गयी है। प्रारंभिक जांच में उपस्थित कुछ व्यक्तियों द्वारा जाति के संबंध में शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया किन्तु विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के संबंध में 1950 के पूर्व का दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम-पोड़ी, थाना सीपत, वि.खं.-मस्तूरी के धीवर जाति (ओ.बी.सी.) वर्ग के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा का जाति प्रमाण पत्र बनवा कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की शिकायत के संदर्भ मे निम्नांकित 04 व्यक्तियों की शिकायत प्राप्त हुई है:- 1. श्री रूप राम बैगा 2. श्री काशी राम बैगा 3. श्री मथुरा प्रसाद बैगा 4. श्री पुरूषोत्तम लाल बैगा समिति द्वारा समुचित जांच एवं परीक्षण क्रमांक 01 श्री रूपराम बैगा का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने हेतु आदेश दिनांक 11.12.2006 एवं 19.09.2011 पारित किया गया। क्रमांक 02 पर श्री काशीराम बैगा का जाति प्रमाण पत्र आदेश दिनांक 13.11.2017 को मान्य करने पश्चात संदिग्ध प्रतीत होने पर पुनः जांच प्रक्रियाधीन है। क्रमांक

03 पर श्री मथुरा प्रसाद बैगा का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने हेतु दिनांक 24.11.2008 को आदेश पारित किया गया। क्रमांक 04 पर श्री पुरूषोत्तम लाल बैगा का जाति प्रमाण पत्र विजिलेंस सेल में अन्वेषणाधीन है। चारों प्रकरणों की विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

जिला बिलासपुर/गौरेला पेंड्रा मरवाही अन्तर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

21. (क्र. 562) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बिलासपुर/जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही अन्तर्गत कौन-कौन से विकासखंड में किन किन ग्रामों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा निवासरत हैं, जानकारी देवें? **(ख)** 1 जनवरी 2020 से 30 मई 2025 तक पेंड्रा तहसील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कितने बैगा जनजाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है? नाम पिता का नाम जारी दिनांक साहित जानकारी देवें? **(ग)** ग्राम पोड़ी थाना सीपत विकासखंड मस्तूरी के धीवर जाति (ओ. बी. सी.) वर्ग के लोगों के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा का जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा संपादित आधारभूत सर्वेक्षण सूची वर्ष 2015-16 अनुसार जिला बिलासपुर एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** 01 जनवरी 2020 से 30 मई 2025 तक पेण्ड्रा तहसील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 06 बैगा जनजाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** ग्राम पोंड़ी थाना सीपत विकासखंड मस्तूरी के धीवर जाति (ओ.बी.सी.) वर्ग के लोगों के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा का जाति प्रमाण-पत्र बनाकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की शिकायत जनदर्शन पोर्ट में टोकन क्रमांक 2070122000146 सुरक्षा क्रमांक 746 के द्वारा कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर को प्राप्त हुई थी, किन्तु शिकायत पत्र में शिकायत कर्ता का नाम पता एवं हस्ताक्षर नहीं होने तथा सरपंच ग्राम पंचायत पोंडी विकासखंड मस्तूरी जिला बिलासपुर द्वारा शिकायत पत्र को ग्राम में वैमनस्य के उद्देश्य से पोर्टल में दर्ज कराये जाने का उल्लेख करते हुये शिकायत को अमान्य करने का अनुरोध किया गया है। शिकायत पत्र में गवाह के रूप में रामफल धीवर का हस्ताक्षर है, जिसे रामफल धीवर ने उनके नाम का दुरूपयोग करते हुये फर्जी हस्ताक्षर होना बताया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी में भी शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार सीपत द्वारा जांच करायी गयी है। प्रारंभिक जांच में उपस्थित कुछ व्यक्तियों द्वारा जाति के संबंध में शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया किन्तु विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के संबंध में 1950 के पूर्व का दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम-पोड़ी, थाना सीपत, वि.खं.-मस्तूरी के धीवर जाति (ओ.बी.सी.) वर्ग के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा का जाति प्रमाण पत्र बनवा कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की शिकायत के संदर्भ मे निम्नांकित 04 व्यक्तियों की शिकायत प्राप्त हुई है:- 1. श्री रूप राम बैगा 2. श्री काशी राम बैगा 3. श्री मथुरा प्रसाद बैगा 4. श्री पुरूषोत्तम लाल बैगा समिति द्वारा समुचित जांच एवं परीक्षण क्रमांक 01 श्री रूपराम बैगा का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने हेतु आदेश दिनांक 11.12.2006 एवं 19.09.2011 पारित किया गया। क्रमांक 02 पर श्री काशीराम बैगा का जाति प्रमाण पत्र आदेश दिनांक 13.11.2017 को मान्य करने पश्चात संदिग्ध प्रतीत होने पर पुनः जांच प्रक्रियाधीन है। क्रमांक 03 पर श्री मथुरा प्रसाद बैगा का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने हेतु दिनांक 24.11.2008 को आदेश पारित किया गया। क्रमांक 04 पर श्री

पुरूषोत्तम लाल बैगा का जाति प्रमाण पत्र विजिलेंस सेल में अन्वेषणाधीन है। चारों प्रकरणों की विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''स''** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

जिला कांकेर अतंर्गत हाउसिंग बोर्ड द्वारा संचालित योजना

[आवास एवं पर्यावरण]

22. (क्र. 572) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कांकेर जिले में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा किन-किन स्थानों पर आवास निर्माण व आवासीय भूखंड विक्रय की योजना संचालित है ? **(ख)** उपरोक्त संचालित योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनाएं पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं तथा कौन-कौन सी योजना निर्माणाधीन हैं ? **(ग)** क्या पूर्ण रूप से विकसित आवास/ भुखणड को विक्रय किया जा चुका है ? आवास एवं भुखंड क्रय करने के क्या नियम व शर्ते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।**(ख)** कांकेर जिले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा संचालित आवास निर्माण व आवासीय भूखंड विक्रय की योजनाओं में से दीनदयाल आवास योजना ठेलकाबोड कांकेर पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है तथा अटल विहार योजना श्रीरामनगर कांकेर में भवनों का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जा रहा है एवं योजना निर्माणाधीन है, अटल आवास योजना कराठी भानुप्रतापपुर में प्रथम चरण में 126 नग अटल आवास भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है व शेष 87 नग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है एवं अटल आवास योजना बारगरी चारामा में प्रथम चरण में 66 नग अटल आवास भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है व शेष 140 नग भवनों का निर्माण भविष्य में पंजीयन प्राप्त होने पर प्रस्तावित है।**(ग)** जी हां। आवास एवं भूखण्ड क्रय करने के नियम व शर्ते **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

कांकेर जिले में संचालित क्रेशर प्लांटों की लीज अवधि

[आवास एवं पर्यावरण]

23. (क्र. 573) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कांकेर जिले अंतर्गत कितने और कहां-कहां क्रेशर प्लांट संचालित हैं ? संबंधित क्रेशर प्लांटों की लीज की अवधि कब तक है? क्रेशर प्लांट के संचालकों के नाम व स्थान सहित जानकारी प्रदान करें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कांकेर जिले के अंतर्गत 12 उद्योगों को माईनिंग एवं क्रशिंग के लिये तथा 10 उद्योगों को केवल क्रशिंग के लिये जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत सम्मति जारी की गई है, जिसमें से वर्तमान में 19 क्रशर प्लांट संचालित है। क्रशर प्लांटों को लीज जारी नहीं की जाती है, अपितु खदान क्षेत्र के लिये खनिज साधन विभाग द्वारा लीज जारी की जाती है। उक्त 12 खदानों की लीज अवधि की जानकारीसंलग्न प्रपत्रके कॉलम 3 अनुसारहै। क्रशर प्लांटों को जारी जल एवं वायु सम्मति वैधता की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम 4एवं क्रशर प्लांट के संचालकों के नाम व पते की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम 5 अनुसारहै।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ"]

नगर पालिक निगम, बीरगांव के क्षेत्र में अवैधानिक भूमि विकास

[आवास एवं पर्यावरण]

24. (क्र. 588) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या विधान सभा सत्र फरवरी-मार्च 2025 में प्रश्न संख्या 57 (क्र. 2324) के लिखित उत्तर में दिनांक 19 मार्च 2025 को बताया गया था कि प्राप्त शिकायत पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा यह भी बताया गया था कि राजीनामा के उपरान्त भी अप्राधिकृत निर्माण कराना पाया जाता है, तो विधि अनुरूप कार्यवाही की जाएगी? **(ख)** यदि हां, तो जांच में क्या-क्या पाया गया तथा क्या अप्राधिकृत निर्माण कराना भी पाया गया, जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराएं? **(ग)** जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं, तारीखवार बताएं तथा यह भी बताएं कि क्या-क्या कार्यवाहियां की जाना शेष है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ।**(ख)** नगर पालिक निगम, बीरगांव जिला रायपुर से जानकारी अनुसार जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**(ग)** नगर पालिक निगम, बीरगांव जिला रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विधि अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी।

बिलासपुर जिला अंतर्गत स्वीकृत एवं संचालित छात्रावास/आश्रम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

25. (क्र. 645) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पचपेड़ी में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक एवं कन्या छात्रावास तथा ग्राम पंचायत धनगवां में प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खोलने के संबंध में क्या कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? तो किस कार्यालय में प्रक्रियाधीन है, कब-तक छात्रावास की स्थापना की जाएगी? **(ख)** उक्त संबंध में किन-किन जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्त हुए है? उन पर क्या कार्यवाही की गई **(ग)** बिलासपुर जिला अंतर्गत स्वीकृति उपरांत भी किन-किन छात्रावासों एवं आश्रमों का संचालन नहीं किया जा रहा है? इन्हें कब से संचालित किया जाएगा? **(घ)**जिला मुख्यालय बिलासपुर में स्थित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिलासपुर में सत्र 2024-25 से 22 जून 2025 तक कितने नवीन छात्राओं ने प्रवेश हेतु आवेदन किया? उक्त छात्राओं में से कितने का प्रवेश हुआ एवं कितने छात्राओं का नहीं हुआ? प्रवेश नहीं देने का कारण क्या है? क्या सीट वृद्धि करने हेतु कार्यवाही चल रही है, कब-तक सीट वृद्धि की जायेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पचपेड़ी में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक/कन्या छात्रावास खोलने हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर जिला स्तर से प्रस्ताव इस वित्तीय वर्ष में प्रक्रियाधीन है। सुशासन तिहार 2025 के तहत् ग्राम पंचायत धनगवां में प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खोलने हेतु जिला स्तर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसमें कार्यालयीन पत्र क्रमांक/3550, दिनांक 02.07.2025 द्वारा जिला कलेक्टर के अभिमत सहित अद्यतन प्रस्ताव मंगाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला बिलासपुर से छात्रावास खोलने हेतु अद्यतन प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नही है। **(ख)** ग्राम पंचायत पचपेड़ी में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति के बालक/कन्या छात्रावास खोलने के संबंध में माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी एवं ग्राम धनगवां में ग्राम पंचायत धनगवां के सरपंच के द्वारा छात्रावास खोले जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ हैं। नियमानुसार छात्रावास खोलने हेतु जिले से प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। **(ग)** बिलासपुर जिला अंतर्गत स्वीकृत प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बरगन एवं अनुसूचित जाति बालक आश्रम बैमा का संचालन नही किया जा रहा है। वर्तमान शिक्षा सत्र 2025-26 में संचालन हेतु प्रयास किया जा रहा है।**(घ)** जिला मुख्यालय में स्थित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या

छात्रावास बिलासपुर में सत्र 2024-25 से 22 जून 2025 तक 60 नवीन छात्राओं से प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रवीण्यता के आधार पर छात्रावास में प्रवेश की प्रक्रिया की जा रही है।

बिलासपुर संभाग में अनु. जाति उप योजना (क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि) अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

26. (क्र. 646) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** बिलासपुर संभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 से जून 2025 तक अनुसूचित जाति उप योजना (क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि) से क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत किए गए हैं? कार्यो की अद्यतन स्थिति क्या है? कार्यवार, जिलावार विवरण देवें? **(ख)** उक्त अवधि में अनुसूचित जाति उप योजना (अनाबद्ध राशि) अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति हेतु किन-किन माननीय जनप्रतिनिधियों का पत्र प्राप्त हुआ है? क्या प्राप्त पत्रों का त्वरित निराकरण करते हुए समय सीमा में प्रति उत्तर दिया गया है? विवरण देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना अंतर्गत मुआवजा भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

27. (क्र. 691) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** छ0ग0 राज्य के जिलों में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जून, 2025 की स्थिति में कितने किसानों ने प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना अंतर्गत बीमा करवाया था ? वर्ष का उल्लेख करते हुये जिलेवार जानकारी देंवे ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य में प्राकृतिक कारणों व अन्य कारणों से फसल के नुकसान होने पर कितने किसानों को मुआवजा की राशि प्राप्त हुई ? कितने किसानों को मुआवजा की राशि प्राप्त नहीं हुई, कारण सहित बतावें ? **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के निरंतरता में जिन किसानों को मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन किसानों को मुआवजा राशि दिलाने विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही ? **(घ)** छ0ग0 राज्य में 2024-25 एवं 2025-26 में जून, 2025 तक कौन-कौन सी बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के तहत् कुल कितने किसानों के द्वारा कुल कितनी राशि जमा की गई व इसमें से कुल कितनी राशि का मुआवजा के रूप में भुगतान किया गया ? वर्षवार बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कृषि विभाग में प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना नहीं अपितु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत अधिसूचित कृषि फसलों का बीमा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में जून 2025 तक वर्षवार, मौसमवार, जिलेवार, फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषको की संख्या का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई फसल क्षति पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषको की संख्या एवं लंबित बीमा दावा भुगतान के कारणो की वर्षवार, मौसमवार, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
(ग) प्रश्नांश "ख" अनुसार लंबित बीमा दावा राशि के भुगतान हेतु संबंधित कृषकों से समन्वय स्थापित कर सही बैंक खाता विवरण/दस्तावेज प्राप्त कर दावा राशि का भुगतान किये जाने हेतु संबधित क्रियान्वयक बीमा कंपनियों को निर्देशित किया गया है। मौसम रबी वर्ष 2024-25 अंतर्गत बीमित दावा भुगतान हेतु पात्र कृषकों

को दावा राशि का भुगतान भारत सरकार दिनांक 10.07.2025 को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाना है। **(घ)** प्रदेश में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जून 2025 तक अधिसूचित कृषि फसलो का बीमा करने वाली बीमा कंपनियो के नाम, क्रियान्वयक बीमा कंपनियो को कृषको द्वारा भुगतान की कृषक अंश (प्रीमियम) राशि एवं बीमा दावा भुगतान की गई राशि की वर्षवार, मौसमवार, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

शासकीय विभागों की स्थापना के लिए निर्धारित सेटअप को परिवर्तित किये जाने की प्रक्रिया

[वित्त]

28. (क्र. 692) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या छ0ग0 राज्य शासन के विभागों/संस्थाओं के लिए वित्त विभाग के द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों के स्वीकृत व निर्धारित सेटअप को परिवर्तित किया जा सकता है ? यदि हां तो इसकी प्रक्रिया क्या है ? शासन के नीति व नियम सहित स्थिति स्पष्ट करें ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य में क्या बिना प्रक्रिया का पालन किये अथवा बिना वित्त विभाग की अनुमति के स्वीकृत सेटअप के विपरीत स्वीकृत पदों को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है ? यदि हां तो उस नियम की प्रति उपलब्ध करावें ? **(ग)** प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य में क्या स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शासनाधीन प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी संस्थाओं के लिए वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृत/निर्धारित सेटअप को किसी भी स्तर पर परिवर्तित करने पत्र इत्यादि लिखा गया है अथवा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? कृपया बतावें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार नीति तैयार कर कार्य आबंटन नियमों के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। संबंधित विभाग से विभागीय सेटअप में परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर विभागीय क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पदों की संख्या/सेटअप में परिवर्तन किए जाने की सहमति दी जाती है। **(ख)** वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा पदों की संख्या को घटाया अथवा अतिशेष घोषित किया जा सकता है **(**प्रति **प्रपत्र में संलग्न** है)**।** पदों को बढ़ाए जाने हेतु उत्तर ''क'' की प्रक्रिया का पालन करना होगा। **(ग)** नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - बैंसठ"]

बस्तर संभागान्तर्गत शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं एवं आश्रमों में दर्ज बालक-बालिकाओं का जाति एवं आय प्रमाण बनाना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

29. (क्र. 694) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलो में वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं/आश्रमों में दर्ज बालक-बालिकाओं का जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने की अद्यतन स्थिति क्या है ? कितने बच्चों का बनाया जाना था ? कितनों का बनाया गया तथा कितना शेष है ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य में इस कार्य को पूर्ण करने निर्धारित समयावधि क्या थी और अब इसके लिए क्या समयावधि तय की गई है ? कृपया बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बस्तर संभाग अंतर्गत जिलों में वर्ष 2023-24 से

जून, 2025 तक शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं/आश्रमों में दर्ज बालक-बालिकाओं का जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र	प्रमाण पत्र का प्रकार	लक्ष्य	उपलब्धि	शेष
1	जाति प्रमाण पत्र	377359	343668	33691
2	आय प्रमाण पत्र	358701	325768	32933
3	निवास प्रमाण पत्र	330749	305179	25570

(ख) उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी। इसके लिए समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

प्रयास आवासीय विद्यालयों में कोचिंग संस्थाओं के चयन हेतु जारी निविदा में अनियमितता

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

30. (क्र. 731) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024–25 में प्रयास आवासीय विद्यालयों में कोचिंग संस्थाओं के चयन हेतु जारी प्रथम एवं द्वितीय निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित समिति की बैठकें कब–कब आयोजित की गईं तथा इन बैठकों में समिति द्वारा किन-किन बिंदुओं के आधार पर अनुमोदन किया गया? समिति में सम्मिलित सदस्यों की नामावली एवं पदाधिकारिता की जानकारी दें? **(ख)** उक्त निविदाओं हेतु विद्यालयवार कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या, पात्र/अपात्र निविदाकारों की संख्या तथा अयोग्य पाए गए निविदाकारों के अस्वीकार किए जाने का तकनीकी आधार क्या था? **(ग)** क्या प्रथम निविदा को निरस्त करने के पीछे ऑनलाइन आवेदन से संबंधित तकनीकी समस्याओं को आधार बनाया गया? यदि हाँ, तो इसका परीक्षण किस तकनीकी विशेषज्ञ समिति या पीईबी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया तथा इसे किस बैठक में अनुमोदित किया गया? **(घ)** द्वितीय निविदा में किन-किन प्रयास आवासीय विद्यालयों में केवल एकल टेंडर की स्वीकृति दी गई? एकल निविदा की स्वीकृति किस सक्षम प्राधिकरण/स्तर से प्रदान की गई तथा क्या नियमानुसार इसकी पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी? वर्ष 2024–25 हेतु चयनित कोचिंग संस्थाओं से अनुबंध किस स्तर के अधिकारी द्वारा किस दिनांक को किया गया तथा अनुबंध निष्पादन की कार्रवाई कब से प्रारंभ की गई? विद्यालयवार टेंडर की जानकारी सहित विवरण दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब'' व ''स''** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं, प्रथम निविदा को निरस्त करने के पीछे ऑनलाईन आवेदन से संबंधित तकनीकी समस्याओं को आधार नहीं बनाया गया। कार्यवाही विवरण बैठक दिनांक 17.10.2024 को आयोजित बैठक में पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति में सम्पूर्ण निविदा निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है। **(घ)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''द''** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

कृषि विभाग में संचालित योजना तथा उसमें कार्यरत संविदा कर्मियों को वेतन तथा प्रदत सुविधायें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

31. (क्र. 732) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कृषि विभाग एवं इसके अधीन संचालित योजनाओं (जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आत्मा परियोजना आदि) में वर्तमान में किन-किन पदों पर एवं कितनी संख्या में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं? **(ख)** उक्त संविदा कर्मचारियों को योजनाओं की मार्गदर्शिका, कार्यादेश अथवा शासनादेशानुसार किन-किन सुविधाओं (जैसे नियत वेतनमान, वार्षिक वेतनवृद्धि, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा, सेवा सुरक्षा, मातृत्व अवकाश, वार्षिक अवकाश, सामाजिक सुरक्षा आदि) का लाभ दिया जा रहा है? क्या उक्त सुविधाएं विभाग द्वारा पूर्ण रूप से लागू की गई हैं? यदि नहीं, तो किन कारणों से

विलंबित हैं तथा उनकी संभावित क्रियान्वयन तिथि क्या है? **(ग)** क्या कृषि विभाग द्वारा राज्य शासन की संविदा कर्मचारियों हेतु घोषित नीतियों — जैसे 27% वेतन वृद्धि, मातृत्व अवकाश, अवकाश सुविधा, सेवा स्थायित्व, मानदेय संरचना सुधार — को अमल में लाया गया है? यदि नहीं, तो क्या विभाग ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव शासन को भेजा है? कृपया तिथि सहित विवरण प्रस्तुत करें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) ,**(ख)** एवं **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**

खदानों को विस्फोटक पदार्थों के उपयोग की प्रदत्त अनुमति

[आवास एवं पर्यावरण]

32. (क्र. 747) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 01 जनवरी, 2023 से जून, 2025 तक राजनांदगांव एवं केसीजी जिला अंतर्गत कौन-कौन से खदानों को विस्फोटक पदार्थ, किस-किस मात्रा में उपयोग करने की अनुमति कब-कब प्रदान की गई है? खदान के नाम, विस्फोटक पदार्थ का नाम एवं मात्रा तथा विस्फोटक पदार्थ कहां से प्राप्त किया गया? जानकारी, विस्फोटक पदार्थ उपयोग की अनुमति प्रदानकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम सहित जानकारी देवें? **(ख)** क्या उपरोक्त जिलों में विस्फोटक पदार्थ उपयोग उपरांत किसी प्रकार की जनहानि, जीव-जन्तु एवं पर्यावरण नुकसान होने की कोई जानकारी प्राप्त हुई है? यदि हां तो प्राप्त जानकारी का माध्यम एवं उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी माहवार, विकासखंडवार देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) खदानों को विस्फोटक पदार्थ उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार के संस्थान द्वारा दिये जाने के कारण, राज्य सरकार द्वारा प्रश्नांश अवधि में अनुमति नही दी गई है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।**(ख)** सहायक खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला राजनांदगाँव से प्राप्त जानकारी अनुसार, जिला राजनांदगाँव में ब्लास्टिंग के संबंध में 05 शिकायत प्राप्त हुई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से प्राप्त जानकारी अनुसार, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में ब्लास्टिंग के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

ग्राम पंचायत महुदा में स्थापित शांति जीडी इस्पात एवं पावर प्लांट के नियम विरुद्ध संचालन पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

33. (क्र. 752) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत महुदा में स्थापित शांति जीडी इस्पात एवं पावर प्लांट द्वारा संचालन एवं उत्पादन के पहले पर्यावरण विभाग से आवश्यक अनुमति ली गई है ? यदि हां तो कब अनुमति प्रदान की गयी है ? कृपया जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार संचालित प्लांट का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के तहत कब - कब निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान किस प्रकार की गड़बड़ी पाई गयी थी और इस आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ, विभाग द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत महुदा में स्थापित मेसर्स शांति जीडी इस्पात एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड को संचालन एवं उत्पादन से पूर्व

दिनांक 27/05/2013 को जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 तथा वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत संचालन सम्मति जारी की गई है।**(ख)** उद्योग का बायोमास आधारित पावर प्लांट-15 मेगावाट ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत उद्योग का निरीक्षण नहीं किया गया है। अपितु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् उक्त संचालित प्लांट का निरीक्षण किया जाता है। विगत 03 वर्षों में निरीक्षण के दौरान उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ"]

रायपुर जिले में घरेलू कचरों/व्यावसायिक कचरों एवं औद्यौगिक कचरों तथा वेस्ट मटेरियल से होने वाला प्रदूषण

[आवास एवं पर्यावरण]

34. (क्र. 758) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या रायपुर जिले अंतर्गत वर्ष 2024-25 से जून, 2025 की अवधि में मस्त प्रकार के घरेलू कचरों/व्यावसायिक कचरों एवं औद्यौगिक कचरों तथा वेस्ट मटेरियल के निष्पादन उपरांत जिले में विभिन्न स्थानों में डम्प किये जाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण संबंधी किसी प्रकार की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है?यदि हां तो क्या और किन-किन स्थानों के लिये शिकायत प्राप्त हुई? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार क्या इन प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई? यदि हां तो क्या? **(ग)** प्रश्न ''क'' अनुसार ऐसे कचरों के सही निष्पादन एवं डिस्पोजल संबंधी किसी प्रकार की कोई रूपरेखा विभाग द्वारा बनाई गयी है ? यदि हां तो इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है? विवरण प्रदान करें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न प्रपत्र के कालम 7 अनुसार** है।**(ग)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 26/06/2024 के माध्यम से उद्योगों से कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदूषण के रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया गया है, जो कि दिनांक 01/08/2024 से प्रभावशील है तथा औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (आई.डब्ल्यू.एम.एम.एस.) जारी की गई है, जो कि दिनांक 01/05/2025 से प्रभावशील है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उल्लंघन पाये जाने पर उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विभिन्न अपशिष्टो हेतु परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 (यथा संशोधित), जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (यथा संशोधित), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (यथा संशोधित), प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (यथा सशोधित), ई-अपशिष्ट (प्रबधन) नियम 2016 (यथा संशोधित), निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (यथा संशोधित), फ्लाइ ऐश अधिसूचना, 2021 (यथा संशोधित) जारी किये गये हैं। उक्त अधिसूचना में निहित प्रावधानों का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा कराया जाता है। नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्रांतर्गत रायपुर शहर से निकलने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट (जैसे- घरेलू व्यावसायिक एवं नालियों व सार्वजनिक स्थलों में चापन्न कचरे) को मेसर्स देल्ही एम. एस. डब्ल्यू सॉल्यूशन लिमिटेड एवं नगर निगम के द्वारा विभिन्न ट्रांसफर स्टेशनों एवं सेकेण्डरी कलेक्शन सेंटर के माध्यम से संग्रहण कर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र सकरी (ग्राम सकरी) में भेजा जाता है। जहां कचरों का वैज्ञानिक पद्धति से प्रसंस्करण कर निपटान किया जाता है। उक्त संयंत्र में गीले कचरे से कम्पोस्ट (खाद), नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से आरडीएफ तैयार कर सीमेट संयंत्र में दिया जाता है जिसे सीमेंट संयंत्र द्वारा ईंधन के रूप में

उपयोग किया जाता है व रिसाईक्लेबल प्लास्टिक कचरे से ग्रेन्यूल (दाना) बनाया जाता है जिसे पुनः प्लास्टिक उद्योगो में प्लास्टिक सामग्री यथा डिब्बे, बाल्टी इत्यादि बनाने में उपयोग किया जाता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान और प्रसंस्करण न किये जाने योग्य अथवा प्रसंस्करण के दौरान अनुपयोगी अपशिष्ट अथवा इनर्ट को संयंत्र परिसर में बने साइंटिफिक लैण्डफिल में डिस्पोज किया जाता है। प्रक्रिया में निकलने वाले लीचेट को विभिन्न स्तरों में उपचारित कर संयंत्र में गार्डनिंग तथा वाहन की धुलाई हेतु उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति से निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले दुर्गन्ध के शमन हेतु विभिन्न प्रकार के दुर्गन्धनाशक जैसे लेमन ग्रास आईल इत्यादि का छिडकाव नियमित रूप से किया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ"]

लिपिक वर्गीय से राज्य कर निरीक्षक के पद पर चयन

[वाणिज्यिक कर]

35. (क्र. 767) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)**वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत लिपिक वर्गीय से राज्य कर निरीक्षक के पद पर वर्ष 2021 से 2023 तक कितने कर्मचारियों का चयन किया गया? परीक्षा में सम्मलित कितने कर्मचारी अचयनित थे, जो विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण तो हुये, परंतु उनका चयन नहीं हो पाया? कमचारियों के नाम व वर्गवार विवरण देवें? **(ख)**प्रश्नांक ''क'' समयावधि में आयोजित विभागीय परीक्षा में विभागीय भर्ती नियमों के साथ-साथ क्या राज्य सरकार द्वारा आरक्षित रोस्टर का पालन किया गया था? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)**वर्तमान में राज्य कर निरीक्षक के कितने पद रिक्त हैं? क्या विभाग द्वारा इन पदों पर प्रश्नांक ''क'' अवधि में आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु अचयनित उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत लिपिक वर्गीय से राज्य कर निरीक्षक के पद पर वर्ष 2021 में 21 कर्मचारियों एवं वर्ष 2022 में 21 कर्मचारी कुल 42 कर्मचारियों का चयन किया गया। वर्ष 2022 में आयोजित विभागीय परीक्षा में 14 कर्मचारी अचयनित थे, जो विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण तो हुए, परंतु उनका चयन नहीं हो पाया। कर्मचारियों के नाम व वर्गवार विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक ''क'' समयावधि में आयोजित विभागीय परीक्षा में विभागीय भर्ती में आरक्षण नियमों के पालन के संबंध में जांच प्रक्रियाधीन है। **(ग)** वर्तमान में सीमित प्रतियोगी परीक्षा से भरे जाने वाले राज्य कर निरीक्षक के 08 पद रिक्त है। इन पदों पर प्रश्नांक ''क'' अवधि में आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु अचयनित उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जा सकता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

बालोद जिला में मंडी बोर्ड/मण्डी समिति से स्वीकृत कार्य एवं प्राप्त आबंटन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

36. (क्र. 772) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2024-25 से जून, 2025 तक बालोद जिले में मंडी बोर्ड/मण्डी समिति से कौन-कौन से कार्य, किन-किन मदों से स्वीकृत किए गए ? स्वीकृत कार्यो की राशि सहित जानकारी वर्षवार, विकासखण्डवार देवें? **(ख)** स्वीकृत कार्यो की वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या है तथा किये गये व्यय की जानकारी, कार्यवार/एजेंसीवार देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2024-25 से जून, 2025 तक बालोद जिले में मंडी बोर्ड निधि से कार्य स्वीकृत नही हुए है। मण्डी समिति निधि से स्वीकृत कार्यों की राशि सहित वर्षवार,

विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** स्वीकृत कार्यों की वर्तमान अद्यतन स्थिति तथा व्यय की कार्यवार / एजेंसीवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़सठ"]

रेत के अनियंत्रित उत्खनन से पर्यावरणीय क्षति

[आवास एवं पर्यावरण]

37. (क्र. 779) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या रेत के अनियंत्रित उत्खनन से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचती है? यदि हां तो किस-किस प्रकार की क्षति होती है? **(ख)** प्रदेश में जनवरी, 2024 से मई, 2025 तक रेत के अवैध या अनियंत्रित उत्खनन के कितने प्रकरणों में पर्यावरणीय क्षति का आंकलन किया जाकर कितनी राशि का आरोपण किया गया? जिलावार बताएं? क्या सभी प्रकरणों में ऐसी कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो उसका कारण क्या है और कौन-कौन उत्तरदायी है? **(ग)** मई, 2025 की स्थिति में प्रदेश में कितनी रेत खदानें अधिसूचित हैं ? उनमें से कितनी में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है तथा कितनी में बिना पर्यावरणीय मंजूरी के रेत उत्खनन हुआ है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ, रेत के अनियंत्रित उत्खनन से पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन, 2016 के अनुसार रेत के अनियंत्रित उत्खनन से नदी के ढाल में वृद्धि, नदी तल का क्षरण, भू-जल स्तर में कमी, भू-जल गुणवत्ता में दुष्प्रभाव पड़ने, नदी जल की गुणवत्ता में कमी पड़ने, नदी किनारे के कटाव की समस्या, वन और जैविधता की हानि, जल में मिट्टी की सांद्रता बढने आदि पर्यावरण को क्षति पड़ने की संभावना रहती है।**(ख)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 01/01/2024 से 30/05/2025 तक की अवधि में रेत के अवैध उत्खनन के कुल 11 प्रकरणों में पर्यावरणीय क्षति का आंकलन किया जाकर कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 21,85,649/- अधिरोपित की गई है। जी हाँ, उक्त सभी 11 प्रकरणों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यवाही की गई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)** खनिज साधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार,मई 2025 की स्थिति में प्रदेश में 119 रेत खदानों को उत्खनन पट्टा स्वीकृति है, जिसमें पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है। बगैर पर्यावरण स्वीकृति के कोई उत्खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

किसानों की आय बढोत्तरी हेतु मिलेट की खेती हेतु संचालित योजनाएं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

38. (क्र. 780) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मिलेट की खेती से किसानों की आय की बढोत्तरी हेतु कौन-कौन सी योजनाएं कब से संचालित की गई हैं ? **(ख)** क्या मिलेट की खेती के लिये किसान को सब्सिडी दी जा रही है यदि हां तो किस-किस फसल पर कितनी-कितनी है? **(ग)** क्या मिलेट उत्पादों की खरीदी राज्य सरकार कर रही है? यदि हां तो किस-किस दर पर? प्रचलित वर्ष में इसकी खरीदी कहां-कहां से, कितनी-कितनी मात्रा में की गई और इस पर किसानों को कितनी राशि की सब्सिडी दी गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से वर्ष 2022-23 से "मिलेट मिशन कार्यक्रम" संचालित किया जा रहा है, इसके अलावा विभिन्न केन्द्रप्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओं में भी मिलेट्स

फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा हैं राज्य शासन द्वारा मिलेट्स फसलों की खेती से कृषकों के आय में बढ़ोत्तरी करने हेतु प्रदेश में प्रमुख रूप से उगायी जाने वाली मिलेट्स फसलो यथा कोदो-कुटकी का राज्य शासन द्वारा निर्धारित उपार्जन मूल्य पर एवं रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। **(ख)** प्रदेश में मिलेट्स की खेती हेतु कृषकों को पृथक से अनुदान नहीं दिया जाता है अपितु विभिन्न विभागीय योजनाओं में शामिल फसल प्रदर्शन एवं बीज उत्पादन/वितरण घटकों में निहित प्रावधान अनुसार मिलेट्स फसलो की खेती हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती हैं। योजनावार, घटकवार कृषकों को देय वित्तीय सहायता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या. द्वारा वर्ष 2021-22 से प्रदेश के कृषको से कोदो-कुटकी का राज्य शासन द्वारा निर्धारित उपार्जन मूल्य पर एवं रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। प्रचलित वर्ष (2024-25) में क्रय मिलेट की जिलायूनियन वार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। कृषको से समर्थन मूल्य पर उपार्जित मिलेट्स फसलो पर किसानो को अनुदान दिए जाने का प्रावधान नहीं है, अतः शेष जानकारी निरंक है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

जी.एस.टी वसूली के लिए मारे गए छापे

[वाणिज्यिक कर]

39. (क्र. 781) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2023-24 में विभाग के द्वारा जीएसटी वसूली के लिए जिन-जिन कारोबारियों के यहां छापे डाले गए उनके नाम छापे में मिली वाणिज्यिक कर चोरी की राशि और की गई वसूली की जानकारी दें ? **(ख)** यदि कारोबारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो जिलेवार जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) वर्ष 2023-24 में विभाग के द्वारा जीएसटी अपवंचन के लिए कुल 68 व्यवसायियों के यहां छापे डाले गए जिसमें वाणिज्यिक कर जीएसटी चोरी (अपवंचन) की प्रारंभिक आंकलित राशि 59.64 करोड़ रू. एवं की गई वसूली की राशि 58.68 करोड़ रू. है। (68 व्यवसायियों से संबंधित नाम की सूची **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है) **(ख)** कारोबारियों के विरूद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं करायी गयी है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

बजटीय आबंटन के विरूद्ध व्यय राशि

[वित्त]

40. (क्र. 798) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल संसाधन एवं कृषि विभाग के स्वीकृत बजट के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? जानकारी प्रदान करें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभागवार स्वीकृत बजट एवं व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर"]

कृषि विभाग में सामग्री खरीदी व अन्य कार्यो में अनियमितता की जांच

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

41. (क्र. 806) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कृषि विभाग अंतर्गत विगत 2 वर्षो में सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग अंतर्गत किन-किन

अधिकारियों के विरूद्व सामग्री खरीदी व अन्य कार्यो में अनियमितता के संबंध में किसके द्वारा व किनको शिकायत की गई है? इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही/जांच कब एवं किसके द्वारा की गई है तथा शिकायतों की अद्यतन स्थिति क्या है? शिकायतवार जानकारी देवें? **(ख)** जिला बिलासपुर एवं मुंगेली में कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी एवं उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों की जानकारी देवें? रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) एवं **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।**

<u>वाणिज्यिक कर का लक्ष्य एवं प्राप्ति</u>

[वाणिज्यिक कर]

42. (क्र. 807) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत विगत 2 वित्तीय वर्ष में कुल कितना वाणिज्यिक कर प्राप्त होना था व कितना प्राप्त हुआ है? जिलेवार, फर्म की संख्यावार व राशिवार जानकारी देवें? **(ख)** वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत विगत 2 वर्षो में रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर संभाग अंतर्गत किन-किन अधिकारियों के विरूद्व कार्यो में अनियमिता के संबंध में कब, क्या, किसके द्वारा व किनको शिकायत की गई है? इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही/जांच कब एवं किसके द्वारा की गई है तथा शिकायतों की अद्यतन स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत विगत 2 वित्तीय वर्षों में प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजटीय लक्ष्य राशि रू. 22,000 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 20,359.24 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजटीय लक्ष्य राशि रू. 23,500 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 23,453.67 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। जीएसटी नेटवर्क में जिलेवार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। **(ख)** प्रश्नांक ''ख'' के संबंध में जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।

<u>जिला सक्ती में संचालित उद्योगों का अपशिष्ट उत्सर्जन एवं प्रबंधन</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

43. (क्र. 810) श्री रामकुमार यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मेसर्स आर. के. एम. पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम उच्चपिंडा जिला सक्ती एवं मेसर्स डी. बी. पॉवर लिमिटेड ग्राम बाड़ादरहा, जिला सक्ती के प्रदूषण से कौन से ग्राम प्रभावित हो रहें हैं? उक्त उद्योगों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन (डिस्पोज) कहाँ और कैसे किया जा रहा है? प्रदूषण से बचाव हेतु क्या-क्या मानक तय किया गया है? जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार स्थापित इकाईयों का विभाग के किन-किन अधिकारियों द्वारा 2021-2022 से 20 फ़रवरी, 2025 तक कब-कब निरीक्षण / जाँच किया गया? क्या कमी पाई गईं तथा विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गईं? **(ग)** उक्त औद्योगिक इकाईयों से वर्ष 2021 - 2022 से 20 फरवरी, 2025 तक सी. एस. आर. मद से कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी व्यय की गई है? स्थान का नाम सहित विस्तृत जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :(क) मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, जिला सक्ती एवं मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बाड़ादरहा, जिला-सक्ती ताप विद्युत संयंत्र के प्रदूषण से कोई ग्राम प्रभावित नहीं है। उक्त ताप विद्युत संयंत्रों से मुख्यतः अपशिष्ट पदार्थ के रूप में राखड़ उत्सर्जित होता है। उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों (राखड़) का निष्पादन (डिस्पोजल) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के

तहत् सीमेंट निर्माण, ईंट (फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं क्ले ऐश ब्रिक्स) निर्माण, लो लाईंग भू-भराव एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। प्रदूषण के बचाव हेतु विभाग द्वारा जारी सम्मति पत्र में मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, जिला सक्ती के यूनिट-1, 2 एवं 3 की चिमनियों से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं यूनिट-4 की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 30 मिलीग्राम प्रति सामान्य घनमीटर तथा मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बाड़ादरहा, जिला-सक्ती के यूनिट-1 एवं 2 की चिमनियों से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घनमीटर के भीतर रखे जाने, उपचारित दूषित जल हेतु पी.एच. 5.5 से 9.0 के मध्य, बी.ओ.डी. 30 मिलीग्राम/लीटर से कम, सी.ओ.डी. 250 मिलीग्राम/लीटर से कम एवं सस्पेंडेड सॉलिड 100 मिलीग्राम/लीटर से कम रखे जाने के साथ परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखने, जनित फ्लाई ऐश का शत प्रतिशत निपटान सुनिश्चित करने एवं उद्योग के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भू-भाग में वृक्षारोपण किये जाने की शर्त अधिरोपित की गई है।**(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ग)**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार, सी.एस.आर. के अंतर्गत उद्योग मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, जिला सक्ती से प्रश्नाधीन अवधि में राशि प्राप्त नहीं हुई है एवं मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बाड़ादरहा, जिला-सक्ती से वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 10.00 लाख एवं वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 25.00 लाख प्राप्त हुई है। वर्ष 2022-23 में प्राप्त राशि रुपये 10.00 लाख में से रुपये 1.00 लाख सीपेट, रायपुर में छात्र की पढाई हेतु आर्थिक सहायता, रुपये 5.00 लाख ग्राम सक्ती में सीमार्ट पुराना औषधालय जीर्णोद्धार सह फर्नीचर क्रय एवं रुपये 4.00 लाख ग्राम पिहरीद में शहीद स्मारक सह चबूतरा निर्माण हेतु व्यय किया गया है। वर्ष 2024-25 में प्राप्त राशि रुपये 25.00 लाख में से रुपये 24.98 लाख विकासखंड सक्ती के ग्राम लहंगा, विकासखंड मालखरौदा के ग्राम कुरदी, विकासखंड डबरा के ग्राम फलियामुंडा, कुसुमझर एवं कुसमुल में हाई मास्क लाइर्ट स्थापना हेतु व्यय किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर"]

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत संचालित छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

44. (क्र. 811) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत वर्तमान में कितने और कहां-कहां शासकीय छात्रावास संचालित हैं? विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार कितने छात्रावास जर्जर हैं? विस्तृत विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार जर्जर छात्रावास के लिए नवीन भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें? उक्त जर्जर छात्रावास हेतु नवीन भवन का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत वर्तमान में 17 छात्रावास संचालित है, छात्रावास वार जानकारी **संलग्न** ''**प्रपत्र**'' अनुसार है।**(ख)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास चंद्रपुर छात्रावास भवन की स्थिति मरम्मत योग्य थी, जिसमें वर्ष 2023-24 में मरम्मत कार्य कराया गया है।**(ग)** प्रश्न उपस्थित नही होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर"]

कबीरधाम जिला अंतर्गत खाद वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

45. (क्र. 812) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विभाग द्वारा खरीफ एवं रबी सीजन में कबीरधाम जिले के कृषकों की आवश्यकता के अनुरुप

रासायनिक एवं जैविक खाद के वितरण हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? निर्धारित लक्ष्य की आपूर्ति हेतु कुल कितना खाद भंडारित कर रखा गया है एवं इनमें से अब तक कितने खाद का वितरण किया जा चुका है? 1 अप्रैल, 2024 से जून, 2025 तक खाद के प्रकारवार निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धता एवं वितरण सहित जानकारी देवें? **(ख)** कबीरधाम जिले अंतर्गत खाद की औसतन मांग एवं उपलब्धता की मात्रा कितनी है? वर्तमान में मांग के अनुरूप कबीरधाम जिले के कितने कृषकों को खाद वितरण किया जा चुका है एवं कितने कृषकों को खाद आपूर्ति किया जाना शेष है? शेष कृषकों हेतु भी खाद उपलब्ध कराया जाना कब तक सुनिश्चित किया जावेगा? **(ग)** कबीरधाम जिले अंतर्गत खाद भंडारण हेतु क्या-क्या व्यवस्था की गई है? **(घ)** कबीरधाम जिले अंतर्गत किन-किन समितियों, निजी वितरकों एवं मार्कफेडों के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित किया जाता है? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध कराएं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला कबीरधाम हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2024 से जून 2025 तक खरीफ एवं रबी मौसम हेतु उर्वरक के निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धता/भण्डारण एवं वितरण की वर्षवार, मौसमवार, उर्वरकवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। रासायनिक उर्वरक की भांति मार्कफेड के माध्यम से भण्डार/वितरण हेतु जैविक खाद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता, अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ख)** जिला कबीरधाम हेतु खरीफ 2025 के लिये 72030 मे. टन रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरूद्ध दिनांक 30.06.2025 तक 63591 मे. टन उर्वरक का भण्डारण हो चुका है। जिले के 85024 किसानों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार उर्वरक का उठाव किया जा चुका हैं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. से प्राप्त जानकारी अनुसार गतवर्ष की तुलना में 21371 कृषकों द्वारा उर्वरक का उठाव किया जाना शेष हैं। उर्वरक का भण्डारण एवं उठाव एक सतत् प्रक्रिया हैं। अतः समय-सीमा में उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। **(ग)** सहकारी क्षेत्र हेतु प्राप्त रसायनिक उर्वरकों का भण्डारण मार्कफेड के वितरण अधिकारी द्वारा जिला कबीरधाम के कवर्धा सहसपुर लौहारा एवं पंडरिया में स्थित मार्कफेड के 03 डबल लॉक केन्द्र तथा जिले की 90 सहकारी समितियों में कराया जाता है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र को प्रदाय रासायनिक उर्वरकों का भण्डारण जिले के 135 निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों द्वारा किया जाता है। **(घ)** जिला कबीरधाम में रासायनिक उर्वरक वितरण करने वाली सहकारी समितियों की विकासखण्डवार, डबल लॉक केन्द्रवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है तथा रासायनिक उर्वरक विक्रय करने वाली निजी विक्रेताओं की विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर"]

पण्डरिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कृषकों को ट्रैक्टर हेतु मिलने वाला अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

46. (क्र. 813) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1 जनवरी, 2024 से जून, 2025 तक कितने कृषकों का ट्रैक्टर अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है? अनुदान पर कितने ट्रैक्टर स्वीकृत किये गये? **(ख)** ट्रैक्टर अनुदान हेतु क्या कृषकों की अंशराशि (अनुदान राशि) एवं कृषकों की संख्या निर्धारित की गई है? यदि हां तो कितनी राशि एवं संख्या निर्धारित है? वर्षवार/विकासखण्डवार/ ग्रामवार हितग्राही कृषकों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से सम्बद्ध विकासखण्ड कवर्धा, पण्डरिया एवं सहसपुर लोहारा में 1 जनवरी, 2024 से जून, 2025 तक विभाग द्वारा संचालित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत प्राप्त 1416 आवेदनों के विरूद्ध 59 हितग्राहियों को

अनुदान पर ट्रैक्टर स्वीकृत किये गये है। **(ख)** जी हाँ, विभागीय योजनाओं में कृषकों को ट्रैक्टर प्रदाय करने हेतु वर्गवार अनुदान एवं लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। ट्रैक्टर पर अनुदान से लाभांवित हितग्राहियों की वर्षवार, योजनावार, विकासखण्डवार एवं ग्रामवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर"]

कृषकों को प्रशिक्षण एवं कृषि यंत्रों का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

47. (क्र. 818) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** जिला मुंगेली में वर्ष 2023 से दिनांक 30.06.2025 तक कितने कृषकों को कृषि यंत्र वितरण एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु कुल कितनी राशि आबंटित की गई थी? वर्षवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांक (क) अनुसार आबंटित राशि से कहां-कहां पर, कब-कब, किनके-किनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया एवं कितने कृषकों को कौन-कौन सी, कितनी मात्रा में कृषि सामग्रियों का वितरण किया गया? विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य में अनियमितता संबंधी कोई प्रकरण विभाग के संज्ञान में आया है? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला मुंगेली में वर्ष 2023 से 30.06.2025 तक उप संचालक कृषि जिला मुंगेली एवं सहायक संचालक उद्यान जिला मुंगेली को कृषकों को कृषि यंत्र वितरण एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु कुल आबंटित राशि की वर्षवार, योजनावार, घटकवार जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-इ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश क अनुसार आबंटित राशि से उप संचालक कृषि मुंगेली द्वारा आयोजित प्रशिक्षण की विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स अनुसार** एवं अनुदान पर वितरित कृषि यंत्रों/उपकरणों की विकासखंडवार, योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र द-अनुसार** है तथा सहायक संचाक उद्यानिकी जिला मुंगेली द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं कृषकों को वितरित कृषि यंत्रों/उपकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र ब एवं प्रपत्र-इ अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश क के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य में कोई शिकायत विभाग के संज्ञान में नहीं आई है।

वित्त विभाग में संविदा नियुक्ति

[वित्त]

48. (क्र. 823) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में वित्त विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति का क्या प्रावधान है ? 01 जनवरी, 2025 से 20 जून, 2025 तक की अवधि में कितने अधिकारी कर्मचारी को संविदा नियुक्ति दी गई है? जिलावार, पदवार बतायें ? **(ख)** क्या उक्तावधि में वित्त विभाग में विभिन्न पदों पर, पद के पात्रता अनुरूप योग्यता वालों को नियुक्ति की गई? यदि नहीं तो क्या कारण है ? नियम विरुद्ध संविदा नियुक्ति करने वाले जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** छत्तीसगढ़ प्रदेश के वित्त विभाग में स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों की जानकारी 20 जून 2025 की स्थिति में बतायें ? रिक्त पदों पर नियमित पद पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में वित्त विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012

के अनुसार की जाती है। 01 जनवरी 2025 से 20 जून 2025 तक की अवधि में वित्त विभाग अन्तर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 04 अधिकारी कर्मचारी को नियुक्ति दी गई है। संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारी की जिलावार, पदवार की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-''अ''** अनुसार है। **(ख)** उक्तावधि में वित्त विभाग में विभिन्न पदों पर नियमानुसार नियुक्ति दी गई है। **(ग)**छत्तीसगढ़ प्रदेश के वित्त विभाग में स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों की जानकारी 20 जून 2025 की स्थिति में **संलग्न प्रपत्र-''ब''** अनुसार है। रिक्त पदों पर नियमित पद पूर्ति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर"]

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

49. (क्र. 826) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 अंतर्गत अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत कुल कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है, वर्षवार एवं जिलेवार बताएं? **(ख)** कंडिका "क" के तहत् तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव शामिल हैं? **(ग)** कंडिका "ख" के गांवों के विकास हेतु विगत 02 वर्षों में विकास के लिए कितने प्रस्ताव, कितनी-कितनी राशि के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कितने कार्य स्वीकृत हैं एवं उनकी अद्यतन स्थिति क्या है और कितने कार्य अस्वीकृत हैं, कारण सहित उल्लेख करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 अंतर्गत अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्राप्त आबंटन की वर्षवार एवं जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है**। **(ख)** कंडिका "क" के तहत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग)** कंडिका "ख" के ग्रामों में से 02 गांवों के विकास हेतु विगत 02 वर्षों में राशि रूपयें 20.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है**। शेष गांवों के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर"]

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं कन्या छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

50. (क्र. 827) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से गांव में प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं कन्या छात्रावास संचालित है? **(ख)** कंडिका "क" के कितने छात्रावास के पास स्वयं का भवन है, कितने भवन विहिन हैं एवं कितने भवन जर्जर हैं? **(ग)** कंडिका "क" के छात्रावासों में मुलभूत सुविधा जैसे शौचालय, पेयजल एवं बिस्तर इत्यादि की सुविधा है कि नहीं, छात्रावासवार जानकारी देवें? **(घ)** कंडिका "ख" के भवन विहिन-छात्रावास के लिए कब तक नया भवन स्वीकृत कर लिया जाएगा एवं मरम्मत योग्य छात्रावासों की कब तक मरम्मत कर ली जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** कंडिका ''क'' के 06 छात्रावासों की स्वंय के भवन है, 01 छात्रावास भवन विहीन है।जर्जर भवन नहीं है।**(ग)** कंडिका ''क'' के छात्रावासों में मुलभुत सुविधा जैसे शौचालय, पेयजल एवं बिस्तर इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध है। छात्रावास वार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(घ)** कंडिका ''ख'' के भवन विहीन-छात्रावास के लिए भवन स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। मरम्मत योग्य छात्रावासों

हेतु प्रतिवर्ष अनुरक्षण मद में राशि जिलों को प्रदाय की जाती है इससे प्रतिवर्ष मरम्मत योग्य छात्रावासों में मरम्मत कार्य कराये जाते हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्यासी"]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों हेतु संचालित योजनाएं

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

51. (क्र. 828) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार वर्ष 2021-2023, 2023-24, 2024-25 में इन योजनाओं के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है तथा प्रत्येक योजना पर कितनी राशि व्यय की गई है ? ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हेतु वर्तमान में पहाड़ी कोरवा आश्रम एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना संचालित है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब'** अनुसार है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी"]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में कृषि के क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

52. (क्र. 829) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में कृषि के क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु वर्ष 2022-2023, 2023-2024 में कितनी राशि का उपयोग किया गया है? **(ख)** प्रश्नांक (क) अनुसार सिंचाई हेतु कितने तालाब, कुएं, नहर, या अन्य साधन निर्माण कराये गए ? ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांक (ख) अनुसार कार्य पूर्णता/ अपूर्णता की स्थिति से भी अवगत कराएं ? अगर कार्य अपूर्ण है तो कब तक पूर्ण होंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधानसभा क्षेत्र सीतापुर से सम्बद्ध विकासखण्ड बतौली, सीतापुर, मैनपाट एवं अंबिकापुर में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कृषि विभाग द्वारा राशि रुपये 298.44 लाख एवं जल संसाधन विभाग द्वारा राशि रुपये 963.35 लाख, इस प्रकार कुल राशि रुपये 1261.79 लाख का उपयोग किया गया है। **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार सिंचाई हेतु नहर एवं नाला में 06 पक्का चैनल का निर्माण, 1 तट निर्माण, 06 लघुत्तम सिंचाई तालाब निर्माण तथा 162 कृषकों द्वारा नलकूप/शैलो ट्यूबवेल खनन/पंप प्रतिस्थापन किया गया है। ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** कार्य पूर्णता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र -ब अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी "]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के मैनपाट में संचालित बाक्साइट प्लांट में वृक्षारोपण

[आवास एवं पर्यावरण]

53. (क्र. 830) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में मैनपाट में संचालित बाक्साइट प्लांट के आस-पास पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2020-2024 तक कितना वृक्षारोपण कहाँ-कहाँ किया गया ? स्थलवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** पौंधो के रखरखाव व देखभाल के लिए क्या उचित कदम उठाये गए हैं ? **(ग)** वर्तमान में जीवित पौंधों की संख्या कितनी है ? कहाँ-कहाँ, कौन से स्थल पर पौधे लगाय जाना शेष हैं ? जानकारी प्रदान करें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के मैनपाट क्षेत्र में बाक्साइट प्लांट संचालित नहीं है तथापि छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) की बाक्साइट खदान संचालित है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक खदान क्षेत्र एवं आस-पास किये गए वृक्षारोपण का स्थलवार विवरण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।**(ख)** पौधों के रखरखाव एवं देखभाल हेतु समय–समय पर पानी का छिडकाव किया जाता है।**(ग)** छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किये गये वृक्षारोपण में जीवित पौधों की संख्या 67177 है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) द्वारा किये गये वृक्षारोपण में जीवित पौधों की संख्या 19170 है। वर्ष 2025-26 में पौधारोपण हेतु ग्राम पंचायत प्रस्ताव के अनुसार चिन्हित स्थानों पर पौधारोपण की कार्यवाही की जावेगी।
[संलग्न "परिशिष्ट - बयासी"]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में कृषकों हेतु खाद की उपलब्धता व जांच

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

54. (क्र. 831) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में कृषकों के लिए खाद, बीज, कीटनाशक दवाई एवं अन्य सामग्री का वितरण कौन सी फर्म/संस्था या एजेंसी करती है ? क्षेत्र में कहाँ-कहाँ कौन-कौन से ऐसे फर्म/गोदाम संचालित हैं? इनका उठाव कहाँ से होता है ? स्थल की जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** खाद/बीज के वितरण के पूर्व क्या उनके मानक/सैम्पल की जांच की जाती है ? निर्धारित मानदंड में ये असफल होने पर इनपर क्या कार्यवाई की जाती है ? जानकारी दें? **(ग)** नकली खाद/ बीज के संग्रहण/वितरण से बचने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गए हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखंड सीतापुर, बतौली, मैनपाट एवं अंबिकापुर में कृषकों के लिए खाद, बीज, कीटनाशक दवाई का वितरण करने वाले फर्म/संस्था या एजेंसी एवं गोदाम/भंडारण की **जानकारी पुस्तकालय में में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार** है **(ख)** वितरण हेतु भंडारित खाद बीज के गुणवत्ता परिक्षण हेतु उनके नमूने (सेम्पल) लिए जाकर जांच हेतु प्रेषित किये जाते है। परीक्षण परिणाम अमानक प्राप्त होने पर बर्बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खंड 13 एवं 15 के अनुसार अमानक बीजों को निरुद्ध कर लायसेंस का निलंबन रद्द किये जाने की कार्यवाही की जाती है। बीज अधिनियम 1966 एवं उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधान अनुसार विक्रय एवं वितरण प्रतिबंध की कार्यवाही की जाती है। **(ग)** नकली खाद बीज के संग्रहण वितरण के नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा बीज एवं उर्वरक विक्रय केन्द्रों का सतत् निरीक्षण किया जा कर बीज एवं उर्वरक के गुणवत्ता की जांच कराई जाती है।

निजी रिसॉर्ट/होटल्स में आयोजनों की जानकारी

[वित्त]

55. (क्र. 834) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक मेफेयर रिसॉर्ट, नवा रायपुर में कब-कब, किस-किस प्रकार के शासकीय आयोजन कराए गए हैं ? उक्त आयोजनों हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि का भुगतान, किन-किन फर्म्स को किया गया है ? कार्यक्रम का नाम, फर्म्स का नाम, भुगतान की गई राशि की जानकारी कार्यक्रवार/ दिनांकवार बताएं। **(ख)** शासकीय कार्यक्रमों को निजी रिसॉर्ट/होटल्स में आयोजन के संबंध में राज्य में क्या प्रावधान है ? क्या निजी रिसॉर्ट/ होटल्स में आयोजन हेतु वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य है? यदि हां, तो प्रश्नांश **(क)** अवधि में कब, किन-किन विभागों को अनुमति प्रदान की गई है और कब-कब, किन-किन आयोजनों में कितनी राशि खर्च की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) वित्त विभाग द्वारा 11 एवं 12 जुलाई, 2024 को मेफेयर रिसॉर्ट, नवा रायपुर में 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग के राज्य भ्रमण से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। इस आयोजन के व्यय संबंधी देयक 2196229/-(रूपए इक्कीस लाख छियान्वे हजार दो सौ उन्तीस) मात्र का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा किया गया है। **(ख)** शासकीय कार्यक्रमों को निजी रिसॉर्ट/होटल्स में आयोजन के संबंध में राज्य शासन के कोई निर्देश नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना से लाभांवित विद्यार्थी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

56. (क्र. 835) श्रीमती चातुरी नन्द, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य है? यह योजना कब प्रारंभ की गई? इस योजना से अधिकतम कितने विद्यार्थियों को लाभांवित किए जाने का लक्ष्य है? **(ख)** योजना प्रारंभ वर्ष से जून, 2025 तक वर्षवार कितना बजट आवंटन का प्रावधान रहा है? इस योजना के अंतर्गत विभिन्न जाति वर्गों के विद्यार्थियों के कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने विद्यार्थी पात्र पाए गए तथा कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? **(ग)** विद्यार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु क्या ऑनलाइन व्यवस्था है? क्या विद्यार्थियों के आवेदनों का स्टेट्स चेक करने की व्यवस्था है एवं चयनित सूची पब्लिक डोमेने में अपलोड की जाती है? क्या विद्यार्थियों के बैंक खाता में ऑनलाइन राशि हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छ.ग. राज्य के प्रतिभावन निम्न आय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं जैसे-IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान), AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), IIM (भारतीय प्रबंध संस्थान), NLU (भारतीय विधि संस्थान) जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तैयारियां यथा-यात्रा व्यय, कपड़े, आवास, भोजन, तात्कालिक फीस, दवाई आदि जैसे आवश्यककार्यो के लिए राशि उपलब्ध नही होने से छात्र इन उच्च संस्थानों में प्रवेश से वंचित हो जाते है। अतः ऐसे विद्यार्थियों को इन उच्च स्तरीय संस्थानों में प्रवेश का मार्ग सुगम कराने हेतु तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना 10 अगस्त, 2023 से प्रारंभ की गयी है। बजट प्रावधान अनुसार वर्ष 2025-26 में 70 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। **(ख)** वर्ष 2023 में राशि रुपये 30.00 लाख, वर्ष 2024 में राशि रुपये 30.00 लाख का बजट प्रावधान रहा। वर्ष 2023 में

अनुसूचित जनजाति के 21, अनुसूचित जाति के 05, अन्य पिछड़ा वर्ग के 09 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें अनुसूचित जनजाति में 21, अनुसूचित जाति मे 05 व अन्य पिछड़ा वर्ग में 09 पात्र व लाभान्वित हुए। वर्ष 2024 में अनुसूचित जनजाति के 49, अनुसूचित जाति के 08 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 07 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें से अनुसूचित जाति के 01 ही पात्र व लाभान्वित हुए। वर्ष 2025 में प्रवेश प्रक्रियाधीन है। **(ग)** हॉ. विद्यार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था है। विद्यार्थियों के आवेदन का स्टेटस चेक करने की व्यवस्था पोर्टल पर है, चयनित सूची पब्लिक डोमेन में अपलोड नही की जाती। विद्यार्थियों के बैंक खाता में ऑनलाईन राशि हस्तांतरित करने का प्रावधान नही है, क्योकि आवेदन मुख्यालय स्तर पर किया जाता है तथा पात्र विद्यार्थियों को संबंधित जिले के जिला अधिकारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के द्वारा चेक के माध्यम से राशि दी जाती है।

<u>प्रदेश में संचालित मिलेट मिशन</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

57. (क्र. 838) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मिलेट मिशन कब प्रारंभ हुआ? इसका उद्देश्य क्या है और इसके अंतर्गत किन-किन फसलों को शामिल किया गया है? क्या इन फसलों का समर्थन मूल्य तय किया गया है? यदि हाँ तो उन फसलों का समर्थन मूल्य कितना-कितना है? क्या इसके लिए किसानों को आदान सहायता राशि दी जाती है? यदि हाँ तो कितनी राशि प्रति एकड़ दी जाती है और कितने किसानों को कितनी राशि भुगतान की गई है और कितने किसानों का कितनी राशि कब से किया जाना शेष हैं? **(ख)** जनवरी, 2024 से 30 मई, 2025 तक कितने किसानों का पंजीयन कराया गया था व कितनी मात्रा में फसलों का उत्पादन हुआ है? उनमें से कितनी मात्रा में फसलों की सरकार द्वारा, किस दर पर खरीदी की गई है? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राज्य पोषित मिलेट मिशन का संचालन वर्ष 2022-23 से किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य प्रदेश में मिलेट्स फसलो के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आय को बढ़ाना, मिलेट्स प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन को बढ़ावा देना तथा दैनिक आहार में मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित कर कुपोषण को दुर करना हैं। मिलेट्स मिशन योजना अंतर्गत कोदो, कुटकी एवं रागी फसलों को शामिल किया गया है। जी हां, भारत सरकार द्वारा रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है तथा राज्य शासन द्वारा कोदो एवं कुटकी का उपार्जन मूल्य निर्धारित किया जाता है। फसलवार घोषित समर्थन मूल्य एवं निर्धारित उपार्जन मूल्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। मिलेट मिशन अंतर्गत किसानों को आदान सहायता राशि नहीं दी जाती, अपितु विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओ के अभिसरण से इन योजनाओं में शामिल फसल प्रदर्शन एवं बीज उत्पादन/वितरण घटको में निहित प्रावधान अनुसार मिलेट्स फसलो हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजनावार, घटकवार कृषको को देय वित्तीय सहायता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** जनवरी, 2024 से 30 मई, 2025 तक कोदो कुटकी एवं रागी फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में कुल 31644 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। खरीफ वर्ष 2024 में प्रदेश में कोदो, कुटकी एवं रागी फसलों का अनुमानित उत्पादन 25,236.03 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2024-25 में कुल उपार्जित मात्रा 27,834.90 क्विंटल हैं। उपार्जन मूल्य की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी"]

सडक, स्कूल एवं अन्य निर्माण के लंबित कार्यो की निविदा एवं प्रशासकीय स्वीकृति

[वित्त]

58. (क्र. 842) श्री दलेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या दिनांक 01 जून, 2025 से 30 जून, 2025 तक विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव में सड़क, स्कूल एवं अन्य निर्माण के लंबित कार्यो की निविदा एवं प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री को पत्राचार किया गया है? यदि हॉ तो उक्त पत्रों पर किस-किस स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी है एवं उक्त कार्य की कब तक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा जारी कर दी जावेगी ? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : माननीय विधायक जी द्वारा प्राप्त पत्रों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया है। स्थायी वित्त निर्देश 15/2025, दिनांक 14.05.2025 द्वारा बजट में शामिल नवीन मदों के प्रस्तावों पर रू. 5 करोड़ तक प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने के अधिकार प्रशासकीय विभाग को प्रदान किये गये हैं। रू. 5 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। दिनांक 07.07.2025 की स्थिति में वित्त विभाग में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के प्रशासकीय स्वीकृति का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

राजनांदगांव जिले में निर्मित किसान सुविधा केन्द्र हेतु उपकरणों की खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

59. (क्र. 843) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जून, 2025 तक राजनांदगांव जिला के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आलीवारा में किसान सुविधा केन्द्र हेतु भवन निर्माण के बाद उक्त सुविधा केन्द्र में कौन-कौन से उपकरणों की खरीदी कर ली गयी है ? यदि खरीदी नहीं की गयी है तो उसका क्या कारण है? किसान सुविधा केन्द्र के संबंध में उपसंचालक, कृषि या जिला कलेक्टर, राजनांदगांव से शासन को कब-कब पत्राचार किया गया है एवं उक्त पत्रों के तारतम्य में शासन या विभाग द्वारा कब-कब, क्या कार्यवाही की गयी है? किसान सुविधा केन्द्र में कब तक उपकरणों की व्यवस्था कर केन्द्र को प्रांरभ कर दिया जावेगा? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अलीवारा में किसान सुविधा केन्द्र नाम से भवन निर्माण नहीं कराया गया है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में फ्लाई एश डम्पिंग

[आवास एवं पर्यावरण]

60. (क्र. 846) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फ्लाई एश डम्पिंग से गड्ढे भरने का कार्य कहाँ-कहाँ हुआ है एवं कहां-कहां कार्य चल रहा है? इन कार्यों हेतु किन-किन ठेकेदारों को कार्य प्रदान किया गया है? ठेकदारों के नाम सहित कार्यवार , स्थलवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के कार्यों में परिवहन एवं डम्पिंग के दौरान फ्लाई एश के कारण होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं अथवा SOP जारी किए गए हैं? क्या वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा SOP के उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मंडल द्वारा किसी ठेकेदार को राखड की भू-भराव की अनुमति नहीं दी गई है। अपितु राखड से भू-भराव हेतु अनुमति संयंत्र को दी गई है, जिसकी **जानकारी प्रपत्र के कालम 2 अनुसार** है। **(ख)**फ्लाइ ऐश निस्तारण के लिए चलने वाले भारी वाहनों को विनियमित एवं मॉनिटर करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के आदेश दिनांक 26.06.2024 द्वारा एस.ओ.पी. तथा इसके अतिरिक्त औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (आई.डब्ल्यू.एम.एम.एस.) जारी की गई है, जो कि दिनांक 01.05.2025 से प्रभावशील है। फ्लाई ऐश से भराव हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में भराव के दौरान स्थल के चारों ओर बंड बनाने, नियमित जल छिड़काव करने, भराव उपरांत मिट्टी की परत बिछाए जाने आदि शर्ते अधिरोपित की जाती है। स्थल का समय-समय पर निरीक्षण किया जाकर शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जाता है तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक फ्लाई ऐश से हो रहे प्रदूषण संबंधित शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी"]

पंजीयन कार्यालय में पंजीकरण एवं नामांतरण की योजना से पंजीकृत प्रकरण

[वाणिज्यिक कर]

61. (क्र. 847) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या प्रदेश में अचल संपत्ति क्रय –विक्रय के प्रकरणों में पंजीकरण कार्यालय में ही पंजीकरण एवं नामांतरण एक साथ किए जाने की योजना लागू की गई है? योजना के लागू होने से जून, 2025 तक कुल कितने प्रकरणों का पंजीकरण हुआ है ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के कितने प्रकरणों में पंजीकरण कार्यालय में ही पंजीकरण एवं नामांतरण एक साथ किया गया है? कितने प्रकरणों में नामांतरण नहीं हो पाया और क्यों ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रदेश में अचल संपत्ति क्रय-विक्रय के प्रकरणों में पंजीकरण कार्यालय में ही पंजीकरण एवं नामांतरण एक साथ किए जाने की योजना लागू की गई है। योजना लागू होने से जून, 2025 तक कुल 37698 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है। **(ख)** जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी"]

बोरियाखुर्द, रायपुर अंतर्गत आवसीय योजना में निवासरत अनाधिकृत व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

62. (क्र. 854) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित बोरियाखुर्द योजना में बड़ी संख्या में अनाधिकृत रूप से लोग निवास कर रहे हैं ? यदि हां तो उनके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित बोरियाखुर्द योजना में कुल 15 फ्लैटों में अनाधिकृत रूप से लोग निवास कर रहे हैं। अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे लोगों को रायपुर विकास प्राधिकरण के ज्ञापन क्रमांक 466 / आर.सी. / रा.वि.प्रा./ 2025 रायपुर, दिनांक 30.06.2025 के द्वारा फ्लैट से संबंधित वैध दस्तावेज प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु ज्ञापन प्रेषित गया हैं। जवाब प्राप्ति उपरांत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

63. (क्र. 855) श्री मोतीलाल साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** क्या रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड से वर्ष 2023 से वर्ष 2025-26 में जून, 2025 की स्थिति तक विकास निर्माण कार्य कराये जाने हेतु राशि स्वीकृत हुई थी? यदि हां तो रायुपर ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत क्या-क्या निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन है? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार किये गये व्यय की कार्यवार स्वीकृत राशि, एजेंसीवार एवं उक्त कार्य के मूल्यांकन, सत्यापन पश्चात् राशि भुगतान की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड से वर्ष 2023 से वर्ष 2025-26 में जून, 2025 तक कुल 35 निर्माण कार्यों हेतु राशि रू. 777.62 लाख, स्वीकृत की गयी है जिसमें से 18 कार्य पूर्ण, 07 कार्य निर्माणाधीन एवं 10 कार्य निविदा स्तर पर है। अन्य प्रस्तावित 38 कार्यों का सर्वे कर प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। निर्माण कार्यों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार किये गये व्यय की कार्यवार स्वीकृत राशि एजेंसीवार एवं उक्त कार्य के मूल्याकंन, सत्यापन पश्चात राशि भुगतान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियासी"]

जिला जांजगीर-चांपा में डी.एम.एफ. मद से आदान सामग्री की खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

64. (क्र. 857) श्री ब्यास कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2024-25 से मार्च, 2025 तक की अवधि में कृषि विभाग द्वारा डी.एम.एफ. मद से क्या-क्या एवं कितनी मात्रा में आदान सामग्री की खरीदी किन-किन मूल्यों पर की गई है? उपरोक्त अवधि में जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के किन-किन हितग्राहियों को क्या-क्या आदान सामग्री वितरित की गई है? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या उपरोक्त आदान सामग्री खरीदी की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2024-25 से मार्च, 2025 तक की अवधि में कृषि (उद्यान) विभाग द्वारा डी.एम.एफ. मद से 132 नग पॉवर वीडर, 1542 नग बैटरी कम हैण्ड ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर एवं 2000 हाईब्रिड सब्जी बीज मिनीकिट की खरीदी की गई है। खरीदी गई सामग्री की दर एवं मूल्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। उपरोक्त अवधि में जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित विकासखंडो में 35 नग पॉवर वीडर, 396 नग बैटरी कम हैण्ड ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर एवं 444 हाईब्रिड सब्जी बीज मिनीकिट वितरित की गई है। वितरित सामग्री की हितग्राहीवार**जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** उपरोक्त आदान सामग्री की खरीदी पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक ।

जिला जॉजगीर-चांपा अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कार्यों की स्वीकृति

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

65. (क्र. 858) श्री ब्यास कश्यप : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए विधायक निधि के अलावा और किन-किन मदों से

कार्य स्वीेकृति प्रदान की जाती है? **(ख)** वर्ष 2024-25 में जिला जंजगीर-चांपा के किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि मद से किन-किन विधायकों की मांग पर प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य, किन-किन ग्रामों के लिए स्वीकृत किये गये हैं? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत केवल विधायक निधि से कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है। **(ख)** निरंक। टीप:-विभिन्न जनप्रतिनिधियों की मांग/अनुशंसा पर मान. प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है।

जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय में नवीन अ.पि.व. छात्रावास की योजना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

66. (क्र. 859) श्री ब्यास कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला जांजगीर-चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में अन्य पिछड़ा वर्ग बालक/बालिकाओं के लिए छात्रावास प्रारंभ करने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** जिला जांजगीर-चांपा के किन-किन स्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए छा़त्रावास संचालित है या नवीन छात्रावास प्रारंभ करने की योजना है? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जांजगीर-चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में अन्य पिछड़ा वर्ग बालक/बालिकाओं के लिए छात्रावास प्रारंभ करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गई हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नही होता।**(ख)** जिला जांजगीर-चांपा में अन्य पिछड़ा के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास संचालित नहीं है तथा वर्तमान में नवीन छात्रावास खोलने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गई हैं।

अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सीटों की वृद्धि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

67. (क्र. 865) श्री राजेश अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की संख्या कितनी है? इनमें से कितने छात्रावास अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा बालिका हेतु आरक्षित हैं? **(ख)** क्या इन छात्रावासों में छात्रों की संख्या उनकी स्वीकृत सीटों से अधिक है? यदि हाँ, तो कृपया छात्रावासवार वास्तविक निवासरत छात्रों एवं स्वीकृत सीटों की संख्या का विवरण दिया जाए? **(ग)** क्या राज्य शासन द्वारा अंबिकापुर क्षेत्र के प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सीटों की संख्या में वृद्धि हेतु कोई कार्ययोजना, बजट प्रावधान या डीपीआर (Detailed Project Report) तैयार की गई है? **(घ)** यदि हां तो किन-किन छात्रावासों में कितनी सीटों की वृद्धि की जाएगी तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित समय-सीमा क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) अम्बिकापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 31 प्री. मैट्रिक एवं 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास इस प्रकार कुल 41 छात्रावास संचालित है। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा बालिका छात्रावास की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रं.	वर्ग	बालक	कन्या	योग
1	अनुसूचित जनजाति	17	17	34
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	02	03

(ख) हाँ, विधानसभा अम्बिकापुर क्षेत्रांतर्गत संचालित 11 छात्रावासों में छात्रों की संख्या स्वीकृत सीट से अधिक है। छात्रावास वार निवासरत एवं स्वीकृत सीटों की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तासी"]

अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित कृषि उपज मंडियों की स्थिति एवं अधोसंरचना विकास

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

68. (क्र. 866) श्री राजेश अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां एवं उपमंडियां संचालित हैं? तथा इनमें से कितनों में मूलभूत सुविधाजनक व्यवस्थाएं जैसे – शेड, चबूतरा, तौल कांटा, भंडारण व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, किसानों के बैठने/विश्राम हेतु साधन व सुविधायें उपलब्ध हैं? मंडीवार विवरण सहित जानकारी देवें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत स्थित मंडियों मे धान की आवक मे निरंतर वृद्धि को देखते हुए शेड, चबूतरे की संख्या बढ़ाने व विस्तार करने हेतु क्या कार्ययोजना है जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 01 कृषि उपज मंडी मेण्ड्राकला अंबिकापुर एवं 01 उपमंडी उदयपुर संचालित है। इनमें से कृषि उपज मंडी मेण्ड्राकला अंबिकापुर में बाउण्ड्रीवाल 03 नग कव्हर्ड शेड, 04 नग इलेक्ट्रानिक तौल कांटा, कार्यालय भवन, 1500 मे.टन के 02 नग गोदाम, 1800 मे.टन के 02 नग गोदाम, वाटरहेड टैंक, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय एवं विश्राम भवन जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध है तथा उपमंडी प्रांगण उदयपुर में एक नग कव्हर्ड शेड, 04 नग इलेक्ट्रानिक तौल कांटा, किसानों के बैठने/विश्राम हेतु किसान कुटीर, शौचालय, पेयजल, 01 नग खुला चबुतरा एवं भण्डारण हेतु गोदाम की सुविधा उपलब्ध है। छ.ग. शासन कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6241 दिनांक 12.11.2021 द्वारा समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के उपार्जन हेतु प्राथमिक कृषि साख समितियां एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति (लैम्प्स) तथा उनके उप-केन्द्रों की समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमंडी प्रांगण घोषित किया गया है। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 15 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों क्रमशः (1) केदमा, (2) खम्हरिया, (3) जजगा, (4) डांडगांव, (5) सलका, (6) ललाती (सलका), (7) अमेरा, (8) जमगला, (9) नीम्हा, (10) पुहपुटरा, (11) लखनपुर, (12) केशवपुर (मेण्ड्राकला), ((13) राम रामपुर (मेण्डाकला), (14) सुखरी एवं (15) खैरबार में धान उपार्जन केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत मंडी बोर्ड द्वारा चबुतरा एवं किसानो के बैठने हेतु किसान कुटीर का निर्माण कराया गया है, सहकारी समितियां क्रमशः केदमा खैरबार, निम्हा में एक-एक नग 200 मे. टन गोदाम का निर्माण कराया गया है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत शासन द्वारा धान उपार्जन केन्द्रो को उपमंडी प्रांगण घोषित किये जाने से इन उपमंडियों में धान की आवक में निरंतर वृद्धि के दृष्टिगत आदिम जाति विकास सेवा सहकारी समिति की निधि एवं मंडी समिति निधि/मंडी बोर्ड निधि की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार शेड एवं चबूतरे की संख्या को चरणबद्ध योजना के तहत बढ़ाने एवं विस्तार करने की कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में कोई कार्य योजना नहीं है।

नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्रांतर्गत कॉलोनी निर्माण

[आवास एवं पर्यावरण]

69. (क्र. 868) श्री दीपेश साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** नवा रायपुर, अटल नगर क्षेत्रांतर्गत कितने कॉलोनाईजर/बिल्डरों द्वारा कॉलोनी निर्माण किया गया है? **(ख)** कॉलोनी निर्माण का कार्य निजी संस्था द्वारा किया गया है अथवा शासन द्वारा? **(ग)** यदि निजी संस्था द्वारा कॉलोनी निर्माण

किया गया है तो इस हेतु शासकीय भूमि का आबंटन किया गया है अथवा लीज पे लिया गया है? इसमें किस प्रक्रिया का पालन किया गया है? जानकारी देवें? **(घ)** प्रश्नांश ''ग''के प्रकाश में शासकीय भूमि के आबंटन संबंधित क्या नियम एवं शर्तें है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत 03 कॉलोनाईजर/बिल्डरों द्वारा कॉलोनी निर्माण किया गया है।**(ख)** कॉलोनी निर्माण का कार्य निजी संस्थाओं द्वारा किया गया है।**(ग)** प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि का आबंटन आबंटितियों को लीज / लायसेंस पर किया गया है। छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम 2008 के नियम 09 एवं 11 अंतर्गत निविदा पद्धति द्वारा उच्चतम निविदत दर के आधार पर आबंटन किया जाता है।**(घ)** नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा केवल प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि का आबटन किया जाता है।

जिला बालोद में संचालित भवनविहीन व अहाताविहीन छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

70. (क्र. 872) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 23 जून, 2025 की स्थिति में जिला-बालोद में संचालित कितने छात्रावास भवनविहीन एवं अहाताविहीन हैं? इनके लिए नवीन भवन व अहाता निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? बतावें? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025 में दिनांक 23 जून, 2025 तक जिला-बालोद में संचालित छात्रावासों को किन-किन मदों में कुल कितनी राशि प्रदान की गई है एवं प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन मदों में कितना-कितना किया गया है? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) दिनांक 23 जून, 2025 की स्थिति में जिला बालोद में 88 संचालित छात्रावास में से 01 भवन विहीन एवं 01 अहाता विहीन है। पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गुरुर के भवन निर्माण हेतु ऑनलाईन निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, एवं प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास रेंगाडबरी में अहाता निर्माण कार्य स्वीकृत है, जिसे ग्रामीणों द्वारा आपत्ति के कारण स्थल परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025 में दिनांक 23 जून, 2025 तक जिला-बालोद में संचालित छात्रावासों में मदवार प्राप्त राशि एवं व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठासी"]

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अधिकार पत्रों का वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

71. (क्र. 873) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वितरित सामुदायिक तथा व्यक्तिगत अधिकार पत्रों की संख्या तथा भूमि का रकबा कितना-कितना है, जिलावार बताएं? **(ख)** दोनों प्रकार के वन अधिकार पत्रों के कितने-कितने प्रकरण जिला स्तर पर विचाराधीन हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिलावार वितरित सामुदायिक तथा व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की संख्या तथा वितरित भूमि के रकबे की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** दोनों प्रकार के वन अधिकार पत्रों के जिला स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - नवासी"]

किसान समृद्धि योजना एवं राज्य पोषित शाकंभरी योजनांतर्गत पंप वितरण, नलकूप खनन एवं पंप स्थापना

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

72. (क्र. 875) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला मोहला-मानपुर -अम्बागढ़ चौकी में वर्ष 2022-23 से लेकर जून, 2025 तक किसान समृद्धि योजना एवं राज्य पोषित शाकंभरी योजनांतर्गत कितने पंप वितरण, नलकूप खनन एवं स्थापना का लक्ष्य प्राप्त हुआ? **(ख)** प्रश्न "क" अनुसार लक्ष्य के विरुद्ध कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने की पूर्ति की गयी? यदि लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति नहीं हुई तो क्यों ? पूर्ति किए गए आंकड़े वर्षवार , विकासखंडवार बताएं? **(ग)** प्रश्न "क" की अवधि में सभी पूर्ति हुए किसानों को अनुदान प्राप्त हुआ या नहीं ? यदि नहीं तो जानकारी वर्षवार, विकासखंडवार देवें? **(घ)** प्रश्न "क" की अवधि में पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कितने लाभार्थी हैं? जानकारी देवें? प्रश्नांकित जिले में कुल किसान के विरुद्ध कितने किसान लाभ नहीं ले पा रहे हैं? जानकारी देवें? यदि नहीं तो क्यों? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में वर्ष 2022-23 से जून 2025 तक किसान समृद्धि योजनान्तर्गत नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन के लक्ष्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** एवं राज्य पोषित शाकंभरी योजनान्तर्गत पंप वितरण के लक्ष्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** प्रश्न "क" अनुसार लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त आवेदन एवं देय अनुदान की वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। अल्प संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति नहीं हो पाई । **(ग)** प्रश्नांधीन अवधि में जिन कृषकों द्वारा देयक प्रस्तुत नही किया गया है, उन्हें अनुदान की राशि प्रदाय नहीं की गई है। वर्षवार, विकासखंडवार **जानकारी सलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र ब अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांधीन अवधि में पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषक एवं वंचित कृषकों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** हैं। **[संलग्न "परिशिष्ट - नब्बे"]**

मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन

[आवास एवं पर्यावरण]

73. (क्र. 876) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला मोहला-मानपुर -अम्बागढ़ चौकी में 2022-23 से लेकर मार्च, 2025 तक मुख्यमंत्री आवास के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदनों में से कितने लोगों को योजना का लाभ मिला है? यदि नहीं तो कब तक मिलेगा? जानकारी देवें? **(ख)** यदि मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, तो जिले में कितने आवास पूर्ण हैं? यदि नहीं तो अपूर्ण का क्या कारण हैं? कब तक पूर्ण होगा? जानकारी देवें? **(ग)** क्या पूर्व में मुख्यमंत्री आवास योजना की राशि में कोई कटौती की गई है? यदि हां तो राशि कटौती का क्या कारण है? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में प्रश्नाधीन अवधि मेंमुख्यमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ख)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।**(ग)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

प्रयास आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत सीट

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

74. (क्र. 878) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रत्येक प्रयास आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों के कितने स्वीकृत, भरे और रिक्त सीट हैं? स्वीकृत सीट

के मान से कितने में चालू हालत में स्मार्ट क्लास, हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर, सर्वसुविधा-युक्त प्रयोगशाला, पुस्तकालय में नवीनतम पाठ्यक्रम की किताबें और संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध हैं? कौन-कौन से खेल की सुविधा है? कितने चालू शौचालय और स्नानागार हैं? **(ख)** प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु वर्षवार किस-किस पद का कितनी संख्या में सृजन किया गया है? भर्ती नियम अनुसार किस-किस पद पर भर्ती की गई और कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कौन-कौन, कब से पदस्थ है तथा उनका मूल पद क्या है? विद्यालयवार जानकारी दें? विद्यालयों में नियमित भर्ती ना होने का क्या कारण है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ''ब''** अनुसार है। भर्ती नियम प्रक्रियाधीन है। किसी पद पर भर्ती नही की गई है। रिक्त पदों पद पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण **संलग्न प्रपत्र-''स''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इनक्यानबे"]

प्रदेश में पेंशनधारी एवं कुटुम्ब पेंशनधारी शासकीय सेवकों की संख्या

[वित्त]

75. (क्र. 881) श्री किरण देव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति में सेवानिवृत्ति पेंशनधारी एवं कुटुम्ब पेंशनधारी शासकीय सेवकों की संख्या कितनी है ? **(ख)** क्या प्रश्नांश 'क' के पेंशनधारियों को देय मंहगाई भत्ता की स्वीकृति में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की पास्परिक सहमति मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 (6) के तहत अनिवार्य है ? क्या उक्त धारा के लागू रहने से प्रति वर्ष दो हजार करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ रहा है ? **(ग)** क्या धारा 49 (6) समाप्त करने का प्रस्ताव शासन के समक्ष लंबित है ? यदि हां तो अब तक उक्त संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कब तक समाप्त कर दिया जावेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रदेश में 31 मार्च 2025 की स्थिति में सेवानिवृत्ति पेंशनधारी 86508 एवं परिवार पेंशनधारी की संख्या 57067 है।**(ख) (ग)** केन्द्रीय शासन द्वारा अधिनियमित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 (6) अनुसार मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य प्रभाजन का प्रावधान है। चूंकि दोनों राज्यों के मध्य दायित्वों का प्रभाजन होता है, अतः नवीन दायित्वों के सृजन पर दोनों राज्यों की आपसी सहमति आवश्यक है। इस प्रकार पेंशनधारियों को देय महंगाई राहत की स्वीकृति पर दोनों राज्यों की पास्परिक सहमति प्राप्त की जाती है। धारा 49 (6) के लागू रहने से सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार पड़ता है, यह कहा जाना उचित नहीं है, क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही होती है। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 केन्द्र शासन द्वारा अधिनियमित है जिसमें संशोधन की कार्यवाही केन्द्र शासन द्वारा ही की जा सकती है।

जांजगीर -चांपा व सक्ती जिले को आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त आबंटन से क्रय सामग्री

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

76. (क्र. 883) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23 से जून, 2025 तक जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले को आदिम जाति कल्याण विभाग से किस-किस मद से कितना-कितना आबंटन प्राप्त हुआ है ? प्राप्त आबंटन से कौन-कौन सी सामग्री, किन-किन दरों पर, किन-किन फर्मों से किस आधार पर क्रय की गई ? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार क्रय की गई सामग्रियों को किन-किन छात्राओं/आश्रमों में कितनी-कितनी मात्रा में वितरण किया गया ? वर्ष एवं आश्रमवार वितरित सामग्रियों का विवरण देवें ? **(ग)** प्रश्नांक "क" अवधि में जिले में स्थित आश्रमों/छात्रावास के रखरखाव

एवं मरम्मत आदि के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा इस राशि से क्या-क्या कार्य संपादित किये गए ? कार्यवार एवं वर्षवार विवरण देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 से जून 2025 तक जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिले को विभाग द्वारा प्रदाय आबंटन की मदवार एवंजिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखें **प्रपत्र-''अ''** अनुसार है। प्राप्त आबंटन से क्रय की गई सामग्री, दर एवं फर्म की जानकारी **पुस्तकालय** में रखें **प्रपत्र-''ब''** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार क्रय की गई सामग्रियों की वितरण की वर्षवार एवं संस्थावार जानकारी **पुस्तकालय** में रखें **प्रपत्र-''स''** अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांक ''क'' में उल्लेखित अवधि मेंजिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती में स्थित आश्रमों/छात्रावास के रख रखाव एवं मरम्मत आदि के लिये स्वीकृत राशि एवं किये गये कार्य की वर्षवार, जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखें **प्रपत्र-''द''** अनुसार है।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 885) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

परिशिष्ट– क

(अ) एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा लिपिक वर्गीय सेवा तथा शैक्षणिक सेवा के कर्मचारियों के बीच से सहायक साख्यिकी अधिकारी,, योजना अनुसंधान सहायक तथा मण्डल संयोजक के पदों पर नियुक्ति करने के लिए योजना।

1. **शीर्षक.**– यह योजना अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा और शैक्षणिक सेवा के कर्मचारियों के बीच से चयन द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी,, योजना, अनुसंधान सहायक और मण्डल संयोजक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिकल्पित है।

2. **पात्रता**–(1) सहायक सांख्यिकी अधिकारी तथा योजना अनुसंधान सहायक के पद के लिए लिपिक वर्गीय सेवा में केवल ऐसे सदस्य इस योजना में भाग ले सकते हैं, जो निम्नलिखित अर्हता रखते हों, अर्थात्–

(एक) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की लिपिक वर्गीय सेवा में कम से कम पिछले पांच वर्ष से लगातार कार्य कर रहा हो।

(दो) ऐसा कर्मचारी,, जो अनुसूची– तीन में यथा उल्लेखित सहायक ग्रेड–1 के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु विहित शैक्षणिक अर्हता पूरी करता हो, अर्थात् उसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/वाणिज्य/गणित/सांख्यिकी/सामाजिक या सांस्कृतिक मानव विज्ञान/समाज शास्त्र/व्यवहारिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर या समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

(तीन) उसकी आयु उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें चयन किया जाना है 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 55 वर्ष होगी ।

(चार) अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं होनी चाहिए या उसे परीक्षा के वर्ष की कालावधि के दौरान दंडित नही किया जाना चाहिये।

(पॉच) किसी भी लिपिक वर्गीय को इस योजना के अधीन ली गई परीक्षा में तीन बार से अधिक सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) लिपिक वर्गीय सेवा और शैक्षणिक सेवा के केवल ऐसे सदस्य, मण्डल संयोजक के पद के लिए परीक्षा में भाग ले सकेंगे जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों:–

(1) जो अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में लिपिक वर्गीय सेवा या शैक्षणिक सेवा में कम से कम गत विगत पांच वर्ष से सेवारत हों।

(2) जो अनुसूची– तीन में यथा उल्लिखित मण्डल संयोजक के पद हेतु भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों।

(3) उसकी आयु उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें चयन किया जाना है 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 55 वर्ष होगी ।

(4) उस अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच नहीं होना चाहिए।

(5) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तीन बार से अधिक सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. **चयन–नियुक्ति के लिए चयन** –(एक) इस योजना के अधीन होने वाली परीक्षा में सफल अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों, और

(दो) संबंधित अभ्यर्थी का पिछले पांच वर्षों की चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

4. **परीक्षा**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष ऐसें अन्तरालों ऐसी तारीखों तथा स्थानों पर लिखित परीक्षा ली जाएगी जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाये।

(2) लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे जिससे से प्रत्येक 100 अंक का होगा तथा 3 घंटे की अवधि का होगा। परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक से कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) प्रश्न पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किए जायेंगे और उसमें निम्नलिखित विषय समाविष्ट होंगे–

प्रश्न पत्र – (1)सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी,, सामान्य अंग्रेजी और अंक गणित।

द्वितीय पत्र– **(एक)** शासकीय सेवा के सामान्य नियम।

(दो) विभाग में प्रचलित शब्दावलियों का ज्ञान।

विभागीय स्कीमों के संबंध में निबंध लेखन। विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में अधिनियमों, नियमों, उप नियमों, मैन्यूअल आदि पर टिप्पणी।

(4) प्रश्न पत्र के लिए पाठ्यक्रम समय–समय पर अवधारित किया जायेगा।

(5) परीक्षा में प्रवेश के लिए केवल वहीं कर्मचारी पात्र होगें, जो उपरोक्त पैरा में वर्णित अर्हताएं पूरी करते हो। परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र, परीक्षा के लिए विहित तारीख से कम से कम एक माह पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे। परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र पाए गए आवेदकों को परीक्षा की तारीख, स्थान आदि के बारे में सूचित किया जाएगा।

(6) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(7) ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने प्रत्येक पत्र में पृथक–पृथक 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, की सूची तैयार की जायेगी।

(5) चरित्रावलियों का मूल्यांकन और चयन की अंतिम सूची– (एक) ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम पैरा 4 (सात) के अधीन तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित हैं, पिछले पांच वर्षों की चरित्रावलियों का मूल्यांकन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा।

(दो) अंतिम चयन सूची,, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों तथा चरित्रावलियों के मूल्यांकन के आधार पर तैयार की जायेगी। नियुक्तियां इस प्रयोजन के लिए आरक्षित पदों के कोटे के विरूद्ध सूची में आए, नाम के क्रम में की जाएगी।

(6) परिवीक्षा– इस योजना के अधीन नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को दो वर्ष कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान पद के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे अपने पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

अनुसूची – तीन

(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग				
एक. शिक्षा / प्रशिक्षण				
1.	सहायक ग्रंथपाल	20	30 (स्थानीय निवासियों के लिए 35)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा / डिग्री
दो. कार्यपालिक				
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	21	–"–	अर्थशास्त्र / वाणिज्य / सांख्यिकी / गणित में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समकक्ष
2.	योजना अनुसंधान सहायक	21.	–"–	अर्थशास्त्र / वाणिज्य / गणित / सांख्यिकी / सामाजिक या सांस्कृतिक मानव विज्ञान / समाज शास्त्र / अप्लाइड फिजियोलॉजी में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री ।
3.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	21	–"–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष अर्हता और पत्रकारिता में डिप्लोमा / डिग्री।
4.	उपयंत्री	20	–"–	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
5.	सर्वेयर	20	–"–	आई टी आई प्रशिक्षण साथ ही छः माह का संयंत्र प्रशिक्षण।
6.	संग्रहालय सहायक	21	–"–	स्नातक या उसके समकक्ष साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से संग्रहालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।
7.	सहायक मानचित्रकार	20	–"–	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रमाण पत्र या हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण और मानत्रिकार) पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र।
8.	अनुरेखक	20	–"–	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रमाण पत्र या हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण और मानत्रिकार पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र।
9.	मण्डल संयोजक	21	30 (स्थानीय निवासियों के लिए 35)	स्नातक या उनके समकक्ष के उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास मानव विज्ञान / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री / शिक्षा में स्नातक डिग्री हो। अधिमान से अभिप्रेत है यदि लिखित परीक्षा / साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होते है तो जिन अभ्यर्थियों के पास मानव विज्ञान / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर / शिक्षा में स्नातक डिग्री हो उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी । उपरोक्त अर्हता के साथ समान अंकों के मामेले में, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी ।

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 31, शक 1940

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 22 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-29/2008/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अधीनस्थ सेवा (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. अनुसूची – दो के सरल कमांक 11 के कॉलम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"पदोन्नति कोटा:– 15% पदों को, लिपिक वर्गीय संवर्ग (सहायक ग्रेड–दो एवं सहायक ग्रेड–तीन) से भरा जायेगा एवं 25% को, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरा जायेगा।"

2. अनुसूची–तीन के सरल कमांक 9 के कॉलम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"मानव विज्ञान / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान में स्नातक या समकक्ष उपाधि। मानवविज्ञान / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि

या समकक्ष उपाधि धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। प्राथमिकता से अभिप्रेत है लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में मानव विज्ञान/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उपर्युक्त अर्हता के साथ समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, अभ्यर्थी जिसका जन्म पहले हुआ हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।"

3. अनुसूची–चार के सरल कमांक 7 के कॉलम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 'द' जो अनुसूची तीन में मंडल संयोजक के लिए विहित अर्हता रखते हो।"

4. अनुसूची–चार के सरल कमांक 7 के कॉलम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

1. अपर संचालक, आदिम जाति तथा अनु0जा0विकास–अध्यक्ष,
2. उपायुक्त (स्थापना–2/3),– आदिम जाति तथा अनु0जा0विकास –सदस्य,
3. उपायुक्त (स्थापना–5),– आदिम जाति तथा अनु0जा0विकास –सदस्य,
4. उप संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान–सदस्य,

No. F 1-29/2008/25-1. — In exericse of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development Department Sub-ordinate(Class-III-Non-Ministerial) Recruitment Rules, 2011, namely:-

AMENDMENT

In the said rules;

1. For Column (6) of serial number 11 of Schedule-II, the following shall be substituted, namely:-

"Promotion Quota:- 15% seats shall be filled out of Clerical Cadre (Assistant Grade-II and Assistant Grade-III and 25% shall be filled out of Hostel Superintend Grade- "D" through Department Examination."

2. For Column (5) of serial number 9 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely:-

"Graduate or equivalent degree in Anthropology/Sociology/Psychology Candidates holding Post Graduate or equivalent degree in Anthropology/Sociology/Psychology/Social Welfare shall be given perference. Preference means in case of the scores securing in Written Examination/Interview are same, candidates holding Post Graduate or equivalent degree in Anthropology/Sociology/Psychology/Social Welfare shall be preferred. In the

event of candidate's Securing equal scores with qualification as above candidates born earlier shall be preferred."

3 For Column (2) of serial number 7 of Schedule-VI, the following shall be substituted, namely:-

"Hostel Superintend Grade "D" who are eligible for Circle Orgainizers prescribed in Schedule-III."

4. For Column (5) of serial number 7 of Schedule-VI, the following shall be substituted, namely:-

"1. Additional Director, Tribal and Scheduled Caste Development- Chairman.

2. Deputy Commissioner (Estabilshment 2/3) Tribal and Scheduled Caste Development- Member.

3. Deputy Commissioner (Establishment 5) Tribal and Scheduled Caste Development- Member.

4. Joint Director, Tribal and Scheduled Caste Development- Member."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.एम. भिंज, संयुक्त सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर

प्रपत्र "ब"

मान0 विधानसभा सदस्य की प्रश्नांश "घ" की जानकारी

क्र.	जिला	वर्तमान में हो रहे युक्तियुक्तकरण के संबध में प्रभारी मण्डल संयोजक को बाहर रखने की जानकारी	
		हॉ	नहीं
1	2	3	4
1	बस्तर	हॉ	–
2	कोण्डागांव	–	नहीं
3	दंतेवाड़ा	हॉ	–
4	सुकमा	–	नहीं
5	बीजापुर	–	नहीं
6	नारायणपुर	–	नहीं
7	कांकेर	–	नहीं
8	गरियाबंद	–	नहीं
9	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	–	नहीं
10	सरगुजा	हॉ	–
11	सूरजपुर	हॉ	–
12	बलरामपुर	हॉ	–
13	जशपुर	–	नहीं
14	कोरिया	–	नहीं
15	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	हॉ	–

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर

परिशिष्ट - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 499) की जानकारी

प्रपत्र–अ

जिलावार डीएपी उर्वरक का लक्ष्य एवं भंडारण की जानकारी

इकाई मे.टन

क.	जिला का नाम	डीएपी			
		लक्ष्य	पूर्व स्कंध (01.04.2025)	भंडारण (नवीन आवक)	कुल भंडारण (30.06.2025)
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	19700	2525	8635	11160
2	गरियाबंद	9300	623	3313	3936
3	बलौदाबाजार	17200	2436	5559	7994
4	महासमुंद	22200	3280	4190	7470
5	धमतरी	15600	1791	5394	7184
	योग रायपुर संभाग	**84000**	**10654**	**27090**	**37745**
6	दुर्ग	15800	1837	6083	7920
7	बालोद	11300	836	4410	5247
8	बेमेतरा	22400	2823	7015	9838
9	राजनांदगांव	13600	610	4197	4807
10	खैरागढ़	9400	944	3825	4769
11	मानपुर–मोहला	3500	128	1452	1580
12	कर्वधा	13200	1482	4912	6394
	योग दुर्ग संभाग	**89200**	**8661**	**31893**	**40555**
13	बिलासपुर	13400	2260	6551	8811
14	गौरेला पेण्ड्रा	1700	166	734	900
15	मुंगेली	6500	773	2258	3031
16	जांजगीर चांपा	10400	1307	4150	5457
17	सक्ती	8200	714	3217	3932
18	कोरबा	3700	603	1720	2323
19	रायगढ	11000	731	5434	6165
20	सारांगढ़	8700	921	3645	4565
	योग बिलासपुर संभाग	**63600**	**7475**	**27708**	**35184**
21	सरगुजा	8300	1406	1569	2975
22	सूरजपुर	7100	1540	968	2508
23	बलरामपुर	9200	1560	1901	3461
24	कोरिया	3600	576	429	1005
25	मनेन्द्रगढ़	1900	787	144	931
26	जशपुर	7000	1464	1623	3088
	योग सरगुजा संभाग	**37100**	**7333**	**6634**	**13968**
27	जगदलपुर	11100	2692	5071	7764
28	कोंडागांव	10600	1881	5201	7082
29	कांकेर	11000	1538	3134	4672
30	दंतेवाडा	0	0	0	0
31	सुकमा	1200	362	295	657
32	बीजापुर	1400	104	622	726
33	नारायणपुर	800	44	505	549
	योग बस्तर संभाग	**36100**	**6621**	**14828**	**21450**
	महायोग	**310000**	**40746**	**108155**	**148900**

* दंतेवाड़ा जिला– जैविक जिला घोषित होने के कारण रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य जारी नहीं किया जाता है।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
16:34:35

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

भारत सरकारउर्वरक एवं रसायन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी सप्लाई प्लान एवं आपूर्ति
खरीफ 2025

इकाई मे.टन

क्र.	डीएपी							
	सप्लाई प्लान				आपूर्ति			
	अप्रैल	मई	जून	योग	अप्रैल	मई	जून (30.06.25)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग	83000	79050	57050	219100	18303	44247	45604	108155

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
16:37:10

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 844) की जानकारी

प्रपत्र

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ रायपुर
Directorate of Town & Country Planning, Chhattisgarh Raipur

स्थानीय
आर.डी.ए. बिल्डिंग, शास्त्री चौक,
रायपुर - 492 001
फोन - 0771-4284500, 4066812
फैक्स - 0771-4284514,
mail: cg_townplan@hotmail.com

HEAD OFFICE :
R.D.A. Building, Shastri Chowk,
Raipur - 492 001
Tel : 0771 - 4284500, 4066812
Fax: 0771 - 4284514
Email : cg_townplan@hotmail.com

कमांक / 3067 (9 फ्र) / टीसीआर-2 / नग्रानि. / 2010 रायपुर, दिनांक / 04 / 2010

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहा. संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय रायपुर (छ0ग0)।

विषय :- अभिन्यास में पहुंच मार्ग के संबंध में।

छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16/30 के तहत् विकास अनुज्ञा प्रदान करने के प्रकरणों में यह पाया गया है कि कालोनाईजर द्वारा अन्य निजी भू-स्वामी की भूमि पर पहुंच मार्ग प्रस्तावित कर विकास अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई। बाद में वह भूमि अन्य कालोनाईजर ने क्रय कर ली तथा मौके पर मार्ग उपलब्ध ही नहीं रहा तथा संबंधित कोलोनी में आवास क्रय करने वाले व्यक्तियों के एवं भूमि स्वामी के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। ऐसे मामलों में अभिन्यास स्वीकृत करने वाले संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ जाती है।

2/- अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित कालोनी के लिए सार्वजनिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने की दशा में कालोनाईजर द्वारा यदि अन्य मार्ग प्रस्तावित किया जाता है तो वह आवेदनकर्ता, कालोनाईजर या डेव्लेपर के स्वामित्व की भूमि पर ही होना चाहिए। प्रस्तावित पहुंच मार्ग को किसी अनुबंध के आधार पर अन्य की भूमि पर मान्य नहीं किया जावे।

3/– अतः भविष्य में अभिन्यास का अनुमोदन करते समय पहुंच मार्ग की भूमि के स्वामित्व का परीक्षण ठीक तरह से करने के उपरांत मार्ग की उपयुक्तता बाबत् संतुष्टि कर लेने पर ही विकास अनुज्ञा जारी की जावे /अभिन्यास स्वीकृत किया जावे।

(एम0के0 त्यागी)
संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
रायपुर (छ0ग0)।
29/04/10

पृ0कमांक/ 908 /टीसीआर–2/नग्रानि./2010 रायपुर, दिनांक 29/04/2010

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
रायपुर (छ0ग0)।
29/04/10

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 549) की जानकारी

प्रपत्र-अ

धमतरी नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा विगत वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक स्वीकृत किए गए भवन अनुज्ञा

वर्ष	निवेश क्षेत्र	ग्राम	उपयोग	प्रकरणोकीसंख्या
2022	धमतरी	सम्बलपुर	वाणिज्यिक	1
2024	धमतरी	बंजारी	औद्योगिक	1
2024	भखारा	सिहाद	आवासीय कॉलोनी (अटल विहार)	1(189 भवन)
2024	आमदी	खरतुली	आवासीयकॉलोनी (अटलविहार)	1(189 भवन)

बालोद नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा विगत वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक स्वीकृत किए गए भवन अनुज्ञा

वर्ष	निवेश क्षेत्र	ग्राम	उपयोग	प्रकरणो की संख्या
2021	-	-	वाणिज्यिक	-
2022	अर्जुन्दा	अर्जुन्दा टिकरी	औद्योगिक	01
2023	-	-	आवासीय	-
2024	-	-	मिश्रित	-

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-ब

नियमितिकरण भवनो की प्रकरणवार जानकारी

क्षेत्रीय कार्यालय धमतरी

क्र	प्रकरण क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	भूमि उपयोग	अधिरोपित राशि	जमा राशि
1	2	3	4	5	6
1	01/ गैर आवासीय	दुर्लभ देवांगन पिता हरी दवांगन, निवासी गाडाडीह	गैर आवासीय	61180	66180
2	02/गैर आवासीय	रौनक वाधवानी पिता सुनील वाधवानी निवासी , अमलतासपुरम धमतरी	गैर आवासीय	85089	85089
3	03/आवासीय	सुनीता नेताम पति भागवत नेताम निवासी गौरीनगर धमतरी	आवासीय	50776	50776
4	04/आवासीय	चन्द्रहास सेन पिता श्री भुनेश्वर सिंह सेन, निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	46472	46472
5	05/आवासीय	बल्दू राम साहू पिता स्व. श्री प्रेमलाल साहू , निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	84252	84252
6	06/आवासीय	शैल धुरव पति चेमन लाल धुरव, निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	78788	78788
7	07/आवासीय	श्रीमति माद्री वर्मा पति तुलसी वर्मा, निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	93445	93445
8	08/आवासीय	कार्तिक राम पिता स्व. छेदू राम निवासी शारदा नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	23959	23959
9	09/आवासीय	संगीता सिंह पति श्री धरम सिंह निवासी शारदा नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	32279	32279
10	10/आवासीय	महेन्द्र कुमार पिता श्री संतोष कुमार, निवासी शारदा नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	31211	31211
11	11/आवासीय	रोहित कुमार साहू पिता लतेलू राम साहू निवासी धमतरी	आवासीय	115676	115676
12	12/आवासीय	तेजराम नागवंशी पिता रूपराय नागवंशी निवासी गौरीनगर रूद्री	आवासीय	34282	34282
13	13/आवासीय	नवीन कुमार मेश्राम पिता श्री श्रवण कुमार मेश्राम निवासी रूद्री	आवासीय	82426	82426
14	14/ आवासीय	श्रीमति रूबी मरकाम पति श्री दिलेश मरकाम निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	53814	53814
15	15/ आवासीय	श्री भरत सिंग धुव पिता निहाल सिंग धुव निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	48773	48773
16	16/आवासीय	आरती नाग, पूजा नाग पिता श्री पवन कुमार नाग निवासी रूद्री	आवासीय	38550	38550
17	17/आवासीय	श्री योगेश कुमार साहू निवासी रूद्री धमतरी	आवासीय	77579	77579
18	18/आवासीय	श्री किशोर कुमार गुप्ता पिता श्री गुलाल राय गुप्ता , निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	9836	9836
19	19/आवासीय	श्रीमति प्राची गुप्ता पति स्व. श्री सौरभ गुप्ता , निवासी श्री नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	7541	7541
20	21/गैर आवासीय	श्री रजत चंद्राकर पिता बाबूलाल चंद्राकर निवासी चर्रा कुरूद	गैर आवासीय	467558	467558
21	22/गैरआवासीय	परमानंद सिन्हा पिता श्री भवन सिन्हा निवासी	गैर आवासीय	1127992	1127992

		अनुराग धमतरी			
22	23/आवासीय	मनीष कुमार साहू पिता झुम्मन लाल साहू निवासी रुद्री	आवासीय	35033	35033
23	24/आवासीय	सुनील कुमार सिन्हा पिता यशवंत कुमार सिन्हा , निवासी गौरी नगर	आवासीय	35250	35250
24	25/आवासीय	श्रीमति मोहनी ठाकुर पति श्री ज्ञान सिंह ठाकुर निवासी करेठा धमतरी	आवासीय	46419	46419
25	26/आवासीय	द्वारिका प्रसाद शर्मा पिता टीकम प्रसाद शर्मा निवासी सम्बलपुर धमतरी	आवासीय	193918	193918
26	27/आवासीय	श्रीमति ज्योति बैरागी पति चुरामन दास निवासी शारदा नगर रुद्री धमतरी	आवासीय	10492	10492
27	28/आवासीय	श्री उमेश कुमार यादव पिता श्री चैमराम यादव निवासी श्री नगर कालोनी रुद्री धमतरी	आवासीय	8065	8065
28	29/आवासीय	श्री अमन कुमार सेंडे निवासी श्री नगर रुद्री रोड धमतरी	आवासीय	8197	8197
29	30/आवासीय	श्रीमति बीना देवांगन पति श्री योगेश्वर देवांगंन निवासी रुद्री धमतरी	आवासीय	46464	46464
30	31/आवासीय	लेखा बाई सेन पति स्व. श्री भीम सेन निवासी शारदा नगर टॉवर गली रुद्री धमतरी	आवासीय	33555	33555
31	32/आवासीय	श्री यशपाल साहू पिता पुरानिक राम साहू निवासी गौरी नगर रुद्री धमतरी	आवासीय	39842	39842
32	34/आवासीय	संतु राम सलाम पिता स्व. लग्नू राम सलाम निवासी गौरी नगर रुद्री धमतरी	आवासीय	33536	33536
33	35/आवासीय	बल्दाउ कुमार साहू पिता महेश कुमार साहू निवासी गौरी नगर रुद्री धमतरी	आवासीय	54640	54640
34	36/ आवासीय	श्री जीवनलाल साहू पिता श्री कोमल सिंह साहू निवासी श्री कृष्णा नगर रुद्री धमतरी	आवासीय	48842	48842
35	3 8 / गैर आवासीय (व्यवसायिक)	श्री तुलसीराम साहू पिता श्री रायसिंग साहू निवासी धमतरी	गैर आवासीय	78995	78995
36	39/ आवासीय	ईश्वरी बाई पति धनेन्द्र कुमार निवासी दानीटोला वार्ड धमतरी	आवासीय	-	निःशुल्क
37	4 0 / गैर आवासीय (चिकित्सालय)	श्री संदीप पटोदा पिता के.एल. पटोदा निवासी स्वामी विवेकानंद वार्ड धमतरी	गैर-आवासीय	1801755	1801755
38	42/ आवासीय	कांशीराम सोनकर पिता बिसौहाराम सोनकर निवासी पोस्ट ऑफिस वार्ड धमतरी	आवासीय	12423	12423
39	4 4 / गैर अवासीय (व्यवसायिक)	श्रीमति कांता गांधी पिता स्व. लीलाधर गांधी निवासी रिसाईपारा वार्ड धमतरी	गैर- आवासीय	218414	218414
40	45/ आवासीय	श्रीमति मानिक बाई यादव पिता राम कुमार यादव निवासी बांसपारा वार्ड धमतरी	आवासीय	-	निःशुल्क
41	46/आवासीय	माधवी ठाकुर पिता स्व. रामदेव ठाकुर निवासी रिसाईपारा पश्चिम वार्ड धमतरी	आवासीय	-	निःशुल्क
42	47/आवासीय	कुमारी बाई साहू पिता जयराम साहू निवासी महात्मागांधी वार्ड धमतरी	आवासीय	-	निःशुल्क
43	4 8 / गैर आवासीय (व्यवसायिक)	श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल पिता रतनलाल निवासी लालबगीचा वार्ड धमतरी	गैर-आवासीय	717521	717521
44	49/ आवासीय	श्रमति संगीता केशवानी पिता मनोहरलाल निवासी	आवासीय	29041	29041

		स्वामी विवेकानंदवार्ड धमतरी			
45	51/आवासीय	श्री भगवती चरण साहू पिता खिलेश्वर साहू निवासी सोरिद वार्ड धमतरी	आवासीय	20588	20588
46	52/ आवासीय	श्रीमति प्रतिभा साहू पिता विष्णु साहू निवासी महात्मागांधी वार्ड धमतरी	आवासीय	-	निःशुल्क
47	54/आवासीय	श्री रामकुमार गुप्ता पिता गणेशराम गुप्ता निवासी सोरिद वार्ड धमतरी	आवासीय	-	निःशुल्क
48	55/ आवासीय	श्रीमति तरूण साहू पति सुखचैन साहू निवासी शारदा नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	54421	54421
49	56/आवासीय	श्रीमति शशि गुहा पति श्री बन्शी लाल गुहा निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	32287	32287
50	57/ आवासीय	श्रीमति रेखा साहू पति श्री राघवेन्द्र साहू निवासी श्री नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	24407	24407
51	58/ आवासीय	श्री अजीतराम कंवर पिता स्व. श्री पलटूराम कंवर निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	36831	36831
52	59/ आवासीय	श्रीमति कादम्बनी साहू पति श्री सेवक राम साहू निवासी पोस्ट आफिस रूद्री धमतरी	आवासीय	28405	28405
53	60/ आवासीय	श्रीमति कामती बाई चंदेल एवं स्व. श्री ईश्वरी प्रसाद चंदले निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	52987	52987
54	61/ आवासीय	श्रीमति ममता चंदाकर पति श्री श्रवण चंदाकर निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	30512	30512
55	62/ आवासीय	श्रीमति तुलेश्वरी सिन्हा पति आनंदराम सिन्हा निवासी सत्संग टावर क पीछे श्री नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	44126	44126
56	63/ आवासीय	श्री हीरालाल साहू पिता फणीन्द्र कुमार साहू निवासी महिमासागर वार्ड धमतरी	आवासीय	42262	42262
57	6 4 / गैर आवासीय (व्यवसायिक)	श्री केतन दोशी पिता श्री विपीन दोशी निवासी धमतरी	गैर-आवासीय	660679	660679
58	68/ आवासीय	श्री टंकेश्वर प्रसाद साहू पिता सियाराम साहू निवासी रूद्री जिला धमतरी	आवासीय	48963	48963
59	69/आवासीय	श्री अभय राम बर्मन पिता रामधन वर्मा निवासी जलविहार कालोनी गली नं. 7 करेठा खार धमतरी	आवासीय	28562	28562
60	70/ आवासीय	श्री महेन्द्र कूमार साहू पिता श्री तिलकराम साहू निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	36425	36425
61	72/ आवासीय	श्री मुकेश कुमार यादव पिता श्री यादोराम यादव निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	36672	36672
62	73/आवासीय	श्री दशरथ सिंह पिता श्री बोधीराम सिह निवासी दुलारी नगर करेठा धमतरी	आवासीय	निःशुल्क	निःशुल्क
63	74/ आवासीय	श्रीमति ममता गोस्वामी पति मनीष गिरी गोस्वामी निवासी गौरीनगर रूद्री धमतरी	आवासीय	28065	28065
64	75/ आवासीय	श्री जनक कुमार सिन्हा पिता अमर सिंग सिन्हा निवासी ग्राम पोटियाडीह धमतरी	आवासीय	122427	122427
65	7 6 / गैर आवासीय (व्यवसायिक)	श्रीमति कमला बाई साहू पति स्व. रामभरोसा साहू निवासी संजय नगर कुरूद	गैर-आवासीय	732966	732966
66	78/ आवासीय	श्री प्रदीप गांधी पिता सरदार मल जी गंधी निवासी श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड धमतरी	आवासीय	15656	15656
67				-	

	79/ आवासीय	श्री लक्ष्मीनारायण पटेल पिता श्री रामनाथ पटेल निवासी जालमपुर वार्ड धमतरी	आवासीय		निःशुल्क
68	80/ आवासीय	अनुराग मसीह पिता हेराल्ड मसीह निवासी, कोठारी पार्क के बाजू मेन रोड धमतरी	आवासीय	39839	39839
69	81/ आवासीय	श्रीमति रेचल लाल पति श्री अभय कुमार लाल निवासी डिपोपारा सोरिदभाठ धमतरी	आवासीय	41634	41634
70	82/ आवासीय	श्रीमति मंजू साहू पति फागूराम साहू निवासी सदर दक्षिण वार्ड धमतरी	आवासीय	11685	11685
71	8 3 / गैर आवासीय (व्यवसायिक)	श्री विजय देवांगन पिता श्री जगतराम देवांगन निवासी धमतरी	गैर-आवासीय	185228	185228
72	8 4 / आवासीय सह व्यवसायिक (गैर आवासीय)	श्रीमति आशा देवांगन पति चंद्रशेखर देवांगन निवासी कलेक्ट्रेट के बाजू धमतरी	आवासीय सह व्यवसायिक (गैर आवासीय)	112607	112607
73	86/ आवासीय	श्रीमति यशोदा बाई पति स्व. भरत नेताम निवासी जालमपुर वार्ड धमतरी	आवासीय	39263	39263
74	87/ आवासीय	श्री भीखम प्रसाद सिन्हा पिता स्व. श्री अमरसिंग सिन्हा निवासी बठेना वार्ड धमतरी	आवासीय	21221	21221
75	91/ आवासीय	श्री मनीष कुमार मसीह पिता स्व. श्री जेराल्ड मसीह निवासी सोरिद नगर धमतरी	आवासीय	44368	44368
76	95/आवासीय	श्रीमति निहारिका ध्रुवा पति चन्द्रशेखर ध्रुवा निवासी गली नं. 07 जलविहार रूद्री धमतरी	आवासीय	137932	137932
77	96/आवासीय	श्री प्रेमलता ध्रुव पति एस.एन, ध्रुव निवासी जलविहार कॉलोनी रूद्री धमतरी	आवासीय	124978	124978
78	99/आवासीय	श्री पालूराम गंगबेर पिता स्व. श्री हिरामन सिंह निवासी शारदा नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	22579	22579
79	102/आवासीय	श्री पदमानभ प्रकाश पिता श्री शिवप्रसाद सम्भाकर निवासी शारदा नगर वार्ड रूद्री धमतरी	आवासीय	89937	89937
80	1 0 3 / गैर आवासीय (औद्योगिक गोदाम)	श्री दिनेश कुमार राठी पिता स्व. कन्हैया लाल राठी निवासी गुजराती कालोनी धमतरी	गैर आवासीय	268150	268150
81	106 / गैर आवासीय (औद्योगिक गोदाम)	श्री दिनेश कुमार राठी पिता स्व. कन्हैया लाल राठी निवासी गुजराती कालोनी धमतरी	गैर आवासीय	383867	383867
82	108/आवासीय	श्रीमति सोमलता साहू पिता कोमल सिंह साहू निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	9017	9017
83	109/आवासीय	श्रीमति अरूणा बाई साहू पति घनश्याम साहू निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	36084	36084
84	113/आवासीय	श्री जगनूराम साहू पिता हिरासिंग साहू निवासी रूद्री धमतरी	आवासीय	25443	25443
85	114/आवासीय	श्री गोपेश्वर साहू पिता डोमार सिंह निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	43142	43142
86	115/आवासीय	श्री दिलीप कुमार साहू पति कुलेश्वर साहू निवासी धमतरी	आवासीय	8853	8853
87	116/आवासीय	श्रीमति संतोषी साहू पति गौतम साहू निवासी गौरी नगर रूद्री धमतरी	आवासीय	40730	40730
88	117/ आवासीय	श्रीमति कांती साहू पति श्री होरीलाल साहू निवासी सेहराडबरी	आवासीय	66513	66513

89	122 / गैर आवासीय (व्यवसायिक)	श्री मार्तण्ड सिंह लालवानी पिता श्यामलाल निवासी विवेकानन्द धमतरी	गैर- आवासीय	207815	207815
90	124 / गैर आवासीय (व्यवसायिक)	श्री मनोज मखीजा पिता स्व. नारायण दास निवासी माखीज निवासी आमापारा वार्ड धमतरी	गैर- आवासीय	198321	198321
91	125 / गैर आवासीय (व्यवसायिक)	श्रीमति नीलम गुप्ता पति श्री उपेन्द्र गुप्ता निवासी आमातालाब रोड रामसागर पारा धमतरी	गैर- आवासीय	74793	74793
92	126 / गैर आवासीय (व्यवसायिक)	श्रीमति श्वेता नानकानी पति राजेश नानकानी निवासी मैत्री विहार कालानी धमतरी	गैर- आवासीय	200953	200953
93	127 / आवासीय	मुजतबा हुसैन पिता शब्बीर हुसैन निवासी विवेकानंद वार्ड धमतरी	आवासीय	28668	28668
94	129 / आवासीय	श्री लेखराम साहू पिता गुल्देहराम साहू निवासी बठेना धमतरी	आवासीय	107008	107008
95	131 / आवासीय	श्री मनीष कुमार नाधन पिता ललित कुमार नाधन निवासी हाउसिंग बोर्ड हटकेशर वार्ड धमतरी	आवासीय	24579	24579
96	1 3 2 / गैर आवासीय (शैक्षणिक)	श्रीमति तारा सिन्हा पति तिहारू राम सिन्हा निवासी हाउसिंग बौर्ड कालोनी धमतरी	गैर- आवासीय	299880	299880
97	133/ आवासीय	श्री देवेन्द्र कुमार साहू पिता नंदकुमार साहू निवासी कोष्टापारा वार्ड धमतरी	आवासीय	निःशुल्क	निःशुल्क
98	134/ आवासीय	श्रीमति धात्री साहू पति नोगेन्द्र कुमार साहू निवासी अमृत विहार कुरूद	आवासीय	44687	44687
99	1 3 5 / गैर आवासीय (व्यवसायिक)	वेदनाथ चंद्राकर पिता अंगद सिंह चन्द्राकर निवासी कुरूद	गैर- आवासीय	268515	268515
100	1 3 6 / गैर आवासीय (व्यवसायिक)	श्रीमति कृष्ण कुमार साहू निवासी संरौजनी चौक, कुरूद	आवासीय	820039	820039

नियमितिकरण भवनो की प्रकरणवार जानकारी
क्षेत्रीय कार्यालय बालोद

क्र	प्रकरण क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	भूमि उपयोग	अधिरोपित राशि	जमा राशि
1	2	3	4	5	6
1	04/नियमितिकरण/नग्रानि/बालोद/गैरआवासीय/940/2022	श्री हरिश्चंद्र गंजीर, आ0-श्री चैतूराम, निवासी-गुण्डरदेही	आवासीय एवं गैर आवासीय	88919	88919
2	06/नियमितिकरण/नग्रानि/बालोद/गैरआवासीय/09/2023	श्री विकास कुमार श्रीवास्तव, आ0-स्व0 श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, निवासी-सिवनी	आवासीय	24948	24948
3	10/नियमितिकरण/नग्रानि/बालोद/गैरआवासीय/10/2023	श्री थानसिंह मण्डावी, आ0-स्व0 श्री उमेंदी राम मण्डावी, निवासी-सिवनी	आवासीय	27]460	27]460
4	09/नियमितिकरण/नग्रानि/बालोद/गैरआवासीय/18/2023	श्री जलिन्धर सिंह ठाकुर, आ0-श्री शिवपसाद ठाकुर, निवासी-सिवनी	आवासीय	37963	37963
5	06/नियमितिकरण/नगरपालिका/बालोद/आवासीय/06/2023	श्री हेमलाल साहू, आ0-श्री पुनारद राम, निवासी-बालोद	आवासीय	26053	26]053
6	02/नियमितिकरण/नग्रानि/बालोद/गैरआवासीय/852/2022	श्री सुशील कुमार, आ0-श्री गेंदमल जैन,निवासी-ग्राम डौण्डीलोहारा	गैर आवासीय (वाणिज्यिक)	609935	609935
7	03/नियमितिकरण/नगरपंचायत/गुण्डरदेही/आवासीय/930/2022	श्री चंद्रेश्वर प्रसाद आ0 श्री रमेशर, निवासी-चैनगंज	आवासीय	35549	35549
	21/नियमितिकरण/नगरपंचायत/गुण्डरदेही/ आवासीय/2074/2023	श्रीमती अन्नपूर्णा नवरंगे, पति श्री लक्ष्मण	आवासीय	27376	27376

8		नवरंगे, निवासी-चैनगंज			
9	22/नियमितिकरण/नगरपंचायत/गुण्डरदेही/ व्यवसायिक/3073/2023	पद्मनी ठाकुर, आ0-श्री लीलाधर सिंह, निवासी-गुण्डरदेही	व्यावसायिक	372569	372569
10	23/नियमितिकरण/नगरपंचायत/गुण्डरदेही/ आवासीय/3072/2023	पद्मनी ठाकुर, आ0-श्री लीलाधर सिंह, निवासी-गुण्डरदेही	आवासीय	164120	164120
11	12/नियमितिकरण/नगरपंचायत/गुण्डरदेही/ आवासीय/1065/2023	श्रीमती गीता गजभिये, पति-श्री सुरेन्द्रद गजभिये, निवासी-गुण्डरदेही	आवासीय	18648	18648
12	02/नियमितिकरण/नगरपंचायत/गुण्डरदेही/ आवासीय/910/2023	श्रीमती सीमा साहू, , पति-श्री ओमप्रकाश, निवासी-गुण्डरदेही	आवासीय	33474	33474
13	19/नियमितिकरण/नगरपंचायत/गुण्डरदेही/ व्यवसायिक/2084/2023	श्री अजयपाल चंद्राकर, आ0-श्री यादराम चंद्राकर, निवासी-गुण्डरदेही	व्यावसायिक	118933	118933
14	02/नियमितिकरण/नगरपंचायत/डौण्डीलोहारा/आवासीय/426/2023	श्रीमती ललेश्वरी उसारे पति-श्री बृजलाल उसारे, निवासी-रामनगर, डौण्डीलोहारा	आवासीय	71162	71162
15	03/नियमितिकरण/नगरपंचायत/डौण्डीलोहारा/आवासीय/453/2023	श्रीमती डिलेश्वरी साहू पति-श्री परमानंद साहू, निवासी-वार्ड क्र.15 डौण्डीलोहारा	आवासीय	157900	157900
16	10/नियमितिकरण/नगरपालिका/बालोद/आवासीय/10/2023	श्री खेमलाल साहू आ0-श्री खम्हन लाल साहू निवासी-नयापारा बालोद	आवासीय	103464	103464
17	02/नियमितिकरण/नगरपंचायत/डौण्डी/आवासीय/02/2023	श्री जगतपाल सिंह, पिता-श्री प्रताप सिंह, निवासी-वार्ड क्र.03 डौण्डी	आवासीय	37380	37380
18	02/नियमितिकरण/नगरपंचायत/चिखलाकसा/औद्योगिक/02/2023	मेसर्स सोहम फार्मास्युटिकल्स प्रोपराइटर श्रीमती निर्मला मुंदड़ा, पति-स्व.श्री मोहनलाल मुंदड़ा, निवासी-वार्ड क्र.02, चिखलाकसा	औद्योगिक	205984	205984
19	04/नियमितिकरण/नगरपंचायत/अर्जुन्दा/आवासीय/1103/2022	श्री टीकाराम गंधदले, आ0 श्री नारायण, निवासी-अर्जुन्दा	आवासीय	17319	17319
20	07/नियमितिकरण/नगरपंचायत/अर्जुन्दा/आवासीय/1377/2022	श्रीमती उत्तमा वैद्य, पति श्री अशोक कुमार वैद्य, निवासी-अर्जुन्दा	आवासीय	14214	14214
21	05/नियमितिकरण/नगरपंचायत/अर्जुन्दा/आवासीय/1376/2022	श्री विजयदास, आ0-श्री शगुनदास, निवासी-अर्जुन्दा	आवासीय	22928	22928
22	10/नियमितिकरण/नगरपंचायत/गुण्डरदेही/आवासीय/1040/2023	श्रीमती झनित देशमुख, पति श्री लेखराम, निवासी-वार्ड क्र.14 चैनगंज	आवासीय	23891	23891
23	16/नियमितिकरण/नगरपंचायत/गुण्डरदेही/ आवासीय व गैरआवासीय/2037/2023	श्री लिलेश कुमार, आ0-श्री कुशलचंद, निवासी-गुण्डरदेही	आवासीय सह व्यावसायिक	72835	72835
24	12/नियमितिकरण/नग्रानि/बालोद/आवासीय/2023	श्री सियाराम पैकरा आ0-श्री गुहाराम पैकरा, निवासी-शिक्षक कॉलोनी, अण्डी	आवासीय	16409	16409
25	1006/अ.वि.नि.प्र.क्रं.../नग्रानि/2023	श्री ललित कुमार देवहारी, आ0-श्री नैनसिंह देवहारी, निवासी- ग्राम डौण्डीलोहारा	आवासीय	73309	73309
26	03/नियमितिकरण/नगरपंचायत/चिखलाकसा/आवासीय/03/2023	श्री मुकेश कुमार जैन, आ0-श्री भूरेलाल जैन, निवासी-चिखलाकसा	औद्योगिक	161708	161708
27	01/नियमितिकरण/नगरपंचायत/अर्जुन्दा/ आवासीय सह गैर आवा./...../2023	श्री रोहित खरे, आ0 श्री छेरकू राम खरे, निवासी-अर्जुन्दा	आवासीय सह गैरआवासीय	93524	93524
28	03/नियमितिकरण/न.प./अर्जुन्दा/ आवासीय/गैर आवा./2023	श्री अशोक कुमार, आ0 श्री सुखदेव, निवासी-अर्जुन्दा	आवासीय	118577	118577
29	558/अ.वि.नि.प्र.क्रं.../नग्रानि/2023	श्री रामदयाल साहू आ0-श्री प्रेमलाल साहू, निवासी-ग्राम गुरूर	आवासीय	103547	103547
30	879/अ.वि.नि.प्र.क्रं.../नग्रानि/2023	श्रीमती नंदनी साहू,, पति श्री हलधर साहू, निवासी-ग्राम गुरूर	आवासीय	19143	19143
31	07/नियमितिकरण/नगरपंचायत/गुण्डरदेही/ आवासीय/1012/2022	श्री संतोष कुमार, आ0-श्री धनऊराम, निवासी-चैनगंज	आवासीय	68106	68106

अनुभाग अधिकारी

खरीफ 2025 में सहकारी तथा निजी क्षेत्र में उर्वरक लक्ष्य, भंडारण की उर्वरवार व जिलेवार जानकारी

इकाई मे.टन

क.	जिला का नाम	यूरिया						डीएपी						एन.पी.के.					
		सहकारी		निजी		योग		सहकारी		निजी		योग		सहकारी		निजी		योग	
		लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण
1	2	3	8	10	13	15	18	21	26	28	31	33	36	38	43	45	48	50	53
1	रायपुर	21000	16988	10600	19056	31600	36044	15800	6625	3900	4535	19700	11160	2800	3948	4190	10805	6990	14753
2	गरियाबंद	12500	9740	7500	7982	20000	17722	7000	3014	2300	922	9300	3936	3200	3595	2020	1054	5220	4649
3	बलौदाबाजार	27000	19709	13700	18557	40700	38266	15000	6096	2200	1898	17200	7994	4600	5965	4100	7252	8700	13217
4	महासमुंद	30000	17174	26100	24077	56100	41251	15000	4190	7200	3280	22200	7470	3600	2499	2660	4544	6260	7043
5	धमतरी	15500	12825	10900	13747	26400	26572	10600	4404	5000	2780	15600	7184	4800	3393	5500	5222	10300	8615
6	दुर्ग	19500	16340	8100	5918	27600	22258	11100	5432	4700	2488	15800	7920	3000	3122	2370	3533	5370	6655
7	बालोद	24200	11415	5400	6339	29600	17754	10000	3465	1300	1782	11300	5247	9400	5743	3870	3254	13270	8997
8	बेमेतरा	28100	22995	15400	9032	43500	32027	17000	6403	5400	3435	22400	9838	7100	8703	3920	2569	11020	11272
9	राजनांदगांव	20500	9611	9500	6876	30000	16487	11000	2936	2600	1871	13600	4807	6900	9097	2610	3559	9510	12656
10	खैरागढ़	11000	6340	4650	4291	15650	10631	8300	3325	1100	1444	9400	4769	5500	5667	1900	1759	7400	7426
11	मानपुर–मोहला	8000	4094	800	1472	8800	5566	3100	1317	400	263	3500	1580	3900	2349	100	363	4000	2712
12	कर्वधा	21600	15424	9900	10499	31500	25923	11200	4867	2000	1527	13200	6394	4300	7083	630	2455	4930	9538
13	बिलासपुर	22100	14771	17900	15179	40000	29950	10000	4505	3400	4306	13400	8811	3000	2080	2220	4610	5220	6690
14	गौरेला पेण्ड्रा	3000	1583	100	514	3100	2097	1200	633	500	267	1700	900	650	264	170	66	820	330
15	मुंगेली	15200	9084	11500	10239	26700	19323	4500	2079	2000	952	6500	3031	2100	2824	2650	2190	4750	5014
16	जांजगीर चांपा	19600	10675	17000	10565	36600	21240	7500	3495	2900	1962	10400	5457	2300	2004	1650	1848	3950	3852
17	सक्ती	16000	8687	7000	10510	23000	19197	7300	2151	900	1781	8200	3932	3050	1947	150	360	3200	2307
18	कोरबा	6900	5089	2100	1463	9000	6552	3200	1920	500	403	3700	2323	750	490	290	771	1040	1261
19	रायगढ	16100	9640	10600	9271	26700	18911	8600	3189	2400	2976	11000	6165	2750	2197	1660	2710	4410	4907
20	सारंगढ़	14000	8238	10000	9143	24000	17381	7000	3142	1700	1423	8700	4565	1700	1216	810	1080	2510	2296

क्र.	जिला का नाम	यूरिया						डीएपी						एन.पी.के.					
		सहकारी		निजी		योग		सहकारी		निजी		योग		सहकारी		निजी		योग	
		लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण
1	2	3	8	10	13	15	18	21	26	28	31	33	36	38	43	45	48	50	53
21	सरगुजा	12200	7814	7000	5893	19200	13707	7000	1469	1300	1506	8300	2975	7000	4340	3360	3414	10360	7754
22	सूरजपुर	11500	8059	7400	10078	18900	18137	6300	1713	800	795	7100	2508	7300	4875	3800	2513	11100	7388
23	बलरामपुर	12000	5561	11600	13994	23600	19555	5500	1523	3700	1938	9200	3461	5500	2952	5450	3407	10950	6359
24	कोरिया	5400	4345	400	1487	5800	5832	3400	768	200	237	3600	1005	1650	2376	250	1123	1900	3499
25	मनेन्द्रगढ़	2900	2272	100	1633	3000	3905	1800	508	100	423	1900	931	780	1293	10	371	790	1664
26	जशपुर	7400	6541	4200	3758	11600	10299	5000	2053	2000	1035	7000	3088	2000	1843	1680	1401	3680	3244
27	जगदलपुर	11950	7419	8500	9974	20450	17393	6500	3747	4600	4017	11100	7764	3500	3888	3560	5073	7060	8961
28	कोंडागांव	19000	7174	8000	18043	27000	25217	5400	3193	5200	3889	10600	7082	3900	3157	1280	1769	5180	4926
29	कांकेर	15600	8509	11900	12189	27500	20698	7000	2303	4000	2369	11000	4672	6410	4270	2050	2547	8460	6817
30	दंतेवाडा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	सुकमा	1000	1149	200	427	1200	1576	700	581	500	76	1200	657	480	648	20	228	500	876
32	बीजापुर	1800	1076	300	616	2100	1691	1300	492	100	234	1400	726	390	545	60	89	450	634
33	नारायणपुर	1000	931	100	141	1100	1072	700	441	100	108	800	549	690	779	10	112	700	891
	महायोग	**453550**	**291272**	**258450**	**272964**	**712000**	**564236**	**235000**	**91979**	**75000**	**56921**	**310000**	**148900**	**115000**	**105152**	**65000**	**82051**	**180000**	**187203**

इकाई मे.टन

क्र.	जिला का नाम	एम.ओ.पी.						एस.एस.पी. (समस्त)					
		सहकारी		निजी		योग		सहकारी		निजी		योग	
		लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण
1	2	55	60	62	65	67	70	72	77	79	82	84	87
1	रायपुर	1980	2567	1340	2275	3320	4842	1900	3589	2700	14297	4600	17886
2	गरियाबंद	1500	1573	350	196	1850	1769	2800	3067	1400	1135	4200	4202
3	बलौदाबाजार	2320	2514	640	948	2960	3462	3800	5522	4200	8443	8000	13965
4	महासमुंद	2270	2814	480	637	2750	3451	6200	8841	7400	9340	13600	18181
5	धमतरी	1380	1681	440	504	1820	2185	4100	6112	4100	4329	8200	10441
6	दुर्ग	4090	4535	1610	637	5700	5172	6450	10612	4050	4109	10500	14721
7	बालोद	3660	4222	140	313	3800	4535	7100	8656	2900	2993	10000	11649
8	बेमेतरा	4570	5674	1530	626	6100	6300	6600	9705	4400	4692	11000	14397
9	राजनांदगांव	2970	3878	580	494	3550	4372	5300	7587	2700	2856	8000	10443
10	खैरागढ़	1730	1913	320	349	2050	2262	3200	5220	1800	4105	5000	9325
11	मानपुर–मोहला	1480	1647	20	162	1500	1809	3200	3311	800	682	4000	3993
12	कवर्धा	2500	2636	400	871	2900	3507	11900	11824	7600	6405	19500	18229
13	बिलासपुर	750	960	570	838	1320	1798	3400	5654	7100	6911	10500	12565
14	गौरेला पेण्ड्रा	220	240	30	40	250	280	450	528	250	262	700	790
15	मुंगेली	930	1333	670	460	1600	1793	6200	5805	9500	6199	15700	12004
16	जांजगीर चांपा	710	1530	290	908	1000	2438	3800	4317	7700	5123	11500	9440
17	सक्ती	380	864	120	100	500	964	2200	4715	2300	2093	4500	6808
18	कोरबा	280	366	60	75	340	441	1800	2558	1700	2107	3500	4665
19	रायगढ	1110	1530	240	388	1350	1918	2700	3709	3300	4204	6000	7913
20	सारांगढ़	770	996	400	252	1170	1248	2600	3590	4200	3155	6800	6745

क्र.	जिला का नाम	एम.ओ.पी.						एस.एस.पी. (समस्त)					
		सहकारी		निजी		योग		सहकारी		निजी		योग	
		लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण	लक्ष्य	योग भंडारण
1	2	55	60	62	65	67	70	72	77	79	82	84	87
21	सरगुजा	680	857	320	1148	1000	2005	800	1072	2900	4163	3700	5235
22	सूरजपुर	160	793	70	357	230	1150	1100	1440	2500	3603	3600	5043
23	बलरामपुर	150	545	530	465	680	1010	1100	958	5800	7902	6900	8860
24	कोरिया	100	386	40	83	140	469	350	569	250	475	600	1044
25	मनेन्द्रगढ़	110	215	40	87	150	302	150	674	50	1018	200	1692
26	जशपुर	615	683	165	281	780	964	1000	792	2200	1856	3200	2648
27	जगदलपुर	2390	1898	1350	1145	3740	3043	200	80	2300	2370	2500	2450
28	कोंडागांव	2290	2638	360	907	2650	3545	2700	2188	1300	2753	4000	4941
29	कांकेर	3720	3565	480	1668	4200	5233	6500	6369	2500	5465	9000	11834
30	दंतेवाडा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	सुकमा	210	236	30	116	240	352	30	0	20	27	50	27
32	बीजापुर	35	121	5	32	40	153	30	20	20	40	50	60
33	नारायणपुर	300	282	20	95	320	377	340	222	60	27	400	249
	महायोग	**46360**	**55692**	**13640**	**17455**	**60000**	**73147**	**100000**	**129306**	**100000**	**123138**	**200000**	**252444**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 16:27:52

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
म.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

खरीफ 2025 जिलेवार बीज मांग एवं बीज भण्डारण की जानकारी

(मात्रा क्विं. में)

क्र.	जिला	खरीफ 2025							
		बीज मांग/लक्ष्य				भंडारण			योग भंडारण
		समिति	विभाग	नगद प्रकिया केन्द्र	कुल योग	समिति	कृषि विभाग	नगद प्रकिया केन्द्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	34,530.80	851.94	1,369.92	36,752.66	39,152.40	323.58	2,453.90	41,929.88
2	बलौदाबाजार	29,568.80	180.00	789.50	30,538.30	30,191.40	300.30	159.00	30,650.70
3	गरियाबंद	19,310.00	291.00	-	19,601.00	18,062.70	345.84	279.60	18,688.14
4	महासमुन्द	29,000.00	980.00	2,395.00	32,375.00	30,634.80	563.50	2,291.16	33,489.46
5	धमतरी	10,950.07	805.63	896.34	12,652.04	11,860.20	296.60	858.66	13,015.46
	संभाग रायपुर	**1,23,359.67**	**3,108.57**	**5,450.76**	**1,31,919.00**	**1,29,901.50**	**1,829.82**	**6,042.32**	**1,37,773.64**
6	दुर्ग	25,795.50	1.00	1,971.50	27,768.00	27,345.80	169.00	1,932.24	29,447.04
7	बालोद	22,151.80	276.20	1,385.00	23,813.00	23,192.54	19.52	992.02	24,204.08
8	बेमेतरा	21,707.72	1,273.51	1,052.70	24,033.93	22,375.80	452.30	1,453.96	24,282.06
9	राजनांदगांव	12,913.60	1,790.00	100.00	14,803.60	9,256.70	13.20	1,181.60	10,451.50
10	मानपुर–मोहला	5,190.00	760.00	-	5,950.00	4,679.40	1,021.96	-	5,701.36
11	खैरागढ़	5,375.00	295.16	460.00	6,130.16	5,544.22	557.20	449.86	6,551.28
12	कबीरधाम	5,330.00	1,180.00	482.00	6,992.00	5,246.70	833.78	250.64	6,331.12
	संभाग दुर्ग	**98,463.62**	**5,575.87**	**5,451.20**	**1,09,490.69**	**97,641.16**	**3,066.96**	**6,260.32**	**1,06,968.44**
13	बिलासपुर	21,119.40	315.22	551.38	21,986.00	19,721.22	157.10	252.54	20,130.86
14	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	6,020.00	270.00	-	6,290.00	4,387.60	-	-	4,387.60
15	मुंगेली	12,010.00	1,225.00	1,620.00	14,855.00	15,487.90	876.26	1,289.22	17,653.38
16	जांजगीर	23,647.00	1,536.70	1,178.90	26,362.60	22,459.80	911.86	774.00	24,145.66
17	सक्ती	22,000.00	-	255.25	22,255.25	23,778.90	61.98	150.00	23,990.88
18	कोरबा	11,049.00	1,600.00	172.30	12,821.30	10,428.60	751.34	234.26	11,414.20
19	रायगढ़	28,920.00	1,286.10	1,356.00	31,562.10	24,420.70	313.62	1,002.00	25,736.32
20	सारंगढ़	18,065.00	793.10	1,929.10	20,787.20	19,614.00	170.56	1,116.00	20,900.56
	संभाग बिलासपुर	**1,42,830.40**	**7,026.12**	**7,062.93**	**1,56,919.45**	**1,40,298.72**	**3,242.72**	**4,818.02**	**1,48,359.46**

क्र.	जिला	खरीफ 2025							
		बीज मांग/लक्ष्य				भंडारण			योग भंडारण
		समिति	विभाग	नगद प्रकिया केन्द्र	कुल योग	समिति	कृषि विभाग	नगद प्रकिया केन्द्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	सरगुजा	9,350.00	1,135.00	-	10,485.00	8,025.30	759.86	327.60	9,112.76
22	सूरजपुर	4,495.50	612.60	150.00	5,258.10	4,243.40	540.18	-	4,783.58
23	बलरामपुर	2,096.00	795.00	-	2,891.00	1,732.50	1,477.76	103.62	3,313.88
24	कोरिया	3,880.60	723.80	525.10	5,129.50	3,721.88	1,077.90	628.20	5,427.98
25	मनेन्द्रगढ़	2,642.00	637.00	22.00	3,301.00	2,647.20	521.64	34.20	3,203.04
26	जशपुर	6,886.40	1,991.95	30.08	8,908.43	6,981.00	770.42	259.88	8,011.30
संभाग सरगुजा		**29,350.50**	**5,895.35**	**727.18**	**35,973.03**	**27,351.28**	**5,147.76**	**1,353.50**	**33,852.54**
27	जगदलपुर	11,895.65	1,130.00	654.00	13,679.65	8,629.10	1,190.30	452.70	10,272.10
28	कोण्डागॉव	6,694.60	380.00	5.00	7,079.60	4,988.10	128.00	35.24	5,151.34
29	दंतेवाड़ा	2,658.79	834.60	25.00	3,518.39	2,409.20	417.74	8.10	2,835.04
30	सुकमा	4,680.00	-	-	4,680.00	3,180.30	305.00	-	3,485.30
31	बीजापुर	12,650.00	950.00	-	13,600.00	9,079.50	113.70	7.40	9,200.60
32	नारायणपुर	1,640.00	608.00	-	2,248.00	1,340.90	150.00	-	1,490.90
33	कांकेर	12,644.00	2,245.00	1,060.72	15,949.72	10,908.35	403.80	141.90	11,454.05
संभाग जगदलपुर		**52,863.04**	**6,147.60**	**1,744.72**	**60,755.36**	**40,535.45**	**2,708.54**	**645.34**	**43,889.33**
राज्य		**4,46,867.23**	**27,753.51**	**20,436.79**	**4,95,057.53**	**4,35,728.11**	**15,995.80**	**19,119.50**	**4,70,843.41**

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
Date: 10-07-2025
16:29:05 उप सचिव
उत्तर शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - छः
तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 726) की जानकारी

प्रपत्र–अ

कृषि विभाग जिला कोण्डागांव द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण विकास घटक 2.0 योजनांतर्गत पावर वीडर क्रय हेतु जारी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली संस्थाओं की जानकारी

क्र.	फर्मो का नाम
1	2
1	मेसर्स रामदेव एग्रोटेक, कोण्डागांव
2	मेसर्स महेश एग्रोटेक केशकाल
3	मेसर्स छत्तीसगढ़ एग्रोटेक सिंगारभाट चौक जगदलपुर रोड कांकेर
4	मेसर्स केशरी एग्रो इंडस्ट्रीज पुलगांव चौक दुर्ग
5	मेसर्स जय एग्रो सॉल्यूशन पुलगांव चौक दुर्ग
6	मेसर्स बीएल एग्रो टेक पुलगांव चौक दुर्ग

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
14:58:41

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

कृषि विभाग जिला कोण्डागांव द्वारा द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण विकास घटक 2.0 योजनांतर्गत पावर वीडर वितरण हेतु चयनित कृषकों की विकासखंडवार, कृषकवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम	हितग्राहियों का नाम	पिता / पति का नाम	वर्ग
1	2	3	4	5	6	7
1	कोण्डागांव	कोकोड़ी	कोकोड़ी	मनकी बाई नेताम	खतकुड़ीन	अ.ज.जा.
2		कोकोड़ी	कोकोड़ी	ओमचन्द पोयाम	घसिया	अ.ज.जा.
3		कोकोड़ी	कोकोड़ी	लखमी बाई नेताम	सोमारू राम	अ.ज.जा.
4		कोकोड़ी	खुटडोबरा	गागरू राम कोर्राम	बान्डाराम कोर्राम	अ.ज.जा.
5		कोकोड़ी	खुटडोबरा	फगनू कोर्राम	जग्गुराम कोर्राम	अ.ज.जा.
6		कोकोड़ी	कोकोड़ी	अमरू नेताम	सामनाथ नेताम	अ.ज.जा.
7		कोकोड़ी	कोकोड़ी	दसमती नेताम	जयराम नेताम	अ.ज.जा.
8		कोकोड़ी	कोकोड़ी	लीलावती यादव	सोनू राम यादव	अ.पि.व.
9		कोकोड़ी	कोकोड़ी	हरिचन्द नेताम	सोमारू राम नेताम	अ.ज.जा.
10		कोकोड़ी	कोकोड़ी	रामचन्द नेताम	चैतुराम	अ.ज.जा.
11		मुलमुला	मुलमुला	पुरूष कौशिक	लछिमनाथ	अ.पि.व.
12		मुलमुला	मुलमुला	बुधराम देवांगन	लखमू	अ.पि.व.
13		मुलमुला	मुलमुला	हिराबाई	शामनाथ	अ.ज.जा.
14		मुलमुला	मुलमुला	गगां राम	आयतू राम	अ.ज.जा.
15		मुलमुला	मुलमुला	महेश	कवलनाथ	अ.पि.व.
16		मुलमुला	मुलमुला	बालमती	सोनधर	अ.पि.व.
17		मुलमुला	मुलमुला	नोमेश्वर	सुखराम	अ.ज.जा.
18		मुलमुला	मुलमुला	अनिल देवागंन	रतिराम	अ.पि.व.
19		नेवता	नेवता	आयतु	बिदीक	अ.ज.जा.
20		नेवता	नेवता	सुदु	चैतू	अ.ज.जा.
21		नेवता	नेवता	चेतमन मरकाम	घुड़राम	अ.ज.जा.
22		नेवता	नेवता	शम्भुराम	अंधारूराम	अ.ज.जा.
23		नेवता	नेवता	परऊ	चैतुराम	अ.ज.जा.
24		नेवता	नेवता	सुकूलराम मण्डावी	सुकदेव	अ.ज.जा.
25		नेवता	नेवता	फूलचंद मरकाम	भकऊ	अ.ज.जा.
26		नेवता	नेवता	पतिराम	आयुत मरकाम	अ.ज.जा.
27		नेवता	नेवता	सुकचंद मरकाम	चैतू मरकाम	अ.ज.जा.
28		नेवता	नेवता	पिलसाय	धुधांरू मरकाम	अ.ज.जा.
29		नेवता	नेवता	जगबन्धु	पंडरू मण्डावी	अ.ज.जा.
30		नेवता	नेवता	प्रकाश तिवारी	गौरीशंकर	सामान्य
31		छोटेबंजोड़ा	छोटेबंजोड़ा	धनसुराम नेताम	सुखराम	अ.ज.जा.
32		छोटेबंजोड़ा	छोटेबंजोड़ा	बुधमन सोड़ी	मोहन	अ.ज.जा.
33		छोटेबंजोड़ा	छोटेबंजोड़ा	जमधर सोरी	दसरू	अ.ज.जा.
34		छोटेबंजोड़ा	छोटेबंजोड़ा	सन्तुराम सोरी	सुकुल	अ.ज.जा.
35		छोटेबंजोड़ा	छोटेबंजोड़ा	सुकलू पोंयाम	बिरनाथ	अ.ज.जा.
36		छोटेबंजोड़ा	छोटेबंजोड़ा	उत्तम सोरी	सुखनाथ	अ.ज.जा.
37		छोटेबंजोड़ा	छोटेबंजोड़ा	दलसाय नेताम	बेंदरा	अ.ज.जा.
38		छोटेबंजोड़ा	छोटेबंजोड़ा	मंगडू सोरी	कोदुराम	अ.ज.जा.
39		छोटेबंजोड़ा	छोटेबंजोड़ा	घेनवा	पनका	अ.ज.जा.
40		छोटेबंजोड़ा	छोटेबंजोड़ा	कुंदरू राम सोरी	सोमाराम	अ.ज.जा.

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 15:00:05

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र – स

उद्यान विभाग जिला कोण्डागांव अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत् पावर वीडर क्रय करने वाले कृषकों की जानकारी

क.	वर्ष	योजना का नाम	कृषक का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रदाय अनुदान राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2023–24 (दिसम्बर–मार्च 2024)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	श्री नंद किशोर/स्व.श्री दयाल देवांगन	कोण्डागॉव	नेवता	0.56	कृषकों के द्वारा क्रय किये गये उपकरण/यंत्र पर देयक प्रस्तुत करने के उपरांत उनके खाते में अनुदान का भुगतान किया गया है।
2			श्री सुबरन दीवान/स्व.भक्तूराम दीवान	कोण्डागॉव	गिरोला	0.70	
3			श्री बद्रीनाथ शार्दुल/स्व.देव शार्दुल	कोण्डागॉव	नेवता	0.70	
4			श्री सुकलाल सोरी/झगडू	कोण्डागॉव	बम्हनी	0.70	
5			श्री पीलाराम कंजाम/प्रसादी	कोण्डागॉव	उमरगॉव	0.70	
6			श्री बुधमन/पुसउ राम	माकड़ी	बालोण्ड	0.70	
7			श्रीमती फुलमती/भारतलाल	माकड़ी	मगेदा	0.70	
8			श्री मनीराम/बुद्धूराम	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.70	
9			श्री नरसिंह/सुकमन	माकड़ी	बेलोण्डी	0.70	
10			श्री मंगलराम/मनबोध	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.70	
11			श्री जयसिंह/रामलाल	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.70	
12			श्री राजू/हिरू	माकड़ी	जरण्डी	0.70	
13			श्री दुवारू/घसिया	माकड़ी	सोड़मा	0.70	
14			श्रीमती महारीबाई मरकाम	माकड़ी	बागबेडा	0.63	
15			श्री लुप्तेश्वर नाग/बालसिंह	केशकाल	बहीगॉव	0.70	
15	योग :–					10.29	–
1	2024 –25	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	श्री सतवन/साधू	केशकाल	बेडमा	0.00	वित्तीय वर्ष 2024–25 में देयकों का भुगतान नहीं हो पाने के फलस्वरूप वर्ष 2025–26 में अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खाते में भुगतान किया जाना है।
2			श्री अजय/सिद्धनाथ	केशकाल	सिलाटी	0.00	
3			श्री अक्तूराम/शिवराम	केशकाल	ठाकुरपारा	0.00	
4			श्री जागेश्वर/लक्ष्मण	केशकाल	गुलबापारा	0.00	
5			श्री छेदू राम/फुलसिंग	केशकाल	गुलबापारा	0.00	
6			श्री मलसाय/हिरमू	केशकाल	गुलबापारा	0.00	
7			श्री झाडूराम/राजमन	केशकाल	कोदोभाट	0.00	
8			श्री मेहत्तर/बी.आर. नेताम	केशकाल	बटराली	0.00	
9			श्री बोधन/मंगऊ	केशकाल	बहीगॉव	0.00	
10			श्री सुखदेव/घड़वाराम	केशकाल	खुटपदर	0.00	
11			श्री मन्शुराम/अंकालू	केशकाल	खुटपदर	0.00	
12			श्री रतिराम/सुकमन	केशकाल	खुटपदर	0.00	
13			श्री आशाराम/खेखड़ू	केशकाल	डोडेरापाल	0.00	
14			श्री जयसिंह/सुन्दर	केशकाल	सिदावण्ड	0.00	
15	2024 –25	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	श्री शेत कुमार/लखन लाल	केशकाल	कोहकामेटा	0.00	वित्तीय वर्ष 2024–25 में देयकों का भुगतान नहीं हो पाने के फलस्वरूप वर्ष 2025–26 में अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खाते में भुगतान किया जाना है।
16			श्री घस्सुराम/बुधराम	केशकाल	कोहकामेटा	0.00	
17			श्री जगन्नाथ/भोसका	केशकाल	नवागढ़	0.00	
18			श्री गडरू राम/पिसाडु	केशकाल	नवागढ़	0.00	
19			श्री कमलेश/मंगलू	केशकाल	बाण्डापारा	0.00	
20			श्री रामेश्वर/मेहत्तर	केशकाल	डोडेरापाल	0.00	
21			श्री राजाराम/खेखड़ू	केशकाल	डोडेरापाल	0.00	
22			श्रीमती रूखमणी/नथलाल	केशकाल	करमरी	0.00	
23			श्रीमती गीताबाई/कामताप्रसाद	केशकाल	खालेमुरवेन्ड	0.00	
24			श्रीमती अलका/राजेन्द्र	केशकाल	बटराली	0.00	
25			श्री रामेश्वर/मेहत्तर	केशकाल	कोदोभाट	0.00	
26			श्री सुरेन्द्र/बसमन	केशकाल	गौरगॉव	0.00	
27			श्री भुनेश्वर/मोतीराम	केशकाल	सवाला	0.00	
28			श्री सगनू/पुसऊ	केशकाल	खालेमुरवेन्ड	0.00	

क.	वर्ष	योजना का नाम	कृषक का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रदाय अनुदान राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
29	2024 –25	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	श्री सुरेन्द्र / जयसिंह	केशकाल	बाण्डापारा	0.00	वित्तीय वर्ष 2024–25 में देयकों का भुगतान नहीं हो पाने के फलस्वरूप वर्ष 2025–26 में अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खाते में भुगतान किया जाना है।
30			श्री महेश कुमार / बलराम	केशकाल	अड़ेगा	0.00	
31			श्री महेश पुजारी / जयलाल	केशकाल	प्रधानचेर्रा	0.00	
32			श्री सुकडू / मंगल	केशकाल	बाण्डापारा	0.00	
33			श्री विजय / मनसा	केशकाल	प्रधानचेर्रा	0.00	
34			श्री साहनसिंह / रायसिंह	केशकाल	कोदोभाट	0.00	
35			श्री वृन्दावन / सोनऊ	केशकाल	धनोरा	0.00	
36			श्री रूपेन्द्र / राधेश्याम	केशकाल	सवाला	0.00	
37			श्री सुलेन्द्र / आनंद	केशकाल	ईरागॉव	0.00	
38			श्री केशर / मेहत्तर	केशकाल	अड़ेगा	0.00	
39			श्री ओंकारेश्वर / प्रेमसागर	केशकाल	ठाकुरपारा	0.00	
40			श्री सोभराय / भदरू	केशकाल	आंवराभाटा	0.00	
41			श्री छबिलाल साहनी / नाथू राम	फरसगॉव	बडेडोगर	0.00	
42			श्री दुलेन्द्र कुमार पात्र / रुपसिंह	फरसगॉव	बडेडोगर	0.00	
43			श्री केशर चंद पुजारी / तुलसीराम	फरसगॉव	बडेडोगर	0.00	
44			श्री पचू राम / ठडगु राम	फरसगॉव	आलोर	0.00	
45			श्री बीजुराम कोर्राम / बुल्लू	फरसगॉव	आलोर	0.00	
46			श्रीमती मनई / पंचू	फरसगॉव	आलोर	0.00	
47			श्री राजेन्द्र कुमार पुजारी / निरसराम	फरसगॉव	बानगॉव	0.00	
48			श्री चरण सिंह नेताम / धनसिंह	फरसगॉव	चिचाडी	0.00	
49			श्री चमराराम नेताम / बीजुराम	फरसगॉव	पतोडा	0.00	
50			श्री रामकुमार नेताम / नानजात	फरसगॉव	कोसागांव	0.00	
51			श्री कैलाश दास मानिकपुरी / कांशी	फरसगॉव	बडेडोगर	0.00	
52			श्री पीलूराम सोरी / सरादूराम	फरसगॉव	कोसागांव	0.00	
53			श्री कमलेश कुमार कोर्राम / सियाराम	फरसगॉव	भण्डारवण्डी	0.00	
54			श्री जनक प्रसाद कुदराम / धनीराम	फरसगॉव	बडेडोगर	0.00	
55			श्रीमती बिसन्तीन पुजारी / दुलचंद	फरसगॉव	बडेडोगर	0.00	
56			श्री मनी राम मरकाम / मंगतू राम	फरसगॉव	लजोडा	0.00	
57			श्री त्रिवेन्द्र कुमार नेताम / अर्जुन	फरसगॉव	लजोडा	0.00	
58			श्री कांतिलाल मरकाम / बिकरु	फरसगॉव	कुम्हारबड़गांव	0.00	
59			श्री ईश्वर नेताम / भक्तू राम	फरसगॉव	कोसागांव	0.00	
60			श्री सुकनाथ / धनीराम	फरसगॉव	कोसागांव	0.00	
61			श्री जयलाल नेताम / लच्छु राम	फरसगॉव	लजोडा	0.00	
62			श्री फुलदास नेताम / ठोल नेताम	फरसगॉव	कोसागांव	0.00	
63			श्री बृजलाल कोर्राम / रतनू	फरसगॉव	चिचाडी	0.00	
64			श्री नाईक राम मरकाम / लालूराम	फरसगॉव	चिचाडी	0.00	
65			श्री परउ राम मरकाम / सोनू राम	फरसगॉव	गुमडी	0.00	
66			श्री मैनु राम / बसमन	फरसगॉव	कोसागांव	0.00	
67			श्री शंकर सिंह नेताम / बुधुराम	फरसगॉव	बनचपई	0.00	
68			श्री फुलसिंह भंडारी / लक्ष्मीनाथ	फरसगॉव	बंगोली	0.00	
69			श्री शामबती / दशरथ	फरसगॉव	कोसागांव	0.00	
70			श्री गन्सू राम बघेल / लच्छु	फरसगॉव	देवगॉव	0.00	
71			श्री बेनीराम पटेल / कंगलु राम	फरसगॉव	भण्डारसिवनी	0.00	
72			श्री रामसुंदर यादव / राम सिंघ	फरसगॉव	लजोडा	0.00	
73			श्री गीताराम बघेल / सुखमन	फरसगॉव	बानगॉव	0.00	
74			श्री रतन सिंह मरकाम / कोलू राम	फरसगॉव	लजोडा	0.00	
75			श्री महेश लाल नेताम / दलसाय	फरसगॉव	लजोडा	0.00	
76			श्री कोसाराम नेताम / बखरिया	फरसगॉव	लजोडा	0.00	
77			श्री मंगलु राम नेताम / सोनाराम	फरसगॉव	लजोडा	0.00	

क.	वर्ष	योजना का नाम	कृषक का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रदाय अनुदान राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
78	2024 –25	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	श्री गनपत राना/गंगाराम	फरसगॉव	शकरपुर	0.00	वित्तीय वर्ष 2024–25 में देयकों का भुगतान नहीं हो पाने के फलस्वरूप वर्ष 2025–26 में अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खाते में भुगतान किया जाना है।
79			श्री मनीलाल पुजारी/सुकालू राम	फरसगॉव	बडेडोगर	0.00	
80			श्री रामबती/चमरा राम	फरसगॉव	बडेडोगर	0.00	
81			श्री बीरबल/शंभुनाथ	बडेराजपुर	विश्रामपुरी अ	0.00	
82			श्री सुखनाथ/गोकुल	बडेराजपुर	बड़ेराजपुर	0.00	
83			श्री सरादूराम/कानूराम	बडेराजपुर	धामनपुरी	0.00	
84			श्रीमति बिदाबाई/शोभाराम	बडेराजपुर	पलना	0.00	
85			श्रीमति केशरीबाई/केशव	बडेराजपुर	पलना	0.00	
86			श्री संतकुमार/बरन	बडेराजपुर	मांरगपुरी	0.00	
87			श्री ताम्रध्वज/कार्तिक	बडेराजपुर	बड़ेराजपुर	0.00	
88			श्री सुखऊराम/लखमूराम	बडेराजपुर	बड़ेराजपुर	0.00	
89			श्री मानदेव/मंगियाराम	बडेराजपुर	विश्रामपुरी अ	0.00	
90			श्री बंशीराम/कानूराम	बडेराजपुर	धामनपुरी	0.00	
91			श्री कुवरसिंह/पण्डीलाल	बडेराजपुर	टेंवसा	0.00	
92			श्री बुटलूराम/मस्सूराम	बडेराजपुर	टेंवसा	0.00	
93			श्री मानसाय/चैतूराम	बडेराजपुर	विश्रामपुरी	0.00	
94			श्री मानसिंह/बक्काराम	बडेराजपुर	जिर्रापारा	0.00	
95			श्री बिजूराम/बुधूराम	बडेराजपुर	कोपरा	0.00	
96			श्री धनसाय/गजहाराम	बडेराजपुर	बड़ेराजपुर	0.00	
97			श्री देवसिंह/माहराराम	बडेराजपुर	टेंवसा	0.00	
98			श्री शोभाराम/घस्सूराम	बडेराजपुर	पीड़ापाल	0.00	
99			श्री सुद्दूराम/सोमनाथ	बडेराजपुर	टेंवसा	0.00	
100			श्री हिरासिंह/पण्डीराम	बडेराजपुर	बालेंगा	0.00	
101			श्री संतूराम/बक्कूराम	बडेराजपुर	बालेंगा	0.00	
102			श्री सोमडूराम/पनकूराम	बडेराजपुर	बालेंगा	0.00	
103			श्री संगीराम/नथलूराम	बडेराजपुर	टेंवसा	0.00	
104			श्री बीजूराम/लच्छन	बडेराजपुर	टेंवसा	0.00	
105			श्री लच्छूराम/सुकडूराम	बडेराजपुर	मांरगपुरी	0.00	
106			श्री दयाराम/सोनूराम	बडेराजपुर	मांरगपुरी	0.00	
107			श्री रूपधर/घसियाराम	बडेराजपुर	बड़ेराजपुर	0.00	
108			श्री बजरूराम/टिरेराम	बडेराजपुर	कलगांव	0.00	
109			श्री कविलाास/सोनाधर	बडेराजपुर	कोसमी	0.00	
110			श्री बिदेराम/चैतूराम	बडेराजपुर	टेंवसा	0.00	
111			श्री लक्ष्मीनाथ/माहरूराम	बडेराजपुर	टेंवसा	0.00	
112			श्रीमति सुकन्तीन/सोनऊ	बडेराजपुर	हात्मा	0.00	
113			श्री रामनाथ/राजमन	बडेराजपुर	बड़बत्तर	0.00	
114			श्री अयातूराम/देवनाथ	बडेराजपुर	ढोंढरा	0.00	
115			श्री चौधरी/दुब्बेराम	बडेराजपुर	ढोंढरा	0.00	
116			श्री रतीराम/राजमन	बडेराजपुर	छोटेराजपुर	0.00	
117			श्री बृजलाल/पाकलूराम	बडेराजपुर	छोटेराजपुर	0.00	
118			श्री दुर्जन/ईशरूराम	बडेराजपुर	विश्रामपुरी	0.00	
119			श्री मुनीन्द्रदास/फुलदास	बडेराजपुर	विश्रामपुरी अ	0.00	
120			श्री बुधराम/सखाराम	बडेराजपुर	सोनपुर	0.00	
121			श्री सुकमन/कोरजू	माकड़ी	लूभा	0.00	
122			श्री मनीराम/सोमारू	माकड़ी	ओण्डरी	0.00	
123			श्री सोनाराम/कृतेराम	माकड़ी	ओण्डरी	0.00	
124			श्री श्यामलाल/चैतुराम	माकड़ी	ओण्डरी	0.00	
125			श्री साधुराम/लखमूराम	माकड़ी	कावरा	0.00	
126			श्री राजमन/झपर	माकड़ी	हाड़ीगांव	0.00	

क.	वर्ष	योजना का नाम	कृषक का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रदाय अनुदान राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
127	2024 –25	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	श्री सुरज राम/सोनूराम	माकड़ी	कावरा	0.00	वित्तीय वर्ष 2024–25 में देयकों का भुगतान नहीं हो पाने के फलस्वरूप वर्ष 2025–26 में अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खाते में भुगतान किया जाना है।
128			श्री मोहरदेव/कोलूराम	माकड़ी	उलेरा	0.00	
129			श्रीमती कारोबाई/मन्नूराम	माकड़ी	उलेरा	0.00	
130			श्री सामो/कमलू	माकड़ी	देउरबाल	0.00	
131			श्री रामूराम/घसियाराम	माकड़ी	राकसबेड़ा	0.00	
132			श्री चमरूराम/चिकल	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.00	
133			श्री सरादूराम/मानसाय	माकड़ी	उलेरा	0.00	
134			श्री रामप्रसाद/सोमारू	माकड़ी	उलेरा	0.00	
135			श्री नरसिंह/घसियाराम	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.00	
136			श्री युगेन्द्र/किरसन	माकड़ी	एरला	0.00	
137			श्री फागूराम/सुग्रीव	माकड़ी	करण्डी	0.00	
138			श्री घड़वाराम/आंधरू	माकड़ी	टेड़मुण्डा	0.00	
139			श्री धनीराम/मंगूराम	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.00	
140			श्री नंदलाल/सोमारूराम	माकड़ी	धारली	0.00	
141			श्री रामसिंह/हीरासिंह	माकड़ी	इंगरा	0.00	
142			श्री सुकालू/सुकमन	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.00	
143			श्री मोतीराम/जमधर	माकड़ी	केरावाही	0.00	
144			श्री संतुराम/दुखूराम	माकड़ी	उमरगांव	0.00	
145			श्री सहदेव/लखमू	माकड़ी	जरण्डी	0.00	
146			श्री पतिराम/घासीराम	माकड़ी	जरण्डी	0.00	
147			श्री लच्छिदर/सुखनाथ	माकड़ी	लुभा	0.00	
148			श्री गोविन्द/जयसिंह	माकड़ी	लुभा	0.00	
149			श्री उतम कुमार/मोहन	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.00	
150			श्री तिरनाथ/लखमूराम	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.00	
151			श्री फरसूराम/रामनाथ	माकड़ी	छोटेसलना	0.00	
152			श्री लखमूराम/सुग्रीव	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.00	
153			श्री जगतराम/धनीराम	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.00	
154			श्री संतोष/सोमन	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.00	
155			श्री नरसूराम/रामलाल	माकड़ी	बुडरा	0.00	
156			श्री लक्ष्मण/नरसूराम	माकड़ी	बुडरा	0.00	
157			श्रीमती भागवती/साधुराम	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.00	
158			श्री सियाराम/भवरसिंह	माकड़ी	पीढ़ापाल	0.00	
159			श्री सोनसिंह/कपिलनाथ	माकड़ी	ओटेण्डा	0.00	
160			श्री धनुराम/भुजबेल	माकड़ी	जरण्डी	0.00	
161			श्री घसियाराम पोयाम/चालीसराम	कोण्डागॉव	संबलपुर	0.00	
162			श्री मंगुराम नेताम/स्व. नाडाराम	कोण्डागॉव	उमरगांव अ	0.00	
163			श्री लच्छमन राम बघेल/स्व. श्री सुखराम	कोण्डागॉव	बनउसरी	0.00	
164			श्री धनीराम कोर्राम/बुधराम	कोण्डागॉव	बनउसरी	0.00	
165			श्री राधेश्याम/चैतुराम	कोण्डागॉव	नेवता	0.00	
166			श्री सुकधर/नाडा	कोण्डागॉव	उमरगांव	0.00	
167			श्री सरमा नेताम/बोधनराम	कोण्डागॉव	भीरागांव ब	0.00	
168			श्री गोन्चुराम सोडी/स्व. चुमरूराम	कोण्डागॉव	कोपाबेडा	0.00	
169			श्री मंगिया राम नेताम/पोहडुराम	कोण्डागॉव	जोबा	0.00	
170			श्री पवन पोयाम/सोनसाय	कोण्डागॉव	कुसमा	0.00	
171			श्री देवेन्द्र नाग/सामनाथ	कोण्डागॉव	मडानार	0.00	
172			श्री लखेश्वर नेताम/सायतुराम	कोण्डागॉव	कोकोडी	0.00	
173			श्री पदमराम पोयाम/देवनाथ	कोण्डागॉव	कचोरा	0.00	
174			श्री बलीराम सोडी/स्व. हगरूराम	कोण्डागॉव	गिरोला	0.00	
175			श्री रामलाल नेताम/मुरहा	कोण्डागॉव	कोण्डागांव	0.00	

क.	वर्ष	योजना का नाम	कृषक का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रदाय अनुदान राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
176	2024 –25	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	श्री अशोक/सोमनाथ	कोण्डागॉव	मडानार	0.00	वित्तीय वर्ष 2024–25 में देयकों का भुगतान नहीं हो पाने के फलस्वरूप वर्ष 2025–26 में अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खाते में भुगतान किया जाना है।
177			श्रीमती सोमार बती/हरेश	कोण्डागॉव	संबलपुर	0.00	
178			श्री बृज किशोर/नथालू	कोण्डागॉव	कोण्डागांव	0.00	
179			श्री रामकुमार कोर्राम/दुकारू	कोण्डागॉव	गोलावंड	0.00	
180			श्रीमती सुरजा बाई/शिवलाल	कोण्डागॉव	गोलावंड	0.00	
181			श्री सुखदास/जगनाथ	कोण्डागॉव	डोंगरीगुडा	0.00	
182			श्री फोहडु/सुकालु	कोण्डागॉव	ईसलनार	0.00	
183			श्री नरेश/बिसरू राम	कोण्डागॉव	कचोरा	0.00	
184			श्री धरमू राम/सुकमन	कोण्डागॉव	बनसिरसी	0.00	
185			श्री गजानंद नेताम/चमरा	कोण्डागॉव	बनसिरसी	0.00	
186			श्री भिखारी/श्री हगरू	कोण्डागॉव	कचोरा	0.00	
187			श्री दुपन नेताम/धनीराम	कोण्डागॉव	बनसिरसी	0.00	
188			श्री लखन सिंह/ रामदयाल	कोण्डागॉव	भीरागांव ब	0.00	
189			श्री शंभूराम पटेल/स्व.धनसिंह	कोण्डागॉव	संबलपुर	0.00	
190			श्री नेलम राम पटेल/लोखी राम	कोण्डागॉव	संबलपुर	0.00	
191			श्री डालेन्द्र/सियाराम	कोण्डागॉव	बम्हनी	0.00	
192			श्री रासूराम/बैजनाथ	कोण्डागॉव	जोडेंगा	0.00	
193			श्री घनश्याम/स्व0 नंदलाल	कोण्डागॉव	चिचडोगरी	0.00	
194			श्री पवन कुमार/जगदेव	कोण्डागॉव	नेवता	0.00	
195			श्री जागेश्वर पटेल/स्व.पुनऊ	कोण्डागॉव	कोण्डागांव	0.00	
196			श्री गिरधर दियान/बैजनाथ	कोण्डागॉव	जोडेंगा	0.00	
197			श्री तुरेश्वर कश्यप/त्रिनाथ	कोण्डागॉव	संबलपुर	0.00	
198			श्रीमती कमला नेताम/श्री चमरू	कोण्डागॉव	चिपावंड	0.00	
199			श्री लूदूराम/स्व.बैजूराम	कोण्डागॉव	गिरोला	0.00	
200			श्रीमती निर्मला/योगेन्द्र	कोण्डागॉव	कोण्डागांव	0.00	
	योग :–					**0.00**	–
1	2025 –26 (मई 2025 तक)	–	–	–	–	0.00	
200	योग :–					**0.00**	–
215	कुलयोग :–					**10.29**	–

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
15:01:33

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 776) की जानकारी

प्रपत्र-अ

राजधानी रायपुर में स्कूल/कॉलेज/आंगनबाड़ी/शासकीय कार्यालय की जानकारी

स.क्र.	कार्यालय का प्रकार	भवन युक्त (संख्या)	भवन विहिन (संख्या)	किराये के भवन में संचालित (संख्या)	एक पाली में संचालित (संख्या)	दो पाली में संचालित (संख्या)	अन्य भवन/कंपोजिट भवन में संचालित (संख्या)
1	स्कूल	1412	12	0	1250	174	0
2	कॉलेज	8	5	0	0	5	0
3	आंगनबाड़ी	1439	502	483	0	0	19
4	शासकीय कार्यालय	365	21	21	0	0	320
	कुल	**3224**	**540**	**504**	**1250**	**179**	**344**

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र-ब

राजधानी रायपुर में स्कूल/कॉलेज/आंगनबाड़ी/शासकीय कार्यालय की जानकारी

स.क्र.	कार्यालय का प्रकार	कुल भवनों की संख्या	भूमि उपलब्धता की समस्या (संख्या)	बजट की उपलब्धता की समस्य (संख्या)
1	स्कूल	1412	0	0
2	कॉलेज	8	4	1
3	आंगनबाड़ी	1439	221	0
4	शासकीय कार्यालय	365	3	15
	कुल	**3224**	**228**	**16**

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 129) की जानकारी

प्रपत्र

(I) संचालित घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की जानकारी

क्रमांक	नदी का नाम	प्रदूषित भाग का नाम	निकाय का नाम	घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) स्थल का नाम एवं क्षमता	
				स्थल	क्षमता (एम.एल.डी.)
1.	खारुन नदी	भाटागांव से बेन्द्री	रायपुर	कारा	35
				निमोरा	90
				चन्दनडीह	75
				भाटागांव	06

(II) खारुन नदी के किनारे वृक्षारोपण की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	स्थल का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)	पौधा संख्या
1	2019-20	चंदनीडीह	5.012	5513
2	2020-21	गुमा	14.000	15400
3	2021-22	दतरेंगा	3.000	3000
योग-			22.012	23,913

(III) खारुन नदी एवं उसके सहायक नालों में भू-जल संरक्षण की दृष्टि से किए गए कार्यो का वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	निर्मित संरचना का नाम	संख्या
1	2017-18	लूज बोल्डर चेकडेम	200
		कन्टूर ट्रेंच	4200
योग -			4,400
2	2019-20	लूज बोल्डर चेकडेम	806
		कन्टूर ट्रेंच	2100
		परकोलेशन वर्क टैक	03
		चेकडेम	04
		गेबियन	16
		डाईक	01
		वाटर होल/डबरी	02
योग -			2,932
कुल योग-			7,332

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - नौ
तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 774) की जानकारी

प्रपत्र-अ

मेसर्स तिरूपति मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड(पूर्व नाम -ओमेक्स मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी संचालन सम्मति के संबंध में जानकारी

क्र.	जारी संचालन सम्मति दिनांक	उत्पाद	उत्पादन क्षमता
1.	18/08/2015	स्टोरेज आफ कोल	30,000 मीट्रिक टन (एक समय में)
2.	19/05/2022	स्टोरेज आफ कोल	1,50,000 मीट्रिक टन (एक समय में)
3.	31/03/2023	स्टोरेज आफ कोल	1,50,000 मीट्रिक टन (एक समय में)
		कोल साईजिंग एंड स्क्रीनिंग	0.96 मिलियन टन/वर्ष

अनुभाग अधिकारी
जलवायु एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

मेसर्स तिरूपति मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड(पूर्व नाम -ओमेक्स मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा का संचालन सम्मति जारी करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किये गये निरीक्षण, पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	स्टोरेज आफ कोल - 1,50,000 मीट्रिक टन (एक समय पर), कोल साईजिंग एंड स्क्रीनिंग -0.96 मिलियन टन/वर्ष	18/05/2022	स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		27/03/2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		07/07/2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		26/12/2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		26/12/2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		28/04/2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 789) की जानकारी

प्रपत्र

विभाग द्वारा संचालित शासकीय छात्रावास/आश्रमों को शिष्यवृत्ति हेतु प्रदाय राशि एवं उसके विरूद्ध मेस व्यय एवं व्यक्तिगत सामग्री पर हुए व्यय की जानकारी

(राशि रूपय में)

क्रं.	जिला	जिले को प्रदाय राशि (छात्रावास/आश्रम)	व्यक्तिगत सामग्री हेतु कुल व्यय (15 प्रतिशत)	मेस व्यय हेतु कुल व्यय (85 प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1	बालोद	47211957.090	7000990.747	37165043.908
2	बलौदाबाजार	34102429.120	4837270.865	26013608.617
3	बलरामपुर	126340682.470	18881412.371	102797459.144
4	बस्तर	204901784.650	30524595.900	165779390.985
5	बेमेतरा	9105583.840	1357370.079	7144135.205
6	बीजापुर	221333296.720	33082472.969	178025845.518
7	बिलासपुर	54975345.630	8082675.000	42336903.377
8	दंतेवाड़ा	142673289.190	19898508.500	112628803.065
9	धमतरी	24829546.610	3628880.810	19069985.550
10	दुर्ग	5835239.720	874385.958	4748771.673
11	गरियाबंद	68086662.030	9737865.410	51620620.888
12	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	60008539.280	8625270.000	47035010.865
13	जांजगीर–चांपा	23759953.040	3251155.262	17677964.925
14	जशपुर	196431088.520	29219363.465	160423834.270
15	कबीरधाम	83179876.840	12409975.027	67677557.870
16	कांकेर	144242520.070	21030666.771	116479705.486
17	खैरागढ़–छुईखदान–गंढ़ई	8706121.200	1216837.676	6821524.281
18	कोण्डागांव	114240554.720	16835139.426	91221314.774
19	कोरबा	116318936.620	16180553.144	89276484.960
20	कोरिया	36743736.950	5484114.972	30316774.130
21	महासमुंद	71161350.950	9810468.211	55146631.704
22	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	35019310.330	5202703.709	27871426.003
23	मोहला–मानपुर–अं.चौकी	46973983.000	6393648.270	36531338.453
24	मुंगेली	26439294.060	3787861.301	20833222.265
25	नारायणपुर	93478023.220	12880880.950	73075116.807
26	रायगढ़	79001104.470	10455657.504	58387074.597
27	रायपुर	20262396.130	2861776.581	16061672.472
28	राजनांदगांव	20170113.800	2920650.498	15447594.722
29	सक्ती	31893625.450	4237875.310	23809877.307
30	सारंगढ़–बिलाईगढ़	49350936.180	7165580.295	38574232.377
31	सुकमा	164684842.010	23947782.936	130067004.672
32	सूरजपुर	80043635.170	11954303.995	65702987.344
33	सरगुजा	102098490.080	15167644.026	83275695.776
योग		2543604249.16	368946337.94	2019044613.99

अनुभाग अधिकारी
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)

परिशिष्ट - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 820) की जानकारी

प्रपत्र–अ

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल कृषि विभाग की सेवाएं

स.क	कार्यालय / निकाय / अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)
1	*2*	*3*	*4*
1	कृषि संचालनालय	जिले में उर्वरक व्यवसाय के लिये नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना एवं पंजीयन का नवीनीकरण (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)	30 कार्य दिवस
2		जिले में पौध संरक्षण औषधियो के व्यवसाय के लिये अनुज्ञप्ति नवीनीकरण (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)	30 कार्य दिवस
3		कृषि के प्रमाणित लेबल बीजो के व्यवसाय हेतु नवीन अनुज्ञप्ति पत्र जारी करना तथा नवीनीकरण (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)	30 कार्य दिवस
4		शक्ति चलित उन्नत कृषि यंत्र वितरण (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)	30 कार्य दिवस
5		नलकूप योजना (किसान समृद्धि एवं सामान्य नलकूप) (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)	30 कार्य दिवस
6		शाकम्भरी योजना (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)	30 कार्य दिवस
7	संचालनालय उद्यान (राज्य स्तर) उप / सहायक संचालक उद्यान	शक्तिचलित यंत्रों का वितरण (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)	30 कार्य दिवस
8	कार्यालय (जिला स्तर)	प्रमाणित बीजों के व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना तथा नवीनीकरण (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)	30 कार्य दिवस
9	कृषि अभियांत्रिकी संकाय संचालनालय कृषि	उन्नत कृषि यंत्रों का परीक्षण प्रमाण पत्र जारी करना परीक्षण हेतु (संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर आवेदन व यंत्र प्राप्त होने के पश्चात)	60 कार्य दिवस
10	छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड	मंडी प्रांगण के गेट पर कृषक वाहन तथा उपज की संपूर्ण प्रवृष्टि के संबंध में	01 कार्य दिवस
11		छ.ग. राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदाय करने के संबंध में	42 कार्य दिवस

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
17:53:49

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में सम्मिलित कृषि विभाग की सेवाओ हेतु वर्षवार, कार्यवार प्राप्त आवेदनो एवं उनके निराकरण की जानकारी

क्र	कार्यालय / निकाय / अभिकरण का नाम	सेवाएं	01 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2023		01 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2024		01 जनवरी से 20 जून, 2025	
			प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन
1	संचालनालय कृषि	उर्वरक व्यवसाय	69	69	28	28	107	107
2		पौध संरक्षण औषधियों	58	58	55	55	123	123
3		बीज अनुज्ञप्ति	70	70	67	67	149	149
4		किसान समृद्धि योजना	20	20	16	16	112	112
		योग	**217**	**217**	**166**	**166**	**491**	**491**
1	संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	बीज अनुज्ञप्ति (सब्जी बीज)	3	3	3	3	0	0
2		कृषि उपकरण	0	0	0	0	0	0
		योग	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**
1	छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड	मंडी प्रांगण के गेट पर कृषक वाहन तथा उपज की संपूर्ण प्रवृष्टि के संबंध में	651	651	709	709	729	729
2		छ.ग. राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदाय करने के संबंध में	1071	1071	1092	1092	1005	1005
		योग	**1722**	**1722**	**1801**	**1801**	**1734**	**1734**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
17:54:53 (विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

महासमुंद जिले में कृषि यंत्रो/उपकरणो हेतु वर्षवार, विकासखण्डवार प्राप्त आवेदनो की जानकारी

वर्ष 2022–23 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक)						
क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	बागबाहरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	60	51	38	38
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	25	25	24	24
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	57	57	55	55
		शाकम्भरी योजना	12	11	11	11
	योग		**154**	**144**	**128**	**128**
2	बसना	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	18	11	11	11
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	1	0	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	16	16	13	13
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	119	118	118	118
		शाकम्भरी योजना	6	6	6	6
	योग		**160**	**151**	**148**	**148**
3	महासमुंद	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	55	42	32	32
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	1	1	1	1
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – चावल	1	0	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	35	35	33	33
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	29	29	29	29
		शाकम्भरी योजना	19	19	19	19
	योग		**140**	**126**	**114**	**114**
4	पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	38	29	17	17
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	3	2	2	2
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	27	27	27	27
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	141	140	137	137
		शाकम्भरी योजना	29	29	29	29
	योग		**238**	**227**	**212**	**212**
5	सरायपाली	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	18	9	7	7
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	14	14	13	13
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	301	298	292	292
		शाकम्भरी योजना	54	51	51	51
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	2	2	0	0
	योग		**389**	**374**	**363**	**363**
	महायोग		**1081**	**1022**	**965**	**965**

क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
वर्ष 2023–24						
क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	बागबाहरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	329	104	69	69
		शाकम्भरी योजना	191	190	180	180
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	24	6	3	3
	योग		**544**	**300**	**252**	**252**
2	बसना	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	164	41	13	13
		शाकम्भरी योजना	23	23	23	23
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	31	12	5	5
	योग		**218**	**76**	**41**	**41**
3	महासमुंद	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	360	110	88	88
		शाकम्भरी योजना	117	106	81	81
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	48	4	1	1
	योग		**525**	**220**	**170**	**170**
4	पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	329	77	46	46
		शाकम्भरी योजना	95	94	93	93
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	61	19	9	9
	योग		**485**	**190**	**148**	**148**
5	सरायपाली	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	194	41	15	15
		शाकम्भरी योजना	137	135	134	134
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	32	0		0
	योग		**363**	**176**	**149**	**149**
महायोग			**2135**	**962**	**760**	**760**

क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
वर्ष 2024–25						
क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	बागबाहरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	422	75	55	55
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	29	10	9	9
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	66	46	18	18
		शाकम्भरी योजना	48	48	48	48
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	8	8	8	8
	योग		**573**	**187**	**138**	**138**
2	बसना	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	209	19	11	11
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	38	7	7	7
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	234	171	164	164
		शाकम्भरी योजना	60	58	58	58
	योग		**541**	**255**	**240**	**240**
3	महासमुंद	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	433	87	55	55
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – (ऑयल सीड)	3	0		0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	106	29	29	29
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	62	41	38	38
		शाकम्भरी योजना	171	171	171	171
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	2	2	2	2
	योग		**777**	**330**	**295**	**295**
4	पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	532	51	42	42
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	64	11	11	11
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	160	133	89	89
		शाकम्भरी योजना	95	95	95	95
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	3	3	3	3
	योग		**854**	**293**	**240**	**240**
5	सरायपाली	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	189	12	7	7
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	86	18	18	18
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	726	507	490	490
		शाकम्भरी योजना	242	238	238	238
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	5	4	4	4
	योग		**1248**	**779**	**757**	**757**
महायोग			**3993**	**1844**	**1670**	**1670**

क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.04.2025 से 20.06.2025 तक)						
क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	बागबाहरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	245	0	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	18	12	3	3
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	15	12	12	12
		शाकम्भरी योजना	6	4	4	4
	योग		**284**	**28**	**19**	**19**
2	बसना	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	140	0	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	52	18	1	1
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	65	30	20	20
		शाकम्भरी योजना	8	8	2	2
	योग		**265**	**56**	**23**	**23**
3	महासमुंद	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	310	0	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	88	64	8	8
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	65	27	10	10
		शाकम्भरी योजना	13	11	5	5
	योग		**476**	**102**	**23**	**23**
4	पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	265	0	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	65	36	5	5
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	63	5	4	4
		शाकम्भरी योजना	8	2	2	2
	योग		**401**	**43**	**11**	**11**
5	सरायपाली	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	125	0	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	77	45	10	10
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	245	75	30	30
		शाकम्भरी योजना	22	13	2	2
	योग		**469**	**133**	**42**	**42**
महायोग			**1895**	**362**	**118**	**118**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
17:55:51

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र

बालोद जिला में वर्ष 2022–23 से जून 2025 तक खरीफ फसल हेतु विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का निर्धारित लक्ष्य एवं किसानों को उपलब्ध कराने हेतु भण्डारित मात्रा की वर्षवार, मौसमवार, उर्वरकवार जानकारी

इकाई मे.टन

क्र.	वर्ष	उर्वरक का नाम											
		यूरिया		डी.ए.पी		एन.पी.के.		एम.ओ.पी.		एस.एस.पी.		योग	
		लक्ष्य	भण्डारण	लक्ष्य	भण्डारण	लक्ष्य	भण्डारण	लक्ष्य	भण्डारण	लक्ष्य	भण्डारण	लक्ष्य	भण्डारण
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	खरीफ 2022	26700	32683	15200	13830	4100	3812	5800	4625	9100	10286	**60900**	**65236**
2	रबी 2022–23	11000	15698	3500	10682	3000	5246	1000	2762	6000	8024	**24500**	**42412**
3	खरीफ 2023	26200	33110	12500	18551	3300	5898	2750	4059	14100	8085	**58850**	**69703**
4	रबी 2023–24	9200	20868	2400	7875	5300	3021	1500	2706	4000	6172	**22400**	**40642**
5	खरीफ 2024	28000	33364	17400	12022	6000	14112	3700	4294	7700	11067	**62800**	**74859**
6	रबी 2024–25	8800	13866	4200	4083	3300	3405	750	2834	3000	9047	**20050**	**33234**
7	खरीफ 2025 (30 जून 2025 तक)	29600	17754	11300	5247	13270	8997	3800	4535	10000	11649	**67970**	**48182**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 18:10:10

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - तेरह

तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 852) की जानकारी

प्रपत्र

एक ही भूखंड को एक से अधिक व्यक्तियों को आबंटित की जानकारी

क्र.	सेक्टर	भूखंड क्र.	प्रभावितों के नाम
1	1	ई-06/डी-73 ई	परविन्दर कौर तथा अभय धाड़ीवाल को
2	1	ई-01/डी-73	अभय धाड़ीवाल एवं संदीप अग्रवाल को ई- 01 आबंटित किया गया हैं। संदीप अग्रवाल को ई-01 के स्थान पर डी- 73 आबंटित किया गया हैं जो श्री विजय रजानी एवं अन्य को भी आबंटित किया गया।
3	1	ई-149	श्री राजेश साहू तथा कोमल पृथवानी एवं अन्य को
4	2	बी-158	करूणा मिश्रा तथा सुरेश प्रसाद साहू को

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - चौदह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 123) की जानकारी

प्रपत्र– "अ"

क्र	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	वन अधिकार पत्र धारकों की संख्या
1	2	3	4
1	कोरबा	बासीनखार	55
2	कोरबा	बताती	107
3	कोरबा	करतला	4
4	कोरबा	कोरकोमा	181
5	कोरबा	केशला	66
6	कोरबा	भुलसीडीह	19
7	कोरबा	भैसमा	55
8	कोरबा	भेलवाटार	65
9	कोरबा	पंडरीपानी	7
10	कोरबा	रजगामार	78
11	कोरबा	डूमरडीह	20
12	कोरबा	दरगा	57
13	कोरबा	चाकामार	61
14	कोरबा	अरेतरा – अ	1
15	कोरबा	गोढ़ी	6
16	कोरबा	गेरांव	41
17	बालको	रूमगरा	110
18	बालको	खेतार	21
19	बालको	बेला	63
20	बालको	कछार	56
21	बालको	केराकछार	3
22	बालको	केशलपुर	25
23	बालको	माखुरपानी	48
24	बालको	पंडरीपानी	18
25	बालको	पोड़ीखोहा	129
26	बालको	पुटकापहाड़	31
27	बालको	सतरेंगा	190
28	बालको	दोन्द्रो	138
29	बालको	दूधीटांगर	29
30	बालको	चुईया	194

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर

क्र	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	वन अधिकार पत्र धारकों की संख्या
31	बालको	अजगरबहार	118
32	बालको	गढ़कटरा	53
33	बालको	गहनिया	16
34	लेमरू	खराखेत	4
35	लेमरू	ठाड़पखना	26
36	लेमरू	डीड़ासराई	1
37	लेमरू	डोकरमना	13
38	लेमरू	ठाड़पखना	103
39	लेमरू	बंजारीडांड	78
40	लेमरू	बहेरा	275
41	लेमरू	बड़गांव	394
42	लेमरू	कुटुरूंवा	337
43	लेमरू	केउबहार	256
44	लेमरू	विमलता	268
45	लेमरू	गिधकुंवारी – अ	2
46	लेमरू	पथरापहाड़	5
47	लेमरू	रपता	149
48	लेमरू	सूर्वे	157
49	लेमरू	डीड़ासराई	68
50	लेमरू	डोकरमना	110
51	लेमरू	चचिया	1
52	लेमरू	नकिया	262
53	लेमरू	अमलडीहा	19
54	लेमरू	अरेतरा – ब	17
55	लेमरू	अरेतरा – अ	132
56	लेमरू	गढ़	225
57	लेमरू	लेमरू	268
58	कुदमुरा	श्यांग	2
59	कुदमुरा	एलोंग	78
60	कुदमुरा	श्यांग	97
61	कुदमुरा	कुदमुरा	10
62	कुदमुरा	कलमीटिकरा	150
63	कुदमुरा	सिमकेंदा	106
64	कुदमुरा	छिरहुट	113
65	कुदमुरा	जिल्गा	73
66	कुदमुरा	गिधकुंवारी – ब	11

क्र	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	वन अधिकार पत्र धारकों की संख्या
67	कुदमुरा	गिधकुंवारी – अ	12
68	कुदमुरा	चचिया	272
69	कुदमुरा	अमलडीहा	40
70	कुदमुरा	गुरमा	134
71	कुदमुरा	लबेद	164
72	पसरखेत	ठाकुरखेता	51
73	पसरखेत	बासीन	233
74	पसरखेत	कोल्गा	220
75	पसरखेत	केराकछार	72
76	पसरखेत	केउबहार	6
77	पसरखेत	मदनपुर	257
78	पसरखेत	गिधकुंवारी – ब	12
79	पसरखेत	पसरखेत	210
80	पसरखेत	पतरापाली	24
81	पसरखेत	सोलवां	36
82	पसरखेत	फुलसरी	101
83	करतला	चोरभट्टी	2
84	करतला	कल्गामार	1
85	करतला	बड़मार	56
86	करतला	करतला	30
87	करतला	कोई	18
88	करतला	कोटमेर	1
89	करतला	केरवांद्वारी	45
90	करतला	चिकनीपाली	2
91	करतला	नोनबिर्रा	44
92	करतला	नोनदरहा	3
93	करतला	नवापारा	5
		योग	7926

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन भूमि में अवैध कब्जा के दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरणों की संख्या	दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरणों में अवैध कब्जाधारकों की संख्या	अवैध कब्जा का क्षेत्रफल (हे. में)	अवैध कब्जा के प्रकरणों में की गई कार्यवाही का विवरण				रिमार्क
							प्रकरण जिसमें नोटिस जारी किया गया।	प्रकरण जिसमें बेदखल किया गया।	बेदखल वन क्षेत्र (हे. में)	न्यायालय में प्रस्तुत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कोरबा	कोरबा	भुलसीडीह	5744/04 Dt-08-02-2007	1	0.800	—	बेदखली किया गया	0.800	—	
2	कोरबा	कोरबा	दरगा	5142/14 Dt-07-03-2007	1	1.000	—	बेदखली किया गया	1.000	—	
3	कोरबा	कोरबा	कोरबा	016883 Dt-30-07-2008	1	0.200	—	बेदखली किया गया	0.200	—	
4	कोरबा	कोरबा	कोरबा	016884 Dt-31-07-2008	1	0.200	—	बेदखली किया गया	0.200	—	
5	कोरबा	कोरबा	गोढी	5581/15 Dt-07-06-2010	1	0.225	नोटिस प्रदाय किया गया		0	—	
6	कोरबा	कोरबा	गोढी	5581/16 Dt-07-06-2010	1	0.220	नोटिस प्रदाय किया गया		0	—	
7	कोरबा	कोरबा	कोरबा	5659/17 Dt-20-12-2013	1	0.200	—	बेदखली किया गया	0.200	—	
8	कोरबा	कोरबा	भैसमा	016913 Dt-31-07-2013	1	1.099	नोटिस प्रदाय किया गया		0	—	
9	कोरबा	कोरबा	भैसमा	016914 Dt-31-07-2014	1	1.100	—	बेदखली किया गया	1.100	—	
10	कोरबा	कोरबा	भैसमा	016915 Dt-31-07-2014	2	0.600	—	बेदखली किया गया	0.600	—	
11	कोरबा	कोरबा	भैसमा	016916 Dt-07-08-2014	1	0.161	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0	—	
12	कोरबा	कोरबा	भैसमा	016917 Dt-20-08-2014	1	0.480	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0	—	
13	कोरबा	कोरबा	भैसमा	016918 Dt-01-09-2014	1	0.080	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0	—	
14	कोरबा	कोरबा	कोरबा	5659/24 Dt-26-09-2014	2	0.056	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0	—	
15	कोरबा	कोरबा	पण्डरीपानी	5249/20 Dt-15-12-2014	2	1.165	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0	—	
16	कोरबा	कोरबा	पण्डरीपानी	5662/04 Dt-04-02-2015	1	0.060	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0	—	
17	कोरबा	कोरबा	कोरबा	019786 Dt-05-10-2021	1	0.108	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।	
18	कोरबा	कोरबा	गोढी	5662/16 Dt-05-07-2022	1	0.659	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।	
19	कोरबा	कोरबा	गोढी	5662/17 Dt-18-07-2022	1	0.153	—	बेदखली किया गया	0.153	—	
20	कोरबा	कोरबा	पण्डरीपानी	5643/13 Date- 19-07-2024	1	0.364	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0	—	
21	कोरबा	कोरबा	गोढी	5662/18 Date- 20-06-2024	1	0.0031	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।	
22	कोरबा	कोरबा	भैसमा	16099/8 Dt. 15-10-2024	1	0.2024	–	बेदखली किया गया	0.2024	—	
23	कोरबा	कोरबा	भैसमा	16099/9 Dt. 15-10-2024	1	0.8097	–	बेदखली किया गया	0.8097	—	
24	कोरबा	कोरबा	कोरकोमा	16121/4 dt. 24-03-2025	1	6.5700	—	—	0	—	प्रकरण की संयुक्त जांच किया जा रहा है।
Total					**27**	**16.515**			**5.265**		

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन भूमि में अवैध कब्जा के दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरणों की संख्या	दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरणों में अवैध कब्जाधारकों की संख्या	अवैध कब्जा का क्षेत्रफल (हे. में)	अवैध कब्जा के प्रकरणों में की गई कार्यवाही का विवरण				रिमार्क
							प्रकरण जिसमें नोटिस जारी किया गया।	प्रकरण जिसमें बेदखल किया गया।	बेदखल वन क्षेत्र (हे. में)	न्यायालय में प्रस्तुत	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	कोरबा	बालको	पण्डरीपानी	5208/18 Dt. 23.08.2009	5	4.04	—	बेदखली किया गया	4.04	—	
2	कोरबा	बालको	पण्डरीपानी	5208/19 Dt. 23.08.2009		0.809	—	बेदखली किया गया	0.809	—	
3	कोरबा	बालको	पण्डरीपानी	5208/20 Dt. 23.08.2009		2.023	—	बेदखली किया गया	2.023	—	
4	कोरबा	बालको	चुईया	0194/06 Dt. 11.02.2010	1	1.15	—	बेदखली किया गया	1.15	—	
5	कोरबा	बालको	चुईया	5571/13 Dt. 15.12.2015	1	0.45	—	बेदखली किया गया	0.45	—	
6	कोरबा	बालको	गहनिया	5570/13 Dt. 23.04.2018	6	1.000	—	बेदखली किया गया	1.000	—	
7	कोरबा	बालको	रूमगरा	11954/14 Dt. 23.10.2024	1	0.202	—	बेदखली किया गया	0.202	—	
Total					**14**	**9.674**			**9.674**		
1	कोरबा	पसरखेत	मदनपुर	5672/25 Dt. 30.01.2018	1	0.619	—	बेदखली किया गया	0.619	—	
2	कोरबा	पसरखेत	मदनपुर	5676/01 Dt. 30.01.2018	1	0.619	—	बेदखली किया गया	0.619	—	
Total					**2**	**1.238**			**1.238**		
1	कोरबा	करतला	सण्डेल	5578/19 Dt. 27.11.2018	1	0.002	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0.002	—	
2	कोरबा	करतला	सण्डेल	5578/21 Dt. 24.01.2019	1	0.162	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0.162	—	
3	कोरबा	करतला	चिकनीपाली	5627/08 Dt. 04.07.2019	1	0.840	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0.840	—	
4	कोरबा	करतला	सण्डेल	15328 Dt. 28.12.2019	1	0.003	नोटिस प्रदाय किया गया	—	0.003	—	
5	कोरबा	करतला	महोरा	15330/05 Dt. 30.03.2025	1	1.092	—	—	1.092	न्यायालयीन कार्यवाही	
6	कोरबा	करतला	नोनबिर्रा	5580/14 Dt. 06.06.2025	1	0.281	—	बेदखल	0.281		
Total					**6**	**2.380**			**2.380**		
Grand Total					**49**	**29.807**			**18.557**		

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर

प्रपत्र

विगत 5 वर्षों में रबी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन की जानकारी

क्र.	फसल	वर्ष 2020–21		वर्ष 2021–22		वर्ष 2022–23		वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25	
		क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गेहूं	167497	259510	160268	203833	142685	206899	150959	210268	0	0
2	ग्रीष्म धान	297258	0	268066	0	259519	0	213571	0	0	0
3	मक्का	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	रागी	3298	1080	3283	984	3532	1040	3333	965	0	0
5	जौ	1136	791	856	766	283	302	538	686	0	0
6	अन्य	395	0	348	0	6623	0	6409	0	0	0
	कुल अनाज	**469584**	**261381**	**432821**	**205583**	**412642**	**208241**	**374810**	**211919**	**0**	**0**
7	चना	314845	258803	332898	260326	303625	272655	253060	209169	0	0
8	मटर	11884	5192	13690	5354	13004	5691	11116	5022	0	0
9	मसूर	14613	5898	13573	5273	13128	5511	13871	5707	0	0
10	मूंग	2076	957	2059	861	2497	897	2013	541	0	0
11	उड़द	1971	784	2286	917	1979	842	1919	827	0	0
12	कुल्थी	166	68	106	51	139	51	64	26	0	0
13	तिवड़ा	171550	121629	173027	103989	162446	128820	149198	93398	0	0
14	अन्य दलहन	2651	0	2433	0	3481	0	4140	0	0	0
	कुल दलहन	**519756**	**393331**	**540072**	**376771**	**500299**	**414467**	**435381**	**314690**	**0**	**0**

क्र.	फसल	वर्ष 2020–21		वर्ष 2021–22		वर्ष 2022–23		वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25	
		क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	राई–सरसों	31835	16459	34081	17518	30670	17267	31402	14414	0	0
16	अलसी	9875	3792	10602	3541	8510	2647	8449	3684	0	0
17	कुसुम	42	16	119	38	105	35	79	23	0	0
18	सूर्यमुखी	1287	495	491	242	672	516	385	191	0	0
19	तिल	642	0	436	0	312	0	120	0	0	0
20	मूंगफली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तिलहन	**43681**	**20762**	**45729**	**21339**	**40269**	**20465**	**40435**	**18312**	**0**	**0**
21	गन्ना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	सब्जी एवं अन्य	57372	0	92020	0	67294	0	65874	0	0	0
	महायोग	**1090393**	**675474**	**1110642**	**603693**	**1020504**	**643173**	**916500**	**544921**	**0**	**0**

स्त्रोत–आयुक्त, भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

टीपः–1. धान ग्रीष्मकालीन एवं तिल रबी में फसल कटाई प्रयोग नहीं होने के कारण उत्पादन ज्ञात नहीं किया जाता है। उपरोक्त जानकारी कृषि सांख्यिकी सारणी वर्ष 2024 के आधार पर तैयार की गई है।

2. फसल मक्का, मूंगफली एवं गन्ना भारत सरकार के टी.आर.एस. योजना के अनुदेशानुसार मौसम खरीफ अंतर्गत ली जाती है। मक्का एवं मूंगफली में फसल कटाई प्रयोग मौसम खरीफ अंतर्गत आयोजित किया जाता है।

3. वर्ष 2024–25 की वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी एवं प्रतिवेदन जिलों से 15 अगस्त के बाद प्राप्त होगी।

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
Date: 10-07-2025 18:22:13
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - सोलह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 63) की जानकारी

प्रपत्र–अ

क्र.	वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्राप्त आवेदनो की संख्या			वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या		
				CFR	CFRR	TOTAL	CFR	CFRR	TOTAL
1	2	3	4	6	5	7	9	8	10
1	2022–23	मोहनपुर	मोहनपुर	–	1	1	–	1	1
2		कुर्रा	कुर्रा	–	1	1	–	1	1
3		कुंजारा	कुंजारा	2	–	2	2	–	2
4		सिंवार	सिंवार	1	–	1	1	–	1
5		आमापाली	आमापाली	1	–	1	1	–	1
6		कमरई	कमरई	2	–	2	2	–	2
7		बालकपोंड़ी	बालकपोंड़ी	1	–	1	1	–	1
8		ओंगना	ओंगना	3	–	3	3	–	3
9		धौंरादरहा	धौंरादरहा	1	–	1	1	–	1
10	2023–24	बुड़िया	बुड़िया	5	1	6	5	1	6
11		छर्राटांगर	छर्राटांगर	–	1	1	–	1	1
12		आमापाली	आमगांव	–	1	1	–	1	1
13	2024–25	––निरंक––							
14	2025–26 (01 अप्रैल, 2025 से 20 जून,2025 तक)	––निरंक––							
योग				**16**	**5**	**21**	**16**	**5**	**21**

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर

प्रपत्र–''ब''

क.	तहसील	कितने आदिवासियों के जमीन के 170 ख के प्रकरण दर्ज किए गए?	कितनी जमीन आदिवासियों को वापस की गई?
1	2	4	5
1	रायगढ़	8	0
2	खरसिया	1	0
3	घरघोड़ा	10	0
4	तमनार	19	0
5	लैलूंगा	10	1
6	धरमजयगढ़	4	0
	योगः–	**52**	**1**

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर

परिशिष्ट - सत्रह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 64) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2024-25 से 20 जून 2025 तक रायगढ़ जिले अंतर्गत आई.डब्ल्यू.एम.एम.एस. में पंजीकृत उद्योगों की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता
1	मेसर्स टी.आर.एन इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम भेंगारी, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
2	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम-एस.के.एस.पॉवर जनरेशन कंपनी (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिंजकोट,दर्रामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
3	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू.स्टील लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
4	मेसर्स अडानी पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बड़े भण्डार, छोटे भण्डार, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
5	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम लारा, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
6	मेसर्स एन.आर.व्ही.एस स्टील्स लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
7	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
8	मेसर्स बी.एस.स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
9	मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पॉवर प्रा.लि., ग्राम-टेमटेमा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
10	मेसर्स एन.आर.इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गौरमुड़ी, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
11	मेसर्स सालासार स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड ग्राम-गेरवानी, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
12	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम तराईमाल, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
13	मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम-सिंघल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम तराईमाल, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
14	मेसर्स जिंदल पॉवर लि.ग्राम-तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
15	मेसर्स जिंदल एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
16	मेसर्स मां काली एलॉयस प्रा.लिमिटेड, ग्राम-पाली, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
17	मेसर्स जिंदल एण्ड पॉवर लिमिटेड, डोंगामहुआ केप्टिव पॉवर प्लांट, ग्राम-डोंगामौहा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - अट्ठारह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 167) की जानकारी

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 में लैलूंगा विधानसभा अंतर्गत स्थापित प्रदूषकारी उद्योगों में वायु प्रदूषण मानक की जांच एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम	जांच दिनांक	जांच के दौरान पाई गई स्थिति	मंडल द्वारा उद्योग के विरूद्ध की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	मेसर्स श्री श्याम इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	09.11.2024	चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाया गया।	उद्योग को मंडल के पत्र दिनांक 11.11.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 30,000.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 30,000.00 जमा किया गया।
		08.01.2025	चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा से कम पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
2.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, तहसील व जिला-रायगढ़	13.05.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		19.10.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		18.12.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		03.02.2025	चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा से कम पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
3.	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स, ग्राम-बजरमुड़ा एवं डोलनारा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	14.05.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
4.	मेसर्स आलोक	15.05.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता	कार्यवाही की	--

	इस्पात प्रा. लि., ग्राम-पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़		मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	आवश्यकता नहीं।	
5.	मेसर्स तिरूमाला बालाजी फेरो एलॉयज, ग्राम-पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़	15.05.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		09.01.2025	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
6.	मेसर्स निर्मलानंद स्टील एण्ड कास्टिंग प्रा. लि., ओ.पी. जिंदल औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-पूंजीपथरा, जिला-रायगढ	15.05.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
7.	मेसर्स ममता इलेक्ट्रोकास्टिंग प्रा.लि., ओ.पी. जिंदल औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-पूंजीपथरा, जिला-रायगढ	15.05.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
8.	मेसर्स चन्द्रहासिनी इस्पात प्रा.लि. युनिट-02, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़	16.05.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		10.12.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
9.	मेसर्स सिंघल इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	09.11.2024	चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाया गया।	उद्योग को मंडल के पत्र दिनांक 11.11.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 30,000.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 30,000.00 जमा किया गया।
		08.01.2025	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
10.	मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-चिराईपानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	29.05.2024	चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाया गया।	उद्योग को मंडल के पत्र दिनांक 21.10.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 20,000.00 रूपये अधिरोपित	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 20,000 जमा किया गया।

				किया गया।	
		19.11.2024	चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाया गया।	उद्योग को मंडल के पत्र दिनांक 19.11.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 20,000.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 20,000.00 जमा किया गया।
11.	मेसर्स श्री बालाजी इस्पात, ओ.पी. जिंदल औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-तुमीडीह, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	29.05.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
12.	मेसर्स अंजनी स्टील एण्ड प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उज्जवलपुर, जिला-रायगढ़	07.06.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		10.12.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
13.	मेसर्स मॉ काली एलायज उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़	07.06.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		09.12.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
14.	मेसर्स सालासार स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	07.06.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		10.12.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
15.	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, जिला-रायगढ़	07.06.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		09.12.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं	कार्यवाही की	--

			परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	आवश्यकता नहीं।	
16.	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-देलारी, जिला-रायगढ़	12.06.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		12.12.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
17.	मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-गौरमुड़ी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	12.06.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		09.12.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
18.	मेसर्स रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, जिला-रायगढ़	12.06.2024	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
19.	मेसर्स अजय इंगाट्स रोलिंग मिल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	25.06.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
20.	मेसर्स रजत इस्पात प्रा. लि., ओ.पी. जिंदल औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-तुमिडीह, जिला-रायगढ	25.06.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
21.	मेसर्स आर.एस. इस्पात प्रा. लि., ओ.पी. जिंदल औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-तुमिडीह, जिला-रायगढ	25.06.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
22.	मेसर्स नर्मदा ऑयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-तुमीडीह, जिला-रायगढ़	25.06.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--

23.	मेसर्स अग्रोहा ऑयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़	27.06.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		12.12.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
24.	मेसर्स सूरज रोलिंग मिल, ग्राम-उर्दना, जिला-रायगढ़	27.06.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
25.	मेसर्स ओम श्री रूपेश स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चिराईपानी तहसील व जिला-रायगढ़	12.12.2024	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
26.	मेसर्स एन.आर.व्ही.एस. स्टील्स लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	09.11.2024	चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाया गया।	उद्योग को मंडल के पत्र दिनांक 11.11.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 30,000.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 30,000.00 जमा किया गया।
27.	मेसर्स स्केनिया स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	09.11.2024	चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाया गया।	उद्योग को मंडल के पत्र दिनांक 11.11.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 20,000.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 20,000.00 जमा किया गया।
28.	मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड (कोल वॉशरी), ग्राम-लिबरा, जिला-रायगढ़	04.01.2025	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
29.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-डोंगामहुआ, जिला-रायगढ़	04.01.2025	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		04.02.2025	चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा से कम पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
30.	मेसर्स जिंदल पॉवर, ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़	04.02.2025	चिमनी से उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--

		28.02.2025	चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा से कम पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--

वित्तीय वर्ष 2024-25 में लैलूंगा विधानसभा अंतर्गत स्थापित प्रदूषकारी उद्योगों में जल प्रदूषण मानक की जांच एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम	मॉनिटरिंग दिनांक	मॉनिटरिंग में पाई गई स्थिति (परिपालन/उल्लंघन)	मंडल द्वारा उद्योग के विरूद्ध की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, तहसील व जिला-रायगढ़	15.05.2024	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		09.07.2024	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		06.08.2024	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		03.09.2024	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		04.10.2024	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		06.01.2025	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
2.	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	19.05.2024	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		09.07.2024	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		04.10.2024	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		06.01.2025	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--

		17.03.2025	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
3.	मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	09.09.2024	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		04.12.2024	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		17.03.2025	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
4.	मेसर्स जिंदल पॉवर, ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़	06.11.2024	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाये गये।	उद्योग को मंडल के पत्र दिनांक 06.11.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया।	उद्योग पर 4,20,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 4,20,000.00 रूपये जमा किया गया।
		20.11.2024	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--
		03.03.2025	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाये गये।	उद्योग को मंडल के पत्र दिनांक पत्र दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया।	उद्योग पर 5,40,000 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 5,40,000.00 जमा किया गया।
		17.03.2025	जल गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से कम पाये गये।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	--

अनुभाग अधिकारी
जल एवं पर्यावरण विभाग
कार्यालय, रायपुर

परिशिष्ट - उन्नीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 237) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला	व्यक्तिगत वन अधिकार के तहत आवासीय प्रयोजन हेतु प्राप्त आवेदन	आवासीय प्रयोजन हेतु वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या	आवासीय प्रयोजन के वितरण हेतु शेष वन अधिकार पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1	कोरिया	0	0	0
2	मनेन्द्रगढ़	65	65	0
3	सरगुजा	15	15	0
4	जशपुर	10	10	0
5	रायगढ़	0	0	0
6	सारंगढ़	0	0	0
7	कोरबा	101	101	0
8	जांजगीर–चांपा	0	0	0
9	सक्ती	0	0	0
10	बिलासपुर	0	0	0
11	कबीरधाम	0	0	0
12	राजनांदगांव	0	0	0
13	खैरागढ़	0	0	0
14	मोहला	0	0	0
15	महासमुंद	11	11	0
16	धमतरी	8	8	0
17	कांकेर	0	0	0
18	बस्तर	0	0	0
19	नारायणपुर	0	0	0
20	दंतेवाड़ा	1	1	0
21	बीजापुर	16	16	0
22	सुकमा	6	6	0
23	कोण्डागांव	0	0	0
24	गरियाबंद	0	0	0
25	बलौदाबाजार	0	0	0
26	बलरामपुर	5	5	0
27	सूरजपुर	0	0	0
28	बालोद	0	0	0
29	मुंगेली	0	0	0
30	गौरेला	0	0	0
	योग	**238**	**238**	**0**

अनुभाग अधिकारी
अ.ज.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - बीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 441) की जानकारी

प्रपत्र-

क्रं.	पद का नाम	स्वी. पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	अधीक्षक	26	16	10	अधीक्षकों के रिक्त पदों के विरूद्ध शिक्षकों से प्रभारी अधीक्षक के रूप में कार्य लिया जा रहा है।
2	रसोइया, चौकीदार	90	42	48	रसोइया, चौकीदार के रिक्त पदों के विरूद्ध कलेक्टर दर (दैनिक मजदूरों) के कार्य लिया जा रहा है।
3	सफाई कर्मचारी	26	26	0	—

अनुभाग अधिकारी
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

परिशिष्ट - इक्कीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 453) की जानकारी

प्रपत्र

शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहाय योजना की दर में वृद्धि की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रं.	वर्ष	शिष्यवृत्ति योजना		भोजन सहाय योजना	
		पूर्व में प्रदायित दर	दर में वृद्धि	पूर्व में प्रदायित दर	दर में वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1	2008–09	360/–	450/–	–	–
2	2011–12	450/–	650/–	–	–
3	2013–14	650/–	750/–	200/–	400/–
4	2015–16	750/–	800/–	400/–	500/–
5	2016–17	800/–	850/–	–	–
6	2017–18	850/–	900/–	–	–
7	2018–19	900/–	1000/–	500/–	700/–
8	2023–24	1000/–	1500/–	700/–	1200/–

अनुभाग अधिकारी
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - बाईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 458) की जानकारी

प्रपत्र–अ

अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (SCP) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति वर्गो की आजीविका से जुड़ी योजनावार आबंटित धनराशि की जानकारी

			(राशि लाखों में)
क.	विभाग का	योजना का नाम	आबंटित धनराशि
1	2	3	4
1	कृषि	कृषक समग्र विकास योजना	298.000
		जैविक खेती मिशन	56.700
		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	1203.752
		शाकम्भरी योजना	24.000
		किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान	32.000
		नेशनल मिशन आन आईलसीड्स एण्ड आयलपाम एडिबल ऑयल	187.430
		नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग	3.670
		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	401.670
		एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम	58.330
		एन.एम.एस.ए. स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट योजना	66.670
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	320.830
		परम्परागत कृषि विकास योजना	88.330
		एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन	303.940
		कृषि यॉत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान	223.330
		एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन	653.330
		योग :–	**3921.982**
2	उद्यानिकी	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	240.000
		मधुमक्खी पालन के द्वारा परागण योजना	3.000
		आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना	10.000
		समेकित उद्यानिकी कार्य योजना	420.000
		मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना	60.000
		नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एण्ड आईलपॉम	300.000
		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	420.000
		नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एण्ड आईलपॉम	900.000
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	420.000
		एकीकृत बागवानी विकास मिशन	1800.000
		एन.एम.एस.ए अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन	96.000
		योग :–	**4669.000**

अनुभाग अधिकारी
आ.ज. तथा अनु.ज.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क.	विभाग का	योजना का नाम	आबंटित धनराशि
1	2	3	4
3	पशुधन विकास	बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण	60.000
		नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	16.000
		राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना	25.000
		राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना	20.000
		अनुदान पर सूकर त्रयी वितरण योजना	30.000
		अनुदान पर बकरा वितरण योजना	8.000
		छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना	6.000
		योग :–	**165.000**
4	मत्स्य	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	394.140
		मत्स्य पालन प्रसार	73.340
		मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	19.610
		विस्तार और प्रशिक्षण	18.750
		मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा	4.380
		विस्तार और प्रशिक्षण	4.500
		योग :–	**514.720**
5	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन– केन्द्र प्रवर्तित योजना	2162.767
		योग :–	**2162.767**
6	ऊर्जा (छ.ग.वि.वि.कं.)	पाँच एच.पी. तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	81134.000
		बी.पी.एल.उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	11413.100
		उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	0.010
		घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत	23180.000
		विद्युत कम्पनियों को सहायता	0.010
		पी0एम0 सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना	4340.000
		पी0एम0 कुसुम योजना	600.000
		मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास	0.010
		रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम {800}	4200.000
		कृषि पम्पों का ऊर्जीकरण	600.000
		मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना	300.000
		मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना	600.000
		पी0एम0 जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना	1000.000
		योग :–	**127367.130**
7	ग्रामोद्योग – रेशम	रेशम उद्योग का विकास कार्य	130.800
			18.000
		टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	497.200
		योग :–	**646.000**

क.	विभाग का	योजना का नाम	आबंटित धनराशि
1	2	3	4
8	ग्रामोद्योग – खादी	खादी वस्त्र उत्पादन पर रिबेट (1069)	8.500
		स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान (4663)	4.000
		खादी बोर्ड के कारीगरों को प्रशिक्षण (5102)	22.000
		मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाईयों को स्थापना हेतु सहायता)	260.000
		खादी बोर्ड हेतु कच्चा माल की सुविधा हेतु सहायता (9307)	99.000
		योग :–	**393.500**
9	ग्रामोद्योग – हाथकरघा	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	70.000
		कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	
		उन्नत उपकरण सहायता	
		करघा गृह सहायता	
		नवीन डिजाईन विकास	
		अधोसंरचना विकास निर्माण	
		भवन जीर्णोद्धार सहायता	
		बुनकर आवास क्षेत्र में बुनियादी सहायता	
		विपणन प्रचार हेतु सहायात	
		बुनकर वर्कशेड सह आवास योजना	70.000
		रिवाल्विंग फंड योजना	0.000
		बाजार अध्ययन प्रदर्शनिया	18.000
		योग :–	**158.000**
10	हस्त शिल्प वि. बो.	002–हस्तशिल्प विकास योजनाओं हेतु अनुदान	40.660
		003–भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण अनुदान	5.500
		011–हस्तशिल्पियों को औजार, कर्मशाला अनुदान	10.000
		012–हस्तशिल्पयों को प्रशिक्षण अनुदान	27.450
		मांग संख्या–64, योजना क्र. –5020, विकास केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान	58.852
		योग :–	**142.462**

क.	विभाग का नाम	योजना का नाम	आबंटित धनराशि
1	2	3	4
11	इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	संचार क्रांति योजना (मांग संख्या 64)	0.010
		योग	**0.010**
12	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास	बी.एस.सी.नर्सिंग पाठ्यक्रम	400.000
		हॉस्पिटलिटी होटल मैनेजमेंट	
		योग	**400.000**
		कुल योग	**140540.571**

अनुभाग अधिकारी
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

अनुसूचित जनजाति विशेष घटक योजना (TSP) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जनज
से जुड़ी योजनावार आबंटित धनराशि की जानकारी

(राशि लाखों में)

क.	विभाग का नाम	योजना का नाम	आबंटित धनराशि
1	2	3	4
1	कृषि	कृषक समग्र विकास योजना	2063.000
		जैविक खेती मिशन	190.100
		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	4574.393
		शाकम्भरी योजना	76.000
		किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान	108.000
		माइक्रोमाईनर सिंचाई योजना	425.000
		नेशनल मिशन आन आईलसीड्स एण्ड आयलपाम एडिबल ऑयल	447.670
		नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग	8.750
		राष्ट्रीय कृषि विकास योज़ना (सामान्य)	785.710
		एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम	140.000
		एन.एम.एस.ए. स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट योजना	158.330
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	767.500
		परम्परागत कृषि विकास योजना	210.000
		एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन	725.950
		कृषि यॉत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान	530.000
		एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन	833.330
		योग :–	**12043.733**
2	उद्यानिकी	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	760.000
		सघन फलोद्यान विकास योजना	220.000
		नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	140.000
		मधुमक्खी पालन के द्वारा परागण योजना	9.500
		आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना	60.000
		समेकित उद्यानिकी कार्य योजना	1330.000
		मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना	190.000
		नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एण्ड आईलपॉम	950.000
		उद्यानिकी प्रशिक्षण	50.000
		एन.एम.एस.ए अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन	1000.000
		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1120.000
		नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एण्ड आईलपॉम	2850.000
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1120.000
		एकीकृत बागवानी विकास मिशन	4800.000
		एन.एम.एस.ए अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन	256.000
		योग :–	**14855.500**
3	पशुधन विकास	बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण	330.000
		नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	45.000
		राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना	50.000
		अनुदान पर सूकर त्रयी वितरण योजना	170.000
		अनुदान पर बकरा वितरण योजना	50.000
		छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना	19.000
		योग :–	**664.000**

क.	विभाग का नाम	योजना का नाम	आबंटित धनराशि
1	2	3	4
4	मत्स्य	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	1053.440
		मत्स्य बीज उत्पादन	77.240
		मत्स्य बीज उत्पादन	34.370
		विस्तार और प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण)	10.000
		मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा	22.520
		मत्स्य पालन प्रसार (मत्स्य पालको को अनुदान)	282.840
		मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	104.400
		विस्तार और प्रशिक्षण	77.500
		योग :–	**1662.310**
5	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	5755.400
		योग :–	**5755.400**
6	ऊर्जा (छ.ग. वि.वि.कं.)	पाँच एच.पी. तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	99380.000
		बी.पी.एल.उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	21833.750
		उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	0.010
		घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत	28400.000
		विद्युत कम्पनियों को सहायता	0.010
		पी0एम0 सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना	4340.000
		पी0एम0 कुसुम योजना	1500.000
		मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास	0.010
		रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम	13300.000
		कृषि पम्पों का ऊर्जीकरण	1900.000
		मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना	1003.660
		मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना	1900.000
		प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना(सौभाग्य)	0.010
		पी0एम0 जनमन योजना	400.000
		पी0एम0 जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना	3000.000
		नियद नेल्लानार योजना	2000.000
		योग :–	**178957.450**
7	ग्रामोद्योग – रेशम	नैसर्गिक टसर कोसा उत्पादन	870.000
		पालित प्रजाति के कृमि पालकों को टसर स्व.डि.समूह	1617.600
		उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	120.000
		योग :–	**2607.600**
8	ग्रामोद्योग – खादी	खादी वस्त्र उत्पादन पर रिबेट (1069)	8.000
		स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान (4663)	4.000
		खादी बोर्ड के कारीगरों को प्रशिक्षण (5102)	22.000
		मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाईयों को स्थापना हेतु सहायता)	270.000
		खादी बोर्ड हेतु कच्चा माल की सुविधा हेतु सहायता (9307)	38.000
		योग :–	**342.000**

क.	विभाग का नाम	योजना का नाम	आबंटित धनराशि
1	2	3	4
9	ग्रामोद्योग – हाथकरघा	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	140.000
		कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	
		उन्नत उपकरण सहायता	
		करघा गृह सहायता	
		नवीन डिजाईन विकास	
		अधोसंरचना विकास निर्माण	
		भवन जीर्णोद्धार सहायता	
		बुनकर आवास क्षेत्र में बुनियादी सहायता	
		विपणन प्रचार हेतु सहायात	
		बुनकर वर्कशेड सह आवास योजना	120.000
		रिवाल्विंग फंड योजना	6.500
		बाजार अध्ययन प्रदर्शनिया	15.000
		कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना	55.000
		योग :–	**336.500**
10	हस्त शिल्प वि.बो.	001–विकास केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान	90.000
		002–हस्तशिल्प विकास योजनाओं हेतु अनुदान	90.000
		003–भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण अनुदान	5.500
		011–हस्तशिल्पियों को औजार, कर्मशाला अनुदान	1.250
		012–हस्तशिल्पयों को प्रशिक्षण अनुदान	35.000
		मांग संख्या–41 योजना क्र. –5021, सहकारी संस्थाओं / समितियों को आर्थिक सहायता अनुदान	5.000
		मांग संख्या–41 योजना क्र. –8562 कोण्डागांव में शिल्प सिटी की स्थापना	15.000
		योग :–	**241.750**
11	इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	संचार कांति योजना (मांग संख्या 41)	0.010
		योग :–	**0.010**
12	पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय	मुक्तांकाश संग्रहालय	817.000
		योग :–	**817.000**
13	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास	बी.एस.सी.नर्सिंग पाठ्यक्रम	300.000
		हॉस्पिटलिटी होटल मैनेजमेंट	
		योग	**300.000**
		कुल योग	**218583.253**

अनुभाग अधिकारी
अनु. जा. तथा अनु. जा.ति. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - तेईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 488) की जानकारी प्रपत्र

सेवा सहकारी समिति मर्यादित केन्द्रो में डी.ए.पी. खाद की आपूर्ति की केन्द्रवार जानकारी

(इकाई मे. टन में)

स.क्र.	जिला	सेवा सहकारी समितियों में की गई आपूर्ति (दिनांक 31 मार्च 2025 से दिनांक 20 जून 2025 तक)	
		नाम	मात्रा
1	2	3	4
1	दुर्ग	पाटन	55.30
2	दुर्ग	अछोटी	30.90
3	दुर्ग	अण्डा	110.85
4	दुर्ग	अरसनारा	10.00
5	दुर्ग	अहिवारा	48.30
6	दुर्ग	अहेरी	71.95
7	दुर्ग	आगेसरा	2.35
8	दुर्ग	आमटी	34.15
9	दुर्ग	आलबरस	9.70
10	दुर्ग	उतई	51.50
11	दुर्ग	ओटेबंद	59.40
12	दुर्ग	औंधी	94.55
13	दुर्ग	कन्हारपुरी	65.00
14	दुर्ग	करंजा भिलाई	30.90
15	दुर्ग	कुथरेल	48.05
16	दुर्ग	कुम्हली	20.00
17	दुर्ग	कुम्हारी	48.25
18	दुर्ग	कुमींगुण्डरा	40.00
19	दुर्ग	केसरा	12.10
20	दुर्ग	कोडिया	85.00
21	दुर्ग	कोलिहापुरी	30.95
22	दुर्ग	कोहका	63.30
23	दुर्ग	खिलौराकला	64.65
24	दुर्ग	खुरसुल (रसमड़ा)	25.00
25	दुर्ग	गनियारी	32.50
26	दुर्ग	गाडाडीह	28.45
27	दुर्ग	गुजरा	35.75
28	दुर्ग	गोढी	26.85
29	दुर्ग	घुघवा	36.80
30	दुर्ग	घोंठा	70.00
31	दुर्ग	घोटवानी	80.95
32	दुर्ग	चंगोरी	42.20
33	दुर्ग	चंदखुरी	49.65

स.क्र.	जिला	सेवा सहकारी समितियों में की गई आपूर्ति (दिनांक 31 मार्च 2025 से दिनांक 20 जून 2025 तक)	
		नाम	मात्रा
1	2	3	4
34	दुर्ग	जंजगिरी	9.00
35	दुर्ग	जमराव	29.25
36	दुर्ग	जरवाय	20.00
37	दुर्ग	जामगांव आर	20.00
38	दुर्ग	जामगांव एम	60.75
39	दुर्ग	झीट	30.00
40	दुर्ग	झोला	2.50
41	दुर्ग	टेमरी	6.55
42	दुर्ग	टेमरी (नगपुरा)	15.65
43	दुर्ग	ठेंगाभाट	51.50
44	दुर्ग	डगनिया	43.00
45	दुर्ग	डीडाभाठा	42.25
46	दुर्ग	डोड़की	68.35
47	दुर्ग	तर्रा	44.25
48	दुर्ग	तिरगा	37.10
49	दुर्ग	तेलीगुण्डरा	38.80
50	दुर्ग	थनौद	77.05
51	दुर्ग	दनिया	15.00
52	दुर्ग	दारगांव	15.00
53	दुर्ग	देवरी	45.05
54	दुर्ग	धनोरा	12.00
55	दुर्ग	धमधा	58.00
56	दुर्ग	नंदनीखुंदनी	49.25
57	दुर्ग	नंदौरी	74.90
58	दुर्ग	नगपुरा	61.45
59	दुर्ग	ननकट्ठी	30.25
60	दुर्ग	नवागांव	94.95
61	दुर्ग	नारधा	152.90
62	दुर्ग	निकुम	65.80
63	दुर्ग	निपानी	44.45
64	दुर्ग	पथरिया	30.00
65	दुर्ग	पहंडोर	78.25
66	दुर्ग	पाहरा	41.25
67	दुर्ग	पेण्ड्रावन	72.05
68	दुर्ग	फेकारी	30.30
69	दुर्ग	बटंग	66.40
70	दुर्ग	बटरेल	44.90
71	दुर्ग	बरहापुर	104.50

स.क्र.	जिला	सेवा सहकारी समितियों में की गई आपूर्ति (दिनांक 31 मार्च 2025 से दिनांक 20 जून 2025 तक)	
		नाम	मात्रा
1	2	3	4
72	दुर्ग	बेल्हारी	33.55
73	दुर्ग	बोरिद	40.75
74	दुर्ग	बोरी	79.95
75	दुर्ग	बोरीगारका	29.40
76	दुर्ग	बोरेन्दा	20.00
77	दुर्ग	भरदा	14.00
78	दुर्ग	भरर	20.00
79	दुर्ग	भाठाकोकड़ी	35.20
80	दुर्ग	भिलाई 03	54.15
81	दुर्ग	भेडसर	61.65
82	दुर्ग	मंचान्दुर	34.60
83	दुर्ग	मर्रा	20.00
84	दुर्ग	माटरा	60.00
85	दुर्ग	मुरमुदा	56.70
86	दुर्ग	मोहरेंगा	101.40
87	दुर्ग	रहटादाह	20.55
88	दुर्ग	राजपुर	95.75
89	दुर्ग	राहटदाह	57.50
90	दुर्ग	रिसामा	49.30
91	दुर्ग	रौंदा	87.05
92	दुर्ग	लहंगा	25.55
93	दुर्ग	लिटिया	58.90
94	दुर्ग	लिमतरा	41.95
95	दुर्ग	विनायकपुर	30.30
96	दुर्ग	सांकरा	40.30
97	दुर्ग	सांतरा	20.80
98	दुर्ग	सावनी	61.90
99	दुर्ग	सिकोला	30.80
100	दुर्ग	सिरसा	35.00
101	दुर्ग	सुरपा	36.90
102	दुर्ग	सेमरिया	55.05
103	दुर्ग	सेलूद	40.00
104	दुर्ग	सोनपुर	40.30
105	दुर्ग	सोरम	30.80
106	दुर्ग	हसदा	60.55
107	दुर्ग	हिरीं	98.40
		जिला दुर्ग योग	**4976.95**

स.क्र.	जिला	सेवा सहकारी समितियों में की गई आपूर्ति (दिनांक 31 मार्च 2025 से दिनांक 20 जून 2025 तक)	
		नाम	मात्रा
1	2	3	4
1	कबीरधाम	इंदौरी	123.20
2	कबीरधाम	उसरवाही	32.60
3	कबीरधाम	कवर्धा	30.00
4	कबीरधाम	किशुनगढ़	0.70
5	कबीरधाम	कुंवामालगी	6.20
6	कबीरधाम	कुकदुर	15.40
7	कबीरधाम	कुण्डा	38.70
8	कबीरधाम	कुम्ही	7.90
9	कबीरधाम	कुरूवा	27.80
10	कबीरधाम	कृतबांधा	10.60
11	कबीरधाम	कोको	30.00
12	कबीरधाम	कोसमंदा	62.20
13	कबीरधाम	खपरी	55.00
14	कबीरधाम	खैरझिटीनया	0.20
15	कबीरधाम	खैरबनाकला (महा.)	54.40
16	कबीरधाम	खैरबनाखुर्द (मिन.)	5.50
17	कबीरधाम	गैंदपुर	7.70
18	कबीरधाम	गोछिया	2.00
19	कबीरधाम	चचेड़ी	40.00
20	कबीरधाम	चांटा	0.80
21	कबीरधाम	चिल्फी	31.90
22	कबीरधाम	जिन्दा	144.20
23	कबीरधाम	जुनवानी	60.70
24	कबीरधाम	झलमला	55.00
25	कबीरधाम	झिरौनी	46.70
26	कबीरधाम	ठाठापुर (रामपुर)	103.80
27	कबीरधाम	तरेगांव जंगल	30.00
28	कबीरधाम	तरेगांव मैदान	17.30
29	कबीरधाम	दशरंगपुर	59.10
30	कबीरधाम	धरमगढ़	64.70
31	कबीरधाम	धरमपुरा	60.00
32	कबीरधाम	नेवारी	20.00
33	कबीरधाम	पंडरिया	33.70
34	कबीरधाम	पनेका	51.40
35	कबीरधाम	पांडातराई	13.30
36	कबीरधाम	पिपरिया	59.60
37	कबीरधाम	प्रभाटोला (पोड़ी)	30.00
38	कबीरधाम	बचेडी	86.15

स.क्र.	जिला	सेवा सहकारी समितियों में की गई आपूर्ति (दिनांक 31 मार्च 2025 से दिनांक 20 जून 2025 तक)	
		नाम	मात्रा
1	2	3	4
39	कबीरधाम	बड़ौदाकला	50.00
40	कबीरधाम	बम्हनी	71.30
41	कबीरधाम	बा.चारभाठा	29.10
42	कबीरधाम	बाघामुडा	0.70
43	कबीरधाम	बिडौरा	140.30
44	कबीरधाम	बिरकोना	56.50
45	कबीरधाम	बिरनपुरकला	73.70
46	कबीरधाम	बैजलपुर	35.50
47	कबीरधाम	बोड़तराखुर्द	1.80
48	कबीरधाम	बोड़ला	21.20
49	कबीरधाम	भलपहरी	30.00
50	कबीरधाम	मड़मडा	32.00
51	कबीरधाम	मरका	30.00
52	कबीरधाम	महराजपुर	70.50
53	कबीरधाम	महली	31.50
54	कबीरधाम	मैनपुरी	132.70
55	कबीरधाम	मोहगांव	70.10
56	कबीरधाम	रणजीतपुर	110.80
57	कबीरधाम	रणवीरपुर	207.10
58	कबीरधाम	रवेली	42.70
59	कबीरधाम	राजानवागांव	16.70
60	कबीरधाम	राम्हेपुर	25.00
61	कबीरधाम	रेंगाखारकला (जंगल)	26.20
62	कबीरधाम	रौचन	50.20
63	कबीरधाम	लालपुर कला	105.00
64	कबीरधाम	विरेन्द्रनगर	90.00
65	कबीरधाम	स.लोहारा	81.50
66	कबीरधाम	समनापुर	75.00
67	कबीरधाम	सरईसेत	4.20
68	कबीरधाम	सारंगपुर	10.00
69	कबीरधाम	सुरजपुरा	109.60
70	कबीरधाम	सोनपुरी गुडा	7.90
71	कबीरधाम	सोनपुरी रानी	30.00
72	कबीरधाम	सोनबरसा (जेवडन)	55.00
73	कबीरधाम	हरिनछपरा	35.00
		जिला कबीरधाम योग	**3477.25**

स.क्र.	जिला	सेवा सहकारी समितियों में की गई आपूर्ति (दिनांक 31 मार्च 2025 से दिनांक 20 जून 2025 तक)	
		नाम	मात्रा
1	2	3	4
1	बेमेतरा	अंधियारखोर	30.00
2	बेमेतरा	अकलवारा	25.00
3	बेमेतरा	अछोली	60.00
4	बेमेतरा	अतरिया	30.00
5	बेमेतरा	अनंदगांव	40.00
6	बेमेतरा	उमरिया	75.00
7	बेमेतरा	कंतेली	55.00
8	बेमेतरा	कटई	55.00
9	बेमेतरा	कठिया	29.95
10	बेमेतरा	कन्हेरा	54.95
11	बेमेतरा	कांपा	55.00
12	बेमेतरा	किरीतपुर	30.00
13	बेमेतरा	कुंवरा	55.00
14	बेमेतरा	कुरदा	50.00
15	बेमेतरा	कुरुद	30.00
16	बेमेतरा	कुसमी (बेमेतरा)	25.40
17	बेमेतरा	कुसमी (बेरला)	60.00
18	बेमेतरा	केंवतरा	25.00
19	बेमेतरा	केहका	75.00
20	बेमेतरा	कोंगियाकला	80.00
21	बेमेतरा	खंडसरा	30.00
22	बेमेतरा	खाती	35.00
23	बेमेतरा	खिलोरा	60.00
24	बेमेतरा	खुड़मुड़ा	30.00
25	बेमेतरा	खैरझीटि(खम्हरिया)	30.00
26	बेमेतरा	गाड़ाडीह	30.00
27	बेमेतरा	गुंजेरा	50.00
28	बेमेतरा	गुधेली	60.00
29	बेमेतरा	गोड़गिरी	30.00
30	बेमेतरा	गोढ़ीकला	60.00
31	बेमेतरा	घोटवानी	30.00
32	बेमेतरा	चंदनू	30.00
33	बेमेतरा	चेचानमेटा	30.00
34	बेमेतरा	चौंगीखपरी	7.50
35	बेमेतरा	छिरहा	30.00
36	बेमेतरा	जिया	25.00
37	बेमेतरा	जेवरा	55.00
38	बेमेतरा	झाल (नवागढ़)	25.00

स.क्र.	जिला	सेवा सहकारी समितियों में की गई आपूर्ति (दिनांक 31 मार्च 2025 से दिनांक 20 जून 2025 तक)	
		नाम	मात्रा
1	2	3	4
39	बेमेतरा	झाल (बेमेतरा)	50.00
40	बेमेतरा	टकसींवा	60.00
41	बेमेतरा	टेमरी (नांदघाट)	55.00
42	बेमेतरा	ठेलका	30.00
43	बेमेतरा	डंगनिया(ब)	25.00
44	बेमेतरा	डुंडा	30.00
45	बेमेतरा	थान खम्हरिया	75.00
46	बेमेतरा	दर्री	30.00
47	बेमेतरा	दाढ़ी	55.00
48	बेमेतरा	देवकर	25.00
49	बेमेतरा	देवरबीजा	80.00
50	बेमेतरा	नवागढ़	35.00
51	बेमेतरा	नांदघाट	50.00
52	बेमेतरा	नारायणपुर	76.25
53	बेमेतरा	नेवसा	25.00
54	बेमेतरा	पतोरा	60.00
55	बेमेतरा	पदुमसरा	50.00
56	बेमेतरा	परपोडी	25.00
57	बेमेतरा	पुटपुरा	25.00
58	बेमेतरा	पेण्ड्रीतराई	30.00
59	बेमेतरा	प्रतापपुर	25.00
60	बेमेतरा	बदनारा	65.00
61	बेमेतरा	बनरांका	25.00
62	बेमेतरा	बांसा	60.00
63	बेमेतरा	बारगांव	60.00
64	बेमेतरा	बालसमुंद	30.00
65	बेमेतरा	बीजा	30.00
66	बेमेतरा	बीजाभाठा	50.00
67	बेमेतरा	बुंदेला	80.00
68	बेमेतरा	बेमेतरा	50.00
69	बेमेतरा	बेरला	30.00
70	बेमेतरा	बेलतरा	50.00
71	बेमेतरा	बोरतरा (नवागढ़)	25.00
72	बेमेतरा	बोरतरा (साजा)	30.00
73	बेमेतरा	भरदा	25.00
74	बेमेतरा	भैंसा	25.00
75	बेमेतरा	मऊ	30.00
76	बेमेतरा	मजगांव	55.00

स.क्र.	जिला	सेवा सहकारी समितियों में की गई आपूर्ति (दिनांक 31 मार्च 2025 से दिनांक 20 जून 2025 तक)	
		नाम	मात्रा
1	2	3	4
77	बेमेतरा	मल्दा	25.00
78	बेमेतरा	मारो	31.35
79	बेमेतरा	मावलीभाठा	65.00
80	बेमेतरा	मुरता	85.00
81	बेमेतरा	मोहगांव	25.00
82	बेमेतरा	मोहतरा (बेमेतरा)	30.00
83	बेमेतरा	मोहतरा(साजा)	25.00
84	बेमेतरा	मोहभट्ठा	25.00
85	बेमेतरा	मोहरेंगा	55.00
86	बेमेतरा	रनबोड़	55.00
87	बेमेतरा	लेंजवारा	60.00
88	बेमेतरा	लोलेसरा	50.00
89	बेमेतरा	सम्बलपुर	35.00
90	बेमेतरा	सरदा	60.00
91	बेमेतरा	सल्धा	55.00
92	बेमेतरा	सहसपुर	25.00
93	बेमेतरा	साजा	50.00
94	बेमेतरा	सिलघट	30.00
95	बेमेतरा	सेमरिया	55.00
96	बेमेतरा	सैगोना	29.75
97	बेमेतरा	सोंढ़	74.95
98	बेमेतरा	सोमईकला	30.00
99	बेमेतरा	हटरांका	55.00
100	बेमेतरा	हसदा	70.00
101	बेमेतरा	हाटहाडाडू	25.00
		जिला बेमेतरा योग	**4350.10**

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
Date: 10-07-2025
17:23:43 उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - चौबीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 500) की जानकारी

प्रपत्र-अ

अप्रैल 2024 से जून 2025 तक की स्थिति में उद्योगों से जनित फ्लाई ऐश का उपयोग भू-भराव में करने हेतु जारी अनुमति / अनापत्ति की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	भू-भराव/खदान भराव स्थल की जानकारी
1.	मेसर्स अडानी पॉवर लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड) ग्राम-छोटे भण्डार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-खर्री बड़े, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-174, 83, 362 कुल रकबा-0.899 हेक्टयेर
		ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) खसरा क्रमांक-1880, 1881, 1879/2ख, 1879/2, कुल रकबा-0.429 हेक्टेयर
		ग्राम-कटंगपाली 'अ', तहसील-बरमकेला, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-254/1/ग/4 रकबा-0.022 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-253/4 रकबा-0.146 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-250/4/घ/1 रकबा-0.102 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-254/1/ग/1 रकबा-0.007 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-253/1 रकबा-0.049 हेक्टेयर
		ग्राम-रानीडीह, तहसील-सरिया, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक-23 रकबा-0.405 हेक्टेयर
		ग्राम-छैलफोरा, तहसील-सरिया, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक-207/2, 207/ एवं 209/2 रकबा क्रमशः-0.102, 0.202 एवं 0.150 हे. कुल रकबा-0.454 हेक्टेयर
		ग्राम-कुटेला, नगरपालिका निगम सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक-129 एवं 134 रकबा क्रमशः-0.975 एवं 0.636 हे. कुल रकबा-1.611 हेक्टेयर
		ग्राम-लेन्धा, तहसील-बरमकेला, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक-652/1 कुल रकबा-0.882 हेक्टेयर
		ग्राम-खर्रीबड़े, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक-233 एवं 234/2 रकबा क्रमशः-0.150 एवं 0.178 हे. कुल रकबा-0.328 हेक्टेयर
		ग्राम-जोतपुर, बोन्दा, तहसील-सरिया, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-117/1, 117/4, 118/1, 118/4, 119/1, 119/4 रकबा क्रमशः-0.043, 0.043, 0.020, 0.020, 0.021, 0.058, 0.058 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-117/6, 117/7, 121/4, 121/6, 131/1, 131/2 रकबा क्रमशः-0.021, 0.021, 0.059, 0.022, 0.022, 0.028 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-117/3, 117/5, 118/3, 119/3 रकबा क्रमशः-0.043, 0.043, 0.020, 0.059 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-113/1, 115 रकबा क्रमशः-0.040, 0.150 हेक्टेयर तथा खसरा क्रमांक-122/2 रकबा-0.191 हेक्टेयर
		ग्राम-कटंगपाली "अ", तहसील-सरिया, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-248/2/च रकबा-0.075 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-248/1/क, 248/1/ख, 250/4/घ/2 एवं 250/4/घ/3 रकबा क्रमशः-0.057, 0.061, 0.103 एवं 0.103 हेक्टेयर
		ग्राम-डोमा, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-341/2 रकबा-1.214 हेक्टेयर
		ग्राम-जोतपुर, तहसील-सरियाजिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 65/1 रकबा-0.155 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-65/2 रकबा-0.156 हेक्टेयर
		ग्राम-खर्रीबड़े, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 236/3 रकबा-0.089 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-239/6 रकबा-0.057 हेक्टेयर
		ग्राम-कुटेला (सारंगढ़), तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 6/1 रकबा-24.924 हेक्टेयर में से 3.0 हेक्टेयर

		ग्राम-जोतपुर, तहसील-सरिया, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-143/2 रकबा-1.529 हेक्टेयर
2.	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-569/3/च/1 रकबा-0.706 हेक्टेयर
		ग्राम-धमनी, तहसील-हसौद, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-140/5, 140/6, 140/7, 142/2, 142/5, 140/2, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 142/3 कुल रकबा-4.193 हेक्टेयर
		ग्राम-नंदेली, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-15 रकबा-2.732 हेक्टेयर
3.	मेसर्स सारडा इनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, (पूर्व नाम मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिंजकोट, तहसील खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-बोजिया, तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 19/1झ एवं 28/1/ख/1 कुल रकबा-1.477 हेक्टेयर
		ग्राम-छाल (बोकरामुड़ा), तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-75 एवं 77/1 कुल रकबा-1.04 हेक्टेयर
		ग्राम-सक्ती, तहसील-सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1174/2, 1174/2, 1174/3, 1174/4 रकबा-0.034 हेक्टेयर
		ग्राम-खम्हरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा कमांक-737 रकबा 4.128 हेक्टेयर
		ग्राम-हरेठी, तहसील व जिला- जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-15/2, 16/1, 270/1, 283/2, 286, 288/1, 344/1, 344/2 कुल रकबा-1.809 हेक्टेयर
		ग्राम-जाजंग, तहसील-सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1470/1 रकबा-4.9070 हेक्टेयर
		ग्राम-देवरमाल, तहसील व जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-9 रकबा-3.4530 हेक्टेयर
		ग्राम-माहूलदीप, तहसील व जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-593/2, 599/1 रकबा-0.280 हेक्टेयर
		ग्राम-डभरा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1045 रकबा-0.3240 हेक्टेयर
		ग्राम-जाजंग, तहसील-सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1383, 1384, रकबा-0.174 हेक्टेयर
		ग्राम-अमेराडीह, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-171/1 रकबा-4.594 हेक्टेयर
		ग्राम-बेलादुला, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-542 रकबा-0.239 हेक्टेयर
		ग्राम-कचंदा, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-60/1, 887/1क रकबा-12.1406 हेक्टेयर
		ग्राम-डोड़की, तहसील व जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-403/1 रकबा-0.0160 हेक्टेयर
		ग्राम-अड़भार, तहसील-अड़भार, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-876/2, 876/3 रकबा-0.3730, 0.2020 हेक्टेयर
		ग्राम-सिरियागढ़, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-357, 368/1, 368/3, 373/3, 673/1, 674/3 रकबा-0.857 हेक्टेयर
		ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-102, 124, 126, 139, 140, 164 रकबा-15 एकड
		ग्राम-सतगढ़, ग्राम पंचायत अमेराडीह, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-592, 594/3, 593, 586, 591 रकबा क्रमशः -0.142, 0.239, 0.202, 0.223, 0.105 हेक्टेयर
		ग्राम संजयग्राम, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-84/1, 86 रकबा-0.7 हेक्टेयर
		ग्राम-पतेरापाली कला, तहसील व जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-452, 453, 454, 506/1, 517/1, 517/2 रकबा-1.960 हेक्टेयर
		ग्राम-डूमरपारा, तहसील-नया बाराद्वार, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-2340 रकबा-11.473 हेक्टेयर
		ग्राम-भोथिया, जनपद पंचायत जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-77/3, 60/5,

		रकबा क्रमशः-0.405, 1.011
		ग्राम-दर्राभांठा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर- चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-425, 430, 431, 432, 426, 406 रकबा-0.643 हेक्टेयर
		ग्राम-मसनियाखुर्द, ग्राम पंचायत मसनियाकलॉ, तहसील व जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-53/5 रकबा-0.737 हेक्टेयर
		ग्राम-संजयग्राम, ग्राम पंचायत चोरिया, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1083/1 रकबा-0.1010 हेक्टेयर
4.	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तमराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-बगबुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-67/1, 68, 69 एवं 67/2 कुल रकबा-1.722 हेक्टेयर
5.	मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम-सिंघल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-बगबुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-72, 75/1, 75/2, 71/1, 71/2 एवं 73 कुल रकबा-2.282 हेक्टेयर
6.	मेसर्स आर.आर. इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-गड़उमरिया, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-चिखली, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-30/1 रकबा-0.0410 हेक्टेयर
7.	मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नवापारा (टेण्डा), तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-भंवरमाल, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/11, 5/12, 5/15, 5/18, 5/19 रकबा-14.45 हेक्टेयर
8.	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तह.-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-सेंदुरस, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-81/10 कुल रकबा-0.210 हेक्टेयर
		ग्राम-छैफोरा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) खसरा क्रमांक-781/1, 781/2, 781/3, 784, 785, 786, 782, 783, 789/1, 789/2, 789/3, 789/4, 789/5 एवं 789/6 कुल रकबा-5.095 हेक्टेयर
		ग्राम-गिधौरी, जनपद पंचायत-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-512, 513, 6/18 कुल रकबा-4.8671 हेक्टेयर
		ग्राम - सेमरा, तह.-टुण्डरा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-खसरा नं. - 399, 400, 401/1, 401/5, 351, 352/4 रकबा-1.6730 हेक्टेयर
		ग्राम - बरपाली, तह.-टुण्डरा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-77, 78, 79 रकबा-0.8300 हेक्टेयर
		ग्राम - अहमदपुर, तह.-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-95/26, 95/27, 95/28, 95/34, 95/36 रकबा-1.281 हेक्टेयर
		ग्राम - दुलना, नवापारा, जिला-रायपुर (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-399, 408, 409 रकबा-1.38

		हेक्टेयर
9.	मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-बगबुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-48, 54/2, 55/2 एवं 57/1 कुल रकबा-1.503 हेक्टेयर
10.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, खरसिया रोड पतरापाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-259/1ग रकबा-0.300 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-261/2क रकबा-0.465, कुल रकबा 0.765 हेक्टेयर,
		ग्राम-बाराद्वार, तहसील व जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1861/1 रकबा-59.2630 हेक्टेयर
		ग्राम-बाराद्वार, तहसील-सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-465/2 रकबा-0.809 हेक्टेयर
		ग्राम-बाराद्वार, तहसील-सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-289/22, 289/23, 289/47 कुल रकबा-0.66 एकड़
		ग्राम-सरवानी, तहसील-नया बाराद्वार, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-779/5, 781/1, 781/2 कुल रकबा-3.0 एकड़
		ग्राम-सारागांव, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1370/7, 1370/10, 1374 कुल रकबा-0.455 हेक्टेयर
		ग्राम-संजयग्राम, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-84/1, 86 कुल रकबा-0.2950, 0.4050 हेक्टेयर
		ग्राम-डूमरपारा, तहसील-नया बाराद्वार, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-2053/7, 2053/8 कुल रकबा-0.777 हेक्टेयर
		वार्ड नंबर-1, नयाबाराद्वार, तहसील-नया बाराद्वार, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-118/3 रकबा-0.983 हेक्टेयर
		ग्राम-रिस्दा, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-321/2, 322, 362/9 रकबा-0.946 हेक्टेयर
		ग्राम-संजयग्राम, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1117/1 रकबा-1.023 हेक्टेयर
		ग्राम-ठठारी, तहसील-जैजैपुर जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1219/2, 1655/1, 1655/2 रकबा-0.885 हेक्टेयर
		ग्राम-पचोरी, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-96/1, 95/2 रकबा-1.376 हेक्टेयर
		ग्राम-बिरगहनी (च), तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)के खसरा क्रमांक-171/7 रकबा-0.392 हेक्टेयर
		ग्राम-पिपरदा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)के खसरा क्रमांक-494/5 रकबा-1.10 हेक्टेयर
		ग्राम-चारपारा, ग्राम पंचायत सोनाईडीह, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-108 रकबा-0.786 हेक्टेयर
		ग्राम-पुछेली, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-627 रकबा-0.458 हेक्टेयर
		ग्राम-बिरगहनी, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-259, 260, 261, 262/1, 262/2 रकबा-0.6 हेक्टेयर

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

वर्ष 2024-25 से जून 2025 तक की स्थिति में राख के अवैध डंपिंग के प्राप्त शिकायत की जानकारी

क्र.	प्राप्त शिकायत का माध्यम एवं दिनांक	प्राप्त शिकायत का विवरण	शिकायत में उल्लेखित उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
1.	सुश्री पूजा साहू द्वारा प्राप्त शिकायत दिनांक 23.10.2024	ग्राम हर्राडीह में रूपानाधाम एवं अन्य कंपनियों के द्वारा अवैध रूप से फ्लाई ऐश डंपिग करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत प्राप्त।	मेसर्स रूपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	29.10.2024	मंडल के पत्र दिनांक 21.11.2024 द्वारा उद्योग पर 45,00,000.00 रूपये पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुऐ फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा अपवहन स्थल पर फ्लाई ऐश के उपर मिट्टी बिछाने का कार्य किया गया है एवं अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना शेष है। उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश अपवहन पर अधिरोपित अर्थदण्ड को अपास्त करने बाबत् अभ्यावेदन के संबंध में उद्योग प्रतिनिधि, भू-स्वामी एवं शिकायतकर्ता की उपस्थिति में निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। शिकायतकर्ता एवं भू-स्वामी के अनुपस्थिति के कारण निरीक्षण नहीं किया जा सका। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत दिनांक 27.05.2024	आवेदक श्री राजकुमार पटेल के घर के सामने राखड़ डम्प करने के विरुद्ध शिकायत	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम- एस.के.एस. पॉवर जनरेशन कंपनी (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिंजकोट, दर्रामुड़ा,	12.06.2024	मंडल के पत्र दिनांक 12.06.2024 के माध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 29,865.00 अधिरोपित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 29,865 जमा करते हुये स्थल पर से फ्लाइ ऐश को हटाने की कार्यवाही किया जाना पाया गया। अत: प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

			तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग)			
	दूरभाष के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 23.04.2025 एवं श्री दयाशंकर दर्शन, ग्राम-छोटे डूमरपाली, तहसील-खरसियाद्वारा दिनांक 29.04.2025 को की गई शिकायत	एनएच-49 ग्राम-चोढ़ा एवं बानिपाथर रेलवे ब्रीज के पास अवैध रूप से फ्लाई ऐश डपिंग करने वाले कंपनी के खिलाप उचित कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	24.04.2025	मंडल के पत्र दिनांक 24.04.2025 द्वारा उद्योग को अवैध अपवहन बंद करने एवं किये गये अपवहन पर तत्काल समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.05.2025 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार कार्य नही किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है। अतः वर्तमान में फ्लाई ऐश के ऊपर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य अपूर्ण है।
	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत 05.05.2025	ग्राम बेन्दोझरिया, तहसील-खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित शासकीय भूमि पर बिना अनुमति लो-लाईग क्षेत्र में फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में	05.05.2025	मंडल के पत्र दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 49245/- रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 49245/- जमा करते हुये स्थल पर फ्लाइ ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किया जाना पाया गया। अत: प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत 13.06.2025	खरसिया क्षेत्र में फ्लाई ऐश का अवैध एवं अनियंत्रित अपहवन किये जाने संबंधी शिकायत।	13.06.2025	मंडल के पत्र दिनांक 16.06.2025 के माध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 36615/- रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 36615/- जमा करते हुये स्थल पर फ्लाइ ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किया जाना पाया गया। अत: प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

					मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	
	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत 18.06.2025	खरसिया क्षेत्र में फ्लाई ऐश का अवैध एवं अनियंत्रित अपहवन किये जाने संबंधी शिकायत।		18.06.2025	मंडल के पत्र दिनांक 19.06.2025 के माध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 40,950.00 रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना शेष है। अतः प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
3.	मुख्यमंत्री जन शिकायत के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 01.09.2024	रूकमणी स्टील कंपनी द्वारा शासकीय भूमि पर फ्लाई ऐश डस्ट से सड़क के पाटे जाने की शिकायत के संबंध में।	मेसर्स रूकमणी स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-कुनकुनी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	10.09.2024	निरीक्षण दिनांक स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नही हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
4.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत दिनांक 12.12.2024	ग्राम-कुसमुरा के खेत में अवैध फ्लाई ऐश अपहवन किये जाने के संबंध में।	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	12.12.2024	मंडल के पत्र दिनांक 17.12.2024 द्वारा उद्योग पर 24,630.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुऐ समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 24,630.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
5.	सुशासन तिहारी 2025 में प्राप्त शिकायत	फ्लाई ऐश को घर के बगल में गिराने के संबंध में प्राप्त	मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड, तमनार, ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़	17.04.2025	निरीक्षण दिनांक स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

	दिनांक 15.04.2025	शिकायत।	(छ.ग.)		कार्यवाही करने की आवश्यकता नही हुई।	
6.	सुशान तिहारी पोर्टल पर दिनांक 11.04.2025 को प्राप्त शिकायत के संबंध में।	गेरवानी पाली के बीच मे अग्रोहा प्लांट के गेट के सामने मे अग्रवा दुआरा शासकीय भूमि में राख डालकर उसमें गाड़ी रख जाता है इसकी उच्च अधिकारी द्वारा SDM व पर्यावरण अधिकारी से व शासकीय भुमि को मुक्त कराये व ईन दोषियों के ऊपर कार्यवाही के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम-पाली, तह व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	30.04.2025	उद्योग द्वारा स्थल पर फ्लाई ऐश अथवा राखड़ को संग्रहित एवं फेका जाना एवं प्रदूषण होना नहीं पाया गया है। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नही हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
7.	श्री बिरेंद्र कुमार निशाद एवं श्री शिवचरण पटेल द्वारा दिनांक 29.04.2025 को प्राप्त शिकायत के संबंध में।	मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टेमटेमा के द्वारा दर्रामुड़ा अटल चौक तलाब को अवैध रूप से फ्लाई ऐश पाटने पर रोक लगा कर उचित कार्यवाही करने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टेमटेमा, जिला-रायगढ़	26.06.2025	निरीक्षण दिनांक स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नही हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आत्मा योजना के तहत प्राप्त आवंटन की वर्ष 2022–23 की जानकारी

इकाई राशि रु. लाख में

क्र.	घटक	वर्ष 2022–23												
		वि.खं. छुरिया						वि.खं. अं.चौकी						
		वित्तीय लक्ष्य	कार्य / गतिविधि का नाम	आयोजित कार्यक्रम स्थल का नाम	कार्यक्रम संख्या	प्रति इकाई अधिकतम लागत राशि	कुल व्यय	घटक	वित्तीय लक्ष्य	कार्य / गतिविधि का नाम	आयोजित कार्यक्रम स्थल का नाम	कार्यक्रम संख्या	प्रति इकाई अधिकतम लागत राशि	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बी-2 (डी) जिले के अंदर प्रशिक्षण	3.250	जिला के अंदर प्रशिक्षण	छुरिया	1	0.125	0.125	बी-2 (डी) जिले के अंदर प्रशिक्षण	3.250	जिला के अंदर प्रशिक्षण	राजनांदगांव / अं. चौकी	16	0.125	1.905
2				छुरिया	1	0.125	0.125							
3	बी-3 प्रदर्शन	5.000	खरीफ फसल प्रदर्शन – कोदो	गर्रापार, कुहीकला पेण्ड्रीडीह, बैरागीमेंड़ी, दिवानटोला कल्लूटोला भैरीटोला	50 एकड़	0.030	0.954	बी-3 प्रदर्शन	5.000	कोदो खरीफ प्रदर्शन	कलकसा, करमतरा हितकासा, मोगरा	60 एकड	0.030	0.875
4										रागी खरीफ प्रदर्शन	मोगरा	50 एकड		0.724
5										कुसुम रबी प्रदर्शन	मिरचे	10 एकड		0.300
6										अलसी रबी प्रदर्शन	भांगाटोला	10 एकड		0.298
7										मसूर रबी प्रदर्शन	रैनूटोला	10 एकड		0.300
8										रागी रबी प्रदर्शन	रैनूटोला	15 एकड		0.376
9										सरसों रबी प्रदर्शन	मिरचे	10 एकड		0.279
10								बी–3 ए कंपेसिटी बिल्डिंग स्कील डेवलपमेंट	0.050	एफ.आई.जी– कृषक अभिरुचि समूह निर्माण एवं प्रशिक्षण	सोनसायटोला	1	0.050	0.050
11								बी–3 बी ओर्गेट फूड सिक्योरिटी ग्रुप	0.100	एफ.एस.जी–कृषक अभिरुचि समूह निर्माण एवं प्रशिक्षण	खरखड़ी	1	0.100	0.100
12								बी–15 फार्म स्कूल	0.580	कोदो	तारमटोला	2.5 एकड़	0.290	0.050
13										रागी	रैनूटोला	2.5 एकड़	0.290	0.050
14								–	–	–	–	–	–	–
15			खरीफ फसल प्रदर्शन – रागी	कुसरदा, गर्रापार, कल्लूटोला, भातेखेड़ा, भालूत	50 एकड़		0.954	–	–	–	–	–	–	–
16								–	–	–	–	–	–	–
17			खरीफ फसल प्रदर्शन – उड़द	चीताकसा, कल्लूटोला, लालूटोला, बापूटोला घाटकोड़ला, गोरखाट	50 एकड़		1.204	–	–	–	–	–	–	–
18								–	–	–	–	–	–	–
19	बी–12 फील्ड डे एंव किसान गोष्ठी	0.300	किसान संगोष्ठी	कोर्रंडीह, मुचेदण्ड	2	0.150	0.292	–	–	–	–	–	–	–
20	बी–14 (ए)– बी.एफ.ए.सी. मीटिंग	0.150	बीएफ.ए.सी बैठक	छुरिया	2	0.025	0.029	–	–	–	–	–	–	–
21	बी–15 फार्म स्कूल	0.588	फार्म स्कूल आयोजन	गर्रापार	2.5 एकड़	0.290	0.149	–	–	–	–	–	–	–
	योग–	9.288					3.832		8.980					5.308

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 10:57:44
(विकास मिश्रा)
उप संचालक
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा उद्यानिकी विभाग

प्रपत्र–ब

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आत्मा योजना के तहत प्राप्त आबंटन की वर्ष 2023–24 की जानकारी

इकाई राशि रू. लाख में

क्र.	वर्ष 2023–24													
	वि.खं. छुरिया							वि.खं. अं.चौकी						
	घटक	वित्तीय लक्ष्य	कार्य / गतिविधि का नाम	आयोजित कार्यक्रम स्थल का नाम	कार्यक्रम संख्या	प्रति इकाई अधिकतम लागत राशि	कुल व्यय	घटक	वित्तीय लक्ष्य	कार्य / गतिविधि का नाम	आयोजित कार्यक्रम स्थल का नाम	कार्यक्रम संख्या	प्रति इकाई अधिकतम लागत राशि	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बी–2 (डी) जिले के अंदर प्रशिक्षण	0.900	जिला के अंदर प्रशिक्षण	छुरिया	4	0.125	0.339	बी–2 (डी) जिले के अंदर प्रशिक्षण	निरंक					
2	बी–3 प्रदर्शन	1.650	रबी वर्ष 2023–24 में रागी प्रदर्शन	शिकारीटोला, पांगरीकला, दतरेंगाटोला हालेकोसा, चारमांठा कु.	45 एकड	0.030	1.050	बी–3 प्रदर्शन						
3			रबी वर्ष 2023–24 सरसों प्रदर्शन	शिकारीटोला, पांगरीकला, दतरेंगाटोला, हालेकोसा, चारमांठा कु.	10 एकड		0.229							
4	बी–12 फील्ड डे एंड किसान गोष्ठी	0.150	किसान संगोष्ठी	सामुदायिक भवन छुरिया	1	0.150	0.150	बी–12 फील्ड डे एंड किसान गोष्ठी						
योग–		2.700					1.767		-					

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 10:56:36

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आत्मा योजना के तहत प्राप्त आवंटन की वर्ष 2024–25 की जानकारी

इकाई राशि रू. लाख में

क्र.	घटक	वर्ष 2024–25												
		वि.खं. छुरिया						वि.खं. अं.चौकी						
		वित्तीय लक्ष्य	कार्य / गतिविधि का नाम	आयोजित कार्यक्रम स्थल का नाम	कार्यक्रम संख्या	प्रति इकाई अधिकतम लागत राशि	कुल व्यय	घटक	वित्तीय लक्ष्य	कार्य / गतिविधि का नाम	आयोजित कार्यक्रम स्थल का नाम	कार्यक्रम संख्या	प्रति इकाई अधिकतम लागत राशि	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बी–2 (डी) जिले के अंदर प्रशिक्षण	0.690	जिला के अन्दर प्रशिक्षण	छुरिया, घुपसाल, खोभा चांदो, घोघरे	5	0.125	0.625	बी–2 (डी) राज्य के अंदर प्रशिक्षण	0.110	राज्य के अन्दर प्रशिक्षण	राष्टीय कृषि मेला रायपुर	1	0.110	0.110
2	बी–3 प्रदर्शन	2.010	मुंगफली खरीफ प्रदर्शन	बोईरडीह, आमगांव, बननयागांव, जयसिंगटोला	25 एकड	0.030	0.750							
			खरीफ वर्ष 2024 सुगंधित धान	खोर्राटोला, बंजारमाठ, विशानटोला	14 एकड		0.378	बी–2 (डी) जिले के अंदर प्रशिक्षण	0.250	जिलास्तरीय प्रशिक्षण	झिटिया, अं.चौकी	2	0.125	0.250
			रबी वर्ष 2024 मूंगफली प्रदर्शन	बंजारमाठा, कुबराडीह, कुहीकला, बिजेपार, गिधवामंवर, हालाडुला, पदगुड़ा, स. चिरचारी, चांदो, आमगांव, गेरुघाट, लाम्मेटा	18 एकड		0.540							
			रबी वर्ष 2024 अलसी प्रदर्शन	बननयागाँव	5 एकड		0.051							
3			रबी वर्ष 2024 सरसों प्रदर्शन	बोईरडीह	5 एकड		0.093	बी–3 प्रदर्शन	1.280	प्रदर्शन सुंगधित धान 14 एकड	बिहरीकला ,थुहाडबरी	14 एकड	0.030	0.336
4	बी–04 (सी) जिले के अंदर भ्रमण	0.150	जिला के अन्चर भ्रमण	खरखाटोला	1	0.150	0.150	बी–04 (सी) जिले के अंदर भ्रमण	0.150	जिला के अन्दर भ्रमणं	सोमाझिटिया, तिलईरवार	1	0.150	0.150
5	बी–5 ए कैपेसिटी बिल्डिंग स्कील डेव्हलपमेंट	0.050	एफ.आई.जी.समूह का प्रशिक्षण	घुपसाल कु	1	0.050	0.050	बी–12 फील्ड डे एंड किसान गोष्ठी	0.150	कृषक गोष्ठी	थुहाडबरी	1	0.150	0.150
6	बी–12 फील्ड डे एंड किसान गोष्ठी	0.300	किसान संगोष्ठी	गर्रापार	1	0.150	0.300	बी–15 फार्म स्कूल	0.290	कृषक पाठशाला	थुहाडबरी	25 एकड	0.290	0.173
7				भंडारी मरदा	1	0.150		-	-	–	–	–	–	–
8	बी–15 फार्म स्कूल	0.294	कृषक पाठशाला	गर्रापार	25 एकड	0.150	0.150	-	-	–	–	–	–	–
योग–		3.494					3.087	-	2.230	–	–	–	–	1.169

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 10:54:33

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

[17 जुलाई 2025

प्रपत्र–द

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आत्मा योजना के तहत प्राप्त आबंटन की 01 अप्रैल 2025 से 20 जून 2025 तक की जानकारी

इकाई राशि रू. लाख में

क.	घटक	01 अप्रैल 2025 से 20 जून 2025 तक												
		वि.खं. छुरिया						घटक	वि.खं. अं.चौकी					
		वित्तीय लक्ष्य	कार्य/गतिविधि का नाम	आयोजित कार्यक्रम स्थल का नाम	कार्यक्रम संख्या	प्रति इकाई अधिकतम लागत राशि	कुल व्यय		वित्तीय लक्ष्य	कार्य/गतिविधि का नाम	आयोजित कार्यक्रम स्थल का नाम	कार्यक्रम संख्या	प्रति इकाई अधिकतम लागत राशि	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बी–2 (ए) राज्य के बाहर प्रशिक्षण	0.300	राज्य के बाहर प्रशिक्षण	–	–	–	–	बी–2 (ए) राज्य के बाहर प्रशिक्षण	0.300	राज्य के बाहर प्रशिक्षण	–	–	–	–
2	बी–2 (बी) राज्य के अंदर प्रशिक्षण	0.300	राज्य के अंदर प्रशिक्षण	–	–	–	–	बी–2 (बी) राज्य के अंदर प्रशिक्षण	0.300	राज्य के अंदर प्रशिक्षण	–	–	–	–
3	बी–2 (सी) जिले के अंदर प्रशिक्षण	0.670	जिले के अंदर प्रशिक्षण	–	–	–	–	बी–2 (सी) जिले के अंदर प्रशिक्षण	0.670	जिले के अंदर प्रशिक्षण	–	–	–	–
4	बी–03 प्रदर्शन	2.280	प्रदर्शन	–	–	–	–	बी–03 प्रदर्शन	2.280	प्रदर्शन	–	–	–	–
5	बी–4 (ए) राज्य के बाहर भ्रमण	0.210	राज्य के बाहर भ्रमण	–	–	–	–	बी–4 (ए) राज्य के बाहर भ्रमण	0.210	राज्य के बाहर भ्रमण	–	–	–	–
6	बी–4 (बी) राज्य के अंदर भ्रमण	0.700	राज्य के अंदर भ्रमण	–	–	–	–	बी–4 (बी) राज्य के अंदर भ्रमण	0.700	राज्य के अंदर भ्रमण	–	–	–	–
7	बी–4 (सी) जिले के अंदर भ्रमण	0.300	जिले के अंदर भ्रमण	–	–	–	–	बी–4 (सी) जिले के अंदर भ्रमण	0.300	जिले के अंदर भ्रमण	–	–	–	–
8	बी–5 ए केपेसिटी बिल्डिंग स्कील डेव्हलपमेंट	0.350	एफ.आई.जी. एवं एफ.एसस. जी	–	–	–	–	बी–5 ए केपेसिटी बिल्डिंग स्कील डेव्हलपमेंट	0.350	एफ.आई.जी. एवं एफ.एसस.जी	–	–	–	–
9	बी–11 फील्ड डे एंड किसान गोष्ठी	0.500	किसान संगोष्ठी	–	–	–	–	बी–11 फील्ड डे एंड किसान गोष्ठी	0.500	किसान संगोष्ठी	–	–	–	–
10	बी–14 फार्म स्कूल	0.648	फार्म स्कूल	–	–	–	–	बी–14 फार्म स्कूल	0.648	फार्म स्कूल	–	–	–	–
योग–		6.258							6.258					

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
Date: 10-07-2025
10:53:09 उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत वर्षवार एवं जिला के विकासखण्डवार आबंटित एवं व्यय राशि की जानकारी

क्र.	जिला	विकासखण्ड	वर्षवार आबंटन एवं व्यय						योग	
			2023-24		2024-25		2025-26			
			आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	रायपुर	जिलास्तर	–	–	1433625	168435	–	180648	1433625	349083
		धरसीवा	–	–	–	6000	–	–	0	6000
योग			**0**	**0**	**1433625**	**174435**	**0**	**180648**	**1433625**	**355083**
2	बलौदाबाजार–भाटापारा	जिलास्तर	–	–	1939980	47937	–	44716	1939980	92653
		बलौदाबाजार	–	–	–	36473	–	–	0	36473
		कसडोल	–	–	–	15496	–	9589	0	25085
		सिमगा	–	–	–	18480	–	3000	0	21480
		भाटापारा	–	–	–	19525	–	4950	0	24475
		पलारी	–	–	–	2526	–	11600	0	14126
योग			**0**	**0**	**1939980**	**140437**	**0**	**73855**	**1939980**	**214292**
3	महासमुंद	जिलास्तर	–	–	1787295	83602	–	31975	1787295	115577
		महासमुंद	–	–	–	43220	–	3300	0	46520
		बागबाहरा	–	–	–	7000	–	16660	0	23660
		सरायपाली	–	–	–	100280	–	98724	0	199004
		बसना	–	–	–	8900	–	–	0	8900
		पिथौरा	–	–	–	–	–	30000	0	30000
योग			**0**	**0**	**1787295**	**243002**	**0**	**180659**	**1787295**	**423661**
महायोग			**0**	**0**	**5160900**	**557874**	**0**	**435162**	**5160900**	**993036**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
21:24:24

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–अ

खरीफ फसल वर्ष 2025 उर्वरक लक्ष्य, भण्डारण, वितरण की जानकारी (दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में)

(मात्रा मी.टन)

क्र.	उर्वरक का नाम	वर्ष 2025 हेतु लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध भण्डारण	भण्डारण के विरूद्ध वितरण
1	2	3	4	5
1	यूरिया	29600	17754	15276
2	डी.ए.पी.	11300	5247	4051
3	एम.ओ.पी.	3800	4535	2692
4	एस.एस.पी.	10000	11649	6370
5	एन.पी.के.	13270	8997	8516
	योग	**67970**	**48182**	**36905**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
18:38:39

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र.538) की जानकारी

जिला बालोद में खरीफ 2025 हेतु बीज मांग, उपलब्धता एवं वितरण की जानकारी (दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में)

(मात्रा क्विं. में)

क्र.	फसल	किस्म	बीज मांग/लक्ष्य	भण्डारित बीज मात्रा	वितरित बीज मात्रा
1	2	3	4	5	6
1	धान	महामाया	1,649.30	1,347.90	1,458.00
		विक्रम टीसीआर	1,425.60	457.80	402.00
		सीजी देवभोग	100.00	51.60	50.40
		सी.जी. तेजस्वी	-	4.20	4.20
		स्वर्णा	10,867.40	13,168.20	12,870.30
		स्वर्णा सब–1	4,361.50	5,067.60	4,827.60
		एम.टी.यू.–1001	1,454.20	756.60	581.70
		एम.टी.यू.–1010	1,474.30	210.90	179.00
		एम.टी.यू.–1156	863.60	2,973.60	2,637.40
		एम.टी.यू.–1239	250.80	3.60	3.60
		पी.आर.–126	425.00	-	-
		बी.पी.टी.–5204	214.00	-	-
		पी.के.व्ही.–एच.एम.टी.	280.00	-	-
		आईआर–64	307.30	61.80	61.80
		योग	**23673.00**	**24103.80**	**23076.00**
2	कोदो	इंदिरा कोदो–1	10.00	60.16	60.16
3	मूंग	गुजरात आनंद	40.00	-	-
		योग	**40.00**	**-**	**-**
4	उड़द	कोटा उड़द–3	35.00	0.16	0.16
		इंदिरा आर.व्ही. 3–14	-	10.00	10.00
		योग	**35.00**	**10.16**	**10.16**
5	अरहर	सी.जी.अरहर–1	-	2.24	0.24
		जी.आर.–152 (भीमा)	55.00	27.72	19.14
		योग	**55.00**	**29.96**	**19.38**
महायोग			**23,813.00**	**24,204.08**	**23,165.70**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 18:39:38

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - अट्ठाईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 559) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट
1	रायगढ़	शासकीय प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्र0 01 रायगढ़	50
2	रायगढ़	शासकीय प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्र0 02 रायगढ़	50
3	रायगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रायगढ़	100
4	रायगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास जामगांव	45
5	रायगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास महापल्ली	20
6	रायगढ़	कर्मचारी प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास रायगढ़	60
7	रायगढ़	कर्मचारी प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास रायगढ़	40
8	रायगढ़	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रायगढ़	50
9	रायगढ़	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास नंदेली	50
10	रायगढ़	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास रायगढ़	50
11	रायगढ़	शासकीय पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास रायगढ़	50
12	रायगढ़	शासकीय पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास रायगढ़	50
13	रायगढ़	शासकीय पो.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रायगढ़	50
14	रायगढ़	शासकीय पो.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास रायगढ	50
15	रायगढ़	शासकीय पो.मै.पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास रायगढ़	50
16	रायगढ़	शासकीय पो.मै.पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास रायगढ़	100
योग			**865**
17	पुसौर	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास पुसौर	50
18	पुसौर	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास झारमुडा	50
19	पुसौर	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पुसौर	50
20	पुसौर	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पुसौर	50
21	पुसौर	शासकीय प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जतरी	50
22	पुसौर	शासकीय आदिवासी बालक आश्रम मचिदा	50
योग			**300**
23	खरसिया	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास खरसियां	50
24	खरसिया	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बर्रा क्र.01	25
25	खरसिया	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गोरपार	45
26	खरसिया	शासकीय प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास भुपदेवपुर	50
27	खरसिया	शासकीय प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास हालाहुली	50
28	खरसिया	शासकीय प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास सोण्डका	20
29	खरसिया	शासकीय प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास खरसियां	50
30	खरसिया	शासकीय प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बर्रा क्र.02	20
31	खरसिया	शासकीय प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बरगढ़ खोला	50
32	खरसिया	शासकीय प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मुरा	50
33	खरसिया	शासकीय प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास खम्हार	100
34	खरसिया	शासकीय प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास सोण्डका	50
35	खरसिया	शासकीय प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास खरसिया	50

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट
36	खरसिया	शासकीय प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास खरसिया	50
37	खरसिया	शासकीय पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास जोबी	50
38	खरसिया	शासकीय पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास खरसिया	100
39	खरसिया	शासकीय पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास खरसिया	50
40	खरसिया	शासकीय पो.मै.पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास खरसिया	50
41	खरसिया	शासकीय पो.मै.पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास खरसिया	50
42	खरसिया	शासकीय आदिवासी बालक आश्रम जोबी	50
43	खरसिया	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम बड़ेडूमरपाली	50
44	खरसिया	शासकीय आदिवासी बालक आश्रम कुकरीझरिया	50
45	खरसिया	शासकीय आदिवासी बालक आश्रम खरसिया (चोढा)	100
46	खरसिया	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम हालाहुली	50
47	खरसिया	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम तेन्दूमुड़ी	100
48	खरसिया	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम खम्हार	100
49	खरसिया	शासकीय अनुसूचित जाति कन्या आश्रम परसकोल	50
		योग	**1510**
50	घरघोड़ा	शासकीय प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्र.1घरघोड़ा	45
51	घरघोड़ा	शासकीय प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्र..2 घरघोड़ा	50
52	घरघोड़ा	शासकीय प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास घरघोड़ा	50
53	घरघोड़ा	शासकीय प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्र.1नवा.टेण्डा	45
54	घरघोड़ा	शासकीय प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्र.2 नवा.टेण्डा	20
55	घरघोड़ा	शासकीय प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास कुडुमकेला	50
56	घरघोड़ा	शासकीय प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास बहिरकेला	50
57	घरघोड़ा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास छर्राटांगर	50
58	घरघोड़ा	शासकीय प्री.मै. आदि.कन्या छात्रा. बिच्छीनारा (रायकेरा)	50
59	घरघोड़ा	शासकीय पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास घरघोड़ा	50
60	घरघोड़ा	शासकीय पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास घरघोड़ा	50
61	घरघोड़ा	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम कया	100
62	घरघोड़ा	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम नवापारा टेण्डा	50
63	घरघोड़ा	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम पानीखेत	50
		योग	**710**
64	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास गोढ़ी	50
65	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार	50
66	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार	50
67	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुंजेमुरा	50
68	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास उरबा	45
69	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सराईपाली	25
70	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तराईमाल	50
71	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांठा	20
72	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास हमीरपुर	20
73	तमनार	शासकीय पो.मै आदिवासी बालक छात्रावास तमनार	50
74	तमनार	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार	50

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट
75	तमनार	शासकीय पो.मै आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांठा	50
76	तमनार	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम गोढ़ी	100
77	तमनार	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम महलोई	50
78	तमनार	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम सराईपाली	50
		योग	**710**
79	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास लैलूंगा क्र.01	50
80	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास लैलूंगा क्र.02	25
81	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मुकडेगा	20
82	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास राजपुर	25
83	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोडासियां	45
84	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लमडांड	50
85	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास केशला	50
86	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बगुडेगा	50
87	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बीरसिंघा	50
88	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा	50
89	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास मुकडेगा	50
90	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कोडासियां	50
91	लैलूंगा	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा	50
92	लैलूंगा	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा	50
93	लैलूंगा	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घटगांव	50
94	लैलूंगा	शासकीय आदिवासी बालक आश्रम बसंतपुर	100
95	लैलूंगा	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम राजपुर	50
96	लैलूंगा	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम लारीपानी	50
97	लैलूंगा	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम सोनाजोरी	50
98	लैलूंगा	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम कुर्रा	50
99	लैलूंगा	चाचा नेहरु कन्या छात्रावास बोईरडीह	23
100	लैलूंगा	गुरुकुल दयानंद वैदिक आश्रम सलखिया	100
101	लैलूंगा	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु आदि.बालक छात्रा. लैलूंगा	40
102	लैलूंगा	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु आदि.कन्या छात्रावास गहिरा	30
103	लैलूंगा	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु आदि.बालक छात्रावास गहिरा	80
		योग	**1238**
104	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै.आदि.बालक छात्रा. धरमजयगढ़ क्र.–01	50
105	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै.आदि. बालक छात्रा. धरमजयगढ़ क्र.–02	25
106	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मिरीगुड़ा	50
107	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बाकारूमा	50
108	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास खम्हार	40
109	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास महराजगंज	45
110	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुडेकेला	50
111	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बंगरसुता	50
112	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास पखनाकोट	50
113	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गनपतनुर	50

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट
114	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सोखामुड़ा	50
115	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास धरमजयगढ़	50
116	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बाकारूमा	50
117	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रायमेर	50
118	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बनहर	50
119	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कापू	30
120	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास विजयनगर	50
121	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास पाराघाटी	50
122	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास हाटी	50
123	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास महराजगंज	50
124	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खड़गांव	50
125	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास खड़गांव	30
126	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास छाल क्र–1	50
127	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास छाल क्र–2	20
128	धरमजयगढ़	शासकीय प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास कापू	50
129	धरमजयगढ़	शासकीय पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास धरमजयगढ़	50
130	धरमजयगढ़	नवीन पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास धरमजयगढ़	100
131	धरमजयगढ़	शासकीय पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास धरमजयगढ़	50
132	धरमजयगढ़	शासकीय पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बाकारूमा	50
133	धरमजयगढ़	शासकीय पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास महराजगंज	50
134	धरमजयगढ़	शासकीय पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास छाल	100
135	धरमजयगढ़	शासकीय पो.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रा0 कापू	50
136	धरमजयगढ़	शासकीय पो.मै.पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास धरमजयगढ़	100
137	धरमजयगढ़	शासकीय बिरहोर बालक आश्रम धरमजयगढ़	100
138	धरमजयगढ़	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम लक्ष्मीपुर	50
139	धरमजयगढ़	शासकीय आदिवासी बालक आश्रम संगरा	50
140	धरमजयगढ़	शासकीय आदिवासी बालक आश्रम क्रिन्धा	50
141	धरमजयगढ़	शासकीय आदिवासी बालक आश्रम चटकपुर	50
142	धरमजयगढ़	शासकीय आदिवासी बालक आश्रम कुमरता	60
143	धरमजयगढ़	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम कापू	50
144	धरमजयगढ़	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम पखनाकोट	50
145	धरमजयगढ़	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम पुरूंगा	50
146	धरमजयगढ़	शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम छाल	50
योग			2250
महायोग			7583

अनुभाग अधिकारी
आ.ज. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - उन्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 568) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	फर्म का नाम	व्यय राशि	क्रय का माध्यम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
				वर्ष 2023 – 2024			
1	फिनाईल	4720 लीटर	99.00	मे0 धनवन्तरी केमिकल्स, पेण्ड्रारोड जी0पी0एस0	554698.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
2	स्टील पंलग	101 नग	4654.00	मे0 वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	557992.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
3	पी वी फोम मेट्रेसेस	213 नग	3800.00	मे0 यूनिक इन्टरप्राईजेस मेन रोड बेरला, बेमेतरा	960823.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
4	सीलिंग पंखा	1315 नग	2030.00	मे0 सांई टेक्नो सेल्स बोरियाकला रायपुर	3168851.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
5	स्टील पंलग	378 नग	4654.00	मे0 वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	2088325.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
6	मच्छरदानी	11240 नग	258.00	मे0 महाबीर इन्टरप्राईजेस रेवलीडीह, दुर्ग	3267397.86	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
7	पी वी फोम मेट्रेसेस	361 नग	3800.00	मे0 यूनिक इन्टरप्राईजेस मेन रोड बेरला, बेमेतरा	1628436.34	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
8	स्टील पंलग	9 नग	4654.00	मे0 वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	49722.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
9	पी वी फोम मेट्रेसेस	13 नग	3800.00	मे0 यूनिक इन्टरप्राईजेस मेन रोड बेरला, बेमेतरा	58641.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
10	स्टील पंलग	8 नग	4654.00	मे0 वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	44197.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
11	पी वी फोम मेट्रेसेस	20 नग	3800.00	मे0 यूनिक इन्टरप्राईजेस मेन रोड बेरला, बेमेतरा	90218.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
12	एल.ई.डी.बल्ब	1906 नग	248.00	मे0 यूनिक इन्टरप्राईजेस मेन रोड बेरला, बेमेतरा	500472.93	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
13	एल.ई.डी.बल्ब	1700 नग	248.00	मे0 जी0एस0 इन्टरप्राईजेस बोरियाकला रायपुर	561118.47	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
14	पी वी फोम मेट्रेसेस	368 नग	3800.00	मे0 यूनिक इन्टरप्राईजेस मेन रोड बेरला, बेमेतरा	1660013.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	फर्म का नाम	व्यय राशि	क्रय का माध्यम	रिमार्क
15	स्टील बाल्टी	1232kg 704 ng	360 प्रति किलो	मे0 क्रिस्टल इंडिया इण्ड0 बिरकोनी,महासमुन्द	499723.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
16	स्टील पंलग	88 नग	4654.00	मे0 वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	486171.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
17	फिनाईल	7560 लीटर	99.00	मे0 जे0एम0बी0 इन्डस्ट्रीज माना बस्ती रायपुर	888458.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
18	स्टील थाली	2231 kg 4210 ng	360 प्रति किलो	मे0 क्रिस्टल इंडिया इण्ड0 बिरकोनी,महासमुन्द	905058.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
19	स्टील मसाला डिब्बा	1122 kg 165 ng	378 प्रति किलो	मे0 क्रिस्टल इंडिया इण्डस्ट्रीज बिरकोनी, महासमुन्द	477860.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
20	स्टील परात	1102 kg 190 ng	360 प्रति किलो	मे0 क्रिस्टल इंडिया इण्डस्ट्रीज बिरकोनी, महासमुन्द	446992.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
21	स्टील पंलग	88	4654.00	मे0 वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	1828666.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
22	स्टील बाल्टी	61 kg 34 ng	360 प्रति किलो	मे0 क्रिस्टल इंडिया इण्डस्ट्रीज बिरकोनी, महासमुन्द	24743.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
23	स्टील पंलग	4 नग	4654.00	मे0 वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	22099.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
24	स्टील पलटा खुरपा	140 kg 400 ng	360 प्रति किलो	मे0 क्रिस्टल इंडिया इण्डस्ट्रीज बिरकोनी, महासमुन्द	62465.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
25	स्टील पंलग	8 नग	4654.00	मे0 वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	44197.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
26	एल्यु0 कुकर	71 नग	4800.00	मे0 क्रिस्टल इंडिया इण्डस्ट्रीज बिरकोनी, महासमुन्द	404557.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
27	स्टील पलंग	86 नग	4010.00	मे0 महाबीर इन्टरप्राईजेस रेवलीडीह, दुर्ग	409376.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
28	एल.ई.डी.ट्यूबलाईट	3860 नग	328.00	मे0 छत्तीसगढ़ इंडिया इण्ड0बिरकोनी महासमुन्द	1502938.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
29	एल्यु0 कुकर	100 नग	4800.00	मे0 क्रिस्टल इंडिया इण्डस्ट्रीज बिरकोनी, महासमुन्द	569798.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	फर्म का नाम	व्यय राशि	क्रय का माध्यम	रिमार्क
30	स्टील पलंग	288 नग	4010.00	मे0 महाबीर इन्टरप्राईजेस रेवलीडीह, दुर्ग	1370935.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
31	एल्यु0 कुकर	12 नग	4800.00	मे0 क्रिस्टल इंडिया इण्डस्ट्रीज बिरकोनी, महासमुन्द	68376.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
32	स्टील पलंग	9 नग	4010.00	मे0 महाबीर इन्टरप्राईजेस रेवलीडीह, दुर्ग	42842.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
33	एल्यु0 कुकर	6 नग	4800.00	मे0 क्रिस्टल इंडिया इण्डस्ट्रीज बिरकोनी, महासमुन्द	34188.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
34	स्टील पलंग	7 नग	4010.00	मे0 महाबीर इन्टरप्राईजेस रेवलीडीह, दुर्ग	33321.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
35	CP PLUSE CCTV NETORK BULLET CAMERA (2MP)	228 नग	5455.00	मे0 आर0के0 ट्रेडिग गली नं0 2तेलीबाधा रायपुर	3494349.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
36	CP PLUSE CCTV NETORK VIDEO RECODER (8 CH)	57 नग	7095.00	मे0 आर0के0 ट्रेडिग गली नं0 2तेलीबाधा रायपुर		सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
37	SEAGTE HARD DISK 2TB	57 नग	7700.00	मे0 आर0के0 ट्रेडिग गली नं0 2 तेलीबाधा रायपुर		सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
38	4 U RACK	57 नग	4388.00	मे0 आर0के0 ट्रेडिग गली नं0 2 तेलीबाधा रायपुर		सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
39	CP LUSE CAT 6 CABALE	10260 mtr.	38.00	मे0 आर0के0 ट्रेडिग गली नं0 2 तेलीबाधा रायपुर		सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
योग					28808017.60		
वर्ष 2024 – 2025							
1	चादर	1111 नग	428.00	मे0 छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर	499950.00	छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर	–
2	चादर	666 नग	428.00	मे0 छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर	299700.00		–
3	चादर	111 नग	428.00	मे0 छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर	49950.00		–

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	फर्म का नाम	व्यय राशि	क्रय का माध्यम	रिमार्क
4	फिनाईल	5420 लीटर	101.00	मे0 अमर मेडिकल स्टोर बटौली सरगुजा	649831.33	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
5	स्टील पलंग	138 नग	4010.00	मे0 उन्नति वेंचर राजीव नगर रायपुर	656906.33	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
6	मच्छरदानी	6100 नग	175.00	अरिहंत वस्त्रालय एवं वस्त्र उद्योग दानीटोला रायपुर	1127600.25	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
7	सीलिंग पंखा	1441 नग	2220.00	मे0 गोल्डन सर्विस जीवन विहार आई–24 रायपुर	3797493.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
8	स्टील पलंग	510 नग	4010.00	मे0 वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	2413118.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
9	मच्छरदानी	10000 नग	175.00	एस.के. इण्डस्ट्रीज सरोरा, रायपुर	1848525.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
10	गददा	650 नग	4180.00	मे0 उन्नति वेंचर राजीव नगर रायपुर	3225296.36	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
11	गददा	200 नग	4420.00	मे0 विधी इण्डस्ट्रीज ठाकुर टोला राजनांदगांव	884000.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
12	पलटा	1070 नग	700.00	मे0 उन्नति वेंचर राजीव नगर रायपुर	749000.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
13	पंलग	180 नग	5499.00	मे0 उन्नति वेंचर राजीव नगर रायपुर	989820.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
14	चादर	2083 नग	480.00	मे0 उन्नति वेंचर राजीव नगर रायपुर	999840.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
15	एल.ई.डी.बल्ब	2597 नग	385.00	मे0 डेस्टनी एडुवर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड सरोना रायपुर	999845.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
16	पंलग	218 नग	5500.00	मे0 उन्नति वेंचर राजीव नगर रायपुर	1199000.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
17	चादर	1218 नग	480.00	मे0 उन्नति वेंचर राजीव नगर रायपुर	584640.00	सीएसआईडीसी के माध्यम से	सीएसआईडीसी के माध्यम से
18		895 नग	495.00	क्षेत्रीय प्रबंधक, छ0ग0रा0सह0उप0स0मर्या0 जगदलपुर	465177.00	क्षेत्रीय प्रबंधक, छ0ग0रा0 सह0उप0स0 मर्या0 जगदलपुर	–

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	फर्म का नाम	व्यय राशि	क्रय का माध्यम	रिमार्क
19	एल.ई.डी. बल्ब	220 नग	385.00	मे0 डेस्टनी एडुवर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड सरोना रायपुर	84700.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
20	पंलग	145 नग	4661.00	मे0 द्विवेदी वेल्डिग वर्क्स देवकर, बेमेतरा	797499.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
21	विद्यार्थी टेबल/कुर्सी	200 नग	4000.00	मे0 वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	799999.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
22	पंलग	18 नग	4661.00	मे0 द्विवेदी वेल्डिग वर्क्स देवकर, बेमेतरा	98999.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
23	पंलग	9 नग	4661.00	मे0 द्विवेदी वेल्डिग वर्क्स देवकर, बेमेतरा	49499.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
24	फिनाईल	4560 लीटर	125.00	मे0 उन्नति वेंचर राजीव नगर रायपुर	570000.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
25	जूता स्टैण्ड	102 नग	5500.00	मे0 डेस्टनी एग्रो वेंचर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर	561000.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
26	एल्यु0 गंज	189 नग	7930.00	मे0 उन्नति वेंचर राजीव नगर रायपुर	1498770.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
27	एल्यु0 कढाई	189 नग	7530.00	मे0 उन्नति वेंचर राजीव नगर रायपुर	1423170.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
28	स्टील थाली	900 नग	415.00	मे0 डेस्टनी एग्रो वेंचर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर	373500.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
29	विद्यार्थी डेक्स/बैंच	340 नग	5132.00	मे0 वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	1744880.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
30	प्लास्टिक कुर्सी	305 नग	689.00	मे0 ललित इन्टरप्राईजेस बीजापुर	210145.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
31	प्लास्टिक कुर्सी	305 नग	689.00	मे0 ललित इन्टरप्राईजेस बीजापुर	210145.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
32	स्टील थाली	192 नग	415.00	मे0 डेस्टनी एग्रो वेंचर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर	79680.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
33	जूता स्टैण्ड	10 नग	5500.00	मे0 डेस्टनी एग्रो वेंचर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर	55000.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
34	स्टील थाली	72 नग	415.00	मे0 डेस्टनी एग्रो वेंचर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर	29880.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	फर्म का नाम	व्यय राशि	क्रय का माध्यम	रिमार्क
35	जूता स्टैण्ड	5 नग	5500.00	मे0 डेस्टनी एग्रो वेंचर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर	27500.00	जेम पोर्टल के माध्यम	एल–1 के आधार पर आनलाईन क्रय आदेश
योग					**30054058.27**		

अनुभाग अधिकारी
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.,
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 578) की जानकारी

प्रपत्र

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर हुए व्यय की जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विकास खंड	वर्ष	शिष्यवृत्ति हेतु व्यय राशि	भोजन सहाय हेतु व्यय राशि	सामग्री पूर्ति अंतर्गत व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राजिम	गरियाबंद	2024–25	5809603.56	2172000.00	8234530.00
2		छुरा		10617543.55	1297307.00	
3		फिंगेश्वर		2627282.34	0.00	
योगः–				19054429.45	3469307.00	8234530.00
1	राजिम	गरियाबंद	2025–26	निरंक	निरंक	निरंक
2		छुरा				
3		फिंगेश्वर				

टीपः– छात्रावास/आश्रमों हेतु सामग्री का क्रय जिला स्तर पर किया जा कर संस्थाओं को वितरित किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

सामाग्रीवार प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी

स.क्र.	कार्य आई.डी.	कार्य का नाम	स्वीकृति आदेश क्रमांक	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)	स्वीकृति दिनांक	जारी दिनांक	जारी की गई राशि (लाख रू. में)	रिमार्क
1	202465000520	विद्युत पंप वितरण 2 एच. पी.	240151117876	15.2	12-03-24	12-10-24	5.47	राशि स्वीकृत किंतु सामाग्री खरीदी नहीं की गई
2	202465000521	विद्युत पंप वितरण 3 एच. पी.	240176240639	10.08	12-03-24	12-10-24	3.62	राशि स्वीकृत किंतु सामाग्री खरीदी नहीं की गई
3	202465000541	डीजल पंप वितरण 5 एच. पी.	240168617327	5.1	12-03-24	12-10-24	1.83	राशि स्वीकृत एवं सामाग्री खरीदी की गई
4	202465000542	स्प्रिकलर सेट वितरण	240102194677	20	12-03-24	12-10-24	7.2	राशि स्वीकृत किंतु सामाग्री खरीदी नहीं की गई
5	202465000543	स्व चलित रीपर वितरण	240178026710	17	12-03-24	12-10-24	6.12	राशि स्वीकृत एवं सामाग्री खरीदी की गई
6	202465000544	थ्रेसर वितरण	240177793996	19	12-03-24	12-10-24	6.84	राशि स्वीकृत किंतु सामाग्री खरीदी नहीं की गई
7	202465000545	वर्मी बेड वितरण	240158116354	8.9262	12-03-24	12-10-24	3.57	राशि स्वीकृत किंतु सामाग्री खरीदी नहीं की गई
8	202465000546	मिनी राईस मिल वितरण 3 एच.पी.	240140090133	26.46	12-03-24	12-10-24	10.58	राशि स्वीकृत किंतु सामाग्री खरीदी नहीं की गई
9	202465000547	मिनी राईस मिल वितरण 7.5 एच.पी.	240106722277	28.476	12-03-24	12-10-24	11.39	राशि स्वीकृत किंतु सामाग्री खरीदी नहीं की गई
10	202465000548	हस्त चलित पैडी वीडर वितरण	240154200237	8.9262	12-03-24	12-10-24	3.57	राशि स्वीकृत एवं सामाग्री खरीदी की गई
11	202465000548	हस्त चलित पैडी वीडर वितरण	240154200237	8.9262	12-03-24	21/03/2025	4.4625	
12	202465000549	पॉवर वीडर वितरण	240130152957	8.892	12-03-24	12-10-24	3.55	राशि स्वीकृत एवं सामाग्री खरीदी की गई
13	202465000549	पॉवर वीडर वितरण	240130152957	8.892	12-03-24	21/03/2025	4.45217	
14	202465000550	पॉवर स्प्रेयर वितरण	240104152325	8.96832	12-03-24	12-10-24	3.58	राशि स्वीकृत एवं सामाग्री खरीदी की गई
15	202465000550	पॉवर स्प्रेयर वितरण	240104152325	8.96832	12-03-24	21/03/2025	4.4831	
16	202465000551	ब्रश कटर वितरण	240149887330	8.82	12-03-24	12-10-24	3.52	राशि स्वीकृत एवं सामाग्री खरीदी की गई
17	202465000551	ब्रश कटर वितरण	240149887330	8.82	12-03-24	21/03/2025	4.41755	

स.क्र.	कार्य आई.डी.	कार्य का नाम	स्वीकृति आदेश क्रमांक	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)	स्वीकृति दिनांक	जारी दिनांक	जारी की गई राशि (लाख रू. में)	रिमार्क
18	202465000552	मोनो ब्लॉक पंप वितरण	240184681923	8.82	12-03-24	12-10-24	3.52	राशि स्वीकृत किंतु सामाग्री खरीदी नहीं की गई
19	202465000873	मिनी टीलर 27 नग	240107871539	8.991	20/12/2024	01-10-25	3.6	राशि स्वीकृत एवं सामाग्री खरीदी की गई है
20	202465000874	चाफ कटर 27 नग	240139719825	8.748	20/12/2024	01-10-25	3.5	राशि स्वीकृत किंतु सामाग्री खरीदी नहीं की गई
21	202465000875	अर्थ ऑगर 46 नग	240165896697	8.9838	20/12/2024	01-10-25	3.6	राशि स्वीकृत एवं सामाग्री खरीदी की गई
22	202465000875	अर्थ ऑगर 46 नग	240165896697	8.9838	20/12/2024	04-08-25	5.3838	
23	202465000876	हस्त चलित सीडर 81 नग	240162864051	9.882	20/12/2024	01-10-25	4	राशि स्वीकृत एवं सामाग्री खरीदी की गई
24	202465000876	हस्त चलित सीडर 81 नग	240162864051	9.882	20/12/2024	04-08-25	5.882	
25	202465000891	हस्तचलित स्प्रेयर	240144986572	9.9892	01-01-25	01-10-25	4	राशि स्वीकृत एवं सामाग्री खरीदी की गई
26	202465000891	हस्तचलित स्प्रेयर	240144986572	9.9892	01-01-25	04-08-25	5.988	
योग				**305.72424**			**128.12912**	

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
18:13:59

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग. शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

विकासखंडवार प्रदायित सामाग्री (लाभ) एवं लाभान्वित कृषको की जानकारी

क्र	कार्य का नाम	प्रदायित सामाग्री (लाभ) की संख्या				लाभान्वित कृषक संख्या विकासखंडवार			
		बेमेतरा	बेरला	साजा	नवागढ	बेमेतरा	बेरला	साजा	नवागढ़
1	डीजल पंप वितरण	1	3	2	0	1	3	2	0
2	रीपर वितरण	0	4	1	1	0	4	1	1
3	हस्त चलित पैडी विडर	0	27	62	0	0	27	62	0
4	पॉवर वीडर वितरण	0	1	3	0	0	1	3	0
5	पॉवर स्प्रेयर वितरण	19	9	39	0	19	9	39	0
6	ब्रश कटर वितरण	1	0	6	0	1	0	6	0
7	अर्थ ऑगर	1	2	11	0	1	2	11	0
8	हस्त चलित सीडर	0	9	23	0	0	9	23	0
9	हस्तचलित स्प्रेयर	0	15	53	0	0	15	53	0
योग		**22**	**70**	**200**	**1**	**22**	**70**	**200**	**1**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
18:15:05

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग. शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र – अ

किसानों को वितरित कृषि उपकरण/यंत्र की जानकारी

राशि (लाख में)

क्र.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	कृषि उपकरण/ यंत्र का नाम	उपकरण/यंत्र क्रय एवं प्रदाय अनुदान का विवरण							रिमार्क
					मात्रा (संख्या)	दर (रू.में)	राशि	प्रदाय अनुदान राशि	सामग्री खरीदी हेतु अपनाई गई प्रकिया	फर्म का नाम	किसान संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2024–25	सरगुजा	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	1	63000	0.630	0.252	–	–	1	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान किया गया है। पॉवर वीडर का दर मेक नंबर एवं हार्स पॉवर के कारण अलग–अलग है।
					1	72850	0.729	0.364			1	
					6	74025	4.442	2.147			6	
					5	90000	4.500	1.980			5	
					24	99120	23.789	11.002			24	
					4	102272	4.091	1.841			4	
					6	115056	6.903	3.222			6	
					7	124000	8.680	4.092			7	
					3	128000	3.840	1.664			3	
					4	138880	5.555	2.361			4	
					7	170000	11.900	4.480			7	
					1	179780	1.798	0.396			1	
				योग	**69**	-	**76.856**	**33.801**			**69**	
				पॉवर स्प्रेयर	247	1135706	11.357	5.679	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से क्रय	–	247	–
	योग				**316**	-	**88.2131**	**39.480**			**316**	
2	2024–25	जांजगीर–चांपा	जिला खनिज संस्थान न्यास निधि	पॉवर वीडर	132	75456	99.602	99.602	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से क्रय	किसान एग्रो एजेंसी	132	–
				बैटरी ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर	1542	6484.5	99.991	99.991			1542	–
	योग				**1674**	-	**199.593**	**199.593**			**1674**	

क.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	कृषि उपकरण/ यंत्र का नाम	उपकरण/यंत्र क्रय एवं प्रदाय अनुदान का विवरण							रिमार्क
					मात्रा (संख्या)	दर (रू.में)	राशि	प्रदाय अनुदान राशि	सामग्री खरीदी हेतु अपनाई गई प्रकिया	फर्म का नाम	किसान संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	2024–25	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	20	120000	24.000	0.000	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से क्रय	किसान एग्रोटेक धमधा रोड दुर्ग	20	—
	योग				**20**	-	**24.000**	**0.000**			**20**	
4	2024–25	राजनांदगांव	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर स्प्रेयर	25	20000	5.000	2.500	—	—	25	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है।
				पॉवर वीडर	100	150000	150.000	0.000	जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर क्रय	किसान एग्रोटेक, दुर्ग	100	भुगतान शेष है।
	योग				**125**	-	**155.000**	**2.500**			**125**	
5	2024–25	जगदलपुर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	64	126000	80.640	39.940	—	—	64	कृषकों द्वारा सामग्री क्रय की गई तथा अनुदान राशि का भुगतान कृषकों के खाते में किया गया।
					76	170000	129.200	64.600	—	—	76	
	योग				**140**	-	**209.840**	**104.540**			**140**	
6	2024–25	कांकेर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	पावर स्प्रेयर पंप	1	25200	0.252	0.080	—	—	1	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है।
					1	22380	0.224	0.080	—	—	1	
					1	20000	0.200	0.080	—	—	1	
	योग				**3**	-	**0.676**	**0.240**			**3**	

क.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	कृषि उपकरण/ यंत्र का नाम	उपकरण/यंत्र क्रय एवं प्रदाय अनुदान का विवरण							रिमार्क
					मात्रा (संख्या)	दर (रू.में)	राशि	प्रदाय अनुदान राशि	सामग्री खरीदी हेतु अपनाई गई प्रकिया	फर्म का नाम	किसान संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	2024–25	दुर्ग	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	50	128000	64.000	31.500	—	—	50	कृषकों के द्वारा स्वयं से कय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है।
	योग				**50**	-	**64.000**	**31.500**			**50**	
8	2024–25	गरियाबंद	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	6	74000	4.440	2.220	—	—	6	कृषकों के द्वारा स्वयं से कय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है।
					52	126000	65.520	32.760	—	—	52	
	योग				**58**	-	**69.960**	**34.980**			**58**	
9	2024–25	मुंगेली	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर स्प्रेयर	30	20000	6.000	3.000	—	—	30	कृषकों के द्वारा स्वयं से कय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है।
	योग				**30**	-	**6.000**	**3.000**			**30**	
10	2024–25	कोण्डागांव	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	200	170000	340.000	0.000	—	—	200	कृषकों के द्वारा स्वयं से उपकरण/यंत्र का क्रय किया गया है। अनुदान भुगतान किया जाना शेष है।
	योग				**200**	-	**340.000**	**0.000**			**200**	

क.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	कृषि उपकरण/ यंत्र का नाम	उपकरण/यंत्र क्रय एवं प्रदाय अनुदान का विवरण							रिमार्क
					मात्रा (संख्या)	दर (रू.में)	राशि	प्रदाय अनुदान राशि	सामग्री खरीदी हेतु अपनाई गई प्रकिया	फर्म का नाम	किसान संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	2024–25	कोरबा	नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पॉम योजना	डीजल पम्प	5	29993	1.500	1.260	—	—	5	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है।
	योग				**5**	-	**1.500**	**1.260**			**5**	
12	2024–25	जशपुर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	20	126000	25.200	8.820	—	—	20	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है। 06 कृषकों अनुदान भुगतान शेष है।
	योग				**20**	-	**25.200**	**8.820**			**20**	
13	2024–25	नारायणपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	पावर नेपसेक स्प्रेयर	6	17857.1	1.200	0.000	—	—	6	कृषकों के द्वारा स्वयं से उपकरण/यंत्र का क्रय किया गया है। अनुदान राशि का भुगतान किया जाना शेष है।
	योग				**6**	-	**1.200**	**0.000**			**6**	
14	2024–25	बेमेतरा	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	12	74025	8.883	4.071	—	—	12	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है। 1 कृषक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाना शेष है।
					2	74025	1.481	0.740	—	—	2	
	योग				**14**	-	**10.364**	**4.812**			**14**	

क्र.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	कृषि उपकरण/ यंत्र का नाम	उपकरण/यंत्र क्रय एवं प्रदाय अनुदान का विवरण							रिमार्क
					मात्रा (संख्या)	दर (रू.में)	राशि	प्रदाय अनुदान राशि	सामग्री खरीदी हेतु अपनाई गई प्रकिया	फर्म का नाम	किसान संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	2024–25	दंतेवाड़ा	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	पॉवर नेपसेक स्प्रेयर	3	20500	0.615	0	—	—	3	कृषकों के द्वारा स्वयं उपकरण/यंत्र का क्रय किया गया है। अनुदान राशि का भुगतान किया जाना शेष है।
					1	21650	0.217	0	—	—	1	
	योग				4	-	0.832				4	
16	2024–25	धमतरी	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	पल्वराईजर	2	100000	2.000	1.000	—	—	2	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है।
				पावर नेपसेक स्प्रेयर	3	20000	0.300	0.100	—	—	3	
	योग				5	-	2.300	1.100			5	
17	2024–25	बलरामपुर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	50	126000	63.000	30.240	—	—	50	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है। 2 कृषकों को अनुदान राशि का भुगतान किया जाना शेष है।
				पॉवर वीडर	100	148000	148.000	69.560	—	—	100	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है। 6 कृषकों को अनुदान राशि का भुगतान किया जाना शेष है।
				योग	150	-	211.000	99.800			150	

क.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	कृषि उपकरण/ यंत्र का नाम	उपकरण/यंत्र क्रय एवं प्रदाय अनुदान का विवरण							रिमार्क
					मात्रा (संख्या)	दर (रू.में)	राशि	प्रदाय अनुदान राशि	सामग्री खरीदी हेतु अपनाई गई प्रकिया	फर्म का नाम	किसान संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	2024–25	बलरामपुर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर स्प्रेयर	25	20000	5.000	2.500	—	—	25	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है।
	योग				**175**	-	**216.000**	**102.300**			**175**	
18	2024–25	रायगढ़	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	20	128000	25.600	12.800	—	—	20	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है।
	योग				**20**	-	**25.600**	**12.800**			**20**	
19	2024–25	सुकमा	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	पल्वराईजर	2	112000	2.240	0.000	—	—	2	कृषकों द्वारा सामग्री क्रय की गई तथा अनुदान राशि का भुगतान कृषकों के खाते में किया गया। भुगतान शेष है।
				नेपसेक पावर स्प्रेयर	6	20000	1.200	0.000	—	—	6	
	योग				**8**	-	**3.440**	**0.000**			**8**	
20	2024–25	रायपुर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पावर स्प्रेयर	25	20000	5.000	2.440	—	—	25	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है।
				पॉवर वीडर	100	170000	170.000	0.000	—	—	100	कृषकों द्वारा सामग्री क्रय की गई तथा अनुदान राशि का भुगतान किया जाना शेष है।
	योग				**125**	-	**175.000**	**2.440**			**125**	

क्र.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	कृषि उपकरण/ यंत्र का नाम	उपकरण/यंत्र क्रय एवं प्रदाय अनुदान का विवरण							रिमार्क
					मात्रा (संख्या)	दर (रू.में)	राशि	प्रदाय अनुदान राशि	सामग्री खरीदी हेतु अपनाई गई प्रकिया	फर्म का नाम	किसान संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	2024–25	मोहला–मानपुर–अं.चौकी	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	50	63000	31.500	28.350	–	–	50	कृषकों के द्वारा स्वयं से क्रय उपकरण/यंत्र पर डीबीटी (नगद) के माध्यम से अनुदान भुगतान की किया गया है। 5 कृषकों को अनुदान राशि का भुगतान किया जाना शेष है।
	योग				**50**	-	**31.500**	**28.350**			**50**	
	कुल योग				**3048**	-	**1650.216**	**577.714**			**3048**	

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
12:25:39

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र – ब

किसानों को वितरित कृषि उपकरण/यंत्र की जानकारी

राशि (लाख में)

क.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	कृषि उपकरण/ यंत्र का नाम	उपकरण/यंत्र क्रय एवं प्रदाय अनुदान का विवरण							रिमार्क
					मात्रा (संख्या)	दर (रू.में)	राशि	प्रदाय अनुदान राशि	सामग्री खरीदी हेतु अपनाई गई प्रकिया	फर्म का नाम	किसान संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2025–26 (जून 2025 तक)	बालोद	जिला खनिज संस्थान न्यास निधि	पॉवर वीडर	100	78900	78.900	0	जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर क्रय	एपीएस इंटरप्राईजेस राजनांदगांव	50	जिला खनिज संस्थान न्यास निधि मद अंतर्गत पॉवर वीडर वितरण वर्ष 2024–25 में स्वीकृत है, जिसका कियान्वयन वर्ष 2025–26 में किया जा रहा है। 50 पॉवार वीडर कृषकों को वितरण हेतु शेष है।
	योग				100	-	78.900	0			50	

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
12:27:56

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

केन्द्र से प्राप्त बजट की जानकारी
वर्ष 2023–24

(राशि रू. लाखों में)

क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	चयनित निविदाकार	कार्य की प्रगति	भुगतान की गई राशि
1	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम तौरेंगा में अहाता निर्माण कार्य	11.39	मैं. धरमुराम देवांगन, गरियाबंद	पूर्ण	11.39
2	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम कुल्हाड़ीघाट में अहाता निर्माण कार्य	11.39	मैं. धरमुराम देवांगन, गरियाबंद	पूर्ण	11.39
3	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा में अहाता निर्माण कार्य	11.39	मैं. धरमुराम देवांगन, गरियाबंद	पूर्ण	11.39
4	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा में अनुरक्षण कार्य	5.90	में राधेकृष्णा एजेंसी रायपुर	पूर्ण	5.90
5	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम बुरजाबहाल में अनुरक्षण कार्य	5.90	में राधेकृष्णा एजेंसी रायपुर	पूर्ण	5.90
6	मैनपुर	आदिवासी कन्या आश्रम साहेबिनकछार में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	में राधेकृष्णा एजेंसी रायपुर	दिवाल स्तर	2.50
7	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	में राधेकृष्णा एजेंसी रायपुर	रूफ लेवल	2.50
8	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम तौरेंगा में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	में राधेकृष्णा एजेंसी रायपुर	दिवाल स्तर	2.50
9	मैनपुर	आदिवासी कन्या आश्रम नकबेल में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	में राधेकृष्णा एजेंसी रायपुर	दिवाल स्तर	2.50
10	मैनपुर	प्रीण्मैण् आदिवासी कन्या छात्रावास मैनपुर में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	में. राकेश कुमार शर्मा, बिलासपुर	दिवाल स्तर	2.50
11	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम झरियाबाहरा में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	में वारसी ट्रेडर्स, गरियाबंद	दिवाल स्तर	0.00
12	मैनपुर	प्रीण्मैण् आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	में. राकेश कुमार शर्मा, बिलासपुर	दिवाल जोड़ाई कार्य	2.50
13	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम बुरजाबहाल में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	में राधेकृष्णा एजेंसी रायपुर	दिवाल स्तर	2.50
14	मैनपुर	पोण्मैण्आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	में. राकेश कुमार शर्मा, बिलासपुर	दिवाल जोड़ाई कार्य	2.50
15	मैनपुर	प्रीण्मैण् आदिवासी बालक छात्रावास उरमाल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	मे. आशिष कुमार यादव, गरियाबंद	दिवाल स्तर	6.00
16	मैनपुर	प्रीण्मैण् आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	में. राकेश कुमार शर्मा, बिलासपुर	खिड़की स्तर	6.00
17	मैनपुर	पोण्मैण् आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	में. राकेश कुमार शर्मा, बिलासपुर	दिवाल जोड़ाई	6.00

क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	चयनित निविदाकार	कार्य की प्रगति	भुगतान की गई राशि
18	मैनपुर	आदिवासी बालक छात्रावास उरमाल में अधीक्षक आवास गृह निर्माण कार्य	8.00	में राधेकृष्णा एजेंसी रायपुर	रूफ लेवल	4.00
19	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम कुल्हाड़ीघाट में अधीक्षक आवास गृह निर्माण कार्य	8.00	में राधेकृष्णा एजेंसी रायपुर	रूफ लेवल	4.00
20	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम गोहरापदर में किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	में. ईधा बिल्डकॉन, रायपुर	खिड़की स्तर	3.12
21	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम कुल्हाड़ीघाट में किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	में. ईधा बिल्डकॉन, रायपुर	खिड़की स्तर	3.12
22	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा में किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	में. ईधा बिल्डकॉन, रायपुर	खिड़की स्तर	3.12
23	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम तैरेंगा में किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	में. ईधा बिल्डकॉन, रायपुर	दिवाल स्तर	3.12
24	मैनपुर	आदिवासी कन्या आश्रम नकबेल में किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	में. टाईल्स एंड टाईल्स, रायपुर	खिड़की स्तर	3.12
25	मैनपुर	प्रीण्मैण्कन्या छात्रावास मैनपुर में किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	में. टाईल्स एंड टाईल्स, रायपुर	दिवाल जोड़ाई	3.12
26	मैनपुर	ग्राम कोकड़ी में सौर उर्जा के माध्यम से पाने योग्य पानी व्यवस्था कार्य	11.00	टुगेदर वी ग्रो प्रोजेक्ट, रायपुर	पूर्ण	11.00
27	मैनपुर	ग्राम गरहाडीह में सौर उर्जा के माध्यम से पाने योग्य पानी व्यवस्था कार्य	11.00	टुगेदर वी ग्रो प्रोजेक्ट, रायपुर	पूर्ण	11.00
28	मैनपुर	ग्राम भूतबेड़ा में सौर उर्जा के माध्यम से पाने योग्य पानी व्यवस्था कार्य	11.00	टुगेदर वी ग्रो प्रोजेक्ट, रायपुर	पूर्ण	11.00
29	मैनपुर	ग्राम गौरगांव में सौर उर्जा के माध्यम से पाने योग्य पानी व्यवस्था कार्य	11.00	टुगेदर वी ग्रो प्रोजेक्ट, रायपुर	पूर्ण	11.00
30	मैनपुर	ग्राम दबनई में सौर उर्जा के माध्यम से पाने योग्य पानी व्यवस्था कार्य	11.00	टुगेदर वी ग्रो प्रोजेक्ट, रायपुर	पूर्ण	11.00
31	मैनपुर	ग्राम छोटेगोबरा में सौर उर्जा के माध्यम से पाने योग्य पानी व्यवस्था कार्य	11.00	टुगेदर वी ग्रो प्रोजेक्ट, रायपुर	पूर्ण	11.00
32	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम गोहरापदर में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल पंप स्थापना कार्य	1.92	मुडासेर प्रोजेक्ट ओपीसी प्रा.ली. रायपुर	पूर्ण	1.92
33	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल पंप स्थापना कार्य	1.92	मुडासेर प्रोजेक्ट ओपीसी प्रा.ली. रायपुर	पूर्ण	1.92
34	मैनपुर	आदिवासी बालक छात्रावास उरमाल में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल पंप स्थापना कार्य	1.92	मुडासेर प्रोजेक्ट ओपीसी प्रा.ली. रायपुर	पूर्ण	1.92
35	मैनपुर	पोण्मैण्आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल पंप स्थापना कार्य	1.92	मुडासेर प्रोजेक्ट ओपीसी प्रा.ली. रायपुर	पूर्ण	1.92
36	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम झरियाबाहरा में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल पंप स्थापना कार्य	1.92	मुडासेर प्रोजेक्ट ओपीसी प्रा.ली. रायपुर	पूर्ण	1.92
37	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम मैनपुर में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल पंप स्थापना कार्य	1.92	मुडासेर प्रोजेक्ट ओपीसी प्रा.ली. रायपुर	पूर्ण	1.92
38	मैनपुर	ईएमआरएस मैनपुर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण कार्य	15.00	में. टाईल्स एंड टाईल्स, रायपुर	बेस स्ट्रक्चर निर्माण कार्य पूर्ण	7.50
39	मैनपुर	छात्रावास/आश्रमों में फूट ग्रेन स्टोरेज कन्टेनर प्रदाय	1.904	ORIENTAL SALES CORPOTAITION RAIPUR	पूर्ण	1.90
योग :–			**274.774**			**197.584**

क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	चयनित निविदाकार	कार्य की प्रगति	भुगतान की गई राशि
वर्ष 2024–25		निरंक				

अनुभाग अधिकारी
अ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

राज्य से प्राप्त बजट की जानकारी
वर्ष 2023–24 (विभागीय मद)

(राशि रू. लाखों में)

क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	चयनित निविदाकार	कार्य की प्रगति	भुगतान की गई राशि
1	मैनपुर	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास उरमाल	5.50	में. धरमुराम देवांगन, गरियाबंद	कार्य पूर्ण	5.50
2	मैनपुर	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर	4.45	में. शिवाय इंटरप्राईजेस, धमतरी	कार्य पूर्ण	4.45
3	मैनपुर	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास मैनपुर	9.40	मे. नजीब बेग, मैनपुर	कार्य पूर्ण	9.40
4	मैनपुर	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास अमलीपदर	10.00	में. धरमुराम देवांगन, गरियाबंद	कार्य पूर्ण	10.00
5	मैनपुर	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर	2.00	में. लोकल वेंचर्स पार्टनर रायपुर	कार्य पूर्ण	2.00
6	मैनपुर	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास अमलीपदर	2.00	में. लोकल वेंचर्स पार्टनर रायपुर	कार्य पूर्ण	2.00
7	मैनपुर	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास मैनपुर	2.00	में. लोकल वेंचर्स पार्टनर रायपुर	कार्य पूर्ण	2.00
8	मैनपुर	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास इंदागांव	2.00	में. लोकल वेंचर्स पार्टनर रायपुर	कार्य पूर्ण	2.00
9	मैनपुर	अनु.जाति बालक आश्रम धुरूवागुड़ी	2.00	में. लोकल वेंचर्स पार्टनर रायपुर	कार्य पूर्ण	2.00
योग :–			**39.35**			**39.35**
वर्ष 2023–24 (मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधीकरण मद)						
10	मैनपुर	पुलिया निर्माण कार्य (अड़गड़ी नाका के पास)	5.00	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत	कार्य पूर्ण	2.00
11	मैनपुर	सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (कमलेश गली में)	5.00	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत	कार्य पूर्ण	5.00
12	मैनपुर	सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (बलियार गली में)	5.00	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत	कार्य पूर्ण	5.00
योग :–			**15.00**			**12.00**
महायोग :–			**54.35**			**51.35**
वर्ष 2024–25 (विभागीय मद)						
1	मैनपुर	प्री.मै.अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम उरमाल में जीर्णोद्धार कार्य	6.00	वाय. के. कंस्ट्रक्शन गरियाबंद	कार्य पूर्ण	6.00
2	मैनपुर	प्री.मै. अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास मैनपुर में जीर्णोद्धार कार्य	8.00	ए.एस कंस्ट्रक्शन गरियाबंद	कार्य पूर्ण	8.00
3	मैनपुर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम झरियाबाहरा में जीर्णोद्धार कार्य	9.06	वाय. के. कंस्ट्रक्शन गरियाबंद	कार्य पूर्ण	9.06
4	मैनपुर	प्री.मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास अमलीपदर में जीर्णोद्धार कार्य	8.00	वाय. के. कंस्ट्रक्शन गरियाबंद	कार्य पूर्ण	8.00
योग :–			**31.06**			**31.06**

क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	चयनित निविदाकार	कार्य की प्रगति	भुगतान की गई राशि
वर्ष 2024–25 (मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधीकरण मद)						
5	मैनपुर	सी.सी. सड़क निर्माण, रंगमंच से कुशल घर तक ग्राम	10.00	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत	अप्रारंभ	0.00
6	मैनपुर	सी.सी. सड़क निर्माण, त्यागी दुकान से हाईस्कूल मार्ग में	10.00	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत	अप्रारंभ	0.00
7	मैनपुर	सी.सी. सड़क निर्माण, धवईभर्री मार्ग में, गौरगांव, मैनपुर	10.00	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत	अप्रारंभ	0.00
8	मैनपुर	धुवागुड़ी साप्ताहिक बाजार चौक में सोलर हाई–मास्क	6.00	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत	अप्रारंभ	0.00
9	मैनपुर	खोखमा बस्ती में सोलर हाई–स्थापना कार्य खोखमा, वि.ख.	6.00	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत	अप्रारंभ	0.00
10	मैनपुर	फोकटपारा बस्ती में सोलर हाई–मास्क स्थापना कार्य	6.00	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत	अप्रारंभ	0.00
11	मैनपुर	सिहारलाटी बस्ती में सोलर हाई–मास्क स्थापना कार्य	6.00	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत	अप्रारंभ	0.00
12	मैनपुर	सी.सी. रोड निर्माण मेन रोड बरझाड़ से नाला तक	15.00	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत	अप्रारंभ	0.00
13	मैनपुर	सी.सी. रोड निर्माण अटल चौक जगदीश घर तक परतेवा,	8.00	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत	अप्रारंभ	0.00
योग :–			**77.00**			**0.00**
महायोग :–			**108.06**			**31.06**

अनुभाग अधिकारी
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
नवा रायपुर, अ...

परिशिष्ट - चौंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 740) की जानकारी

प्रपत्र – अ

संचालनालय कृषि के अधीन संचालित सेवाओं/योजनाओं, जिन्हे लोक सेवा गारंटी अधिनियम में सम्मिलित किया गया है, की सेवा/योजनावार जानकारी

क्र.	सेवा/योजना का नाम	सेवा प्रदायगी हेतु निर्धारित समय–सीमा
1	जिले में उर्वरक व्यवसाय के लिये नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना एवं पंजीयन का नवीनीकरण।	30 कार्य दिवस
2	जिले में पौध संरक्षण औषधियों के व्यवसाय के लिये अनुज्ञप्ति नवीनीकरण।	30 कार्य दिवस
3	कृषि के प्रमाणित लेबल बीज के व्यवसाय हेतु नवीन अनुज्ञप्ति पत्र जारी करना तथा नवीनीकरण।	30 कार्य दिवस
4	नलकूप योजना (किसान समृद्धि एवं सामान्य नलकूप)	30 कार्य दिवस
5	शक्ति चलित उन्नत कृषि यंत्र वितरण।	30 कार्य दिवस
6	शाकम्भरी योजना।	30 कार्य दिवस
7	उन्नत कृषि यंत्र का परीक्षण प्रमाण पत्र जारी करना परीक्षण हेतु।	60 कार्य दिवस

(भास्कर सिन्हा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

संचालनालय कृषि
कृषि यंत्र/उपकरण की प्रदायगी हेतु प्राप्त, पंजीकृत एवं निराकृत आवेदन

क्र.	वर्ष	माह	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022–23 (दिनांक 01.01. 2023 से 31.03. 2023 तक)	जनवरी 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	590	459	227	227
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	5	4	4	4
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	13	13	9	9
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	487	483	362	362
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	3244	3194	2744	2744
			शाकम्भरी योजना	1306	1255	1255	1255
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	60	58	40	40
		योग		**5705**	**5466**	**4641**	**4641**
		फरवरी 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	588	450	220	220
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	23	20	13	13
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – चावल	17	12	12	12
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	516	510	416	416
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	3175	3136	2653	2653
			शाकम्भरी योजना	1570	1552	1552	1552
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	41	41	13	13
		योग		**5930**	**5721**	**4879**	**4879**
		मार्च 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	970	727	478	478
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	2	2	1	1
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	50	45	37	37
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	815	810	720	720
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	2349	2300	1809	1809
			शाकम्भरी योजना	1064	1018	1018	1018
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	118	107	1	1
		योग		**5368**	**5009**	**4064**	**4064**
		महायोग वर्ष 2022–23 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक)		**17003**	**16196**	**13584**	**13584**
2	2023–24	अप्रैल 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	0	0	0	0
			शाकम्भरी योजना	0	0	0	0
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
		योग		**0**	**0**	**0**	**0**
		मई 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	0	0	0	0
			शाकम्भरी योजना	0	0	0	0
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
		योग		**0**	**0**	**0**	**0**

क्र.	वर्ष	माह	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2023–24	जून 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	0	0	0	0
			शाकम्भरी योजना	0	0	0	0
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
		योग		**0**	**0**	**0**	**0**
		जुलाई 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	7760	2224	1590	1590
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	24	24	24	24
			शाकम्भरी योजना	640	628	568	568
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	787	432	276	276
		योग		**9211**	**3308**	**2458**	**2458**
		अगस्त 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	2677	685	286	286
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	5	5	1	1
			शाकम्भरी योजना	1368	1355	1275	1275
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	193	143	99	99
		योग		**4243**	**2188**	**1661**	**1661**
		सितम्बर 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	1863	533	287	287
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	4	1		0
			शाकम्भरी योजना	2864	2841	2587	2587
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	208	87	38	38
		योग		**4939**	**3462**	**2912**	**2912**
		अक्टूबर 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	896	239	99	99
			शाकम्भरी योजना	537	527	484	484
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	163	0		0
		योग		**1596**	**766**	**583**	**583**
		नवम्बर 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	450	106	56	56
			शाकम्भरी योजना	399	398	374	374
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	46	0		0
		योग		**895**	**504**	**430**	**430**
		दिसम्बर 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	697	199	96	96
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	7	3		0
			शाकम्भरी योजना	991	967	918	918
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	145	0		0
		योग		**1840**	**1169**	**1014**	**1014**
		जनवरी 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	769	148	58	58
			शाकम्भरी योजना	1629	1613	1436	1436
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	108	0		0
		योग		**2506**	**1761**	**1494**	**1494**
		फरवरी 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	635	107	48	48
			शाकम्भरी योजना	2077	2050	1915	1915
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	34	0		0
		योग		**2746**	**2157**	**1963**	**1963**
		मार्च 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	391	143	108	108
			शाकम्भरी योजना	1294	1223	1045	1045
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	407	0		0
		योग		**2092**	**1366**	**1153**	**1153**
		महायोग वर्ष 2023–24		**30068**	**16681**	**13668**	**13668**

क्र.	वर्ष	माह	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
3	2024–25	अप्रैल 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	0	0	0	0
			शाकम्भरी योजना	0	0	0	0
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
		मई 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	9163	2789	1971	1971
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	3	2	2	2
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	1061	571	567	567
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	5502	5002	4999	4999
			शाकम्भरी योजना	185	182	182	182
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	352	342	342	342
		योग		**16266**	**8888**	**8063**	**8063**
		जून 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	2565	450	343	343
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	1	1	1	1
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	858	525	524	524
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	6350	5118	4831	4831
			शाकम्भरी योजना	556	552	552	552
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	36	27	24	24
		योग		**10366**	**6673**	**6275**	**6275**
		जुलाई 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	2279	359	277	277
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	8	7	7	7
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	427	231	230	230
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	3569	2084	1888	1888
			शाकम्भरी योजना	1416	1408	1408	1408
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	5	5	5	5
		योग		**7704**	**4094**	**3815**	**3815**
		अगस्त 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	1225	241	162	162
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	7	2	2	2
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	279	205	204	204
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	2078	1125	955	955
			शाकम्भरी योजना	1226	1224	1224	1224
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	28	28	25	25
		योग		**4843**	**2825**	**2572**	**2572**
		सितम्बर 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	1023	248	187	187
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	20	10	10	10
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	187	133	124	124
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	1896	734	665	665
			शाकम्भरी योजना	1674	1638	1638	1638
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	17	16	16	16
		योग		**4817**	**2779**	**2640**	**2640**
		अक्टूबर 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	878	158	116	116
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	11	4	4	4
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	318	234	231	231
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	1207	388	375	375
			शाकम्भरी योजना	1370	1369	1369	1369
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	25	20	9	9
		योग		**3809**	**2173**	**2104**	**2104**

क्र.	वर्ष	माह	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
3	2024–25	नवंबर 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	2636	178	90	90
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	12	2	2	2
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	355	242	242	242
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	1636	320	305	305
			शाकम्भरी योजना	1384	1379	1379	1379
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	21	15	15	15
		योग		**6044**	**2136**	**2033**	**2033**
		दिसम्बर 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	2090	142	87	87
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	8	5	5	5
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	492	295	293	293
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	3603	346	321	321
			शाकम्भरी योजना	1508	1502	1502	1502
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	6	0		0
		योग		**7707**	**2290**	**2208**	**2208**
		जनवरी 2025	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	1269	139	99	99
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	15	10	10	10
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	433	273	273	273
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	2334	357	328	328
			शाकम्भरी योजना	1425	1417	1417	1417
		योग		**5476**	**2196**	**2127**	**2127**
		फरवरी 2025	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	862	37	18	18
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	2	0		0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	188	98	96	96
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	1161	90	42	42
			शाकम्भरी योजना	1543	1532	1532	1532
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	3	1		0
		योग		**3759**	**1758**	**1688**	**1688**
		मार्च 2025	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	517	54	32	32
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	5	3	3	3
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	337	235	233	233
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	415	0		0
			शाकम्भरी योजना	1030	877	877	877
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	2	0		0
		योग		**2306**	**1169**	**1145**	**1145**
		महायोग वर्ष 2024–25		**73097**	**36981**	**34670**	**34670**

क्र.	वर्ष	माह	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
4	2025–26 (दिनांक 30.06. 2025 तक)	अप्रैल 2025	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	0	0	0	0
			शाकम्भरी योजना	0	0	0	0
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
		मई 2025	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	13136	0		0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	2777	1528	753	753
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	14811	2703	1055	1055
			शाकम्भरी योजना	981	896	303	303
		योग		**31705**	**5127**	**2111**	**2111**
		जून 2025	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	2211	0		0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	484	156	58	58
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	2978	75	2	2
			शाकम्भरी योजना	533	51	16	16
		योग		**6206**	**282**	**76**	**76**
		महायोग वर्ष 2025–26 (दिनांक 30.06.2025 तक)		**37911**	**5409**	**2187**	**2187**

प्रपत्र–ब

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

कृषि यंत्रो एवं उपकरणो की प्रदायगी हेतु माहवार प्राप्त, पंजीकृत एवं निराकृत आवेदन

क्र.	वर्ष	माह	शक्ति चलित कृषि यंत्रों का वितरण		
			प्राप्त आवेदन की संख्या	पंजीकृत किये गये आवेदन की संख्या	निराकृत आवेदन की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक	जनवरी	0	0	0
		फरवरी	0	0	0
		मार्च	138	138	137
	योग		**138**	**138**	**137**
2	2023–24	अप्रैल	0	0	0
		मई	1	1	1
		जून	148	148	134
		जुलाई	40	40	40
		अगस्त	2880	2880	2880
		सितम्बर	1236	1236	1236
		अक्टूबर	14	14	14
		नवम्बर	8	8	8
		दिसम्बर	1290	1290	1290
		जनवरी	400	400	400
		फरवरी	173	173	173
		मार्च	133	133	133
	योग		**6323**	**6323**	**6309**
3	2024–25	अप्रैल	7	7	7
		मई	0	0	0
		जून	3	3	3
		जुलाई	0	0	0
		अगस्त	0	0	0
		सितम्बर	0	0	0
		अक्टूबर	0	0	0
		नवम्बर	0	0	0
		दिसम्बर	0	0	0
		जनवरी	0	0	0
		फरवरी	0	0	0
		मार्च	178	178	173
	योग		**188**	**188**	**183**
4	2025–26 (30 जून 2025 तक)	**अप्रैल**	0	0	0
		मई	204	204	4
		जून	54	54	54
	योग		**258**	**258**	**58**
	महायोग		**6907**	**6907**	**6687**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - पैंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 751) की जानकारी

प्रपत्र– "अ"

(राशि रूपय में)

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
सत्र 2022–23	5,00,00,000/–	9,78,87,865/–	लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्वयं का बजट प्रावधान कराया जाता है।
सत्र 2023–24	2,65,39,700/–	10,01,74,800/–	
सत्र 2024–25	2,83,56,700/–	10,59,39,140/–	

अनुभाग अधिकारी
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

प्रपत्र– "ब"

सत्रवार, योजना तथा जातिवार जानकारी

सत्र 2022–23					
क्र.	योजना	योजना का विवरण	योजनांतर्गत आने वाले अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या	योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	योजनांतर्गत लाभ प्राप्ति हेतु शेष विद्यार्थियों की संख्या
1.	प्री–मैट्रिक	अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	6646	5229	1417
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	14806	14407	399
		अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	56279	53418	2861
		अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	20341	19973	368
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	28642	28479	163
		योग	126714	121506	5208
2.	पोस्ट–मैट्रिक	अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	27405	27276	129
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	34189	33996	193
		अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	125308	106533	18775
		योग	186902	167805	19097

सत्र 2023–24					
क्र.	योजना	योजना का विवरण	योजनांतर्गत आने वाले अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या	योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	योजनांतर्गत लाभ प्राप्ति हेतु शेष विद्यार्थियों की संख्या
1.	प्री–मैट्रिक	अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	10107	9916	191
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	30331	29612	719
		अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	152907	150441	2466
		अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	27947	27723	224
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	44837	44028	809
		योग	266129	261720	4409
2.	पोस्ट–मैट्रिक	अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	25864	25810	54
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	40552	39630	922
		अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	97383	96383	1000
		योग	163799	161823	1976

सत्र 2024–25					
क्र.	योजना	योजना का विवरण	योजनांतर्गत आने वाले अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या	योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	योजनांतर्गत लाभ प्राप्ति हेतु शेष विद्यार्थियों की संख्या
1.	प्री–मैट्रिक	अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	11753	9771	1982
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	32445	30964	1481
		अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	136174	133362	2812
		अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	16988	15755	1233
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	27164	26991	173
		योग	224524	216843	7681
2.	पोस्ट–मैट्रिक	अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	21134	20159	975
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	34013	33323	690
		अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	86062	84288	1774
		योग	141209	137770	3439

अनुभाग अधिकारी
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

वर्ष 2024–25 में बालोद जिला अंतर्गत आश्रम शाला/छात्रावास भवन निर्माण/मरम्मत सामग्री क्रय एवं अन्य कार्य हेतु विकासखण्डवार स्वीकृत राशि की जानकारी

आश्रम/छात्रावास भवन निर्माण – निरंक

आश्रम छात्रावास मरम्मत कार्य

क्रं.	विकासखण्ड	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	डौण्डी	प्री.मै.अ.ज.जा. आदर्श बालक छात्रावास क्रं.01 डौण्डी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	90.37
2		शासकीय बालक क्रीड़ा परिसर डौण्डी जीर्णोद्धार	
3		प्री.मै.अ.ज.जा. आदर्श बालक छात्रावास क्रं.01 डौण्डी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	
4		आदिवासी कन्या आश्रम डौण्डी में शौचालय मरम्मत कार्य	
5		आदिवासी कन्या आश्रम कुसुमकसा में रेनोवेशन, दरवाजा खिड़की मरम्मत	
6		प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास चिखलाकसा में न्यू स्लेब निर्माण	
7		आदिवासी कन्या आश्रम घोटिया में भवन प्लास्टर मरम्मत कार्य	
8		आदिवासी कन्या आश्रम डोण्डी में भवन जीर्णोद्धार कार्य	
9		प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास चिखलाकसा में खिड़की दरवाजा मरम्मत कार्य	
10	डौण्डी–लोहारा	आदिवासी बालक आश्रम रायगढ़ में विद्युत मरम्मत	48.45
11		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास भंवरमरा जीर्णोद्धार निर्माण	
12		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कमकापार जीर्णोद्धार कार्य	
13		आदिवासी कन्या आश्रम बड़ाजुंगेरा टाईल्स एवं दरवाजा मरम्मत कार्य	
14		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सूरेगांव में जीर्णोद्धार कार्य	
15		प्री.मै. अनु.जा. बालक छात्रावास संबलपुर मरम्मत कार्य	
16		आदिवासी बालक आश्रम हितापाठार में अहाता निर्माण	
17		आदिवासी कन्या आश्रम कोडेकसा में अहाता निर्माण	
18		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घीना में जीर्णोद्धार	

क्रं.	विकासखण्ड	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
19		प्री.मै. आदिवासी कन्या छा. खेरथा बाजार खिड़की दरवाजा मरम्मत	
20		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रेंगाडबरी शौचालय मरम्मत	
21	बालोद	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बालोद जीर्णोद्धार कार्य	24.98
22		प्री.मै.-अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बालोद अहाता ऊचीकरण	
23	गुरूर	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बड़भूम में रेनोवेशन कार्य	18.97
24		आदिवासी बालक आश्रम बगदई रेनोवेशन कार्य	
25		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सोरर में मरम्मत कार्य	
26		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गुरूर में अधीक्षक आवास गृह मरम्मत	
27		आदिवासी बालक आश्रम बड़भूम में अहाता निर्माण	
28		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गुरूर में अहाता मरम्मत कार्य	
29	गुडरदेही	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास भाठागांव "आर" मरम्मत कार्य	24.98
30		प्री.मै. अ.जाति बालक छात्रावास अर्जुन्दा में छत जीर्णोद्धार	
योग :–			**207.75**

सामग्री क्रय

बालोद जिले के अंतर्गत संचालित आश्रम शाला/छात्रावासो में वर्ष 2024–25 के सामग्री क्रय की जानकारी

1	–	ब्रश/वाईपर	0.62
2	–	सीट एण्ड डेस्क कम्बो	0.62
3	–	पानी टंकी	0.62
4	–	गद्दा	1.25
5	–	सिलिन फेन	0.42
6	–	आलमीरा	0.97
7	–	टी–शर्ट/ट्रैक्सूट/मोजा/जूता/काटन रूमाल	3.40
8	–	पीलो/पीलो कव्हर/गददा कव्हर	0.83
9	–	गार्डर्निंग पाईप/ईमरजेसी बल्ब/डस्टबीन/बकेट/पानी टंकी/थाली/एल.ई.डी. ट्युबलाईट	20.60

क्रं.	विकासखण्ड	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
10	–	टेबल / अनाज कोठी / रेंक / आलमीरा / पलंग	13.70
11	–	गद्दा / फिनाईल	6.01
12	–	क्वील्ट कव्हर / गद्दा	19.35
13	–	एलईडी एमरजेंसी बल्ब / एलईडी टयूब लाईट / पीलो कव्हर / पानी टंकी /	17.05
14	–	रेक / आलमीरा / आफिस चेयर / पलंग /	20.70
15	–	मच्छरदानी / सिलिन फेन / गददा / मच्छरदानी / एल.ई.डी.ट्यूबलाईट / एल.ई.डी एमरजेंसी बल्ब / तकिया / सिलिंग फेन	32.66
16	–	पीलो / गददा	18.85
17	–	इमरजेसी बल्ब / गिलास / एलईडी टयूब लाईट / सिलिन फेन / गिलास / प्रेस कुकर	7.40
18	–	पलंग / टेबल / रेक	4.65
19	–	सिलिन फेन / फिनायल / तकिया / मच्छरदानी	6.18
20	–	गददा / मच्छरदानी /	4.00
21	–	प्लास्टिक मग / एलईडी टयूब लाईट	0.800
22	–	टेबल / रेक /	0.800
23	–	एलईडी टयूब लाईट / तकिया	1.37
24	–	गददा	0.43
योग :–			**183.28**

अनुभाग अधिकारी
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.व.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–अ

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 792) की जानकारी

समितिवार सहकारी क्षेत्र में उर्वरक भण्डारण, वितरण, शेष की जानकारी खरीफ 2025 दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में

क्र	समिति का नाम	कुल भण्डारण						वितरण						शेष					
		यूरिया	सुपर	डी.ए.पी	पोटास	एन.पी.के.	योग	यूरिया	सुपर	डी.ए.पी	पोटास	एन.पी.के.	योग	यूरिया	सुपर	डी.ए.पी	पोटास	एन.पी.के.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	बालोद	147	56	61	55	25	**343**	96	24	55	23	14	**212**	51	32	6	32	11	**131**
2	मेढकी	76	40	83	38	30	**266**	75	26	46	14	26	**187**	1	14	37	24	4	**79**
3	सांकरा ज	125	89	70	35	26	**346**	120	61	64	24	26	**295**	5	28	6	11	0	**51**
4	पारघास	95	48	72	38	0	**253**	95	32	65	13	0	**205**	0	16	7	25	0	**48**
5	तरौद	32	43	22	38	0	**136**	32	14	20	9	0	**75**	0	29	2	29	0	**61**
6	बेलमाण्ड	85	19	39	20	45	**207**	84	10	35	18	35	**182**	1	9	4	2	10	**25**
7	लाटाबोड	114	25	50	16	30	**235**	114	20	25	12	30	**201**	0	5	25	4	0	**34**
8	पोण्डी	79	19	61	22	75	**255**	79	15	35	14	74	**217**	0	4	26	8	1	**38**
9	परसोदा	98	0	50	14	45	**207**	72	0	25	11	45	**153**	26	0	25	3	0	**54**
10	निपानी	95	51	63	9	2	**219**	57	26	57	7	2	**149**	38	25	6	2	0	**70**
11	पीपरछेडी	99	110	1	31	80	**321**	98	82	1	22	79	**282**	1	28	0	9	1	**39**
12	बेलौदी	125	99	39	2	0	**265**	108	35	35	2	0	**180**	17	64	4	0	0	**85**
13	सतमरा	63	111	39	0	32	**245**	63	69	35	0	32	**199**	0	42	4	0	0	**46**
14	करहीभदर	75	80	39	31	86	**311**	69	21	35	20	83	**228**	6	59	4	11	3	**83**
15	सांकरा क	64	74	39	0	91	**268**	63	56	35	0	90	**244**	1	18	4	0	1	**24**
16	बरही	81	84	33	49	37	**284**	72	25	10	20	37	**164**	9	59	23	29	0	**120**
17	सोरर	75	25	0	16	90	**206**	75	19	0	13	75	**182**	0	6	0	3	15	**24**
18	सुर्रा	65	62	11	11	72	**221**	61	42	10	7	69	**189**	4	20	1	4	3	**32**
19	धनेली	82	62	44	19	30	**237**	57	22	20	8	30	**137**	25	40	24	11	0	**100**
20	धनोरा	202	101	55	41	38	**438**	118	75	50	19	28	**290**	84	26	5	22	10	**148**
21	गुरूर	151	57	126	24	30	**388**	133	44	114	14	30	**335**	18	13	12	10	0	**53**
22	मोखा	101	66	39	38	65	**309**	85	22	35	11	65	**218**	16	44	4	27	0	**91**
23	मिर्रीटोला	145	38	28	16	80	**307**	94	25	24	9	80	**232**	51	13	4	7	0	**75**
24	कनेरी	80	24	28	17	61	**209**	59	7	25	7	56	**154**	21	17	3	10	5	**55**
25	दर्रा	82	56	29	39	30	**236**	50	9	26	12	30	**127**	32	47	3	27	0	**109**
26	घोघोपुरी	61	19	28	11	30	**148**	42	4	25	5	30	**106**	19	15	3	6	0	**42**
27	डितेकसा	50	37	0	27	71	**186**	50	25	0	12	65	**152**	0	12	0	15	6	**34**
28	कोचवही	33	48	6	4	31	**122**	25	5	0	2	22	**54**	8	43	6	2	9	**68**
29	डौण्डी	103	96	31	76	31	**338**	102	32	28	31	31	**224**	1	64	3	45	0	**113**
30	मर्रीटोला	95	57	0	43	60	**254**	94	35	0	31	60	**220**	1	22	0	12	0	**34**
31	घोठिया	126	101	0	67	1	**295**	120	63	0	34	1	**218**	6	38	0	33	0	77
32	कुऑगोंदी	63	43	40	38	55	**239**	63	35	36	35	55	**224**	0	8	4	3	0	**15**

क्र	समिति का नाम	कुल भण्डारण						वितरण						शेष					
		यूरिया	सुपर	डी.ए.पी	पोटास	एन.पी.के.	योग	यूरिया	सुपर	डी.ए.पी	पोटास	एन.पी.के.	योग	यूरिया	सुपर	डी.ए.पी	पोटास	एन.पी.के.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33	कोटागांव	86	51	10	25	30	**202**	86	26	9	23	30	**174**	0	25	1	2	0	**28**
34	गुदुम	66	46	39	38	47	**236**	64	30	33	32	29	**188**	2	16	6	6	18	**47**
35	आमाडुला	68	43	13	38	30	**193**	68	33	12	22	30	**165**	0	10	1	16	0	**28**
36	मंगलतराई	93	79	0	48	30	**250**	63	43	0	20	30	**156**	30	36	0	28	0	**94**
37	कुसुमकसा	141	109	0	102	32	**383**	141	34	0	25	32	**232**	0	75	0	77	0	**151**
38	गुजरा	68	68	0	44	68	**248**	68	35	0	27	68	**198**	0	33	0	17	0	**50**
39	चिखलाकसा	95	67	0	71	50	**283**	93	26	0	33	50	**202**	2	41	0	38	0	**81**
40	साल्हे	95	108	0	71	50	**324**	95	87	0	33	50	**265**	0	21	0	38	0	**59**
41	गुण्डरदेही	106	89	44	55	95	**389**	106	64	39	47	93	**349**	0	25	5	8	2	**40**
42	कचान्दुर	113	78	61	37	62	**351**	113	43	46	24	48	**274**	0	35	15	13	14	**77**
43	भाठागांव	141	95	13	11	79	**339**	121	73	12	10	79	**295**	20	22	1	1	0	**44**
44	रनचिरई	115	82	36	16	25	**274**	113	59	33	9	24	**238**	2	23	3	7	1	**36**
45	कलंगपुर	140	69	22	29	60	**321**	125	56	20	26	60	**287**	15	13	2	3	0	**34**
46	पेण्ड्री	68	71	39	12	0	**189**	62	57	34	9	0	**162**	6	14	5	3	0	**27**
47	कसौंदा	60	82	40	23	0	**204**	60	41	35	10	0	**146**	0	41	5	13	0	**58**
48	तवेरा	81	45	0	0	55	**181**	81	31	0	0	54	**166**	0	14	0	0	1	**15**
49	खप्परवाडा	115	49	28	35	145	**372**	115	30	25	32	128	**330**	0	19	3	3	17	**42**
50	गोरकापार	61	87	72	25	55	**299**	61	59	65	23	25	**233**	0	28	7	2	30	**66**
51	परसदा	116	62	39	33	90	**339**	116	36	35	20	81	**288**	0	26	4	13	9	**51**
52	सिरीं	122	74	50	22	75	**343**	110	55	30	20	74	**289**	12	19	20	2	1	**54**
53	गुरेदा	107	43	11	33	105	**299**	107	31	10	23	91	**262**	0	12	1	9	14	**36**
54	राडुद	81	37	33	11	47	**209**	81	18	28	8	37	**172**	0	19	5	3	10	**37**
55	अर्जुन्दा	128	100	77	58	0	**363**	128	56	70	30	0	**284**	0	44	7	28	0	**79**
56	कान्दुल	88	66	30	21	30	**234**	88	48	27	15	23	**201**	0	18	3	6	7	**33**
57	ओडारसकरी	77	78	28	31	60	**273**	77	33	25	17	55	**207**	0	45	3	14	5	**66**
58	भिलाई	75	67	56	36	0	**234**	75	23	51	15	0	**164**	0	44	5	21	0	**70**
59	कोटगांव	76	134	39	28	30	**307**	76	42	31	11	30	**190**	0	92	8	17	0	**117**
60	चंदनबिरही	81	111	28	14	50	**284**	81	46	25	12	50	**214**	0	65	3	2	0	**70**
61	परसतराई	118	83	33	34	59	**327**	114	48	30	30	55	**277**	4	35	3	4	4	**50**
62	कुरदी	119	109	55	35	30	**347**	119	57	50	26	30	**282**	0	52	5	9	0	**65**
63	पिरौद	78	114	55	27	40	**314**	75	56	47	15	30	**223**	3	58	8	12	10	**91**
64	कोडेवा	82	89	28	10	60	**268**	82	39	25	9	60	**215**	0	50	3	1	0	**53**
65	भरदाकला	76	74	34	55	51	**290**	76	47	31	31	46	**231**	0	27	3	24	5	**59**
66	गब्दी	76	93	28	56	67	**319**	76	47	25	32	67	**247**	0	46	3	24	0	**72**
67	सिब्दी	101	124	44	41	30	**340**	101	88	40	38	30	**297**	0	36	4	3	0	**43**
68	गोड़ेला	75	56	28	33	40	**231**	75	36	25	25	30	**191**	0	20	3	8	10	**40**
69	खुरसुनी	101	53	40	35	30	**259**	100	33	36	31	30	**230**	1	20	4	4	0	**29**

क्र	समिति का नाम	कुल भण्डारण						वितरण						शेष					
		यूरिया	सुपर	डी.ए.पी	पोटास	एन.पी.के.	योग	यूरिया	सुपर	डी.ए.पी	पोटास	एन.पी.के.	योग	यूरिया	सुपर	डी.ए.पी	पोटास	एन.पी.के.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70	अरमरीकला	154	130	31	29	80	**424**	123	83	28	22	80	**336**	31	47	3	7	0	**88**
71	मोहारा	133	105	64	27	55	**384**	109	59	58	16	55	**297**	24	46	6	11	0	**87**
72	रजोली	122	129	25	22	65	**363**	122	84	23	20	65	**314**	0	45	2	2	0	**49**
73	मोखा (रजोली)	118	80	11	22	89	**320**	80	46	10	10	85	**231**	38	34	1	12	4	**89**
74	पलारी	120	87	0	28	135	**370**	120	70	0	22	123	**335**	0	17	0	6	12	**35**
75	अरकार	104	56	32	11	30	**233**	59	21	29	5	30	**144**	45	35	3	6	0	**89**
76	कंवर	133	40	78	33	64	**348**	112	30	70	23	40	**275**	21	10	8	10	24	**73**
77	फागुनदाह	115	56	55	17	25	**268**	76	30	50	8	25	**189**	39	26	5	9	0	**79**
78	बासीन	141	124	1	22	56	**344**	105	73	0	11	55	**244**	36	51	1	11	1	**100**
79	खुदनी	66	37	0	16	30	**149**	50	30	0	15	30	**125**	16	7	0	1	0	**24**
80	सिकोसा	57	42	30	37	30	**196**	57	17	27	22	29	**152**	0	25	3	15	1	**44**
81	पैरी	100	74	33	24	30	**261**	100	34	30	20	30	**214**	0	40	3	4	0	**47**
82	पिनकापार	63	75	61	31	30	**260**	63	39	55	13	30	**200**	0	37	6	18	0	**60**
83	बरबसपुर	78	49	13	22	55	**218**	78	25	12	7	55	**177**	0	24	1	15	0	**40**
84	भाठागांव बी.	65	38	24	46	30	**203**	65	30	22	33	30	**181**	0	8	2	13	0	**23**
85	हल्दी	146	49	22	23	80	**320**	142	40	20	18	80	**300**	4	9	2	5	0	**20**
86	माहुद	56	43	53	17	30	**200**	54	35	37	13	8	**147**	2	8	16	4	22	**53**
87	देवरी	75	69	28	55	25	**251**	75	40	25	25	25	**190**	0	29	3	30	0	**61**
88	फरदफोड़	100	62	28	56	85	**330**	100	41	25	43	85	**294**	0	21	3	13	0	**36**
89	नाहंदा	75	99	28	49	80	**331**	75	64	25	36	77	**277**	0	35	3	13	3	**54**
90	भण्डेरा	89	113	33	40	30	**305**	89	68	30	32	30	**249**	0	45	3	8	0	**56**
91	अछोली	130	109	32	71	80	**422**	130	53	28	45	79	**335**	0	56	4	26	1	**87**
92	खेरथा	75	31	37	33	50	**226**	75	25	9	18	50	**177**	0	6	28	15	0	**49**
93	राणाखुज्जी	70	69	0	27	80	**247**	70	41	0	24	63	**198**	0	28	0	3	17	**49**
94	जेवरतला	75	31	0	27	30	**163**	75	23	0	18	30	**146**	0	8	0	9	0	**17**
95	भरदा (ट)	75	49	47	27	0	**199**	50	18	43	18	0	**129**	25	31	4	9	0	**70**
96	चे.ब. नवागांव	75	142	28	56	50	**350**	75	82	25	32	50	**264**	0	60	3	24	0	**86**
97	संजारी	93	31	11	27	30	**192**	93	20	10	14	30	**167**	0	11	1	13	0	**25**
98	पिनकापार	101	173	0	55	0	**329**	101	82	0	26	0	**209**	0	91	0	29	0	**120**
99	खामतराई	68	105	0	60	60	**293**	68	37	0	24	53	**182**	0	68	0	36	7	**111**
100	मनकी	98	72	28	33	30	**260**	98	30	25	22	30	**205**	0	42	3	11	0	**55**
101	डौण्डीलोहारा	274	88	62	80	150	**653**	269	56	46	62	136	**569**	5	32	16	18	14	**84**
102	बड़गांव	95	130	40	83	0	**348**	95	65	36	26	0	**222**	0	65	4	57	0	**126**
103	गैंजी	152	100	11	52	85	**401**	144	65	10	43	84	**346**	8	35	1	9	1	**55**

क्र	समिति का नाम	कुल भण्डारण						वितरण						शेष					
		यूरिया	सुपर	डी.ए.पी	पोटास	एन.पी.के.	योग	यूरिया	सुपर	डी.ए.पी	पोटास	एन.पी.के.	योग	यूरिया	सुपर	डी.ए.पी	पोटास	एन.पी.के.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104	कोचेरा	64	48	0	43	30	**185**	64	34	0	13	30	**141**	0	14	0	30	0	**44**
105	संबलपुर	65	69	2	49	30	**216**	65	37	2	16	30	**150**	0	32	0	33	0	**66**
106	भीमकन्हार	81	56	0	31	30	**197**	81	35	0	28	30	**174**	0	21	0	3	0	**23**
107	दुधली	62	43	0	22	30	**157**	62	30	0	7	30	**129**	0	13	0	15	0	**28**
108	चिल्हाटी	64	43	0	38	25	**171**	64	30	0	20	25	**139**	0	13	0	18	0	**32**
109	पापरा	32	32	0	16	30	**111**	32	14	0	6	30	**82**	0	18	0	10	0	**29**
110	कोबा	35	42	0	35	30	**142**	35	13	0	5	30	**83**	0	29	0	30	0	**59**
111	सुरेगांव	144	158	29	79	60	**470**	144	97	26	57	60	**384**	0	61	3	22	0	**86**
112	भालुकोन्हा	121	93	17	56	90	**376**	121	72	15	36	90	**334**	0	21	2	20	0	**42**
113	मुढिया	131	80	0	60	55	**326**	131	47	0	36	55	**269**	0	33	0	24	0	**57**
114	नवागांव	111	114	18	37	30	**310**	111	69	15	19	29	**243**	0	45	3	18	1	**67**
115	घीना	75	74	0	34	55	**238**	75	23	0	13	52	**164**	0	51	0	21	3	**75**
116	भंवरमरा	99	106	15	68	36	**324**	94	62	10	31	36	**233**	5	44	5	37	0	**91**
117	रेंगाडबरी	63	75	0	41	30	**210**	63	61	0	10	30	**164**	0	14	0	31	0	**46**
118	मंगचुवा	113	53	33	58	60	**317**	113	37	28	31	59	**268**	0	16	5	27	1	**49**
119	खैरकट्टा	63	43	10	27	30	**174**	63	17	9	8	30	**127**	0	26	1	19	0	**47**
120	कोड़ेकसा	63	49	0	41	127	**281**	61	28	0	26	124	**239**	2	21	0	15	3	**42**
121	करेंगांव	35	43	11	27	0	**117**	33	27	0	12	0	**72**	2	16	11	15	0	**45**
122	कमकापार	47	22	22	22	0	**113**	47	4	7	5	0	**63**	0	18	15	17	0	**49**
	योग	**11415**	**8656**	**3465**	**4222**	**5743**	**33501**	**10574**	**4940**	**2895**	**2438**	**5392**	**26239**	**841**	**3717**	**569**	**1784**	**352**	**7262**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 16:20:09

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

बीज के वितरण, लक्ष्य तथा भण्डारण की जानकारी

(मात्रा क्विं. में)

क्र.	जिला का नाम	फसल का नाम	किस्म	मांग (बीज निगम)	भण्डारित बीज की मात्रा (30 जून की स्थिति)	बीज वितरण की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1	बालोद	धान	महामाया	1649.30	1347.90	1347.90
			विक्रम टी.सी.आर.	1425.60	447.60	402.00
			सी.जी. देवभोग	100.00	25.50	24.30
			सी.जी. तेजस्वी	0.00	4.20	4.20
			स्वर्णा (एम.टी.यू–7029)	10867.40	13596.10	13105.90
			स्वर्णा सब–1	4361.50	4728.20	4728.20
			एम.टी.यू–1001	1454.20	756.60	581.70
			एम.टी.यू–1010	1474.30	210.90	179.00
			एम.टी.यू–1156	863.60	2921.40	2637.40
			एम.टी.यू–1239	250.80	3.60	3.60
			एम.टी.यू–1318	0.00	0.00	0.00
			पी.आर–126	425.00	0.00	0.00
			बी.पी.टी–5204	214.00	0.00	0.00
			एम.टी.यू–1075	0.00	0.00	0.00
			पी.के.वी.एच.एम.टी	280.00	0.00	0.00
			आई.आर–64	307.30	61.80	61.80
		योग धान		**23673.00**	**24103.80**	**23076.00**
2		कोदो	इदिराकोदो–1	10.00	60.16	60.16
3		मूंग	आईपीएम–410–3(शिखा)	0.00	0.00	0.00
			गुजरात आनद–5	40.00	0.00	0.00
		योग मूंग		**40.00**	**0.00**	**0.00**
4		सोयाबीन	राज सोया–24	0.00	0.00	0.00
			जे.एस–20–34	0.00	0.00	0.00
			जे.एस–20–69	0.00	0.00	0.00
		योग सोयाबीन		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5		उड़द	कोटा उड़द–3	35.00	0.16	0.16
			इदिरा आर वी–3–14	0.00	10.00	10.00
		योग उड़द		**35.00**	**10.16**	**10.16**
6		अरहर	सी.जी. अरहर–1	0.00	2.24	0.24
			जी.आर.जी–152 (भीमा)	55.00	27.72	19.14
		योग अरहर		**55.00**	**29.96**	**19.38**
		कुल योग		**23813.00**	**24204.08**	**23165.70**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 16:23:01

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - अड़तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 800) की जानकारी

प्रपत्र

जांजगीर–चांपा जिले में वर्तमान खरीफ मौसम 2025 हेतु रासायनिक उर्वरकों के निर्धारित लक्ष्य तथा लक्ष्य के विरूद्ध भण्डारण एवं वितरण की उर्वरकवार जानकारी

इकाई–मे.टन में

क्र.	उर्वरक	खरीफ 2025 का लक्ष्य	भण्डारण (30.06.2025 की स्थिति में)	वितरण(30.06.2025 की स्थिति में)
1	2	3	4	5
1	यूरिया	36600	21240	16642
2	डीएपी	10400	5457	3379
3	एनपीके	3950	3852	2674
4	एमओपी	1000	2438	861
5	एसएसपी	11500	9440	4967
योग		**63450**	**42427**	**28523**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 17:17:14

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र –''अ''

लोक आयोग में दर्ज प्रकरणों की जानकारी

क्र.	प्रकरण क्रमांक	प्रकरण दर्ज वर्ष	संबंधित अधिकारी का नाम	प्रकरण पर कार्यवाही की वर्तमान स्थिति	रिमार्क
1	2	4	3	5	6
1	120/2013	2013	श्री एम.एल. यादव तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तोकापाल जिला बस्तर	लोक आयोग प्रकरण क्र. 120/2013 (जनपद पंचायत तोकापाल में महात्मागांधी नरेगा अंतर्गत मिलीवाटर शेड/माइक्रोवाटर शेड में हुई अनियमितता) के संबंध में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के पत्र दिनांक 24.04.2025 अनुसार बिन्दु क्रमांक 2 ए से 2 एच के विषयवस्तु अनुरूप बिन्दुवार अभिमत/ स्पष्टीकरण सहित जानकारी विभागीय पत्र दिनांक 24.04.2025 द्वारा लोक आयोग, रायपुर को प्रेषित किया गया है।	–
2	22/2019	2019	श्री आर.के. सिदार, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर	लोक आयोग प्रकरण क्रमांक 22/2019 में शिकायतकर्ता श्री सैयद उमरे, संतोषी नगर, रायपुर द्वारा की गई शिकायत पर आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं जानकारी विभाग के पत्र दिनांक 21.03.2025 द्वारा लोक आयोग, रायपुर को प्रेषित किया गया है।	–
3	05 /2021	2021	श्री श्रीकांत दुबे, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला कोरबा	उक्त लोक आयोग प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री के.आर.डहरिया, एम. पी. नगर जिला कोरबा द्वारा श्री श्रीकांत दुबे, तत्का.सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला कोरबा के विरूद्ध शाला गणवेश आपूर्ति में गड़बड़ी, छात्रावास/आश्रम निर्माण एवं मरम्मत कार्य में अनियमितता किये जाने के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 19.05.2020 द्वारा श्री दुबे के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त, विभागीय जॉच छत्तीसगढ़ को जॉचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जॉचकर्ता अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन अपेक्षित है।	–

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र.809) की जानकारी

4	38/2022	2022	श्री ललित शुक्ला, तत्का. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर द्वारा कलेक्टर जिला कोरिया से शिकायत की जांच कराकर, जांच प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित किया गया था।उक्त जॉच प्रतिवेदन विभाग के पत्र दिनांक 16.04.2025 द्वारा लोक आयोग, रायपुर को भेजा गया है।	–
		2022	श्री एल.आर. कुर्रे, तत्कालीन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला महासमुंद	शासन पत्र दिनांक 16.04.2025 के अनुक्रम में आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 15.05.2025 द्वारा श्री एल.आर. कुर्रे तत्कालीन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुंद के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने हेतु कलेक्टर जिला महासमुंद से आरोप पत्रादि का प्रारूप चाहा गया है, जो अपेक्षित है।	–
		2022	श्री पी.सी. लहरे, तत्का. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला जांजगीर चांपा।	शासन के आदेश कमांक एफ 4–2/2022/25–1 दिनांक 11.03.2025 द्वारा श्री पी.सी. लहरे, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला जांजगीर–चांपा के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	–
5	68/2022	2022	श्री तारकेश्वर देवांगन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायपुर	शिकायतकर्ता श्री आशीष देव सोनी, रायपुर के द्वारा श्री तारकेश्वर देवांगन, तत्का. सहायक आयुक्त, रायपुर श्री हितेश सिंह ठाकुर, सहायक गेड–2 एवं श्री एन.के.पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, जिला रायपुर के विरूद्ध आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2021 में साइंस कॉलेज ग्राउण्ड, रायपुर में किये गये आयोजन में अनियमितता किये जाने की शिकायत पर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन विभाग के पत्र दिनांक 17.03.2025 द्वारा लोक आयोग, रायपुर को भेजा गया है।	–
6	28/2023	2023	श्री प्रज्ञान सेठ, उपायुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग इंद्रावती भवन नवा रायपुर	शिकायकर्ता श्री शैलेन्द्र बंजारे, रायपुर द्वारा श्री प्रज्ञान सेठ, तत्का. उपायुक्त कार्यालय आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के विरूद्ध फलोरल कल्याण समिति डूण्डा, रायपुर में सदस्य एवं पदाधिकारी बनने हेतु विभागीय अनुमति प्राप्त नहीं किये जाने एवं बिना अधिकारिता के अवैध समिति के कार्यकारिणी का हिस्सा बनकर अवैध वसूली करने की शिकायत लोक आयोग, रायपुर के समक्ष की गई थी। उक्त शिकायत पर आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास से प्राप्त जांच प्रतिवेदन विभाग के पत्र दिनांक 19.03.2025 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु लोक आयोग, रायपुर को भेजा गया है।	–

ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज प्रकरणों से संबंधित जानकारी

1	02/2021	2021	श्री विनय कुमार गुप्ता, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर,जिला बलरामपुर–रामानुजगंज	विभाग अंतर्गत श्री विनय कुमार गुप्ता, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, रामचन्द्रपुर,जिला बलरामपुर–रामानुजगंज के विरूद्व भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एवं आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा अपराध कमांक 02/21 धारा 7 PC Act. तहत् मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।	–
2	02/2024	2024	श्रीमती माया वारियर,तत्का. सहायक आयुक्त, जिला कोरबा	विभागीय आदेश दिनांक 18.10.2024 द्वारा श्रीमती माया वारियर, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला कोरबा को निलंबित किया गया है। प्रकरण में श्रीमती वारियर के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति की सहमति विभाग के पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा विधि विभाग को दी गई है।	–
3	02/2024	2024	श्री विरेन्द्र कुमार राठौर तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली एवं कटघोरा जिला कोरबा	विभागीय आदेश दिनांक 09.06.2025 द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार राठौर, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाली एवं कटघोरा जिला कोरबा को निलंबित किया गया है। प्रकरण में श्री राठौर के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति की सहमति विभाग के पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा विधि विभाग को दी गई है।	–
4	02/2024	2024	श्री भुवनेश्वर सिंह राज तत्का. मु.का.अधि. जनपद पंचायत डौडी जिला बालोद एवं पोड़ी –उपरोड़ा जिला कोरबा	प्रकरण में विधि विभाग, मंत्रालय द्वारा श्री भुवनेश्वर सिंह राज, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पोड़ी–उपरोड़ा जिला कोरबा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति की सहमति चाही गई थी। विभाग के पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा अभियोजन स्वीकृति की सहमति विधि विभाग को दी गई है।	–
5	02/2024	2024	श्री राधेश्याम मिर्झा, तत्का. मु.का.अधि. जनपद पंचायत, पोड़ी–उपरोड़ा जिला कोरबा	विभागीय आदेश दिनांक 09.06.2025 द्वारा श्री राधेश्याम मिर्झा, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पोड़ी–उपरोड़ा जिला कोरबा को निलंबित किया गया है। प्रकरण में श्री मिर्झा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति की सहमति विभाग के पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा विधि विभाग को दी गई है।	–

पुलिस थाना में दर्ज प्रकरणों की जानकारी

1.	08/2023	2023	श्री पुनीत राम साहू, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़ जिला कांकेर	श्री पुनीत राम साहू, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़, जिला कांकेर को वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप अपराध कमांक 08/2023 धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120–बी भादवि के तहत दिनांक 18.07.2023 को कार्यालय पुलिस थाना ताडोकी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, द्वारा गिरफ्तार कर जिला जेल कांकेर में निरूद्ध किये जाने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 09.10.2023 द्वारा निलंबित किया गया। प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।	प्रचलित
2	17/2025	2025	डॉ. आनंद जी सिंह, उपायुक्त, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बीजापुर	कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, जगदलपुर छ.ग. के द्वारा डॉ. आनंद जी सिंह, उपायुक्त, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बीजापुर के विरूद्ध अपराध क्र.–17/2025, धारा–13(1) बी, 13(2) भ्र.नि. अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध की गई है। उक्त प्रकरण में विवेचना जारी है।	प्रचलित

विभाग स्तर पर आर्थिक अनियमितता एवं विभागीय नियमों के उल्लंघन के प्रकरणों की जानकारी

1	–	2009	डॉ. ललित शुक्ला, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़	रायगढ़ जिले के छात्रावास/आश्रमों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किये जाने के कारण शासन के आदेश दिनांक 20.10.2022 द्वारा श्री ललित शुक्ला के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया है, जिसमें श्री आर.एस. भोई, अपर संचालक, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्ति किया गया है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	प्रचलित
2	–	2017	श्री आर.के. सिदार, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर	बायोटेक्नॉलॉजी कॉलेज देवेन्द्र नगर रायपुर को नियम विरूद्ध छात्रवृत्ति भुगतान कर शासकीय धन का दुरूपयोग किये जाने के कारण श्री आर. के. सिदार, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला रायपुर एवं श्री एस.एल. देवांगन, तत्का. प्रभारी सहायक संचालक, आदिवासी विकास, रायपुर के विरूद्ध आदेश दिनांक 12.04.2023 द्वारा विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त विभागीय जॉच रायपुर को जॉचकर्ता तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जॉचकर्ता अधिकारी से दोनों	प्रचलित

				अधिकारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जॉच पर दिनांक 01.08.2023 को जॉच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। जिसमें दोनों के विरूद्ध अधिरोपित आरोप कमांक 01 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया । विभाग के पत्र दिनांक 08.07.2025 द्वारा श्री सिदार एवं श्री देवांगन के अभ्यावेदन/प्रतिउत्तर पर अभिमत एवं वित्तीय हानि के संबंध में जानकारी कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) रायपुर से चाही गई है, जो कि अपेक्षित है।	
3	–	2017	श्री संकल्प साहू, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कांकेर	श्री संकल्प साहू, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कांकेर द्वारा वित्तीय नियम/निर्देशों का पालन नही किये जाने के कारण शासन के आदेश दिनांक 07.08.2019 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त विभागीय जॉच छ.ग. रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहायक संचालक आदिवासी विकास जिला कांकेर को प्रस्तुकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	प्रचलित
4	–	2018	श्री आशीष बनर्जी, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कबीरधाम	श्री आशीष बनर्जी, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला कबीरधाम के विरूद्ध छात्रावास संचालन हेतु विभागीय दिशा–निर्देशों का पालन न करते हुए गंभीर अनियमितता किये जाने के लिए शासन के आदेश दिनांक 12.04.2024 द्वारा विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त, विभागीय जांच, छ.ग. रायपुर को जांचकर्ता अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला कबीरधाम को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	प्रचलित
5	–	2019	श्री श्रीकांत दुबे, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला कोरबा	श्री श्रीकांत दुबे, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा क`विरूद्ध शासकीय कार्यो में गंभीर अनियमितता किये जाने के कारण शासन आदेश दिनांक 19.05.2020 द्वारा विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त विभागीय जॉच छ.ग. रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहायक आयुक्त कोरबा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	प्रचलित
6	–	2019	श्री आर. के. सिदार तत्कालीन सहायक	वर्ष 2017–18 में छात्रावास/आश्रमों के लिये सामग्री पूर्ति मद में प्रदत्त आबंटन राशि से अधिक राशि की सामग्री कय कर वित्तीय अनियमितता के लिए शासन के आदेश दिनांक 03.02.2020 द्वारा श्री आर.के. सिदार,	प्रचलित

			आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायपुर	तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए आयुक्त विभागीय जांच, छ.ग. रायपुर को जांचकर्ता अधिकारी एवं श्री ए.आर. नवरंग, अपर संचालक, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा श्री आर.के. सिदार के विरूद्ध आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। विभाग के पत्र दिनांक 10.11.2023 एवं स्मरण पत्र दिनांक 07.07.2025 द्वारा श्री सिदार द्वारा आबंटन से कितनी सामग्री अधिक क्रय की गई है एवं उससे शासन को कितनी वित्तीय हानि हुई है की जानकारी कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा) जिला रायपुर से चाही गई है, जो कि अपेक्षित है।	
7	—	2022	श्री आशीष बनर्जी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बलौदाबाजार	बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आश्रम एवं छात्रावास के भवन निर्माण की निविदा प्रकिया में गंभीर अनियमितता बरतने के कारण शासन के आदेश दिनांक 22.03.2023 द्वारा श्री आशीष बनर्जी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए कार्यालय कलेक्टर, जिला स्थापना विभागीय जांच अधिकारी जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को जांचकर्ता अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, बलौदाबाजार – भाटापारा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	प्रचलित
8	—	2022	श्री पी.सी. लहरे , तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जांजगीर–चांपा	श्री पी.सी. लहरे तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला जांजगीर–चांपा के पद पर पदस्थी अवधि में 180 आकस्मिक निधि कर्मचारियों (कलेक्टर दर) को नियमित वेतनमान स्वीकृत किये जाने की अनियमितता हेतु शासन के आदेश दिनांक 11.03.2025 द्वारा श्री लहरे, के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त, विभागीय जॉच छ.ग. रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला जांजगीर चांपा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	प्रचलित
9	—	2023	श्री अविनाश श्रीवास, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़	श्री अविनाश श्रीवास सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायगढ़ के पद पर पदस्थी के दौरान छात्रावास–आश्रमों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के कारण आयुक्त कार्यालय के पत्र क्र./सा.स्था./01/218/2023/ 2792 दिनांक 19.06.2023 द्वारा श्री अविनाश श्रीवास को निलंबित किया गया है। जिसकी	प्रचलित

				पुष्टि शासन पत्र दिनांक 23.06.2023 द्वारा किया गया है। विभाग के पत्र दिनांक 11.08.2023 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। श्री श्रीवास के विरूद्ध शासन के आदेश दिनांक 21.02.2024 द्वारा विभागीय जांच संस्थित करते हुए श्री आर.एस. भोई, अपर संचालक (स्थापना) को जॉचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	
10	—	2023	श्री एस.के. वाहने, (सेवानिवत्त) तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला राजनांदगांव	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला राजनांदगांव के पत्र दिनांक 21.04.2023 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री एस.के. वाहने, परियोजना प्रशासक सह सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास , राजनांदगांव के पद पर पदस्थी अवधि में तत्का. प्रभारी प्राचार्य, एकलव्य आवासीय विद्यालय पेण्ड्री जिला राजनांदगांव में विभिन्न सामग्री कय में वित्तीय अधिकार नियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण विभाग के पत्र दिनांक 23.05.2023 द्वारा श्री वाहने को आरोप पत्रादि जारी किया गया है। श्री वाहने द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विभाग के पत्र दिनांक 24.04. 2025 द्वारा आयुक्त कार्यालय/ कलेक्टर जिला राजनांदगांव से अभिमत चाहा गया है। जो कि अपेक्षित है।	प्रचलित
11	—	2023	श्री पुनित राम साहू, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़ जिला कांकेर	श्री पुनित राम साहू, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़, जिला कांकेर को वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप अपराध क्रमांक 08/2023 धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120–बी भादवि के तहत दिनांक 18.07.2023 को कार्यालय पुलिस थाना ताडोकी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, द्वारा गिरफ्तार कर जिला जेल कांकेर में निरूद्ध किये जाने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 09.10.2023 द्वारा निलंबित किया गया। प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।	प्रचलित
12	—	2023	श्री बद्रीश सुखदेवे, तत्का. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला गरियाबंद	श्री बद्रीश सुखदेवे सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला गरियाबंद के पद पर पदस्थी के दौरान विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के संबंध श्री सुखदेवे के विरूद्ध शासन पत्र दिनांक 15. 05.2023 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। श्री सुखदेवे के प्रतिउत्तर पर स्पष्ट अभिमत विभाग के पत्र दिनांक 25.04.2025 द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास से चाहा गया है, जो कि अपेक्षित है।	प्रचलित

13	—	2023	श्री संकल्प साहू, सहायक संचालक, प्रभारी परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोण्डागांव	श्री संकल्प साहू, सहायक संचालक प्रभारी परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोण्डागांव द्वारा सोलर लाईट क्रय में अनियमितता के संबंध में शासन के आदेश दिनांक 24.06.2025 द्वारा विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त, विभागीय जॉच छ.ग.रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला कोण्डागांव को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	प्रचलित
14	—	2024	श्री प्रज्ञान सेठ, उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर	श्री प्रज्ञान सेठ, तत्का. उपायुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर के पद पर पदस्थी के दौरान प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के अध्यापन हेतु कोचिंग संस्थाओं की चयन प्रकिया पूर्ण नही किये जाने एवं सौंपे गये विभागीय योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं कियान्वयन में लापरवाही बरतने के कारण विभागीय समसमसंख्यक आदेश दिनांक 07.03.2025 द्वारा विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त, विभागीय जॉच छ.ग. रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी तथा अपर संचालक (स्थापना) कार्यालय आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	प्रचलित

अनुभाग अधिकारी
अजिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर

प्रपत्र "ब"

क्र.	वर्ष	विषय	अद्यतन स्थिति	रिमार्क
1	2017	श्री आर.के. सिदार, तत्का सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर एवं श्री एस.एल. देवांगन तत्का. प्रभारी सहायक संचालक रायपुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत ।	विभागीय आदेश दिनांक 12.04.2022 द्वारा श्री आर.के. सिदार, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला रायपुर एवं श्री एस.एल. देवांगन, प्रभारी सहायक संचालक, आदिवासी विकास, रायपुर के विरूद्ध आदेश दिनांक 12.04.2023 द्वारा विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त विभागीय जॉच रायपुर को जॉचकर्ता तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जॉचकर्ता अधिकारी से दोनों अधिकारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जॉच पर दिनांक 01.08.2023 को जॉच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। जिसमें दोनों के विरूद्ध अधिरोपित आरोप कमांक 01 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया । जॉच प्रतिवेदन की प्रति दोनों अधिकारियों को प्रेषित करते हुए उनका अभ्यावेदन/ प्रतिउत्तर लिया गया । विभाग के पत्र दिनांक 03.11.2023 द्वारा श्री सिदार एवं श्री देवांगन के अभ्यावेदन /प्रतिउत्तर पर अभिमत एवं वित्तीय हानि के संबंध में जानकारी कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) रायपुर से चाही गई है, जो कि पत्र दिनांक **08.07.2025** द्वारा स्मरण कराने के उपरांत भी अपेक्षित है।	प्रचलित
2	2017	श्री संकल्प साहू तत्का. सहायक आयुक्त जिला–कांकेर द्वारा विभागीय एवं परियोजना मद में अनुरक्षण एवं लघु निर्माण कार्यो की सक्षम अधिकारी स्वीकृति बगैर कार्य कराये जाने के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत।	प्रकरण में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07.08.2019 द्वारा श्री संकल्प साहू, तत्का. सहायक आयुक्त, कांकेर के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित करते हुए **आयुक्त विभागीय जॉच** छ.ग. रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहायक संचालक आदिवासी विकास जिला कांकेर को प्रस्तुकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	प्रचलित
3	2018	अनुशासनात्मक कार्यवाही विरूद्ध श्री आशीष बनर्जी, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला कबीरधाम।	विभागीय आदेश दिनांक 12.04.2024 द्वारा श्री आशीष बनर्जी के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित करते हुए **आयुक्त, विभागीय जांच, छ.ग. रायपुर को जांचकर्ता अधिकारी** एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला कबीरधाम को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	प्रचलित
4	2019	जिला रायपुर में वर्ष 2017–18 में आबंटन से अधिक राशि की सामग्री कय करने के संबंध में। (अनुशासनात्मक कार्यवाही विरूद्ध श्री आर.के. सिदार, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला रायपुर)	विभागीय आदेश दिनांक 03.02.2020 द्वारा श्री आर.के. सिदार, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए **आयुक्त विभागीय जांच**, छ.ग. रायपुर को जांचकर्ता अधिकारी एवं श्री ए.आर. नवरंग, अपर संचालक, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा श्री आर.के.सिदार के विरूद्ध आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। विभागीय स्मरण पत्र दिनांक 07.07.2025 द्वारा प्रकरण में शासन को कितनी वित्तीय हानि हुई है की जानकारी के साथ ही श्री आर.के.सिदार, तत्का0 सहायक आयुक्त के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास से चाहा गया है, जानकारी अपेक्षित है।	प्रचलित

5	2019	जिला कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ संबंधी अनियमितताओं के संबंध में। (श्री संकल्प साहू, तत्का. प्रभारी सहायक आयुक्त, रायगढ़ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।	विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक **02.03.2021** के द्वारा श्री संकल्प साहू के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए **आयुक्त, विभागीय जॉच छ.ग. रायपुर** को जॉचकर्ता अधिकारी तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायगढ़ को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	प्रचलित
6	2019	श्री श्रीकांत दुबे, तत्कालीन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ।	श्री श्रीकांत दुबे, तत्का. सहायक आयुक्त, कोरबा के विरूद्ध शासकीय कार्यो में गंभीर अनियमितता बरतने के कारण विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19.05.2020 द्वारा विभागीय जॉच संस्थित करते हुए **आयुक्त विभागीय जॉच छ.ग. रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी** एवं सहायक आयुक्त कोरबा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	**प्रचलित**
7	2022	श्री पी.सी. लहरे, तत्का. प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला जांजगीर–चांपा के द्वारा छात्रावास/आश्रमों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियम विरूद्ध नियुक्ति किये जाने के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही।	विभागीय आदेश दिनांक **11.03.2025** द्वारा **श्री पी.सी. लहरे,** तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला जांजगीर चांपा के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित करते हुए **आयुक्त, विभागीय जॉच छ.ग. रायपुर** को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला जांजगीर चांपा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	**प्रचलित**
8	2023	श्री संकल्प साहू, सहायक संचालक तत्का. प्रभारी सहायक आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक ए.आ.वि. परि. कोण्डागावं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।	विभागीय आदेश दिनांक **24.06.2025** द्वारा श्री संकल्प साहू, सहायक संचालक, तत्का. सहायक आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक, ए.आ.वि. कोण्डागांव के विरूद्ध प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में अनियमितता किये जाने के कारण विभागीय जॉच संस्थित करते हुए **आयुक्त विभागीय जॉच छ.ग. नवा रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी** एवं सहायक आयुक्त, कोण्डागांव को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	**प्रचलित**
9	2024	अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री प्रज्ञान सेठ, उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर।	**श्री प्रज्ञान सेठ**, तत्का0 उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के अध्यापन हेतु कोंचिग संस्थाओं की चयन प्रकिया पूर्ण नहीं किये जाने, एवं सौंपे गये विभागीय योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं कियान्वयन में लापरवाही बरतने के कारण शासन आदेश दिनांक **07.03.2025** द्वारा विभागीय जॉच संस्थित करते हुए **आयुक्त, विभागीय जॉच छ.ग.** रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी तथा अपर संचालक (स्थापना) कार्यालय आयुक्त, आ. जा. तथा अनु.जा.विकास को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जॉच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।	प्रचलित

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, कार्यालय नवा रायपुर

परिशिष्ट - चालीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 816) की जानकारी

प्रपत्र–अ

चिराग परियोजना अंतर्गत कार्य एवं अपेक्षित लाभ का विवरण

क्रमांक	घटक	कार्य	अपेक्षित लाभ
1	सामुदायिक संस्थागत विकास	चयनित ग्रामों में ग्राम विकास योजना का निर्माण	चयनित 1500 ग्रामो में ग्राम विकास योजना का निर्माण ग्रामीणों की स्थानीय जरूरतों पर केन्द्रित ।
2		चयनित ग्रामों में चिराग आजीविका समूहों एवं पंचायत स्तर पर चिराग संसाधन समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण	चयनित ग्रामों में 1500 सामुदायिक संस्थाओ का गठन एवं प्रशिक्षण प्रदान कर सुदृढ़ करना एवं संवहनीय बनाना है ।
3		कैडर और किसानों का क्षेत्र भ्रमण	1500 कैडर और लक्षित किसानों को नए तकनीकी ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव और नवाचार के लिए तैयार करता है ।
4		आजीविका समूहों को चक्रीय निधि दिया जाना	आजीविका समूहों को आय अर्जन गतिविधियो हेतु प्रति आजीविका समूह राशि 5 लाख का प्रावधान ।
5	पोषण एवं स्वास्थ्य	कैडर (पोषणसखी) का चयन एवं प्रशिक्षण।	पोषण एवं आहार विविधता पर जागरुकता, प्रशिक्षण, आय के अवसरों में वृदधि व कौशल विकास।
6		सामुदायिक स्तर पर पोषण एवं आहार विविधता पर जागरुकता कार्यक्रम	चयनित कैडर द्वारा पोषण एवं आहार विविधता के साथ सामाजिक व्यवहार परिवर्तन एवं संचार पर जागरुकता एवं प्रशिक्षण
7	प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन	भूमि एवं जलसंरक्षण कार्य	चयनित 1350 ग्रामो में विभिन्न प्रकार भूमि एवं जलसंरक्षण कार्य जैसे सिचाई तालाब,चेकडेम का निर्माण
8		सिचाई पंप वितरण	चयनित1000 ग्रामो मे विद्युत् उर्जा द्वारा संचालित सिचाई पंप जिनके पास जलस्त्रोत उपलब्ध हो प्रत्येक ग्राम में 2 हेक्टेयर तक कृषि क्षेत्र में सिचाई सुविधा विकसित किये जाने हेतु आजीविका समूह के माध्यम से खरीद कर पंप प्रदान किया जाना

9		नाडेप पिट निर्माण कार्य	15000 व्यक्तिगत हितग्राही हेतु नाडेप पिट निर्माण कार्य
10		वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण कार्य	15000 व्यक्तिगत हितग्राही हेतु वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण कार्य
11		मृदा परीक्षण	300000 कृषको का मृदा परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करना
12		चयनित हितग्राहियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	गतिविधि के अंतर्गत चयनित समस्त 300000 हितग्राहियों का जल संरक्षण एवं संचयन भूमि संरक्षण एवं संवर्धन तथा सिचाई पम्पो की उपयोगिता तथा निर्मित संरचनाओ के रखरखाव विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
13	कृषि	समन्वित कृषि प्रणाली डेमो	1500 समन्वित कृषि प्रणाली अंर्तगत IGKV के द्वारा अनुशंसित फार्मप्लॉन के अनुरुप मॉडल विकसित करना
14		पोषण आधारित कृषि डेमो	जलवायु अनुकुल एवं पोषण आधरित किस्मों को प्रचलन मे लाने हेतु डेमो प्लाट तैयार करना
15		कृषि मिनीकिट वितरण	1 लाख परिवारों को मौसम अनुरुप उन्नत किस्मों के प्रोत्साहन हेतु मिनीकिट वितरण
16		कस्टम हायरिंग सैंटर	150 कस्टम हायरिंग सैंटर का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि यंत्रों और उपकरणों को किराये पर उपलब्ध कराना होता है, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ उठा सकें।
17		विलेज टूल बैंक	1000 किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले हस्तचालित औजार और यंत्र सामूहिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। किसान इन उपकरणों को जरूरत के अनुसार किराये पर ले सकते हैं।
18		चयनित हितग्राहियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	समस्त लक्षित कृषक (लगभग 75000)
19		कृषक मित्र (कैडर) प्रशिक्षण	योजना अंतर्गत चयनित ग्राम के 1500 कृषक मित्रों को विभिन्न कृषि गतिविधियों पर प्रशिक्षण

20	मत्स्यपालन	व्यक्तिगत तालाब निर्माण	400 परिवारों को प्रति हितग्राही अधिकतम 0.2 हे. जलक्षेत्र में व्यक्तिगत तालाब निर्माण न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान अथवा श्रमदान के साथ
21		व्यक्तिगत तालाबों में मछलीपालन हेतु इनपुट सहायता	2500 परिवारों को प्रति हितग्राही अधिकतम 0.2 हे. जलक्षेत्र में मछलीपालन के इच्छुक कृषको को स्वयं के तालाब मे मछलीपालन हेतु इनपुट सहायता न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान अथवा श्रमदान के साथ
22		सामुदायिक तालाबों में मछलीपालन हेतु इनपुट सहायता	योजना अन्तर्गत चयनित ग्राम के ऐसे मछुआ समूह/स्वसहायता समूह या मछुआ सहकारी समिति के सदस्य जो कि मछलीपालन का कार्य करना चाहते हैं, ऐसे परिवारों को सामुदायिक तालाब मे मछलीपालन हेतु अधिकतम 1 हे. जलक्षेत्र मे मछलीपालन हेतु चिराग परियोजना इनपुट अनुदान सहायता (कुल लक्ष्य 250 हे.)
23		सामुदायिक तालाबों का जीर्णोद्धार	योजना अन्तर्गत चयनित ग्राम के ऐसे मछुआ समूह/स्वसहायता समूह या मछुआ सहकारी समिति जो कि मछलीपालन का कार्य करना चाहते है, ऐसे परिवारों को सामुदायिक तालाब जीर्णोधार हेतु अधिकतम 1 हे. जलक्षेत्र हेतु, न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान अथवा श्रमदान के साथ (कुल लक्ष्य 100 हे.)
24		मत्स्य कृषक प्रशिक्षण	योजना अंतर्गत चयनित ग्राम के इच्छुक मत्स्य कृषकों को एक दिवसीय मत्स्य पालन प्रबंधन विषय पर वर्ष में तीन दिवस प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।
25		मत्स्य मित्र (कैडर) प्रशिक्षण	योजना अंतर्गत चयनित ग्राम के चयनित 1000 मत्स्य मित्रों को दस दिवसीय मत्स्य पालन प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।
26	पशुपालन	बैकयार्ड मुर्गीपालन	1000 मुर्गीपालको को परियोजना अंतर्गत मुर्गीपालन हेतु 20 मुर्गियों के पालन हेतु, हितग्राही अंशदान के साथ प्रावधानित है।

27		ट्रेविस स्थापना	गाय-भैंस के नस्ल सुधार हेतु ट्रेविस का प्रावधान
28		बकरी प्रजनन फार्म	परियोजना अंतर्गत नस्ल सुधार के माध्यम से व्यावसायिक रूप से बकरी पालन को प्रोत्साहित करने एवं आय मे वृद्धि करने के के लिए 350 परिवारों को बकरी पालन से जोइने का लक्ष्य है, इसके अंतर्गत 10 स्थानीय बक़री उच्च नस्ल का 01 बकरा बकरी का चारा, बीमा औषधि प्रावधान है।
29		बकरी पालन	2000 परिवारों को माँस एवं दुग्ध उत्पादन मे बढ़ोतरी एवं आय में वृद्धि हेतु 2 मादा बकरी पालन के लिए प्रावधान है।
30		सूकर पालन फार्म	सूकर पालन फार्म हेतु 1300 परिवारों को 2 मादा और 1 नर सूकर का प्रवधान किया गया है, हितग्राही अंशदान ऋण के रूप प्रावधान है।
31		चारा विकास (शत प्रतिषत अनुदान)	350 लाभार्थी को चारा बीज मिनिकट (2.5 किलोग्राम बैग)
32		पशुपालन प्रबंधन एवं विकास ट्रैनिंग	परियोजन अंतर्गत बेहतर पशुपालन गतिविधियों हेतु 26600 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का प्रवधान है।
33		पशुपालन प्रबंधन एवं विकास प्रशिक्षण (कैडर)	परियोजना अंतर्गत कुल 1000 कैडर को 10 दिनों के प्रशिक्षण का प्रावधान है।
34	उद्यानिकी	व्यक्तिगत बाड़ी विकास	इस योजना अंतर्गत बाड़ी विकास हेतु सब्जी बीज एवं फलों के पौध हितग्राहियों को प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उक्त योजना अंतर्गत कम से कम 60 प्रतिशत महिलाओं एवं कम से कम 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है।
35		ग्रेविटी ड्रिप सिंचाई योजना	ग्रेविटी ड्रिप सिंचाई योजना (ग्रेविटी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम) अंतर्गत 1000 वर्ग मीटर जमीन में ग्रेविटी ड्रिप सिंचाई योजना की स्थापना का प्रावधान है। उक्त योजना अंतर्गत कम से कम 60 प्रतिशत

			महिलाओं एवं कम से कम 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है।
36		सामुदायिक बाड़ी विकास	इस योजना अंतर्गत कृषकों की सामुदायिक भूमि / विभिन्न विभागों द्वारा आबंटित शासकीय भूमि पर सामुदायिक बाड़ी का निर्माण किए जाने का प्रावधान है। उक्त योजना को समूह के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना है, जिससे अंतर्गत उद्यानिकी फसलों की बढ़ोत्तरी दी जानी है। उक्त योजना अंतर्गत कम से कम 60 प्रतिशत महिलाओं एवं कम से कम 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है।
37		बाड़ी फैंसिंग	इस योजना अंतर्गत व्यक्तिगत फलोद्यान एवं बाड़ी की फैंसिंग हेतु प्रति हितग्राही को 0.25 एकड़ का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। उक्त योजना अंतर्गत कम से कम 60 प्रतिशत महिलाओं एवं कम से कम 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है।
38		प्रदर्शन - उद्यानिकी फसल	इस योजना अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के प्रदर्शन हेतु कम से कम 1000 वर्ग मीटर जमीन में प्रदर्शन हेतु प्रावधान किया गया है, जिससे अंतर्गत हितग्राहियों को परियोजना से प्रदर्शन हेतु आवश्यक सामग्रियां प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उक्त योजना अंतर्गत कम से कम 60 प्रतिशत महिलाओं एवं कम से कम 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है।
34	मूल्य संवर्धन एवं बाजार	परियोजना अंतर्गत 15 जिलो के चयनित 27 विकासखंडो में प्रति विकासखंड चयनित	उत्पादकों को स्थनीय स्तर पर उत्पादों के लिए एक बेहतर संस्थागत सुविधा प्राप्त हो एवं उत्पादों का उचित मूल्य मिले .

		सुद्रढीकरण एवं उन्नयन करना.	
35		कृषक दुग्ध एवं बकरी मूल्य श्रृंखला विकास	इसके तहत 05 बकरी मूल्य श्रृंखला क्लस्टर एवं परियोजना के उत्तरी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन कंपनी का गठन/निर्माण करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का बेहतर अवसर प्राप्त हो सके
36		कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना	परियोजना अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर को स्थापित कर फसल कटाई उपरांत प्रबंधन हेतू सुविधा उपलब्ध कराना
37		क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करना	उत्पादको को बाजार तक पहुंच एवं उत्पादों का उचित मूल्य में विक्रय एवं संचालित गतिविधियों में पूंजी निवेश में सहयोग हेतु क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करना
38		प्राथमिक प्रसंस्करण (Primary Processing) की सुविधा उपलब्ध कराना	स्थानीय उपभोग को बढ़ावा एवं खाद्य क्षति (Food Waste) में कमी लाने हेतु प्राथमिक प्रसंस्करण (Primary Processing) की सुविधा उपलब्ध कराना
39		परियोजना के अंतर्गत 4 कमोडिटी क्लस्टर का विकास(मक्का, ईमली, बाजरा, तिखुर)	किसानो का जुडाव, उत्पादों का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण एवं बाज़ार तक पहुंच सुविधा उपलब्ध कराना

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2025
19:46:57

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

चिराग परियोजना के प्रारंभ से जून, 2025 तक मदवार व्यय राशि का विवरण							
क्र.	घटक का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (30/06/2025 तक)	कुल
1	सामुदायिक सशक्तिकरण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण	0	16264376	12914314	22047940	0	51,226,630
2	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा आधारित कृषि	500,000	0	1419900	19483217	0	21,403,117
3	मूल्यवर्धन और बाजार पहुंच	0	4736958	3267122	11679602	0	19,683,682
4	परियोजना प्रबंधन	16,132,824	49186647	38434637	40862396	3103612	147,720,116
कुल		**16,632,824**	**70187981**	**56035973**	**94073155**	**3103612**	**240,033,545**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2025
19:50:57

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-स

क्र.	जिला का नाम	लाभार्थियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या
1	सरगुजा	4000	113	2862
2	सूरजपुर	4000	136	2944
3	मुंगेली	2444	805	145
4	सुकमा	1200	0	1200
5	कांकेर	4800	110	3409
6	सारंगढ़-बिलाईगढ़	2040	258	243
7	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	2085	52	1861
8	कोरिया	1702	46	934
9	कोण्डागांव	4162	20	3833
10	दंतेवाड़ा	3807	35	3772
11	बलरामपुर-रामानुजगंज	8000	160	6095
12	नारायणपुर	2208	25	2043
13	जशपुर	650	19	552
14	जगदलपुर	2946	74	2278
15	बीजापुर	1040	6	911
कुल		45084	1859	33082

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2025
19:45:27

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - इकतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 817) की जानकारी

प्रपत्र अ

राज्य विपणन विकास निधि एवं राज्य विपणन विकास निधि से पात्रतानुसार अनुदान राशि से स्वीकृत कार्यों की वर्षवार, राशिवार, जिलेवार जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	वर्ष	जिला	प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कुल कार्य		प्रस्तावित कार्यों पर स्वीकृत कार्य		स्वीकृत कार्यों पर कुल व्यय	कार्यों की स्थिति		
			संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	लागत		पूर्ण	अपूर्ण	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022–23	रायपुर	55	808.12	37	1249.83	973.84	35	0	2
	2023–24		210	1097.09	117	1389.28	703.24	48	40	29
	2024–25		223	1166.16	61	1111.74	110.02	2	45	14
	2025–26 (30.06.2025 तक)		46	779.64	0	0.00	0.00	0	0	0
2	2022–23	धमतरी	12	191.46	12	191.46	207.87	12	0	0
	2023–24		17	303.27	17	303.27	169.45	17	0	0
	2024–25		104	2050.56	67	1235.99	0.00	0	46	21
	2025–26 (30.06.2025 तक)		167	2182.09	64	1014.33	0.00	0	64	0
	योग		300	4727.38	160	2745.05	377.32	29	110	21
3	2022–23	महासमुंद	28	456.15	28	456.15	177.93	16	0	12
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		64	895.75	41	681.14	119.83	6	16	19
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		92	1351.90	69	1137.29	297.76	22	16	31
4	2022–23	गरियाबंद	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2023–24		4	94.60	4	94.60	75.81	4	0	0
	2024–25		15	207.22	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		6	299.54	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		25	531.36	4	34.60	75.81	4	0	0
5	2022–23	बलौदाबाजार	3	86.73	3	76.73	34.67	1	0	2
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		28	1346.94	15	597.25	0.00	0	0	15
	2025–26 (30.06.2025 तक)		4	163.56	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		35	1597.23	18	683.98	34.67	1	0	17
6	2022–23	दुर्ग	64	1295.93	64	1262.74	1279.25	64	0	0
	2023–24		286	6354.94	275	6179.11	1481.13	103	0	172
	2024–25		1	174.07	1	174.07	0.00	0	1	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		351	7824.94	340	7615.92	2760.38	167	1	172

क्र.	वर्ष	जिला	प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कुल कार्य		प्रस्तावित कार्यों पर स्वीकृत कार्य		स्वीकृत कार्यों पर कुल व्यय	कार्यों की स्थिति		
			संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	लागत		पूर्ण	अपूर्ण	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	2022–23	बेमेतरा	132	4148.85	120	4260.45	2278.43	39	2	79
	2023–24		115	1841.92	49	677.12	434.37	34	0	15
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		247	5990.77	169	4937.57	2712.80	73	2	94
8	2022–23	बालोद	151	2075.70	6	112.14	124.19	6	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		151	2075.70	6	112.14	124.19	6	0	0
9	2022–23	कबीरधाम	14	256.62	14	256.62	212.75	14	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		179	1391.49	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06. 2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		193	1648.11	14	256.62	212.75	14	0	0
10	2022–23	राजनांदगांव	13	291.23	13	291.23	178.00	11	0	2
	2023–24		7	349.87	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		20	641.10	13	291.23	178.00	11	0	2
11	2022–23	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2023–24		21	1216.15	21	1133.58	1040.70	20	1	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		21	1216.15	21	1133.58	1040.70	20	1	0
12	2022–23	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	30	300.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2023–24		18	629.18	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		7	360.50	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		8	60.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		63	1349.68	0	0.00	0.00	0	0	0
13	2022–23	बिलासपुर	82	1188.72	82	1188.72	1152.74	80	2	0
	2023–24		6	637.87	6	637.87	548.66	6	0	0
	2024–25		25	711.51	25	711.51	208.65	8	17	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		113	2538.10	113	2538.10	1910.45	94	19	0

क्र.	वर्ष	जिला	प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कुल कार्य		प्रस्तावित कार्यों पर स्वीकृत कार्य		स्वीकृत कार्यों पर कुल व्यय	कार्यों की स्थिति		
			संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	लागत		पूर्ण	अपूर्ण	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	2022–23	मुंगेली	25	848.55	25	848.55	496.37	18	7	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		48	842.50	48	842.50	212.11	4	44	0
	2025–26 (30.06. 2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		73	1691.05	73	1691.05	708.48	22	51	0
15	2022–23	रायगढ़	74	1058.55	74	1058.55	1127.01	74	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		2	194.85	2	194.85	80.30	0	1	1
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		76	1253.40	76	1253.40	1207.31	74	1	1
16	2022–23	जांजगीर–चांपा	8	114.78	8	114.78	12.52	8	0	0
	2023–24		7	177.96	7	177.96	58.55	2	1	4
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		15	292.74	15	292.74	71.07	10	1	4
17	2022–23	सक्ती	35	847.85	35	847.85	700.82	34	0	1
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		35	847.85	35	847.85	700.82	34	0	1
18	2022–23	सारंगढ़–बिलाईगढ़	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
19	2022–23	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	7	138.26	7	138.26	131.25	7	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06. 2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		7	138.26	7	138.26	131.25	7	0	0
20	2022–23	कोरबा	4	135.20	4	135.20	111.19	4	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		4	135.20	4	135.20	111.19	4	0	0

क्र.	वर्ष	जिला	प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कुल कार्य		प्रस्तावित कार्यो पर स्वीकृत कार्य		स्वीकृत कार्यो पर कुल व्यय	कार्यो की स्थिति		
			संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	लागत		पूर्ण	अपूर्ण	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	2022–23	सरगुजा	12	390.60	12	390.60	387.72	12	0	0
	2023–24		35	1218.87	35	1218.87	1093.91	9	1	25
	2024–25		10	577.54	10	577.54	0.00	0	10	0
	2025–26 (30.06. 2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		57	2187.01	57	2187.01	1481.63	21	11	25
22	2022–23	सूरजपुर	1	25.96	1	25.96	25.45	1	0	0
	2023–24		3	125.48	3	125.48	124.37	3	0	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		4	151.44	4	151.44	149.82	4	0	0
23	2022–23	बलरामपुर	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0
	2023–24		15	861.05	15	861.05	792.24	14	1	0
	2024–25		169	4315.16	169	4315.16	0.00	0	169	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		184	5176.21	184	5176.21	792.24	14	170	0
24	2022–23	जशपुर	3	55.12	3	55.12	0.00	0	3	0
	2023–24		1	262.45	1	262.45	210.35	0	1	0
	2024–25		6	140.15	6	140.15	53.64	2	4	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		10	547.72	10	457.72	263.99	2	8	0
25	2022–23	कोरिया	13	330.79	13	330.79	327.53	13	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		13	330.79	13	330.79	327.53	13	0	0
26	2022–23	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
27	2022–23	कांकेर	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
28	2022–23	सुकमा	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		13	344.12	11	170.56	0.00	2	9	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		13	344.12	11	170.56	0.00	2	9	0

क्र.	वर्ष	जिला	प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कुल कार्य		प्रस्तावित कार्यो पर स्वीकृत कार्य		स्वीकृत कार्यो पर कुल व्यय	कार्यो की स्थिति		
			संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	लागत		पूर्ण	अपूर्ण	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	2022–23	बीजापुर	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
30	2022–23	बस्तर	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2023–24		98	1141ण72	51	544ण58	81ण97	23	28	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		26	232ण62	12	102ण76	0ण00	0	0	12
	योग		124	1374.34	63	347.34	81.97	23	28	12
31	2022–23	दंतेवाड़ा	0	0.00	0	0.00	00.00	0	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	00.00	0	0	0
	2024–25		0	0.00	0	0.00	00.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	00.00	0	0	0
	योग		0	0.00	0	0.00	00.00	0	0	0
32	2022–23	कोण्डागांव	48	537.00	34	495.15	198.47	15	4	15
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		69	809.79	32	374.95	92.68	18	13	1
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		117	1346.79	66	870.10	291.15	33	17	16
33	2022–23	नारायणपुर	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2023–24		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	2024–25		9	168.79	0	0.00	0.00	0	0	0
	2025–26 (30.06.2025 तक)		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	योग		9	168.79	0	0.00	0.00	0	0	0
	महायोग		2886	51239.14	1760	39646.60	17830.38	789	530	441
								1319		

टीप :– अन्य कार्यो मे अप्रारंभ, निविदा स्तर, निरस्त एवं लंबित कार्य सम्मलित है।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
17:47:34

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र ब

कमांक	वर्ष	पत्र क./ दिनांक	विकासखंड	स्थानीय विधायक द्वारा अनुशंसित प्रस्तावित कार्य	लागत (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	2025–26	172 / 30.04.2025	मुंगेली	लोकईपुर में मुक्तिधाम के पास नाला में पुलिया एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	34.73	स्वीकृति लंबित।
2	2025–26	172 / 30.04.2025	मुंगेली	चकरभाठा रोड से जंगल पुर 02 कि.मी. सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	98.67	स्वीकृति लंबित।
3	2025–26	172 / 30.04.2025	मुंगेली	निरजाम से बदेली 03 कि.मी. सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	98.67	स्वीकृति लंबित।
4	2025–26	172 / 30.04.2025	लोरमी	ग्राम बटहा में झंझपुरी मार्ग 01 कि.मी. सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	49.34	स्वीकृति लंबित।
5	2025–26	172 / 30.04.2025	मुंगेली	चीनू से चीतापुर 02 कि.मी. सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	98.67	स्वीकृति लंबित।
6	2025–26	172 / 30.04.2025	लोरमी	ग्राम औराबांधा से जेवरासरहद मार्ग तक 1.50 कि.मी.सी.सी रोड निर्माण कार्य।	74.00	स्वीकृति लंबित।
7	2025–26	172 / 30.04.2025	लोरमी	कुम्हरौली से बठलीखुर्द के बीच पुलिया निर्माण कार्य।	37.51	स्वीकृति लंबित।
8	2025–26	172 / 30.04.2025	मुंगेली	ग्राम कंतेली में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	15.90	स्वीकृति लंबित।
9	2025–26	172 / 30.04.2025	पथरिया	ग्राम गधीरवाडीह में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	15.90	स्वीकृति लंबित।
10	2025–26	172 / 30.04.2025	पथरिया	ग्राम झंझपुरी में सामुदायिक भवन (अदिवासी समाज) निर्माण कार्य।	15.90	स्वीकृति लंबित।
11	2025–26	172 / 30.04.2025	लोरमी	ग्राम खाम्हीकुर्मी में सामुदायिक भवन (आदिवासी समाज) निर्माण कार्य।	15.90	स्वीकृति लंबित।
12	2025–26	172 / 30.04.2025	लोरमी	ग्राम भठलीकला में सामुदायिक भवन (आदिवासी समाज) निर्माण कार्य।	15.90	स्वीकृति लंबित।
13	2025–26	172 / 30.04.2025	पथरिया	ग्राम कंचनपुर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	15.90	स्वीकृति लंबित।
14	2025–26	172 / 30.04.2025	मुंगेली	ग्राम पदमपुर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	15.90	स्वीकृति लंबित।
15	2025–26	172 / 30.04.2025	मुंगेली	ग्राम प्रतापपुर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	15.90	स्वीकृति लंबित।
16	2025–26	172 / 30.04.2025	पथरिया	ग्राम मझारेठा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	15.90	स्वीकृति लंबित।
17	2025–26	172 / 30.04.2025	पथरिया	ग्राम अमोराकला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	15.90	स्वीकृति लंबित।
18	2025–26	172 / 30.04.2025	पथरिया	ग्राम कोकड़ी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	15.90	स्वीकृति लंबित।
19	2025–26	172 / 30.04.2025	पथरिया	बगबुड़वा में सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	22.20	स्वीकृति लंबित।
				योग :–	688.69	

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 17:48:38

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - बयालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 825) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला का नाम	वि.ख.	स्थापित मृदा परीक्षण लैब			सहायक मिट्टी परीक्षण अधि.				ब.कृ.वि.अधि.				रिक्त पद	
			नाम	पता	स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद		स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद		
					संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि	संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	रायपुर	धरसींवा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला लामाण्डी रायपुर	लामाण्डी रायपुर छ.ग.	1	1	28.10.2024	0	0	1	1	19.10.2022	0	0
2		धरसींवा	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, लामाण्डी रायपुर	द्वितीय तल उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लामाण्डी,रायपुर छ.ग.	1	1	3.8.2016	0	0	0	0	0	0	0
3	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (विभागीय)	नवीन कृषि उपज मण्डी प्रांगण, पलनाय, बलौदाबाजार	1	1	28.12.2020	0	0	1	1	16.01.2025	0	0
4	गरियाबंद	गरियाबंद	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, गरियाबंद जिला–गरियाबंद	छिंद तालाब के पास, छुरा रोड, गरियबंद	1	0	0	1	30.6.2025	1	0	0	1	30.1.2024
5	महासमुन्द	महासमुन्द	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, महासमुंद	लमगरकुर्द, महासमुंद	1	1	30.1.2025	0	0	1	1	15.2.2024	0	0
6	धमतरी	धमतरी	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला धमतरी जिला–धमतरी (छ.ग.)	कार्यालय उप पंजीयक के सामने, धमतरी	1	1	6.5.2022	0	0	1	1	8.7.2024	0	0
7	दुर्ग	दुर्ग	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालां रूआबांधा, दुर्ग	रूआबांधा, दुर्ग	1	1	25.11.2020	0	0	1	1	25.1.2023	0	0
8	बालोद	बालोद	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जिला बालोद	मण्डी परिसर, गंजपारा, जिला बालोद	1	1	9.10.2023	0	0	0	0	0	0	0
9	बेमेतरा	बेमेतरा	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	मण्डी, बेमेतरा	1	1	01.07.2025	0	0	0	0	0	0	0
10	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, राजनांदगांव	कौरिसमाड़ा, राजनांदगांव (छ.ग.)	1	1	30.10.2014	0	0	1	1	5.2.2024	0	0
11			मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मंडी), राजनांदगांव	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी मंडी राजनांदगांव (छ.ग.)	1	0	0	1	30.11.2023	0	0	0	0	0
12	कवीरधाम	कवर्धा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जिला–कबीरधाम छ. ग.	घोटिया रोड, कवर्धा	1	0	0	1	0	1	1	01.01.2025	0	0
13	बिलासपुर	बिल्हा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	तिलकनगर, बिलासपुर	1	1	18.10.2022	0	0	1	0	0	1	5.10.2023
14			मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मंडी)	मण्डी परिसर तोरवा, बिलासपुर (छ.ग.)	1	1	3.9.2019	0	0	0	0	0	0	0
15	मुंगेली	मुंगेली	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, धरमपुरा, मुंगेली	धरमपुरा, मुंगेली जिला–मुंगेली (छ.ग.)	1	1	2.8.2019	0	0	1	1	31.10.2023	0	0
16	जांजगीर–चाम्पा	नवागढ़	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जांजगीर	सरवार पहेल गार्डन के पास ब्लॉक कॉलोनी, जांजगीर	1	1	2.8.2016	0	0	1	0	0	1	3.7.2025

क्र.	जिला का नाम	वि.ख.	स्थापित मृदा परीक्षण लैब		सहायक मिट्टी परीक्षण अधि.					व.कृ.वि.अधि.				
			नाम	पता	स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद		स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद	
					संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि	संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	सक्ती	सक्ती	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मण्डी प्रागंण–सक्ती	मण्डी प्रागंण नंदेलीमाठा,सक्ती जिला–सक्ती	1	0	0	1	17.10.2022	0	0	0	0	0
18	कोरबा	कोरबा	चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोरबा	आई.टी.आई. चीक रामपुर, कोरबा	0	0	0	0	0	1	0	0	1	31.03.2024
19	रायगढ़	रायगढ़	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, रायगढ़	कृषि उपज मंडी पटेलपाली, रायगढ़	1	0	0	1	30.6.2025	0	0	0	0	0
20	सरगुजा	अम्बिकापुर	सहायक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	गंगापुरखुर्द अम्बिकापुर	1	0	0	1	25.11.2024	1	0	0	1	31.7.2023
21	सूरजपुर	सूरजपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, सूरजपुर	जेल पारा रोड़ सूरजपुर,जिला–सूरजपुर	1	1	18.8.2022	0	0	1	0	0	1	30.1.2025
22	बलरामपुर	रामानुजगंज	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, (मण्डी) लैब रामानुजगंज	मण्डी लैब विकासखण्ड –रामानुजगंज, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)	1	0	0	1	31.03.2023	0	0	0	0	0
23	जशपुर	जशपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जशपुर	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, चिरबगीचा, जशपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	कोरिया	बैकुण्ठपुर	स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बैकुण्ठपुर	बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	बस्तर	जगदलपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कुम्हरावण्ड, जगदलपुर	कार्या.सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी कुम्हरावण्ड, जगदलपुर	1	1	12.02.2019	0	0	1	0	0	1	31.7.2023
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	स्थाई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोण्डागांव	कोपाबेड़ा, कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव	1	1	10.7.2020	0	0	1	1	11.1.2024	0	0
28	दंतेवाड़ा	गीदम	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, दंतेवाड़ा	पुराना बी.आर.ओ. कैम्पस, हारम, गीदम	1	0	0	1	01.05.2025	1	1	28.03.2023	0	0
29	कांकेर	कांकेर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कांकेर (विभागीय)	महात्मा गांधी वार्ड, कांकेर, जिला छ.ग. कांकेर	0	0	0	0	0	1	1	29.04.2022	0	0
योग–					24	16		8		18	11		7	

क्र.	जिला का नाम	वि.ख.	स्थापित मृदा परीक्षण लैब		कृ.वि.अ.					ग्रा.कृ.वि.अधि.				
			नाम	पता	स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद		स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद	
						संख्या	तिथि	संख्या	तिथि		संख्या	तिथि	संख्या	तिथि
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	रायपुर	धरसींवा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला लामाण्डी रायपुर	लामाण्डी रायपुर छ.ग.	2	1	6.7.2021	1	1.9.2024	0	0	0	0	0
2		धरसींवा	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, लामाण्डी रायपुर	द्वितीय तल उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लामाण्डी,रायपुर छ.ग.	0	0	0	0	0	1	1	1.9.2017	0	0
3	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (विमागीय)	नवीन कृषि उपज मण्डी प्रांगण, पनगांव, बलौदाबाजार	2	0	0	2	31.07.2024	0	0	0	0	0
4	गरियाबंद	गरियाबंद	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, गरियाबंद जिला–गरियाबंद	छिंद तालाब के पास, छुरा रोड, गरियाबंद	2	0	0	2	30.1.2023	0	0	0	0	0
5	महासमुन्द	महासमुन्द	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, महासमुंद	लमाराखुर्द, महासमुंद	2	0	0	2	05.2020 07.2022	0	0	0	0	0
6	धमतरी	धमतरी	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला धमतरी जिला–धमतरी (छ.ग.)	कार्यालय उप पंजीयक के सामने, धमतरी	2	0	0	2	31.3.2023	0	0	0	0	0
7	दुर्ग	दुर्ग	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला रूआबांधा, दुर्ग	रूआबांधा, दुर्ग	2	1	14.06.2021	1	15.03.2024	0	0	0	0	0
8	बालोद	बालोद	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जिला बालोद	मण्डी परिसर, गंजपारा, जिला बालोद	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3.10.2023
9	बेमेतरा	बेमेतरा	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	मण्डी, बेमेतरा	0	0	0	0	0	1	1	07.11.2016	0	0
10	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, राजनांदगांव	कौरिनमाठा, राजनांदगांव (छ.ग.)	2	0	0	2	31.6.2022	0	0	0	0	0
11			मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मंडी), राजनांदगांव	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी मंडी राजनांदगांव (छ.ग.)	0	0	0	0	0	1	1	28.9.2017	0	0
12	कबीरधाम	कवर्धा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जिला–कबीरधाम छ.ग.	घोटिया रोड, कवर्धा	2	0	0	2	31.12.2024	0	0	0	0	0
13	बिलासपुर	बिल्हा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	तिलकनगर, बिलासपुर	2	2	2.6.2021	0	0	0	0	0	0	0
14			मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मंडी)	मण्डी परिसर तोरवा, बिलासपुर (छ.ग.)	0	0	0	0	0	1	1	22.8.2016	0	0
15	मुंगेली	मुंगेली	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, धरमपुरा, मुंगेली	धरमपुरा, मुंगेली जिला–मुंगेली (छ.ग.)	2	1	6.7.2021	1	31.12.2021	0	0	0	0	0
16	जांजगीर–चाम्पा	नवागढ़	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जांजगीर	सरदार पटेल गार्डन के बगल ब्लॉक कॉलोनी, जांजगीर	2	1	14.6.2021	1	22.03.2011	0	0	0	0	0

क्र.	जिला का नाम	वि.ख.	स्थापित मृदा परीक्षण लैब		कृ.वि.अ.					ग्रा.कृ.वि.अधि.				
			नाम	पता	स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद		स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद	
					संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि	संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17	सक्ती	सक्ती	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मण्डी प्रागंण–सक्ती	मण्डी प्रागंण नंदेलीमाठा,सक्ती जिला–सक्ती	0	0	0	0	0	1	1	29.06.2018	0	0
18	कोरबा	कोरबा	चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोरबा	आई.टी.आई. चीक रामपुर, कोरबा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	रायगढ़	रायगढ़	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, रायगढ़	कृषि उपज मंडी पटेलपाली, रायगढ़	0	0	0	0	0	1	1	21.9.2017	0	0
20	सरगुजा	अम्बिकापुर	सहायक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	गंगापुरखुर्द अम्बिकापुर	2	2	31.5.2021 03.11.2022	0	0	0	0	0	0	0
21	सूरजपुर	सूरजपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, सूरजपुर	जेल पारा रोड़ सूरजपुर,जिला–सूरजपुर	2	2	02.06.2021	0	0	0	0	0	0	0
22	बलरामपुर	रामानुजगंज	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, (मण्डी) लैब रामानुजगंज	मण्डी लैब विकासखण्ड –रामानुजगंज, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	22.02.2016
23	जशपुर	जशपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जशपुर	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, चिरबगीचा, जशपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	कोरिया	बैकुण्ठपुर	स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बैकुण्ठपुर	बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	बस्तर	जगदलपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कुम्हरावण्ड, जगदलपुर	कार्या.सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी कुम्हरावण्ड, जगदलपुर	2	1	31.05.2021	1	20.01.2025	0	0	0	0	0
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	स्थाई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोण्डागांव	कोपावेड़ा, कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव	2	0	0	2	14.10.2022	0	0	0	0	0
28	दंतेवाड़ा	गीदम	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, दंतेवाड़ा	पुराना बी.आर.ओ. कैम्पस, हारम, गीदम	2	0	0	2	27.02.2023	0	0	0	0	0
29	कांकेर	कांकेर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कांकेर (विभागीय)	महात्मा गांधी वार्ड, कांकेर, जिला उ.ब. कांकेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग–					32	11		21		8	6		2	

क्र.	जिला का नाम	वि.ख.	स्थापित मृदा परीक्षण लैब		प्रयोगशाला सहायक					सहायक ग्रेड–2				
			नाम	पता	स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद		स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद	
					संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि	संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	रायपुर	धरसींवा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला लामाण्डी रायपुर	लामाण्डी रायपुर छ.ग.	2	1	1.4.2013	1	1.3.2022	1	0	0	1	1.7.2025
2		धरसींवा	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, लामाण्डी रायपुर	द्वितीय तल उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लामाण्डी,रायपुर छ.ग.	2	1	19.3.2018	1	31.3.2024	0	0	0	0	0
3	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (विभागीय)	नवीन कृषि उपज मण्डी प्रांगण, पनगांव, बलौदाबाजार	2	2	31.04.2018 03.10.2018	0	0	0	0	0	0	0
4	गरियाबंद	गरियाबंद	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, गरियाबंद जिला–गरियाबंद	छिंद तालाब के पास, छुरा रोड, गरियाबंद	2	0	0	2	8.3.2021	0	0	0	0	0
5	महासमुन्द	महासमुन्द	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, महासमुंद	लमाराखुर्द, महासमुंद	2	0	0	2	8.3.2022	0	0	0	0	0
6	धमतरी	धमतरी	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला धमतरी जिला–धमतरी (छ.ग.)	कार्यालय उप पंजीयक के सामने, धमतरी	2	2	23.3.2018	0	0	1	1	10.10.2024	0	0
7	दुर्ग	दुर्ग	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला रूआबांधा, दुर्ग	रूआबांधा, दुर्ग	2	2	19.3.2018	0	0	1	1	19.7.2023	0	0
8	बालोद	बालोद	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जिला बालोद	मण्डी परिसर, गंजपारा, जिला बालोद	2	1	28.3.2018	1	13.9.2021	0	0	0	0	0
9	बेमेतरा	बेमेतरा	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	मण्डी, बेमेतरा	2	2	19.03.2017 27.03.2018	0	0	0	0	0	0	0
10	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, राजनांदगांव	कौरिनमाठा, राजनांदगांव (छ.ग.)	2	1	4.2.2018	1	19.10.2022	1	1	21.7.2023	0	0
11			मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मंडी), राजनांदगांव	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी मंडी राजनांदगांव (छ.ग.)	2	0	0	2	11.3.2022	0	0	0	0	0
12	कबीरधाम	कवर्धा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जिला–कबीरधाम छ. ग.	घोटिया रोड, कवर्धा	2	1	28.04.2012	1	14.10.2022	0	0	0	0	0
13	बिलासपुर	बिल्हा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	तिलकनगर, बिलासपुर	2	1	17.10.2022	1	30.4.2019	1	1	17.12.2018	0	0
14			मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मंडी)	मण्डी परिसर तोरवा, बिलासपुर (छ.ग.)	2	2	7.4.2018	0	0	0	0	0	0	0
15	मुंगेली	मुंगेली	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, धरमपुरा, मुंगेली	धरमपुरा, मुंगेली जिला–मुंगेली (छ.ग.)	2	2	23.3.2018	0	0	0	0	0	0	0
16	जांजगीर–चाम्पा	नयागढ़	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जांजगीर	सरदार पटेल गार्डन के बगल ब्लॉक कॉलोनी, जांजगीर	2	2	16.3.2018, 23.9.2019	0	0	1	1	28.12.2023	0	0

क्र.	जिला का नाम	वि.ख.	स्थापित मृदा परीक्षण लैब		प्रयोगशाला सहायक					सहायक ग्रेड–2				
			नाम	पता	स्वीकृत पद	मरे पद		रिक्त पद		स्वीकृत पद	मरे पद		रिक्त पद	
					संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि	संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
17	सक्ती	सक्ती	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मण्डी प्रागंण–सक्ती	मण्डी प्रागंण नंदेलीमाठा,सक्ती जिला–सक्ती	2	1	4.4.2018	1	0	0	0	0	0	0
18	कोरबा	कोरबा	चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोरबा	आई.टी.आई. चीक रामपुर, कोरबा	2	2	16.05.2012 18.10.2022	0	0	0	0	0	0	0
19	रायगढ़	रायगढ़	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, रायगढ़	कृषि उपज मंडी पटेलपाली, रायगढ़	2	1	01.10.2018	1	8.3.2022	0	0	0	0	0
20	सरगुजा	अम्बिकापुर	सहायक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	गंगापुरखुर्द अम्बिकापुर	2	1	24.03.2018	1	7.10.2022	1	1	13.11.2020	0	0
21	सूरजपुर	सूरजपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, सूरजपुर	जेल पारा रोड़ सूरजपुर,जिला–सूरजपुर	2	0	0	2	28.04.0215	0	0	0	0	0
22	बलरामपुर	रामानुजगंज	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, (मण्डी) लैब रामानुजगंज	मण्डी लैब विकासखण्ड –रामानुजगंज, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)	2	1	26.9.2018	1	22.02.2016	0	0	0	0	0
23	जशपुर	जशपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जशपुर	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, चिरवगीचा, जशपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	कोरिया	वैकुण्ठपुर	स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, वैकुण्ठपुर	वैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	बस्तर	जगदलपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कुम्हरावण्ड, जगदलपुर	कार्या.सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी कुम्हरावण्ड, जगदलपुर	2	1	02.11.2010	1	9.03.2021	1	1	15.02.2019	0	0
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	स्थाई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोण्डागांव	कोपाबेड़ा, कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव	2	1	27.3.2018	1	0	0	0	0	0	0
28	दंतेवाड़ा	गीदम	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, दंतेवाड़ा	पुराना बी.आर.ओ. कैम्पस, हारम, गीदम	2	1	05.04.2018	1	15.09.2016	0	0	0	0	0
29	कांकेर	कांकेर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कांकेर (विभागीय)	महात्मा गांधी वार्ड, कांकेर, जिला उ.ब. कांकेर	2	1	11.11.2010	1	01.11.2024	0	0	0	0	0
योग–					**52**	**30**		**22**		**8**	**7**		**1**	

क्र.	जिला का नाम	वि.ख.	स्थापित मृदा परीक्षण लैब		सहायक ग्रेड–3					भृत्य				
			नाम	पता	स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद		स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद	
					संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि	संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि
1	2	3	4	5	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	रायपुर	धरसींवा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला लामाण्डी रायपुर	लामाण्डी रायपुर छ.ग.	1	1	26.6.20221	0	0	1	0	0	1	1.8.2024
2		धरसींवा	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, लामाण्डी रायपुर	द्वितीय तल उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लामाण्डी,रायपुर छ.ग.	1	1	28.6.2021	0	0	1	0	0	1	0
3	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (विभागीय)	नवीन कृषि उपज मण्डी प्रांगण, पनगांव, बलौदाबाजार	1	0	0	1	03.09.2022	1	0	0	1	14.09.2018
4	गरियाबंद	गरियाबंद	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, गरियाबंद जिला–गरियाबंद	छिंद तालाब के पास, छुरा रोड, गरियाबंद	1	1	20.9.2018	0	0	1	0	0	1	0
5	महासमुन्द	महासमुन्द	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, महासमुंद	लमाराखुर्द, महासमुंद	1	0	0	1	11.1.2023	1	0	0	1	0
6	धमतरी	धमतरी	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला धमतरी जिला–धमतरी (छ.ग.)	कार्यालय उप पंजीयक के सामने, धमतरी	1	1	18.2.2022	0	0	2	1	23.7.2020	1	1.4.2016
7	दुर्ग	दुर्ग	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला रूआबांधा, दुर्ग	रूआबांधा, दुर्ग	1	1	14.12.2020	0	0	1	1	11.11.2020	0	0
8	बालोद	बालोद	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जिला बालोद	मण्डी परिसर, गंजपारा, जिला बालोद	1	0	0	1	0	1	1	3.8.2017	0	0
9	बेमेतरा	बेमेतरा	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	मण्डी, बेमेतरा	1	1	15.12.2020	0	0	1	0	0	1	
10	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, राजनांदगांव	कौरिनमाठा, राजनांदगांव (छ.ग.)	1	1	20.9.2018	0	0	1	0	0	1	21.7.2023
11			मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मंडी), राजनांदगांव	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी मंडी राजनांदगांव (छ.ग.)	1	0	0	1	21.7.2023	1	1	24.1.2020	0	0
12	कबीरधाम	कवर्धा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जिला–कबीरधाम छ. ग.	घोठिया रोड, कवर्धा	1	0	0	1	20.07.2023	1	1	03-08-2017	0	0
13	बिलासपुर	बिल्हा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	तिलकनगर, बिलासपुर	1	0	0	1	30.4.2024	1	1	27.5.2025	0	0
14			मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मंडी)	मण्डी परिसर तोरवा, बिलासपुर (छ.ग.)	1	1	21.3.2022	0	0	1	1	4.9.2017	0	0
15	मुंगेली	मुंगेली	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, धरमपुरा, मुंगेली	धरमपुरा, मुंगेली जिला–मुंगेली (छ.ग.)	1	0	0	1	21.10.2022	1	1	3.1.2023	0	0
16	जांजगीर–चाम्पा	नवागढ़	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जांजगीर	सरदार पटेल गार्डन के बगल ब्लॉक कॉलोनी, जांजगीर	1	1	15.6.2021	0	0	2	1	7.8.2018	1	16.9.2024

क्र.	जिला का नाम	वि.ख.	स्थापित मृदा परीक्षण लैब		सहायक ग्रेड–3					मृत्य				
			नाम	पता	स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद		स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद	
					संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि	संख्या	सख्या	तिथि	संख्या	तिथि
1	2	3	4	5	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
17	सक्ती	सक्ती	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मण्डी प्रागंण–सक्ती	मण्डी प्रागंण नंदेलीमाठा,सक्ती जिला–सक्ती	1	1	12.9.2018	0	0	1	1	19.07.2022	0	0
18	कोरबा	कोरबा	चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोरबा	आई.टी.आई. चौक रामपुर, कोरबा	1	1	08.12.2021	0	0	1	0	0	1	0
19	रायगढ़	रायगढ़	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, रायगढ़	कृषि उपज मंडी पटेलपाली, रायगढ़	1	1	20.7.2018	0	0	1	1	2.2.2024	0	0
20	सरगुजा	अम्बिकापुर	सहायक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	गंगापुरखुर्द अम्बिकापुर	1	0	0	1	29.05.2025	1	1	04.07.2023	0	0
21	सूरजपुर	सूरजपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, सूरजपुर	जेल पारा रोड़ सूरजपुर,जिला–सूरजपुर	1	1	7.12.2017	0	0	1	0	0	1	28.04.2015
22	बलरामपुर	रामानुजगंज	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, (मण्डी) लैब रामानुजगंज	मण्डी लैब विकासखण्ड –रामानुजगंज, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)	1	0	0	1	28.03.2025	1	0	0	1	22.02.2016
23	जशपुर	जशपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जशपुर	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, चिरवगीचा, जशपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	कोरिया	बैकुण्ठपुर	स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बैकुण्ठपुर	बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	बस्तर	जगदलपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कुम्हरावण्ड, जगदलपुर	कार्या.सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी कुम्हरावण्ड, जगदलपुर	1	1	15.02.2011	0	0	1	1	23.05.2017	0	0
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	स्थाई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोण्डागांव	कोपाबेड़ा, कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव	1	1	18.9.2017	0	0	1	1	18.5.2017	0	0
28	दंतेवाड़ा	गीदम	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, दंतेवाड़ा	पुराना बी.आर.ओ. कैम्पस, हारम, गीदम	1	0	0	1	15.09.2016	1	1	26.05.2017	0	0
29	कांकेर	कांकेर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कांकेर (विभागीय)	महात्मा गांधी वार्ड, कांकेर, जिला उ.ब. कांकेर	1	1	09.07.2021	0	0	1	1	01.08.2016	0	0
योग–					26	16		10		28	16		12	

क्र.	जिला का नाम	वि.ख.	स्थापित मृदा परीक्षण लैब		चौकीदार					वाहन चालक					योग		
			नाम	पता	स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद		स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त पद		स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
					संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि	संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि	संख्या	संख्या	संख्या
1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
1	रायपुर	धरसींवा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला लामाण्डी रायपुर	लामाण्डी रायपुर छ.ग.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	4
2		धरसींवा	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, लामाण्डी रायपुर	द्वितीय तल उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लामाण्डी,रायपुर छ.ग.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2
3	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (विभागीय)	नवीन कृषि उपज मण्डी प्रांगण, पनगांव, बलौदाबाजार	0	0	0	0	0		0	0	0	0	8	4	4
4	गरियाबंद	गरियाबंद	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, गरियाबंद जिला–गरियाबंद	छिंद तालाब के पास, छुरा रोड, गरियाबंद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	7
5	महासमुन्द	महासमुन्द	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, महासमुंद	लमाराखुर्द, महासमुंद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	6
6	धमतरी	धमतरी	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला धमतरी जिला–धमतरी (छ.ग.)	कार्यालय उप पंजीयक के सामने, धमतरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	3
7	दुर्ग	दुर्ग	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला रूआबांधा, दुर्ग	रूआबांधा, दुर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	1
8	बालोद	बालोद	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जिला बालोद	मण्डी परिसर, गंजपारा, जिला बालोद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3
9	बेमेतरा	बेमेतरा	नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	मण्डी, बेमेतरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	1
10	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, राजनांदगांव	कौरिनमाठा, राजनांदगांव (छ.ग.)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	5	5
11			मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मंडी), राजनांदगांव	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी मंडी राजनांदगांव (छ.ग.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	4
12	कबीरधाम	कवर्धा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जिला–कबीरधाम छ. ग.	घोठिया रोड, कवर्धा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	5
13	बिलासपुर	बिल्हा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	तिलकनगर, बिलासपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	3
14			मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मंडी)	मण्डी परिसर तोरवा, बिलासपुर (छ.ग.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0
15	मुंगेली	मुंगेली	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, धरमपुरा, मुंगेली	धरमपुरा, मुंगेली जिला–मुंगेली (छ.ग.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	2
16	जांजगीर–चाम्पा	नवागढ़	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जांजगीर	सरदार पटेल गार्डन के बगल ब्लॉक कॉलोनी, जांजगीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	3

क्र.	जिला का नाम	वि.ख.	स्थापित मृदा परीक्षण लैब		चौकीदार					वाहन चालक					योग		
			नाम	पता	स्वीकृत पद	मरे पद		रिक्त पद		स्वीकृत पद	मरे पद		रिक्त पद		स्वीकृत पद	मरे पद	रिक्त पद
					संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि	संख्या	संख्या	तिथि	संख्या	तिथि	संख्या	संख्या	संख्या
1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
17	सक्ती	सक्ती	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मण्डी प्रागंण–सक्ती	मण्डी प्रागंण नंदेलीमाठा,सक्ती जिला–सक्ती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2
18	कोरबा	कोरबा	चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोरबा	आई.टी.आई. चीक रामपुर, कोरबा	0	0	0	0	0	1	0	0	1	21.01.2008	6	3	3
19	रायगढ़	रायगढ़	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, रायगढ़	कृषि उपज मंडी पटेलपाली, रायगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2
20	सरगुजा	अम्बिकापुर	सहायक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	गंगापुरखुर्द अम्बिकापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	4
21	सूरजपुर	सूरजपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, सूरजपुर	जेल पारा रोड़ सूरजपुर,जिला–सूरजपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4
22	बलरामपुर	रामानुजगंज	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, (मण्डी) लैब रामानुजगंज	मण्डी लैब विकासखण्ड –रामानुजगंज, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	5
23	जशपुर	जशपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जशपुर	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, चिरवगीचा, जशपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	कोरिया	बैकुण्ठपुर	स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बैकुण्ठपुर	बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	बस्तर	जगदलपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कुम्हरावण्ड, जगदलपुर	कार्या.सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी कुम्हरावण्ड, जगदलपुर	1	0	0	1	20.08.2009	0	0	0	0	0	10	6	4
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	स्थाई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोण्डागांव	कोपाबेड़ा, कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	3
28	दंतेवाड़ा	गीदम	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, दंतेवाड़ा	पुराना बी.आर.ओ. कैम्पस, हारम, गीदम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	5
29	कांकेर	कांकेर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कांकेर (विभागीय)	महात्मा गांधी वार्ड, कांकेर, जिला उ.ब. कांकेर	0	0	0	0	0	1	0	0	1	14.08.2017	6	4	2
योग–					2	0		2		2	0		2		200	113	87

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
10:24:55

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्राद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - तिरालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 833) की जानकारी

प्रपत्र–अ

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल कृषि विभाग की सेवाएं

स.क	कार्यालय / निकाय / अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)
1	*2*	*3*	*4*
1	कृषि संचालनालय	जिले में उर्वरक व्यवसाय के लिये नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना एवं पंजीयन का नवीनीकरण (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस
2		जिले में पौध संरक्षण औषधियो के व्यवसाय के लिये अनुज्ञप्ति नवीनीकरण (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस
3		कृषि के प्रमाणित लेबल बीजो के व्यवसाय हेतु नवीन अनुज्ञप्ति पत्र जारी करना तथा नवीनीकरण (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस
4		शक्ति चलित उन्नत कृषि यंत्र वितरण (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस
5		नलकूप योजना (किसान समृद्धि एवं सामान्य नलकूप) (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस
6		शाकम्भरी योजना (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस
7	संचालनालय उद्यान (राज्य स्तर) उप/ सहायक संचालक उद्यान	शक्तिचलित यंत्रों का वितरण (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस
8	कार्यालय (जिला स्तर)	प्रमाणित बीजों के व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना तथा नवीनीकरण (संपूर्ण सहपत्रो सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस
9	कृषि अभियांत्रिकी संकाय संचालनालय कृषि	उन्नत कृषि यंत्रों का परीक्षण प्रमाण पत्र जारी करना परीक्षण हेतु (संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर आवेदन व यंत्र प्राप्त होने के पश्चात्)	60 कार्य दिवस
10	छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड	मंडी प्रांगण के गेट पर कृषक वाहन तथा उपज की संपूर्ण प्रवृष्टि के संबंध में	01 कार्य दिवस
11		छ.ग. राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदाय करने के संबंध में	42 कार्य दिवस

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
16:53:56

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 अंतर्गत विगत 03 वर्षो में प्राप्त आवेदन

स.क्र	वर्ष	कार्यालय का नाम	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन
1	2022	संचालनालय कृषि	371	371
	2023		217	217
	2024		166	166
		योग	**754**	**754**
2	2022	संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	7	7
	2023		1	1
	2024		3	3
		योग	**11**	**11**
3	2022	छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड	1625	1625
	2023		1722	1722
	2024		1801	1801
		योग	**5148**	**5148**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
16:55:05

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

कृषि यंत्रो/उपकरणो की प्रदायगी हेतु माहवार प्राप्त आवेदन

क्र.	वर्ष	माह	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022–23	अप्रैल 2022	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – ऑयल सीड	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	0	0	0	0
			शाकम्भरी योजना	0	0	0	0
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
		योग		**0**	**0**	**0**	**0**
		मई 2022	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	289	280	152	152
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	7	0		0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	181	181	181	181
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	224	224	217	217
			शाकम्भरी योजना	71	71	71	71
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	8	8	8	8
		योग		**780**	**764**	**629**	**629**
		जून 2022	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	109	106	30	30
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – ऑयल सीड	4	4	4	4
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	264	264	171	171
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	443	442	428	428
			शाकम्भरी योजना	24	24	24	24
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	9	9	9	9
		योग		**853**	**849**	**666**	**666**
		जुलाई 2022	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	86	54	18	18
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	75	75	73	73
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	160	160	160	160
			शाकम्भरी योजना	15	15	15	15
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	14	14	14	14
		योग		**350**	**318**	**280**	**280**
		अगस्त 2022	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	61	44	10	10
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	3	3	3	3
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	51	51	44	44
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	50	50	50	50
			शाकम्भरी योजना	75	75	75	75
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	5	5	5	5
		योग		**245**	**228**	**187**	**187**
		सितम्बर 2022	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	15	13		0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	17	17	17	17
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	157	155	152	152
			शाकम्भरी योजना	78	78	78	78
		योग		**267**	**263**	**247**	**247**
		अक्टूबर 2022	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	31	24	20	20
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	1	1	1	1
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	3	3	3	3
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	34	34	32	32
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	95	95	93	93
			शाकम्भरी योजना	44	44	44	44
		योग		**208**	**201**	**193**	**193**

क्र.	वर्ष	माह	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022–23	नवम्बर 2022	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	14	12	8	8
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	1	1	1	1
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	38	38	34	34
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	54	51	51	51
			शाकम्भरी योजना	38	38	38	38
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	6	6	6	6
		योग		**151**	**146**	**138**	**138**
		दिसम्बर 2022	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	43	35	4	4
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	2	2	2	2
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	33	33	33	33
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	53	52	52	52
			शाकम्भरी योजना	20	19	19	19
		योग		**151**	**141**	**110**	**110**
		जनवरी 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	28	22	9	9
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	1	1	1	1
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	40	40	38	38
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	271	267	265	265
			शाकम्भरी योजना	25	25	25	25
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	2	2		0
		योग		**367**	**357**	**338**	**338**
		फरवरी 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	39	17	9	9
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – चावल	1	0		0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	18	18	16	16
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	226	225	218	218
			शाकम्भरी योजना	65	63	63	63
		योग		**349**	**323**	**306**	**306**
		मार्च 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	122	103	87	87
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	4	2	2	2
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	59	59	56	56
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	150	150	148	148
			शाकम्भरी योजना	30	28	28	28
		योग		**365**	**342**	**321**	**321**
		महायोग		4086	3932	3415	3415
2	2023–24	अप्रैल 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	0	0	0	0
			शाकम्भरी योजना	0	0	0	0
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
		योग		**0**	**0**	**0**	**0**
		मई 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	0	0	0	0
			शाकम्भरी योजना	0	0	0	0
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
		योग		**0**	**0**	**0**	**0**

क्र.	वर्ष	माह	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2023–24	जून 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	0	0	0	0
			शाकम्भरी योजना	0	0	0	0
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
		योग		**0**	**0**	**0**	**0**
		जुलाई 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	721	190	134	134
			शाकम्भरी योजना	9	9	6	6
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	109	41	18	18
		योग		**839**	**240**	**158**	**158**
		अगस्त 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	329	93	66	66
			शाकम्भरी योजना	40	39	37	37
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	7	0		0
		योग		**376**	**132**	**103**	**103**
		सितम्बर 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	146	50	14	14
			शाकम्भरी योजना	155	154	148	148
		योग		**301**	**204**	**162**	**162**
		अक्टूबर 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	45	14	6	6
			शाकम्भरी योजना	25	24	24	24
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	22	0		0
		योग		**92**	**38**	**30**	**30**
		नवंबर 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	19	1	1	1
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	1	0		0
		योग		**20**	**1**	**1**	**1**
		दिसम्बर 2023	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	27	5	1	1
			शाकम्भरी योजना	83	83	82	82
		योग		**110**	**88**	**83**	**83**
		जनवरी 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	29	6	1	1
			शाकम्भरी योजना	89	88	84	84
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	1	0		0
		योग		**119**	**94**	**85**	**85**
		फरवरी 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	53	10	5	5
			शाकम्भरी योजना	135	133	117	117
		योग		**188**	**143**	**122**	**122**
		मार्च 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	7	4	3	3
			शाकम्भरी योजना	27	18	13	13
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	56	0		0
		योग		**90**	**22**	**16**	**16**
		महायोग वर्ष 2023–24		**2135**	**962**	**760**	**760**

क्र.	वर्ष	माह	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
3	2024–25	अप्रैल 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	0	0	0	0
			शाकम्भरी योजना	0	0	0	0
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
		योग		**0**	**0**	**0**	**0**
		मई 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	884	146	102	102
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	91	14	14	14
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	65	65	65	65
			शाकम्भरी योजना	25	25	25	25
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	18	17	17	17
		योग		**1083**	**267**	**223**	**223**
		जून 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	176	31	25	25
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	59	7	7	7
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	463	430	428	428
			शाकम्भरी योजना	25	25	25	25
		योग		**723**	**493**	**485**	**485**
		जुलाई 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	165	18	15	15
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	35	11	11	11
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	159	148	124	124
			शाकम्भरी योजना	56	56	56	56
		योग		**415**	**233**	**206**	**206**
		अगस्त 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	90	21	12	12
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	33	18	17	17
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	184	167	98	98
			शाकम्भरी योजना	54	54	54	54
		योग		**361**	**260**	**181**	**181**
		सितम्बर 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	38	4	4	4
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	16	1	1	1
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	102	56	52	52
			शाकम्भरी योजना	88	87	87	87
		योग		**244**	**148**	**144**	**144**
		अक्टूबर 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	19	6	4	4
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	13	1	1	1
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	61	11	11	11
			शाकम्भरी योजना	88	87	87	87
		योग		**181**	**105**	**103**	**103**
		नवंबर 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	130	3	3	3
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	3	0		0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	22	4	4	4
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	84	6	6	6
			शाकम्भरी योजना	51	50	50	50
		योग		**290**	**63**	**63**	**63**

क्र.	वर्ष	माह	योजना का नाम	बीज निगम, मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या	जमा कृषक अंश राशि संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
3	2024–25	दिसम्बर 2024	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	161	4	2	2
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	11	0		0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	30	3	3	3
			शाकम्भरी योजना	15	15	15	15
		योग		**217**	**22**	**20**	**20**
		जनवरी 2025	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	66	2		0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	6	5	5	5
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	45	12	12	12
			शाकम्भरी योजना	36	36	36	36
		योग		**153**	**55**	**53**	**53**
		फरवरी 2025	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	28	2	2	2
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	10	2	2	2
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	34	0		0
			शाकम्भरी योजना	153	152	152	152
		योग		**225**	**156**	**156**	**156**
		मार्च 2025	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	28	7	1	1
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	27	12	12	12
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	21	0		0
			शाकम्भरी योजना	25	23	23	23
		योग		**101**	**42**	**36**	**36**
		महायोग वर्ष 2024–25		**3993**	**1844**	**1670**	**1670**
4	2025–26 (दिनांक 30.06.2025 तक	अप्रैल 2025	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	0	0	0	0
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	0	0	0	0
			शाकम्भरी योजना	0	0	0	0
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	0	0	0	0
		योग		**0**	**0**	**0**	**0**
		मई 2025	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	1032	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	296	185	47	47
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	429	169	87	87
			शाकम्भरी योजना	40	38	14	14
		योग		**1797**	**392**	**148**	**148**
		जून 2025	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	100	0	0	0
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	20	3	3	3
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	55	0	0	0
			शाकम्भरी योजना	26	4	1	1
		योग		**201**	**7**	**4**	**4**
		महायोग वर्ष 2025–26 (दिनांक 30.06.2025 तक		**1998**	**399**	**152**	**152**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 16:56:14

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - चवालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 836) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	घटक/यंत्र का नाम	हितग्राहियों की संख्या	भुगतान की गई अनुदान राशि रू. लाख में
1	2	3	4	5	6	7
1	01.01.2024 से 31.03.2024	महासमुंद	राज्य पोषित फसल प्रदर्शन योजना	पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान रोपाई प्रदर्शन पर अनुदान	2	0.22500
			शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	73	7.18000
		पिथौरा	राज्य पोषित फसल प्रदर्शन योजना	पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान रोपाई प्रदर्शन पर अनुदान	6	0.48000
			शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	58	7.51000
		बागबाहरा	राज्य पोषित फसल प्रदर्शन योजना	पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान रोपाई प्रदर्शन पर अनुदान	3	0.42000
			शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	133	20.17000
		बसना		सिंचाई पंप	8	1.04000
		सरायपाली		सिंचाई पंप	76	9.78000
2	2024–25	महासमुंद	राज्य पोषित फसल प्रदर्शन योजना	पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान रोपाई प्रदर्शन पर अनुदान	2	0.15000
			शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	171	17.97000
		बागबाहरा	राज्य पोषित फसल प्रदर्शन योजना	पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान रोपाई प्रदर्शन पर अनुदान	5	0.52500
			शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	48	6.01000
		पिथौरा	शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	95	11.91000
		बागबाहरा	जैविक खेती मिशन	अधिका पैडी पीडर	450	5.86156
		बसना	शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	58	7.79000
		सरायपाली	शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	238	31.21000
3	01.04.2025 से 30.05.2025	निरंक				

Digitally signed by (विकास मिश्रा)
Vikas Mishra उप सचिव
Date: 10-07-2025छत्तीसगढ़ शासन
11:41:47 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - पैंतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 837) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	वर्ष	कार्य का नाम एवं स्थल	निविदा दर सहित स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय (लाख में)	रिमार्क
1	2022-23	अतिरिक्त प्रांगण अरेकेल में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य	20.31	0.00	तहसीलदार बसना द्वारा कार्य पर स्थगन आदेश
2		किसान कुटीर निर्माण कार्य ग्राम–लंबर	14.02	0.00	कार्य पूर्ण
3		किसान कुटीर निर्माण कार्य ग्राम–भूकेल	14.02	0.00	अप्रारंभ
4		किसान कुटीर निर्माण कार्य ग्राम–अंकोरी	14.02	0.00	अप्रारंभ
5		किसान कुटीर निर्माण कार्य ग्राम–सिंघनपुर	14.02	0.00	अप्रारंभ
6		किसान कुटीर निर्माण कार्य ग्राम–मंगरपुर	14.02	0.00	अप्रारंभ
		योग :–	90.41	0.00	
7	2023-24	स्वागत द्वार निर्माण कार्य मूलमंडी बसना	9.71	9.37	कार्य पूर्ण
8		स्वागत द्वार निर्माण कार्य उपमंडी सिंघनपुर	8.11	7.73	कार्य पूर्ण
		योग :–	17.82	17.10	
9	2024-25	ग्राम पौसरा में श्याम मलिक के घर से अल्हादिनी के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 250 मी.	5.96	0.00	अप्रारंभ
10		ग्राम छोटेडामा में आंगनबाड़ी भवन से रवि साव के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 280 मी.	10.06	8.17	कार्य पूर्ण
11		ग्राम खरोरा में सरदार के घर से लिम्हाई तालाब तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 280 मी.	9.99	9.95	कार्य पूर्ण
12		ग्राम सराईपाली में विशाल के घर से नरेश साहू के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 280 मी.	10.02	0.00	अप्रारंभ
13	2024-25	ग्राम पंचायत बुटीपाली के आश्रित ग्राम लोहारपाली तक सीसी रोड सह नाली निर्माण कार्य दूरी 75 मी.	9.38	0.00	कार्य पूर्ण
14		ग्राम मेदनीपुर में डीपापारा से चुड़ामणी के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 310 मी.	12.64	0.00	कार्य पूर्ण
15		ग्राम बंसुला आई.टी.आई से रेशम उद्योग तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 112 मी.	4.00	3.83	कार्य पूर्ण
16		ग्राम खेमड़ा में सुमाय बारीक के घर से रसीक के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 130 मी.	3.97	3.43	कार्य पूर्ण
17		ग्राम पंचायत अंकोरी चमरू घर से आत्माराम से डबरी तालाब तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 330 मी.	12.60	0.00	अप्रारंभ
18		ग्राम बड़ेडाभा में राजेश पटेल घर से अरूण पटेल घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 105 मी.	3.98	0.00	कार्य पूर्ण
19		ग्राम पलसापाली में निरंजन घर से सेतकुमार घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 135 मी.	5.00	3.54	कार्य पूर्ण
20		ग्राम बरोली में पंयायत घर से बाजार पड़ाव तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 120 मी.	4.87	4.87	कार्य पूर्ण
21		ग्राम सरकंडा में अरूण घर से पंचायत भवन तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 140 मी.	5.01	0.00	अप्रारंभ
22		ग्राम भैसाखुरी में कुसीर कुमार घर से मुंडु घर तक बीच गली से हरिजन मोहल्ला तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 150 मी. ।	5.08	0.00	कार्य पूर्ण
23		ग्राम गिघली में दण्डखेत से मंदिर तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 105 मी.	4.04	3.82	कार्य पूर्ण
24		ग्राम खरोरा में गोड़ पारा में आरक्षित घर से केन्दवही तालाब तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 355 मी.	12.55	11.41	कार्य पूर्ण

क्र.	वर्ष	कार्य का नाम एवं स्थल	निविदा दर सहित स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय (लाख में)	रिमार्क
25	2024-25	ग्राम मदरपाली में मधुसुदन पटेल के घर से शिव मंदिर तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 130 मी.	5.08	4.98	कार्य पूर्ण
26		ग्राम मोहका के आश्रित ग्राम बोहारपार में स्कूल से अरूण घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 90 मी.	3.63	0.00	कार्य पूर्ण
27		ग्राम सिंघनपुर में अर्जुन नर्मदा घर से जगदीश के घर से कमल घर तक वार्ड क्रं 9 से 10 तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 139 मी.	4.97	3.68	कार्य पूर्ण
28		ग्राम छुईपाली में ग्राम पंचायत से प्रभात कुमार साहू के घर तक सीसी रोड 145 मीटर	5.01	0.00	जनपद पंचायत बसना द्वारा कार्य कराया गया
29		ग्राम बैगनडीह में पद्मन दुकान से गाड़ापारा तक सीसी रोड 215 मी.	7.43	0.00	जनपद पंचायत बसना द्वारा कार्य कराया गया
30		ग्राम गौरटेक में संकरी मार्ग से कुम्हारी मार्ग तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 340 मी.	12.64	7.82	कार्य पूर्ण
31		ग्राम कुम्हारी में पूरनचंद घर से मिलाराम घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 135 मी.	5.14	0.00	कार्य प्रगतिरत है
32		ग्राम खुसरूपाली में खगेश्वर घर से गौठान तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 210 मी.	7.17	0.00	कार्य प्रगतिरत है
33		ग्राम बानीपाली में बस्ती से डेंग डीपा तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 81 मी. लागत रू. 2.41 लाख	2.51	2.27	कार्य पूर्ण
34		ग्राम मूकेल में एन.एच.–53 से गर्ल्स हास्टल तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 120 मी. लागत रू. 3.88 लाख	4.04	3.99	कार्य पूर्ण
35		ग्राम गिधापाली मे खेलपारा (इंद्रजीत घर) से डीपापारा तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 130 मी.	5.01	4.75	कार्य पूर्ण
36		ग्राम पिपलखुटा में तालाब रास्ता से सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 240 मी.	7.48	0.00	कार्य प्रगतिरत है
37		ग्राम बरोली में पोस्ट ऑफिस से हाट बाजार तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 170 मी.	6.05	0.00	कार्य पूर्ण
38		ग्राम कुदारीबाहरा में वैष्णव मंदिर से भैसादरहा पहंच मार्ग तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 105 मी.	5.04	0.00	कार्य प्रगतिरत है
39	2024-25	ग्राम कुरचुंडी में तिजराम घर से बीच गली तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 140 मी.	4.99	0.00	कार्य प्रगतिरत है
40		ग्राम कपसाखुटा में केशव घर से फादूराम के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य दूरी 140 मी.	4.99	0.00	कार्य पूर्ण
		योग :–	**210.33**	**76.51**	
41	2025-26 (जून–25 तक)	मूलमंडी प्रांगण बसना मे बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य	10.53	0.00	निविदा स्तर।
		योग :–	**10.53**	**0.00**	
		कुलयोग :–	**329.09**	**93.61**	

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2025
21:17:09

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - छियालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 850) की जानकारी

प्रपत्र

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत दिनांक 01/01/2024 से 30/06/2025 तक की अवधि में उद्योगों/खदानों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर किये गये निरीक्षण, पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

सरल क्रमांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत का विषय/विवरण	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता	पाई गई स्थिति का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	श्री रोशन सिंह यादव, रेवले स्टेशन आरपीएफ स्टेशन के बगल में जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	26/02/2024	मेसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस-रवान, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा से होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में।	10/07/2024	रसायनज्ञ	निरीक्षण के दौरान उद्योग में जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्था स्थापित एवं संचालित पाई गई। प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2.	श्री योगेश बोस, ग्राम-सेंदरी, बोरसी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	28/03/2024	मिल को बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे घर के बहुत नजदीक है।	10/07/2024	रसायनज्ञ	निरीक्षण के दौरान उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी स्थापित किया जाना पाया गया। निरीक्षण दिनांक तक उद्योग में उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना पाया गया। प्रदूषण की स्थिति नहीं पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
3.	कार्यालय महाप्रबंधक, बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त शिकायत	18/04/2024	ग्राम रिंगनी स्थित एपीएल अपोलो प्लांट से निकलने वाले जल के प्रदूषण के कारण खेतों में ट्यूब बेल से एसिडयुक्त पानी निकलने की शिकायत	12/08/2024	उप अभियंता एवं रसायनज्ञ	जिला प्रशासन के संयुक्त जांच दल के साथ निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान परिसर से लगे हुए खेतों में केमिकल युक्त दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया व केमिकल स्लज का जमाव होना नहीं पाया गया। साथ ही फसल नुकसान की स्थिति अवलोकित नहीं की गई व स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

4.	कार्यालय, सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, जिला- बलौदाबाजार- भाटापारा तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा से प्राप्त शिकायत (श्री बृजमोहन अग्रवाल, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा रायपुर) के द्वारा दिनांक 12/09/2024 की शिकायत)	27/11/2024	एपीएल अपोलो प्रा. लि. रिंगनी सिमगा से प्रभावित जनता के भू-जल प्रदूषित फसल नुकसान से संबंधित एपीएल अपोलो	02/12/2024	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	निरीक्षण के दौरान परिसर से लगे हुए खेतों में केमिकल युक्त दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया एवं केमिकल स्लज का जमाव होना नहीं पाया गया व स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
5.	श्री बृजमोहन अग्रवाल, माननीय सांसद महोदय से प्राप्त शिकायत	26/09/2024	सीमेंट फैक्ट्री द्वारा की जा रही अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत	17/10/2024	सहायक अभियंता एवं वैज्ञानिक	निरीक्षण के दौरान मेसर्स अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड ग्राम रवान में जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्था स्थापित एवं संचालित पाई गई। औद्योगिक दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर नहीं होना पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
6.	अनुविभागीय अधिकारी, सिमगा से दूरभाष पर प्राप्त शिकायत	22/01/2025	मेसर्स श्री रायपुर सीमेंट प्लांट (ए यूनिट ऑफ श्री सीमेंट लिमिटेड), ग्राम- खपराडीह तहसील- सिमगा, जिला- बलौदाबाजार- भाटापारा से ए.एफ.आर. के हेजार्डस वेस्ट से निकले दुर्गन्ध के सम्बन्ध में शिकायत।	22/01/2025	क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक अभियंता, वैज्ञानिक एवं जिला प्रशासन के संयुक्त दल	निरीक्षण के दौरान उद्योग में एएफआर भण्डारण क्षेत्र में हेजार्डस वेस्ट का रख-रखाव, हथालन नियमानुसार नहीं किया जाना पाया गया, हेजार्डस वेस्ट का खुले में भण्डारण एवं एएफआर भण्डारण क्षेत्र में हेजार्डस वेस्ट से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु ओडोर कंट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं पाये गये। सीमेंट मिल के आंतरिक मार्ग पर अत्यधिक मात्रा में डस्ट	स्थल पर पंचनामा तैयार किया जाकर क्लिन क्रमांक 2 एवं 3 तथा को-प्रोसेसिंग को बंद करने का निर्देशित दिया गया।

						का जमाव पाया गया।	
				14/02/2025	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्वय, मुख्य रसायनज्ञ (मंडल मुख्यालय) एवं मुख्य रसायनज्ञ, वैज्ञानिक	परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के तहत् जारी प्राधिकार/प्राधिकार नवीनीकरण में निहित शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया।	मंडल मुख्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 11203 दिनांक 27/02/2025 के माध्यम से उद्योग पर रुपये 4,00,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रस्तावित किया जाकर अनुमोदन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया गया है। अनुमोदन अपेक्षित है।
				25/02/2025	मुख्य रसायनज्ञ एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक	उद्योग द्वारा दिनांक 22/01/2025 को जारी निर्देश के अनुक्रम में समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	मंडल के पत्र क्रमांक 7473 दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 10,20,000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा उक्त राशि मंडल मुख्यालय में जमा की जा चुकी है।
7.	श्री खिलावन जायसवाल बलौदाबाजार-भाटापारा सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	21/05/2025	ग्राम ढाबाडीह खजुरी में स्थित मेसर्स अनिमेश स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के काला धुंआ के संबंध में	22/05/2025	सहायक अभियंता	प्रदूषण की स्थिति नहीं पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
8.	श्री खिलावन जायसवाल बलौदाबाजार-भाटापारा सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	26/05/2025	भरतपुर बुकलाही मोपका स्टील प्लांट के काला धुंआ से आसपास के ग्रामीण परेशान पावर प्लांट के अधिकारियों के उपर कार्यवाही	30/05/2025	वैज्ञानिक एवं उप अभियंता	निरीक्षण के दौरान स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर यथा ईएसपी एवं बैग फिल्टर्स संचालित पाया गया। आंतरिक मार्गों में जल छिडकाव हेतु वॉटर स्प्रींक्लर्स की व्यवस्था	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

						किया जाना पाया गया। जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	
9.	श्री हरीश चन्द्र सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	11/04/2025	मेसर्स राहुल राईस मिल, ग्राम-खोखली, तहसील-भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा की राईस मिल से हो रहे प्रदूषण के संबंध में।	14/05/2025	सहायक अभियंता एवं प्रभारी रसायनज्ञ	निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु साईक्लोनिक डस्ट कलेक्टर की स्थापना किया जाना पाया गया। जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
10.	श्री संतोष ध्रुव श्री काशीराम ध्रुव सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	13/04/2025	रियल इस्पात कंपनी से निकलने वाले धुएँ से होने वाला प्रदूषण को रोकने बाबत	16/05/2025	सहायक अभियंता एवं प्रभारी रसायनज्ञ	निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर संचालित पाये गये। आंतरिक मार्गों में जल छिड़काव हेतु वॉटर स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था किया जाना पाया गया। जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
11.	श्री कार्तिक राम ध्रुव सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	13/04/2025	रियल इस्पात कंपनी से निकलने वाले धुएँ से होने वाला प्रदूषण को रोकने बाबत	16/05/2025	सहायक अभियंता एवं प्रभारी रसायनज्ञ	निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर संचालित पाये गये। आंतरिक मार्गों में जल छिड़काव हेतु वॉटर स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था किया जाना पाया गया। जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
12.	श्री नीलकंठ वर्मा सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	18/04/2025	अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री रावण द्वारा पर्यावरण को हो रहे नुकसान	06/05/2025	वैज्ञानिक एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण के दौरान जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु न्यूट्रालाईजेशन पिट एवं एस.टी.पी. संचालित पाया गया। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ईएसपी बैग फिल्टर्स एवं रिवर्स एयर बैग हाऊस संचालित पाये गये। चिमनियों में स्थापित	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

						सीईएमएस में पार्टिकुलेट मैटर एवं अन्य प्रदूषकों की मात्रा निर्धारित मानकों के भीतर पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।	
13.	श्री रवि शर्मा सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	12/04/2025	जय दुर्गा राईस मिल के सम्बन्ध में	22/05/2025	सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
14.	श्री धन्नू बंजारे सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	13/04/2025	पोहा मिल के प्रदूषण के संबंध में	30/05/2025	वैज्ञानिक एवं उप अभियंता	निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति सामान्य अवलोकित की गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
15.	श्री ध्रुव कुमार वर्मा सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	13/04/2025	संचालित राईस मिल का काला धुआँ घरो तक पंहुच रोक हेतु आवेदन।	08/05/2025	कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी रसायनज्ञ	निरीक्षण दौरान जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
16.	श्री बलिराम वर्मा सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	13/04/2025	प्रदुषण युक्त कंपनी रोक लगाने बाबत।	03/05/2025	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	निरीक्षण के दौरान उद्योग में गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया से दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. संचालित पाया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
17.	श्री राकेश कुमार साहू सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	09/04/2025	वंदना मिल के धुआँ से पर्यावरण प्रदुषण एवं तबियत खराब होने बाबत।	03/05/2025	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	निरीक्षण दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ऐश चेम्बर, डस्ट कलेक्टर की व्यवस्था की गई है। स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
18.	श्री धन्नू ध्रुव सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	11/04/2025	महामाया मंदिर के पास स्थापित मिल का राखर को बंद कराने का कस्ट करे	03/05/2025	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	उद्योग अल्प प्रदूषणकारी प्रकृति का है, तत्पश्चात भी उद्योग में चिमनी की स्थापना की गई। स्थिति सामान्य अवलोकित की गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
19.	श्री शनि नेताम सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	17/04/2025	ईट भट्टा से हो रहे वायु प्रदूषण के संबंध में	05/05/2025	सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण के दौरान फ्लाई ऐश आधारित ब्रिक्स निर्माण इकाई संचालित पाई गई। उद्योग परिसर में फ्लाई ऐश डस्ट ग्राम देवरी	मंडल के पत्र क्रमांक 1226 दिनांक 06/05/2025 के माध्यम से फ्लाई ऐश

						मार्ग की ओर अव्यवस्थित भण्डारित पाया गया।	(डस्ट) के समुचित भण्डारण व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
				09/06/2025	सहायक अभियंता	दिनांक 09/06/2025 को निरीक्षण के दौरान फ्लाई ऐश (डस्ट)का समुचित भण्डारण किया जाता पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
20.	श्री सलीम नेताम सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	17/04/2025	डामर प्लांट से हो रहे प्रदूषण के संबंध में	05/05/2025	सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण के दौरान मंडल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये बगैर हॉट मिक्स प्लांट स्थापित पाया गया।	मंडल के पत्र पत्र क्रमांक 1228 दिनांक 06/05/2025 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा '31क' के तहत् निर्देश पत्र जारी किया गया है।
21.	श्री हेमंत ध्रुव मंशाराम सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	17/04/2025	मेसर्स अनिमेष इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, (पूर्व नाम-मेसर्स साउथ एशियन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड), ग्राम-खजुरी, तहसील-बलौदाबाजार से हो रहे पर्यावरण प्रदुषण के संबंध में	05/05/2025	सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण के दौरान कोल हेण्डलिंग एरिया में फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन अवलोकित किया गया एवं ऐश साईलो क्षतिग्रस्त होने के कारण ऐश हेण्डलिंग एरिया में भी फ्यूजिटिव डस्ट का उत्सर्जन अवलोकित किया गया।	मंडल के पत्र कमांक 1180 दिनांक 05/05/2025 के माध्मय से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा '31क' के तहत् नोटिस पत्र जारी किया गया है।
				22/05/2025	सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक	नोटिस के परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किया जाना	मंडल द्वारा दिनांक 05/05/2025 के माध्यम से

						पाया गया।	नोटिस जारी दिनांक से समाधानकारक कार्यवाही तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 1,36,000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा उक्त राशि मंडल में जमा कर दी गई है।
22.	श्री पांचो वर्मा, श्रीमती शकुंतला वर्मा, श्रीमती पूजा वर्मा, श्रीमती जानकी साहू, श्रीमती पुष्पा वर्मा, श्रीमती शशि वर्मा सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	20/04/2025	ग्राम पंचायत भद्रापाली मे अंबुजा अडानी सिमेंट प्लांट नजदीक होने के कारन कंपनी से बहुत ज्यादा बदबू फैलने के कारण तबीयत खराब होने के संबंध में	03/05/2025	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	निरीक्षण के दौरान एफ.एफ.आर मटेरियल के हथालन के कारण प्लांट परिसर से लगे ग्राम भद्रापाली स्थित पंचायत भवन के आस-पास के क्षेत्र में दुर्गन्ध की समस्या पाई गई तथा शेड के भीतर हाउसकीपिंग व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई।	मंडल के पत्र क्रमांक 1066 दिनांक 03/05/2025 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा '31क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
				16/05/2025	सहायक अभियंता एवं प्रभारी रसायनज्ञ	नोटिस के परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	मंडल द्वारा दिनांक 29/05/2025 के माध्यम से नोटिस जारी दिनांक से समाधानकारक कार्यवाही तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 1,56,000/- अधिरोपित की गई। क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
23.	श्री राजेंद्र कुमार वर्मा श्री केशव प्रसाद वर्मा सुशासन तिहार 2025 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	09/04/2025	ग्राम परसवानी स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र के क्रशर से अत्यधिक मात्रा में हो रहे डस्ट उत्सर्जन के संबंध में	06/05/2025	वैज्ञानिक एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण के दौरान क्रशर प्लांट संचालित पाया गया, क्रशर प्लांट में वॉटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था किया जाना पाया गया। ट्रांसफर प्वाईंट्स पर बैग फिल्टर स्थापित किया किया जाना पाया गया,	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

						कनवेयर बेल्ट कवर्ड पाया गया है। प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई व स्थिति सामान्य पाई गई।	
24.	द्वारिका प्रसाद सुमित कुमार जोशी संदीप बंजारे अमर घृतलहरे सुनील घृतलहरे	09/04/2025	मालदी मोपर खदान से हो रहे प्रदूषण के संबंध में	05/05/2025	सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण के दौरान स्थापित क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर संचालित पाया गया। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना पाया गया। प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई व स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
25.	कार्यालय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त शिकायत	06/06/2025	न्यू विस्टा लिमिटेड रिसदा सीमेंट संयंत्र के द्वारा गीला कचरा के भंडारण के संबंध में	09/06/2025	सहायक अभियंता	निरीक्षण के दौरान एफआर भंडारण क्षेत्र में आरडीएफ (घरेलू ठोस अपशिष्ट) अत्यधिक मात्रा में खुले में भंडारित पाया गया, दुर्गंध की समस्या एवं जल का जमाव पाया गया, हाउसकीपिंग व्यवस्था उचित नहीं पाया गया।	मंडल के पत्र क्रमांक 2345 दिनांक 13/06/2025 के माध्यम से उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत नोटिस जारी किया गया है।
				24/06/2025	वैज्ञानिक	नोटिस के परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	मंडल द्वारा दिनांक 07/07/2025 के माध्यम से नोटिस जारी दिनांक से समाधानकारक कार्यवाही तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 1,80,000/- अधिरोपित की गई। क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - सैंतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 853) की जानकारी

प्रपत्र

कौशल्या माता विहार अंतर्गत आवसीय योजना में फ्लैटों के निर्माण की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	फ्लैट्स की संख्या	कार्यादेश दिनाक	कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि	कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि से विलंब की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-04 में 512 एल.आई.जी. 3 बीएचके अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	512 एल.आई.जी -2 3 बीएचके	08.02.2018	07.02.2021	31.10.2022	01 वर्ष 08 माह 24 दिन
2	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-04 में 768 एल.आई.जी. 2 बीएचके अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	768 एल.आई.जी -1 2 बीएचके	08.02.2018	07.02.2021	31.03.2023	02 वर्ष 01 माह 24 दिन
3	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-04 में 128 यूनिट 2 बीएचके ई.डब्लयू.एस अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	128 ई.डब्लयू.एस 2 बीएचके	22.02.2018	21.02.2020	15.12.2021	01 वर्ष 09 माह 24 दिन
4	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-04 में 640 यूनिट 2 बीएचके ई.डब्लयू.एस अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	640 यूनिट 2 ई.डब्लयू.एस 2 बीएचके	11.01.2019	10.01.2022	15.12.2024	02 वर्ष 11 माह 05 दिन
5	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-02 में 416 यूनिट एल.आई.जी 3 बीएचके अपार्टमेंट एवं 2 बीएचके एल.आई.जी.-1 का निर्माण कार्य।	416 एल.आई.जी-2 3बीएचके अपार्टमेंट एवं 128 एल.आई.जी-1 2बीएचके	20.12.2018	19.12.2021	224 यूनिट पूर्ण 320 यूनिट निर्माणाधीन	-
6	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-7ए में 96 यूनिट एल.आई.जी. 3 बीएचके अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	96 एल.आई.जी-2 3बीएचके	20.12.2018	19.06.2020	05.11.2023	03 वर्ष 04 माह 17 दिन
7	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-08ए में 320 यूनिट एल.आई.जी.-2 3 बीएचके अपार्टमेंट एवं 128 यूनिट 2बीएचके एल.आई.जी.-1 का निर्माण कार्य।	320 एल.आई.जी.-2 3बीएचके, 128 एल.आई.जी.-1 2बीएचके	20.12.2018	19.12.2021	31.07.2024	02 वर्ष 07 माह 12 दिन

8	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-10 में 544 यूनिट एल.आई.जी.-2. 3 बीएचके अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	544 एल.आई.जी.-2. 3 बीएचके	20.12.2018	19.12.2021	10.10.2023	01 वर्ष 09 माह 21 दिन
9	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-14ए में 256 यूनिट यूनिट 2बीएचके ई.डब्लयू.एस अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	256 ई.डब्लयू.एस 2बीएचके	20.12.2018	19.12.2021	31.03.2025	03 वर्ष 03 माह 12 दिन
10	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार याजेना के सेक्टर-08बी में 128 यूनिट एल.आई.जी.-2. 3बीएचके अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	128 एल.आई.जी.-2. 3बीएचके	22.12.2018	21.12.2020	30.09.2024	03 वर्ष 09 माह 09 दिन
11	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार याजेना के सेक्टर-01 में 448 एल.आई.जी.-2 3बीएचके अपार्टमेंट एवं 64 यूनिट 2बीएचके ई.डब्लयू.एस का निर्माण कार्य।	448 एल.आई.जी.-2 3बीएचके. 64 ई.डब्लयू.एस 2बीएचके	09.01.2019	08.01.2022	15.07.2023	01 वर्ष 06 माह 07 दिन
12	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-14बी में 192 यूनिट एल.आई.जी.-2. 3बीएचके अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	192 एल.आई.जी.-2. 3बीएचके	11.01.2019	10.01.2021	20.12.2024	03 वर्ष 11 माह 10 दिन
13	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार याजेना के सेक्टर-11बी में 768 यूनिट 2बीएचके ई.डब्लयू.एस अपार्टमेंटका निर्माण कार्य।	768 2बीएचके ई.डब्लयू.एस	13.02.2019	12.02.2022	15.12.2024	02 वर्ष 10 माह 03 दिन
14	प्राधिकरण की कौशल्या माता विहार (कमल विहार) योजना के अंतर्गत सेक्टर-13 में 288 यूनिट एल.आई.जी 3 बी.एच.के. का निर्माण कार्य।	288 एल.आई.जी-2 3 बी.एच.के	24.07.2023	24.07.2025		
	योग	5824				

टीप:-

1. सरल क्र. 5 में उल्लेखित 416-3बी.एच.के. + 128-2बी.एच.के. कुल प्रस्तावित 544 यूनिट में से 224 यूनिट का आधिपत्य दिया जा रहा हैं। शेष 320 यूनिट निर्माणाधीन हैं।
2. सरल क्र. 14 में उल्लेखित सेक्टर-13 में निर्माणाधीन 228 यूनिट एल.आई.जी. फ्लैट्स की पूर्णता की निर्धारित तिथि 24.07.2025 हैं।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - अड़तालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 879) की जानकारी

प्रपत्र –अ

खरीफ वर्ष 2025 में जून 2025 की स्थिति में सहकारी एवं निजी क्षेत्र का उर्वरकवार लक्ष्य, भण्डारण एवं वितरण की जानकारी

क्र.	उर्वरक का नाम	संस्था का नाम	विवरण	मात्रा (मी.टन)
1	2	3	4	5
1	यूरिया	सहकारी	लक्ष्य	453550
			भंडारण	291272
			वितरण	204567
		निजी	लक्ष्य	258450
			भंडारण	272964
			वितरण	163339
2	डीएपी	सहकारी	लक्ष्य	235000
			भंडारण	91979
			वितरण	62698
		निजी	लक्ष्य	75000
			भंडारण	56921
			वितरण	40947
3	एन.पी.के.	सहकारी	लक्ष्य	115000
			भंडारण	105152
			वितरण	76887
		निजी	लक्ष्य	65000
			भंडारण	82051
			वितरण	52845
4	एम.ओ.पी.	सहकारी	लक्ष्य	46360
			भंडारण	55692
			वितरण	32570
		निजी	लक्ष्य	13640
			भंडारण	17455
			वितरण	10731
5	एस.एस.पी. (समस्त)	सहकारी	लक्ष्य	100000
			भंडारण	129306
			वितरण	71477
		निजी	लक्ष्य	100000
			भंडारण	123138
			वितरण	50100
	महायोग	सहकारी	लक्ष्य	949910
			भंडारण	673401
			वितरण	448199
		निजी	लक्ष्य	512090
			भंडारण	552529
			वितरण	317962

Digitally signed by Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
Date: 10-07-2025 15:07:45

उप सचिव
विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

खरीफ 2025 बीज उपार्जन (क्रय दर) एव विक्रय दर की जानकारी

क्र.	उर्वरक का नाम	उर्वरक (क्रय दर) (प्रति टन)	विक्रय दर (प्रति टन)
1	2	3	4
1	यूरिया	**5,550.52**	**5,922.22**
2	डी.ए.पी.	**26,475.00**	**27,000.00**
3	एन.पी.के. 12:32:16	**33,875.00**	**34,400.00**
4	एन.पी.के. 20:20:0:13	**25,475.00**	**26,000.00**
5	एम.ओ.पी.	**30,175.00**	**30,700.00**
6	एस.एस.पी. पावर	**9,270.00**	**9,480.00**
7	एस.एस.पी. दांनेदार	**10,110.00**	**10,320.00**
8	जिंकेटेड एस.एस.पी. पावडर	**9,690.00**	**9,900.00**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
15:09:10

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

खरीफ वर्ष 2024 दिनांक 30.09.2024 की स्थिति में रासायनिक उर्वरकों का जिलेवार स्कंध

(मात्रा मी.टन)

क्र.	जिला का नाम	यूरिया	डीएपी	एम.पी.के.	एम.ओ.पी.	एस.एस.पी. (समस्त)	महायोग
1	2	4	5	6	7	8	9
1	रायपुर	24329	8862	12471	11755	18534	75950
2	गरियाबंद	5002	168	1082	200	1722	8175
3	बलौदाबाजार	15450	2274	4102	1375	6097	29298
5	महासमुंद	13426	1419	1337	325	4653	21159
6	धमतरी	9037	581	1185	569	2418	13790
7	दुर्ग	3512	176	506	775	1969	6938
8	बालोद	3543	1339	858	562	2533	8836
9	बेमेतरा	3181	1282	760	735	1915	7872
10	राजनांदगांव	3834	531	805	539	2065	7773
11	खैरागढ़	2058	216	41	104	1336	3754
12	मानपुर–मोहला	1033	284	12	88	2227	3644
13	कवर्धा	2836	1008	695	594	1409	6542
14	बिलासपुर	8708	884	1602	510	1950	13655
15	गौरेला पेण्ड्रा	104	129	97	23	801	1153
16	मुंगेली	784	297	876	201	1114	3272
17	जांजगीर चांपा	811	317	877	315	2097	4417
18	सक्ती	4228	852	634	310	1566	7589
19	कोरबा	156	107	141	110	1275	1789
20	रायगढ	3110	989	1757	694	2500	9050
4	सारंगढ़	3176	579	169	204	701	4828
21	सरगुजा	2666	1345	2218	1592	4314	12135
22	सूरजपुर	8061	2006	1079	118	2324	13587
23	बलरामपुर	6357	1180	1194	325	3586	12642
24	कोरिया	1361	249	321	42	201	2173
25	मनेन्द्रगढ़	372	225	270	37	347	1251
26	जशपुर	701	170	212	85	765	1934
27	जगदलपुर	3849	632	123	1103	521	6228
28	कोंडागांव	3384	865	502	330	1062	6142
29	कांकेर	6290	669	220	796	2758	10733
30	दंतेवाडा	0	0	0	0	0	0
31	सुकमा	271	19	150	8	23	471
32	बीजापुर	168	148	63	48	64	491
33	नारायणपुर	206	6	51	40	79	383
महायोग		142001	29808	36410	24511	74923	307655

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 15:12:40

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

खरीफ वर्ष 2025 में जून 2025 की स्थिति में किस्मवार बीज भण्डारण एवं वितरण की जानकारी

(मात्रा क्विं. में)

क्र.	फसल	किस्म	मांग	भण्डारित बीज की मात्रा	बीज प्राप्ति के स्त्रोत	वितरित बीज की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1	धान	सी.जी.देवभोग	7,731.13	3,770.70	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	2,970.40
		दूबराज सलेक्शन–1	267.84	28.20		27.90
		बादशाह भोग – 1	35.00	22.80		17.40
		विष्णुभोग –1	1,018.81	42.90		28.50
		सी.जी.जयाफूल	6.17	61.50		41.10
		तरूण भोग–1	-	5.70		-
		ट्राम्बे छत्तीसगढ़	-	1.20		1.20
		जयाफूल म्यूटेंट	-	52.80		25.80
		सी.आर. धान 310	50.00	-		-
		एम.टी.यू.–1156	14,889.08	15,212.00		10,057.76
		एम.टी.यू.–1223	502.50	-		-
		एम.टी.यू.–1239	1,920.00	248.70		181.60
		एम.टी.यू.–1358	1,924.59	5,200.80		4,102.90
		आई.जी.के.व्ही.आर–2	435.80	284.40		252.30
		सी. आरधान 311	9.00	-		-
		सी.जी. 1919	1,559.45	1,217.10		661.30
		सी. जी.. मधुराज धान 55	44.00	-		-
		जिंक राईस एम.एस.	132.25	2.10		2.10
		जिंक राईस –1	12.48	-		-
		जिंक राईस –2	285.75	-		-
		प्रोटोजिन	835.00	584.10		474.60

क्र.	फसल	किस्म	मांग	मण्डारित बीज की मात्रा	बीज प्राप्ति के स्त्रोत	वितरित बीज की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1	धान	हाईब्रिड	20.00	40.80	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	29.10
		विकम टी.सी.आर.	3,043.17	4,061.40		3,181.65
		सी.जी. सोनगाठी	-	633.30		364.00
		सी.जी. तेजस्वी	-	4.20		4.20
		पी.के.व्ही. एच.एम.टी.	1,375.78	1,136.30		684.20
		एम.टी.यू.–1010	76,938.91	54,008.60		36,190.44
		आई.आर.–64	13,715.97	11,556.90		6,991.25
		आई.जी.के.व्ही.आर.–1244	-	255.90		21.80
		इंदिरा बरानी धान	69.60	-		-
		इंदिरा एरोबिक धान	898.50	527.70		447.30
		महामाया	37,874.63	33,302.60		29,483.80
		एम.टी.यू.–1153	2,614.81	1,095.60		651.90
		एम.टी.यू.–7029 स्वर्णा	243,539.40	279,999.40		257,204.35
		स्वर्णा सब–1	24,220.40	23,788.30		20,350.47
		आई.जी.के.व्ही.आर.–1	3,104.36	1,281.00		1,030.57
		राजेश्वरी	1,426.30	276.60		32.70
		एम.टी.यू.–1001	36,053.22	21,237.35		16,972.18
		कर्मा मासूरी	-	-		-
		बी.पी.टी. 5204	214.00	-		-
		सम्पदा	643.70	-		-
		टी.आर.आर.–64	971.50	2,323.50		975.00
		बम्लेश्वरी	-	-		-
		एम.टी.यू.–1075	-	30.00		-
		योग	**478,383.10**	**462,294.45**		**393,459.77**

क्र.	फसल	किस्म	मांग	मण्डारित बीज की मात्रा	बीज प्राप्ति के स्त्रोत	वितरित बीज की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
2	कोदो	इंदिरा कोदो–1	1,488.05	963.12	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	662.84
		छ.ग. कोदो	67.00	0.54		-
		योग	**1,555.05**	**963.66**		**662.84**
3	कुटकी	छ.ग. कुटकी–2	246.70	-		-
		योग	**246.70**	**-**		**-**
4	रागी	वी.एल.मदुवा–379	646.80	-		-
		सी.जी. रागी	1,940.62	-		11.80
		सी.जी. रागी 2	-	24.00		12.00
		सी.जी. रागी 3	-	665.12		250.16
		इंदिरा रागी–1	42.00	-		-
		योग	**2,629.42**	**689.12**		**273.96**
5	अरहर	वी.डी.एन. 716	72.22	20.92		18.60
		सी.जी.अरहर	1,428.02	637.64		301.88
		भीमा (जी.आर.जी. 152)	69.86	117.16		80.96
		भीमा 153	139.45	-		-
		आई.पी.ए. 15–06	1.27	0.12		0.12
		राजीव लोचन	513.58	115.04		46.52
		पी.ए.291	-	2.40		-
		योग	**2,224.40**	**893.28**		**448.08**
6	उड़द	इंदिरा उड़द–1	2,251.35	1,068.10		688.58
		कोटा उड़द–3	95.53	0.16		0.16
		आर. वी. 3–14	-	10.00		10.00
		उड़द आर.यू.–03–14	168.52	-		-
		योग	**2,515.40**	**1,078.26**		**698.74**

क्र.	फसल	किस्म	मांग	भण्डारित बीज की मात्रा	बीज प्राप्ति के स्त्रोत	वितरित बीज की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
7	मूंग	शिखा	1,086.98	117.78	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	85.32
		पी.एम.–10	51.92	-		-
		आई.पी.एम.–418	14.04	-		-
		आई.पी.एम.–410–3	157.00	-		-
		एम.एच.–1142	36.00	-		-
		एस.एम.एल.–668	94.00	-		-
		योग	**1,439.94**	**117.78**		**85.32**
8	सोयाबीन	सी. जी. सोया–1	220.00	4.00		4.00
		आर. एस.सी. 10–52	72.77	-		-
		जे.एस. 20116	-	300.00		230.50
		एन.आर.सी.–128	5.00	-		-
		आर.वी.एस.एम. 1135	-	300.00		300.00
		जे.एस. 2098	-	69.30		69.30
		राज सोया–24	135.80	-		-
		जे.एस. 9305	59.29	45.00		45.00
		जे.एस. 9560	1,599.38	546.30		469.50
		जे.एस. 2034	70.00	203.40		203.40
		योग	**2,162.24**	**1,468.00**		**1,321.70**

क्र.	फसल	किस्म	मांग	मण्डारित बीज की मात्रा	बीज प्राप्ति के स्त्रोत	वितरित बीज की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
9	मूंगफली	के–1812	-	3,187.90		2,863.10
		सी.जी. मूंगफली	-	90.00		90.00
		के 9	845.50	-		-
		मल्लिका	2.00	-		-
		धारनी	570.20	3.20		3.20
		टी.जी. 37 ए	20.00	-		-
		के 6	99.00	-		-
		योग	**1,536.70**	**3,281.10**		**2,956.30**
10	कुल्थी	सी.जी. कुल्थी–2	43.98	0.32		0.32
		योग	**43.98**	**0.32**		**0.32**
11	तिल	टी.के.जी. 308	-	3.00	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	3.00
		आर. टी.–372	-	-		-
		उन्नत रामा	-	17.00		14.50
		टी.के.जी. 55	27.32	-		-
		जी. टी. पी.के.डी.ए. 11	10.00	-		-
		जी.टी.–10	26.00	-		-
		जी.टी.–22	10.00	-		-
		जी.टी.–5	19.55	-		-
		जी.टी.–3	9.40	-		-
		योग	**102.27**	**20.00**		**17.50**
12	रामतिल	जे.एन.एस.–30	219.60	17.40		2.40
		जे.एन.एस.–9	-	12.96		12.96
		योग	**219.60**	**30.36**		**15.36**
13	सन/ढेंचा	एस.यू.–एन. 53	1,838.74	7.50	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	7.50
		जे.आर.सी.–610	160.00	-		-
		योग	**1,998.74**	**7.50**		**7.50**
	महायोग		**495,057.53**	**470,843.83**		**399,947.39**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 15:14:06

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–इ

खरीफ 2025 बीज उपार्जन (क्रय दर) एव विक्रय दर की जानकारी

(दर प्रति क्विंटल)

क्र.	फसल		बीज उपार्जन (क्रय दर) (रू.)	विक्रय दर (रू.)
1	2		3	4
1	धान मोटा	समस्त किस्में	3,043	3,550
2	धान पतला	समस्त किस्में	3,211	4,030
3	धान सुगन्धित	समस्त किस्में	3,664	4,650
4	कोदो	समस्त किस्में	5,711	7,300
5	रागी	समस्त किस्में	5,711	4,500
6	उड़द	10 वर्ष के अन्दर	10,000	11,300
		10 वर्ष के ऊपर	8,650	
7	मूंग	10 वर्ष के अन्दर	11,057	11,400
		10 वर्ष के ऊपर	9,932	
8	कुल्थी	समस्त किस्में	5,750	7,750
9	सोयाबीन	समस्त किस्में	7,033	7,400
10	मूगफली	समस्त किस्में	9,500	11,900
11	तिल	समस्त किस्में	11,010	19,300
12	रामतिल	समस्त किस्में	9,675	13,000
13	ढेंचा	समस्त किस्में	-	9,900
14	सनइ	समस्त किस्में	6,000	11,600
15	अरहर	10 वर्ष के अन्दर	10,600	11,800
		10 वर्ष के ऊपर	10,002	12,500

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
15:15:10

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–क

खरीफ सीजन 2024 में वितरण हेतु शेष बीज मात्रा की जानकारी

(मात्रा क्वि. में)

क.	जिला	बचत बीज मात्रा									
		धान	कोदो कुटकी	रागी	अरहर	उड़द	मूंग	सोयाबीन	मूंगफली	सन	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रायपुर	1,978.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,978.50
2	गरियाबंद	907.80	-	-	-	-	-	-	-	-	907.80
3	महासमुंद	1,926.90	-	110.40	-	-	2.04	-	-	-	2,039.34
4	धमतरी	768.30	-	-	-	-	-	-	-	-	768.30
5	दुर्ग	34.80	-	-	0.04	-	1.30	40.60	-	2.18	78.92
6	बालोद	1,595.00	3.26	-	24.40	0.64	4.60	-	-	-	1,627.90
7	बेमेतरा	154.50	3.12	-	-	1.92	-	-	-	-	159.54
8	राजनांदगांव	570.60	-	-	-	-	-	52.40	-	-	623.00
9	खैरागढ़	74.10	-	-	0.28	-	-	259.20	-	-	333.58
10	कबीरधाम	456.60	-	11.52	14.36	-	-	31.80	-	-	514.28
11	बिलासपुर	968.24	464.00	-	-	-	0.90	-	-	-	1,433.14
12	मुंगेली	160.50	506.80	-	-	5.84	-	-	2.50	-	675.64
13	जांजगीर–चांपा	84.90	-	-	-	-	-	-	-	-	84.90
14	कोरबा	152.10	-	-	-	-	-	-	-	13.60	165.70
15	रायगढ़	1,690.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1,690.20
16	सारंगढ़	612.60	-	303.80	-	-	-	-	100.10	-	1,016.50
17	सरगुजा	1,025.10	86.20	38.74	2.00	-	-	-	-	-	1,152.04
18	कोरिया	931.80	-	-	-	-	-	-	-	-	931.80
19	बलरामपुर	167.70	-	-	-	-	-	-	-	-	167.70
20	जशपुर	664.20	150.00	59.44	-	-	-	-	-	-	873.64
21	जगदलपुर	1,423.25	156.00	9.72	25.36	89.60	-	-	-	42.10	1,746.03
22	कोण्डागांव	425.00	-	231.98	-	-	23.00	-	63.50	-	743.48
23	दंतेवाड़ा	-	-	0.04	8.12	-	-	-	-	-	8.16
24	कांकेर	2,574.90	476.52	-	0.12	-	-	-	-	-	3,051.54
	योग	**19,347.59**	**1,845.90**	**765.64**	**74.68**	**98.00**	**31.84**	**384.00**	**166.10**	**57.88**	**22,771.63**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 15:17:25

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - उन्चास

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 313) की जानकारी

प्रपत्र

क.	चयनित ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	छिन्दौली	छिन्दौली	महासमुन्द
2	धोडारी	धोडारी	महासमुन्द
3	पचरी	पचरी	महासमुन्द
4	साराडीह	साराडीह	महासमुन्द
5	शंकरपुर	कटंगतराई	पिथौरा
6	बालसी	बालसी	सरायपाली
7	सिंघोडा	सिंघोडा	सरायपाली

अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–अ

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	योजना का नाम	यंत्रो का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	पात्र कृषक संख्या	अपात्र कृषक संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	शेष प्रकरण	
									संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	महासमुंद	2023–24	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	कम्बाईन हार्वेस्टर	11	11	0	2	0	वर्ष 2023–24 में कुल 374 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से कुल 102 कृषकों को कृषि यंत्र प्राप्त हुये, शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने, भौतिक लक्ष्य के अभाव व कार्य अनुमोदन नहीं होने पर वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत स्वमेव निरस्त हो गये।
				कल्टीवेटर	1	1	0	0	0	
				मिनी राईस मिल	88	88	0	32	0	
				पॉवर टिलर	2	2	0	1	0	
				पॉवर वीडर	2	2	0	2	0	
				रोटावेटर	9	9	0	4	0	
				स्व–चलित राईस ट्रांसप्लांटर	10	10	0	4	0	
				थ्रेसर	30	30	0	18	0	
				ट्रैक्टर	221	221	0	39	0	
			योग		**374**	**374**	**0**	**102**	**0**	
			कृषि यॉत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों.–4) योजनान्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	निरंक						
			प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	–	695	483	212	483	0	
		योग (वर्ष 2023–24)			**1069**	**857**	**212**	**585**	**0**	

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	योजना का नाम	यंत्रो का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	पात्र कृषक संख्या	अपात्र कृषक संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	शेष प्रकरण	
									संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	महासमुंद	2024–25	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	कम्बाईन हार्वेस्टर	13	13	0	0	0	वर्ष 2024–25 में कुल 433 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से कुल 55 कृषकों को कृषि यंत्र प्राप्त हुये, शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने, भौतिक लक्ष्य के अभाव व कार्य अनुमोदन नहीं होने पर वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत स्वमेव निरस्त हो गये।
				कल्टीवेटर	5	5	0	2	0	
				मिनी राईस मिल	56	56	0	1	0	
				पॉवर टिलर	1	1	0	0	0	
				पॉवर वीडर	8	8	0	4	0	
				रोटावेटर	21	21	0	8	0	
				स्व–चलित राईस ट्रांसप्लांटर	6	6	0	1	0	
				थ्रेसर	32	32	0	22	0	
				ट्रैक्टर	291	291	0	17	0	
			योग		**433**	**433**	**0**	**55**	**0**	
			कृषि यॉत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों.–4) योजनान्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	2	1	0	1	1	1 आवेदक द्वारा योजना का लाभ लेने से इंकार
				कल्टीवेटर						
				सीडड्रिल						
				स्प्रेयर						
				कम्बाईन हार्वेस्टर						
			प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	–	3596	2757	839	2757		
			योग (वर्ष 2024–25)		**4031**	**3191**	**839**	**2813**	**1**	

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	योजना का नाम	यंत्रो का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	पात्र कृषक संख्या	अपात्र कृषक संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	शेष प्रकरण	
									संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	महासमुंद	2025–26 (दिनांक 01.04.2025 से 30.06.2025 तक)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	कम्बाईन हार्वेस्टर	11	11	0	0	11	शेष 323 कृषकों के आवेदन प्रक्रियाधीन है, जिनका निराकरण भौतिक लक्ष्य की उपलब्धता के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है।
				कल्टीवेटर	8	8	0	0	8	
				मिनी राईस मिल	9	9	0	0	9	
				पॉवर टिलर	1	1	0	0	1	
				पॉवर वीडर	17	17	0	0	17	
				रोटावेटर	12	12	0	0	12	
				स्व–चलित राईस ट्रांसप्लांटर	2	2	0	0	2	
				थ्रेसर	33	33	0	0	33	
				ट्रैक्टर	230	230	0	0	230	
			योग		**323**	**323**	**0**	**0**	**323**	
			कृषि यॉत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों.–4) योजनान्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	निरंक						
			प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि		230	99	131	99		
		योग (वर्ष 2025–26 दिनांक 01.04.2025 से 30.06.2025 तक)			**553**	**422**	**131**	**99**	**323**	
महायोग					**5653**	**4470**	0	**3497**	**323**	

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
18:44:24

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

विधानसभा क्षेत्र महासमुंद के अंतर्गत कृषि यंत्र हेतु प्राप्त आवेदन की संशोधित जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	आवेदन का विवरण				
				प्राप्त आवेदन की संख्या	पात्र आवेदन की संख्या	अपात्र आवेदन की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या	लाभान्वित किये जाने हेतु शेष कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2023–24	–	–	0	0	0	0	0
2	2024–25	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पावर स्प्रेयर)	महासमुंद	1	1	0	1	0
3	2025–26 (जून 2025 तक)	–	–	0	0	0	0	0
	योग :–			**1**	**1**	**0**	**1**	**0**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
18:45:37

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - इन्कयावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 415) की जानकारी

प्रपत्र

जिला धमतरी, सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त मांग/शिकायतों की जानकारी

क्र.	आवेदन दिनांक	नाम	विषय	विकासखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1	10/04/2025	मोतीराम ध्रुव	कुकरेल छात्रावास में अहाता निर्माण बाबत्।	नगरी	कुकरेल	कुकरेल
2	10/04/2025	मोतीराम ध्रुव	कुकरेल छात्रावास में छात्रावास भवन निर्माण बाबत्।	नगरी	कुकरेल	कुकरेल
3	10/04/2025	नरेश ओटी	कन्या आश्रम में भोथापारा का जीर्णोद्धार करने के संबंध में	नगरी	भोथापारा	भोथापारा
4	09/04/2025	नवीन कश्यप	ग्राम सियारीनाला बालक छात्रावास भवन निर्माण की आवश्यकता है।	नगरी	सियारीनाला	सियारीनाला
5	09/04/2025	झुमुक लाल कंवर	ग्राम सियारीनाला बालक छात्रावास भवन निर्माण की आवश्यकता है।	नगरी	सियारीनाला	सियारीनाला
6	10/04/2025	भानु राम मंडावी	नवीन छात्रावास भवन निर्माण कार्य स्वीकृत करने के संबंध में	नगरी	सियारीनाला	सियारीनाला
7	10/04/2025	संजय कुमार नेताम	नवीन छात्रावास भवन निर्माण कार्य स्वीकृत करने के संबंध में	नगरी	सियारीनाला	सियारीनाला
8	10/04/2025	बीरेंद्र मंडावी	नवीन कन्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य स्वीकृत करने के सबंध में।	नगरी	सियारीनाला	सियारीनाला
9	10/04/2025	विनोद कुमार मंडावी	नवीन छात्रावास भवन निर्माण कार्य स्वीकृत करने के संबंध में	नगरी	सियारीनाला	सियारीनाला
10	10/04/2025	राम जी नेताम	नवीन कन्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य स्वीकृत करने के सबंध में।	नगरी	सियारीनाला	सियारीनाला
11	10/04/2025	याम लाल ध्रुव	बाल आश्रम करैहा में नाली निर्माण के संबंध में	नगरी	करैहा	करैहा
12	10/04/2025	धरम सिंह नेताम	अहाता निर्माण बाबत।	नगरी	राजपुर	राजपुर
13	09/04/2025	अशोक कुमार टेकाम	अतिरिक्त कक्ष निर्माण निर्माण करने बाबत	नगरी	मुकुंदपुर	मुकुंदपुर
14	09/04/2025	अशोक कुमार टेकाम	अतिरिक्त कक्ष निर्माण निर्माण करने बाबत	नगरी	मुकुंदपुर	मुकुंदपुर
15	09/04/2025	सीताराम नेताम	शौचालय स्नानागार का निर्माण करने बाबत्	नगरी	मुकुंदपुर	मुकुंदपुर
16	11/04/2025	मेघनाथ सोरी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय बालक छात्रावास हरदीभाटा, नगरी में समतलीकरण करने की आवश्यकता है।	नगरी	बोड़रा	बोड़रा
17	10/04/2025	त्रिलोकी नेताम	नवीन छात्रावास भवन निर्माण कार्य स्वीकृत करने के संबंध में	नगरी	सांकरा	सांकरा
18	11/04/2025	हीरालाल सोरी	आदिवासी कन्या आश्रम सांकरा बाउंड्रीवाल के अंदर के मैदान की मरम्मत कराने बाबत।	नगरी	सांकरा	सांकरा
19	11/04/2025	हेमलाल ध्रुव	कन्या आश्रम सांकरा में हैंडपंप खुदवाने बाबत्।	नगरी	सांकरा	सांकरा

क्र.	आवेदन दिनांक	नाम	विषय	विकासखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम
20	09/04/2025	हीरालाल टेकाम	शौचालय स्नानागार का निर्माण करने बाबत्	नगरी	सिहावा	सिहावा
21	11/04/2025	कन्हैया लाल कश्यप	कन्या आश्रम सिहावा के खेल मैदान को समतलीकरण करने के लिए।	नगरी	सिहावा	सिहावा
22	11/04/2025	कैलाश मरकाम	आदिवासी कन्या आश्रम कसपुर में छत मरम्मत करने हेतु।	नगरी	कसपुर	कसपुर रयत
23	09/04/2025	तिहारू नेताम	ग्राम घुटकेल में बालक छात्रावास भवन निर्माण की आवश्यकता है।	नगरी	घुटकेल	घुटकेल
24	09/04/2025	अजय मरकाम	ग्राम बेलरबाहरा में बालक छात्रावास भवन निर्माझा की आवश्यकता है।	नगरी	घुटकेल	घुटकेल
25	09/04/2025	मंशा राम कोर्राम	ग्राम घुटकेल में छात्रावास भवन निर्माण करने बाबत	नगरी	घुटकेल	घुटकेल
26	10/04/2025	राजेहश्वर नेताम	आदिवासी बालक आश्रम दुगली में मैदान का बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु।	नगरी	कउहाबाहरा	कउहाबाहरा
27	10/04/2025	भानुराम मरकाम	अहाता निर्माण बाबत।	नगरी	गुहान नाला	सरईटोला
28	10/04/2025	छेदु राम कोर्राम	अहाता निर्माण बाबत।	नगरी	कोलियारी	कोलियारी
29	11/04/2025	मायाराम नेताम	कमार बालक छात्रावास हरदीभाटा, नगरी में आहाता उंचीकरण करने बाबत	नगरी	बिरनासिल्ली	बिरनासिल्ली
30	10/04/2025	सुंदर नाग	नवीन छात्रावाास भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में	नगरी	रिसगांव	रिसगांव
31	18/04/2025	संकराम	बनबगौड में कमार सामाजिक भवन निर्माण की मांग	नगरी	बनबगौद	बनबगौद
32	18/04/2025	सुदेलाल	कमार सामाजिक भवन निर्माण की मांग	नगरी	बरबांधा	बरबांधा
33	14/04/2025	नरेंद्र कुमार ध्रुव	छात्रावास हास्टल निर्माण हेतु	नगरी	झुरातराई	कोटारवाही
34	10/04/2025	मधु मंडावी	आदिवासी बालक आश्रम के मैदान समतलीकरण करने बाबत	नगरी	करैहा	करैहा
35	14/04/2025	उत्तम नेताम	गौरी गौरा चबूतरा निर्माण हेतु	नगरी	राजपुर	राजपुर
36	14/04/2025	उताम नेताम	गौरी गौरा चबूतरा निर्माण करने हेतु बाबत	नगरी	राजपुर	राजपुर
37	14/04/2025	उताम नेताम	गौरी गौरा चबूतरा निर्माण करने बाबत	नगरी	राजपुर	राजपुर
38	18/04/2025	बुधलाल कमार	कमार सामाजिक भवन नगरी में अहाता निर्माण	नगरी	राजपुर	राजपुर
39	18/04/2025	हीरालाल	कमार सामाजिक भवन निर्माण की मांग	नगरी	भोथली	भोथली
40	18/04/2025	सरोज कुमार नेताम	कमार सामाजिक भवन शेड निर्माण की मांग	नगरी	पोडागांव	भिषमपुरी
41	17/04/2025	संत कुमार मरकाम	देव गुडी बनवाने	नगरी	खमहरिया	खमहरिया
42	10/04/2025	बीजू राम मरकाम	प्री–मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन निर्माण करवाने हेतु	नगरी	घुटकेल	घुटकेल
43	13/04/2025	बीजू राम मरकाम	बालक छात्रावास निर्माण बाबत	नगरी	घुटकेल	घुटकेल
44	16/04/2025	सिरधन सोम	देव गुड़ी निर्माण करने हेतु	नगरी	थेनही	तुमड़ीबहार
45	16/04/2025	सिरधन सोम	देव गुड़ी निर्माण करने हेतु	नगरी	थेनही	तुमड़ीबहार
46	16/04/2025	सिरधन सोम	देव गुड़ी निर्माण करने हेतु	नगरी	थेनही	अर्जुनी
47	19/04/2025	नरेश मांझी	देवगुडी भवन स्वीकृति हेतु	नगरी	बेलरबाहरा	बेलरबाहरा
48	09/04/2025	अगहन सिंह नेताम	आदिवासी बालक छात्रावास भवन के मरम्मत हेतु मांग पत्र।	नगरी	गट्टासिल्ली	गट्टासिल्ली
49	10/04/2025	नोहरू नेताम	आदिवासी बालक छात्रावास सिंगपुर का मरम्मत करने के संबंध मे	मगरलोड	सिंगपुर	सिंगपुर
50	17/04/2025	टोमेश्वरी ध्रुव	देवलागुड़ी निर्माण के लिए	मगरलोड	बिरझुली	बोदल बाहरा
51	09/04/2025	पुनम कुमार नेताम	देव गुड़ी निर्माण	मगरलोड	भंडारवाडी	कासरवाही

अनुभाग अधिकारी

वर्ष 2023–24 से जून 2025 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा कृषक उन्नति योजना अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या की वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार जानकारी

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

क.	योजना का नाम	लाभान्वित किसनों की संख्या					
		2023–24		2024–25		2025–26 (30 जून 2025 तक)	
		कसडोल विकासखण्ड	बिलाईगढ़ विकासखण्ड	कसडोल विकासखण्ड	बिलाईगढ़ विकासखण्ड	कसडोल विकासखण्ड	बिलाईगढ़ विकासखण्ड
1	प्रधनमंत्री फसल बीमा योजना	431	15961	0	16135	0	0

2. कृषक उन्नति योजना

क.	वर्ष	कृषक उन्नति योजना					
		कसडोल विकासखण्ड			बिलाईगढ़ विकासखण्ड		
		पंजीकृत किसानों की संख्या	पात्र किसानों की संख्या	पात्र किसानों में से भुगतान प्राप्त किसानों की संख्या	पंजीकृत किसानों की संख्या	पात्र किसानों की संख्या	पात्र किसानों में से भुगतान प्राप्त किसानों की संख्या
1	2023–24	33891	32992	32992	35069	34104	34104
2	2024–25	35242	33751	33751	36563	35018	35018
3	2025–26 (30 जून 2025 तक)	निरंक					

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

[प्रपत्र -ब

बिलाइगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तहसीलवार मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के बीमा की जानकारी

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	ग्राम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)	बीमित राशि (लाख में)	दावा राशि प्राप्त कृषक संख्या	दावा राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	कसडोल	चांटीपाली	3	0.421	0.320	3	0.064
2023	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	कसडोल	दर्रा	1	0.150	0.137	1	0.036
2023	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	कसडोल	कटगी	1	0.200	0.197	1	0.032
2023	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	सोनाखान	खैरा	4	2.400	2.071	4	0.466
2023	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	अमलीडीह	1	0.001	0.001	1	0.000
2023	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	छिरचुवा	1	1.175	1.410	1	0.212
2023	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	चोरभठ्ठी	8	0.494	0.593	8	0.089
2023	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	हरदी	1	1.000	1.200	0	0.000
2023	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	झुमका	1	1.417	1.495	0	0.000
2023	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	मधाईभाठा	1	0.396	0.269	1	0.042
2023	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	पीपरडीह	1	0.250	0.300	1	0.045
2023	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	रायकोना	1	1.004	1.205	1	0.181
2023	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	सोनादुला	1	1.000	0.770	1	0.110
योग खरीफ 2023					**25**	**9.908**	**9.967**	**23**	**1.276**
2023-24	रबी	बलौदा बाजार–भांटापारा	कसडोल	सिनोधा	12	1.630	1.159	6	0.044
2023-24	रबी	बलौदा बाजार–भांटापारा	सोनाखान	भनपुर	2	0.502	0.380	0	0.000
2023-24	रबी	बलौदा बाजार–भांटापारा	सोनाखान	गोलाझर	1	0.251	0.190	0	0.000
2023-24	रबी	बलौदा बाजार–भांटापारा	सोनाखान	खैरा	2	0.320	0.182	0	0.000
2023-24	रबी	बलौदा बाजार–भांटापारा	सोनाखान	नगेडी	6	1.811	1.154	0	0.000
2023-24	रबी	बलौदा बाजार–भांटापारा	सोनाखान	सुखारी	2	0.501	0.376	0	0.000
2023-24	रबी	बलौदा बाजार–भांटापारा	टुंडरा	नरधा	5	3.590	3.159	0	0.000

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	ग्राम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)	बीमित राशि (लाख में)	दावा राशि प्राप्त कृषक संख्या	दावा राशि (लाख में)
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	बलौदी	1	0.173	0.095	1	0.005
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	छिरचुवा	1	0.138	0.076	1	0.005
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	चोरभठ्ठी	19	1.010	0.889	19	0.008
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	चुरेला	1	0.404	0.222	1	0.042
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	देवरहा	1	0.253	0.223	1	0.002
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	डोटो	1	0.137	0.075	1	0.014
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	जैतपुर	5	1.644	1.150	3	0.007
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	लंकाहुड़ा	7	2.012	1.107	7	0.077
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	नकटीडीह	1	0.303	0.167	1	0.031
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	ओडाकाकन	15	1.499	0.809	0	0.000
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	अर्जुनी	1	0.400	0.352	1	0.046
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	बेल्हा	1	0.398	0.219	1	0.042
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	खैरझिटी	1	0.392	0.345	1	0.021
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	मलुहा	1	3.000	2.640	1	0.158
2023-24	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	रामपुर	3	0.967	0.532	3	0.066
योग रबी 2023–24					**89**	**21.335**	**15.501**	**48**	**0.568**
योग वर्ष 2023–24					**114**	**31.243**	**25.468**	**71**	**1.844**
2024	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	कसडोल	चांटीपाली	1	0.100	0.094	1	0.011
2024	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	कसडोल	झबड़ी	1	0.050	0.039	1	0.003
2024	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	कसडोल	कसडोल	1	0.050	0.039	1	0.003
2024	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	कसडोल	सेल	1	0.050	0.039	1	0.003
2024	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	सोनाखान	बिलारी	1	4.050	4.860	1	0.081
2024	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	सोनाखान	खैरा	5	1.950	1.950	1	0.098
2024	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	टुंडरा	बरेली	6	0.312	0.230	6	0.006
2024	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	टुंडरा	गिरोध	2	0.100	0.120	2	0.001

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	ग्राम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)	बीमित राशि (लाख में)	दावा राशि प्राप्त कृषक संख्या	दावा राशि (लाख में)
2024	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	टुंडरा	मटिया	1	0.050	0.034	1	0.002
2024	खरीफ	बलौदा बाजार–भांटापारा	टुंडरा	टुंड्रा	4	0.279	0.251	4	0.048
2024	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	सलोनीकला	1	0.250	0.300	1	0.030
2024	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सरसींवा	चोरभठ्ठी	3	0.393	0.472	3	0.003
2024	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सरसींवा	मनपसर	1	0.097	0.116	1	0.001
2024	खरीफ	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सरसींवा	पंचपेड़ी	1	1.044	0.710	1	0.085
योग खरीफ 2024					**29**	**8.775**	**9.252**	**25**	**0.373**
2024-25	रबी	बलौदा बाजार–भांटापारा	टुंडरा	नरधा	5	3.590	3.159	दावा राशि के गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। गणना उपरांत दावा राशि का भुगतान किया जावेगा।	
2024-25	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	बोईरडीह	1	2.000	1.140		
2024-25	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	देवरहा	1	0.250	0.138		
2024-25	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	रोहिहा	1	0.500	0.275		
2024-25	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भटगांव	सलोनीकला	1	0.501	0.441		
2024-25	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	बेल्हा	4	1.166	0.665		
2024-25	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	छिर्रा	1	0.297	0.169		
2024-25	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	धौराभाठा	1	1.000	0.550		
2024-25	रबी	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	सोनादुला	1	1.500	0.855		
योग रबी 2024–25					**16**	**10.804**	**7.391**		
योग वर्ष 2024–25					**45**	**19.579**	**16.644**	**25**	**0.373**
महायोग वर्ष 2023–24 एवं 2024–25					**159**	**50.822**	**42.112**	**96**	**2.217**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 14:14:41

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित विकास खण्डो में रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (आर.ए.डी.) योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 से जून 2025 तक किये गये कार्यो की जानकारी

वित्तीय राशि रू.लाख में

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्राप्त आबंटन (लाख में)	घटक का नाम	कृषक/पिता का नाम	कृषक को प्रदाय लाभ			रिमार्क
								कार्य/सामग्री का नाम	बीज, मात्रा क्विं. में	प्रदाय आदान सामग्री का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2022–23	निरंक									
1	2023–24	निरंक									
1	2024–25	छुरिया	दिवानटोला	बैरागीमेड़ी	29.52	इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, फिशरी यूनिट	श्री धनसिंग/नारायण	मुर्गी/मछली पालन एवं सहायक सामग्री प्रति कृषक	रागी बीज मात्रा 0.12 एवं चना बीज मात्रा 0.75/प्रति कृषक	जिंक सल्फेट मात्रा 5 कि.ग्रा., पी.एस.बी. कल्चर मात्रा 1 लीटर, के.एम.बी. कल्चर मात्रा 1 लीटर, जेड.एम.बी. कल्चर मात्रा 1 लीटर, नीम तेल मात्रा 1 लीटर, ईमिडा क्लोरपिड मात्रा 0.50 लीटर एवं वर्मी बेड मात्रा 1 नग	प्रति कृषक दिया गया।
2							श्री धनेश/प्रमूराम				
3							श्री श्यामराम/मुनाराम				
4							श्री बेदराम/राधेलाल				
5							श्री कार्तिक/रामप्रसाद				
6							श्री मोहनचंद/हगरू				
7							श्री मूलचंद/रामरतन				
8							श्री मलेश/रामनाथ				
9							श्री चिंताराम/मेहतरू राम				
10							श्री हंसलाल/कांशीराम				
11							श्री हरीराम/आनंद				
12							श्री हेमचंद/चमाररराय				
13							श्री राजकुमार/मुनाराम				
14							श्री शत्रुहन/मोहनलाल				
15							श्री शत्रुहन/सरजूराम				
16							श्री सामरथ/रामप्रसाद				
17							श्री उमेंद/मोतीराम				
18							श्री दानीराम/गोविन्दराम				
19							श्री देवाराम/मंगतूराम				
20							श्री फूलचंद/सोनसिंग				
21							श्री तुलसीराम/बिरसिंग				

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्राप्त आवंटन (लाख में)	घटक का नाम	कृषक/पिता का नाम	कृषक को प्रदाय लाभ			रिमार्क
								कार्य/सामग्री का नाम	बीज, मात्रा क्विं. में	प्रदाय आदान सामग्री का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2024–25	छुरिया	दिवानटोला	वैरागीभेड़ी		इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, फिशरी यूनिट	श्री नीलूराम/कांशीराम	मुर्गी/मछली पालन एवं सहायक सामग्री प्रति कृषक	अरहर बीज मात्रा 0.20 एवं चना बीज मात्रा 0.75/प्रति कृषक	जिंक सल्फेट मात्रा 5 कि.ग्रा., नीम तेल मात्रा 1 लीटर, इंमिडा क्लोरपिड मात्रा 1 लीटर एवं वर्मी बेड मात्रा 1 नग	प्रति कृषक दिया गया।
23							श्री नरमदिया/बिसेसर				
24							श्री नेतराम/श्यामलाल				
25							श्री नेतराम/प्रहलाद				
26							श्री अंजोर/प्यारी				
27							श्री अंगनूराम/प्यारी				
28							श्री गणेशु राम/श्रीराम				
29							श्रीमती पल्टीनबाई/नेतराम				
30							श्रीमती दुकालाबाई/बलवंत				
31							श्रीमती दुर्गा/समारू				
32							श्रीमती गयाबाई/बिसम्भर				
33							श्री राजेन्द्र/कामता		अरहर बीज मात्रा 0.20 एवं चनाबीज मात्रा 0.75/प्रति कृषक		
34							श्रीमती विना/खेमराम				
35							श्री लिखन/सोनउ				
36							श्री अमरनाथ/फत्तेलाल				
37							श्री तुलस/सुमरन				
38							श्री चतुरसिंग/जगेशर				
39							श्री हंसलाल				
40							श्री प्रभुराम/कांशीराम				
41							श्री घनश्याम/संतराम				
42							श्रीमती सुखीया/बहोरन		मूंग बीज मात्रा 0.20 एवं चना बीज मात्रा 0.75/प्रति कृषक		
43			वैरागीभेड़ी				श्री धनीराम/नेतराम	चाफ कटर/प्रति कृषक			
44							श्री धनेश्वरी/बिसाहु				
45			दीवानटोला				श्री रूपलाल/रामरतन				
46			वैरागीभेड़ी				श्री श्याम/ठीकुराम				
47			दीवानटोला				श्री युक्तराम/भुपराम		उड़द बीज मात्रा 0.20 एवं चना बीज मात्रा 0.75/प्रति कृषक		
48			दीवानटोला				श्री खोमन/कुन्दु				
49			वैरागीभेड़ी				श्री खेमलाल/मदन				
50			दीवानटोला				श्री बृजलाल/रतनलाल				

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्राप्त आवंटन (लाख में)	घटक का नाम	कृषक/पिता का नाम	कृषक को प्रदाय लाभ			रिमार्क
								कार्य/सामग्री का नाम	बीज, मात्रा क्विं. में	प्रदाय आदान सामग्री का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2024–25	छुरिया	बैरागीभेड़ी	बैरागीभेड़ी		इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, साईलेज यूनिट	श्री बलराम/बोधन	चाफ कटर/प्रति कृषक	रागी बीज मात्रा 0.12 एवं मटर बीज मात्रा 1.00/प्रति कृषक	जिंक सल्फेट मात्रा 5 कि.ग्रा., निंदानाशक मात्रा 200 मि.ली., पी.एस.बी. कल्चर मात्रा 1 लीटर, के.एम.बी. कल्चर मात्रा 1 लीटर, जेड.एम.बी. कल्चर मात्रा 1 लीटर, नीम तेल मात्रा 2 लीटर, इंमिडा क्लोरपिड मात्रा 0.50 लीटर एवं वर्मी बेड मात्रा 1 नग	प्रति कृषक दिया गया।
52			बैरागीभेड़ी				श्री कैलाश/नरसिंग				
53			बैरागीभेड़ी				श्री मुनीम/रेखाराम				
54			बैरागीभेड़ी				श्री मुनीराम/रेवाराम				
55			बैरागीभेड़ी				श्री मुन्ना/बोहरन				
56			बैरागीभेड़ी				श्री खिलावन/भूपराम				
57			दीवानटोला				श्री बिसनाथ/जैतराम				
58			बैरागीभेड़ी				श्री पिताम्बर/				
59			बैरागीभेड़ी				श्री चिंताराम/बिसाहू				
60			दीवानटोला				श्री चिरजीवी/किशोर				
61			दीवानटोला				श्री तिलक/रामसिंग				
62			दीवानटोला				श्री जितेश				
63			दीवानटोला				श्री पंचुराम/गोपाल				
64			बैरागीभेड़ी				श्री प्रेमलाल/कोदूराम				
65			दीवानटोला				श्री रमेश/कृष्णा				
66			बैरागीभेड़ी				श्री राकेश/बाघन				
67			दीवानटोला				श्री रामखिलावन/मदन				

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्राप्त आवंटन (लाख में)	घटक का नाम	कृषक/पिता का नाम	कृषक को प्रदाय लाभ			रिमार्क
								कार्य/सामग्री का नाम	बीज, मात्रा विवं. में	प्रदाय आदान सामग्री का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2024–25	छुरिया	दीवानटोला	बैरागीभेड़ी		इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, साईलेज यूनिट	श्री रामस्वरूप/मदन	चाफ कटर/प्रति कृषक	रागी बीज मात्रा 0.12 एवं मटर बीज मात्रा 1.00/प्रति कृषक	जिंक सल्फेट मात्रा 5 कि.ग्रा. ,निंदानाशक मात्रा 200 मि.ली., पीएस.बी. कल्चर मात्रा 1 लीटर, के.एम.बी. कल्चर मात्रा 1 लीटर, जेड.एम.बी. कल्चर मात्रा 1 लीटर, जेड.एम.बी. कल्चर मात्रा 1 लीटर, नीम तेल मात्रा 2 लीटर, ईमिडा क्लोरपिड मात्रा 0.50 लीटर एवं वर्मी बेड मात्रा 1 नग	प्रति कृषक दिया गया।
69			बैरागीभेड़ी				श्री रामचरण/गौरसिंग				
70			बैरागीभेड़ी				श्री रामजयलाल/मोती				
71			बैरागीभेड़ी				श्री संतोष/अंजोर				
72			दीवानटोला				श्री सर्वेश्वर/कार्तिक		अरहर बीज मात्रा 0.20 एवं मटर बीज मात्रा 1.00/प्रति कृषक	नीम तेल मात्रा 2 लीटर, ईमिडा क्लोरपिड मात्रा 0.50 लीटर एवं वर्मी बेड मात्रा 1 नग	
73			दीवानटोला				श्री सुखीराम/चैतराम				
74			दीवानटोला				श्री सुखदास/रामलाल				
75			बैरागीभेड़ी				श्री सुरेश				
76			दीवानटोला				श्री दुकाला/बलवंत				
77			दीवानटोला				श्री छगनलाल/सुंदर				
78			बैरागीभेड़ी				श्री फुलचंद/गुहाराम				
79			दीवानटोला				श्री फगनुराम/प्यारी				
80			दीवानटोला				श्री तोरन/बन्नूराम				
81			बैरागीभेड़ी				श्री जीवन/बिसाहु				
82			बैरागीभेड़ी				श्री जगेश्वर/पुनुराम				
83			दीवानटोला				श्री नीलकंठ/ताराचंद				
84			दीवानटोला				श्री नरेन्द्र/जगदीश				
85			बैरागीभेड़ी				श्री नारद/पुरूषोत्तम				
86			दीवानटोला				श्री नारद/दुम्मनलाल				
87			दीवानटोला				श्री नोजेन्द्र/डोमनलाल				
88			दीवानटोला				श्री अंजोर/परउ				
89			दीवानटोला				श्री अमरू/धनीराम				
90			दीवानटोला				श्री दुम्मनलाल/फत्ते				
91			बैरागीभेड़ी				श्री अर्जुन/फिरतु				
92			बैरागीभेड़ी				श्री गुहाराम/ बल्दू		मूंग बीज मात्रा 0.20 एवं मटर बीज मात्रा 1.00/प्रति कृषक		
93			दीवानटोला				श्री लेखुराम/भगोली				
94			बैरागीभेड़ी				श्रीमती खेनेश्वरी/फत्तु				

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्राप्त आवंटन (लाख में)	घटक का नाम	कृषक/पिता का नाम	कृषक को प्रदाय लाभ			रिमार्क
								कार्य/सामग्री का नाम	बीज, मात्रा क्विं. में	प्रदाय आदान सामग्री का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2024–25	छुरिया	दीवानटोला	बैरागीमेड़ी		इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, साईलेज यूनिट	श्रीमती बुधन्तीन/राधेश्याम	चाफ कटर/प्रति कृषक	मूंग बीज मात्रा 0.20 एवं मटर बीज मात्रा 1.00/प्रति कृषक	जिंक सल्फेट मात्रा 5 कि.ग्रा., नीम तेल मात्रा 1 लीटर, ईमिडा क्लोरपिड मात्रा 1 लीटर एवं वर्मी बेड मात्रा 1 नग	प्रति कृषक दिया गया।
96			बैरागीमेड़ी				श्रीमती पल्टिन /नेतराम				
97			दीवानटोला				श्रीमती सुधा/मुक्ताराम		उड़द बीज मात्रा 0.20 एवं मटर बीज मात्रा 1.00/प्रति कृषक		
98			बैरागीमेड़ी				श्रीमती चंद्रकली/देवदास				
99			बैरागीमेड़ी				श्रीमती ओनाबाई/महेश				
100			बैरागीमेड़ी				श्रीमती लक्ष्मी/ कृष्णा				
1	2025–26 (20 जून 2025 तक)	अम्बागढ़ चौकी	टाटेकसा, केसालडबरी, छुईखडका	टाटेकसा	13.85	इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, किशरी यूनिट, साईलेज यूनिट	आवंटन दिनांक 06.06.2025 को प्राप्त हुआ है, कृषकों को लाभान्वित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।				
कुल आवंटन					43.37						

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
11:47:12

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्या
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र

अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 555) की जानकारी

जिला बिलासपुर में डी.ए.पी. खाद की मांग एवं उपलबधता की जानकारी

(इकाई मात्रा में टन में)

जिला	मौसम	वर्ष 2024–25		खरीफ वर्ष 2025 (दिनांक 30.06.2025 तक)						
		उर्वरक डीएपी का मांग/लक्ष्य	उर्वरक डीएपी के लक्ष्य के विरूद्ध की गई आपूर्ति	उर्वरक डीएपी का लक्ष्य	01.04.2025 का बचत स्कंध	उर्वरक डीएपी के लक्ष्य के विरूद्ध की गई आपूर्ति	योग (6+7)	उर्वरक डीएपी के लक्ष्य के विरूद्ध की गई आपूर्ति एवं वितरण पश्चात शेष मात्रा	उर्वरक डीएपी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होने के स्थान पर प्रदायित अन्य उर्वरक की जानकारी	
									उर्वरक नाम	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिलासपुर	खरीफ	11700	13469	13400	2260	6551	8811	4589	एनपीके	6690
									एसएसपी	12565
	रबी	2900	6711	-	-	-	-	-	-	-
	योग	**14600**	**20180**	**13400**	**2260**	**6551**	**8811**	**4589**	**-**	**19255**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
10:30:15

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 556) की जानकारी

प्रपत्र-अ

कोटा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना, कोल डिपो सहित अन्य व्यवसायिक संस्थानों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी जल एवं वायु संचालन सम्मति एवं सम्मति वैधता की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक एवं उत्पादन क्षमता	पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता दिनांक	जल एवं वायु संचालन सम्मति जारी दिनांक एवं उत्पादन क्षमता	सम्मति वैधता दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मेसर्स वेलकम डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-छेरकाबांधा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	10/03/2004 डिस्टिलरी यूनिट - 10 किलोलीटर प्रतिदिन से 60 किलोलीटर प्रतिदिन	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य या संचालन प्रारंभ तिथि तक लिए वैध थी।	04/01/2012 रेक्टीफाईड स्प्रीट-30 किलोलीटर प्रतिदिन	31/03/2026
2.	मेसर्स महावीर कोल वाशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खरगहनी-पथर्रा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	28/09/2021 कोल वाशरी - 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष	27/09/2031	संचालन सम्मति जारी नहीं की गयी है।	-
3.	मेसर्स महावीर कोल वाशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खरगहनी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	21/12/2023 कोल वाशरी - 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष	20/12/2033	संचालन सम्मति जारी नहीं की गयी है।	-
4.	मेसर्स पाटिल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यूनिट नं.-2 (स्टोन क्रशर) (पूर्व नाम-रायल सीमा कांक्रीट स्लीपर प्रा0 लि0), ग्राम-गतवा, तहसील- कोटा, प.ह.नं. 14, खसरा नं. 85/5, 1285/1, जिला-बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	30/12/2002 वरियस साईज आफ स्टोन चिप्स-24000 मी.टन/वर्ष	31/12/2027
5.	मेसर्स महामाया मिनरल्स, ग्राम-कोटा, तह0 कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	25/07/2008 स्टोन चिप्स - 5000 मी. टन / वर्ष	30/11/2025
6.	मेसर्स जय दुर्गा मिनरल्स (पूर्वनाम-मेसर्स सरजू प्रसाद मिश्रा स्टोन क्रशर), ग्राम-अमाली, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	13/07/2022 स्टोन चिप्स - 50,000 मीट्रिक टन/ वर्ष	12/07/2028
7.	मेसर्स छत्तीसगढ़ मेटल एण्ड मिनरल्स, पूर्व नाम-सांई मिनरल्स, यूनिट-2, कस्गीरोड, कोटा, बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	29/03/2016 स्टोन चिप्स-45,000 मीट्रिक टन एक समय पर	31/07/2029
8.	मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स, ग्राम संधीपारा, रतनपुर रोड, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	17/07/2018 स्टोरेज ऑफ कोल - 3,000 मी.टन/वर्ष	30/06/2025
9.	मेसर्स गोयल क्रशर उद्योग, ग्राम-बाकीघाट, तह. -कोटा, जिला-बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	17/07/2018 माइनिंग आफ आर्डिनरी स्टोन एण्ड स्टोन चिप्स - 10,000 मी.टन/वर्ष	16/07/2029
10.	मेसर्स दीपक कुमार गुप्ता (कोल डिपो), बेलगहा रोड, तालाब के पास कस्गीरोड कोटा, तह.-कोटा, जिला- बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	16/01/2014 स्टोरेज ऑफ कोल - 250 मी.टन एक समय पर	27/02/2027
11.	मेसर्स-महावर क्रेशर उद्योग, सांधीपारा रतनपुर, तह0 कोटा, जिला-बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	13/03/2014 स्टोन क्रस्ड - 14,400 मी.टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
12.	मेसर्स जगदीश प्रसाद साहू, (कोल डिपो),	पर्यावरणीय	-	16/10/2015	30/09/2025

	ग्राम-चंगोरी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।		स्टोरेज आफ कोल- 250 मीट्रिक टन एक समय पर	
13.	मेसर्स ओमेक्स मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कोटा, करगीरोड, बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	26/06/2023 स्टोरेज आफ कोल - 50,000 मी.टन एक समय पर	25/06/2026
14.	मेसर्स कृष्णनंदन मिल्क एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि. , ग्राम-जाली, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	13/02/2018 डेयरी प्रोडक्ट - 1,44,000 कि.ग्रा./वर्ष, प्रोसेस लिक्वड मिल्क - 9,00,000 लीटर/वर्ष	31/01/2024
15.	मेसर्स जिंदल पी.आर.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर बेचिंग कांक्रीट प्लांट, ग्राम-चंगोरी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	05/03/2019 कंस्ट्रक्शन सर्विसेस ऑफ ब्रिज ऑफ कांक्रीट ओर अदर मटेरियल फॉर आल टाईप्स ऑफ लैण्ड ट्रांसपोर्ट - 60,000 टन/वर्ष, डी.जी. सेट - 100 केव्हीए	जारी दिनांक से 01 वर्ष
16.	मेसर्स नोबेल इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चोरभट्ठीखुर्द, कोटा रोड तखतपुर, जिला-बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	02/02/2018 रिफैक्टरी ब्रिक्स, ब्लॉक्स टाईल्स एण्ड सिमिलर रिफैक्टरी सिरामिक कंस्ट्रक्शनल गुड्स, अदर देन दोस ऑफ सिलिसियस अर्थ एनईसी - 12,00,000 नग/वर्ष	31/01/2025
17.	मेसर्स राघव राईस प्रोडक्ट, ग्राम-रतनपुर, कोटा, बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	06/12/2019 राईस रा - 4824 टन/वर्ष, ब्रान राईस - 288 टन/वर्ष, राईस ब्रोकन - 216 टन/वर्ष	05/12/2025
18.	मेसर्स पटेल राईस मिल, कोटा, करगी रोड कोटा, बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	28/09/2018 राईस - 1000 टन/वर्ष	27/09/2024
19.	मेसर्स एस. आर. कौशिक स्टोन क्रशर, ग्राम-मटसगरा, पो. मटसगरा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	20/09/2019 माईनिंग ऑफ लो ग्रेड लाईम स्टोन-4500 टन/वर्ष, स्टोन चिप्स - 4500 टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
20.	मेसर्स पाटिल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यूनिट 2, करगी रोड कोटा, जिला-बिलासपु	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	31/05/2000 कांक्रीट स्लीपर- 1,80,000 नग/वर्ष,	31/07/2025
		पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	23/07/2018 रेलवे कांक्रीट स्लीपर -3,00,000 नग/वर्ष	
21.	मेसर्स मीरा राईस प्रोडक्ट (अरवा राईस) ग्राम-रतनपुर, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	02/07/2019 राईस रॉ - 4500 टन/वर्ष	02/07/2028
22.	मेसर्स प्राची इण्डस्ट्रीज, ग्राम-रतनपुर, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	04/01/2020 अदर पल्सेस एन.ई.सी- 4800 टन/वर्ष	03/01/2026
23.	मेसर्स बिलासपुर पथरापाली रोड प्रा. लि. , ग्राम-सांधीपारा रतनपुर रोड कोटा जिला-बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	09/01/2020 माईनिंग ऑफ क्वार्टजाईट बोल्डर्स - 1,85,973.73 टन/वर्ष, क्रशिंग ऑफ क्वार्टजाईट बोल्डर्स - 3,75,194.73 मी.टन/वर्ष	08.01.2023
24.	मेसर्स ए.एस. इंडस्ट्रीज, ग्राम-जाली, तहसील-कोटा, जिला-बिलास पुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	19/10/2020 अदर फूड प्रोडक्ट - 14,60,000 कि.ग्रा./वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
25.	मेसर्स जय दुर्गा मिनरल्स, श्रीमती पीयूषा मिश्रा, पार्टनर (पूर्वनाम-मेसर्स रॉयलसीमा कांक्रीट स्लीपर्स प्रा. लि.), ग्राम-अमाली, पोस्ट-कोटा, बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	10/07/2020 स्टोरेज ऑफ सेण्ड - 8000 टन एक समय पर, स्टोरेज ऑफ स्टोन चिप्स - 5000 मी.टन./ एक समय पर	09/07/2028
26.	मेसर्स सिद्धि विनायक इण्डस्ट्रीज, वार्ड नं.	पर्यावरणीय स्वीकृति की	-	03/11/2021 अदर फूड प्रोडक्ट्स एनईसी	02/11/2026

	07, कोरबा रोड रतनपुर, ग्राम-रतनपुर, तहसील-कोटा, प.ह.नं. 37, खसरा नं. 6489/34, जिला-बिलासपुर	आवश्यकता नहीं है।		(फोर्टिफाइड राईस) - 1350 टन/वर्ष	
27.	मेसर्स श्री शुभ कार्पोरेशन, ग्राम-अमाली, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	16/06/2022 स्टोरेज ऑफ कोल-20,000 मी.टन एक समय पर, कोल क्रशिंग - 1,00,000 मी.टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
28.	मेसर्स श्री श्याम सुन्दर एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-करगीखुर्द, मेनरोड, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	04/07/2022 राईस रॉ -9648 टन/वर्ष, राईस ब्रोकेन -720 टन/वर्ष, ब्रान राईस -432 टन/वर्ष, राईस हस्क - 3600 टन/वर्ष	03/07/2028
29.	मेसर्स ट्राई स्टार ग्लोबल, ग्राम-अमाली, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	20/09/2022 स्टोरज ऑफ कोल-25,000 मीट्रिक टन एक समय पर	19/09/2028
30.	मेसर्स राधारानी राईस मिल, ग्राम-करगीखुर्द, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छग..)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	22/09/2022 रॉ राईस, राईस पेड्डी, अदर (नॉट हस्क) - 4 मी.टन/घण्टा	21/09/2028
31.	मेसर्स श्री श्याम एग्रो, ग्राम-बिटकुली, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	19/09/2022 रॉ राईस, राईस पेड्डी, अदर (नानॅट हस्क) - 6400 मी.टन/वर्ष	18/09/2028
32.	मेसर्स नेचूरल बूम रिसोर्ट एण्ड कंपनी (अनाया रिसोर्ट) , ग्राम-करखा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	02/02/2023 हॉटल्स एण्ड रेस्टोरेंट (अनाया रिसॉर्ट) - 100 व्यक्ति/दिन-टोटल प्लाट एरिया-22,990 स्क्वायर मीटर, टोटल बिल्डअप एरिया-1414.55 स्क्वायर मीटर	जारी दिनांक से 01 वर्ष
33.	मेसर्स रामा कोल वाशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-अमाली, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	09/05/2023 कोल क्रशिंग प्लांट-9,60,000 मीट्रिक टन/वर्ष	09/05/2029
34.	मेसर्स अरिहंत राईस मिल, ग्राम-मझगवां, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	25/04/2023 राईस पेड्डी अदर (नॉट हस्क)-3400 मीट्रिक टन/वर्ष, राईस ब्रोकन-350 मीट्रिक टन/वर्ष, ब्रान राईस-350 मीट्रिक टन/वर्ष, हस्क (एनिमल फीड)-700 मीट्रिक टन/वर्ष, प्रिपरेशन युज्ड इन एनिमल फीडिंग-100 मीट्रिक टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
35.	मेसर्स श्री ओम राईस मिल, ग्राम-रतनपुर, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	26/10/2023 राईस रॉ-5432 टन/वर्ष, राईस ब्रोकन-380 टन/वर्ष, ब्रेन राईस-434 टन/वर्ष	25/10/2029
36.	मेसर्स अनमोल राईस मिल, चपोरा रोड रतनपुर, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	12/06/2024 अरवा राईस - 3 मीट्रिक टन/घंटा	11/06/2030
37.	मेसर्स शिवान राईस इण्डस्ट्रीज, चपोरा रोड रतनपुर, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	12/06/2024 राईस रॉ-6432 टन/वर्ष, राईस ब्रान-576 टन/वर्ष, राईस ब्रोकन-192 टन/वर्ष	23/08/2026
38.	मेसर्स उर्मिला एग्रो, ग्राम-चंगोरी लखोदना रोड, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	19/04/2024 राइस रॉ - 6,432 टन/वर्ष, ब्रान राइस - 288 टन/वर्ष, हस्क (एनिमल फीड)-2400 टन/वर्ष, राइस ब्रोकन-480	जारी दिनांक से 01 वर्ष

39.	मेसर्स श्री हरि किशन राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चंगोरी, करगीरोड कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	21/02/2024 राइस रॉ - 6,432 टन/वर्ष, ब्रान राइस - 288 टन/वर्ष, हस्क (एनिमल फीड)-2400 टन/वर्ष, राइस ब्रोकन-480 टन/वर्ष	20/02/2029
40.	मेसर्स यादव राईस मिल, ग्राम-नंगचुई, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	23/11/2023 राईस रॉ - 4 मीट्रिक टन/घंटा	22/11/2029
41.	मेसर्स महक इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चोरभट्ठी खुर्द, कोटा रोड, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	22/11/2023 सोडियम सिलिकेट-6000 टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
42.	मेसर्स राजमुनि एग्रो, ग्राम-पीपरतराई, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	02/05/2024 राईस रॉ-16080 मी.टन/वर्ष, राईस ब्रोकन-1200 मी.टन वर्ष, ब्रान राईस-720 मी.टन/वर्ष, राईस हस्क्ड-6000 मी.टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
43.	मेसर्स राजमुनि फूड्स, ग्राम-पीपरतराई मेन रोड कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	21/11/2023 राईस रॉ-16080 टन/वर्ष, राईस ब्रोकन-1200 टन/वर्ष, ब्रान राईस- 7 2 0 मी.टन/वर्ष हस्क(एनिमल फीड)-6000 टन/वर्ष	20/11/2029
44.	मेसर्स कारगो मूवर्स, करगी रोड कोटा, बिलासुपर, रेलवे साइडिंग जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	09/01/2025 लोडिंग एण्ड अनलोडिंग फैसेलिटी एट रेल्वे साईडिंग कम डिस्पेच-1 0 , 0 0 , 0 0 0 मीट्रिक टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
45.	मेसर्स राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगषाला, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृशि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र इंदिरा गांधी कृशि विष्वविद्यालय सीसल प्रक्षेत्र कोटा रोड चोरभट्ठी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	12/06/2024 बायो पेस्टीसाइड्स एण्ड बायो फर्टिलाइजर्स-100 के.जी. प्रतिदिन	26/05/2028
46.	मेसर्स महामाया राईस मिल, ग्राम-चंगोरी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	11/12/2024 ब्रान राईस-288 मीट्रिक टन/वर्ष राईस रॉ-6432 मीट्रिक टन/वर्ष राईस ब्रोकन-480 मीट्रिक टन/वर्ष राईस हस्क्ड-2400 मीट्रिक टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
47.	मेसर्स गोयल राईस प्रोडक्ट, ग्राम-कंचनपुर, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	24/12/2024 रॉ राईस - 9600 टन प्रतिवर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
48.	मेसर्स विमल कुमार अग्रवाल, ग्राम-खपराखोल, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	09/01/2025 स्टोन क्रस्ड-16,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
49.	मेसर्स वीराज अर्थ फ्यूजन प्रा.लि. ग्राम-कोटा, तहसील- कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	16/01/2025 लोडिंग अनलोडिंग, क्रशिंग एण्ड स्क्रीनिंग ऑफ कोल-6,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
50.	मेसर्स एच.पी. एग्रोटेक, ग्राम-छेरकाबांधा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	09/04/2025 रॉ राईस-6432 मीट्रिक टन/वर्ष राईस ब्रोकन-720 मीट्रिक टन/वर्ष ब्रान राईस-840 मीट्रिक टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
51.	मेसर्स मां एग्रो, ग्राम-छेरकाबांध, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	09/04/2025 रॉ राईस- 6432 मीट्रिक टन/वर्ष ब्रान राईस-840 मीट्रिक टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष

				~~राईस ब्रोकन-720 मीट्रिक टन/वर्ष~~	
52.	मेसर्स आदित्य राईस प्रोडक्ट, रतनपुर, कटघोरा रोड बिलासपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	04/01/2020 राईस रॉ - 4824 टन/वर्ष ब्रान राईस - 360 टन/वर्ष राईस ब्रोकन - 216 टन/वर्ष	03/01/2026
53.	मेसर्स आलोक एग्रो केमिकल्स, ग्राम-भेलवाटीकरा, शक्तीबहरा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	04/12/2021 हजार्डस पेस्टीससाईड्स (मिक्सिंग)-20 टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
54.	मेसर्स महावीर कोल वॉशरी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खरगहनी, पथर्रा, रेलवे क्रासिंग गेट, बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	04/07/2022 रेलवे साईडिंग कम डिस्पेच फैसिलिटी - 10 मीट्रिक टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
55.	मेसर्स अविरल एग्रो, ग्राम-रानीगांव, तहसील-रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	17/12/2024 राईस रॉ-6432 मी.टन/वर्ष, राईस ब्रोकन-480 मी.टन/वर्ष, ब्रान राईस-288 मी.टन/वर्ष, हस्क (एनिमल फीड)-2400 मी.टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
56.	मेसर्स दादी माँ राईस इण्डस्ट्रीज सुभाश पेट्रोल पंप के पास ग्राम-रानीगांव, तहसील-रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	21/02/2024 राईस रॉ- 6 4 3 2 , मीट्रिक टन/वर्ष, ब्रान राईस-288 मीट्रिक टन/वर्ष, हस्क (एनिमल फीड) - 2 4 0 0 मीट्रिक टन/वर्ष राईस ब्रोकन-480 मीट्रिक टन/वर्ष	20/02/2030
57.	मेसर्स निषानिया एग्रो, ग्राम-रानीगांव, तहसील-रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	16/01/2025 राईस रॉ-6432 मीट्रिक टन/वर्ष, ब्रान राईस-840 मीट्रिक टन/वर्ष, राईस ब्रोकेन-720 मीट्रिक टन/वर्ष,	जारी दिनांक से 01 वर्ष
58.	मेसर्स श्री केशव राईस इण्डस्ट्रीज, प्रोपराईटर श्री अष्वनी कुमार गुप्ता, ग्राम-मझवानी, तहसील-रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	18/02/2025 राईस रॉ-7423 मीट्रिक टन/वर्ष, राईस ब्रोकन-897 मीट्रिक टन/वर्ष राईस ब्रान-1280 मीट्रिक टन/वर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष
59.	मेसर्स श्री गणेश मेटल प्रोडक्टस पतेरा टोला पेण्ड्रा रोड, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	08/05/2002 एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स-420 क्विंटल/वर्ष	13/08/2026
60.	मेसर्स मालती इण्डस्ट्रीज (मिनरल वाटर) सी. एस. ई. बी. के सामने, ग्राम-टीकरकला, पेण्ड्रारोड, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	01/06/2011 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर- 6000 कि. ली./वर्ष	31/03/2018
61.	मेसर्स हर हर महादेव कंस्ट्रक्शन, ग्राम-ढिटोरा, तहसील-मरवारी, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	21/02/2019 माईनिंग ऑफ स्टोन - 2741 टन/वर्ष, क्रशिंग ऑफ स्टोन- 2000 टन/वर्ष	20/02/2025
62.	मेसर्स मां नर्मदा राईस प्रोडक्ट यूनिट 2, ग्राम-मडना, पेण्ड्रा, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	08/05/2021 राईस बॉयल्ड-12000 टन/वर्ष, ब्रान राईस - 540 टन/वर्ष, हस्क (एनीमल फीड) - 5460 टन/वर्ष	17/05/2027
63.	मेसर्स मां नर्मदा एग्रोटेक, ग्राम-मडना, पेण्ड्रा, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	21/07/2021 राईस रॉ -12296 टन/वर्ष, राईस ब्रान - 2016 टन/वर्ष, हस्क (एनीमल फीड) - 6048 टन/वर्ष, राईस ब्रोकन - 1440 टन/वर्ष	30.07.2027
64.	मेसर्स हेमन्त सिंह राठौर (स्टोरेज ऑफ सेण्ड), ग्राम-तराईगांव, तहसील-पेण्ड्रारोड,	पर्यावरणीय स्वीकृति की	-	10/05/2022 स्टोरेज ऑफ सेण्ड - 1250 मीट्रिक	09/05/2025

	जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)	आवश्यकता नहीं है।		टन एक समय पर	
65.	मेसर्स श्याम इंफ्रा. निर्माण प्रा.लि., ग्राम-ठेगाडांड, तहसील-पेण्ड्रारोड, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	-	26/09/2024 वेट मिक्स मटेरियल-1,28,746 क्युबिक मीटर प्रतिवर्ष रिफेक्टरी सीमेंट, मोर्टार, काक्रीट, सीमेंट वर्क - 48763 क्युबिक मीटर प्रतिवर्ष, बिटुमिन-32916 क्युबिक मीटर प्रतिवर्ष	जारी दिनांक से 01 वर्ष

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

कोटा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्थापित उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना, कोल डिपो सहित अन्य व्यवसायिक संस्थानों की वैधता समाप्त होने के पश्चात छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी किये गये नवीनीकरण की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता
1.	मेसर्स महामाया मिनरल्स, ग्राम-कोटा, तह0 कोटा, जिला-बिलासपुर	स्टोन चिप्स - 5000 मी. टन / वर्ष -
2.	मेसर्स जय दुर्गा मिनरल्स (पूर्वनाम-मेसर्स सरजू प्रसाद मिश्रा स्टोन क्रशर), ग्राम-अमाली, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	स्टोन चिप्स - 50,000 मीट्रिक टन/ वर्ष
3.	मेसर्स गोयल क्रशर उद्योग, ग्राम-बाकीघाट, तह. -कोटा, जिला-बिलासपुर	माइनिंग आफ आर्डिनरी स्टोन एण्ड स्टोन चिप्स - 10,000 मी.टन/वर्ष
4.	मेसर्स दीपक कुमार गुप्ता (कोल डिपो), बेलगहा रोड, तालाब के पास कस्गीरोड कोटा, तह.-कोटा, जिला- बिलासपुर	स्टोरेज ऑफ कोल - 250 मी.टन एक समय पर
5.	मेसर्स जगदीश प्रसाद साहू, (कोल डिपो) , ग्राम-चंगोरी, तहसील-कोटा, जिला- बिलासपुर	स्टोरेज ऑफ कोल-250 मीट्रिक टन एक समय पर -
6.	मेसर्स ओमेक्स मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कोटा, कस्गीरोड, बिलासपुर (छ.ग.)	स्टोरेज ऑफ कोल - 50,000 मी.टन एक समय पर
7.	मेसर्स राघव राईस प्रोडक्ट, ग्राम-रतनपुर, कोटा, बिलासपुर	राईस रॉ- 4824 टन/वर्ष, ब्रान राईस - 288 टन/वर्ष, राईस ब्रोकन - 216 टन/वर्ष
8.	मेसर्स पाटिल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यूनिट 2, कस्गी रोड कोटा, जिला-बिलासपुर	कांक्रीट स्लीपर- 1,80,000 नग/वर्ष, रेलवे कांक्रीट स्लीपर -3,00,000 नग/वर्ष -
9.	मेसर्स जय दुर्गा मिनरल्स, श्रीमती पीयूषा मिश्रा, पार्टनर (पूर्वनाम-मेसर्स रॉयलसीमा कांक्रीट स्लीपर्स प्रा. लि.), ग्राम-अमाली, पोस्ट-कोटा, बिलासपुर	स्टोरेज ऑफ सेण्ड - 8000 टन एक समय पर, स्टोरेज ऑफ स्टोन चिप्स - 5000 मी.टन./ एक समय पर
10.	मेसर्स सिद्धि विनायक इण्डस्ट्रीज, वार्ड नं. 07, कोरबा रोड रतनपुर, ग्राम-रतनपुर, तहसील-कोटा, प.ह.नं. 37, खसरा नं. 6489/34, जिला-बिलासपुर	अदर फूड प्रोडक्ट्स एनईसी (फोर्टिफाइड राईस) - 1350 टन/वर्ष
11.	मेसर्स श्री श्याम सुन्दर एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कस्गीखुर्द, मेनरोड, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	राईस रॉ -9648 टन/वर्ष,राईस ब्रोकन -720 टन/वर्ष, ब्रान राईस -432 टन/वर्ष,राईस हस्क - 3600 टन/वर्ष
12.	मेसर्स श्री श्याम एग्रो, ग्राम-बिटकुली, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	रॉ राईस, राईस पेड्डी, अदर (नानॅट हस्क) - 6400 मी.टन/वर्ष
13.	मेसर्स रामा कोल वाशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-अमाली, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	कोल क्रशिंग प्लांट-9,60,000 मीट्रिक टन/वर्ष
14.	मेसर्स श्री ओम राईस मिल, ग्राम-रतनपुर, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	राईस रॉ-5432 टन/वर्ष, राईस ब्रोकन-380 टन/वर्ष, ब्रेन राईस-434 टन/वर्ष
15.	मेसर्स अनमोल राईस मिल, चपोरा रोड रतनपुर, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	अरवा राईस - 3 मीट्रिक टन/घंटा
16.	मेसर्स श्री हरि किशन राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चंगोरी, कस्गीरोड कोटा, जिला-बिलासपुर	राइस रॉ - 6,432 टन/वर्ष, ब्रान राइस - 288 टन/वर्ष, हस्क (एनिमल फीड)-2400 टन/वर्ष, राइस ब्रोकन-480 टन/वर्ष
17.	मेसर्स दादी माँ राईस इण्डस्ट्रीज सुभाश पेट्रोल पंप के पास ग्राम-रानीगांव, तहसील-रतनपुर, जिला-बिलासपुर	राईस रॉ-6432, मीट्रिक टन/वर्ष, ब्रान राईस-288 मीट्रिक टन/वर्ष, हस्क(एनिमल फीड)-2400 मीट्रिक टन/वर्ष राईस ब्रोकन-480 मीट्रिक टन/वर्ष,
18.	मेसर्स श्री गणेश मेटल प्रोडक्टस पतेरा टोला पेण्ड्रा रोड, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स-420 क्विंटल/वर्ष -
19.	मेसर्स मां नर्मदा एग्रोटेक, ग्राम-मडना, पेण्ड्रा, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	राईस रॉ -12296 टन/वर्ष, राईस ब्रान - 2016 टन/वर्ष, हस्क (एनीमल फीड) - 6048 टन/वर्ष, राईस ब्रोकन - 1440 टन/वर्ष

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-स

कोटा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में नवीनीकरण नहीं कराये गये स्थापित उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना, कोल डिपो सहित अन्य व्यवसायिक संस्थानों की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता
1.	मेसर्स महावर क्रेशर उद्योग, सांधीपारा रतनपुर, तह0 कोटा, जिला-बिलासपुर	स्टोन क्रस्ड - 14,400 मी.टन/वर्ष
2.	मेसर्स कृष्णनंदन मिल्क एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि., ग्राम-जाली, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	डेयरी प्रोडक्ट - 1,44,000 कि.ग्रा./वर्ष, प्रोसेस लिक्वड मिल्क - 9,00,000 लीटर/वर्ष
3.	मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स, ग्राम संधीपारा, रतनपुर रोड, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	स्टोरेज ऑफ कोल - 3,000 मी.टन/वर्ष
4.	मेसर्स जिंदल पी.आर.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर बेचिंग कांक्रीट प्लांट, ग्राम-चंगोरी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	कंस्ट्रक्शन सर्विसेस ऑफ ब्रिज ऑफ कांक्रीट ओर अदर मटेरियल फॉर आल टाईप्स ऑफ लैण्ड ट्रांसपोर्ट - 60,000 टन/वर्ष, डी.जी. सेट - 100 केव्हीए
5.	मेसर्स नोबेल इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चोरभट्ठीखुर्द, कोटा रोड तखतपुर, जिला-बिलासपुर	रिफैक्टरी ब्रिक्स, ब्लॉक्स टाईल्स एण्ड सिमिलर रिफैक्टरी सिरामिक कंस्ट्रक्शनल गुड्स, अदर देन दोस ऑफ सिलिसियस अर्थ एनईसी - 12,00,000 नग/वर्ष
6.	मेसर्स पटेल राईस मिल, कोटा, करगी रोड कोटा, बिलासपुर	राईस - 1000 टन/वर्ष
7.	मेसर्स एस. आर. कौशिक स्टोन क्रशर, ग्राम-मटसगरा, पो. मटसगरा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	माईनिंग ऑफ लो ग्रेड लाईम स्टोन- 4500 टन/वर्ष, स्टोन चिप्स - 4500 टन/वर्ष
8.	मेसर्स बिलासपुर पथरापाली रोड प्रा. लि. , ग्राम-सांधीपारा रतनपुर रोड कोटा जिला-बिलासपुर	माईनिंग ऑफ क्वार्टजाईट बोल्डर्स - 1,85,973.73 टन/वर्ष, क्रशिंग ऑफ क्वार्टजाईट बोल्डर्स - 3,75,194.73 मी.टन/वर्ष
9.	मेसर्स ए.एस. इंडस्ट्रीज, ग्राम-जाली, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	अदर फूड प्रोडक्ट - 14,60,000 कि.ग्रा./वर्ष
10.	मेसर्स श्री शुभ कार्पोरेशन, ग्राम-अमाली, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	स्टोरेज ऑफ कोल-20,000 मी.टन एक समय पर, कोल क्रशिंग - 1,00,000 मी.टन/वर्ष
11.	मेसर्स नेचूरल बूम रिसोर्ट एण्ड कंपनी (अनाया रिसोर्ट), ग्राम-करखा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	हाटल्स एण्ड रेस्टोरेंट (अनाया रिसार्ट)100 व्यक्ति/दिन-टोटल प्लाट एरिया-22,990 स्क्वायर मीटर, टोटल बिल्डअप एरिया-1414.55 स्क्वायर मीटर
12.	मेसर्स अरिहंत राईस मिल, ग्राम-मझगवां, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	राईस पेड्डी अदर (नॉट हस्क)-3400 मीट्रिक टन/वर्ष, राईस ब्रोकन-350 मीट्रिक टन/वर्ष,ब्रान राईस-350 मीट्रिक टन/वर्ष, हस्क (एनिमल फीड)-700 मीट्रिक टन/वर्ष, प्रिपरेशन युज्ड इन एनिमल फीडिंग-100 मीट्रिक टन/वर्ष
13.	मेसर्स उर्मिला एग्रो, ग्राम-चंगोरी लखोदना रोड, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	राइस रॉ - 6,432 टन/वर्ष, ब्रान राइस - 288 टन/वर्ष, हस्क (एनिमल फीड)-2400 टन/वर्ष,राइस ब्रोकन-480 टन/वर्ष
14.	मेसर्स महक इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चोरभट्ठी खुर्द, कोटा रोड, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर	सोडियम सिलिकेट-6000 टन/वर्ष
15.	मेसर्स राजमुनि एग्रो, ग्राम-पीपरतराई, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	राईस रा-16080 मी.टन/वर्ष, राईस ब्रोकन-1200 मी.टन वर्ष, ब्रान राईस-720 मी.टन/वर्ष, राईस हस्कड-6000 मी.टन/वर्ष
16.	मेसर्स आलोक एग्रो केमिकल्स, ग्राम-भेलवाटीकरा, शक्तीबहरा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	हजार्डस पेस्टीससाईड्स (मिक्सिंग)- 20 टन/वर्ष
17.	मेसर्स महावीर कोल वाशरी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खरगहनी, पथर्रा, रेलवे क्राशिंग गेट, बिलासपुर रेलवे साईडिंग	रेलवे साईडिंग कम डिस्पेच फैसिलिटी - 10 मीट्रिक टन/वर्ष
18.	मेसर्स मालती इण्डस्ट्रीज़ (मिनरल वाटर) सी. एस. ई. बी.	पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर- 6000 कि. ली./वर्ष

	के सामने, ग्राम- टीकरकला, पेण्ड्रारोड, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	
19.	मेसर्स हर हर महादेव कंस्ट्रक्शन, ग्राम-ढिटोरा, तहसील-मरवारी, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	माईनिंग ऑफ स्टोन - 2741 टन/वर्ष, क्रशिंग ऑफ स्टोन- 2000 टन/वर्ष
20.	मेसर्स हेमन्त सिंह राठौर (स्टोरेज ऑफ सेण्ड), ग्राम-तराईगांव, तहसील-पेण्ड्रारोड, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	स्टोरेज ऑफ सेण्ड - 1250 मीट्रिक टन एक समय पर

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - छप्पन
अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 560) की जानकारी

प्रपत्र

ग्राम–पोड़ी, थाना–सीपत, वि.ख.–मस्तूरी के धीवर जाति (ओ.बी.सी.) वर्ग के लोगों के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा का जाति प्रमाण–पत्र बनवा कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले पर की गई कार्यवाही :–

1.श्री रूपराम बैगा –इनके नियोक्ता विभाग ने संबंधित के जाति प्रमाण–पत्र की जाँच हेतु छानबीन समिति को प्रेषित किया। समिति ने प्रकरण को पंजीयन नं. 105 में पंजीबद्ध करते हुये प्रक्रिया के क्रम में प्रकरण विजिलेंस सेल को अन्वेषण हेतु दिनाँक 31.01.2005 एवं 22.02.2005 को सौंपा गया।

विजिलेंस सेल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संबंधित को कारण बताओ नोटिस प्रेषित कर धारक को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनाँक 11.12.2006 एवं 19.09.2011 आदेश पारित किया गया है।

गलत जाति प्रमाण–पत्र को दिनाँक 11.12.2006 में निरस्त किया गया। आरक्षित पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त करने की अनुसंशा की गई। धारक ने दिनाँक 19.08.2010 को मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर से स्थगन प्राप्त किया। धारक की मृत्यु हो जाने के कारण दिनाँक 19.09.2011 को समिति द्वारा पूर्व में पारित आदेश को यथावत रखा गया।

2. श्री कांशीराम बैगा – इनके नियोक्ता विभाग ने संबंधित के जाति प्रमाण–पत्र की जाँच हेतु छानबीन समिति को प्रेषित किया। समिति ने प्रकरण को पंजीयन नं. 205 में पंजीबद्ध करते हुये प्रक्रिया के क्रम में प्रकरण विजिलेंस सेल को अन्वेषण हेतु दिनाँक 12.01.2006, 29.03.2006 एवं 22.05.2006 को सौंपा गया।

विजिलेंस सेल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संबंधित को कारण बताओ नोटिस प्रेषित कर धारक को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनाँक 27.08.2007 एवं 13.11.2017 आदेश पारित किया गया है।

जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया। दिनाँक 27.08.2007 को गलत जाति प्रमाण–पत्र निरस्त किया गया एवं कलेक्टर, बिलासपुर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया। धारक ने दिनांक 09.07.2012 को मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर से स्थगन प्राप्त किया। समिति द्वारा दिनाँक 13.11.2017 को पारित निर्णय में बैगा, अनुसूचित जनजाति का मान्य किया गया। धारक के जाति प्रमाण–पत्र संदेहास्पद होने के कारण मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आलोक में दिनाँक 04.08.2018 को धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण विजिलेंस सेल को अन्वेषण हेतु पुनः सौंपा गया। प्रकरण सुनवाई हेतु प्रक्रियाधीन है।

3. **श्री मथुरा प्रसाद बैगा** –इनके नियोक्ता विभाग ने संबंधित के जाति प्रमाण–पत्र की जाँच हेतु छानबीन समिति को प्रेषित किया। समिति ने प्रकरण को पंजीयन नं. 206 में पंजीबद्ध करते हुये प्रक्रिया के क्रम में प्रकरण विजिलेंस सेल को अन्वेषण हेतु दिनाँक 29.12.2006 एवं 21.06.2007 को सौंपा गया।

विजिलेंस सेल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संबंधित को कारण बताओ नोटिस प्रेषित कर धारक को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनाँक 24.11.2008 आदेश पारित किया गया है।

गलत जाति प्रमाण–पत्र निरस्त कर सेवा समाप्ति हेतु नियोक्ता विभाग को लेख किया गया है। धारक ने दिनांक 29.10.2009 को मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर से स्थगन प्राप्त किया है।

4. **श्री पुरूषोत्तम लाल बैगा** –इनके द्वारा गलत जाति प्रमाण–पत्र (बैगा) प्राप्त कर औषधि संयोजक के पद पर कार्यरत होने की शिकायत की जाँच हेतु छानबीन समिति को प्राप्त हुआ। समिति ने प्रकरण को पंजीयन नं. 539 में पंजीबद्ध करते हुये प्रक्रिया के क्रम में प्रकरण विजिलेंस सेल को अन्वेषण हेतु दिनांक 07.12.2021 को सौंपा गया है। प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

अनुभाग अधिकारी,
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 562) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क	जिला	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	परिवार संख्या
1	2	3	4	5
1	गौरेला पेंड्रा मरवाही	गौरेला	साल्हेघोरी	363
2			अंधियारखोह	123
3			डहिबहरा	112
4			पण्डरीपानी	119
5			धनौली	244
6			करंगरा	92
7			बेदखोदरा	21
8			चुक्तिपानी	162
9			बेलगहना	19
10			केंवची	103
11			देवरगांव	167
12			पकरिया	32
13			आमाडोब	110
14			ठाड़पथरा	181
15			तंवरडबरा	111
16			पीपरखुंटा	98
17			बनघाट	38
योग गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला				**2095**
1	बिलासपुर	कोटा	टाटीढार	215
2			मोहली	46
3			खोंगसरा	83
4			चुरेली	12
5			छतौना	14
6			उपका	7
7			कारवा	55
8			सरगोड़	39
9			परसापानी	25
10			चिखलाडबरा	14
11			उमरिया	150
12			लुफा	104
13			भेलवा टिकरा	3
14			बहेरामुंडा	107
15			कुरदर	155
16			औरापानी	43
17			करहीकछार	47
18			खैरझिटी	67
19			कुम्हाड़ाखोल	6

क	जिला	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	परिवार संख्या
1	2	3	4	5
20			पुडु	8
21			पीपरपारा	2
22			डारसागर	66
23			बांसाझाल	32
24			बारीडिह	24
25			सिवतराई	22
26			नेवसा	21
27			नागचुवा	10
28			डिनडोल	25
29			धुमा	50
30			धनरास	6
31			करका	55
32			करपिहा	7
योग कोटा विकासखण्ड				**1520**
1	बिलासपुर	तखतपुर	बरगानरीत	13
2			राम्हेपुर	47
योग तखतपुर विकासखण्ड				**60**
कुल योग बिलासपुर जिला				**1580**

अनुभाग अधिकारी,
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र "ब"

क्र.	जिला का नाम	तहसील का नाम	आवेदन क्र.	आवेदनकर्ता का नाम	लाभार्थी का नाम	ग्राम	जाति	पिता का नाम	जारी करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गौरेला–पेण्ड्रा –मरवाही	पेण्ड्रा	0704012428008901	बुद्धु बैगा	राबगनी बैगा	अड़भार	बैगा	बुद्धु बैगा	22.11.2024
2			0704012128004731	वर्षा बैगा	वर्षा बैगा	अड़भार	बैगा	बुद्धु बैगा	18.06.2021
3			0704012328006784	तेरसू बैगा	सागर बैगा	अड़भार	बैगा	तेरसू बैगा	14.03.2024
4			0704012428000649	बदनेश बैगा	बदनेश बैगा	पेण्डरा	बैगा	राम कुमार बैगा	28.02.2024
5			0704012428008998	रबवि बैगा	पुष्पा बैगा	पेण्डरा	बैगा	रबवि बैगा	12.12.2024
6			0704012428009834	रमेश बैगा	राम बैगा	पेण्डरा	बैगा	रमेश बैगा	17.12.2024

अनुभाग अधिकारी
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र "स"

ग्राम–पोड़ी, थाना–सीपत, वि.ख.–मस्तूरी के धीवर जाति (ओ.बी.सी.) वर्ग के लोगों के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा का जाति प्रमाण–पत्र बनवा कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले पर की गई कार्यवाही :–

1.श्री रूपराम बैगा –इनके नियोक्ता विभाग ने संबंधित के जाति प्रमाण–पत्र की जाँच हेतु छानबीन समिति को प्रेषित किया। समिति ने प्रकरण को पंजीयन नं. 105 में पंजीबद्ध करते हुये प्रक्रिया के क्रम में प्रकरण विजिलेंस सेल को अन्वेषण हेतु दिनाँक 31.01.2005 एवं 22.02.2005 को सौंपा गया।

विजिलेंस सेल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संबंधित को कारण बताओ नोटिस प्रेषित कर धारक को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनाँक 11.12.2006 एवं 19.09.2011 आदेश पारित किया गया है।

गलत जाति प्रमाण–पत्र को दिनाँक 11.12.2006 में निरस्त किया गया। आरक्षित पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त करने की अनुसंशा की गई। धारक ने दिनाँक 19.08.2010 को मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर से स्थगन प्राप्त किया। धारक की मृत्यु हो जाने के कारण दिनाँक 19.09.2011 को समिति द्वारा पूर्व में पारित आदेश को यथावत रखा गया।

2. श्री कांशीराम बैगा – इनके नियोक्ता विभाग ने संबंधित के जाति प्रमाण–पत्र की जाँच हेतु छानबीन समिति को प्रेषित किया। समिति ने प्रकरण को पंजीयन नं. 205 में पंजीबद्ध करते हुये प्रक्रिया के क्रम में प्रकरण विजिलेंस सेल को अन्वेषण हेतु दिनाँक 12.01.2006, 29.03.2006 एवं 22.05.2006 को सौंपा गया।

विजिलेंस सेल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संबंधित को कारण बताओ नोटिस प्रेषित कर धारक को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनाँक 27.08.2007 एवं 13.11.2017 आदेश पारित किया गया है।

जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया। दिनाँक 27.08.2007 को गलत जाति प्रमाण–पत्र निरस्त किया गया एवं कलेक्टर, बिलासपुर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया। धारक ने दिनांक 09.07.2012 को मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर से स्थगन प्राप्त किया। समिति द्वारा दिनाँक 13.11.2017 को पारित निर्णय में बैगा, अनुसूचित जनजाति का मान्य किया गया। धारक के जाति प्रमाण–पत्र संदेहास्पद होने के कारण मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आलोक में दिनाँक 04.08.2018 को धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण विजिलेंस सेल को अन्वेषण हेतु पुनः सौंपा गया। प्रकरण सुनवाई हेतु प्रक्रियाधीन है।

3. **श्री मथुरा प्रसाद बैगा** –इनके नियोक्ता विभाग ने संबंधित के जाति प्रमाण–पत्र की जाँच हेतु छानबीन समिति को प्रेषित किया। समिति ने प्रकरण को पंजीयन नं. 206 में पंजीबद्ध करते हुये प्रक्रिया के क्रम में प्रकरण विजिलेंस सेल को अन्वेषण हेतु दिनाँक 29.12.2006 एवं 21.06.2007 को सौंपा गया।

विजिलेंस सेल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संबंधित को कारण बताओ नोटिस प्रेषित कर धारक को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनाँक 24.11.2008 आदेश पारित किया गया है। गलत जाति प्रमाण–पत्र निरस्त कर सेवा समाप्ति हेतु नियोक्ता विभाग को लेख किया गया है। धारक ने दिनांक 29.10.2009 को मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर से स्थगन प्राप्त किया है।

4. **श्री पुरूषोत्तम लाल बैगा** –इनके द्वारा गलत जाति प्रमाण–पत्र (बैगा) प्राप्त कर औषधि संयोजक के पद पर कार्यरत होने की शिकायत की जाँच हेतु छानबीन समिति को प्राप्त हुआ। समिति ने प्रकरण को पंजीयन नं. 539 में पंजीबद्ध करते हुये प्रक्रिया के क्रम में प्रकरण विजिलेंस सेल को अन्वेषण हेतु दिनांक 07.12.2021 को सौंपा गया है। प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-अ

कांकेर जिले में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा संचालित आवास निर्माण व आवासीय भूखंड विक्रय की योजना की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	योजना में कुल स्वीकृत आवासीय भवनों/भूखण्डों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	निर्माणाधीन भवनों की संख्या	निर्माण हेतु शेष भवनों की संख्या	योजना पूर्णता की स्थिति	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीनदयाल आवास योजना ठेलकाबोड कांकेर	86	86	0	0	पूर्ण	निर्मित समस्त भवनों का विक्रय किया जा चुका है।
2	अटल विहार योजना श्रीरामनगर कांकेर	354	216	33	105	निर्माणाधीन	पंजीयन के आधार पर भवनों का निर्माण चरणों में किया जा रहा है।
3	अटल आवास योजना कराठी भानुप्रतापपुर	213	126	0	87	अपूर्ण	शेष भवनों का विक्रय किया जा रहा है एवं निर्माण शीघ्र प्रस्तावित है।
4	अटल आवास योजना बारगरी चारामा	206	66	0	140	अपूर्ण	शेष भवनों का निर्माण पंजीयन प्राप्त होने पर किया जाना प्रस्तावित है।
	कुल योग	859	494	33	332		

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

आवासीय भवन/व्यावसायिक दुकान क्रय करने हेतु नियम/शर्तें

1. EWS भवनों के पंजीयन हेतु आवेदन शुल्क रू. 200/-, LIG भवन हेतु रु. 300, LIG हेतु रू. 1000/- एवं दुकान हेतु रू. 1200/- निर्धारित है, जिसे ऑनलाईन आवेदन के समय धरोहर राशि के साथ ऑनलाईन गुगतान करेंगे।
2. नियमानुसार EWS भवन हेतु रु. 25000/-, LIG भवन हेतु रु. 50000/- व अन्य (MIG भवन व दुकान) हेतु घोषित मूल्य की 10% राशि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ (NEFT/RTGS/NET BANKING/DEBIT CARD/CREDIT CARD/UPI) के माध्यम से जमा किया जावेगा। धरोहर राशि प्राप्त होने पर ही आवेदन/ऑफर स्वीकार किया जावेगा, नियत समयावधि में सम्पूर्ण धरोहर राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पंजीयन स्वीकार्य नहीं होगा।
3. LIG के लिए आवेदक की वार्षिक आय सीमा रु. 6,00,000/- तक (रुपये छः लाख तक) (अधिकतम) एवं EWS के लिए वार्षिक आय सीमा रु. 3,00,000/- (रुपये तीन लाख तक) (अधिकतम) पात्रता माप दण्ड है। LIG एवं EWS के हितग्राहियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।
4. (अ) नवीन परियोजनाओं में आरक्षण हेतु प्रावधान भवन का आवंटन मण्डल की आवासीय योजनाओं के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। जिसमे (1) अनु. जनजाति 4% (2) अनुसुचित जाति 6% (3) पिछड़ा वर्ग 6% (4) मंडल कर्मचारी 1% (5) स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों के लिए 1% (6) सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2% (7) दिव्यांग (PWD) के लिए 3% (8) निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए 2% (9) तृतीय लिंग समुदाय/एच.आई.वी. संक्रमित 2% (10) पत्रकार 2% (11) शासकीय कर्मचारी (रायपुर हेतु) 5% (12) शासकीय कर्मचारी (अन्य नगर हेतु) 3% आरक्षित वर्ग में आवंटन किया जावेगा।
(ब) आवेदक द्वारा ऑनलाईन पंजीयन करते समय यदि आरक्षित वर्ग का चयन करता है तो वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
5. ऑफर के माध्यम से विक्रय हेतु उपलब्ध संपतियो हेतु प्राप्त उच्चतम ऑफर का निर्णय प्रत्येक 15 दिवस पश्चात् प्रदान किया जावेगा व उक्त समय तक धरोहर राशि बिना ब्याज के मण्डल के पास जमा रहेगी।
6. ऑफर में प्राप्त उच्चतम ऑफर वाले व्यक्ति की ही धरोहर राशि मण्डल अपने पास रखेगी व अन्य ऑफरकर्ताओं की राशि ऑफर खोलने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।
7. ऑफर स्वीकृति/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा व इसका कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
8. धरोहर राशि भवन/दुकान के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन/ऑफर स्वीकृत होने के पश्चात यदि हितग्राही द्वारा जमा राशि वापस मांग की जाती है तो जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी, एवम शेष जमा राशि (यदि जमा किया गया हो तो) बिना ब्याज के वापस की जावेगी।

9. ऑफर आधार पर आबंटित संपत्ति हेतु ऑफर स्वीकृति के उपरांत ऑफर की शेष राशि मण्डल द्वारा निर्धारित भुगतान तालिका/किश्तों के अनुसार जमा करना होगा, विलम्ब की स्थिति में नियमानुसार ब्याज आबंटी को देय होगा या आबंटन आदेश निरस्त किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
10. हितग्राही को भवन/दुकान का आधिपत्य भवन निर्माण पूर्ण होने पर दिया जावेगा अथवा अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में दिया जावेगा। आबंटित संपत्ति हेतु मण्डल द्वारा योजना कार्यादेश जारी होने के 05 वर्ष की अवधि मे पूर्ण की जावेगी। योजना में विलम्ब की स्थिति में संपदा अधिकारी देय किश्तों का पुनः निर्धारण कर समय पर हितग्राहियों को सूचित करेंगे।
11. योजना के अंतर्गत प्रस्तावित/निर्माणाधीन/निर्मित भूखण्डों एवं भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत् किया जावेगा। रजिस्ट्री का व्यय संबंधित हितग्राही को वहन करना होगा एवं फ्री-होण्ड की कार्यवाही आबंटी स्वयं के व्यय से करेंगे।
12. उक्त योजना छ0ग0 रेरा एवं मण्डल द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्तें को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा। योजना अवधि में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कोई नया कर/शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो आवेदक को भारित किया जावेगा, जो आवेदक द्वारा देय होगा।
13. आबंटित भवन यदि कार्नर या बेटर लोकेशन पर हो तो मंडल नियमानुसार कार्नर लोकेशन बेटर लोकेशन शुल्क पृथक से देय होगा।
14. भवन के डिजाईन तथा स्पेसीफिकेशन मण्डल द्वारा ही तय किये जायेंगे, बुकलेट में दर्शाये गए स्पेशिफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए मण्डल स्वतंत्र है, इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।
15. निर्माण पूर्णता पश्चात् अंतिम आबंटन आदेश के अनुसार भवन/दुकान का सपूर्ण राशि 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा एवं संपूर्ण राशि जमा होने के पश्चात ही सेलडीड/लीजडीड (रजिस्ट्री) की कार्यवाही की जावेगी तथा सेलडीड/ लीजडीड निष्पादित होने के उपरांत एवं पंजीकृत सेलडीड/लीजडीड की सत्याप्रति प्रस्तुत करने पर ही भौतिक आधिपत्य सौंपा जायेगा।
16. निर्माण पूर्णता पश्चात् आधिपत्य आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिन के अंदर भवन का भौतिक आधिपत्य आबंटी को लेना अनिवार्य है। 45 दिन की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात स्वमेव भौतिक आधिपत्य लिया हुआ माना जावेगा कि आबंटी द्वारा भवन का भौतिक आधिपत्य ले लिया गया है तथा देखरेख एवं रखरखाव की पूर्ण जवाबदारी आबंटी की होगी। मण्डल द्वारा 45 दिन की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् भवनों का रखरखाव मरम्मत कार्य नहीं किया जावेगा। आबंटी यथा स्थिति में भवन रखने हेतु बाध्य होगा। इस अवधि के पश्चात् पृथक से भौतिक आधिपत्य की आवश्यकता नहीं होगा।
17. (अ) भवन के विज्ञापित अनुमानित मूल्य में अग्रिम लीजरेन्ट, भू-संधारण शुल्क, अन्य प्रभार जो आबंटन की तिथि में प्रभावशाली है, समाहित है।

(ब) हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नगर निगम/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।

18. पंजीयन एवं किश्तों की निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने की दशा में देय राशि अगले कार्य दिवस को स्वीकार की जावेगी।
19. आबंटित संपत्ति हेतु योजना अंतर्गत आबंटित भूखण्ड पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु रू. 50/ के नान-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर भवन के आबंटन पश्चात् सहमति निर्धारित प्रारुप में आबंटी को देना होगा।
20. भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
21. ऐसी योजना/योजनाएं जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना/योजनाएं ली जानी मण्डल हित में नहीं होगा, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि छ0ग0 रेरा एवं मण्डल नियमानुसार उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थानांतरित कर या चेक द्वारा वापस किया जावेगा।
22. इस योजना को लेकर यदि कोई भूमि अथवा न्यायालीन विवाद होता है तो योजना में विलंब हो सकता है जिस हेतु पंजीयनकर्ताओं को पृथक से कोई ब्याज अथवा हानि अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा। ऐसे विवादों के कारण यदि आबंटन रद्द भी होता है तो पंजीयनकर्ताओं को किसी भी प्रकार से ब्याज हानि/मुआवजा नहीं मिलेगी। इन शर्तों को पंजीयनकर्ताओं को मंजूर हैं, जानते हुए भवनों का आबंटन किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में पंजीयनकर्ता स्वतः पजीयन रद्द/वापस करने हेतु जिम्मेदार होंगे। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
23. भवनों /दुकानों हेतु नगर निगम/स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित अन्य सभी कर भी नियमानुसार देय होंगे।
24. इस आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर मण्डल को अधिकार होगा कि आबंटन रद्द कर दें।
25. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर एवं छ0ग0 रेरा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
26. मण्डल द्वारा कॉलोनी का रखरखाव तथा जलप्रदाय, सीवर लाईन, रोड, नाली की साफ सफाई एवं स्ट्रीट लाईट आदि संपदा अधिकारी द्वारा प्रथम आधिपत्य आदेश जारी होने के तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक किया जावेगा।
27. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कॉलोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में समस्त हितग्राहियों, चाहे वे स्वतंत्र भवन या प्रकोष्ठ भवन के हितग्राही हो मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों की सामूहिक व्यवस्थाओं के रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 5% अतिरिक्त राशि ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव

मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि मण्डल के नियमानुसार प्रदान किया जावेगा। मण्डल द्वारा 05 साल के पश्चात् किसी भी स्थिति में कॉलोनी रख-रखाव का कार्य नहीं किया जायेगा।

28. (अ) आबंटी आधिपत्य पश्चात् आवासीय परिसर की समिति का सदस्य बनने के लिए सहमत होगा। (ब) समिति गठन हेतु मण्डल के अधिकारी से समन्वय कर निर्मित भवनों में 51% व्यक्तियों द्वारा अधिपत्य प्राप्त होने के तिथि 03 वर्ष के भीतर समिति का गठन अनिवार्य होगा तथा 51% आधिपत्य पश्चात 05 वर्ष की अधिकतम समयावधि के लिए संधारण हेतु मण्डल उत्तरदायी होगा।
29. 03 वर्ष के भीतर समिति का गठन नहीं होने पर आबंटियो के मध्य से प्रथम 10 आबंटित सदस्यों को कॉलोनीवासियों की समिति का कार्यवाही सदस्य मानते हुए मण्डल के अधिकारी द्वारा पहल करते हुए, उक्त समिति का गठन कर निर्धारित प्रावधानों को पूर्ण कराया जावेगा।
30. समिति गठन होने के पूर्व जब तक कॉलोनी में मण्डल द्वारा जल प्रदाय एवं भू-संधारण/रख-रखाव किया जावेगा तब तक समस्त आबंटी मण्डल द्वारा निर्धारित जलकर एवं भू-संधारण शुल्क छ.ग. गृह निर्माण मण्डल को देने हेतु बाध्य रहेंगे। यदि आबंटी द्वारा लगातार तीन माह तक जलकर एवं भू-संधारण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो नल कनेक्शन काटने हेतु मण्डल स्वंत्रत रहेगा। जलकर एवं भू-संधारण शुल्क में बढ़ोतरी/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा। संशोधित शुल्क समस्त आंबटियों को मान्य रहेगा।
31. आवेदक द्वारा भवन का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य एवं दुकानो का उपयोग केवल व्यवसायिक उद्देश्य हेतु किया जावेगा।
32. आबंटी आबंटित भू-खण्ड से अधिक क्षेत्रफल पर कब्जा नहीं करेगा अन्यथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
33. यदि आबंटित भूखण्ड से लगी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है तो आबंटी की मांग पर उस अतिरिक्त भूखंड की राशि भुगतान करने पर आबंटन की कार्यवाही की जावेगी। अतिरिक्त भूखंड आबंटन करने का सम्पूर्ण अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित होगा। यदि मण्डल चाहे तो उक्त अतिरिक्त भूखण्ड किसी अन्य हितग्राही को भी आबंटित कर सकता है, मण्डल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
34. आबंटी, मण्डल व स्थानीय निकाय से अनापत्ति/अनुमति प्राप्त किये बगैर भवन में किसी भी प्रकार के निर्माण, परिवर्तन/परिवर्धन नहीं कर सकेगा। निर्माण के पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर मण्डल द्वारा अनुमति/अनापत्ति दी जावेगी। तत्पश्चात ही निर्माण वैध माना जावेगा।
35. आबंटित भवन लीज पर आबंटित है, मण्डल नियमानुसार लीज रेंट हितग्राही को देय होगा तथा मण्डल से अनुमति/अनापत्ति के बगैर आबंटित संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकेगा।
36. आबंटी द्वारा भवन/भू-खण्ड में अथवा कॉलोनी की भूमि पर मण्डल की अनापत्ति के बगैर बोर खनन नहीं किया जावेगा एवं ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा जिससे की सार्वजनिक हित के कार्य/सेवा में कमी होती हो/बाधित होती हो अथवा कमी होने की बाधित होने की संभावना होती है। यदि ऐसा कोई भी कार्य आबंटी द्वारा किया जाता तो मण्डल उक्त कार्य को रोकने/बंद करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा।

37. स्थानीय निकाय, राज्य शासन, केन्द्र शासन द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क आदि प्रभारित किया जाता हैं तो वह भी पृथक से देय होंगे।
38. हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नगर निगम/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।
39. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता, फोन नं./मोबाईल नं, ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें, अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर मण्डल की जबाबदारी नहीं होगी।
40. हितग्राही अपने आवास में कम से कम दो पौधे अवश्य लगायें साथ ही सड़क या आवास के आस-पास लगाए गए पौधों की सुरक्षा का ध्यान आवश्यक रुप से देंगें।
41. अन्य जानकारी छत्तीसगड गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के टोल फ्री नंबर-1800-121-6313/सूचना केन्द्र/संपदा अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है एवं मण्डल के वेबसाईट www.cghb.gov.in में देखी जा सकती है।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 573) की जानकारी

प्रपत्र

कांकेर जिले के अंतर्गत क्रशर प्लांट के संचालकों के नाम व पता, सम्मति वैधता, खदान क्षेत्र की लीज अवधि की जानकारी

क्रं.	उद्योग का नाम एवं पता	खदान क्षेत्र की लीज अवधि	क्रशर हेतु जारी जल एवं वायु सम्मति की वैधता	क्रेशर प्लांट संचालक का नाम व पता	संचालित / बंद
खदान क्षेत्र के भीतर स्थापित क्रशर प्लांट की जानकारी					
1	2	3	4	5	6
1.	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-मेटाबोदेली, तहसील-पखांजूर, जिला-कांकेर	17.01.2002 से 16.01.2052	05.05.2029	श्री एस.के मोईत्रा, एसोसिएट डायरेक्टर आफ मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	संचालित
2.	मेसर्स गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड(आरीडोंगरी आयरन ओर माईन), ग्राम-कच्चे, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर	30.09.2008 से 29.09.2058	15.08.2025	श्री विनोद पिल्लई, डायरेक्टर, बस स्टैंड पंडरी, रायपुर	संचालित
3.	मेसर्स मोहम्मद जावेद स्टोन क्रशर खसरा क्रमांक 1626, 1640/1, रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम- खैरखेड़ा, तहसील-चारामा जिला-कांकेर	16.12.1998 से 15.12.2028	28.07.2025	मोहम्मद जावेद शीतला पारा कांकेर जिला-कांकेर	संचालित
4.	मेसर्स मोहम्मद हनीफ स्टोन क्रशर ग्राम- खैरखेड़ा, तहसील-चारामा जिला-कांकेर	16.04.1999 से 15.04.2029	05.10.2025	मोहम्मद हनीफ लटटी पारा, कांकेर जिला कांकेर	संचालित
5.	मेसर्स बाफना मिनरल्स, खसरा क्रमांक 362, रकबा 5.19 एकड़ ग्राम- खैरखेड़ा, तहसील-चारामा जिला-कांकेर	01.04.1997 से 31.03.2027	28.07.2025	श्री यश बाफना बाफना लॉन, एन एच 30, सिंगारभाट कांकेर जिला-कांकेर	संचालित
6.	मेसर्स बाफना मिनरल्स, खसरा क्रमांक 38, रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम-कोटेला, तहसील-चारामा जिला-कांकेर	08.10.2002 से 07.10.2032	28.07.2025	श्रीमती मीता बाफना, जैन मंदिर के सामने, राजा पारा, कांकेर, जिला कांकेर	संचालित
7.	मेसर्स एम जे बिल्डकॉन (पुराना नाम मेसर्स जैन क्रशर मटेरियल्स),ग्राम- माकड़ी सिंगराय, तहसील-कांकेर, जिला-कांकेर	19.06.2003 से 18.06.2033	31.03.2026	मोहम्मद जावेद शीतला पारा कांकेर जिला-कांकेर	संचालित
8.	मेसर्स ड्रीम स्टोन क्रशर, खसरा क्रमांक 120, रकबा 1.3 हेक्टेयर, ग्राम- गट्टागुडम, तहसील-नरहरपुर, जिला-कांकेर	13.09.2006 से 20.09.2036	06.01.2026	श्री यशवंत सिन्हा अलबेला पारा, कांकेर जिला-कांकेर	संचालित
9.	मेसर्स मोहम्मद रफीक स्टोन क्रशर, खसरा क्रमांक 54, रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम- नवागाँव भोंगिर, तहसील-कांकेर जिला-कांकेर	04.02.2008 से 03.02.2038	28.07.2025	मोहम्मद रफीक संजय नगर कांकेर जिला-कांकेर	संचालित
10.	मेसर्स संजय कृष्णानी स्टोन क्रशर, खसरा क्रमांक 24, रकबा 1.89 हेक्टेयर ग्राम-मनकेशरी, तहसील-कांकेर, जिला-कांकेर	03.02.2009 से 02.02.2039	15.08.2025	श्री संजय कृष्णानी बायपास रोड, मनकेशरी, जिला-कांकेर	संचालित
11.	मेसर्स आशीर्वाद स्टोन इंडस्ट्रीज़ खसरा क्रमांक 05, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम-श्याम नगर, पी वी 14, पखांजुर तहसील-पखांजुर, जिला-कांकेर	14.01.2003 से 13.01.2033	14.01.2026	श्री मनोज मण्डल पी वी 116, पखांजुर तहसील-पखांजुर, जिला-कांकेर	संचालित

12.	मेसर्स आर.एस. इंटरप्राइजेस, ग्राम-कुरुभाट, तहसील-चारामा, जिला-कांकेर	08.01.2003 से 07.01.2033	26.05.2025		वर्तमान में बंद
	अन्य क्रशर प्लांट की जानकारी				
13.	मेसर्स एस आर सरकार स्टोन क्रशर एण्ड हॉटमिक्स प्लांट, ग्राम-फुरफूंदी, पखांजुर तहसील-पखांजुर, जिला-कांकेर	लागू नहीं	18.04.2025	श्री एस आर सरकार ग्राम-फुरफूंदी, पखांजुर तहसील-पखांजुर, जिला-कांकेर	वर्तमान में बंद।
14.	मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स, खसरा क्रमांक 657, रकबा 2.09 हेक्टेयर, ग्राम- केवटिनटोला, तहसील-कांकेर, जिला-कांकेर	लागू नहीं	09.08.2026	श्री अजय गुप्ता ग्राम-केवटिनटोला, तहसील-कांकेर जिला-कांकेर	संचालित
15.	मेसर्स वी वी क्रशर, सरा क्रमांक 297, रकबा 0.26 हेक्टेयर, ग्राम- जुनवानी, तहसील-नरहरपुर जिला-कांकेर	लागू नहीं	15.08.2025	श्री वशिष्ठ कश्यप ग्राम- जुनवानी, तहसील-नरहरपुर जिला-कांकेर	संचालित
16.	मेसर्स एल सी कटरे स्टोन क्रशर, खसरा क्रमांक 320, रकबा 2.86 हेक्टेयर, ग्राम-डोंगरकट्टा, तहसील-भानुप्रतापपुर जिला-कांकेर	लागू नहीं	22.07.2020	श्री एल सी कटरे राजनारायण सिंह मिशन रोड, कोरबा	वर्तमान में बंद।
17.	मेसर्स ड्रीम स्टोन क्रशर, खसरा क्रमांक 733, रकबा 1.04 हेक्टेयर, ग्राम- घोटियावाही, तहसील-नरहरपुर, जिला-कांकेर	लागू नहीं	04.02.2026	श्री यशवंत सिन्हा अलबेला पारा, कांकेर जिला-कांकेर	संचालित
18.	मेसर्स संजय कृष्णानी स्टोन क्रशर, खसरा क्रमांक 712/3, 722, रकबा 0.80 हेक्टेयर, ग्राम- कोड़ेजुंगा, तहसील-कांकेर जिला-कांकेर	लागू नहीं	01.05.2028	श्री संजय कृष्णानी बायपास रॉड, मनकेशरी, जिला-कांकेर	संचालित
19.	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, खसरा क्रमांक 293/1, 240 एवं 245, रकबा 4.23 हेक्टेयर, ग्राम- डब्बीपानी, तहसील-नरहरपुर, जिला-कांकेर	लागू नहीं	30.11.2025	श्री संजीव कुमार सिंह प्लॉट नं. 5, गोविंद नारायण सिंह गेट के अंदर, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)	संचालित
20.	मेसर्स सूरज कश्यप स्टोन क्रशर, खसरा क्रमांक 2193, 2830/2196 रकबा 1.10 हेक्टेयर ग्राम-खैरखेड़ा, तहसील-चारामा जिला-कांकेर	लागू नहीं	24.11.2025	श्री सूरज कश्यप शिवाजी वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर	संचालित
21.	मेसर्स के वी एम प्रोजेक्ट लिमिटेड, खसरा क्रमांक 1008/1 1008/2, 1008/3, 1008/4, रकबा 7.08 एकड़, ग्राम-बासनवाही, तहसील-सरोना, जिला-कांकेर	लागू नहीं	31.05.2027	श्री अमित कुमार श्रीवास मेसर्स के वी एम प्रोजेक्ट लिमिटेड, एकता नगर, ठेलकाबोड, कांकेर जिला-कांकेर	संचालित
22.	मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, खसरा क्रमांक 1008/3, 1041/3, 1038, 1047/1, 1008/2, 1037/1, 1042/1, 1034 एवं 1038, रकबा 14.141 हेक्टेयर, ग्राम-गढ़ियापारा बासनवाही, तहसील-सरोना, जिला-कांकेर	लागू नहीं	31.07.2025	श्री पिंटू जेना ग्राम- बासनवाही, तहसील-सरोना जिला-कांकेर	संचालित

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पपत्र–'अ'

वित्तीय वर्ष 2022–23 में विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जाति उपयोजना (SCA to SCSP) अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क	जिला	वि.ख.	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	वित्तीय प्रगति		भौतिक प्रगति			रिमार्क
						स्वीकृत राशि	व्यय राशि	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	जांजगीर चांपा	बम्हनीडीह	तालदेवरी	तालदेवर	हैण्डपंप की स्थापना (पंचायत भवन के पास)	1.25	1.25	पूर्ण			
		बम्हनीडीह	तालदेवरी	तालदेवर	हैण्डपंप की स्थापना (स्कूल के पास)	1.25	1.25	पूर्ण			
		जैजेपुर	धमनी	धमनी	हैण्डपंप की स्थापना (स्कूल के पास)	1.04	1.04	पूर्ण			
		जैजेपुर	धमनी	धमनी	हैण्डपंप की स्थापना (बस स्टैण्ड के पास)	1.04	1.04	पूर्ण			
		बलौदा	बिरगहनी	बिरगहनी	हैण्डपंप की स्थापना	1.04	1.04	पूर्ण			
		मालखरौदा	पिहरीद	पिहरीद	हैण्डपंप की स्थापना वार्ड 08	1.25	1.25	पूर्ण			
		मालखरौदा	पिहरीद	पिहरीद	हैण्डपंप की स्थापना वार्ड 11	1.25	1.25	पूर्ण			
		मालखरौदा	नरियरा	नरियरा	हैण्डपंप की स्थापना (पोखराज घर के पास)	1.25	1.25	पूर्ण			
		मालखरौदा	नरियरा	नरियरा	हैण्डपंप की स्थापना (वार्ड 16)	1.25	1.25	पूर्ण			
		मालखरौदा	परसाडीह	परसाडीह	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	5.00	5.00	पूर्ण			
		पामगढ़	भिलौनी	भिलौनी	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	5.00	0.00		अपूर्ण		
					योग	**20.62**	**15.62**				
2	मुंगेली	लोरमी	मनकी	मनकी	प्राथमिक शाला भवन की आवश्यक मरम्मत एवं आहाता निर्माण	5.00	4.75	पूर्ण			
		लोरमी	करनकापा	करनकापा	नाली निर्माण कार्य	5.00	4.73	पूर्ण			
		मुंगेली	चिरौंजपुर	जल्ली	सी.सी.रोड़ निर्माण	5.00	4.85	पूर्ण			
		मुंगेली	खम्हरिया	खम्हरिया	आंगनबाड़ी केन्द्र 02 में आहाता निर्माण	2.50	2.31	पूर्ण			
					योग	**17.50**	**16.64**				
3	बिलासपुर	मस्तूरी	नरगोड़ा	नरगोड़ा	अटल बाजार के पास हैण्डपंप खनन	1.24	0.93	पूर्ण			

अनुभाग अधिकारी
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपर, अटल नगर

क	जिला	वि.ख.	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	वित्तीय प्रगति		भौतिक प्रगति			रिमार्क
						स्वीकृत राशि	व्यय राशि	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		मस्तूरी	परसदा किसान	परसदा किसान	हैण्डपंप खनन एवं पेयजल व्यवस्था	1.25	0.94	पूर्ण			
		मस्तूरी	पेण्डरी	पेण्डरी	बोर खनन एवं पंप स्थापना कार्य पाईप लाईन विस्तर सहित	5.00	3.75	पूर्ण			
		मस्तूरी	टिकारी	टिकारी	स्वास्थ्य केन्द्र में हेण्ड पंप खनन कार्य एवं मैदान समतलीकरण कार्य	5.00	3.75	–	अपूर्ण		
					योग	**12.49**	**9.37**				
4	रायगढ	सारंगढ़	मल्दा–अ	मल्दा–अ	अनु.जाति कन्या अश्राम पेयजल, पाईपलाईन एवं विद्युतीकरण कार्य	5.00	3.90	पूर्ण			
		सारंगढ़	खुर्शी	खुर्शी	पचरी निर्माण कार्य	5.00	4.90	पूर्ण			
		सारंगढ़	कटेकोनी	कटेकोनी	सी.सी.रोड़ निर्माण	5.00	4.90	पूर्ण			
		सारंगढ़	जेवरा	जेवरा	पुलिया निर्माण कार्य	5.00	4.90	पूर्ण			
					योग	**20.00**	**18.60**				
5	कोरबा	कटघोरा	बाटा	बाटा	मिडिल स्कूल में शौचालय निर्माण	2.50	2.50	पूर्ण			
		कटघोरा	बाटा	बाटा	आंगनबाड़ी में शौचालय निर्माण	2.50	2.50	पूर्ण			
					योग	**5.00**	**5.00**				

अनुभाग अधिकारी,
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पपत्र–'ब'

अनुसूचित जाति उपयोजना (क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि) के संबंध में प्राप्त पत्र

कमांक	माननीय जनप्रतिनिधि का नाम	दिनांक	की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1	श्री दिलीप लहरिया, मान. विधायक	30-05-2025	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मस्तूरी, जिला बिलासपुर को पत्र दिनांक 09.06.2025 के द्वारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रेषित किया गया।
2		30-04-2025	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला–बिलासपुर को पत्र दिनांक 25.06.2025 के द्वारा परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

अनुभाग अधिकारी
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

राशि लाख रू. में

क्र.	बीमा कंपनी का नाम	वर्ष	मौसम	जिला का नाम	बीमित कृषक संख्या	कृषक अंश	दावा राशि का भुगतान		लंबित दावा राशि		रिमार्क
							कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया	2024	खरीफ	धमतरी	75916	872.93	3431	189.36	9	0.33	02 कृषकों की दावा राशि 6172 रू. का भुगतान प्रक्रियाधीन है। शेष 07 कृषकों की दावा राशि 26551 रू. बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नहीं होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
2				जशपुर	20865	235.52	703	86.30	5	0.56	02 कृषकों की दावा राशि 50035 रू. का भुगतान प्रक्रियाधीन है। शेष 03 कृषकों की दावा राशि 6293 रू. बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नहीं होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
3				खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	55644	756.25	536	163.04	2	0.18	01 कृषक का दावा राशि 12480 रू. का भुगतान प्रक्रियाधीन है। शेष 01 कृषक का दावा राशि 5724 रू. बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नहीं होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
4				कोण्डागांव	34177	491.50	2362	182.87	2	0.28	01 कृषक का दावा राशि 3560 रू. का भुगतान प्रक्रियाधीन है। शेष 01 कृषक का दावा राशि 24849 रू. बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नहीं होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
5				कोरबा	26983	330.65	1799	381.50	2	1.09	02 कृषक का दावा राशि 108548 रू. बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नहीं होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
6				महासमुंद	127699	1676.25	16488	4486.59	4	3.48	04 कृषक का दावा राशि 348302 रू. बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नहीं होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
7				नारायणपुर	6509	97.38	1511	240.63	18	6.04	18 कृषको का दावा राशि 603878 रू. का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
8				रायगढ़	26068	209.86	505	49.60	2	0.30	01 कृषक का दावा राशि 29954 रू. का भुगतान प्रक्रियाधीन है। शेष 01 कृषक का दावा राशि 85 रू. बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नहीं होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
9				राजनांदगांव	117864	1383.37	2731	556.64	3	4.37	01 कृषक का दावा राशि 780 रू. का भुगतान प्रक्रियाधीन है। शेष 02 कृषक का दावा राशि 435949 रू. बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नहीं होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
10	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया	2024	खरीफ	सूरजपुर	36195	362.67	1803	125.49	24	1.33	24 कृषक का दावा राशि 133382 रू. बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नहीं होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
योग एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी खरीफ 2024					**527920**	**6416.39**	**31869**	**6462.01**	**71**	**17.97**	–

क्र.	बीमा कंपनी का नाम	वर्ष	मौसम	जिला का नाम	बीमित कृषक संख्या	कृषक अंश	दावा राशि का भुगतान		लंबित दावा राशि		रिमार्क
							कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2024	खरीफ	बस्तर	32141	501.23	1432	295.89	3	0.08	03 कृषक का दावा राशि 8038 रू. बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नहीं होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
12				बेमेतरा	121714	1769.48	19	1.63	-	-	-
13				बीजापुर	10650	227.02	539	300.47	-	-	-
14				गरियाबंद	33996	493.31	4	0.76	-	-	-
15				जांजगीर-चांपा	14360	190.63	345	42.20	4	0.51	04 कृषक का दावा राशि 51223 रू. बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नहीं होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
16				कबीरधाम	85433	1074.00	667	125.70	-	-	-
17				कांकेर	72138	1204.77	4367	673.75	7	0.15	07 कृषक का दावा राशि 14883 रू. बैंकफ35 खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नही होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
18				कोरिया	15385	180.51	45	0.25	-	-	-
19				मोहला-मानपुर-अं.चौकी	36344	559.69	1139	146.65	3	0.11	03 कृषक का दावा राशि 10626 रू. बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नहीं होने के कारण दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विफल हुआ है।
20				सक्ती	21542	282.01	302	21.21	-	-	-
21				सारंगढ़-बिलाईगढ़	33579	378.35	0	0.00	-	-	-
योग बजाज एलायंज खरीफ 2024					**477282**	**6861.01**	**8859**	**1608.52**	**17**	**0.85**	
22	एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2024	खरीफ	बालोद	105867	1363.17	2670	530.79	-	-	-
23				बलोदा-बाजार	90934	1110.66	173	3.81	-	-	-
24				बलरामपुर	21095	223.25	1615	26.39	-	-	-
25				बिलासपुर	45069	581.79	2235	313.99	-	-	-
26				दंतेवाड़ा	10027	200.23	3232	909.03	-	-	-
27				दुर्ग	82589	1168.92	701	56.47	-	-	-
28	एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2024	खरीफ	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	10681	164.30	45	4.23	-	-	-
29				मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	9236	110.15	425	35.06	-	-	-
30				मुंगेली	28509	433.35	139	11.62	-	-	-
31				रायपुर	40923	494.50	1712	125.35	-	-	-
32				सुकमा	9327	239.71	707	270.29	-	-	-
33				सरगुजा	36407	276.30	681	31.21	-	-	-
योग एचडीएफसी इरगो खरीफ 2024					**490664**	**6366.33**	**14335**	**2318.23**	-	-	

क्र.	बीमा कंपनी का नाम	वर्ष	मौसम	जिला का नाम	बीमित कृषक संख्या	कृषक अंश	दावा राशि का भुगतान		लंबित दावा राशि		रिमार्क
							कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग खरीफ 2024					**1495866**	**19643.72**	**55063**	**10388.76**	**88**	**18.81**	कुल 28 कृषकों को दावा राशि 7 लाख 6 हजार 8 सौ 59 रुपये का भुगतान प्रक्रियाधीन है एवं कुल 62 कृषकों की दावा राशि 11 लाख 74 हजार 2 सौ 50 रुपये का भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर अंकित बैंक खाता त्रुटिपूर्ण/सत्यापित नही होने के कारण विफल हुआ है।
34	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया	2024-25	रबी	धमतरी	9234	44.18	-	-	4624	541.28	मौसम रबी वर्ष 2024–25 अंतर्गत बीमित पात्र कृषकों के दावा राशि का भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डीबीटी के माध्यम से किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 10.07.2025 की तिथि नियत की गई है।
35				जशपुर	78	0.43	-	-	44	19.03	
36				खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	50279	383.51	-	-	28037	4865.26	
37				महासमुंद	758	7.64	-	-	202	81.20	
38				नारायणपुर	52	0.27	-	-	50	4.22	
39				रायगढ़	818	1.16	-	-	309	36.24	
40				राजनांदगांव	31634	234.62	-	-	20380	3323.21	
41				सूरजपुर	2230	8.79	-	-	645	126.14	
योग एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी रबी 2024-25					**95083**	**680.61**			**54291**	**8996.58**	
42	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2024-25	रबी	बेमेतरा	88422	767.30	-	-	165	15.45	
43				गरियाबंद	96	0.31	-	-	-	-	
44				जांजगीर-चांपा	14	0.02	-	-	-	-	
45				कबीरधाम	50655	421.64	-	-	579	119.29	
46	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2024-25	रबी	कांकेर	5	0.03	-	-	-	-	मौसम रबी वर्ष 2024–25 अंतर्गत बीमित पात्र कृषकों के दावा राशि का भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डीबीटी के माध्यम से किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 10.07.2025 की तिथि नियत की गई है।
47				कोरिया	577	2.36	-	-	85	1.42	
48				मोहला-मानपुर-अं.चौकी	3138	10.95	-	-	286	22.11	
49				सक्ती	56	0.05	-	-	-	-	
50				सारंगढ़-बिलाईगढ़	356	2.64	-	-	-	-	
51				बस्तर	249	1.28	-	-	30	2.56	
योग बजाज एलायंज रबी 2024-25					**143568**	**1206.57**	-	-	**1145**	**160.83**	

क्र.	बीमा कंपनी का नाम	वर्ष	मौसम	जिला का नाम	बीमित कृषक संख्या	कृषक अंश	दावा राशि का भुगतान		लंबित दावा राशि		रिमार्क
							कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2024-25	रबी	बालोद	11591	71.74	-	-	3421	581.01	मौसम रबी वर्ष 2024–25 अंतर्गत बीमित पात्र कृषकों के दावा राशि का भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डीबीटी के माध्यम से किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 10.07.2025 की तिथि नियत की गई है।
53				बलौदा-बाजार	988	3.03	-	-	410	60.85	
54				बलरामपुर	616	2.45	-	-	163	27.90	
55				बिलासपुर	431	2.83	-	-	383	107.74	
56				दुर्ग	29177	242.27	-	-	19231	3024.75	
57				गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	410	0.88	-	-	61	3.39	
58				मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	611	1.51	-	-	359	44.21	
59				मुंगेली	4907	36.22	-	-	1387	382.36	
60				रायपुर	890	4.30	-	-	808	121.01	
61				सरगुजा	4494	8.59	-	-	592	3.49	
योग एचडीएफसी इरगो रबी 2024-25					**54115**	**373.83**	**-**	**-**	**26815**	**4356.70**	
योग रबी 2024-25					**292766**	**2261.01**	**-**	**-**	**82251**	**13514.11**	
मौसम खरीफ एव रबी वर्ष 2024-25 योग					**1788632**	**21904.73**	**55063.00**	**10388.76**	**82339**	**13532.92**	-

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2025
21:05:54

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT

वित्तीय अधिकार पुस्तिका, भाग–1
2024

Book Of Financial Powers, Volume -I
2024

स.क्र.	विद्यमान नियमों का संदर्भ	विवरण	शक्तियाँ का प्रयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.7		विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रशिक्षण हेतु भारत के बाहर शासकीय सेवकों को भेजने का अधिकार	प्रशासनिक विभाग (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मामले में पैतृक विभाग)	पूर्ण शक्तियाँ	विदेशी प्रशिक्षण अनुश्रवण समिति की पूर्व सहमति और मुख्यमंत्री की अनुमति के अधीन	
1.8		स्वीकृत पदों को समाप्त करने का अधिकार	प्रशासनिक विभाग	पूर्ण शक्तियाँ	वित्त विभाग को सूचना के अधीन	
1.9		शासकीय सेवकों को अतिशेष घोषित करने का अधिकार	प्रशासनिक विभाग	पूर्ण शक्तियाँ	राजपत्रित अधिकारियों के मामलें में	
			विभाग प्रमुख	पूर्ण शक्तियाँ	अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में	
1.10	छ.ग. वि.सं. जिल्द–एक, नियम 282	अपने नियंत्रणाधीन कर्मचारियों से अपेक्षित प्रतिभूति की राशि निश्चित करना	कार्यालय प्रमुख	पूर्ण शक्तियाँ		
1.11		देय होने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् यात्रा भत्ता देयक प्रस्तुत करने की अनुमति देने का अधिकार	विभागाध्यक्ष	पूर्ण शक्तियाँ	ये अधिकार केवल अपवाद स्वरूप ही प्रयोग में लाये जायेगें जहां पर विलंब का कारण ऐसी परिस्थितियां है, जो दावा करने वाले के नियंत्रण के बाहर रही है।	
1.12		निर्धारित समयावधि के पश्चात अवकाश यात्रा सुविधा का देयक प्रस्तुत करने की अनुमति देने का अधिकार	विभागाध्यक्ष	पूर्ण शक्तियाँ	ये अधिकार केवल अपवाद स्वरूप ही प्रयोग में लाये जायेगें जहां पर विलंब का कारण ऐसी परिस्थितियां है, जो दावा करने वाले के नियंत्रण के बाहर रही है।	
1.13		निर्धारित समयावधि के पश्चात चिकित्सा प्रतिपूर्ति का देयक प्रस्तुत करने की स्वीकृति देने का अधिकार	विभागाध्यक्ष	पूर्ण शक्तियाँ	ये अधिकार केवल अपवाद स्वरूप ही प्रयोग में लाये जायेगें जहां पर विलंब का कारण ऐसी परिस्थितियां है, जो दावा करने वाले के नियंत्रण के बाहर रही है।	

[17 जुलाई 2025

परिशिष्ट - तेरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 731) की जानकारी

प्रपत्र–''अ''

वर्ष 2024–25 मे प्रयास आवासीय विद्यालयों में कोचिंग संस्थाओं के चयन हेतु जारी प्रथम एवं द्वितीय निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित समिति की बैठकें एवं इन बैठकों में समिति द्वारा किया गया अनुमोदन :–

बैठक की तिथि	समिति द्वारा किया गया अनुमोदन
दिनांक 03.07.2024	वर्ष 2024–25 के लिए प्रयास आवासीय विद्यालयों के लिए कोचिंग सह अध्यापन व्यवस्था हेतु कक्षा 09 से कक्षा 12वीं तथा कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के प्रारूप पर अनुमोदन किया गया।
दिनांक 29.07.2024	प्री–बीड की बैठक आयोजित किया जाकर कार्यालयीन पत्र दिनांक 13.8.2024 द्वारा शुद्धि पत्र (Corrigendum) जारी किया गया। 1. जिसमें सफल निविदाकार फर्म के चयन होने तथा अनुबंध तथा कार्यादेश जारी होने के पूर्व प्रत्येक कार्य के लिए स्वीकृत सीट के मान से कुल कार्य की लागत का 03% राशि का एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी के रूप में कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन में जमा किया जा सकता है। 2. स्पष्ट किया जाता है कि ऑफलाईन प्रस्ताव कार्यालय में जमा नहीं किया जाना है। केवल स्टडी मटेरियल ऑफलाईन कार्यालय में जमा करना है।
दिनांक 07.08.2024	EOI क्रमांक 156600 से 156609 (कुल 09 निविदा) (कक्षा 11वीं एवं 12वीं) हेतु प्री–बीड मीटिंग दिनांक 01.08.2024 में प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण हेतु समिति द्वारा परीक्षण/विचार/विमर्श द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण करते हुए अनुशंसा की गई विवरण निम्नानुसार है :– 1. यथावत्। संशोधन की आवश्यकता नहीं। 2. सफल निविदाकार फर्म के चयन होने तथा अनुबंध तथा कार्यादेश जारी होने के पूर्व प्रत्येक कार्य के लिए स्वीकृत सीट के मान से कुल कार्य की लागत का 03% राशि का एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी के रूप में कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन में जमा किया जा सकता है।
दिनांक 10.09.2024	वर्ष 2024–25 में कक्षा 9वीं से 12वीं एवं कक्षा 11वीं–12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग हेतु प्रकाशित ''रूचि की अभिव्यक्ति'' निविदा क्रमांक 156604 (कक्षा 11वीं/12वी) तथा निविदा क्रमांक 156555, 156563 एवं 156566 (कक्षा 9वीं से 12वीं) में प्राप्त प्रस्ताव को खोलने हेतु दिनांक 10.09.2024 को बैठक आयोजित की गई। कार्यालयीन पत्र दिनांक 10.09.2024 द्वारा ऑनलाईन प्रथम निविदा के द्वितीय आमंत्रण हेतु तिथि में वृद्धि करते हुए अंतिम तिथि01.10.2024 निर्धारित किया गया।
दिनांक 04.10.2024	वर्ष 2024–25 में कक्षा 9वीं से 12वीं एवं कक्षा 11वीं–12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग हेतु प्रकाशित ''रूचि की अभिव्यक्ति'' निविदा क्रमांक–156600, 156601, 156603 तथा 156606 (कक्षा 11वीं/12वीं) तथा निविदा क्रमांक 156548, 156553,156556, 156560, 156562, तथा 156564 (कक्षा 09वीं से 12वीं) में प्राप्त प्रस्ताव को खोलने हेतु बैठक दिनांक 04.10.2024 को आयोजित की गई।
दिनांक 15.10.2024	कार्यालयीन पत्र दिनांक 15.10.2024 द्वारा ऑनलाईन प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति निविदा क्रमांक 156600, 156601, 156603, 156604 तथा 156606 (कक्षा 11वीं/12वीं) तथा निविदा क्रमांक 156548, 156553, 156555, 156556, 156560, 156562, 156563 एवं 156566 (कक्षा 9वीं से 12वीं) के परीक्षण हेतु सी.ए. रायपुर को प्राप्त दस्तावेज के परीक्षण हेतु भेजा गया था। सी.ए. एंड कंपनी द्वारा परीक्षण कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। सी.ए. द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के परीक्षण दिनांक 15.10.2024 को समिति द्वारा किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। वर्ष 2024–25 हेतु प्रयास आवासीय विद्यालयों में अध्यापन एवं कोचिंग संस्थाओं के चयन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 15.10.2024 को प्रयास आवासीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु पूर्व में दिनांक 16.07.2024 के द्वारा आदेश जारी किया गया है। रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से कोचिंग संस्थओं का चयन प्रक्रियाधीन होने से उक्त आदेश को आगामी आदेश तक या चयन पूर्ण होने तक जो भी पहले होगा निरंतर किये जाने की अनुशंसा की गई हैं।

दिनांक 17.10.2024	ऑनलाईन प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति में सम्पूर्ण निविदा(निविदा कमांक 156548 से 156569 तक कुल 15 निविदा)एवं (निविदा क्रमांक 156606 से 156609 तक कुल 09 निविदा) को पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति में सम्पूर्ण निविदा निरस्त एवं द्वितीय आमंत्रण प्रकाशित किये जाने की अनुशंसा की गई।
दिनांक 06.11.2024	कार्यालयीन पत्र दिनांक 06.11.2024 द्वारा प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं (वर्ष 2024–25 से 2028–29) तथा 11वीं से 12वीं (2024–25 एवं 2025–26) में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फैकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए है। जिसे दिनांक 06.11.2024 को समिति के समक्ष खोला गया। सी.ए. एण्ड कम्पनी को प्राप्त प्रस्ताव को परीक्षण/जांच करने हेतु लेख किया गया है।
दिनांक 22.11.2024	कार्यालयीन पत्र दिनांक 22.11.2024 द्वारा प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में भाग लेने वाले फर्म/कोचिंग संस्था के प्रथम लिफाफा के परीक्षणोपरान्त चार्टर्ड एकाउन्टेट से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सफल फर्म/कोचिंग संस्थाओं के द्वितीय लिफाफा के प्रस्तावों को ऑनलाईन दिनांक 23.11.2024 को तथा संस्थाओं के प्रजेन्टेशन हेतु दिनांक 25.11.2024 को समिति की बैठक आयोजित की गई।
दिनांक 25.11.2024	नोटशीट के पृष्ठ क्रमांक–20 में अंकित टीप दिनांक 25.11.2024 को फर्मो का प्रजेन्टेशन होने के पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समस्त पात्र फर्म उपस्थित है। अतः उनकी उपस्थिति में उक्त दिवस को ही वित्तीय लिफाफा खोले जाने का निर्णय लिया गया। फर्मो के समक्ष दिनांक 25.11.2024 एवं दिनांक 26.11.2024 को वित्तीय लिफाफा खोला गया।
दिनांक 13.12.2024	कार्यालयीन पत्र दिनांक 12.12.2024 द्वारा निविदा क्रमांक–160208 को निरस्त करते हुए तृतीय यू.ओ.आई प्रस्ताव मंगाये जाने का निर्णय लिया गया।
दिनांक 19.12.20224	कार्यालयीन पत्र दिनांक 03.12.2024 द्वारा तृतीय निविदा कमांक 162270 नवीन प्रयास कन्या(अनुसूचित जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर का प्रकाशन किया जाकर दिनांक 19.12.2024 को तकनीकी मूल्यांकन खोले जाने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई।
दिनांक 15.01.2025	तृतीय निविदा कमांक 162270 का द्वितीय प्रस्ताव खोला गया।
दिनांक 20.01.2025	तृतीय निविदा कमांक 162270 का वित्तीय प्रस्ताव खोला गया एवं निगोशियेशन किया गया।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित) नियमावली वर्ष 2020 की कंडिका 16 अंतर्गत रूचि की अभिव्यक्ति में प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण, चयन तथा मूल्यांकन हेतु गठित समिति निम्नानुसार है :–

1. आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास – अध्यक्ष
2. वित्त अधिकारी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास – सदस्य
3. संचालक/प्रतिनिधि, एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर – सदस्य
4. योजना प्रभारी अधिकारी – सदस्य सचिव
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायपुर – सदस्य
6. प्रशासकीय अधिकारी, प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर – सदस्य

अनुभाग अधिकारी
आदि.ज. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–''ब''

प्रथम निविदा में विद्यालयवार कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या, पात्र/अपात्र निविदाकारों की संख्या तथा अयोग्य पाए गए निविदाकारों के अस्वीकार किए जाने का तकनीकी आधार निम्नानुसार है :–

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय – कक्षा 9वीं–12वीं					
क्रमांक	प्रयास आवासीय विद्यालय	प्राप्त आवेदन	पात्र	अपात्र	अस्वीकृत किये जाने का तकनीकी आधार
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	3	1	2	1. UDIN का मिलान टर्नओवर प्रमाण पत्र से नही होने 2. आडिट रिपोर्ट नहीं जमा करने। 3. PF और ESI पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने। 4. वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 का आयकर रिटर्न नही जमा करने। 5. TAN पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं जमा करने। 6. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न नही जमा करने।
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढ़ियारी जिला–रायपुर (छ.ग.)	3	-	3	1. UDIN का मिलान टर्नओवर प्रमाण पत्र से नही होने 2. आडिट रिपोर्ट नहीं जमा करने। 3. PF और ESI पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने। 4. वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 का आयकर रिटर्न नही जमा करने। 5. TAN पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं जमा करने। 6. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न नही जमा करने। 7. जी.एस.टी. रिटर्न माह जून का प्रमाण पत्र नहीं जमा करने ।
3	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, दुर्ग जिला–दुर्ग (छ.ग.)	3	1	2	1. आडिट रिपोर्ट नहीं जमा करने। 2. PF और ESI पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने। 3. जी.एस.टी. रिटर्न मात्र तीन माह का जमा होने। 4. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नही उपलब्ध होने। 5. TAN पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं जमा करने। 6. जी.एस.टी. रिटर्न नहीं जमा करने के कारण 7. आडिट रिपोर्ट विगत 03 वर्ष का नहीं होने के कारण।
4	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	2	-	-	––

5	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)	3	1	2	1. UDIN का मिलान टर्नओवर प्रमाण पत्र से नही होने 2. आडिट रिपोर्ट नहीं जमा करने। 3. PF और ESI पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने। 4. वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 का आयकर रिटर्न नही जमा करने। 5. TAN पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं जमा करने। 6. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न नही जमा करने।
6	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)	3	-	3	1. UDIN का मिलान टर्नओवर प्रमाण पत्र से नही होने 2. आडिट रिपोर्ट नहीं जमा करने। 3. PF और ESI पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने। 4. वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 का आयकर रिटर्न नही जमा करने। 5. TAN पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं जमा करने। 6. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न नही जमा करने। 7. जी.एस.टी. रिर्टन माह जून का नहीं जमा करने।
7	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कांकेर जिला–कांकेर (छ.ग.)	1	-	-	––
8	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कोरबा जिला–कोरबा (छ.ग.)	3	1	2	1. आडिट रिपोर्ट नहीं जमा करने। 2. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न नही जमा करने।
9	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जशपुर जिला–जशपुर (छ.ग.)	2	-	-	––
10	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, पिनकापार जिला–बालोद (छ.ग.)	3	-	3	1. आडिट रिपोर्ट नहीं जमा करने। 2. PF और ESI पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने। 3. जी.एस.टी. रिटर्न मात्र 03 माह का जमा होने। 4. जी.एस.टी. रिटर्न वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 का जमा किन्तु अंतिम 03 माह का जमा नहीं होने। 5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नही उपलब्ध होने। 6. TAN पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं जमा करने। 7. जी.एस.टी. रिटर्न नहीं जमा करने के कारण 7. आडिट रिपोर्ट विगत 03 वर्ष का नहीं होने के कारण। 8. PF और ESI पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने।

11	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, रायगढ़ जिला–रायगढ़ (छ.ग.)	2	-	-	––
12	नवीन प्रयास कन्या (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	2	-	-	––
13	नवीन प्रयास बालक (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय, पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.)	3	-	-	1. आडिट रिपोर्ट नहीं जमा करने। 2. PF और ESI पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने। 3. जी.एस.टी. रिटर्न मात्र 03 माह का जमा होने। 4. जी.एस.टी. रिटर्न वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 का जमा किन्तु अंतिम 03 माह का जमा नहीं होने। 5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नही उपलब्ध होने। 6. TAN पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं जमा करने। 7. जी.एस.टी. रिटर्न नहीं जमा करने के कारण 8. आडिट रिपोर्ट विगत 03 वर्ष का जमा नहीं होने के कारण। 8. PF और ESI पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने।
14	नवीन प्रयास बालक (अ0पि0 वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	2	-	-	––
15	नवीन प्रयास कन्या (अ0पि0 वर्ग) आवासीय विद्यालय बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	2	-	-	––

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय – कक्षा 11वीं–12वीं

क्रमांक	प्रयास आवासीय विद्यालय	प्राप्त आवेदन	पात्र	अपात्र	अस्वीकृत किये जाने का तकनीकी आधार
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	3	2	1	1.आडिट रिपोर्ट विगत 03 वर्ष का जमा नहीं होने के कारण। 2.वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न नही जमा करने।
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढ़ियारी जिला–रायपुर (छ.ग.)	3	1	2	1.जी.एस.टी. रिर्टन माह अप्रैल एवं मई का जमा किन्तु माह जून का जमा नहीं। 2. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर जमा नहीं। 3. आडिट रिपोर्ट विगत तीन वर्षो का जमा नहीं।
3	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, दुर्ग जिला–दुर्ग (छ.ग.)	3	1	2	1.जी.एस.टी. रिर्टन माह अप्रैल एवं मई का जमा किन्तु माह जून का जमा नहीं। 2. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर जमा नहीं। 3. आडिट रिपोर्ट विगत तीन वर्षो का जमा नहीं।

4	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	1	-	-	––
5	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)	4	2	2	1.जी.एस.टी. रिर्टन माह अप्रैल, मई जून 2024 का जमा नहीं। 2. आडिट रिपोर्ट विगत 03 वर्षो का जमा नहीं। 3. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर जमा नहीं।
6	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)	3	1	2	1.आडिट रिपोर्ट जमा नहीं। 2. PF और ESI पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने। 3. निविदा के शर्तो अनुसार जी.एस.टी. रिर्टन नही होने।
7	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कांकेर जिला–कांकेर (छ.ग.)	2	-	-	––
8	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कोरबा जिला–कोरबा (छ.ग.)	2	-	-	––
9	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जशपुर जिला–जशपुर (छ.ग.)	2	-	-	––

अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि.

प्रपत्र–''स''

द्वितीय निविदा में विद्यालयवार कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या, पात्र/अपात्र निविदाकारों की संख्या तथा अयोग्य पाए गए निविदाकारों के अस्वीकार किए जाने का तकनीकी आधार निम्नानुसार है :–

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय – कक्षा 9वीं–12वीं					
क्रमांक	प्रयास आवासीय विद्यालय	प्राप्त आवेदन	पात्र	अपात्र	अस्वीकृत किये जाने का तकनीकी आधार
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	4	2	2	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया। 2. माह अगस्त 2024 का जी.एस.टी. रिर्टन जमा नही किया गया।
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढ़ियारी जिला–रायपुर (छ.ग.)	4	2	2	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया। 2. माह अगस्त 2024 का जी.एस.टी. रिर्टन जमा नही किया गया।
3	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, दुर्ग जिला–दुर्ग (छ.ग.)	5	2	3	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया। 2. माह अगस्त 2024 का जी.एस.टी. रिर्टन जमा नही किया गया। 3.ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र जमा नही किया गया।
4	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	1	1	-	––
5	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)	3	2	1	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया।
6	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)	3	2	1	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया।
7	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कांकेर जिला–कांकेर (छ.ग.)	1	1	-	––
8	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कोरबा जिला–कोरबा (छ.ग.)	2	1	1	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया।
9	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जशपुर जिला–जशपुर (छ.ग.)	2	1	1	1. टेन प्रमाण पत्र जमा नही किया गया। 2. जी.एस.टी.एन. प्रमाण पत्र एवं माह अगस्त 2024 का जी.एस.टी. 3. रिर्टन जमा नही किया गया। 4. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया। 5. वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 का आडिट 6. रिपोर्ट जमा नही किया गया है। 7. जी.एस.टी. छूट प्रमाण पत्र जमा नही किया गया है। 8. पी.एफ एवं ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र जमा नही किया गया।
10	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, पिनकापार जिला–बालोद (छ.ग.)	3	2	1	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया। 2. माह अगस्त 2024 का जी.एस.टी. रिर्टन जमा नही किया गया। 3. ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र जमा नही किया गया।
11	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, रायगढ़ जिला–रायगढ़ (छ.ग.)	2	2	-	––
12	नवीन प्रयास बालक (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय, पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.)	3	2	1	1. माह अगस्त 2024 का जी.एस.टी. रिर्टन जमा नही किया गया।
13	नवीन प्रयास बालक (अ0पि0 वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	3	1	2	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया। 2. माह अगस्त 2024 का जी.एस.टी. रिर्टन जमा नही किया गया।
14	नवीन प्रयास कन्या (अ0पि0 वर्ग) आवासीय विद्यालय बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	1	1	-	––

क्रमांक	प्रयास आवासीय विद्यालय	प्राप्त आवेदन	पात्र	अपात्र	अस्वीकृत किये जाने का तकनीकी आधार
15	नवीन प्रयास कन्या (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	2	1	1	1.पावर ऑफ अटर्नी प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया है।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय – कक्षा 11वीं–12वीं

क्रमांक	प्रयास आवासीय विद्यालय	प्राप्त आवेदन	पात्र	अपात्र	अस्वीकृत किये जाने का तकनीकी आधार
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	4	3	1	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया।
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढ़ियारी जिला–रायपुर (छ.ग.)	4	2	2	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया। 2. माह अगस्त 2024 का जी.एस.टी. रिर्टन जमा नही किया गया।
3	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, दुर्ग जिला–दुर्ग (छ.ग.)	3	2	1	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया।
4	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	1	1	-	—
5	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)	4	3	1	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया।
6	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)	4	3	1	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया।
7	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कांकेर जिला–कांकेर (छ.ग.)	2	2	-	—
8	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कोरबा जिला–कोरबा (छ.ग.)	3	2	1	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 का आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया।
9	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जशपुर जिला–जशपुर (छ.ग.)	1	1	0	—

अनुभाग अधिकारी
[illegible] तथा अनु.जा.वि. विभाग
[illegible], नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–''द''

द्वितीय निविदा में निम्न प्रयास आवासीय विद्यालयों में केवल एकल टेंडर की स्वीकृति दी गई :–

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं–12वीं	
क्रमांक	प्रयास आवासीय विद्यालय
1	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
2	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कांकेर जिला–कांकेर (छ.ग.)
3	नवीन प्रयास कन्या (अ0पि0 वर्ग) आवासीय विद्यालय बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 11वीं–12वीं	
क्रमांक	प्रयास आवासीय विद्यालय
1	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
2	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जशपुर जिला–जशपुर (छ.ग.)

मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना अन्तर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय योजना संशोधित नियमावली वर्ष 2020 की कंडिका–16 अनुसार गठित समिति द्वारा एकल निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्व अनुमति का उल्लेख नियम में नहीं है।

वर्ष 2024–25 हेतु चयनित कोचिंग संस्थाओं से अनुबंध जिला कलेक्टर के माध्यम से किया गया। विद्यालयवार अनुबंध दिनांक तथा अनुबंध निष्पादन प्रारंभ तिथि की जानकारी निम्नानुसार है :–

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं–12वीं			
क्रमांक	प्रयास आवासीय विद्यालय	अनुबंध तिथि	अनुबंध निष्पादन प्रारंभ तिथि (कार्यादेश)
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	30-04-2025	22-05-2025
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढ़ियारी जिला–रायपुर (छ.ग.)	01-05-2025	22-05-2025
3	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, दुर्ग जिला–दुर्ग (छ.ग.)	08-05-2025	09-05-2025
4	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	13-05-2025	13-05-2025
5	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)	30-04-2025	05-05-2025
6	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)	08-06-2025	15-06-2025
7	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कांकेर जिला–कांकेर (छ.ग.)	07-05-2025	07-05-2025
8	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कोरबा जिला–कोरबा (छ.ग.)	09-05-2025	12-05-2025
9	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जशपुर जिला–जशपुर (छ.ग.)	28-04-2025	05-05-2025
10	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, पिनकापार जिला–बालोद (छ.ग.)	08-05-2025	09-05-2025
11	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, रायगढ़ जिला–रायगढ़ (छ.ग.)	08-05-2025	08-05-2025
12	नवीन प्रयास बालक (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय, पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.)	22-05-2025	23-05-2025
13	नवीन प्रयास बालक (अ0पि0 वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	30-04-2025	22-05-2025
14	नवीन प्रयास कन्या (अ0पि0 वर्ग) आवासीय विद्यालय बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	13-05-2025	13-05-2025
15	नवीन प्रयास कन्या (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	01-05-2025	22-05-2025

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 11वीं–12वीं			
क्रमांक	प्रयास आवासीय विद्यालय	अनुबंध तिथि	अनुबंध निष्पादन प्रारंभ तिथि (कार्यादेश)
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	01-05-2025	22-05-2025
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढ़ियारी जिला–रायपुर (छ.ग.)	30-04-2025	22-05-2025
3	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, दुर्ग जिला–दुर्ग (छ.ग.)	08-05-2025	09-05-2025
4	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	13-05-2025	13-05-2025
5	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)	30-04-2025	05-05-2025
6	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)	08-05-2025	15-06-2025
7	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कांकेर जिला–कांकेर (छ.ग.)	07-05-2025	07-05-2025
8	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कोरबा जिला–कोरबा (छ.ग.)	01-05-2025	12-05-2025
9	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जशपुर जिला–जशपुर (छ.ग.)	28-04-2025	05-05-2025

अनुभाग अधिकारी
आ.जा. शिक्षा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - चौंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 747) की जानकारी

प्रपत्र

जिला राजनांदगाँव में ब्लास्टिंग के संबंध में खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) को प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.	शिकायत का दिनांक	विकासखण्ड	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विषय वस्तु	जाँचकर्ता अधिकारी का पदनाम	की गई कार्यवाही
1.	25.04.2023	डोंगरगांव	मनीष कुमार साहू, सदस्य जनपद पंचायत डोंगरगांव	ग्राम मोहभटठा में संचालित पत्थर उत्खनन एवं चलित केशर के प्रदूषण से मुक्ति दिलाने एवं अवैध उत्खनन की जांच बाबत।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व विभाग) डोंगरगांव, तहसीलदार डोंगरगांव, खनि निरीक्षक राजनांदगांव,	शिकायत के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव, खनिज विभाग, जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त जांच किया गया, प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृत उत्खनिपट्टा के अलावा खसरा नंबर 209 रकबा 0.388 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज चूनापत्थर मात्रा 65960 घनमीटर का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है। उक्त प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है।
2.	15.10.2024	राजनांदगांव	सरपंच ग्राम पंचायत भानपुरी	ग्राम पंचायत भानपुरी में संचालित चूनापत्थर खदान को बंद कराने बाबत।	-	माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 23.03.2017 को कोअर्सिव (बलपूर्वक) स्टेप नही लिये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
3.	09.01.2025	राजनांदगांव	शिवसेना प्रदेश महासचिव लाल जांगडे रेशम	ग्राम राजा भानपुरी में संचालित गिट्टी खदान की जांच कर उचित कार्यवाही बाबत।	-	माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 23.03.2017 को कोअर्सिव (बलपूर्वक) स्टेप नही लिये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
4.	10.01.2025	राजनांदगांव	सरपंच ग्राम पंचायत भानपुरी	ग्राम पंचायत भानपुरी में संचालित चूनापत्थर खदान को बंद कराने बाबत।	-	माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 23.03.2017 को कोअर्सिव (बलपूर्वक) स्टेप नही लिये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
5.	29.01.2025	छुरिया	समस्त ग्रामवासी हैदलकोडो	बोर ब्लास्टिंग व पत्थर उत्खनन बंद कराने बाबत्	सहायक खनि अधिकारी राजनांदगाव,	सहायक खनि अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 23.12.2023 एवं 22.10.2024 दिनांक को ग्राम हैदलकोडो स्थित खसरा नं. 532 भाग रकबा 2.024 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज साधारण पत्थर को उत्खनिपट्टा अवधि दिनांक 02.06.2012 से 01.06.2042 स्वीकृत क्षेत्र का जांच किया गया। ग्राम हैदलकोडो, में संचालित पत्थर खदान श्री तरूण गांधी के नाम से स्वीकृत है। ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि शिकायत हमारे ग्रामवासियों द्वारा नहीं की गई है। ग्रामवासियों द्वारा शिकायतकर्ता के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुये कहा गया कि उक्त शिकायत सत्य नहीं है, शिकायत निराधार है। शिकायत पत्र में उल्लेखित मोबाईल नंबर से संपर्क करने पर सर्विस में नहीं बताया गया। तरूण गांधी के पत्थर खदान से लगभग 100 मीटर दूरी पर शासकीय गौठान में पानी बोर मशीन चालू है. खेत में लगे बोर खदान क्षेत्र से 150 मीटर दूरी है जिसमें कोई समस्या नहीं है, जिसमें पानी आ रहा है। खदान से 200 मीटर के दायरे में मकान अवस्थित है, जिसमें किसी भी प्रकार का दरार नही पाया गया है। प्राप्त शिकायत निराधार पाया गया है।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - पैंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 752) की जानकारी

प्रपत्र

जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत महुदा में स्थापित मेसर्स शांति जीडी इस्पात एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड का जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् माह जनवरी 2022 से जून 2025 तक किये गये निरीक्षण, पायी गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	निरिक्षण दिनांक	पायी गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	18/01/2022	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
2.	24/02/2022	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
3.	11/05/2022	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
4.	17/08/2022	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
5.	25/08/2022	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
6.	17/11/2022	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
7.	02/03/2023	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
8.	18/05/2023	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
9.	16/08/2023	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
10.	29/11/2023	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
11.	27/02/2024	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
12.	15/06/2024	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
13.	07/08/2024	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
14.	05/09/2024	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
15.	06/02/2025	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।
16.	15/05/2025	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही नही की गई।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - छैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 758) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर जिले अंतर्गत वर्ष 2024-25 से जून, 2025 की अवधि में घरेलू कचरों/व्यावसायिक कचरों एवं औद्योगिक कचरों तथा वेस्ट मटेरियल से पर्यावरण प्रदूषण संबंधी प्राप्त शिकायतें तथा की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम /माध्यम तथा शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत का विवरण	शिकायत स्थल का नाम	शिकायत की जांच दिनांक तथा शिकायत के परिप्रेक्ष्य में जांच किये गये उद्योग का नाम एवं पता	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था उपयुक्त पाई गई (हाँ/ नहीं)	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री हनीफ निजामी से वाट्सअप के माध्यम से गाजी नगर बीरगांव में अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग के संबंध में दिनांक 24.09.2024 को प्राप्त शिकायत।	गाजी नगर बीरगांव में अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग के संबंध में प्राप्त शिकायत का निरीक्षण किया गया।	गाजी नगर, बीरगांव	दिनांक 24.09.2024 को उद्योग मेसर्स घनकुन स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम सोण्ड्रा, सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) का निरीक्षण किया गया।	नहीं	उद्योग के विरुध्द अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग हेतु भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 के अनुसार संस्थान पर रूपये 1,12,500/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क अधिरोपित किया गया। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि मण्डल में जमा की गई।
2.	श्री आशुतोष मंत्री संचालक मे. मारूति नंदन स्ट्रक्चर्स प्रा.लि. प्लॉट क्र.-11, मेटल पार्क रावाभाठा, जिला-रायपुर की शिकायत दिनांक 13.06.2025 को प्राप्त।	मे. मारूति नंदन स्ट्रक्चर्स प्रा.लि. के सामने रोड के किनारे वेस्ट डम्प किये जाने के संबंध में।	मेटल पार्क रावाभाठा,	दिनांक 16.06.2025 को उद्योग मे. मारूति नंदन स्ट्रक्चर्स प्रा.लि. प्लॉट क्र.-11, मेटल पार्क रावाभाठा, जिला-रायपुर के समीप स्थल निरीक्षण किया गया।	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
3.	पुरुषोत्तम साहू एवं मनोज कुमार वर्मा एवं राजू गायकवाड़ एवं शिवकुमार खूटे (सुशासन तिहार से प्राप्त शिकायत) द्वारा दिनांक 12.04.2025 को प्राप्त शिकायत।	मेसर्स मारूति फ्रेश के द्वारा जल प्रदूषण के संबंध में।	मुरा	दिनांक 17.04.2025 एवं 30.04.2025 को उद्योग मेसर्स मारूति फ्रेश ग्राम- पिकरीडीह, खरोरा, जिला-रायपुर का निरीक्षण किया गया।	नहीं	उद्योग को दिनांक 03.05.2025 को मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33क के तहत उत्पादन बंद करने हेतु निर्देश जारी किया गया है।
4.	कलेक्टर जनदर्शन शिकायत पोर्टल के माध्यम से श्रीमती कंचन टोकेन्द्र गायकवाड, सरपंच ग्राम पंचायत मूरा, वि.खं. तिल्दा, जिला-रायपुर की शिकायत दिनांक 29.04.2025 को प्राप्त।	मेसर्स मारूति फ्रेश प्रोपराईटर मोनिका खेतान, पिता विमल किशोर खेतान निवासी पिकरीडीह, खरोरा, जिला-रायपुर के द्वारा जल प्रदूषण के संबंध में।	मुरा	उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (3) के अनुसार उद्योग मेसर्स मारूति फ्रेश ग्राम- पिकरीडीह, खरोरा, जिला-रायपुर का निरीक्षण किया गया।	नहीं	उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (3) के अनुसार कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत अतिरिक्त कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
5.	श्री शरद प्रसाद, श्रीमती दुलारी बाई, ग्राम मांड, जिला रायपुर (छ.ग.) की शिकायत मो. 9009006941 (सुशासन तिहार से प्राप्त शिकायत) द्वारा दिनांक 22.05.2025 को प्राप्त शिकायत।	मेसर्स मारूति फ्रेश के द्वारा जल प्रदूषण के संबंध में।	मुरा	उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (3) के अनुसार उद्योग मेसर्स मारूति फ्रेश ग्राम- पिकरीडीह, खरोरा, जिला-रायपुर का निरीक्षण किया गया।	नहीं	उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (3) के अनुसार कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत अतिरिक्त कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

6.	श्री राजीव खन्ना, प्रो. एस.के. पोल्ट्री फार्म एवं सुनील कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा मण्डल एवं ग्राम सेरीखेड़ी से दिनांक 30.06.2025 को प्राप्त शिकायत।	सेरीखेड़ी जलाशय में आसपास स्थित प्लांटो द्वारा प्रदूषण फैलाने के संबंध में।	सेरीखेड़ी	दिनांक 03.07.2025 को उद्योग I . मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-सेरीखेड़ी, जिला-रायपुर (छ.ग.) II. मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ.ग.) III. मेसर्स यशस्वी भवा इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सेरीखेड़ी, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.) का निरीक्षण किया गया।	नहीं	उद्योगों को मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31क के तहत् नोटिस पत्र जारी किया गया है।
7.	श्री सूर्यकांत साहू की ऑनलाईन शिकायत नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्राप्त हुई है।	सकरी में स्थापित संयंत्र के डम्प कचरे से अविनाश एलाईट होम्स, गैलेक्सी ग्रीन एवं गैलेक्सी आइलैण्ड में बदबू फैलने के संबंध में।	सकरी	ग्राम - सकरी में स्थित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की सुपरविजन व मॉनिटरिंग हेतु नगर निगम, रायपुर द्वारा अनुबंधित इंडिपेंडेंट इंजीनियर संस्था मेसर्स टाईड टेक्नाक्रेट्स प्रा. लि. - विभासा सॉल्यूशन (जे वी) से निरीक्षण कराया गया।	हाँ	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं, अपितु शिकायतकर्ता के सुझाव अनुसार दुर्गन्ध शमन हेतु नियमित रूप से दुर्गन्धनाशक जैसे-लेमन ग्रास आईल इत्यादि के छिड़काव की मात्रा में वृद्धि की गई है।
8.	श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे, पूर्व जनपद अध्यक्ष द्वारा सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत शिकायत नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्राप्त हुई है।	ट्रेचिंग ग्राउण्ड विधासभा के पास ग्राम-सकरी में कचरों का पहाड़ खड़े किये जाने से दुर्गन्ध आने के संबंध में।	सकरी	ग्राम - सकरी में स्थित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की सुपरविजन व मॉनिटरिंग हेतु नगर निगम, रायपुर द्वारा अनुबंधित इंडिपेंडेंट इंजीनियर संस्था मेसर्स टाईड टेक्नाक्रेट्स प्रा. लि. - विभासा सॉल्यूशन (जे वी) से निरीक्षण कराया गया।	हाँ	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं, अपितु शिकायतकर्ता के सुझाव अनुसार दुर्गन्ध शमन हेतु नियमित रूप से दुर्गन्धनाशक जैसे-लेमन ग्रास आईल इत्यादि के छिड़काव की मात्रा में वृद्धि की गई है।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशिष्ट - सड़सठ
अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 767) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2022 में उत्तीर्ण हुये परंतु चयन नहीं होने वाले कर्मचारियों की सूची

अनुक्रमांक	आवेदक उम्मीदवार का नाम व पद	वर्ग
1	श्री अब्बास अली, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	सामान्य
2	श्री प्रहलाद द्विवेदी, सहायक ग्रेड–दो	सामान्य
3	श्री राजकुमार साहू, सहायक ग्रेड–दो	सामान्य
4	श्री प्रतीक तिवारी, सहायक ग्रेड–तीन	सामान्य
5	श्री राजेश कुमार पाण्डेय, सहायक ग्रेड–तीन	सामान्य
6	श्रीमती सुमन वर्मा, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	अपिव
7	श्रीमती संतोषी सेन, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	अपिव
8	श्री राकेश कुमार देवांगन, लेखापाल	अपिव
9	श्रीमती अनिता मैथिल, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	सामान्य
10	श्री देवआशीष बरगाह, सहायक ग्रेड–दो	अपिव
11	श्री जागृत डहरिया, सहायक ग्रेड–दो	अजा
12	श्रीमती वंदना साहू, सहायक ग्रेड–तीन	अपिव
13	श्रीमती पिंकी साहू, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	अपिव
14	श्री प्रदीप देवहारी, लेखापाल	अजजा

(वर्ष 2024–25 से जून 2025 तक)

क.	वर्ष	जिला	विकासखंड	मद मंडी निधि	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय (लाख में)	अद्यतन स्थिति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	ग्राम पंचायत करहीभदर में बाजार शेड निर्माण।	एस.एस. कंस्ट. रायपुर	19.13	0.00	प्लिंथ लेवल
2	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	ग्राम पंचायत करहीभदर में कव्हर्ड शेड स्लेब के साथ निर्माण।	एस.एस. कंस्ट. रायपुर	17.94	0.00	ग्राउण्ड बीम
3	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	ग्राम पंचायत तरौद में बाजार शेड निर्माण।	एस.एस. कंस्ट. रायपुर	19.13	0.00	प्लिंथ तक कार्य पूर्ण शेष प्रगतिरत
4	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	ग्राम पंचायत तरौद में कव्हर्ड शेड स्लेब के साथ निर्माण।	एस.एस. कंस्ट. रायपुर	17.94	0.00	प्लिंथ लेवल
5	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	ग्राम पंचायत देवारभाट में बाजार शेड निर्माण।	एस.एस. कंस्ट. रायपुर	19.13	0.00	प्लिंथ तक कार्य पूर्ण शेष प्रगतिरत
6	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	ग्राम पंचायत देवारभाट में कव्हर्ड शेड स्लेब के साथ निर्माण।	एस.एस. कंस्ट. रायपुर	17.94	0.00	टॉप बिम
7	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र तरौद में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स श्री इन्फास्ट्रक्चर बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
8	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र खपरी में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स विकास राठी बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
9	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र द नवागांव में 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स एस.एस. कंस्ट्रक्शन रायपुर	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
10	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र तरौद में 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स श्री इन्फास्ट्रक्चर बालोद	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
11	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र खपरी में 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स एस.एस. कंस्ट्रक्शन रायपुर	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
12	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र हर्राठेमा में 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स न्यू रूतवा टाईल्स गुरूर बालोद	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
13	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र द नवागांव में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	–	8.55		नवीन एस.ओ.आर. के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जाना प्रस्तावित

क.	वर्ष	जिला	विकासखंड	मद मंडी निधि	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय (लाख में)	अद्यतन स्थिति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
14	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र हर्राठेमा में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	–	8.55		नवीन एस.ओ.आर. के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जाना प्रस्तावित
15	2024-25	बालोद	बालोद	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र लिमोरा में 200 मे.टन निर्माण कार्य।	–	12.11		नवीन एस.ओ.आर. के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जाना प्रस्तावित
16	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	ग्राम पंचायत पलारी में बाजार शेड निर्माण।	एस.एस. कंस्ट. रायपुर	19.13	0.00	फुटिंग कार्य प्रगतिरत
17	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	ग्राम पंचायत पलारी में कव्हर्ड शेड स्लेब के साथ निर्माण।	एस.एस. कंस्ट. रायपुर	17.94	0.00	ग्राउण्ड बीम
18	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	ग्राम पंचायत बोडरा में बाजार शेड निर्माण।	श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बालोद	19.13	0.00	फुटिंग कार्य प्रगतिरत
19	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	ग्राम पंचायत बोडरा में कव्हर्ड शेड स्लेब के साथ निर्माण।	श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बालोद	17.94	0.00	फुटिंग कार्य प्रगतिरत
20	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	ग्राम पंचायत अमरीकला में बाजार शेड निर्माण।	याडी कंस्ट्र धमतरी	19.13	0.00	ग्राउण्ड बीम
21	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	ग्राम पंचायत अमरीकला में कव्हर्ड शेड स्लेब के साथ निर्माण।	याडी कंस्ट्र धमतरी	17.94	0.00	ग्राउण्ड बीम
22	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	ग्राम पंचायत सनौद में बाजार शेड निर्माण।	श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बालोद	19.13	0.00	फुटिंग कार्य प्रगतिरत
23	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	ग्राम पंचायत सनौद में कव्हर्ड शेड स्लेब के साथ निर्माण।	श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बालोद	17.94	0.00	फुटिंग कार्य प्रगतिरत
24	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	ग्राम पंचायत गुरूर में बाजार शेड निर्माण।	श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बालोद	19.13	0.00	नीव स्तर पर
25	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	ग्राम पंचायत गुरूर में कव्हर्ड शेड स्लेब के साथ निर्माण।	श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बालोद	17.94	0.00	नीव स्तर पर
26	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	जिला बालोद वि.खं. गुरूर अंतर्गत ग्राम सुर्रा में स्लेब कल्वर्ट निर्माण।	–	32.45	0.00	निविदा स्तर
27	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र लिमोरा में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स न्यू रूतवा टाईल्स गुरूर बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
28	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र नारागांव में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स न्यू रूतवा टाईल्स गुरूर बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
29	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र कोसागांदी में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
30	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र कोसागांदी में 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स न्यू रूतवा टाईल्स गुरूर बालोद	12.11	0.00	लेआउट दिया गया

क.	वर्ष	जिला	विकासखंड	मद मंडी निधि	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय (लाख में)	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	2024-25	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र नारागांव में 200 मे.टन निर्माण कार्य।	–	12.11		नवीन एस.ओ.आर. के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जाना प्रस्तावित
32	2024-25	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र पटेली में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
33	2024-25	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र बेलोदा में पक्के फड निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
34	2024-25	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र सुरडोंगर में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
35	2024-25	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र चिखलाकसा में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
36	2024-25	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र पटेली में 200 में. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स विकास राठी बालोद	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
37	2024-25	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र बेलोदा में 200 में. टन गोदाम निर्माण कार्य।	हरि ओम रोलिंग शटर वर्कशॉप बालोद	12.11	0.00	निगोशिएशन दर स्वीकृति प्रकियाधीन
38	2024-25	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र सुरडोंगर में 200 में. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स विकास राठी बालोद	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
39	2024-25	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र चिखलाकसा में 200 में. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स विकास राठी बालोद	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
40	2024-25	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	ग्राम पंचायत पथराटोला में सीमेंटीकरण कार्य	–	19.38	0.00	निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
41	2024-25	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	ग्राम पंचायत भैसबोड में राम मंदिर मंउई पारा‌द तक सीमेंटीकरण कार्य	–	16.15	0.00	निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
42	2024-25	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	ग्राम पंचायत अरमुरकसा के बस्तीपारा में सी.सी. कार्य	–	16.15	0.00	निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
43	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र खरथुली में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
44	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र मारी में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
45	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र रीवागहन में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
46	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र कन्याडबरी में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स अभिनव साहू राजनांदगांव	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
47	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र सिंगारपुर में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया

क.	वर्ष	जिला	विकासखंड	मद मंडी निधि	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय (लाख में)	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र खरथुली में 200 में. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स आर.जी. कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
49	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र मारी में 200 में. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स अभिनव साहू राजनांदगांव	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
50	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र रीवागहन में 200 मे.टन निर्माण कार्य।	मेसर्स आर.जी. कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
51	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र कन्याडबरी में 200 में. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स अभिनव साहू राजनांदगांव	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
52	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र सिंगारपुर में 200 में. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स आर.जी. कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
53	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	ग्राम पंचायत भरदा में हल्बा सामुदायिक भवन के सामने मेन रोड तक सी.सी. रौड निर्माण	–	14.07	0.00	निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
54	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	ग्राम पंचायत बडगांव में सोसायटी समिति में शेड निर्माण	–	19.37	0.00	निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
55	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	ग्राम पंचायत खरथुली में सोसायटी समिति में शेड निर्माण	–	19.37	0.00	निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
56	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	ग्राम पंचायत मंगचुवा में सोसायटी समिति में शेड निर्माण	–	19.37	0.00	निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
57	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	ग्राम पंचायत कमकापार में सोसायटी समिति में शेड निर्माण	–	19.37	0.00	निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
58	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	ग्राम पंचायत बटेरा शीतला मंदिर रोड से सीमेंटीकरण कार्य	–	14.60	0.00	निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
59	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	ग्राम पंचायत जुन्नापानी में सोसायटी समिति में शेड निर्माण	–	19.37	0.00	निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
60	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	ग्राम पंचायत बैहाकुआ में शेड निर्माण कार्य	–	19.28	0.00	निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
61	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	ग्राम संबलपुर क में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	–	8.55	0.00	निविदा स्तर
62	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	ग्राम भीमकन्हार में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	–	8.55	0.00	निविदा स्तर
63	2024-25	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	ग्राम पिनकापार (थाना) में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	–	8.55	0.00	निविदा स्तर
64	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र अर्जुनी टिकरी में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया

क.	वर्ष	जिला	विकासखंड	मद मंडी निधि	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय (लाख में)	अद्यतन स्थिति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
65	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र खुरसुनी में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
66	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र रूदा में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
67	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र सकरौद में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
68	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र तिलोदा में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
69	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र खुटेरी में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	मेसर्स चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही बालोद	8.55	0.00	लेआउट दिया गया
70	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र अर्जुनी टिकरी में 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स शहनाज कंस्ट्रक्शन बालोद	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
71	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र खुरसुनी में 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स आर.जी. कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
72	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र रूदा में 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स शमीम कंस्ट्रक्शन बालोद	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
73	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र सकरौद में 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य।	मेसर्स ठाकुर राम बिल्डिंग मटेरियल स्पलायर गुण्डरदेही	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
74	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र तिलोदा में 200 मे.टन निर्माण कार्य।	मेसर्स ठाकुर राम बिल्डिंग मटेरियल स्पलायर गुण्डरदेही	12.11	0.00	लेआउट दिया गया
75	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र खुटेरी मे 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य।	हरि ओम रोलिंग शटर वर्कशॉप बालोद	12.11	0.00	निगोशिएशन दर स्वीकृति प्रक्रियाधीन
76	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	ग्राम पिरीद में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	–	8.55	0.00	निविदा स्तर
77	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	ग्राम पिनकापार में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	–	13.11	0.00	निविदा स्तर
78	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	ग्राम भरदाकला में पक्के फड़ निर्माण कार्य।	–	8.55	0.00	निविदा स्तर
79	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	ग्राम भरदाकला में किसान कुटीर निर्माण कार्य	–	13.11	0.00	निविदा स्तर
80	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	ग्राम कंचादुर में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	–	13.11	0.00	निविदा स्तर
81	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	ग्राम गुरेदा में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	–	13.11	0.00	निविदा स्तर
82	2024-25	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	ग्राम बरबरसपुर में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	–	13.11	0.00	निविदा स्तर
योग							**1088.31**		

क.	वर्ष	जिला	विकासखंड	मद मंडी निधि	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय (लाख में)	अद्यतन स्थिति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	2025-26	बालोद	बालोद	मंडी निधि	जिला बालोद वि.ख. बालोद अंतर्गत सेवा सहकारी समिति निपानी में चबुतरा एवं शेड निर्माण	–	14.35	0.00	निविदा स्तर
2	2025-26	बालोद	बालोद	मंडी निधि	जिला बालोद वि.ख. बालोद अंतर्गत सेवा सहकारी समिति लाटाबोड़ में चबुतरा एवं शेड निर्माण	–	14.35	0.00	निविदा स्तर
3	2025-26	बालोद	बालोद	मंडी निधि	जिला बालोद वि.ख. बालोद अंतर्गत सेवा सहकारी समिति बरही में चबुतरा एवं शेड निर्माण	–	14.35	0.00	निविदा स्तर
4	2025-26	बालोद	बालोद	मंडी निधि	जिला बालोद वि.ख. बालोद अंतर्गत धान खरीदी केन्द्र लिमोरा में कार्यालय सी गोदाम निर्माण	–	18.9	0.00	निविदा स्तर
5	2025-26	बालोद	बालोद	मंडी निधि	जिला बालोद वि.ख. बालोद अंतर्गत सेवा सहकारी समिति खपरी में कार्यालय सह गोदाम निर्माण	–	18.9	0.00	निविदा स्तर
6	2025-26	बालोद	बालोद	मंडी निधि	जिला बालोद वि.ख. बालोद अंतर्गत सेवा सहकारी समिति गोड़पार (मुल्लेगुढा) में शेड निर्माण।	–	14.35	0.00	निविदा स्तर
7	2025-26	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	जिला बालोद वि.ख. गुरूर अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मिर्रीटोला में शेड निर्माण	–	14.35	0.00	निविदा स्तर
8	2025-26	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	जिला बालोद वि.ख. गुरूर अंतर्गत सेवा सहकारी समिति दर्रा में शेड निर्माण	–	14.35	0.00	निविदा स्तर
9	2025-26	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	जिला बालोद वि.ख. गुरूर अंतर्गत सेवा सहकारी समिति खुदनी में शेड निर्माण	–	14.35	0.00	निविदा स्तर
10	2025-26	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	जिला बालोद वि.ख. गुरूर अंतर्गत सेवा सहकारी समिति घोघोपुरी में शेड निर्माण	–	14.35	0.00	निविदा स्तर
11	2025-26	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	जिला बालोद वि.ख. गुरूर सेवा सहकारी समिति सोरर में शेड नर्माण	–	14.35	0.00	निविदा स्तर
12	2025-26	बालोद	गुरूर	मंडी निधि	जिला बालोद वि.ख. गुरूर अंतर्गत सेवा सहकारी समिति कनेरी में शेड निर्माण।	–	14.35	0.00	निविदा स्तर
13	2025-26	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र डौण्डीलोहारा अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भरदा (ट) के धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य।	–	12.11	0.00	निविदा स्तर

क.	वर्ष	जिला	विकासखंड	मद मंडी निधि	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय (लाख में)	अद्यतन स्थिति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
14	2025-26	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र डौण्डीलोहारा अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मार्री के धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य।	–	12.11	0.00	निविदा स्तर
15	2025-26	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र डौण्डीलोहारा अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित खमतराई के उप धान उपार्जन केन्द्र कन्या डबरी में गोदाम निर्माण कार्य।	–	12.11	0.00	निविदा स्तर
16	2025-26	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र डौण्डीलोहारा ग्राम दुधली में सेवा सहकारी समिति में व्यवसायिक परिसर निर्माण कार्य।	–	14.34	0.00	निविदा स्तर
17	2025-26	बालोद	डौण्डीलोहारा	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र डौण्डीलोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत हितापठार के ग्राम सुन्दरनगर में किसान भवन निर्माण कार्य।	–	13.86	0.00	निविदा स्तर
18	2025-26	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र गुण्डरदेही अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित अर्जुन्दा के नवीन धान उपार्जन उप केन्द्र अर्जुनी टिकरी में गोदाम निर्माण कार्य।	–	12.11	0.00	निविदा स्तर
19	2025-26	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र गुण्डरदेही अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोड़ेवा धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य।	–	12.11	0.00	निविदा स्तर
20	2025-26	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र गुण्डरदेही अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित ओढ़ारसकरी धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य।	–	12.11	0.00	निविदा स्तर
21	2025-26	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र गुण्डरदेही अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित भाठागांव (आर) के धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य।	–	12.11	0.00	निविदा स्तर
22	2025-26	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र गुण्डरदेही अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित तवेरा के नवीन धान उपार्जन उप केन्द्र रूद्रा में गोदाम निर्माण कार्य।	–	12.11	0.00	निविदा स्तर

क.	वर्ष	जिला	विकासखंड	मद मंडी निधि	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय (लाख में)	अद्यतन स्थिति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
23	2025-26	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र गुण्डरदेही अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिर्री के नवीन धान उपार्जन उप केन्द्र तिरोदा में गोदाम निर्माण कार्य।	–	12.11	0.00	निविदा स्तर
24	2025-26	बालोद	गुण्डरदेही	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र गुण्डरदेही अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिकोसा धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य।	–	12.11	0.00	निविदा स्तर
25	2025-26	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	जिला बालोद वि.स. क्षेत्र डौण्डीलोहारा ग्राम चिखली में 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य।	–	12.11	0.00	निविदा स्तर
26	2025-26	बालोद	डौण्डी	मंडी निधि	जिला बालोद वि.खं. डौण्डी अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलोदा में किसान भवन निर्माण कार्य।	–	13.86	0.00	निविदा स्तर
योग							**356.57**		
महायोग							**1444.88**		

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2025
20:37:53

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - उनहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 779) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 01/01/2024 से दिनांक 30/05/2025 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रेत के अवैध उत्खनन पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की जानकारी

क्र	अवैध रेत उत्खनन का स्थल	उल्लंघन का कारण	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की जानकारी	वर्तमान स्थिति
		जिला- रायगढ़		
1.	मेसर्स उसरौट सेण्ड माईन (प्रो.- श्री नगौनारायण पटेल), ग्राम-उसरौट, तहसील व जिला-रायगढ़	दिनांक 24/07/2024 को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रेत का संचालन बिना वैध सम्मति के किया गया।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 6,90,000.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	खदान द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 6,90,000.00/- मण्डल में जमा किया गया है।
2.	ग्राम-कन्दागढ़, तह.-पुसौर, जिला रायगढ़ (श्री मुरली साव आ. नृपोमणी)	कलेक्टर, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार खनिज विभाग, रायगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2024 को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 3,62,680.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
		जिला- धमतरी		
3.	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र (श्री अजीत सिंग गुरुदत्ता)	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र का दिनांक 25/01/2024 को जाँच तथा की गयी कार्यवाही बाबत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- धमतरी से प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 54,384.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
4.	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र (श्री मुकेश कुमार साहू)	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र का दिनांक 25/01/2024 को जाँच तथा की गयी कार्यवाही बाबत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- धमतरी से प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 1,45,029.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
5.	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र (श्री खिलावन ध्रुव)	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र का दिनांक 25/01/2024 को जाँच तथा की गयी कार्यवाही बाबत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- धमतरी से प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 10,875.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 10,875.00 रूपये जमा किया जा चूका है।
6.	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र (श्री टाकेश्वर साहू)	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र का दिनांक 25/01/2024 को जाँच तथा की गयी कार्यवाही बाबत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- धमतरी से प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 43,508.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
7.	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र (श्री मनोहर साहू)	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र का दिनांक 25/01/2024 को जाँच तथा की गयी कार्यवाही बाबत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- धमतरी से प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 10,875.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 10,875.00 रूपये जमा किया जा चूका है।
		जिला- बालोद		
8.	ग्राम- भैंसमुड़ी, ग्राम पंचायत- पोंड, तहसील-गुरुर (श्री रविकांत साहू, श्री शंकर लाल एवं श्री हरीश सिन्हा)	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- बालोद से दिनांक 28/06/2024 को प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 2,85,548.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
9.	ग्राम- भैंसमुड़ी, ग्राम पंचायत- पोंड, तहसील-गुरुर (श्री देवव्रत ठाकुर)	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- बालोद से दिनांक 28/06/2024 को प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 2,79,720.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।

10.	ग्राम एवं ग्राम पंचायत- पोंड, तहसील- गुरुर (श्री देवेन्द्र साहू, श्री अलोक सिंह ठाकुर लाल, श्री हितेश जैन)	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- बालोद से दिनांक 28/06/2024 को प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 2,91,375.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
11.	ग्राम एवं ग्राम पंचायत- पोंड, तहसील- गुरुर (श्री शुभम वर्मा, श्री गोपाल ओमप्रकाश जाजू, श्री राजेश देवांगन)	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- बालोद से दिनांक 28/06/2024 को प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 11,655.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 11,655.00/- मण्डल में जमा किया गया है।
शेष जिलों में अवैध रेत उत्खनन की जानकारी निरंक है।				

अनुभाग अधिकारी
आयास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 780) की जानकारी

प्रपत्र अ

मिलेट की खेती को बढ़ावा देने विभागीय योजनाओं से प्रदायित सहायता की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	प्रावधानित राशि
1	2	3	4
1.	जैविक खेती मिशन	प्रदर्शन	रू. 10000/एकड़
2.	परम्परागत कृषि विकास योजना	प्रदर्शन	रू. 5000/हे.
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	प्रदर्शन	रू. 7500/हे.
4.	राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन	फसल प्रदर्शन रागी/कोदो/कुटकी	योजना आंरभ से वर्ष 2024–25 तक रू. 6000/हे. वर्ष 2025–26 से रू. 7500/हे.
		बीज वितरण रागी/कोदो/कुटकी (10 वर्ष के अंदर के किस्म)	रू. 3000 / क्वि. या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
		बीज वितरण रागी/कोदो/कुटकी (10 वर्ष के अंदर के किस्म)	रू. 1500/ क्वि. या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
		बीज वितरण रागी/कोदो/कुटकी (टीएसपी–एफआरए–आदिवासी कृषक–धरती आभा	रू. 5400/ क्वि. या लागत का 90 प्रतिशत जो भी कम हो।
		बीज उत्पादन रागी/कोदो/कुटकी (10 वर्ष के अंदर के किस्म)	रू. 3000 / क्वि. या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
5.	एक्टेंशन रिफार्म (आत्मा)	प्रदर्शन	रू. 6000/–एकड.

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2025
20:53:01

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र -ब

मिलेट की जानकारी

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	वित्तीय वर्ष	मिलेट का नाम	समर्थन मूल्य (दर रु.प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्राहकों को की गयी भुगतान राशि (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	जगदलपुर	2024-25	कोदो	3200.00	75.78	2.42
			कुटकी (काला)	3350.00	250.20	8.38
			कुटकी (भूरा)	3350.00	267.75	8.97
			रागी	4290.00	822.85	35.30
योग					1416.58	55.07
2	बीजापुर	2024-25	कोदो	3200.00	0.00	0.00
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.00	0.00
			रागी	4290.00	0.00	0.00
योग					0.00	0.00
3	सुकमा	2024-25	कोदो	3200.00	55.07	1.76
			कुटकी (काला)	3350.00	12.22	0.41
			कुटकी (भूरा)	3350.00	41.71	1.40
			रागी	4290.00	50.70	2.18
योग					159.70	5.74

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	वित्तीय वर्ष	मिलेट का नाम	समर्थन मूल्य (दर रु.प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्राहकों को की गयी भुगतान राशि (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
4	दंतेवाडा	2024-25	कोदो	3200.00	34.28	1.10
			कुटकी (काला)	3350.00	45.98	1.54
			कुटकी (भूरा)	3350.00	98.31	3.29
			रागी	4290.00	7.40	0.31
योग					185.97	6.24
5	दक्षिण कॉडागांव	2024-25	कोदो	3200.00	8.60	0.28
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	88.27	2.96
			रागी	4290.00	145.60	6.25
योग					242.47	9.49
6	केशकाल	2024-25	कोदो	3200.00	6.13	0.20
			कुटकी (काला)	3350.00	26.50	0.89
			कुटकी (भूरा)	3350.00	30.31	1.02
			रागी	4290.00	175.20	7.52
योग					238.14	9.63
7	नारायणपुर	2024-25	कोदो	3200.00	0.00	0.00
			कुटकी (काला)	3350.00	135.60	4.54
			कुटकी (भूरा)	3350.00	71.60	2.40
			रागी	4290.00	28.67	1.23
योग					235.87	8.17

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	वित्तीय वर्ष	मिलेट का नाम	समर्थन मूल्य (दर रु.प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्राहकों को की गयी भुगतान राशि (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	2024-25	कोदो	3200.00	748.76	23.96
			कुटकी (काला)	3350.00	60.83	2.04
			कुटकी (भूरा)	3350.00	1.00	0.03
			रागी	4290.00	40.90	1.75
योग					851.49	27.78
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	2024-25	कोदो	3200.00	125.67	4.02
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	61.54	2.06
			रागी	4290.00	0.00	0.00
योग					187.21	6.08
10	कांकेर	2024-25	कोदो	3200.00	25.65	0.82
			कुटकी (काला)	3350.00	9.34	0.31
			कुटकी (भूरा)	3350.00	6.52	0.22
			रागी	4290.00	26.97	1.16
योग					68.48	2.51
11	राजनांदगांव	2024-25	कोदो	3200.00	1945.53	62.26
			कुटकी (काला)	3350.00	9.72	0.33
			कुटकी (भूरा)	3350.00	42.04	1.41
			रागी	4290.00	65.32	2.80
योग					2062.61	66.80

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	वित्तीय वर्ष	मिलेट का नाम	समर्थन मूल्य (दर रु.प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्राहकों को की गयी भुगतान राशि (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
12	खैरागढ़	2024-25	कोदो	3200.00	5118.10	163.78
			कुटकी (काला)	3350.00	49.00	1.64
			कुटकी (भूरा)	3350.00	55.00	1.84
			रागी	4290.00	0.00	0.00
योग					5222.10	167.26
13	बालोद	2024-25	कोदो	3200.00	501.77	16.06
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.56	0.02
			रागी	4290.00	13.83	0.59
योग					516.16	16.67
14	कवर्धा	2024-25	कोदो	3200.00	8037.20	257.19
			कुटकी (काला)	3350.00	13.00	0.44
			कुटकी (भूरा)	3350.00	34.00	1.14
			रागी	4290.00	0.00	0.00
योग					8084.20	258.77
15	धमतरी	2024-25	कोदो	3200.00	5.600	0.18
			कुटकी (काला)	3350.00	0.000	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.000	0.00
			रागी	4290.00	3.050	0.13
योग					8.65	0.31

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	वित्तीय वर्ष	मिलेट का नाम	समर्थन मूल्य (दर रु.प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्राहकों को की गयी भुगतान राशि (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
16	गरियाबंद	2024-25	कोदो	3200.00	6.800	0.22
			कुटकी (काला)	3350.00	0.000	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.500	0.02
			रागी	4290.00	43.380	1.86
योग					50.68	2.10
17	महासमुंद	2024-25	कोदो	3200.00	0.000	0.00
			कुटकी (काला)	3350.00	0.000	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.000	0.00
			रागी	4290.00	2.800	0.12
योग					2.80	0.12
18	बलौदा बाज़ार	2024-25	कोदो	3200.00	65.120	2.08
			कुटकी (काला)	3350.00	0.000	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.000	0.00
			रागी	4290.00	73.000	3.13
योग					138.12	5.22
19	बिलासपुर	2024-25	कोदो	3200.00	1264.43	40.46
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.00	0.00
			रागी	4290.00	0.00	0.00
योग					1264.43	40.46

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	वित्तीय वर्ष	मिलेट का नाम	समर्थन मूल्य (दर रु.प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्राहकों को की गयी भुगतान राशि (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
20	रायगढ़	2024-25	कोदो	3200.00	129.99	4.16
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.00	0.00
			रागी	4290.00	77.05	3.31
योग					207.04	7.47
21	धरमजयगढ़	2024-25	कोदो	3200.00	18.12	0.58
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.00	0.00
			रागी	4290.00	0.00	0.00
योग					18.12	0.58
22	कोरबा	2024-25	कोदो	3200.00	0.00	0.00
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.00	0.00
			रागी	4290.00	0.00	0.00
योग					0.00	0.00
23	कटघोरा	2024-25	कोदो	3200.00	354.12	11.33
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.00	0.00
			रागी	4290.00	0.00	0.00
योग					354.12	11.33

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	वित्तीय वर्ष	मिलेट का नाम	समर्थन मूल्य (दर रु.प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्राहकों को की गयी भुगतान राशि (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
24	मरवाही	2024-25	कोदो	3200.00	447.55	14.32
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.00	0.00
			रागी	4290.00	0.00	0.00
योग					447.55	14.32
25	जशपुर	2024-25	कोदो	3200.00	39.62	1.27
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	36.45	1.22
			रागी	4290.00	399.65	17.14
योग					475.72	19.63
26	मनेन्द्रगढ़	2024-25	कोदो	3200.00	1766.910	56.54
			कुटकी (काला)	3350.00	0.000	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	3.430	0.11
			रागी	4290.00	0.000	0.00
योग					1770.34	56.65
27	कोरिया	2024-25	कोदो	3200.00	293.12	9.38
			कुटकी (काला)	3350.00	0.000	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	0.000	0.00
			रागी	4290.00	0.000	0.00
योग					293.12	9.38

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	वित्तीय वर्ष	मिलेट का नाम	समर्थन मूल्य (दर रु.प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्राहकों को की गयी भुगतान राशि (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
28	सरगुजा	2024-25	कोदो	3200.00	171.99	5.50
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	130.70	4.38
			रागी	4290.00	0.00	0.00
योग					302.69	9.88
29	बलरामपुर	2024-25	कोदो	3200.00	878.25	28.10
			कुटकी (काला)	3350.00	16.00	0.54
			कुटकी (भूरा)	3350.00	42.00	1.41
			रागी	4290.00	43.20	1.85
योग					979.45	31.90
30	सूरजपुर	2024-25	कोदो	3200.00	2034.33	65.10
			कुटकी (काला)	3350.00	0.00	0.00
			कुटकी (भूरा)	3350.00	16.76	0.46
			रागी	4290.00	0.00	0.00
योग					2051.09	65.56
महायोग					27834.90	915.12

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2025
20:54:28

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - इकहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 781) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2023–24 में जीएसटी वसूली के लिए कारोबारियों के यहां मारे गए छापे की सूची

(राशि लाख में)

क्र.	व्यवसायी का नाम	अपवंचित (आंकलित) कर की राशि	वसूली राशि	टिप्पणी
1	M/s Goyal PVC Penal	21.42	21.42	
2	M/s Shubh labh ventures	0.00	0.00	
3	M/s Asharafi engineering	0.00	0.00	प्रकरण केन्द्रीय जीएसटी विभाग को हस्तांतरित
4	M/s Rupesh ventures	0.00	0.00	
5	M/s Mukesh enterprizes	2.99	2.99	
6	M/s Maa Pitambara Coal Car ier PVT. LTD	29.19	29.19	
7	M/s Jay Balaji Industries limited	50.00	50.00	
8	M/s Mahaveer Motorcorp	1182.12	1182.12	
9	M/s Gulabchand Jain	15.22	15.22	
10	M/s Jagdalpur Motors	279.64	279.64	
11	M/s Jagdalpur Motors Pvt Ltd	351.08	351.08	
12	M/s Siddhi Vinayak Coal Carrier	442.19	414.21	
13	M/S LAXMIROOP PVT LTD	20.39	20.39	
14	LAXMIROOP PVT LTD	30.52	30.52	
15	KANDHARI TRANSPORT	290.00	290.00	
16	FLOWER QUEEN	160.95	160.95	
17	Unknown Godown	9.18	9.18	
18	M/S STEEL POINT AND INDUSTRIES	0.00	0.00	प्रकरण केन्द्रीय जीएसटी विभाग को हस्तांतरित
19	SHREE TRIVENI ENTERPRISES	0.00	0.00	
20	M/S SHREE GANPATI WIRE	0.00	0.00	
21	TRIVENI METALLIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	50.00	50.00	
22	Parihar Infra Private Limited	0.00	0.00	
23	DURGA STEELS AND MINERALS	0.00	0.00	
24	NEW BALAJI STEELS	0.00	0.00	
25	RADHAKRISHNA ISPAT UDYOG	0.00	0.00	
26	VN STEEL INDUSTRIES	0.00	0.00	
27	M/S AC WIRE	0.00	0.00	
28	OM TRADERS	0.00	0.00	
29	BANSAL TRADERS	0.00	0.00	
30	DRISHTI STEELS PRIVATE LIMITED	0.00	0.00	
31	M/S ROOPALI TILES AND TRADERS	68.52	0.00	
32	Agrawal Steel & Pipes	37.34	37.34	
33	A S MINING AND MINERALS LLP	30.00	30.00	
34	REFEX INDUSTRIES LIMITED	50.00	50.00	
35	RAIS PETROLEUM	100.00	100.00	
36	TOP UP CENTRE	0.00	0.00	
37	CANDID GUARD SERVICES PRIVATE LIMITED	11.80	11.80	
38	SHYAM STEEL INDUSTRIES	300.00	300.00	

क्र.	व्यवसायी का नाम	अपवंचित (आंकलित) कर की राशि	वसूली राशि	टिप्पणी
39	ISHWAR ISPAT INDUSTRIES PVT. LTD	45.99	45.99	
40	ISHWAR TMT PRIVATE LIMITED	133.63	133.63	
41	PILANIA INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED	50.00	50.00	
42	PILANIA STEELS PRIVATE LIMITED	75.00	75.00	
43	SKY ALLOYS AND POWER LIMITED	60.00	60.00	
44	Unknown godown (Avdhes kumar)	10.01	10.01	
45	OM SPONGE	237.57	237.57	
46	HINDUSTAN COILS LIMITED	374.62	374.62	
47	DEVI IRON AND POWER PRIVATE LIMITED	175.00	175.00	
48	AGRASEN ISPAT PRIVATE LIMITED	29.84	29.84	
49	VISHAL INDUSTRIES	20.01	20.01	
50	KOMAL FOOD PRODUCTS	50.00	50.00	
51	R.K.ELECTRICALS	25.00	25.00	
52	VVV TRADELINKS PRIVATE LIMITED	30.28	30.28	
53	VIVRN FOODS PRIVATE LIMITED	181.32	181.32	
54	Balaji Traders	0.00	0.00	
55	HARI OM AGENCIES	205.62	205.62	
56	PAWAN PUTRA FLAVOURS	66.15	66.15	
57	SHRI HARJIKA ENTERPRISES	25.00	25.00	
58	ANOOP ROAD CARRIERS	25.00	25.00	
59	VEDANT ROAD CARRIERS	0.00	0.00	
60	R K Agrawal And Sons	0.00	0.00	
61	SUNSHINE CATERERS PRIVATE LIMITED	0.00	0.00	
62	MOHAMMAD ASIF MEMON	9.12	9.12	
63	CHOURASIA GENERAL AGENCIES	26.93	26.93	
64	OMISHA TRADERS	80.49	80.49	
65	JAI BABA TRADERS	0.00	0.00	
66	MOKSH TRADING	40.38	40.38	
67	KAY PAN SUGANDH PRIVATE LIMITED	340.00	340.00	
68	K P SUGANDH LIMITED	115.00	115.00	
Total		**5964.51**	**5868.01**	

परिशिष्ट - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 798) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्राप्त बजट (राशि करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में व्यय राशि (राशि करोड़ में)
1	2	3	4
1	शिक्षा		
	अ–तकनीकी शिक्षा	335.69	262.67
	ब–उच्च शिक्षा	1334.74	1098.55
	स–स्कूल शिक्षा	21489.00	20195.00
	द–चिकित्सा शिक्षा	2667.88	1892.13
2.	स्वास्थ्य (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	9592.18	7078.83
3.	लोक निर्माण	8017.00	7742.22
4.	जल संसाधन	3166.00	2759.00
5.	कृषि विभाग (कृषि, उद्यानिकी)	15336.99	14252.93

(अतीश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

परिशिष्ट - तिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 810) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2021-2022 से 20 फरवरी 2025 तक की अवधि में मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, जिला सक्ती एवं मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड ग्राम-बाड़ादरहा, जिला-सक्ती के किये गए निरीक्षण/जाँच का विवरण

क्र.	उद्योग का नाम	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता का नाम	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3		4	5
1.	मेसर्स आर. के. एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, जिला-सक्ती	18/06/2021	डॉ. सुरेश चन्द्र, क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. एम.पी.मिश्र, मुख्य रसायनज्ञ, श्री आशीर्वाद चाणक्य, सहायक विधि अधिकारी	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		05/01/2022	श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी,	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		09/01/2023	श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी	चिमनी से अत्याधिक उत्सर्जन, आंतरिक मार्गो में डस्ट का जमाव, गारलैण्ड ड्रेन का उचित रख-रखाव नहीं रखा जाना, सी.एच.पी. एरिया में जल छिड़काव नहीं किया जाना, फ्यूजिटिव डस्ट नियंत्रण हेतु जल छिडकाव नहीं किया जाना, ऐश डाईक में प्रदूषण नियंत्रण नहीं किया जाना पाया गया ।	उद्योग को पत्र दिनांक 10/01/2023 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया।
		13/02/2023	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक श्री संजय मिश्रा, सहायक ग्रेड-2/सेम्पलर	जारी नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 13/02/2023 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् उत्पादन बंद / विद्युत विच्छेदन करने हेतु निर्देश जारी किया गया।
		27/02/2023	श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		26/12/2023	श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		05/07/2024	राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक	सी.एच.पी. एरिया में जल छिड़काव नहीं किया जाना, आंतरिक मार्गो में कोल स्लज का जमाव, फ्यूजिटिव डस्ट नियंत्रण हेतु व्यवस्था नहीं किया जाना, हाउसकीपिंग संतोषप्रद नहीं होना पाया गया।	उद्योग को निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों के सम्बन्ध में दिनांक 13/07/2024 को पत्र जारी किया गया।
		08/08/2024	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	जारी पत्र के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		23/12/2024	श्रीमती माधुरी जायसवाल, सहायक अभियंता खेमचंद साहू, वैज्ञानिक	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2.	मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड,	18/06/2021	डॉ. सुरेश चन्द्र, क्षेत्रीय अधिकारी डॉ.	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

	ग्राम-बाड़ादरहा, जिला-सक्ती		एम.पी.मिश्र, मुख्य रसायनज्ञ, श्री आशीर्वाद चाणक्य, सहायक विधि अधिकारी		
		02/09/2021	श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	अत्यधिक मात्रा में फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन तथा वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	उद्योग को पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया।
		25/10/2021	श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	जारी नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		24/02/2022	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता श्री आशीर्वाद चाणक्य, सहायक विधि अधिकारी	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		10/06/2022	श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		06/07/2023	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		23/12/2024	श्रीमती माधुरी जायसवाल, सहायक अभियंता खेमचंद साहू, वैज्ञानिक	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - चौहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 811) की जानकारी

प्रपत्र

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित छात्रावास निम्नानुसार है :–

क्रं.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड	छात्रावास का नाम
1	2	3	4
1	चन्द्रपुर	मालखरौदा	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मालखरौदा
2			प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मालखरौदा
3			प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मालखरौदा
4			प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पिरदा
5			प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सिघंरा
6			प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास छपोरा
7			प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास छपोरा
8			प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास फगुरम
9			प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास अड़भार
10		डभरा	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास डभरा
11			प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास धुरकोट
12			प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कोटमी
13			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास छपोरा
14			प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास डभरा
15			प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास डभरा
16			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास डभरा
17			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास चन्द्रपुर

अनुभाग अधिकारी
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र–अ

जिला कबीरधाम हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2024 से जून 2025 तक उर्वरक के निर्धारित लक्ष्य, भण्डारण एवं वितरण की वर्षवार, मौसमवार, उर्वरकवार जानकारी

इकाई मे.टन

क्र	उर्वरक का नाम	लक्ष्य				भंडारण				वितरण			
		खरीफ 2024 (01.04.2024 से 30.09.2024)	रबी 2024–25 (01.10.2024 से 31.03.2025)	खरीफ 2025 (01.04.2025 से 30.06.2025)	योग (01.04.2024 से 30.06.2025)	खरीफ 2024 (01.04.2024 से 30.09.2024)	रबी 2024–25 (01.10.2024 से 31.03.2025)	खरीफ 2025 (01.04.2025 से 30.06.2025)	योग (01.04.2024 से 30.06.2025)	खरीफ 2024 (01.04.2024 से 30.09.2024)	रबी 2024–25 (01.10.2024 से 31.03.2025)	खरीफ 2025 (01.04.2025 से 30.06.2025)	योग (01.04.2024 से 30.06.2025)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	यूरिया	28500.00	6000.00	31500.00	66000.00	34561.00	14320.00	25923.00	74804.00	31725.00	8779.00	20330.00	60834.00
2	डीएपी	14400.00	2600.00	13200.00	30200.00	13040.00	5287.00	6394.00	24721.00	12432.00	4220.00	4539.00	21191.00
3	एमओपी	2850.00	450.00	2900.00	6200.00	3367.00	2155.00	3507.00	9029.00	2853.00	507.00	2364.00	5724.00
4	एसएसपी	17200.00	4000.00	19500.00	40700.00	19354.00	13995.00	18229.00	51578.00	18145.00	3532.00	12938.00	34615.00
5	एनपीके	3400.00	800.00	4930.00	9130.00	5351.00	1476.00	9538.00	16365.00	4906.00	761.00	5994.00	11661.00
	योग	**66350.00**	**13850.00**	**72030.00**	**152230.00**	**75673.00**	**37233.00**	**63591.00**	**176497.00**	**70061.00**	**17799.00**	**46165.00**	**134025.00**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 18:54:26

विकास मिश्रा
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

LGMJ-2401/242/2025-Agriculture Section(Technical) I/69449/202

प्रपत्र–ब

जिला कबीरधाम में रासायनिक उर्वरक वितरण करने वाली सहकारी समितियों की विकासखंडवार, डबल लॉक केन्द्रवार जानकारी

क्र	जिला	विकासखंड का नाम	मार्कफेड के डबल लॉक केंद्र का नाम	समिति का नाम जहां डबल लॉक केंद्रों से उर्वरकों का वितरण किया जाता है
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	कबीरधाम	कवर्धा	डबल लॉक केंद्र, कवर्धा	कवर्धा
2				रेंगाखारखुर्द
3				नेवारी
4				बम्हनी
5				मैनपुरी
6				बिरकोना
7				धरमपुरा
8				झिरौनी
9				जिंदा
10				सोनपुरी रानी
11				इंदौरी
12				पिपरिया
13				कोको
14				खपरी
15				मरका
16				रबेली
17				लखनपुर
18				सोनबरसा
19				दशरंगपुर
20				पनेका
21				कोसमंदा
22				सोनपुरी गुढ़ा
23				कृतबांधा
24				चचेड़ी
25		पंडरिया	डबल लॉक केंद्र, मैनपुरा, पंडरिया	मोहगांव
26				दशरंगपुर
27				पांडातराई
28				करपीगोड़ान
29				कुण्डा
30				कुंआमालगी
31				दामापुर
32				सुकलीगोविंद

क्र	जिला	विकासखंड का नाम	मार्कफेड के डबल लॉक केंद्र का नाम	समिति का नाम जहां डबल लॉक केंद्रों से उर्वरकों का वितरण किया जाता है
1	2	3	4	5
33	कबीरधाम	पंडरिया	डबल लॉक केंद्र, मैनपुरा, पंडरिया	रूसे
34				कोलेगांव
35				कुम्ही
36				पेण्ड्रीकला
37				बोड़तराखुर्द
38				पंडरिया
39				महली
40				बघर्रा
41				पौनी
42				खैरझिटीनया
43				किशुनगढ़
44				रमतला
45				बाघामुड़ा
46				दुल्लापुर
47				कुकदूर
48				कामठी
49				चांटा
50				कोदवागोड़ान
51				सरईसेत
52		स.लोहारा	डबल लॉक केंद्र, बिरनपुर, स.लोहारा	स.लोहारा
53				बिरनपुरकला
54				राम्हेपुर
55				बचेड़ी
56				बड़ौदाकला
57				कुरूवा
58				सूरजपुरा
59				बिड़ोरा
60				मोहगांव
61				रणवीरपुर
62				धरमगढ़
63				बिरेंद्रनगर
64				रणजीतपुर
65				ठाठापुर
66				बाजार चारभाठा
67				गोछिया
68				गैंदपुर

क्र	जिला	विकासखंड का नाम	मार्कफेड के डबल लॉक केंद्र का नाम	समिति का नाम जहां डबल लॉक केंद्रों से उर्वरकों का वितरण किया जाता है
1	2	3	4	5
69	कबीरधाम	बोड़ला	–	खडौदा
70				प्रभाटोला
71				मड़मड़ा
72				भलपहरी
73				सारंगपुर
74				हरिनछपरा
75				बोड़ला
76				तरेगांव मैदान
77				चिल्फी
78				झलमला
79				खैरबनाखुर्द
80				बैजलपुर
81				राजानवागांव
82				तरेगांव जंगल
83				खैरबनाकला
84				महराजपुर
85				लालपुरकला
86				जुनवानी
87				रौचन
88				रेंगाखारकला
89				उसरवाही
90				समनापुर

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10.07.2025
18:55:30

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

जिला कबीरधाम में रासायनिक उर्वरक वितरण करने वाले निजी विक्रेताओं की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	निजी विक्रेता का नाम
1	2	3	4
1	कबीरधाम	बोड़ला	धनलक्ष्मी कृषि केन्द्र
2			शोभा कृषि केन्द्र
3			यादव कृषि सेवा केन्द्र
4			कबीर कृषि केन्द्र
5			कबीरधाम आर्गेनिक पो. क लिमि.
6			कौशल कृषि केन्द्र
7			मां वैष्णवी ट्रेडर्स
8			मातेश्वरी कृषि केन्द्र
9			मॉ महामाया कृषि केन्द्र
10			मॉ शाकम्भरी कृषि केन्द्र
11			विन्धयवाशनी कृषि केन्द्र
12			भारत एग्रो क्लिनिक
13			भौमिक कृषि केन्द्र
14			भुमि कृषि केन्द
15			अराध्या कृषि केन्द्र
16			पवन पुत्र कृषि समाधान केन्द्र
17			राममनोहर कृषि केन्द्र
18			साहू कृषि केन्द्र
19			साहू कृषि केन्द्र
20			साहू ट्रेडर्स
21			छत्तीसगढ़ कृषि ट्रेडर्स
22			वर्मा कृषि केन्द्र
23			वल्लभ कृषि केन्द्र
24			चन्द्रवंशी कृषि केन्द्र
25			जय मॉ शितला कृषि केन्द्र
26			अमन ट्रेडर्स
27			ओम कृषि सेवा केन्द्र
28			ओम कृषि सेवा केन्द्र
29			गोपाल कृषि सेवा केन्द्र
30			गोलू कृषि केन्द्र
31	कबीरधाम	कवर्धा	बृहस्पति कृषि केन्द्र
32			कृषि निवेष विपणन केन्द्र
33			कबीर कृषि केन्द्र
34			महामाया कृषि केन्द्र
35			महावीर कृषि केन्द्र
36			मां इन्द्राणी कृषि केन्द्र
37			मॉ कर्मा कृषि केन्द्र
38			मॉ महामाया कृषि केन्द्र
39			मॉ भगवती कृषि केन्द्र
40			मॉ शाकम्भरी कृषि केन्द्र
41			मॉ शारदा देवी कृषि सेवा केन्द्र
42			मॉ दन्तेश्वरी कृषि केन्द्र
43			मॉ लक्ष्मी कृषि केन्द्र
44			किसान कृषि सेवा केन्द्र
45			किसान मित्र कृषि केन्द्र
46			पियूष कृषि केन्द्र
47			विद्या कृषि केन्द्र

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	निजी विक्रेता का नाम
1	2	3	4
48	कबीरधाम	कवर्धा	विंध्यवासिनी कृषि केन्द्र
49			विक्की ट्रेडर्स
50			विकास कृषि केन्द्र
51			विनोद कृषि केन्द्र
52			निलेश कृषि केन्द्र
53	कबीरधाम	कवर्धा	भाईजी कृषि केन्द्र
54			पलक कृषि केन्द्र
55			प्रांशी कृषि सेवा केन्द्र
56			प्राजल कृषि केन्द्र
57			श्री भाई जी कृषि केन्द्र
58			श्री दाउजी कृषि केन्द्र
59			राजेश्वरी कृषि केन्द्र
60			सौम्या कृषि केन्द्र
61			सतगुरू कृषि केन्द्र
62			सूर्या कृषि केन्द्र
63			सूर्यप्रकाश कृषि केन्द्र
64			देव ट्रेडर्स
65			वर्धमान बीज भण्डार
66			वैभव लक्ष्मी कृषि केन्द्र
67			वेदांशी ईंटरप्राईजेस
68			चन्द्रवंशी कृषि केन्द्र
69			न्यू शाकम्भरी कृषि सेवा केन्द्र
70			आरती कृषि केन्द्र
71			आरती ट्रेडर्स
72			ओम कृषि सेवा केन्द्र
73			आनंद ट्रेडर्स
74			अग्रवाल कृषि केन्द्र
75	कबीरधाम	पण्डरिया	श्याम बाबा ट्रेडर्स
76			शम्भू कृषि सेवा केन्द्र
77			शारदा एजेंसी
78			शुभ कृषि मित्र कृषि केन्द्र
79			शुभम ट्रेडर्स एवं कृषि केन्द्र
80			धनराज भास्कर कृषि केन्द्र
81			खालसा ट्रेडर्स
82			ठाकुर कृषि सेवा केन्द्र
83			बालाजी कृषि केन्द्र
84			बालाजी ट्रेडर्स
85			बड़माता कृषि केन्द्र
86			बजरंग ट्रेडर्स
87			बलराम कृषि केन्द्र
88			कश्यप कृषि सेवा केन्द्र
89			कृषि गाईड
90			कामिनी कृषि केन्द्र
91			कौशल कृषि सेवा केन्द्र
92			कान्हा कृषि केन्द्र
93			कुशल ट्रेडर्स
94			महालक्ष्मी कृषि केन्द्र
95			किसान कृषि केन्द्र
96			किसान कृषि केन्द्र
97			किसान मित्र कृषि सेवा केन्द्र
98			विजय ट्रेडर्स
99			हरिओम कृषि केन्द्र
100			भास्कर कृषि सेवा केन्द्र

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	निजी विक्रेता का नाम
1	2	3	4
101	कबीरधाम	पण्डरिया	भावना ट्रेडर्स एवं कृषि केन्द्र
102			भूमि कृषि केन्द्र
103			पंजाब ऐजेंसी
104			पप्पू एजेंसी
105			पटेल कृषि केन्द्र एवं ट्रेडर्स
106			पटेल कृषि सेवा केन्द्र
107			पटेल कृषि सेवा केन्द्र
108			पटेल ट्रेडर्स
109			संदीप कृषि सेवा केन्द्र
110			साई कृषि केन्द्र
111			सांई कृपा कृषि केन्द्र
112			साहू कृषि केन्द्र
113			साहू कृषि केन्द्र
114			देवांगन कृषि केन्द्र
115			चन्द्राकर खाद भण्डार
116			चन्द्राकर कृषि सेवा केन्द्र
117			फसल सुरक्षा केन्द्र
118			तोखराम दिवाकर कृषि केन्द्र
119			जायसवाल कृषि केन्द्र
120			जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र
121			जलेश कृषि केन्द्र
122			नरेश खाद एजेंसी
123			नारायण ट्रेडर्स
124			अयांश कृषि केन्द्र
125			अयाश ट्रेडर्स
126			अमृत कृषि केन्द्र
127			अजित कृषि केन्द्र
128			आशीश कृषि सेवा केन्द्र
129			आर.एस. कृषि केन्द्र हार्डवेयर
130			गणेश कृषि केन्द्र
131			गुरूकृपा ट्रेडर्स एण्ड एग्रो
132			लक्ष्मी कृषि केन्द्र
133			लोकेश कृषि केन्द्र
134	कबीरधाम	स. लोहारा	शेख कृषि केन्द्र
135			रूपाली कृषि केन्द्र
136			खत्री एग्रो
137			बैस कृषि केन्द्र
138			कश्यप कृषि केन्द्र
139			कबीरधाम छ.ग. फार्मर प्रोडयूसर क.लिमि.
140			प्रियांश कृषि केन्द्र
141			सिन्हा कृषि केन्द्र
142			दिपक कृषि केन्द्र
143			श्री साहू कृषि केन्द्र
144			राम कृषि केन्द्र
145			राजू कृषि केन्द्र
146			राजू कृषि सेवा केन्द्र
147			सांई कृषि केन्द्र
148			साईकृपा कृषि केन्द्र
149			डडसेना कृषि केन्द्र
150			डड़सेना कृषि सेवा केन्द्र
151			छत्तीसगढ कृषि केन्द्र
152			वैष्णव कृषि केन्द्र
153			लक्ष्मीन कृषि केन्द्र

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 18:56:48

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–अ

वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में ट्रैक्टर हेतु देय अनुदान

कंपोनेंट क्रमांक–3 ट्रेक्टर हेतु देय अनुदान विवरण

क्र.	यंत्र का नाम	शक्ति का विवरण	अन्य वर्ग के हितग्राहियों हेतु		अजा/अजजा./लघु एवं सीमांत कृषक एवं महिलाओं हेतु	
			अधिकतम अनुदान सीमा	अनुदान पैटर्न	अधिकतम अनुदान सीमा	अनुदान पैटर्न
1	2	3	4	5	6	7
1	ट्रैक्टर	(2डब्लुडी) 8 से 20 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 1,60,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 2,00,000/–)	50 प्रतिशत
2		(4डब्लुडी) 8 से 20 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 1,80,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 2,25,000/–)	50 प्रतिशत
3		(2डब्लुडी) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 2,00,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 2,50,000/–)	50 प्रतिशत
4		(4डब्लुडी) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 2,40,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 3,00,000/–)	50 प्रतिशत
5		(2डब्लुडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 3,40,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 4,25,000/–)	50 प्रतिशत
6		(4डब्लुडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 4,00,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 5,00,000/–)	50 प्रतिशत

कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना

क्र.	विवरण	सभी वर्ग के हितग्राही हेतु	
		अनुदान सीमा	अनुदान प्रतिशत
1	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 10.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	4.00 लाख	40%
2	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 25.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	10.00 लाख	40%
3	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 40.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	16.00 लाख	40%
4	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 60.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	24.00 लाख	40%

कंपोनेंट क्रमांक–6 चयनित ग्रामों में फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना

क्र.	विवरण	सभी वर्ग के हितग्राही हेतु	
		अनुदान सीमा	अनुदान प्रतिशत
1	पंजीकृत समूहों द्वारा ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 10.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	8.00 लाख	80%

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 14:20:09

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 2025–26 में ट्रैक्टर हेतु देय अनुदान

कंपोनेंट क्रमांक–1 ट्रेक्टर हेतु देय अनुदान विवरण

क्र.	यंत्र का नाम	शक्ति का विवरण	अन्य वर्ग के हितग्राहियों हेतु		अजा/अजजा./लघु एवं सीमांत कृषक एवं महिलाओं हेतु	
			अधिकतम अनुदान सीमा	अनुदान पैटर्न	अधिकतम अनुदान सीमा	अनुदान पैटर्न
1	2	3	4	5	6	7
1	ट्रैक्टर	(2डब्लुडी) 20 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 1,80,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 2,00,000/–)	50 प्रतिशत
2		(4डब्लुडी) 20 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 1,96,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 2,45,000/–)	50 प्रतिशत
3		(2डब्लुडी) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 2,40,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 3,00,000/–)	50 प्रतिशत
4		(4डब्लुडी) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 2,88,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 3,60,000/–)	50 प्रतिशत
5		(2डब्लुडी) 40 से अधिक 50 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 3,60,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 4,50,000/–)	50 प्रतिशत
6		(4डब्लुडी) 40 से अधिक 50 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 4,36,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 5,45,000/–)	50 प्रतिशत
7		(2डब्लुडी) 50 पी.टी.ओ एच.पी. से अधिक	(अधिकतम सीमा रू. 4,80,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 6,00,000/–)	50 प्रतिशत
8		(4डब्लुडी)50 पी.टी.ओ एच.पी. से अधिक	(अधिकतम सीमा रू. 5,20,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 6,50,000/–)	50 प्रतिशत

कंपोनेंट क्रमांक–2 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना

क्र.	विवरण	सभी वर्ग के हिताग्राही हेतु	
		अनुदान सीमा	अनुदान प्रतिशत
1	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 15.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	6.00 लाख	40%
2	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 35.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	14.00 लाख	40%
3	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 40.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	16.00 लाख	40%

कंपोनेंट क्रमांक–3 चयनित ग्रामों में फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना

क्र.	विवरण	सभी वर्ग के हितग्राही हेतु	
		अनुदान सीमा	अनुदान प्रतिशत
1	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 15.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	12.00 लाख	80%
2	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 30.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	24.00 लाख	80%
3	वन पट्टाधारी हितग्राही द्वारा ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 15.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	13.50 लाख	80%
4	वन पट्टाधारी हितग्राही द्वारा ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 30.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	27.00 लाख	80%

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 14:23:57

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

क्र.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	2023–24 (दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 तक)	कबीरधाम	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	60	0.00
2			कृषि यॉत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों.–4) योजनान्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	5	32.00
			योग वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 तक)	65	32.00
3	2024–25		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	59	0.00
4			कृषि यॉत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों.–4) योजनान्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	14	106.00
			योग वर्ष 2024–25	73	106.00
5	2025–26 (दिनांक 30.06.2025 तक)		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–1) कृषि यंत्रों पर अनुदान	8	0.00
6			कृषि यॉत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों.–2) योजनान्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	3	26.00
			योग 2025–26 (दिनांक 30.06.2025 तक)	11	26.00
महायोग				149	164.00

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
14:21:17

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	हितग्राही का नाम	ग्राम	वि.खं.
1	2	3	4	5	6
1	2023–24 (दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	निरंक		
2		कृषि यॉत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों.–4) योजनान्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	श्री पुष्पराज नाथ जोगी	खैरडिंटी कला	कवर्धा
3	2024–25	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	पंचीलाल लतेल चंद्राकर	बिप्तारा	कवर्धा
4			खेदूराम भानूराम धुर्वे	चचेडी	कवर्धा
5			दयादास बागासराम बारले	हीरापुर	कवर्धा
6			अनुज मायाराम चंद्रवंशी	मोहगांव	कवर्धा
7			जीवनलाल रामफल चंद्रवंशी	पंडरिया	कवर्धा
8			विक्रम भवानी पटेल	बार्पेलाटोला	कवर्धा
9			तारचंद सतेलाल पटेल	अमलीडीह	कवर्धा
10			मिश्रेश्वर बलदाऊ चंद्रवंशी	सिंघनपुरी	कवर्धा
11			संतोष खेलन साहू	धरमपुरा	कवर्धा
12			श्रीराम सोनी साहू	सेमो	कवर्धा
13			मुकेशकुमार विश्वनाथ चंद्रवंशी	नेवरीगुडा	कवर्धा
14			हीरालाल जगदीश जांगड़े	घुघरीकला	कवर्धा
15			सुरेश गणेशराम साहू	सेमो	कवर्धा
16			राजकुमार भगवत साहू	सेमो	कवर्धा
17			सुरेखा सूर्यकांत चंद्रवंशी	डोजरी	कवर्धा
18			हरकरण रमेशर साहू	सोनपुरी (रानी)	कवर्धा
19			अनुज रूपाओ चंद्रवंशी	धरमपुरा	कवर्धा
20			प्रेमलाल सुरेश चंद्रवंशी	बिरकोना	कवर्धा
21			पारस दुक्ला चंद्रवंशी	देहरी	कवर्धा
22			कोमल निहोरा साहू	मानिकचौरी	कवर्धा
23			राजेश भारत चंद्रवंशी	लखनपुरकला	कवर्धा
24			भैरम महेश्वर बारमाटे	दलपुरवा	पंडरिया
25			गणेशराम जगारी पटेल	घोघराकला	पंडरिया
26			गोपाल देवदास टंडन	सोनपुरी	पंडरिया
27			नरेश दयाराम साहू	कोयलरीकनपा	पंडरिया
28			घनश्याम केवाहा कुर्रे	लोखन	पंडरिया
29			राधेश्याम धर्मसिंह सोनकर	कुम्ही	पंडरिया

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	हितग्राही का नाम	ग्राम	वि.खं.
1	2	3	4	5	6
30	2024–25	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	इंद्रकुंवर चैतु साहू	खजरीखुर्द	स.लोहारा
31			दशरथ रामावतार साहू	कुरुवा	स.लोहारा
32			चंद्रपाल जगरूप साहू	मणिपुर	स.लोहारा
33			डेमुलाल बेदराम साहू	पेंड्री तराई	स.लोहारा
34			लालाराम पीताम्बर साहू	सिंगारपुर	स.लोहारा
35			गजानंद राधेश्याम साहू	पेंड्री तराई	स.लोहारा
36			उमेश गोपसिंह साहू	खैरा	स.लोहारा
37			मोहित कलीराम निर्मलकर	डोंगरिया	स.लोहारा
38			धनीराम भानूराम नेताम	केरेसरा	स.लोहारा
39			घनश्याम लछनलाल साहू	रणवीरपुर	स.लोहारा
40			शकुनबाई बलदु राजक	एएमजीएवी	स.लोहारा
41			सुनील कुमार शत्रुहन साहू	कोहड़िया	स.लोहारा
42			मानसिंह आत्माराम चंद्राकर	कराही	स.लोहारा
43			डोमनलाल दुलहरण चतुर्वेदी	कराही	स.लोहारा
44			ठाकरराम बोधुराम पाटिल	सुक्तारा	स.लोहारा
45			तेजराम अकील साहू	मणिपुर	स.लोहारा
46			सुमित्रा चिंताराम पटेल	बीजाबरागी	स.लोहारा
47			विनोद रामधुन वर्मा	पटापार	स.लोहारा
48		कृषि यॉत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों.–4) योजनान्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	श्री कपिल चंद्रवंशी	छांटा/ पिपरिया,	कवर्धा
49			श्री हीरा राम साहू	रौचंद	कवर्धा
50			श्री भोजराम कौशिक	गुलालपुर	कवर्धा
51			श्री अंजोर दास डहरिया	दुल्लापुर/सोनपुरी (सनी)	कवर्धा
52			श्री गणेश कौशिक	बम्हनी	कवर्धा
53			श्री ओंकार चंद्रवंशी	चचेड़ी	कवर्धा
54			श्री टेकराम कौशिक	बन्दौरा	कवर्धा
55			श्री सुखचैन बंजारे	बहरमुड़ा	कवर्धा
56			श्री जगे राम कौशिक	कुम्हार दनिया	स.लोहारा
57			श्री पंकज कुर्रे	डोंगरिया	स.लोहारा

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	हितग्राही का नाम	ग्राम	वि.खं.
1	2	3	4	5	6
58	2025–26	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–1) कृषि यंत्रों पर अनुदान	निरंक		
59		कृषि यॉत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों.–2) योजनान्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	श्री रामा	विरूटोला	कवर्धा
60			श्री अजीत सिंह सेंगर	मोहमट्ठा	स.लोहारा
61			श्री भूदड राम नेताम	बिजावैरागी	स.लोहारा

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 14:22:41

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - सतत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 823) की जानकारी

प्रपत्र–अ

क्र.	पद का नाम/संख्या	जिले का नाम
1.	वित्त नियंत्रक–01	रायपुर
2.	डाटा एण्ट्री आपरेटर–01	रायपुर
3.	प्रोग्रामर–01	रायपुर
4.	भृत्य–01	रायपुर

(अतीश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

प्रपत्र–ब

क्र.	वित्त विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्त पद संख्या
1	2	3	4	5
1	संचालनालय, कोष एवं लेखा	2061	1201	860
2	संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि			
3	संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा	425	224	201
4	संचालनालय, संस्थागत वित्त	28	24	4
5	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	27	13	14
	कुल योगः–	2541	1462	1079

(अतीश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

पॉरीशेष्ट - अठहत्तर

अतारांकेत प्रश्न संख्या 49 (क्र. 826) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्राप्त आबंटन राशि की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिला का नाम	प्राप्त आबंटन	
		वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25
1	रायपुर	316.02	776.75
2	बलौदाबाजार–भाटापारा	136.75	287.00
3	गरियाबंद	5.00	98.00
4	महासमुन्द	91.00	202.00
5	धमतरी	40.00	143.37
6	दुर्ग	98.50	325.00
7	बालोद	130.00	20.00
8	बेमेतरा	42.50	473.30
9	राजनांदगांव	371.50	137.00
10	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	53.00	30.00
11	मोहला–मानपुर–अं.चौकी	30.00	0.00
12	कबीरधाम	60.00	173.00
13	बिलासपुर	60.00	352.00

क्र.	जिला का नाम	प्राप्त आबंटन	
		वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25
14	मुंगेली	100.00	483.60
15	रायगढ़	104.00	70.00
16	सारंगढ़–बिलाईगढ़	480.75	266.00
17	जांजगीर–चांपा	15.00	164.40
18	सक्ती	123.00	115.00
19	कोरबा	80.00	275.00
20	गौरैला–पेण्ड्रा–मरवाही	65.00	10.00
21	सरगुजा	280.00	89.00
22	जशपुर	318.50	147.00
23	कोरिया	0.00	135.25
24	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	20.00	0.00
25	बलरामपुर–रामानुजगंज	270.00	99.25
26	सूरजपुर	148.50	14.00
	योग	**3439.02**	**4885.92**

अनुभाग अधिकारी
अनु.जा. तथा अनु.जा.वि. वि...
कार्यालय, जिला रायपुर, अटल ...

प्रपत्र–"ब"

(अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत विधानसभा तखतपुर में शामिल ग्रामों की जानकारी)

क्र.	ग्राम का नाम
1	तखतपुर शहरी
2	बेलसरा
3	बराही
4	राजाकापा
5	टिहुलाडीह
6	खुढ़ियाडीह
7	पुरेना
8	हरदी
9	सोनबंधा
10	देवतरी
11	बीजा
12	दैजा
13	ढनढन
14	विचारपुर
15	राजपुर
16	बघेलकापा
17	समडील
18	कपसियाखुर्द
19	कपसीयाकला
20	दर्रीकापा
21	मोहनभाठा
22	महुआकापा
23	भुण्डा
24	नेवरा
25	घोंघाडीह
26	चनाडोंगरी
27	खम्हरिया

28	केकती
29	कुआ
30	जरौधा
31	अरईबंध
32	लिदरी
33	गुनसरी
34	पिरहट्टा
35	लिमही
36	सागर
37	मेढ़पार बाजार
38	डिघोरा
39	बेलमुण्डी
40	अमनेसा
41	उढ़ेला
42	कुरेली
43	सिंघरी
44	चिचिर्दा
45	सैदा
46	घुरू
47	मेण्ड्रा
48	पांढ़
49	सम्बलपुरी
50	पेण्डरी
51	देवरीकला
52	भरनी
53	खजुरी
54	चोरभट्ठी कला
55	बेलटुकरी
56	गनियारी
57	लमेर
58	घुटकू
59	तुर्काडीह
60	तखतपुर नगर पंचायत शहरी
61	तखतपुर नगर पंचायत शहरी
62	तखतपुर नगर पंचायत शहरी
63	तखतपुर नगर पंचायत शहरी
64	सकरी नगर पंचायत शहरी

65	सकरी नगर पंचायत शहरी
66	सकरी नगर पंचायत शहरी
67	सकरी नगर पंचायत शहरी
68	सकरी नगर पंचायत शहरी
69	सकरी नगर पंचायत शहरी
70	सकरी नगर पंचायत शहरी

अनुभाग अधिकारी
[illegible] तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र "स"

(अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत विधानसभा तखतपुर में स्वीकृत कार्यों की जानकारी)

(राशि रू. लाख में)

क्र.	स्वीकृत वर्ष	विकासखण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2023–24	तखतपुर	बाउड्रीवाल निर्माण कार्य शासकीय प्रा. शा.में वाड क्रं.–01 दलदलिहापारा सकरी	दलदलिहापारा	10.00	प्रगति पर
2	2024–25	तखतपुर	मंगल भवन निर्माण (कुटेला धाम में) ग्राम व ग्राम पंचायत भरनी, विकासखण्ड तखतपुर	भरनी	10.00	अप्रारंभ

अनुभाग अधिकारी
अ.ज. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र

क्रं.	छात्रावास/आश्रम का नाम	विकासखण्ड	विधानसभा	भवन की स्थिति			मुलभूत सुविधाएं		
				भवन युक्त	भवन विहीन	जर्जर	शौचालय	पेयजल	बिस्तर
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	प्री.मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बेलसरी, तखतपुर	तखतपुर	तखतपुर	भवन युक्त	–	–	उपलब्ध है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
2	प्री.मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास नर्मदाधाम बेलपान	तखतपुर	तखतपुर	–	भवन विहीन	–	उपलब्ध है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
3	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बेलसरी, तखतपुर	तखतपुर	तखतपुर	भवन युक्त	–	–	उपलब्ध है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
4	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास गनियारी	तखतपुर	तखतपुर	भवन युक्त	–	–	उपलब्ध है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
5	पो.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जरेली, तखतपुर	तखतपुर	तखतपुर	भवन युक्त	–	–	उपलब्ध है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
6	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तखतपुर	तखतपुर	तखतपुर	भवन युक्त	–	–	उपलब्ध है	उपलब्ध है	उपलब्ध है
7	पो.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तखतपुर	तखतपुर	तखतपुर	भवन युक्त	–	–	उपलब्ध है	उपलब्ध है	उपलब्ध है

अनुभाग अधिकारी,
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र 'अ'

(राशि लाख में)

क्र	विकास खण्ड	आश्रम	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	शिष्यवृत्ति राशि (वर्षवार)			
				2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1	सीतापुर	प0को0 बालक आश्रम जामझरिया	50	1.96731	3.14998	4.57500	7.62500
2	सीतापुर	पा0को0कन्या आश्रम बगडोली	50	3.67864	5.19998	7.43444	7.60000
3	मैनपाट	प0को0बालक आश्रम बिजलहवा	50	2.24464	5.13173	7.44484	7.58613
4	मैनपाट	प0को0बालक आश्रम उड़मकेला	50	3.14997	5.19464	7.57678	7.58645
5	मैनपाट	प0को0बालक आश्रम रजखेता	50	2.99998	5.14598	7.51895	7.59250
6	मैनपाट	प0को0बालक आश्रम अमदरा मालतीपुर	50	2.62498	5.11265	7.61950	7.58613
7	मैनपाट	प0को0कन्या आश्रम बरिमा	50	2.60165	5.12498	7.59500	7.59750
8	अम्बिकापुर	प0को0 बालक आश्रम नानदमाली	50	2.76363	4.60016	7.53500	6.39500
9	अम्बिकापुर	प0को0बालक आश्रम गाजरभावना	50	3.94995	5.24997	7.62500	7.62500
10	बतौली	प0को0बालक आश्रम टिरंग	70	5.24996	7.34996	10.67500	10.67500
11	बतौली	प0को0कन्या आश्रम भटको	100	6.39892	10.49995	15.24800	14.02850
12	बतौली	प0को0बालक आश्रम गोविंदपुर	50	3.94995	5.24997	7.62350	8.08200
13	बतौली	प0को0बालक आश्रम बैजनाथपुर	50	2.99998	5.24997	7.62500	7.16550
योगः–			**720**	**44.57956**	**72.25992**	**106.09601**	**107.14471**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.ज.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

(राशि लाख में)

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	कार्य का नाम	लाभार्थी संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021–22	निरंक					
2	2022–23	निरंक					
3	2023.24	सीतापुर	बगडोली	पीएम जनमन योजना	आवास निर्माण	8	2.800
4			बशीपुर			17	15.000
5			ढाढ़ागाव			6	7.000
6			गरसा			24	44.200
7			हल्दीसाड			17	23.000
8			पटला			17	32.000
9			रजपुरी			12	4.800
					योग :–	**101**	**128.800**
10	2024.25	सीतापुर	बशीपुर	पीएम जनमन योजना	आवास निर्माण	1	0.400
11			देवगढ़			18	8.000
12			सूर			18	7.800
					योग :–	**37**	**16.200**
13	2021–22	निरंक					
14	2022–23	निरंक					
15			बांसाझाल			65	86.000
16			भटको			18	27.200
17			बिरीमकेला			15	25.400
18			चिपरकाया			45	73.200
19			गहिला			11	8.600
20			घोघरा			5	7.400

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	कार्य का नाम	लाभार्थी संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
21	2023–24	बतौली	करदना	पीएम जनमन योजना	आवास निर्माण	42	54.800
22			मानपुर			6	10.800
23			नकना			5	2.200
24			सल्याडीह			11	13.400
25			सरमना			11	4.000
26			सुवारपारा			13	24.200
27			टीरंग			24	27.200
					योगः–	271	364.400
28			बालमपुर			0	0.000
29			बांसाझाल			32	17.400
30			बासेन			0	0.000
31			बटईकेला			0	0.000
32			बतौली			0	0.000
33			बेलकोटा			0	0.000
34			भटको			1	0.400
35			बिलासपुर			0	0.000
36			बिरीमकेला			20	10.800
37			बोदा			0	0.000
38			चिपरकाया			2	0.800
39			चिरंगा			45	45.600
40			देवरी			0	0.000
41			गहिला			1	0.400
42			घोघरा			1	0.400
43			घुटरापारा			0	0.000
44			गोविन्दपुर			110	91.200
45			झरगंवा			0	0.000
46			कालीपुर			0	0.000
47			कपाटबहरी			0	0.000
48	2024–25	बतौली	करदना	प्रधानमंत्री जनमन योजना	आवास निर्माण	0	0.000
49			खडधोवा			0	0.000

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	कार्य का नाम	लाभार्थी संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
50			कुनकुरी			0	0.000
51			ललाती			0	0.000
52			महेशपुर			0	0.000
53			मंगारी			0	0.000
54			मांजा			0	0.000
55			मानपुर			0	0.000
56			नकना			11	4.000
57			पोकसरी			0	0.000
58			पोपरेंगा			0	0.000
59			सल्याडीह			1	0.400
60			सरमना			0	0.000
61			सेदम			0	0.000
62			शिवपुर			0	0.000
63			सिलमा			0	0.000
64			सुवारपारा			2	2.200
65			तरागी			0	0.000
66			टेड़गा			0	0.000
67			तेलईधार			0	0.000
68			टीरंग			15	8.400
69			विशुनपुर			0	0.000
					योगः–	**241**	**182.000**

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	कार्य का नाम	लाभार्थी संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
70	2021–22	निरंक					
71	2022–23	निरंक					
72	2023.24	मैनपाट	असकारा (मड़वातराई)	पीएम जनमन योजना	आवास निर्माण	26	16.600
73			बरीमा			5	1.400
74			कड़नाई			11	6.400
75			कलजीवा (मालतीपुर)			27	17.200
76			करमहा			2	1.400
77			कटकालो			22	17.000
78			कोट			26	15.800
79			कुनिया			24	16.600
80			परपटिया			8	6.000
81			पेंट			9	6.800
82			पीडिया			41	31.800
83			राजखेता			12	8.800
84			सुपलगा			20	8.200
85			उदुमकेला			17	7.400
					योग	**250**	**161.400**
86	2024.25	मैनपाट	असकारा (मड़वातराई)	पीएम जनमन योजना	आवास निर्माण	24	5.600
87			बंदाना			8	3.200
88			बरीमा			1	0.000
89			कड़नाई			2	0.400
90			कलजीवा (मालतीपुर)			32	10.800
91			करमहा			1	0.000
92			कटकालो			4	0.800
93			कोट			2	0.400
94			नरबदपुर			23	6.800
95			परपटिया			1	0.400
96			पेंट			1	0.400
97			राजखेता			8	2.400
98			सपनादार			2	0.400
99			सुपलगा			3	0.800
100			उदुमकेला			9	1.200
					योग	**121**	**33.600**

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	कार्य का नाम	लाभार्थी संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
101	2021–22	निरंक					
102	2022–23	निरंक					
103	2023–24	निरंक					
104	2024–25	अम्बिकापुर	बड़ादमाली	पीएम जनमन योजना	आवास निर्माण	3	13.600
105			पम्पापुर			9	32.200
					योग	**12**	**45.800**
बहुउद्देशीय केन्द्र (MPC) भवन निर्माण की जानकारी							
1	2023–24	सीतापुर	जामझरिया	पीएम जनमन योजना	बहुउद्देशीय केन्द्र भवन का निर्माण	0	0
2		बतौली	नकना				
3		मैनपाट	रजखेता				
4		सीतापुर	बगडोली				
5		मैनपाट	कतकालो				
6		मैनपाट	कोट				
नोट– स.क. 01 से 03 वर्तमान में बहुउद्देशीय केन्द्र भवन का कार्य निर्माणाधीन है तथा शेष स.क. 04 से 06 तक निविदा खोलने की कार्यवाही की जा रही है।							
सड़क निर्माण की जानकारी							
1	2021–22	निरंक					
2	2022–23	निरंक					
3		अम्बिकापुर	पम्पापुर		टी 02 पम्पापुर से हर्राघाट	79	85.270
4		बतौली	चिरगा		टी 05 चिरगा से बिसरापानी	138	102.480
5			बांसाझाल		टी 08 बांसाझाल से आमापानी	97	240.630
6			घोघरा		टी 01 घोघरा से परसाढाब	37	305.990
7			बांसाझाल		टी 04 बांसाझाल से बाकेन	178	281.630
8			टिरंग		टी 02 टिरंग से इमली टिकरा	11	227.210
9			टिरंग		टी 07 टिरंग से खुटापानी	119	220.440
10			नकना		टी 03 नकना से पहाड़पारा	70	328.330
11			सरमना		टी 06 सरमना से कोईलारढोड़ी	52	164.740
12			बांसाझाल		टी 09 बांसाझाल से कदमहुआ	87	231.960
13			मानपुर		टी 10 मानपुर से पहाड़पारा	35	195.760

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	कार्य का नाम	लाभार्थी संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
14	2023–24	मैनपाट	कदनई	पीएम–जनमन योजना बैच–1	टी 01 कदनई से लोटाभवना	34	59.500
15			कदनई		टी 13 कदनई से सेमीडीह	46	6.420
16			पेंट		टी 06 पेंट से डाहूझरिया	6	116.390
17			सपनादर		टी 14 सपनादर से केराजोबला	13	70.000
18			परपटिया		टी 02 परपटिया से सिंगढ़ोडी	44	265.390
19			कोट		टी 12 कोट से गट्टीकोना	89	159.930
20			रजखेता		टी 10 रजखेता से जामपहाड	78	72.810
21			करमहा		टी 03 करमहा से कोरवापारा	12	81.490
22			कतकालो		टी 11 कतकालो से लोटापानी	91	264.960
23			पिडिया		टी 05 पिडिया से बायपहाड़	8	99.000
24			पिडिया		टी 09 पिडिया से घोराघाट	131	59.220
25			पेंट		टी 07 पेंट से चुरकीपानी	42	77.280
26			सुपलगा		टी 08 सुपलगा से ढोलपखना	54	49.800
27			सुपलगा		टी 04 सुपलगा से हसियाखार	30	203.550
28		सीतापुर	रजपूरी		टी01 रजपूरी से बगडोली	67	76.320
29			रजपूरी		टी03 रजपूरी से बिजलीचट्टान	8	128.680
30			बंशीपुर		टी02 बंशीपुर से आमागोढ़ा (पेण्ड्रापाट)	65	93.170
					योग :–		**4268.350**
31	2024–25	अम्बिकापुर	बड़ेमदाली	पीएम–जनमन योजना बैच–2	एमआरएल 06 बड़ेमदाली पाकजाम रोड से खिरखिर कोरवापारा	101	0.000
32		बतौली	गहिला		टी 11 गहिला से डूमरढाब	55	0.000
33			चिपरकाया		टी 12 चिपरकाया से बरवाबोदरा	59	0.000
34			सल्याडीह		एमआरएल 01 सल्याडीह से टिकरापारा	46	0.000
35		सीतापुर	देवगढ़		एमआरएल 01 देवगढ़ से पेरवाआरा	57	0.000
36			जामझरिया		टी 04 जामझरिया से सरईपानी	80	0.000
37			सुर		टी 05 सुर से महुवाबथान	55	0.000
38			ढोढ़ागांव		एमआरएल 02 ढोढ़ागांव से बोदाझरिया	8	0.000
39			पेटला		एमआरएल 03 पेटला से कोरवापारा	88	0.000
40			कुनिया		एमआरएल 01 कुनिया से मुसाखोल	177	138.510
41			सुपलगा		एमआरएल 02 सुपलगा से किराडांड़	31	0.000

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	कार्य का नाम	लाभार्थी संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
42		मैनपाट	उडूमकेला		टी 15 उडूमकेला से जंगलपारा	33	0.000
43			कलजीवा		एमआरएल 03 कलजीवा से मालतीपुर	296	0.000
44			असकरा		एमआरएल 05 असकरा से मड़वासरई	301	0.000
45			उडूमकेला		एमआरएल 04 उडूमकेला से घुईडांड़	50	0.000
46			पिडिया		एमआरएल 06 पिडिया से गेलहापानीपडिया	53	0.000
47			बन्दना		टी 18 बन्दना से बन्दनाजामपानीकोरवापारा	35	0.000
48			उडूमकेला		टी 17 उडूमकेला से मोहनाडिहारी	124	0.000
					योग :–		**138.510**
				महायोग 46 :– वर्ष (2022–23+2023–24+2024–25)			**4406.860**
छात्रावास निर्माण की जानकारी							
1	2021–22		निरंक				
2	2022–23		निरंक				
3	2023–24	बतौली	करदना	पीएम–जनमन	हाई स्कूल करदना	50 विद्यार्थी	74.6100
4	2025–26	मैनपाट	नर्मदापुर		शा.उ.मा.विद्यालय नर्मदापुर	51 विद्यार्थी	0.0000
					योग	101	74.6100
आंगनबाड़ी निर्माण की जानकारी							
1	2021–22		निरंक				
2	2022–23		निरंक				
3	2023–24		निरंक				
4	2024–25	बतौली	बांसाझाल	पीएम–जनमन	कदमहुआ बांसाझाल	22	11.690
5			नकना		नकना पहाड़पारा	13	11.690
					योग	**35**	**23.380**

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मद / योजना का नाम	कार्य का नाम	लाभार्थी संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
घरो में विद्युतीकरण की जानकारी							
1	2021–22		निरंक				
2	2022–23		निरंक				
3	2023–24		निरंक				
4	2024–25	बतौली	चीपरकाया	पीएम–जनमन	घरो में विद्युतीकरण	36	35.077
5			सलयाडीह			1	0.974
6			सरमना			14	13.641
7			चिपरकाया			17	16.564
8		सीतापुर	ढ़ोडागांव			3	2.923
9			जामझरिया			3	2.923
10			कुनमेरा			4	3.897
11			बंसीपुर			1	0.974
12			पेटला			2	1.949
13			बंसीपुर			1	0.974
14		मैनपाठ	कलजिवा			2	1.949
15			कतकालो			19	18.513
16			कोट			23	22.410
17			पेंट			3	2.923
18			पिडिया			36	35.077
19			रजखेता			18	17.538
20			सुपलगा			4	3.897
21			बरीमा			2	1.949
22			असकरामडवासरई			7	6.820
					योग	**196**	**190.973**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.ज. तथा अनु.ज. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्रालय, नया रायपुर

(कृषि विभाग की जानकारी)

(राशि रू. लाख में)

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजनावार कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय/ उपयोग राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	निर्माण कार्य पूर्ण होने पश्चात्	
										लाभान्वित होने वाले कृषक संख्या	सिंचित क्षेत्र (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		मैनपाट	लघुत्तम सिंचाई तालाब (सिंचाई तालाब निर्माण)	करम्हा	करम्हा	39.97	39.97	39.97	पूर्ण	47	39.701
2		अम्बिकापुर		मोहनपुर	मोहनपुर	49.98	49.98	49.98	पूर्ण	57	39.805
3		सीतापुर	किसान समृद्धि योजनान्तर्गत नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिष्ठापन पर अनुदान	ललितपुर	ललितपुर			0.18	पूर्ण	1	1.000
4				बेलजोरा	बेलजोरा			0.18	पूर्ण	1	1.000
5				बेलगांव	बेलगांव			0.18	पूर्ण	1	1.000
6				देवगढ़	देवगढ़			0.18	पूर्ण	1	1.000
7				ढेलसरा	ढेलसरा			0.18	पूर्ण	1	1.000
8				उलकिया	उलकिया			0.15	पूर्ण	1	1.000
9				रजौटी	रजौटी			0.18	पूर्ण	1	1.000
10				बरपारा	चलता			0.15	पूर्ण	1	1.000
11				बनेया	बनेया			0.15	पूर्ण	1	1.000
12				सूर	सूर			0.36	पूर्ण	2	2.000
13				बंशीपुर	बंशीपुर			0.18	पूर्ण	1	1.000
14				ढोढ़ागांव	ढोढ़ागांव			0.15	पूर्ण	1	1.000
15	2022–23			पेटला	पेटला			0.36	पूर्ण	2	2.000
16		बतौली		बोदा	बोदा	22.30	22.30	0.18	पूर्ण	1	1.000
17				कुनकुरीकला	कुनकुरीकला			0.36	पूर्ण	2	2.000
18				डुमरभवना	बालमपुर			0.36	पूर्ण	2	2.000
19				कालीपुर	कालीपुर			0.36	पूर्ण	2	2.000
20				सिलमा	सिलमा			0.18	पूर्ण	1	1.000
21				बांसझाल	बांसझाल			0.18	पूर्ण	1	1.000
22				रतनपुर	रतनपुर			0.54	पूर्ण	3	3.000
23		मैनपाट		नर्मदापुर	नर्मदापुर			0.33	पूर्ण	2	2.000
24				असगवां	असगवां			0.18	पूर्ण	1	1.000
25				केसरा	केसरा			0.69	पूर्ण	4	4.000
26				बरिमा	बरिमा			0.18	पूर्ण	1	1.000
27				कुदारीडीह	कुदारीडीह			0.18	पूर्ण	1	1.000
28		अम्बिकापुर		कुम्हरता	कुम्हरता			0.54	पूर्ण	3	3.000
29				कण्ठी	कण्ठी			0.15	पूर्ण	1	1.000
30				लब्जी	लब्जी			0.36	पूर्ण	2	2.000
योग (वर्ष 2022–23)						**112.25**	**112.25**	**97.30**		**146**	**121.506**

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजनावार कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय/ उपयोग राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	निर्माण कार्य पूर्ण होने पश्चात्	
										लाभान्वित होने वाले कृषक संख्या	सिंचित क्षेत्र (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2023–24	मैनपाट	लघुत्तम सिंचाई तालाब (सिंचाई तालाब निर्माण)	सुपलगा	सुपलगा	39.99	39.99	39.99	पूर्ण	27	34.950
32		बतौली		कालीपुर	कालीपुर	39.97	39.97	39.97	पूर्ण	27	34.971
33		मैनपाट		बिजलहवापारा	बिजलहवापारा	49.99	49.99	49.99	पूर्ण	27	34.835
34		अम्बिकापुर		बरकेला	बरकेला	49.98	49.98	49.98	पूर्ण	25	40.000
35		सीतापुर	किसान समृद्धि योजनान्तर्गत नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिष्ठापन पर अनुदान	बंशीपुर	बंशीपुर			1.95	पूर्ण	11	11.000
36				बमलाया	बमलाया			0.18	पूर्ण	1	1.000
37				भवराडांड	भवराडांड			0.36	पूर्ण	2	2.000
38				आरा	आरा			1.44	पूर्ण	8	8.000
39				प्रातपगढ़	प्रातपगढ़			0.18	पूर्ण	1	1.000
40				सोनतराई	सोनतराई			0.18	पूर्ण	1	1.000
41				सूर	सूर			0.54	पूर्ण	3	3.000
42				बेलजोरा	बेलजोरा			0.36	पूर्ण	2	2.000
43				धरमपुर	धरमपुर			0.18	पूर्ण	1	1.000
44				सुरेशपुर	सुरेशपुर			0.18	पूर्ण	1	1.000
45				केरजू	केरजू			1.08	पूर्ण	6	6.000
46				पेटला	पेटला			0.18	पूर्ण	1	1.000
47				रजौटी	रजौटी			0.36	पूर्ण	2	2.000
48				भरतपुर	भरतपुर			0.90	पूर्ण	5	5.000
49				सरगा	सरगा			0.15	पूर्ण	1	1.000
50				गेरसा	गेरसा			0.18	पूर्ण	1	1.000
51				भिटवा	भिटवा			0.33	पूर्ण	2	2.000
52				ढोढ़ागाव	ढोढ़ागाव			0.72	पूर्ण	4	4.000
53				देवगढ़	देवगढ़			0.36	पूर्ण	2	2.000
54				शिवनाथपुर	शिवनाथपुर			0.84	पूर्ण	5	5.000
55				हर्राटिकरा	हर्राटिकरा			0.48	पूर्ण	3	3.000
56				गुतुरमा	गुतुरमा			0.15	पूर्ण	1	1.000
57				आमापारा	आमापारा			0.18	पूर्ण	1	1.000
58				ढेलसरा	ढेलसरा			0.18	पूर्ण	1	1.000
59		बतौली		डुमरभवना	बालमपुर	19.30	19.30	0.51	पूर्ण	3	3.000
60				घुटरापारा	घुटरापारा			0.18	पूर्ण	1	1.000
61				चिरांगा	चिरांगा			0.18	पूर्ण	1	1.000
62				कुडकेल	सल्याडीह			0.36	पूर्ण	2	2.000
63				मानपुर	मानपुर			0.18	पूर्ण	1	1.000
64				टेडगा	टेडगा			0.72	पूर्ण	4	4.000
65				गोविन्दपुर	गोविन्दपुर			0.18	पूर्ण	1	1.000

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजनावार कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय/ उपयोग राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	निर्माण कार्य पूर्ण होने पश्चात्	
										लाभान्वित होने वाले कृषक संख्या	सिंचित क्षेत्र (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2023–24	बतौली	किसान समृद्धि योजनान्तर्गत नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिष्ठापन पर अनुदान	बटईकला,	बटईकला			0.18	पूर्ण	1	1.000
67				नयाबांध	बिरीमकेला			0.18	पूर्ण	1	1.000
68				गहिला	गहिला			0.18	पूर्ण	1	1.000
69				रतनपुर	रतनपुर			0.54	पूर्ण	3	3.000
70				जरहाडीह	जरहाडीह			0.18	पूर्ण	1	1.000
71				भटको	भटको			0.15	पूर्ण	1	1.000
72				बिरीमकेला	बिरीमकेला			0.15	पूर्ण	1	1.000
73				सिलमा	सिलमा			0.18	पूर्ण	1	1.000
74		मैनपाट		जामकानी	जामकानी			0.18	पूर्ण	1	1.000
75				महारानीपुर	महारानीपुर			0.18	पूर्ण	1	1.000
76				कुनिया	कुनिया			0.15	पूर्ण	1	1.000
77				पैगा	पैगा			0.33	पूर्ण	2	2.000
78				जामढ़ोड़ी	जामढ़ोड़ी			0.18	पूर्ण	1	1.000
79				कोटछाल	कोटछाल			0.18	पूर्ण	1	1.000
80				जजगा	जजगा			0.36	पूर्ण	2	2.000
81				असगवा	असगवा			0.72	पूर्ण	4	4.000
82				परपटिया	परपटिया			0.18	पूर्ण	1	1.000
83		अम्बिकापुर		भिट्ठीखुर्द	भिट्ठीखुर्द			0.18	पूर्ण	1	1.000
84				कण्ठी	कण्ठी			0.18	पूर्ण	1	1.000
85		सीतापुर	शेलोट्यूबेल खनन एवं पम्प प्रतिष्ठापन पर अनुदान	भिटवा	भिटवा	3.00	3.00	1.08	पूर्ण	6	6.000
86				लगड़ासाड़	लगड़ासाड़			0.18	पूर्ण	1	1.000
87				रायकेरा	रायकेरा			0.72	पूर्ण	4	4.000
88				कैशला	कैशला			0.18	पूर्ण	1	1.000
89				ढेलसरा	ढेलसरा			0.18	पूर्ण	1	1.000
90				मुरता	मुरता			0.18	पूर्ण	1	1.000
91				हर्राटिकरा	हर्राटिकरा			0.18	पूर्ण	1	1.000
योग (वर्ष 2023–24)						**202.23**	**202.23**	**201.14**		**226**	**264.756**
महायोग						**314.48**	**314.48**	**298.44**		**372**	**386.262**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2025 12:41:32

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग. शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र ब

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की जानकारी

जल संसाधन विभाग की जानकारी

राशि रू. लाख में/सिंचाई हेक्टेयर में

क्र.	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ग्राम पंचायत	ब्लॉक	व्यय राशि		सिंचाई			अद्यतन स्थिति		रिमार्क
		राशि	दिनांक			2022–23	2023–24	खरीफ	रबी	योग	पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सेदम व्यपवर्तन योजना के नहर में पक्का चैनल निर्माण कार्य	211.78	17.06.2022	सेदम	बतौली	18.32	271.28	202	0	202	पूर्ण		
2	डोमनीनाला व्यपवर्तन में पक्का चैनल 04 नग नवीन स्ट्रक्चर एवं मुख्य नहर में पक्का चैनल का निर्माण कार्य	232.77	20.06.2022	नवापारा	सीतापुर	18.71	271.23	270	100	370	पूर्ण		
3	सलियाडीह जलाशय के नहर में मिट्टी कार्य पक्के संरचनाओं एवं पक्की चैनल निर्माण	199.87	17.06.2022	सलियाडीह	बतौली	26.93	243.95	162	40	202	पूर्ण		
4	माण्ड व्यपवर्तन योजना सीतापुर के दांयी तट नहर निर्माण	3726.67	08.02.2023	कपाटबहरी	सीतापुर/ बतौली	90.13	22.80	825	0	825	–	अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	कार्य पूर्ण होने के संभावित तिथि 12/2027
योग		4371.09				154.09	809.26						

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - बयासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 830) की जानकारी

प्रपत्र

बाक्साइट खदान क्षेत्र एवं आस-पास किये गए वृक्षारोपण की जानकारी

क्र.	खदानों का नाम	लीज एरिया (हेक्टेयर)	वर्षवार किये गए वृक्षारोपण की जानकारी							
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल वृक्षारोपण	जीवित वृक्षों की संख्या (लगभग)	वृक्षारोपण स्थल
1.	मे. सीएमडीसी, बरिमा बाक्साइट माईन, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा	80.414	27500	0	12000	0	0	39500	35300	लीज क्षेत्र
2.	मे. सीएमडीसी, बरिमा बाक्साइट माईन, तहसील - मैनपाट, जिला-सरगुजा	11.705	4350	0	0	0	0	4350	2828	लीज क्षेत्र
3.	मे. सीएमडीसी, बरिमा बाक्साइट माईन, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा	4.764	2500	0	0	0	0	2500	1650	लीज क्षेत्र
4.	मे. सीएमडीसी, बरिमा बाक्साइट माईन, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा	4.610	2500	0	0	0	0	2500	1650	लीज क्षेत्र
5.	मे. सीएमडीसी, बरिमा बाक्साइट माईन – 4.304 हे. तह-मैनपाट, जिला-सरगुजा	4.304	2500	0	0	0	0	2500	1650	लीज क्षेत्र
6.	मे. सीएमडीसी, बरिमा बाक्साइट माईन तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा	4.9	0	0	0	0	0	0	0	निरंक
7.	मे. सीएमडीसी, नर्मदापुर बाक्साइट माईन, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा	47.812	3500	1800	0	450	0	5750	3738	जनपद पंचायत भवन, तहसील कार्यालय, नर्मदापुर
8.	मे. सीएमडीसी, बरिमा बाक्साइट माईन तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा	54.268	2000	6576	4500	2656	0	15732	10220	गौठान, मिडिल स्कूल, कोरवा आश्रम, बरडांड स्कूल, डीहपारा
9.	मे. सीएमडीसी, केसरा बाक्साइट माईन, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा	20.340	800	0	3000	0	0	3800	2470	लीज क्षेत्र
10.	मे. सीएमडीसी, केसरा बाक्साइट माईन, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा	13.130	400	200	300	250	0	1150	748	लीज क्षेत्र
11.	मे. सीएमडीसी, केसरा बाक्साइट माईन तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा	9.000	800	200	300	350	0	1650	1073	लीज क्षेत्र

12.	मे. सीएमडीसी, पथरई बाक्साइट माईन, तहसील - मैनपाट, जिला-सरगुजा	99.350	0	0	1000	3500	4500	9000	5850	कांटाघर, क्रिश्चिन कब्रिस्तान, पंचायत भवन, आमाडांड, गौठान, पंडित पारा, ग्राम पथरई
						कुल जीवित वृक्षों की संख्या			**67177**	
13.	मे. भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) मैनपाट बाक्साइट माईन, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा	639.169	20000	7000	0	0	0	0	19170	केशरा, सपनादार, कुदरीडीह
						कुल जीवित वृक्षों की संख्या			19170	

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - तिरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 838) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

खरीफ वर्ष 2024 में उत्पादित कोदो, कुटकी एवं रागी फसलों के उपार्जन हेतु समर्थन मूल्य / उपार्जन मूल्य / दर की जानकारी

क्र.	मिलेटस का प्रकार	समर्थन मूल्य / उपार्जन मूल्य / दर प्रति क्विंटल (रु.)	रिमार्क
1.	कोदो	3200.00	राज्य शासन द्वारा घोषित ।
2.	कुटकी	3350.00	राज्य शासन द्वारा घोषित ।
3.	रागी	4290.00	भारत सरकार द्वारा निर्धारित ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
10:47:02

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र ब

विभिन्न विभागीय योजना अंतर्गत घटकवार
प्रावधानित अनुदान सहायता की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	अनुदान सहायता हेतु प्रावधानित राशि
1	जैविक खेती मिशन	फसल प्रदर्शन	रु. 10000/एकड़
2	परम्परागत कृषि विकास योजना	फसल प्रदर्शन	रु. 5000/हे.
3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	फसल प्रदर्शन	रु. 7500/हे.
4	राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन	फसल प्रदर्शन रागी/कोदो/कुटकी	योजना आंरभ से वर्ष 2024-25 तक रु. 6000/हे. वर्ष 2025-26 से रु. 7500/हे.
5		बीज वितरण रागी/कोदो/कुटकी (10 वर्ष के अंदर के किस्म)	रू. 3000 / क्वि या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
6		बीज वितरण रागी/ कोदो /कुटकी (10 वर्ष के ऊपर के किस्म)	रू. 1500/ क्वि या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
7		बीज वितरण रागी/कोदो/कुटकी (टीएसपी-एफआरए-आदिवासी कृषक-धरती आभा	रू. 5400 / क्वि. या लागत का 90 प्रतिशत जो भी कम हो।
8		बीज उत्पादन रागी/कोदो/कुटकी (10 वर्ष के अंदर के किस्म)	रु. 3000 / क्वि, या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
9	एक्टेंशन रिफार्म (आत्मा)	फसल प्रदर्शन	रु. 6000/-एकड.

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2025
10:45:34

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - चौरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 846) की जानकारी

प्रपत्र

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उन स्थलों का विवरण, जहाँ फ्लाई ऐश से गड्ढे भरने का कार्य हुआ है तथा जहाँ फ्लाई ऐश से गड्ढे भरने का कार्य चल रहा है

उन स्थलों का विवरण, जहाँ फ्लाई ऐश से गड्ढे भरने का कार्य हुआ है				
क्र.	उद्योग का नाम व पता	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	2	3	4	4
1.	मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पोस्ट आफिस - सीपत, जिला-बिलासपुर	ग्राम-सेंदरी, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	2121	0.857 हेक्टेयर
2.		ग्राम-मटियारी, तहसील-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर	440/2	0.404 हेक्टेयर
3.		ग्राम-मटियारी, तहसील-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर	441/2, 441/4, 444/2, 444/3	0.404 हेक्टेयर
4.		ग्राम-भिलमी, तहसील-बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	251	4 हेक्टेयर
5.		ग्राम-बैमा, ब्लाक-बिल्हा, जिला-बिलासपुर	828/2	0.428 हेक्टेयर
6.	मेसर्स मारूति क्लीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-बांधाखार, तहसील-पाली, जिला-कोरबा	ग्राम-रानीगांव, तहसील-रतनपुर, जिला-बिलासपुर	1672, 1676, 1678, 1679/1, 1683, 1684, 1685, 1686	1.133 हेक्टेयर
7.		ग्राम-बेलतरा, तहसील-बेलतरा, जिला-बिलासपुर	904/2, 906/1	0.5835 हेक्टेयर
8.		ग्राम-बेलतरा मन 2, तहसील-बेलतरा, जिला-बिलासपुर	505/1, 518/1	0.4600 हेक्टेयर
9.		ग्राम-बेलतरा मन 2, तहसील- बेलतरा, जिला-बिलासपुर	523/3, 523/4, 533/1, 534/1	0.462 हेक्टेयर
10.		ग्राम-बेलतरा, तहसील-बेलतरा, जिला-बिलासपुर	935/4, 935/7, 935/9, 935/11	0.1859 हेक्टेयर
11.		ग्राम-लिम्हा, तहसील-बेलतरा, जिला-बिलासपुर	93/1	0.3227 हेक्टेयर
12.		ग्राम-खैरखुंडी, तहसील-बेलतरा, जिला-बिलासपुर	278/2	0.5670 हेक्टेयर
13.		ग्राम-लिम्हा, तहसील-बेलतरा, जिला-बिलासपुर	472/2, 520	0.4290 हेक्टेयर
14.		ग्राम-लिम्हा, तहसील-बेलतरा, जिला-बिलासपुर	41/1	0.1620 हेक्टेयर
15.		ग्राम-बेलतरा,	489/2	0.0034

		तहसील-बेलतरा, जिला-बिलासपुर		हेक्टेयर
16.		ग्राम-बेलतरा, तहसील तहसील-बेलतरा, जिला-बिलासपुर	936/1, 1363, 1418/23, 1855	0.2825 हेक्टेयर
17.		ग्राम-गतौरी, तहसील-बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	260, 261, 262/1, 262/3, 262/6, 262/7, 262/8, 286/3, 286/4, 697/2, 698/1	2.9665 हेक्टेयर
18.		ग्राम-जाली, जनपद पंचायत कोटा, जिला-बिलासपुर	(सप्ताहिक हाट/बाजार हेतु भूमि समतलीकरण)	-
19.		ग्राम-गतौरी, तहसील-बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	260, 261, 262/1, 262/3, 262/4, 262/6, 262/7, 262/8, 264, 265/1, 265/3, 279/1, 286/3, 286/4, 694/3, 698/1, 697/2	3.9971 हेक्टेयर
20.		ग्राम-मेलनाडीह, तहसील-रतनपुर, जिला-बिलासपुर	2555/1, 2556, 2557	2.55 हेक्टेयर
21.		ग्राम-जाली, तहसील-रतनपुर, जिला-बिलासपुर	6/1, 1363	0.202 हेक्टेयर
22.		ग्राम-रानीगांव, तहसील-रतनपुर जिला-बिलासपुर	1819/1, 1820/2	0.223 हेक्टेयर
23.		ग्राम-बिरकोना, तहसील व जिला-बिलासपुर	8/5	0.2100 हेक्टेयर
24.		ग्राम-बिरकोना, तहसील व जिला-बिलासपुर	8/6	0.2270 हेक्टेयर

उन स्थलों का विवरण, जहाँ फ्लाई ऐश से गड्ढे भरने का कार्य चल रहा है

क्र.	उद्योग का नाम व पता	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	2	3	4	4
1.	मेसर्स मारूति क्लीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-बांधाखार, तहसील-पाली, जिला-कोरबा	ग्राम-मदनपुर, तहसील-बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	1114/1, 1130, 1130/1, 1434/1	0.1976 हेक्टेयर
2.		ग्राम-सेन्दरी, तहसील व जिला-बिलासपुर	1909/1, 1909/2, 1909/5, 1909/7, 1909/9, 1909/10	0.6160 हेक्टेयर
3.		ग्राम-रमतला, तहसील व जिला-बिलासपुर	195/1, 739/3	1.87 हेक्टेयर
4.		ग्राम-गतौरी, तहसील व जिला-बिलासपुर	736/2, 736/3, 737/1	0.4802 हेक्टेयर
5.		ग्राम-बेलतरा, तहसील व	388/1, 390, 391, 392/1, 392/2, 392/3, 384/1, 384/2, 393, 395/1	0.851 हेक्टेयर

		जिला-बिलासपुर		
6.		ग्राम-मदनपुर, तहसील व जिला-बिलासपुर	1090/1, 1090/2	0.2550 हेक्टेयर
7.		ग्राम-नगपुरा, ग्राम पंचायत कड़री, तहसील-बेलतरा, जिला-बिलासपुर	262/1, 262/2, 267/2, 293, 253, 255/1, 259, 263, 264, 290/5, 296/6	1.749 हेक्टेयर
8.	मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, सुपर थर्मल पावर स्टेशन, पोस्ट-जमनीपाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)	ग्राम-सेंदरी, तहसील व जिला-बिलासपुर	1431/2, 1431/3, 1431/6, 1432/1, 1433/3, 1434, 1431/4, 1431/7, 1431/5, 1435/2, 1436/3, 1639, 1640/3, 1650, 1651, 1652/4, 1432/3, 1435/1, 1638, 1433/1, 1433/2, 1654, 1652/3, 1660, 1661, 1640/2, 1652/1, 1652/2, 1653/2, 1656, 1659, 1640/1, 1649, 1653/1, 1655, 1637/2	3.09 हेक्टेयर

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पॉरिशेष्ट - पच्चासी

अतारांकेत प्रश्न संख्या 61 (क्र. 847) की जानकारी

i¡i=

स. क्र.	जिले का नाम	पंजीकरण एवं नामांतरण योजना लागू होने के उपरान्त जून–2025 तक नामांतरण योग्य पंजीबद्ध दस्तावेज	स्वतः नामांतरण की संख्या	सामान्य नामांतरण (तहसीलदार के आई.डी. में)	लंबित नामांतरण संख्या	लंबित होने का कारण
1.	कवर्धा	2266	1673	587	6	तकनीकी कारणों से
2.	कांकेर	460	321	111	29	तकनीकी कारणों से
3.	कोण्डागांव	95	86	9	0	तकनीकी कारणों से
4.	कोरबा	509	421	80	8	तकनीकी कारणों से
5.	कोरिया	205	166	38	1	तकनीकी कारणों से
6.	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	1215	692	346	177	तकनीकी कारणों से
7.	गरियाबंद	546	379	165	2	तकनीकी कारणों से
8.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	249	144	73	32	तकनीकी कारणों से
9.	जशपुर	333	215	111	7	तकनीकी कारणों से
10.	जांजगीर चाँपा	1318	1167	136	15	तकनीकी कारणों से
11.	दंतेवाडा	110	54	56	0	तकनीकी कारणों से
12.	दुर्ग	3855	2935	737	182	तकनीकी कारणों से
13.	धमतरी	1261	939	320	2	तकनीकी कारणों से
14.	नारायणपुर	23	12	11	0	तकनीकी कारणों से
15.	बलरामपुर	358	287	70	1	तकनीकी कारणों से
16.	बलौदाबाजार	2399	1393	838	168	तकनीकी कारणों से
17.	बस्तर	431	279	139	13	तकनीकी कारणों से
18.	बालोद	1210	910	289	11	तकनीकी कारणों से
19.	बिलासपुर	2761	2181	549	31	तकनीकी कारणों से
20.	बीजापुर	60	24	36	0	तकनीकी कारणों से
21.	बेमेतरा	2305	1620	670	15	तकनीकी कारणों से
22.	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	140	81	53	6	तकनीकी कारणों से
23.	महासमुन्द	1725	1076	603	46	तकनीकी कारणों से
24.	मुंगेली	1377	964	396	17	तकनीकी कारणों से
25.	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	223	209	14	0	तकनीकी कारणों से
26.	राजनांदगांव	2490	1929	530	31	तकनीकी कारणों से
27.	रायगढ़	962	727	169	66	तकनीकी कारणों से
28.	रायपुर	5208	4099	938	171	तकनीकी कारणों से
29.	सक्ती	1003	914	79	10	तकनीकी कारणों से
30.	सरगुजा	848	320	463	65	तकनीकी कारणों से

स. क्र.	जिले का नाम	पंजीकरण एवं नामांतरण योजना लागू होने के उपरान्त जून–2025 तक नामांतरण योग्य पंजीबद्ध दस्तावेज	स्वतः नामांतरण की संख्या	सामान्य नामांतरण (तहसीलदार के आई.डी. में)	लंबित नामांतरण संख्या	लंबित होने का कारण
31.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1095	771	312	12	तकनीकी कारणों से
32.	सुकमा	68	33	33	2	तकनीकी कारणों से
33.	सूरजपुर	590	554	35	1	तकनीकी कारणों से
	योग :–	**37698**	**27575**	**8996**	**1127**	

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 855) की जानकारी

प्रपत्र

क.	वर्ष	जिला	विधानसभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि रू. लाख में	एस.ओ.आर में लागत रू. लाख में	एजेंसी का नाम	निविदादर सहित लागत रू. लाख में	व्यय राशि रू. लाख में	शुद्ध भुगतान राशि रू. लाख में	पूर्ण/ अपूर्ण/ निरस्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	रायपुर	रायपुर ग्रामीण	प्राथमिक सहकारी समिति धरमपुरा 200 मे.टन गोदाम	12.44	12.08	नीलम एण्ड कंपनी, रायपुर	10..87	0.00	0.00	अपूर्ण	पुनः निविदा जारी
2		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	प्राथमिक सहकारी समिति धरमपुरा में कव्हर्ड शेड 02 नग	13.35	12.96	नीलम एण्ड कंपनी, रायपुर	11..66	0.00	0.00	अपूर्ण	पुनः निविदा जारी
3		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	प्राथमिक सहकारी समिति धरमपुरा में कव्हर्ड शेड 02 नग	13.35	12.96	नीलम एण्ड कंपनी, रायपुर	11..66	0.00	0.00	अपूर्ण	पुनः निविदा जारी
4		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	बोरियाकला के शदाणी दरबार के मेन गेट क्र. 01 लव पहवानी के घर से अविनाष कुकरेजा के घर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	20.00	19.41	शुभम् कंस्ट्रक्शन, रायपुर	19.41	19.76	15.92	पूर्ण	-
5		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	बलदेव चांवला के घर से वरिष्ठ गेहानी के घर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	20.00	19.41	शुभम् कंस्ट्रक्शन, रायपुर	19.96	19.69	15.92	पूर्ण	-
6		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	बोरियाकला के दर्शन निहाल के घर से विक्रम बत्रा के घर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	19.80	19.22	जे.के. कंस्ट्रक्शन, रायपुर	19.79	19.28	15.57	पूर्ण	-
7		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	बोरियाकला के अविनाश कुकरेजा के घर से वीरता अपार्टमेंट तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	19.80	19.22	पूजा कंस्ट्रक्शन, रायपुर	19.79	19.66	16.02	पूर्ण	-
8		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	बोरियाकला के बर्फ फैक्ट्री से संत राजाराम चौक तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	20.00	19.41	दुर्गेश इंटरप्राईजेस, रायपुर	18.53	18.38	14.95	पूर्ण	-
9		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	संत राजाराम चौक से विकास अमुलानी के घर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	20.00	19.41	जय श्री स्टील, रायपुर	19.99	19.92	16.52	पूर्ण	-

क.	वर्ष	जिला	विधानसभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि रू. लाख में	एस.ओ.आर में लागत रू. लाख में	एजेंसी का नाम	निविदादर सहित लागत रू. लाख में	व्यय राशि रू. लाख में	शुद्ध भुगतान राशि रू. लाख में	पूर्ण/ अपूर्ण/ निरस्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	रायपुर	रायपुर ग्रामीण	बोरियाकला के विकास अमुलानी के घर से नानीक के घर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	19.90	19.32	पूजा कंस्ट्रक्शन, रायपुर	19.73	19.26	15.54	पूर्ण	-
11		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	बोरियाकला बस्ती में सड़क एवं नाली निर्माण	19.90	19.32	ए.टी. कंस्ट्रक्शन, रायपुर	19.87	19.85	16.120	पूर्ण	-
12		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	माना बस्ती सड़क एवं नाली निर्माण	19.00	18.44	गतिमान इंफ्रास्ट्रक्चर, रायपुर	17.61	16.26	13.29	पूर्ण	-
13		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	धरमपुरा सड़क एवं नाली निर्माण	19.27	18.71	श्रीया तिवारी, रायपुर	18.15	16.02	12..09	पूर्ण	-
14		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	दतरेंगा सड़क एवं नाली निर्माण	19.3	18.73	काव्या इंटरप्राईजेस, रायपुर	19.29	18.97	15.64	पूर्ण	-
15		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	धनेली सड़क एवं नाली निर्माण	19.25	18.69	रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, रायपुर	19.32	18.87	15.11	पूर्ण	-
16		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	भटगांव सड़क एवं नाली निर्माण	19.23	18.67	संदीप देवांगन, रायपुर	19.22	18.60	15.32	पूर्ण	-
17		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	मुजगहन सड़क एवं नाली निर्माण	19.4	18.84	अनुराग केला	17.42	15.69	12..80	पूर्ण	-
18		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	टेमरी सड़क एवं नाली निर्माण	19.39	18.83	अभिषेक कंस्ट्रक्शन	18.02	15.22	12..62	पूर्ण	-
19		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	बनरसी सड़क एवं नाली निर्माण	19.5	18.93	जय माँ बंजारी कंस्ट्रक्शन, रायपुर	19.47	19.46	15.64	पूर्ण	-
20		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	सेजबहार सड़क एवं नाली निर्माण	19.2	18.64	बी.सी. अग्रवाल	17.27	0.00	0.00	अपूर्ण/ प्रगतिरत।	-
21		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	कांदुल सड़क एवं नाली निर्माण	19.25	18.69	श्रीया तिवारी, रायपुर	18.01	3..35	2..55	अपूर्ण/ प्रगतिरत।	-
22		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	हथबंद सड़क एवं नाली निर्माण	19.10	18.53	जय माँ बंजारी कंस्ट्रक्शन, रायपुर	18.28	17.18	15.87	पूर्ण	-
23		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	काठाडीह सड़क एवं नाली निर्माण	19.30	18.73	अक्षरा कंस्ट्रक्शन,	17.79	17.14	14.12	पूर्ण	-
24		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	डोमा सड़क एवं नाली निर्माण	19.15	18.59	नीलम एण्ड कंपनी, रायपुर	16.71	0.00	0.00	अपूर्ण	पुन: निविदा जारी
				कुल 24 कार्य	448.88	435.74		393.63	329.21	231.55		

क.	वर्ष	जिला	विधानसभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि रू. लाख में	एस.ओ.आर में लागत रू. लाख में	एजेंसी का नाम	निविदादर सहित लागत रू. लाख में	व्यय राशि रू. लाख में	शुद्ध भुगतान राशि रू. लाख में	पूर्ण/ अपूर्ण/ निरस्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक	रायपुर	रायपुर ग्रामीण	वि.खं. धरसींवा ग्राम माना बस्ती में साई मंदिर से गांधी चौक तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	25.30	24.80	–	–	–	–	निविदा कार्यवाही प्रकियाधीन	-
2		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	वि.खं. धरसींवा ग्राम माना बस्ती में साई मंदिर से शितला मंदिर तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	15.62	15.31	ईधा कंस्ट्रक्शन, कचना रायपुर	16.06	0.00	0.00	अपूर्ण/ प्रगतिरत।	-
3		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	वि.खं. धरसींवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम कांदूल में सी.सी रोड़ निर्माण।	78.63	77.08	–	–	–	–	निविदा कार्यवाही प्रकियाधीन	-
4		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	वि.खं. धरसींवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम कांदूल में डिही तालाब से मुक्तिधाम तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	35.56	34.86	–	–	–	–	निविदा कार्यवाही प्रकियाधीन	-
5		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	वि.खं. धरसींवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम दतरेंगा में दिनदयाल के घर से शमशान घाट तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।	64.67	63.39	–	–	–	–	निविदा कार्यवाही प्रकियाधीन	-
6		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	वि.खं. धरसींवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम दतरेंगा में माध्यमिक स्कूल से उच्च स्कूल तक सी.सी.रोड़ निर्माण।	20.11	19.71	मे. जे.के. कंस्ट्रक्शन, रायपुर	20.54	0.00	0.00	अपूर्ण/ प्रगतिरत।	-
7		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	वि.खं. धरसींवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम काठाडीह में मेन रोड से शिवांश स्कूल तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।	16.16	15.84	राकेश वर्मा, कान्दूल रायपुर	16.49	0.00	0.00	अपूर्ण/ प्रगतिरत।	-
8		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	वि.खं. धरसींवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम सेजबहार में तालाब के पास सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	10.48	10.27	राकेश वर्मा, कान्दूल रायपुर	10..69	0.00	0.00	अपूर्ण/ प्रगतिरत।	-
9		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	वि.खं. धरसींवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम सेजबहार में हाटबाजार फेस 1 कालोनी में कव्हर्ड प्लेटफार्म (15x4m) 06 नग. सी.सी रोड 837.00 वर्ग मी. एवं यूरिनल. निर्माण।	33.83	32.92	–	–	–	–	निविदा कार्यवाही प्रकियाधीन	-
10		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	वि.खं. धरसींवा जिला रायपुर अंतर्गत बाबू जगजीवन राम वार्ड नं. 53 में लालपुर अग्रेश धर्मकांटा गली में धमतरी रोड को जोडने हेतु सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	19.91	19.51	चिराग ट्रेडर्स, डुमरतराई रायपुर	20.31	0.00	0.00	अपूर्ण/ प्रगतिरत।	-
				कुल 10 कार्य	320.27	313.69		84.09	0.00	0.00		

क.	वर्ष	जिला	विधानसभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि रू. लाख में	एस.ओ.आर में लागत रू. लाख में	एजेंसी का नाम	निविदादर सहित लागत रू. लाख में	व्यय राशि रू. लाख में	शुद्ध भुगतान राशि रू. लाख में	पूर्ण/ अपूर्ण/ निरस्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक	रायपुर	रायपुर ग्रामीण	जिला रायपुर अंतर्गत मौलीश्री विहार में 01 नग सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	8.47	8.23					निविदा कार्यवाही प्रकियाधीन	-
				कुल 1 कार्य	8.47	8.23	-	0.00	0.00	0.00		-
												-
				योग कुल 35 कार्य	777.62	757.66		477.72	329.21	231.55		-
प्रस्तावित कार्य												
1	01 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक	रायपुर	रायपुर ग्रामीण	नगर पालिक निगम बीरगांव अंतर्गत उरला धान खरीदी केन्द्र, बाजार चौक मे भवन निर्माण कार्य – वार्ड क्र 5 राजीव गांधी वार्ड	–	–	–	–	–	–	प्राप्त प्रस्ताव का सर्वे एवं प्राकल्लन तैयार किया जा रहा है।	-
2		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत फुण्डहर के चंडी चौक में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
3		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत फुण्डहर के निर्मला घाट में शेड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
4		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत फुण्डहर के शितला मंदिर के पास शौचालय निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
5		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	नगर पालिक निगम रायपुर के वार्ड क्र.2 अंतर्गत कबीरनगर के एकता चौक के बी.टी 332 के बी.टी 343 तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
6		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	नगर पालिक निगम रायपुर के वार्ड क्र.2 अंतर्गत सीतानगर में नाली निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
7		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	नगर पालिक निगम रायपुर के वार्ड क्र. 54 अंतर्गत शिव विहार संगम मैरिज पैलेस के पीछे सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
8		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत मुजगहन में मुजगहन चौक से नया बस्ती तालाब तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
9		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत मुजगहन में हाटबाजार सह व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
10		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत मुजगहन में सभा कक्ष निर्माण कार्य (पंचायत भवन में)	–	–	–	–	–	–		-
11		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत मुजगहन में संजय महेश्वरी के घर से टीमबाई के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
12		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत भटगांव में राम सिंग निषाद के घर से तुलसी के घर से जमुना महिलांग के घर तक सी.सी.रोड निर्माण	–	–	–	–	–	–		-

क.	वर्ष	जिला	विधानसभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि रू. लाख में	एस.ओ.आर में लागत रू. लाख में	एजेंसी का नाम	निविदादर सहित लागत रू. लाख में	व्यय राशि रू. लाख में	शुद्व भुगतान राशि रू. लाख में	पूर्ण/ अपूर्ण/ निरस्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत भटगांव में पूर्णिमा के घर से बिसौहा विश्वकर्मा से अशोक सोनवानी के घर से पवन यादव के घर तक सी. सी.रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–	प्राप्त प्रस्ताव का सर्वे एवं प्राकल्लन तैयार किया जा रहा हे।	-
14		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत भटगांव में मिथलेश के घर से आंगनबाडी केन्द्र क्र. 2 तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
15		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत भटगांव में आंगनबाडी भवन निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
16		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत भटगांव में मुक्तिधाम घाट में चबूतरा निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
17		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत दतरेंगा में गुरूबालकदास के पास शेड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
18		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत दतरेंगा में नरेश साहू के घर से शशि सोनकर के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
19		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत दतरेंगा में देवेश यादव के घर से कृष्णा धृतलहरे के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
20		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत दतरेंगा में बस्ती में पुराना टंकी से मंदिर तक सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
21		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत दतरेंगा में हाटबाजार निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
22		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत हथबंद में नयापारा तालाब में निर्मला घाट में शेड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
23		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत हथबंद में पंचायत भवन के पास शेड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
24		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत सेजबाहार में शमशान घाट नयाबस्ती सेजबहार पहुंच मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
25		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत सेजबाहार में सेजबहार चौक से पानी टंकी तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
26		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत सेजबाहार में प्राथमिक शाला से सीताराम साहू के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
27		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत टेमरी में शीतला पारा में सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
28		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत टेमरी में एकता नगर में सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-

क.	वर्ष	जिला	विधानसभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि रू. लाख में	एस.ओ.आर में लागत रू. लाख में	एजेंसी का नाम	निविदादर सहित लागत रू. लाख में	व्यय राशि रू. लाख में	शुद्ध भुगतान राशि रू. लाख में	पूर्ण/ अपूर्ण/ निरस्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	01 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक	रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत बनरसी (माना कैम्प) अंतर्गत जोरा तालाब के पास मोहल्ले में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–	प्राप्त प्रस्ताव का सर्वे एवं प्राकल्लन तैयार किया जा रहा है।	-
30		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत माना बस्ती में गढवाली ढाबा से प्राथमिक शाला माना बस्ती भाठापारा सी.सी.रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
31		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत माना बस्ती में मोहित यदु के घर सेनायक प्लॉट तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
32		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत माना बस्ती में विनायक कालोनी से ब्लोसम स्कूल तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
33		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत धरमपुरा के आंगनबाडी केन्द्र क्र.3 में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
34		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत धरमपुरा में नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
35		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत धरमपुरा में रंग मंच निर्माण कार्य – हाउसिंग बोर्ड कालोनी	–	–	–	–	–	–		-
36		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत कांदूल में भाठापारा नयाबस्ती सामुदायिक भवन के पास शेड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
37		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत कांदूल में नयाबस्ती में नाली निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
38		रायपुर	रायपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत धनेली में भाठापारा में नयातालाब के पास घाट एवं शेड निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–		-
				कुल 38 कार्य	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		-

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 09-07-2025 22:04:51

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - सत्तासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 865) की जानकारी

प्रपत्र

अम्बिकापुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित प्री.मै./पो.मैट्रिक छात्रावासों की सूची

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	उदयपुर	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास लक्ष्मणगढ़	50	58
2	उदयपुर	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास उदयपुर	20	26
3	अम्बिकापुर	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास अम्बिकापुर	100	105
4	अम्बिकापुर	विशिष्ट प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास अम्बिकापुर	100	104
5	अम्बिकापुर	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास मणीपुर	50	53
6	अम्बिकापुर	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास अम्बिकापुर	50	52
7	अम्बिकापुर	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास अम्बिकापुर	65	70
8	अम्बिकापुर	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास अम्बिकापुर	60	75
9	लखनपुर	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास निम्हा	50	53
10	लखनपुर	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास लखनपुर	50	57
11	लखनपुर	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास लखनपुर	50	72

अनुभाग अधिकारी
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - अट्ठासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 70 (क्र. 872) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि रु. लाखों में)

क्र.	मद का नाम	2022–23		2023–24		01 अप्रैल 2024 से 23 जून 2025	
		प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1	अनुरक्षण / लघु निर्माण	316.60	304.38	40.08	35.21	207.75	102.29
2	संविधान अनुच्छेद 275(1) (अहाता / शौचालय एवं अन्य निर्माण / मरम्मत कार्य)	105.18	79.04	103.47	79.67	0.00	0.00
3	राज्य प्रायोजित मूल भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य	–	–	433.02	420.90	–	–

अनुभाग अधिकारी
आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.
पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - नवासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 (क्र. 873) की जानकारी

प्रपत्र–अ

क.	जिला	वितरित वन अधिकार पत्र			
		व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र		सामुदायिक वन अधिकार पत्र	
		संख्या	वन भूमि का रकबा (हेक्टे. में)	संख्या	वन भूमि का रकबा (हेक्टे. में)
1	2	3	4	5	6
1	कोरिया	8099	5391.717	463	1107.007
2	मनेन्द्रगढ़	13664	12282.296	1068	16921.53
3	सरगुजा	26830	14183.954	1216	156807.646
4	जशपुर	18578	7973.712	2952	90282.396
5	रायगढ़	13215	7860.844	4093	47735.483
6	सारंगढ़	3845	1694.556	1125	14783.872
7	कोरबा	57173	29868.706	1345	51198.453
8	जांजगीर–चांपा	925	573.344	117	7479.1
9	सक्ती	353	153.141	108	6119.02
10	बिलासपुर	8580	3038.961	489	538.962
11	कबीरधाम	13621	13678.425	1150	74904.486
12	राजनांदगांव	4001	1815.516	750	30421.642
13	खैरागढ़	3709	2713.879	709	43653.475
14	मोहला	10036	11291.600	319	36904.349
15	महासमुंद	9422	6352.818	311	22090.954
16	धमतरी	12780	15040.698	1897	184253.619
17	कांकेर	29067	33240.530	6664	333771.8
18	बस्तर	35180	22774.425	6209	24505.73
19	नारायणपुर	5059	4828.784	829	7538.01
20	दंतेवाड़ा	10212	14104.958	1186	22747.11
21	बीजापुर	12044	15600.873	2831	62961.124
22	सुकमा	15409	22013.188	484	98107.107
23	कोण्डागांव	59687	64064.938	4547	43818.727
24	गरियाबंद	22663	19805.463	694	73080.062
25	बलौदाबाजार	9114	10981.988	176	30431.58
26	बलरामपुर	29663	15476.520	3362	130755.74
27	सूरजपुर	29841	16026.673	1712	17976.415
28	बालोद	1810	1882.571	803	98613.095
29	मुंगेली	5399	4968.840	319	395.496
30	गौरेला	12702	5762.808	323	17895.339
	योग	**482681**	**385446.726**	**48251**	**1747799.329**

अनुभाग अधिकारी
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

प्रपत्र–ब

क.	जिला	जिला स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की संख्या	
		व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार
1	2	3	4
1	कोरिया	0	0
2	मनेन्द्रगढ़	56	0
3	सरगुजा	0	0
4	जशपुर	0	0
5	रायगढ़	0	0
6	सारंगढ़	0	0
7	कोरबा	0	0
8	जांजगीर–चांपा	0	0
9	सक्ती	0	0
10	बिलासपुर	0	0
11	कबीरधाम	0	0
12	राजनांदगांव	0	0
13	खैरागढ़	0	0
14	मोहला	31	0
15	महासमुंद	42	11
16	धमतरी	52	0
17	कांकेर	0	0
18	बस्तर	0	0
19	नारायणपुर	0	0
20	दंतेवाड़ा	0	0
21	बीजापुर	0	0
22	सुकमा	0	0
23	कोण्डागांव	44	0
24	गरियाबंद	0	0
25	बलौदाबाजार	79	0
26	बलरामपुर	0	0
27	सूरजपुर	35	0
28	बालोद	0	0
29	मुंगेली	0	0
30	गौरेला	0	0
	योग	**339**	**11**

अनुभाग अधिकारी
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

अतारांकित प्रश्न संख्या 72 (क्र.875) की जानकारी

किसान समृद्धि योजना अन्तर्गत वर्ष 2022–23 से 30 जून 2025 तक नलकूप खनन एव पंप प्रतिस्थापन की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क	योजना	वर्ष	विकासखंड	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन संख्या	पंजीकृत आवेदन	पंजीकृत कृषक जिन्हें अनुदान दिया गया	कृषक संख्या जिन्हे अनुदान प्रदाय नहीं किया गया
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	किसान समृद्धि योजना	2022-23	मोहला	8	17	17	3	14
			मानपुर	6	13	13	10	3
			अ.चौकी	7	14	14	7	7
			योग	**21**	**44**	**44**	**20**	**24**
2		2023-24	मोहला	5	5	5	5	0
			मानपुर	5	5	5	3	2
			अ.चौकी	3	3	3	2	1
			योग	**13**	**13**	**13**	**10**	**3**
3		2024-25	मोहला	35	49	49	25	24
			मानपुर	26	22	22	22	0
			अ.चौकी	20	33	32	13	19
			योग	**81**	**104**	**103**	**60**	**43**
4		2025-26 (जून 2025 तक)	मोहला	13	34	34	0	34
			मानपुर	12	84	84	0	84
			अ.चौकी	12	26	26	0	26
			योग	**37**	**144**	**144**	**0**	**144**
महायोग				**152**	**305**	**304**	**90**	**214**

टीप – किसान समृद्धि योजना अंतर्गत पंजीकृत कृषको को देयक प्रस्तुत किए जाने पर अनुदान राशि प्रदाय किया गया है। शेष किसानों के नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन के देयक प्राप्त नहीं होने के कारण अनुदान राशि प्रदाय नहीं की गई।

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

राज्य पोषित शाकम्भरी योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 से 30 जून 2025 तक सिंचाई पंप वितरण अनुदान एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	विकासखण्ड	लक्ष्य	पंजीकृत आवेदन	पंजीकृत कृषक जिन्हें अनुदान दिया गया	कृषक संख्या जिन्हे अनुदान प्रदाय नहीं किया गया	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शाकम्भरी योजना	2022–23	अ.चौकी	70	0	0	0	(1) प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध कृषकों के अल्प संख्या में आवेदन प्राप्त होने से लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति नहीं हुई। (2) प्राप्त कुल 61 आवेदनों में कार्य अनुमोदन उपरांत कुल 47 कृषकों द्वारा कृषक अंश राशि जमा किये जाने के आधार पर पूर्ति की गई
			मानपुर		42	28	14	
			मोहला		19	19	0	
		योग		**70**	**61**	**47**	**14**	
		2023–24	अ.चौकी	128	52	50	2	(1) प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध कृषकों के अल्प सख्या में आवेदन प्राप्त होने से लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति नहीं हुई। (2) प्राप्त कुल 63 आवेदनों में कार्य अनुमोदन उपरांत कुल 61 कृषकों द्वारा कृषक अंश राशि जमा किये जाने के आधार पर पूर्ति की गई
			मानपुर		3	3	0	
			मोहला		8	8	0	
		योग		**128**	**63**	**61**	**2**	
		2024–25	अ.चौकी	210	35	35	0	प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध कृषकों के अल्प संख्या में आवेदन प्राप्त होने से लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति नहीं हुई।
			मानपुर		90	90	0	
			मोहला		9	9	0	
		योग		**210**	**134**	**134**	**0**	
		2025–26 (30 जून 2025 तक)	अ.चौकी	50	6	0	6	प्रक्रियाधीन
			मानपुर		14	0	14	
			मोहला		0	0	0	
		योग		**50**	**20**	**0**	20	
महायोग				**458**	**278**	**242**	**36**	

(विजय मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पी.एम.किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2022–23 से 30 जून 2025 तक लाभान्वित कृषकों की वर्षवार जानकारी

क्र	जिला	वर्ष	लाभान्वित किसानों की संख्या
1	मोहला–मानपुर– अम्बागढ़ चौकी	2022-23	51,103
2		2023-24	30,232
3		2024-25	37,207
4		2025-26	वित्तीय वर्ष में किस्त जारी नही की गई है।

क्रं.	जिला	जिले द्वारा प्रदायित जानकारी अनुसार कुल किसान संख्या	वर्तमान में योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्ह किसानों की संख्या	योजनांतर्गत लाभ से वंचित किसानों की संख्या	रिमार्क
1	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	60,206	37,002	23,204	पी.एम. किसान योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन की श्रेणी में सम्मिलित होने के कारण, किसानों से आवेदन अप्राप्त रहने से, योजनांतर्गत पात्रता की शर्तो को पूर्ण न करने वाले किसान तथा ऐसे किसान जिनका ई–केवायसी, आधार सीडिंग एवं लैंड सीडिंग पूर्ण न हुआ हो, वे योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।

टीप– 1. उपरोक्त जानकारी भारत सरकार के पी.एम. किसान पोर्टल पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर है।

2. जिले में कुल किसान संख्या वर्ष 2015–16 की कृषि जनगणना पर आधारित है।

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
Date: 10-07-2025 उप सचिव
18:04:53 छ.ग. शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र –"अ"

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	सत्र	स्वीकृत सीट	भरी सीट	रिक्त सीट	चालू हालत में स्मार्ट क्लास की संख्या	हाई स्पीड इंटरनेट	कम्प्यूटर	सर्व सुविधा–युक्त प्रयोगशाला	पुस्तकालय में नवीनतम पाठ्यक्रम की किताबों की संख्या	पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकों की संख्या	खेल सुविधा	चालू शौचालय संख्या	चालू स्नानागार संख्या
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	2025-26	वर्ष 2025–800 (प्रति कक्षा 200 सीट)	कक्षा 9वीं– प्रक्रियाधीन है। कक्षा 10वीं–166 11वीं–164 12वीं–152 कुल 482	318	1	उपलब्ध है	95	कक्षा 10वीं– विज्ञान कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला है	8844	3000	व्हालीबाल, बैडमिटन, बॉस्केटबाल, क्रिकेट, कैरम, लूडो, चेस उपलब्ध है	204	132
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	2025-26	620	367 (कक्षा 9वीं 155 सीट पर प्रवेश प्रकियाधीन)	98	5	300 एमबीपीएस	50	उपलब्ध है	1000	2000	उपलब्ध है	72	81
3	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग जिला–दुर्ग (छ.ग.)	2025-26	500	352 कक्षा 9वी प्रवेश प्रक्रियाधीन	148	4	उपलब्ध	25	उपलब्ध	525	135	वालीवॉल, क्रिकेट, ओपन जीम (अस्थायी सुविधा)	102	80
4	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	2025-26	500	363	137	0	उपलब्ध है	30 नग उपलब्ध है	(अ.पि.व. प्रयास कन्या) के पूर्व प्रयास भवन में संचालित होने के कारण कक्ष के अभाव में एक ही कमरे में तीनो प्रयोगशाला संचालित है।	407	560	उपलब्ध है	60 – 60	44 – 44
5	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)	2025-26	500	343	157	1	Jio Airfiber and Bsnl अस्थायी इंटरनेट सुविधा	10 (ओल्ड जनरेशन)	3	5136	347	खो–खो, कबड्डी, वालीवाल, बेडमिंटन खेल सुविधा उपलब्ध है।	132	64
6	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला–बस्तर (छ. ग.)	2025-26	500	453	47	2	30 MBPS	25	हॉ	400	500	हॉ	132	66
7	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय कांकेर जिला–कांकेर (छ.ग.)	2025-26	400	267	133	1	उपलब्ध है	25	1	2400	700	इंडोर गेम अंतर्गत खेल सुविधा उपलब्ध है	141	96

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	सत्र	स्वीकृत सीट	भरी सीट	रिक्त सीट	चालू हालत में स्मार्ट क्लास की संख्या	हाई स्पीड इंटरनेट	कम्प्यूटर	सर्व सुविधा–युक्त प्रयोगशाला	पुस्तकालय में नवीनतम पाठ्यक्रम की किताबों की संख्या	पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकों की संख्या	खेल सुविधा	चालू शौचालय संख्या	चालू स्नानागार संख्या
8	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय कोरबा जिला–कोरबा (छ.ग.)	2025-26	400	256	144	7	है	26 कार्यशील	अस्थाई संचालित है।	1274	285	है	104	80
9	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जशपुर जिला–जशपुर (छ.ग.)	2025-26	400	274	126	1	है (46 मेगाबाइट पर सेकेण्ड)	10	प्रयोगशाला है (किन्तु सर्व सुविधा–युक्त नहीं है।)	400	179	है	55	51
10	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय रायगढ़ जिला–रायगढ़ (छ.ग.)	2025-26	250	सत्र 2024–25 में कक्षा नवमीं में 87 विद्यार्थी, एवं सत्र 2025–26 में कक्षा 9वीं उत्तीर्ण 10वीं में प्रवेशित 84 एवं कक्षा 9वीं हेतु प्रवेश प्रक्रियाधीन है।	166	नहीं है	उपलब्ध है	उपलब्ध है	नहीं है	821 नग	नहीं है	बैडमिंटन, कैरम, चेस, क्रिकेट	18	18
11	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय पिनकापार जिला–बालोद (छ.ग.)	2025-26	375	227 कक्षा 9वी प्रवेश प्रक्रियाधीन	148	प्रयास शास. आवासीय विद्यालय दुर्ग के भवन में संचालित								
12	नवीन प्रयास बालक (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.)	2025-26	375	152 कक्षा 9वी प्रवेश प्रक्रियाधीन	223	प्रयास शास. आवासीय विद्यालय दुर्ग के भवन में संचालित								
13	नवीन प्रयास कन्या (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर (छ.ग.)	2025-26	375	142 (कक्षा 9वीं 125 सीट पर प्रवेश प्रकियाधीन	108	वर्तमान में प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढियारी रायपुर में संचालित है।								
14	नवीन प्रयास कन्या (अन्य पिछड़ा वर्ग) आवासीय विद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	2025-26	375	310	65	नवीन अन्य पिछड़ा वर्ग प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय पूर्व प्रयास भवन में ही संचालित है इस कारण शेष जानकारी पृथक से नही दी जा रही है।								
15	नवीन प्रयास बालक (अन्य पिछड़ा वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर (छ.ग.)	2025-26	500	196	304	वर्तमान में प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, रायपुर में संचालित है।								

टीप :– सत्र 2025–26 अंतर्गत कक्षा 9वीं में प्रवेश की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

प्रपत्र –''ब''

प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु वर्षवार सृजित पद की संख्या

क्र.	सृजित पद	पद संख्या						
		वर्ष 2011–12	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2018–19	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25
1	प्रशासकीय अधिकारी	2	0	0	5	2	5	1
2	छात्रावास अधीक्षक	5	2	2	5	4	10	2
3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	2	2	2	1	2	5	1
4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	2	2	2	1	2	5	1
5	स्टाफ नर्स	2	0	0	0	0	0	0
6	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)	10	6	6	3	20	15	3
7	रसोईया सह0 जलवाहक	15	10	10	5	14	20	4
8	वाहन चालक	2	0	0	0	0	0	0
9	स्वीपर (अंशकालीक)	6	4	4	2	14	20	4
10	स्वीपर (पूर्णकालिक)	0	0	0	0	4	0	0
कुल योग		**46**	**26**	**26**	**22**	**62**	**80**	**16**

अनुभाग अधिकारी
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

प्रपत्र– "स"

रिक्त पदों पर कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	क्र.	सृजित पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी	मूल पद	पदस्थ दिनांक
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	श्रीमती प्रमिला शुक्ला, (प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी)	प्राचार्य	03-06-2025
		2	छात्रावास अधीक्षक	3	श्री खेमराज रात्रे	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 'स'	07-05-2025
					श्री आशीष पाण्डेय		06-05-2022
					श्री पीयूष देवांगन		27-07-2024
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	दैनिक मजदूरो से कार्य लिया जा रहा है	–	
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	श्री नीलकंठ वर्मा	लेखापाल	03-04-2014
		5	स्टाफ नर्स	1	–	–	–
		6	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)	6	श्री अनुप बाग	भृत्य	01-07-2021
		5	रसोईया सह0 जलवाहक	9	दैनिक मजदूरो से कार्य लिया जा रहा है	–	–
		6	वाहन चालक	1	दैनिक मजदूरो से कार्य लिया जा रहा है	–	–
			अंशकालीक स्वीपर	4	दैनिक मजदूरो से कार्य लिया जा रहा है	–	–
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढियारी, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)		प्रशासकीय अधिकारी	1	डॉ. श्रीमती मंजुला तिवारी	प्राचार्य	27-07-2012
		2	छात्रावास अधीक्षक	2	श्रीमती लता गोयल श्रीमती रश्मि यादव श्रीमती साधना नेताम	व्याख्याता (संलग्न) अधीक्षक श्रेणी "स" अधीक्षक श्रेणी "स"	30-06-2017 14-06-2019 28-11-2022
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	श्रीमती रेणुका सिन्हा	संलग्न सहा0आयु0आ0वि0 रायपुर	31-06-2022
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	स्वीकृत पद के विरूद्ध दैनिक मजदूर से काम लिया जा रहा है।	–	–
		5	स्टाफ नर्स	1		–	–
		6	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)	4		–	–
		7	रसोईया सह0 जलवाहक (कले. दर)	6		–	–
		8	वाहन चालक (कले. दर)	1		–	–
		9	अंशकालीक स्वीपर (कले. दर)	4		–	–
3	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग जिला–दुर्ग (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	श्री आशीष कुमार गुप्ता	प्राचार्य टी संवर्ग	17-07-2017
		2	छात्रावास अधीक्षक	1	श्री लव कुमार वर्मा	अधीक्षक श्रेणी स	23-03-2020
		3	छात्रावास अधीक्षक	1	श्रीमती रानू चन्द्राकर	अधीक्षक श्रेणी स	15-11-2002
		4	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	–	–	–
		5	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	–	–	–
		6	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)	5	1 श्री ललित यादव 2 श्री शीतल कुमार कोशरिया 3 श्री दिनेश सूर्यवंशी 4 कन्हैया लाल वर्मा	भृत्य	20-08-2024 31-10-2020 01-07-2018 20-10-2017
		7	रसोईया सह0 जलवाहक (आका. स्था.)	7	1 श्री धरम सिंह चतुर्वेदी 2 श्रीमती कुसुमलता	भृत्य	01-11-2021 20-10-2018
		8	स्वीपर (कले. दर)	4	1 श्री सुन्दर गेण्ड्रे 2 श्री दिनानाथ	स्वीपर	10-01-2017 10-12-2024

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	क्र.	सृजित पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी	मूल पद	पदस्थ दिनांक
4	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	डा0 जी0ए0 अश्विनी कुमार प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी	प्राचार्य	30-09-2019
		2	छात्रावास अधीक्षक	1	श्री एल0 महेश्वरराव स श्रेणी	अधीक्षक श्रेणी "स"	28-06-2022
		3	छात्रावास अधीक्षिका	1	श्रीमती भारती साहू स श्रेणी	अधीक्षक श्रेणी "द"	30-11-2022
		4	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	श्री आनंद तम्बोली	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (नियमित)	04-07-2025
		5	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	श्री जी0आर0 गजभिये	सहायक ग्रेड–02 (नियमित)	14-07-2014
		6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित)	5	स्वीकत पद के विरूद्ध आकस्मिकता स्थापना कर्मचारी दैनिक मजदूर से कार्य लिया जा रहा है।	–	–
		7	रसोईया सह0 जलवाहक	7	स्वीकत पद के विरूद्ध आकस्मिकता स्थापना कर्मचारी दैनिक मजदूर से कार्य लिया जा रहा है।	–	–
		8	अंशकालीन स्वीपर	4	स्वीकत पद के विरूद्ध आकस्मिकता स्थापना कर्मचारी दैनिक मजदूर से कार्य लिया जा रहा है।	–	
5	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय अबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	श्री ओम प्रकाश साहू	व्याख्याता (गणित)	04-12-2020
		2	छात्रावास अधीक्षक	1	श्रीमती भारती सिंह	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 'स'	06-10-2018
					श्री अमित कुमार सिंह	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 'स'	01-11-2022
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	श्री एल.बी. दूबे	व्याख्याता (गणित)	10-12-2021
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	श्री अमृत लाल एक्का	व्याख्याता (रसायन)	11-06-2021
		5	स्टाफ नर्स	0	–	–	–
		6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भृत्य)	5	दैनिक मजदूर कार्यरत	–	–
		7	रसोईया सह0 जलवाहक (आका. स्था.)	7	दैनिक मजदूर कार्यरत	–	–
		8	अंशकालीक स्वीपर (कले. दर)	4	दैनिक मजदूर कार्यरत	–	–
6	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	श्री सुधीर कुमार दुबे	व्याख्याता	22-07-2022
		2	छात्रावास अधीक्षक	2	1. श्रीमती खूशबू सिन्हा 2. आशीष साहू	अधीक्षक श्रेणी 'स', शिक्षक	07-09-2022 06-03-2024
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	–	–	–
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	–	–	–
		5	स्टाफ नर्स	1	–	–	–
		6	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)	6	1. श्री चारलेस खाखा 2. श्रीमती मनवती कश्यप 3. श्री तीजेन्द्र ठाकुद	नियमित भृत्य	–
		7	रसोईया सह0 जलवाहक	10	दैनिक मजदूर कार्यरत	–	–
		9	अंशकालीक स्वीपर	4	अंशकालीन दैनिक मजदूर कार्यरत	–	–

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	क्र.	सृजित पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी	मूल पद	पदस्थ दिनांक
7	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय कांकेर जिला–कांकेर (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	श्री आर. पी. एस. ठाकुर	प्राचार्य	10-07-2015
		2	छात्रावास अधीक्षक	1	श्री गुपेन्द्र कुमार नागे	अधीक्षक श्रेणी स	19-09-2016
					श्रीमती आशालता शर्मा	अधीक्षक श्रेणी स	16-12-2024
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	श्री जितेन्द्र देवांगन	सहायक ग्रेड–02 (नियमित)	14-03-2024
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	–	–	–
		5	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)	5	1. श्री सुजीत दास (आका.) 2. श्रीमती सुदिप्ता मिस्त्री (आका.) 3. श्री आवेश यादव (आका.)	भृत्य	22-07-2019 19-07-2019 22-07-2019
		6	रसोईया सह0 जलवाहक	7	दैनिक मजदूरी पर कार्य लिया जा रहा है।		
		7	स्वीपर (अंशकालीन)	4	दैनिक मजदूरी पर कार्य लिया जा रहा है।		
8	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय कोरबा जिला–कोरबा (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	श्री गौरव शर्मा	व्याख्याता	20-12-2022
		2	छात्रावास अधीक्षक	2	श्री ललित सिंह	छात्रावास श्रेणी द	19-07-2024
					श्रीमती आरती मणी सिंह	छात्रावास श्रेणी स	25-11-2022
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	–	–	–
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	–	–	–
		5	चतुर्थ श्रेणी नियमित	5	श्री प्रभात भारद्वाज	दैनिक मजदूर	–
					श्रीमती निशा भारती		–
					श्रीमती मिल्की सिंह		–
					श्रीमती परमिला बाई		–
					श्रीमती रजनी		–
		6	रसोईया (आका. स्था.)	2	श्रीमती हरियर बाई	दैनिक मजदूर	–
					श्री भरोष राम		–
		7	पूर्णकालिक स्वीपर (आका. स्था.)	2	श्री मनोज दूबे	दैनिक मजदूर	–
					श्रीमती शिव कुमारी		–
		8	अंशकालीक स्वीपर	2	श्री रोहित राने	अंश कालीन स्वीपर	–
					श्रीमती नीरा राने		–
9	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जशपुर जिला–जशपुर (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	श्रीमती श्वेता दुबे (व्याख्याता एल.बी.)	व्याख्याता एल.बी.	02.01.2025
		2	छात्रावास अधीक्षक लेवल 9	1	श्री गोविंद राम भतपहरे,	व्याख्याता	30.08.2019
			छात्रावास अधीक्षिका लेवल 9	1	श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते	सहायक शिक्षिका एल.बी.	04.12.2024
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	श्रीमती चुमकी महापात्रे	दैनिक मजदूरी दर पर कार्यरत है	–
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	श्रीमती आशा भगत		–
		5	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)	5	श्री देवनन्दन राम		–
					श्री शिवप्रसाद राम		–
					श्री अमर राम		–
					श्रीमती सुचिता एक्का		–
					सुश्री कल्याणी मिंज		–
		6	रसोईया	2	श्रीमती चंदा बाई		–
					श्री संतु राम		–
		7	पूर्णकालिक स्वीपर	2	श्री विकास चौहान		–
					श्रीमती सुनीता बाई		–
		8	अंशकालीन स्वीपर	2	श्रीमती सुनिता बाई		–
					श्री विक्रम राम		–

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	क्र.	सृजित पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी	मूल पद	पदस्थ दिनांक
10	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय रायगढ़ जिला–रायगढ़ (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	श्री व्ही.पी.तिवारी	व्याख्याता	16-08-2024
		2	छात्रावास अधीक्षक–स श्रेणी	2	श्री अरूण कुमार थवाईत	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 'स'	01-09-2024
					श्रीमती पद्मावती थवाईत	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 'स'	01-09-2024
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	श्री अभय नामदेव	कम्प्यूटर आपरेटर	02-09-2024
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	–	–	–
		5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	दैनिक मजदूरी पर कार्यरत्	–	–
		6	रसोईया सह जलवाहक (आका. स्था.)	4	दैनिक मजदूरी पर कार्यरत्	–	–
						–	–
						–	–
						–	–
						–	–
						–	–
						–	–
						–	–
						–	–
		7	स्वीपर (अंशकालीन)	4	कलेक्टर दर पर कार्यरत्	–	–
						–	–
						–	–
11	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय पिनकापार जिला–बालोद (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला दुर्ग में संचालित हो रहा है।		
		2	छात्रावास अधीक्षक स श्रेणी	2			
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1			
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1			
		5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3			
		6	रसोईया सह0 जलवाहक (आका. स्था.)	4			
		7	अंशकालिक स्वीपर	4			
12	नवीन प्रयास बालक (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	श्री आर.के.देशलहरा	व्याख्याता	07-07-2025
		2	छात्रावास अधीक्षक स श्रेणी	2	श्री अंकित अग्रवाल	छात्रावास श्रेणी "द"	07-07-2025
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	–	–	–
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	–	–	–
		5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	–	–	–
		6	रसोईया सह0 जलवाहक (आका. स्था.)	4	दैनिक मजदूर	–	–
		7	अंशकालिक स्वीपर	4	–	–	–

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	क्र.	सृजित पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी	मूल पद	पदस्थ दिनांक
13	नवीन प्रयास कन्या (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	डॉ. श्रीमती मंजुला तिवारी,	अतिरिक्त प्रभार	–
		2	छात्रावास अधीक्षक स श्रेणी	2	श्रीमती लता गोयल श्रीमती रश्मि यादव श्रीमती साधना नेताम	अतिरिक्त प्रभार	–
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	स्वीकृत पद के विरूद्ध दैनिक मजदूर से काम लिया जा रहा है।	–	–
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1		–	–
		5	चतुर्थ श्रेणी	3		–	–
		6	रसोईया सह0 जलवाहक (कले. दर)	4		–	–
		7	अंशकालीक स्वीपर (कले. दर)	4		–	–
14	नवीन प्रयास कन्या (अन्य पिछड़ा वर्ग) आवासीय विद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	श्री अश्विनी कुमार	प्राचार्य (अतिरिक्त प्रभार)	
		2	छात्रावास अधीक्षक स श्रेणी	2	श्रीमती भारती साहू	अधीक्षक स श्रेणी	–
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	श्रीमती शालीनी ऐरी	कलेक्टर दर	–
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	श्री जी0आर0 गजभिये	सहायक ग्रेड–02 (नियमित)	–
		5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित)	3	स्वीकृत सीट के विरूद्ध नियमित / आकस्मिक स्थापना कर्मचारी एवं दैनिक मजदूर से कार्य लिया जा रहा है।	–	–
		6	रसोईया सह0 जलवाहक (आका. स्था.)	4		–	–
		7	अंशकालीन स्वीपर	4		–	–
15	नवीन प्रयास बालक (अन्य पिछड़ा वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर (छ.ग.)	1	प्रशासकीय अधिकारी	1	श्रीमती प्रमिला शुक्ला, (प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी)	प्राचार्य	03-06-2025
		2	छात्रावास अधीक्षक	2	श्री पीयूष देवांगन	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 'स'	27-07-2024
		3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	दैनिक मजदूरो से कार्य लिया जा रहा हैं	–	–
		4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	–	–	–
		5	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)	3	दैनिक मजदूरो से कार्य लिया जा रहा है	–	–
		6	रसोईया सह0 जलवाहक	4	दैनिक मजदूरो से कार्य लिया जा रहा है	–	–
		7	अंशकालीक स्वीपर	4	दैनिक मजदूरो से कार्य लिया जा रहा है	–	–

अनुभाग अधिकारी
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)